ला, खंड 11, अंक 3

बुधवार, 27 जुलाई, 2005
5 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No ......58..........
Dated...... 13/3/06

(खण्ड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 3, बुधवार, 27 जुलाई, 2005/5 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 44 और 57	3-63
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 45 से 56 और 58 से 60 . .	63-90
अतारांकित प्रश्न संख्या 408 से 636	90-549
सभा पटल पर रखे गए पत्र	549
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	550
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
तेरहवां प्रतिवेदन	550
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	550-551
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	551-552
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन	552
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ चौसठवां प्रतिवेदन .	552
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
(एक) नवासीवां प्रतिवेदन	552
(दो) साक्ष्य	552

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	554
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	554
श्री अजय चक्रवर्ती	562
डा. सुजान चक्रवर्ती	565
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) ताजमहल तथा देश के अन्य राष्ट्रीय स्मारकों के संबंध में वक्फ बोर्ड के दावे को प्रतिबाधित करने के लिए आवश्यक कानून लाए जाने की आवश्यकता	
कुंवर मानवेन्द्र सिंह	587
(दो) जम्मू और कश्मीर में अखनूर में चेनाब नदी पर दूसरे पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री मदन लाल शर्मा	588
(तीन) दक्षिणी गुजरात में भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री काशीराम राणा	588
(चार) क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में कृत्रिम झील बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	589
(पांच) कर्नाटक के बेल्लारी जिले में "शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम" स्कीम जारी रखने की आवश्यकता	
श्री जी. करुणाकर रेड्डी	589
(छह) उत्तरी केरल में एक उद्यान-कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. करुणाकरन	590

विषय	कॉलम
(सात) अप्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता	
श्री वरकला राधाकृष्णन	591
(आठ) वैशाली एक्सप्रेस में गोरखपुर से अतिरिक्त बोगियां जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री हरिकेवल प्रसाद	591
(नौ) बिहार में पटना में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	592
(दस) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्रेडिट कार्ड प्रचालन कार्य को सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. वेणुगोपाल	592
(ग्यारह) कोलकाता के ईडन गार्डन में स्थित उद्यान को आम जनता के लिए पुनः खोले जाने की आवश्यकता	
श्री सुब्रत बोस	593
(बारह) कर्नाटक सरकार की लंबित परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	594
(तेरह) महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में रेलवे द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान झोंपड़ियों को खाली कराने की कार्यवाही को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री शिशुपाल एन. पाटले	594
(चौदह) पड़ोसी देशों से उग्रवादियों की घुसपैठ रोकने की दृष्टि से सीमाओं पर सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाप्रदा	595
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश में प्राकृतिक आपदाएं	
श्री बसुदेव आचार्य	595
श्री काशीराम राणा	605
श्री हरिन पाठक	609

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 609

श्री ए.आर. अंतुले 609

श्री एन.एन. कृष्णदास 613

श्री रामजीलाल सुमन 615

श्री राम कृपाल यादव 619

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद 623

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 624

श्री हरिभाऊ राठौड़ 629

श्री मधुसूदन मिस्त्री 632

श्री भर्तृहरि महताब 638

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 642

श्री ए.के.एस. विजयन 644

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 649

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 650

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 657

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 657-660

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

बुधवार, 27 जुलाई, 2005/5 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या-1

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके बोलिए। मेरी अनुमति के बिना खड़े मत होइये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कल जब गृह मंत्री ने गुड़गांव की घटना के बारे में वक्तव्य दिया था तो उन्होंने बताया था कि वह पुनः सभा में आएंगे और एक पूर्ण वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसे प्रश्न काल के बाद उठाने की अनुमति दूंगा। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया इसे प्रश्न काल के पश्चात् उठाइये। कल भी प्रश्न काल नहीं हुआ।

[हिन्दी]

आप सब बैठ जाइए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, भारी वर्षा के कारण आधे महाराष्ट्र में तबाही मची है। मुम्बई, ठाणे, कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा में सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गम्भीर मामला है। आप सुनिये। क्या बात है? मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं आपको 'शून्य काल' में पहले बुलाऊंगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते : धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे उसका पता है। मुझे हर चीज पता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास अध्यक्ष के बहुत सारे सलाहकार हैं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, जो मुम्बई का मामला है, सारे देश के लोग वहां रहते हैं। मुंबई का जो कुर्ला वाला इलाका है, वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लोग रहते हैं। उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको शामिल होने की अनुमति दूंगा। मैं आपको उठाने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव : वे लोग डूब रहे हैं, यह आशंका है कि इसमें सैकड़ों लोग मर सकते हैं। आप सरकार को निर्देश दीजिए कि वहां की स्थिति सुधारने के लिए जल्दी कोई व्यवस्था की जाए। वहां लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था की जाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री यहां हैं। आपने अपना वक्तव्य दे दिया है। इस समय मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने आपको बोलने का मौका देने का वायदा किया है फिर भी आप बोलते जा रहे हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मलेरिया और डेंगू के कारण आंध्र प्रदेश में महामारी फैल गई है। सैंकड़ों लोग मारे गए हैं। मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे एक घंटा बाद उठायें तो क्या कोई कठिनाई होगी? आप क्या बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बाधा नहीं पहुंचाएंगे तो मैं विचार कर सकता हूं अन्यथा मैं विचार नहीं करूंगा।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न संख्या 57 को जो इस प्रश्न से संबंधित है, इस प्रश्न के साथ-जोड़ रहा हूं।

[हिन्दी]

दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा

*41. **श्री रामजीलाल सुमन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं जहां इस योजना के अंत तक निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त हो जाने की संभावना है;

(ग) वे क्षेत्र कौन से हैं जहां निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने की संभावना नहीं है;

(घ) क्या उन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विशेष उपाय किए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिनांक 27-28 जून, 2005 को आयोजित इसकी बैठक में सहमति व्यक्त की गई है।

(ख) और (ग) दसवीं योजना के 4% की विकास दर के लक्ष्य की तुलना में, कृषि क्षेत्र में योजना अवधि के दौरान 2.2% वृद्धि होने की संभावना है। उद्योग क्षेत्र में दसवीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि दर 8.9% के लक्ष्य की तुलना में 7.6% होने की संभावना है, जबकि सेवा क्षेत्रक में दसवीं योजना अवधि के दौरान 9.3% के लक्ष्य की तुलना में वृद्धि दर 8.3% होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय सुझाए गए हैं। इन उपायों में कुछ उपाय विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से कृषि, आधारभूत संरचना अर्थात् विद्युत, सड़क में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना, शासन में सुधार करना, आदि शामिल हैं। किए गए उपायों का ब्यौरा दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन में सूचीबद्ध है जिसे संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है।

[हिन्दी]

पूंजी निवेश कम करना

\+

*57. **डा. चिन्ता मोहन** :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन करने के पश्चात् उक्त योजना की शेष अवधि के दौरान कतिपय क्षेत्रों में पूंजी निवेश कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में पूंजी निवेश में कटौती करने का विचार है; और

(घ) प्रत्येक क्षेत्र में की जाने वाली कटौती की प्रतिशतता क्या है?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4081.5 हजार करोड़ रुपये के निवेश की लक्षित आवश्यकता की तुलना में, मध्यावधि मूल्यांकन में ऐसे निवेश को 3582.2 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। इस निवेश के क्षेत्रवार अलग-अलग ब्यौरे और प्रतिशतता की कटौती को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अनुबंध

दसवीं योजना की क्षेत्रवार निवेश आवश्यकता

(2001-02 के मूल्यों पर, 000 करोड़ रुपये)

क्षेत्रक	दसवीं योजना दस्तावेज	मध्यावधि मूल्यांकन	प्रतिशतता परिवर्तन
1	2	3	4
कृषि और सम्बद्ध	291.6	175.7	-20.0
खनन और उत्खनन	89.4	98.2	9.8
विनिर्माण	1476.9	1196.6	-19.0
विद्युत, गैस और जलापूर्ति	412.5	316.1	-23.4
निर्माण	61.0	53.5	-12.3
व्यापार, होटल आदि	136.6	115.1	-15.7
रेल परिवहन	81.9	77.8	-5.0
अन्य परिवहन	237.6	230.0	-3.2
संचार	296.4	431.4	45.5
वित्तीय सेवाएं	151.2	129.4	-14.4
लोक प्रशासन और इत्यादि	273.1	213.1	-22.0
अन्य सेवाएं	645.3	545.3	-15.5
कुल	4081.5	3582.2	-12.2

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन कहना चाहूंगा कि चूंकि प्रधानमंत्री सदन में मौजूद हैं, इसलिए बेहतर यह होगा कि इतने गंभीर सवाल का प्रधानमंत्री खुद जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा था कि सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त हो जाने की संभावना है, और जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनको सरकार किस हद तक प्राप्त कर लेगी। लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले क्षेत्र और लक्ष्यों को प्राप्त न करने वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने की बात कही गई थी। यहां जो जवाब दिया गया है, उस जवाब का कोई संबंध मेरे मूल प्रश्न से नहीं है। पूरा गोल-माल जवाब है और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार सच्चाई से मुंह चुरा रही है, सत्यता को छिपाना चाहती है। सबसे दुखद बात यह है कि जो कृषि क्षेत्र है, ये सब लोग जानते हैं कि 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 58 फीसदी था।

महोदय, आज वह योगदान घटकर सिर्फ 20 फीसदी रह गया है। यही एक क्षेत्र है जिसमें रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर विद्यमान हैं। मेरा आरोप है कि बराबर इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा हुई थी। उसमें कहा गया है कि चिंता के तीन मुख्य क्षेत्र कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा हैं, जिनकी प्रगति काफी कमजोर है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में की गई भूलों को सुधारा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि योजना आयोग के मुताबिक जो लक्ष्य घोषित किया गया वह 4 फीसदी था और सरकार कहती है कि इस समय यह दर 2.2 फीसदी है, लेकिन अखबारों के मुताबिक वह 1.9 फीसदी है। कुल-मिलाकर कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का कृषि क्षेत्र सशक्त बने, उसका विकास हो और जो

लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी तरफ क्या सकारात्मक प्रयास सरकार ने किया है? अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति दी है। यह पूरी तरह उनके लिए है। इसकी पूरी इजाजत है।

श्री एम.वी. राजशेखरन : मैं बताना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : क्या आप हिंदी जानते हैं?

श्री एम.वी. राजशेखरन : क्या आप धैयपूर्वक मेरी बात सुनेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो अंग्रेजी में बोल सकते हैं। यह एक अनुमेय भाषा है।

श्री एम.वी. राजशेखरन : दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में प्रस्तावित कदमों में सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन, जलधारा विकास, परती भूमि के सुधार और अन्य चीजों में सार्वजनिक निवेश जुटाना शामिल है।

जहां तक कृषि का संबंध है तो स्थानीय समुदायों को शामिल करने और कृषि को हमारी विकास प्रक्रिया के प्रमुख घटक के रूप में मान्यता देने पर जोर दिया गया है। अब इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा कृषि का बागवानी फसलों की ओर विविधिकरण और विभिन्न अन्य घटकों जिससे हमारे कृषक वर्ग को कृषि के माध्यम उसे अधिक आमदनी होगी, के अतिरिक्त अनुसंधान और विस्तार पर काफी ध्यान दिया गया है। इस संदर्भ में हमने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन पर भी अधिक जोर दिया है। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है कि दुर्भाग्य से गत तीन वर्षों से लगातार सूखे के कारण कृषि उत्पादन और कृषि विकास 3.4 प्रतिशत से घटकर 1.9 प्रतिशत हो गया है। यह एक कारण है। अब यह बताया गया है कि कृषि क्षेत्र पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है ताकि आगामी वर्षों में सारा ध्यान उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : माननीय मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया, उसका सीधा मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र में हम भगवान के भरोसे हैं। प्रकृति जो चाहेगी, वही होगा। अभी जो मध्यकालिक समीक्षा हुई, उस समीक्षा में देश के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए जिन 7 महत्वपूर्ण सेक्टरों कृषि, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान की गई, इन स्तंभों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्य किया है? मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हमारा सालाना विकास की औसत दर का जो लक्ष्य था, उसकी तुलना में यह लक्ष्य लगभग 7 फीसदी प्राप्त हुआ है। उसे सशक्त बनाने के लिए स्वयं योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री आलूवालिया जी ने 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो शेष समय बचा है, उसमें बदलाव के लिए 318 सिफारिशें सूचीबद्ध की हैं। इसके अलावा 59 सेक्टरों की पहचान की गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : जिन 59 सेक्टरों की पहचान की गई है, मैं जानना चाहूंगा कि उनकी तरफ क्या पहल हो रही है? वे कौन-से सेक्टर हैं और सरकार विकास दर को सशक्त बनाने के लिए क्या कोशिश कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पुन: मध्यावधि मूल्यांकन की बात नहीं कर सकते। आपको इसे उनके द्वारा बताये गए किसी विशेष विषय संबंधी समिति को भेजना है।

श्री एम.वी. राजशेखरन : जहां तक सिंचाई, बिजली, और शहरी नवीकरण योजना की ओर ध्यान दिए जाने का संबंध है तो जैसा कि माननीय सदस्य को पता है कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत को भारत निर्माण के द्वारा नया रूप देने के लिए नए कदम उठाने की घोषणा की है। भारत निर्माण में हमारे कृषि आधार, हमारी सिंचाई, हमारी अवसंरचना में सुधार लाने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए जरूरी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान दिया जा रहा हैं। जैसा कि माननीय सदस्य को यह भी

पता है कि सरकार आगामी चार वर्षों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,74,000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। इसलिए, आप देखेंगे कि सभी क्षेत्रों पर आवश्यक ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना से अब तक सरकार क्या करती रही, जो हमें इतने वर्षों के बाद आज भी यह स्थिति देखनी पड़ रही है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है। मैं आपको अनुमति नहं दे रहा हूं। कृपया सहयोग करें। कल हमने प्रश्न काल नहीं कराया। आज बहुत से माननीय सदस्य हैं जो प्रश्न करना चाहते हैं। मैंने आपको पूरा मौका दिया है। हमने पहले ही एक प्रश्न के लिए 13 मिनट ले लिए हैं।

अब, डा. चिन्ता मोहन।

डा. चिन्ता मोहन : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। मैं ब्यौरा जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न सं.-57 के उत्तर के लिए तैयार नहीं थे। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते।

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जहां तक इस प्रश्न का संबंध है एक वक्तव्य तो पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है।

डा. चिन्ता मोहन : इन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया है। इन्होनें कहा है कि 'अन्य सेवाओं' के लिए दसवीं योजना में 645 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है परन्तु मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार आवंटित राशि 554 करोड़ रुपए है। क्या हम यह मानें कि अन्य क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा हैं? यदि वे स्वास्थ्य और शिक्षा हैं तो ब्यौरा क्या हैं और वह 2007 तक लक्ष्य कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं?

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, जहां तक स्वास्थ्य और शिक्षा का संबंध है तो माननीय सादस्य को पता होगा कि हमारी सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैं माननीय सदस्य को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मिशन पहले ही चलाया जा रहा है और उसके माध्यम से वर्तमान 0.9 प्रतिशत से अब अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कार्ययोजना का प्रश्न है तो यदि माननीय सदस्य एक अलग सूचना देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और स्वास्थ्य मंत्रालय के माननीय मंत्री उसका उत्तर दे पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : अध्यक्ष महोदय, 10वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के बाद यह तथ्य तो सामने आया ही है कि राष्ट्रीय विकास की दर यह सरकार प्राप्त नहीं कर पाएगी। यह बात योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी कही है कि जब तक कृषि की विकास दर 1.5 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत नहीं की जाएगी, तब तक हम विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

महोदय, अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय सुझाए गए हैं जिनमें कृषि एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि कृषि के क्षेत्र के निवेश में 20 प्रतिशत की कटौती हुई है और बिजली तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 23.4 प्रतिशत की कटौती की गई है। इतनी कटौती करने के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि राष्ट्रीय विकास दर का लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे और यह सरकारा पूरी तरह से किसान विरोधी है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या सरकार निवेश के क्षेत्र में की गई कटौती की फिर से समीक्षा करेगी और जो पूर्व निर्धारित निवेश था, उसे ज्यों का त्यों करना चाहेगी, ताकि लक्ष्य प्राप्त किया जा सके?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यद्यपि कृषि योजना में प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और केंद्र निवेशों में सुधार के लिए सभी प्रयास कर रहा है, राज्य सरकार वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं कर पा रही है। चूंकि कृषि राज्य का विषय है इसलिए केंद्र केवल सहयोगी की भूमिका अदा कर सकता है और वही केन्द्र कर रहा है।

केन्द्र सरकार को 90 प्रतिशत व्यय उठाना पड़ता है। तथापि, राज्यों

और निजी क्षेत्र में अपना हिस्सा नहीं दिया और इस संबंध में रुचि नहीं ली।

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण सिंह अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे। क्या आप अपने स्थान पर हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह : जी हां, महोदय मैं अपने स्थान पर हूं।

[हिन्दी]

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, गंगा नदी की सफाई का कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से चल रहा हे, लेकिन प्रदूषण का स्तर जितना घटना चाहिए था, उतना नहीं घटा है। अब तक 471 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारें बराबर मांग कर रही हैं, लेकिन लगता है कि यह सरकार गम्भीर नहीं है। आपने जो मिड टर्म एप्रेजल रिपोर्ट दी है उसे पढ़ने के बाद भी लगता है कि आप बिल्कुल गम्भीर नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : प्रश्न बिल्कुल सीधा है।

[हिन्दी]

क्वैश्चन बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आप गम्भीर हैं तो कृपया यह बतायें कि क्या आप गंगा नदी की सफाई के लिए और राशि देने वाले हैं, कितनी देंगे और वह कार्य कब तक पूरा होगा, जिससे गंगा नदी का प्रदूषण कम हो सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है। ब्यौरा कैसे दिया जा सकता है?

श्री लक्ष्मण सिंह : महोदय, यह मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट का अंश है।

अध्यक्ष महोदय : क्षेत्र-वार ब्यौरा कैसे दिया जा सकता है?

श्री लक्ष्मण सिंह : यह मुझे लिखित में दे सकते हैं। मेरा कहना है कि वे इसके बारे में गम्भीर नहीं हैं।

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रश्न पूछते हैं तो हमें उत्तर देकर प्रसन्नता होगी।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह मध्यावधि मूल्यांकन का अंश है। यह कार्यक्रम लगभग 20 वर्षों से चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने सूचना के लिए कहा है। इन्होंने इंकार नहीं किया है। आप उन्हें दोष नहीं दे सकते।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव : माननीय मंत्री जी ने जब पहली सप्लीमेंटरी का जवाब दिया, उसमें एग्रीकल्चर रिसर्च और प्रोसेसिंग, इन सब की बात की थी। मैं इसी संदर्भ में जानना चाहता हूं कि आपके क्रेडिट फ्लो का जो टार्गेट है, उसे बैंक पूरा नहीं कर रही हैं, 11 हजार से ज्यादा साइंटिस्ट्स की पोस्टें आई.सी.ए.आर. में खाली पड़ी हुई हैं, जिनके बगैर कोई काम नहीं चल सकता, कोई नई रिसर्च नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे यहां केवल दो परसेंट प्रोसेसिंग है, जबकि ब्राजील में 80 परसेंट है और इंग्लैंड और अमेरिका में 60 और 70 परसेंट के बीच है। आपके आंकड़ों के अनुसार 2004-2005 में लगभग 51 हजार करोड़ रुपये के पैरीशेबल फ्रूट्स एण्ड वेजीटेबल्स नष्ट हुए हैं। क्या आप बतायेंगे कि इन क्षेत्रों में आप क्या कर रहे हैं? जब तक आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपका एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकता और किसान सम्पन्न नहीं हो सकते, देश सम्पन्न नहीं हो सकता है। ये जो मुख्य चीजें हैं, इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है?

श्री एम.वी. राजशेखरन : महोदय, मैं माननीय सदस्य की सराहना करता हूं और उनकी चिंता को समझ सकता हूं। जहां तक विकारी फलों तथा सब्जियों का प्रश्न है, जैसा कि माननीय सदस्य अवगत है सरकार बागवानी मिशन आरम्भ करने पर विचार कर रही है। यह इस प्रकार की सभी समस्याओं को ध्यान में रखेगा। यदि उन्हें इस संबंध में और जानकारी की आवश्यकता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस संबंध में एक नोटिस दें।

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। आपके माध्यम से मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि के प्रति अत्यंत गम्भीर है। हमने पिछले वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसके अनुसार अगले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण को दोगुना कर दिया

जाएगा और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष हमारी अपेक्षा की तुलना में परिणाम कहीं अधिक अच्छे रहे हैं। हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। भारतीय किसानों के हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं और हम उन्हें पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध करना सुनिश्चत कर सकते हैं।

कृषि अनुसंधान तथा विस्तार तंत्र में कुछ समस्याएं हैं। हमने सत्ता में आते ही डा. एम.एस. स्वामिनाथन की अध्यक्षता में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान तथा विस्तार तंत्र में कमी के कारणों की जांच हेतु एक समूह का गठन किया।

रिपोर्ट प्राप्त कर ली गयी है। हम इस पर विचार करेंगे। मैंने अपनी अमरीका यात्रा के दौरान अमरीकी प्रशासन से जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की उसके अनुसार ज्ञान के आदान-प्रदान में वृद्धि की जानी चाहिए। हमारी अनुसंधान प्रयोगशालाएं हमारे कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अलग-थलग पड़ गए हैं। अमरीका स्थित सहायता प्राप्त कालेजों तथा कृषि विश्वविद्यालयों का हमारे विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग आरम्भ किया जाएगा। जिससे कि एक बार पुनः कृषि फसलों के प्रसंस्करण के साथ-साथ कृषि अनुसंधान तथा विस्तार प्रणाली का पुनरुद्धार किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस विषय पर विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया है।

रोगवाहक जनित बीमारियों का उन्मूलन

+

***42. श्री महेश कनोडीया :**

श्री जुएल ओराम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में मलेरिया, डेंगू, हैजा, मस्तिष्क-ज्वर, काला-आजार आदि जैसी रोगवाहक जनित बीमारियोंकी बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो मरीजों की संख्या का राज्यवार और रोग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रोगों के कारण मरने वाले लोगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) रोगवाहक जनित बीमारियों की रोकथाम और उनके उन्मूलन हेतु अब तक क्या उपाय किए गए हैं?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) देश के कई भागों में वैक्टर जनित रोगों की घटनाएं विभिन्न कारकों की अन्योन्याश्रित क्रियाओं में होती हैं जिनमें सफाई की कमी, मानसून, विकासात्मक परियोजनाएं, एक स्थानीय महामारी से प्रभावित एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का पलायन तथा रोग को फैलने से रोकने के लिए अपेक्षित जागरूकता की कमी, शामिल है। वैक्टर जनित रोगों, जैसे-मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, इन्सेफलाइटिस और अन्य रोग जैसे हैजा आदि की स्थिति संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है:—

मलेरिया

वर्ष 2001 में देश में मलेरिया के रोग 2.09 मिलियन थे जो वर्ष 2004 में कम होकर 1.82 मिलियन रह गए हैं। पिछले 4 वर्षों में मलेरिया के रोगियों और इससे हुई मौतों की कुल संख्या इस प्रकार है:—

देश में मलेरियपा की स्थिति (2001-04)

वर्ष	मलेरिया के कुल रोगी (मिलियन में)	ए पी आई	पी फाल्सीपेरम रोगी (मिलियन में)	मलेरिया से हुई मौतें
2001	2.09	2.06	1.01	105
2002	1.84	1.80	0.89	973
2003	1.86	1.82	0.85	1006
2004*	1.82	1.74	0.87	940

*अनन्तिम

फाइलेरिया

लिम्फेटिक फाइलेरियासिस 20 राज्यों में स्थानीय महामारी (इन्डेमिक) के रूप में मौजूद है। इन राज्यों के 250 से अधिक स्थानीय महामारी वाले जिलों में लगभग 500 मिलियन लोगों को इसका जोखिम है। फाइलेरिया की व्यापतता का निर्धारण माइक्रोफाइलेरिया दर से किया जाता है जो विभिन्न राज्यों में 1-5 प्रतिशत के बीच है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त करने की कार्यनीति पात्र लोगों को 5 वर्ष या इससे अधिक समय तक प्रतिवर्ष व्यापक रूप से औषध सेवन (मास ड्रग एडमिनिस्टेशन) कराना है जिससे रोग के संचरण में रोक लग सके और लिम्फोडियोमा के रोगियों का घर पर ही इलाज हो सके।

कालाजार

भारत में कालाजार लंबे समय से स्थानीय महामारी (इन्डेमिक) के रूप में रहा है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशकों के छिड़काव से कालाजार में आंशिक अनुपात में कमी आई है जिसका कारण आनुषंगिक लाभ हैं। तथापि, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सत्तरहवें दशक के दोरान कीटनाशी छिड़काव बंद कर देने के परिणामस्वरूप कालाजार फिर से फैलने लगा। वर्ष 1990 में रोगियों की संख्या बढ़कर 57742 हो गई जबकि मौतों की संख्या 606 हो गई। भारत सरकार ने 1990-1991 में केन्द्रीय प्रायोजित कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया। इससे रोगियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आई। वर्ष 2001 से रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष 10,000 से 25,000 के बीच रही है।

जापानी मस्तिष्क शोथ (इन्सेफलाइटिस)

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2004 में जापानी मस्तिष्कशोथ (इन्सेफलाइटिस) के रोगियों और इससे हुई मौतों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी सूचित की गई। वर्ष 2003 के दौरान 12 राज्यों 2568 रोगियों और 707 मौतों के होने की सूचना मिली है जबकि वर्ष 2004 के दौरान देश के 11 राज्यों से जापानी मस्तिष्क शोथ के 1695 सम्भावित रोगियों और 366 मौतों के होने की सूचना मिली है।

डेंगू

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2004 में डेंगू के रोगियों और उससे हुई मौतों की संख्या पिछले वर्ष से कम थी। वर्ष 2003 के दौरान 13 राज्यों से 12754 रोगियों के होने और 215 मौतों की सूचना मिली है जबकि वर्ष 2004 के दौरान 15 राज्यों से डेंगू की सम्भावना वाले 4153 रोगियों और इससे 45 मौतों के होने की सूचना मिली है।

हैजा

हैजा भारत में प्राचीन समय से होता रहा है। इसमें हैजा प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या नहीं है। वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए रोगियों और मौतों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	रोगी	मौतें
2002	3455	10
2003	2893	2
2004	4728	9
2005	802	शून्य

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा सूचित किए गए मलेरिया, कालाआजार, डेंगू, जापानी इन्सेफेलाइटिस और हैजा के राज्यवार रोगियों और इनके कारण हुई मौतों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I से V तक दिया गया है।

(घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए वेक्टर जन्य रोगों की बढ़ती हुई घटना दर को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र की है। तथापि, भारत सरकार राज्यों/संघ क्षेत्रों को कीटनाशकों की आपूर्ति और प्रयोगशाला नैदानिक सहायता के लिए नकद और सामग्री के रूप में सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त राज्यों/संघ क्षेत्रों को प्रकोपों की जांचों और नियंत्रण तथा सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण के प्रशिक्षण के लिए सहायता सहित तकनीकी दिशा-निर्देशन भी केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। वृहत (अम्ब्रेला) कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इन्सेफेलाइटिस और डेंगू सहित सभी वैक्टर जन्य रोगों को एकीकृत किया गया है तथा इसका पुन: नामकरण राष्ट्रीय वैक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में किया गया है जिसके लिए 2005-06 से 348 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। वर्ष 2002-03 से 2004-05 की अवधि के लिए राज्यवार आबंटन/व्यय का ब्यौरा संलग्न अनुबंध VI में दिया गया है।

मलेरिया

भारत सरकार ने वर्ष 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। तथापि, 1970 के अन्तिम अवधि के दौरान प्रचालनात्मक, तकनीक और प्रशासनिक घटकों के कारण मलेरिया पुन: उत्पन्न हुआ। इसके बाद वर्ष 1977 में कार्य की संशोधित योजना लाई गई। वर्ष 1976 में मलेरिया के रोगियों की संख्या 6.4 मिलियन थी जो वर्ष 2002 में कम होकर 2 मिलियन से कम रह गई। तब से मलेरिया के रोगियों की संख्या 2 मिलियन से कम रहने लगी है।

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के निम्नलिखित संघटक हैं:—

(क) औषध वितरण केंद्र और ज्वर उपचार डिपो स्थापित करके स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं, स्वस्थ्य संस्थाओं और सामुदायिक स्वयं सेवकों के माध्यम से सक्रिय और निष्क्रिय (पेस्सिव) निगरानी करके मलेरिया के रोगियों का शुरू में शीघ्र निदान।

(ख) चयानात्मक अन्तरंग अवशिष्ट कीटनाशकीय छिड़काव सहित समेकित वेक्टर नियंत्रण, कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियों को बढ़ावा देना और लार्वाभक्षी मछलियों का पालन शुरू करना।

(ग) मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण।

(घ) स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों को मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी कार्यकलापों में प्रशिक्षित करके और राज्य तथा जिला मलेरिया नियंत्रण संगठनों को सुदृढ़ करके क्षमता निर्माण।

(ङ) प्रबन्ध सूचना प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रम की मानटरिंग और मूल्यांकन।

फाइलेरिया

वर्ष 2015 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसरण में भारत सरकार ने भागीदार राज्यों के सहयोग से 5 तथा इससे अधिक वर्षों या उससे अधिक अवधि के लिए पात्र लोगों को एकल वार्षिक खुराक रूप में डिइथिल कार्बेमेजाइन (डी.ई.सी.) गोलियों सहित व्यापक रूप से औषध देने (मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) का कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 2004 के दौरान 20 राज्यों/संघ क्षेत्रों में लगभग 407 मिलियन जनसंख्या को कवर करते हुए 202 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में डी.ई.सी. सहित मास ड्रग एडिमिनिस्ट्रेशन को कार्यान्वित किया गया। वर्ष 2005 के दौरान सभ स्थानीय महामारी (इन्डेमिक) वाले जिले 11 नवम्बर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाएंगे। इसके बाद सामुदायिक औषध स्वीकारोक्ति में सुधार करने के लिए 12-13 नवम्बर, 2005 को माप-अप आपरेशन चलाया जाएगा।

काला-आजार

भारत सरकार ने वर्ष 1990-91 कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में रूप में शुरू किया जिसके निम्नलिखित मुख्य कार्यकलाप हैं:—

(क) सतह से 6 फीट तक की ऊंचाई तक वर्ष में दो बार घर के अन्दर डी डी टी का छिड़काव करके वेक्टर नियंत्रण।

(ख) रोग का शुरू में ही पता लगाना एवं उसका पूरा उपचार करना।

(ग) सामाजिक गतिशीलता एवं अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग के लिए व्यवहार प्रभाव हेतु सम्प्रेषण।

(घ) क्षमता निर्माण।

(ङ) आपरेशन अनुसंधान।

इस कार्यनीति के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष 1995 तक इस रोग एवं इससे होने वाली मौतों में कमी का रूझान देखने को मिला है। तथापि, तब से कालाजार के रोगियों की संख्या वर्ष दर वर्ष 12,239 से 22,699 के बीच रही है।

वर्ष 2010 तक कालाजार के उन्मूलन हेतु एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है। जिसका लक्ष्य उप-जिला स्तरों पर रोग की घटना को कम करके प्रति 10,000 की जनसंख्या पर एक रोगी करना है।

डेंगू

जहां निवारक उपाय करने और प्रकोप को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है वहीं भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न

भागों में डेंगू के प्रकोप की जांच, रोकथाम एवं नियंत्रण करने के लिए तकनीकी सहायता राज्यों को दी जाती है। राज्य एवं जिला स्तर के स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए डेंगू बुखार की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त है। कीटाणुनाशक, लार्वानाशी और अन्य उपकरण एवं सामग्री भी प्रदान की जाती है। राज्य सरकारें अपनी ओर से विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रकोप के दौरान निगरानी कार्यकलाप, सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण अभियान, वयस्क वेक्टर नियंत्रण के लिए फॉगिंग करने का काम तथा विभिन्न अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में डेंगू रोगियों का उपचार प्रबंधन करती है।

जापानी इनसेफलाइटिस

जापानी इनसेफलाइटिस की रोकथाम करने संबंधी उपायों में वेक्टर घनत्व को कम करना और मच्छर के काटने से व्यक्तिगत रूप से बचाव करना शामिल हैं मच्छर के जनन को कम करने के लिए पारिस्थितिकीय प्रबंधन विशेषकर जल प्रबंधन एवं सिंचाई प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि कीटाणुनाशक की भूमिका सीमित है। जापानी इनसेफलाइटिस वैकसीन, जापानी इनसेफलाइटिस के नियंत्रण के लिए प्रभावकारी है लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। अपने देश में जापानी इनसेफलाइटिस वैक्सीन सीमित मात्रा में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में तैयार की जाती है। यह वैक्सीन प्रत्यक्ष रूप से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियें द्वारा खरीदी जाती है। टीकाकरण की सिफारिश इसके प्रकोप को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में नहीं की जाती है। तकनीकी सहायता, प्रकोप की जांच एवं नियंत्रण हेतु सहायता, कीटाणुनाशक एवं प्रयोगशाला नैदानिक सहायता के रूप में केन्द्रीय सहायता भ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण और सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

अनुबंध-I

मलेरिया के राज्यवार रोगी और मौतें (2002-04)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002		2003		2004*	
		मलेरिया रोगी	मौतें	मलेरिया रोगी	मौतें	मलेरिया रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	38053	0	35995	3	35427	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	45431	0	34810	0	29849	0
3.	असम	89601	72	76570	53	57401	52
4.	बिहार	3683	2	2652	1	1720	0
5.	छत्तीसगढ़	235434	3	194419	4	175579	6
6.	गोवा	16818	15	11370	1	7839	7
7.	गुजरात	82966	17	130744	65	222759	89
8.	हरियाणा	936	0	4374	0	10008	0
9.	हिमाचल प्रदेश	176	0	133	0	126	0

1 2	3	4	5	6	7	8
10. जम्मू-कश्मीर	455	0	320	0	250	0
11. झारखंड	126589	31	118902	13	73893	39
12. कर्नाटक	132584	33	100220	22	80961	27
13. केरल	3360	8	2575	7	2790	12
14. मध्य प्रदेश	108818	30	99708	22	132094	36
15. महाराष्ट्र	45568	43	62947	85	68988	51
16. मणिपुर	1262	9	2589	17	2736	8
17. मेघालय	17918	41	18366	38	18082	29
18. मिजोरम	7859	35	7293	48	7830	72
19. नागालैंड	3945	0	3370	0	2486	1
20. उड़ीसा	.473223	465	421323	333	416732	283
21. पंजाब	250	0	379	1	1643	0
22. राजस्थान	68627	11	142738	66	105022	20
23. सिक्किम	53	0	278	0	160	0
24. तमिलनाडु	34523	0	43604	0	41732	0
25. त्रिपुरा	13319	5	13807	13	17453	16
26. उत्तरांचल	1659	0	2350	0	1255	0
27. उत्तर प्रदेश	90199	0	101411	0	85868	0
28. पश्चिम बंगाल	194421	152	233802	214	220904	180
29. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	865	1	753	0	745	0
30. चंडीगढ़	157	0	84	0	19	0
31. दादरा एवं नगर हवेली	493	0	468	0	787	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमण और दीव	173	0	141	0	118	0
33.	दिल्ली	1484	0	839	0	521	0
34.	लक्षद्वीप	8	0	6	0	2	0
35.	पांडिचेरी	103	0	63	0	43	0
	कुल	1842019	973	1869403	1006	1824002	940

*अनन्तिम

अनुबंध-II

कालाजार के रोगी और मौतें 2002 से 2005 (अनन्तिम)

क्र. सं.	प्रभावित जिले	2000		2001		2002		2003		2004(पी)		2005(पी)		अब तक सूचित
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	बिहार													
1.	पटना	164	3	183	3	213	25	303	22	324	14	122	9	
2.	नालंदा	22	2	17	2	80	8	66	2	113	2	32	2	
3.	जहानाबाद	3	0	2	1	7	0	72	2	17	0	7	0	
4.	भोजपुर	47	1	35	0	45	3	44	0	66	0	36	1	
5.	सारन	470	3	633	15	491	1	375	5	1029	3	353	0	
6.	सिवान	243	0	102	0	124	0	271	0	219	0	69	0	
7.	गोपालगंज	8	0	21	0	49	0	102	0	423	0	260	0	
8.	पूर्व चम्पारण	944	17	749	11	640	16	919	7	1429	8	446	0	
9.	पश्चिम चम्पारण	232	0	164	0	151	0	317	22	442	4	84	2	
10.	मुजफ्फरपुर	1356	25	1161	54	1403	32	1270	32	1267	15	561	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	सीतामढ़ी	422	9	366	22	375	9	259	14	316	13	64	0	
12.	वैशाली	876	9	763	17	625	10	698	6	952	8	463	5	
13.	दरभंगा	889	23	412	12	485	7	496	7	457	5	118	0	
14.	मधुबनी	1097	20	769	28	549	26	639	19	476	2	93	0	
15.	समस्तीपुर	571	5	359	5	412	3	440	5	514	4	115	1	
16.	भागलपुर	15	0	51	0	47	0	29	0	9	0	7	0	
17.	मुंगेर	0	0	3	0	2	0	0	0	36	0	2	0	
18.	खगड़िया	328	0	471	0	96	0	713	0	310	0	124	0	
19.	बेगूसराय	256	1	242	11	114	3	261	8	452	14	206	6	
20.	पूर्णिया	767	0	527	0	643	1	1367	3	1211	2	299	0	
21.	कटिहार	809	3	502	0	419	0	869	25	845	3	217	0	
22.	सहारा	801	0	470	18	588	4	787	0	782	0	421	0	
23.	मधेपुरा	1138	3	745	5	699	8	1427	7	2062	2	742	1	
24.	सुपाउल	285	0	367	0	397	0	329	0	393	0	52	0	
25.	किशनगंज	202	0	198	0	177	1	59	1	47	0	26	0	
26.	करोरेया	713	1	679	0	644	0	1792	0	1390	0	361	0	
27.	बक्सर	14	1	11	0	6	0	7	0	1	0	2	0	
28.	शिहोर	21	0	29	0	25	0	49	0	50	1	8	0	
29.	शेखर	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	2	0	
31.	अरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	6	0	
32.	संस्थान	214	4	296	0	178	3	0	0	0	0	0	0	
	कुल	12909	130	10327	204	9684	160	13960	187	15683	101	5339	31	मार्च

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	झारखण्ड													
1.	साहबगंज	370	0	92	0	102	0	466	0	441	0	533	0	
2.	गोड्डा	99	0	445	0	458	0	1497	3	2298	6	574	2	
3.	पाकुर	0	0	52	0	198	0	644	2	652	1	164	0	
4.	दुमका	0	0	0	0	0	0	0	0	636	7	528	0	
5.	हजारीबाग	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	कुल	469	0	589	0	758	0	2607	5	4028	14	1799	2	मार्च
	पश्चिमी बंगाल													
1.	मालदा	111	0	129	0	242	1	276	0	313	0	237	3	
2.	मुर्सिदाबाद	373	2	393	0	457	0	480	2	934	11	408	1	
3.	दार्जिलिंग	58	0	52	0	89	0	110	0	177	1	48	0	
4.	24-परगना (उत्तर)	249	5	180	0	175	2	76	0	139	0	66	0	
5.	24-परगना (दक्षिण)	116	0	151	1	176	0	145	2	749	2	224	2	
6.	नाडिया	21	1	35	1	19	1	10	0	27	0	7	1	
7.	हुगली	22	2	17	2	80	8	66	2	113	2	32	2	
8.	बर्दमान एन	3	0	2	1	7	0	72	2	17	0	7	0	
9.	दिमाजपुर (एम)	103	3	82	1	106	0	166	1	188	0	36	0	
10.	दिमाजपुर (एस)	210	0	214	1	255	1	163	0	241	0	106	2	
11.	बीरभूम	0	0	0	0	16	0	46	2	24	0	61	0	
	कुल	1244	11	1238	4	1592	5	1487	7	2876	24	1215	11	मार्च

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	उत्तर प्रदेश													
1.	वाराणसी	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	बलिया	2	0	0	0	2	0	14	0	21	1	0	0	
3.	देवरिया	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	गोरखपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	गाजीपुर	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
6.	कुशीनगर	40	0	19	19	30	1	19	0	2	0	1	0	
7.	रामपुर	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
8.	गोंडा	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1		0	
	कुल	47	0	22	22	32	1	34	1	34	2	1	0	मार्च
1.	दिल्ली	84*	9*	62*	2*	74*	2*	126*	10*	78*	9*	22*	1*	मार्च
2.	गुजरात	0	0	1	0	0	0	0	0					
	भारत	14753	150	12239	213	12140	168	18214	210	22699	150	8376	45	

पी=अनंतिम, *=आयातित

अनुबंध-III

डेंगू के रोगी और मौतें

क्र. सं.	राज्य	2002		2003		2004		2005 (अनन्तिम) 18 जुलाई	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	61	3	95	3	230	1	0	0
2.	बिहार	1	0	0	0	0	0	0	0
3.	चंडीगढ़	15	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	दिल्ली	45	2	2882	35	606	3	6	1
5.	गोवा	0	0	12	2	3	0	0	0
6.	गुजरात	40	0	249	9	117	4	0	0
7.	हरियाणा	3	0	95	4	25	0	0	0
8.	कर्नाटक	428	1	1226	7	291	2	31	0
9.	केरल	219	2	3546	68	686	8	324	5
10.	महाराष्ट्र	370	18	772	45	856	22	16	0
11.	सिक्किम	0	0	0	0	12	0	0	0
12.	पंजाब	27	2	848	13	52	0	1	0
13.	राजस्थान	325	5	685	11	207	5	7	0
14.	तमिलनाडु	392	0	1600	8	1027	0	140	0
15.	उत्तर प्रदेश	0	0	738	8	8	0	0	0
16.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	32	0	0	0	0
17.	पांडिचेरी	0	0	6	0	0	0	0	0
18.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	1	0	0	0
	कुल	1926	33	12754	215	4153	45	525	6

अनुबंध-IV

जापानी मस्तिष्क शोथ के राज्यवार रोगी और मौतें

क्र. स.	प्रभावित राज्य/ संघ राज्य	2000		2001		2002		2003		2004 (अनंतिम)		2005 (अनंतिम)*	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	343	72	33	4	22	3	329**	183	7**	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	असम	158	69	343	200	472	150	109	49	235	64	2	2
3.	बिहार	77	19	48	11	8	1	6	2	85	28		
4.	चंडीगढ़	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0		
5.	दिल्ली	0	0	0		1	0	12	5	17	0	1	0
6.	गोवा	15	3	6	2	11	0	0	0	0	0		
7.	हरियाणा	74	43	47	22	59	40	104	67	37	27		
8.	कर्नाटक	438	45	206	14	152	15	226	10	181	6	9	0
9.	केरल	164	2	128	5	0	0	17	2	9	1		
10.	महाराष्ट्र	2#	0	126	1	119	16	475	115	22	10		
11.	मणिपुर	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0		
12.	पंजाब	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0		
13.	तमिलनाडु	4	0	0	0	0	0	163	36	69	9	4	0
14.	उत्तर प्रदेश	1170	253	1005	199	604	133	1124	237	1030***	228		
15.	पश्चिम बंगाल	148	50	119	21	301	105	2	1	3	1	6	0
	कुल	25593	556	2061	479	1765	466	2568	707	1695	367	22	2

*संबंधित राज्यों द्वारा 20-10-2004 तक अनंतिम रूप से सूचित रोगी

**विषाणु मस्तिष्कशोथ के संदिग्ध रोगी

नोट # राज्य ने 2000 में जापानी मस्तिष्कशोथ के और 80 रोगियों की सूचना दी।

अनुबंध-V

जल जनित रोगों के अखिल भारतीय रोगी और मौतें 2002-04

क्र. सं.	रोग	2002		2003		2004	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विषाणु यकृतशोथ	135859	914	151287	1006	203939	1122

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	एडीडी	9441456	3475	10510476	343	9575112	2855
3.	हैजा	3455	10	2893	2	4728	9
4.	आंत्र ज्वर	488033	542	596684	839	658301	805

स्रोत: के.स्वा.आ.व्यू., स्वा. और प.क. मंत्रालय

अनुबंध-VI

वर्ष 2002-03 से 2004-2005 के लिए किए गए आवंटन/व्यय को (राज्यवार) दर्शाने वाला विवरण

एन.वी.बी.डी.सी.पी.

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	2002-03		2003-04		2004-05	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1001.11	548.86	871.91	534.73	822.94	595.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	280.72	377.08	331.44	112.63	464.71	499.38
3.	असम	1626.32	1935.83	2115.17	1364.15	2233.50	1988.29
4.	बिहार	1592.57	198.35	3025.40	2789.16	4379.28	3501.96
5.	छत्तीसगढ़	1917.27	3047.95	2035.47	1739.99	1848.70	1778.33
6.	गोवा	8.85	7.97	11.75	18.55	16.15	9.65
7.	गुजरात	882.21	767.99	771.41	380.99	655.72	708.33
8.	हरियाणा	71.32	67.21	109.32	37.35	95.33	91.49
9.	हिमाचल	3.06	11.9	7.00	4.90	16.00	13.52
10.	जम्मू-कश्मीर	11.94	62.44	45.63	72.30	70.23	27.63
11.	झारखण्ड	1246.54	1671.15	1691.84	1296.86	186.74	1172.71
12.	कर्नाटक	176.28	227.36	297.75	264.87	453.96	316.77

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	12.69	13.31	28.76	214.55	78.00	109.71
14.	मध्य प्रदेश	2013.06	2408.15	1727.48	1333.71	1709.78	1063.81
15.	महाराष्ट्र	1221.56	947.11	1207.98	463.30	1084.86	593.24
16.	मणिपुर	121.36	144.86	126.44	69.71	190.06	73.39
17.	मेघालय	167.63	301.70	275.01	323.35	435.89	290.81
18.	मिजोरम	118.51	190.50	175.01	275.68	280.57	153.17
19.	नागालैंड	212.48	372.14	306.04	386.20	422.30	278.53
20.	उड़ीसा	2588.63	3030.80	2907.85	2512.78	2671.61	2295.32
21.	पंजाब	70.79	65.75	89.89	37.87	63.16	45.85
22.	राजस्थान	1170.62	925.90	1484.83	1415.59	1201.40	1015.97
23.	सिक्किम	4.37	4.32	5.15	2.42	16.30	10.00
24.	तमिलनाडु	237.68	187.39	320.03	279.06	270.23	310.20
25.	त्रिपुरा	302.79	389.93	401.05	428.63	519.42	390.03
26.	उत्तर प्रदेश	235.83	607.31	720.19	744.61	870.14	956.43
27.	उत्तरांचल	7.84	1.96	7.60	39.17	48.20	31.06
28.	पश्चिम बंगाल	521.98	518.97	790.36	616.94	858.65	607.85
29.	दिल्ली	97.39	58.47	88.88	80.67	55.62	144.07
30.	पांडिचेरी	22.61	13.18	23.12	11.12	31.3	19.70
31.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	217.85	230.07	237.75	203.33	225.71	224.11
32.	चण्डीगढ़	36.00	38.29	36.25	25.3	49.78	31.67
33.	दादरा एवं नगर हवेली	34.33	16.07	42.32	60.72	40.09	31.91

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	दमन एवं दीव	11.72	7.99	16.15	19.29	14.17	11.42
35.	लक्षद्वीप	6.10	5.35	7.47	12.06	10.36	6.02
	कुल	18252.01	19403.60	22339.7	18172.6	24050.91	19397.46
36.	अन्य राज्यों हेतु नकद	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.	कमांड मिससेलिंनियस	435.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
38.	स्पा./रिस/पब.	4275.00	1278.00	1898.46	1928.31	2374.0	2268.62
39.	दिल्ली हैडक्वा./बफर	0.00	0.00	0.00	0.00	339.85	0.00
40.	आरआईटीईएस (फीस)	138.00	0.00	150.00	0.00	135.00	0.00
	कुल	5248.00	1278.00	2160.46	1928.31	2848.85	2268.62
	कुल योग	23500.01	20681.60	24500.16	20100.91	26900.00	21666.08

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडीया : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में मलेरिया, डेंगू और हैजा जैसे रोग बहुत फैलते जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में भी इनका प्रकोप है। आपका उत्तर मैंने पढ़ा है। दूषित पानी की वजह से ये रोग होते हैं। जिस दूषित पानी का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण से ये रोग होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने पानी के नमूनों की जांच करवायी है? यदि नमूनों की जांच करवायी है, तो उक्त रोगों से प्रभावित क्षेत्रों से कितने पानी के नमूने लेकर जांच करवायी गयी है और उनमें से कितने नमूने प्रदूषित पाए गए? जो नमूने प्रदूषित पाए गए, उनकी आपूर्तिकर्ता एजेंसियों और व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? इसकी जानकारी और ब्यौरा देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

डा० अंबुमणि रामदास : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त बीमारियों के बारे में व्यक्त की गयी चिंताओं की सराहना करता हूं। कुछ स्थानिक क्षेत्रों में मलेरिया है। कुछ स्थानिक क्षेत्रों में डेंगू की समस्या भी है। तथापि हैजा वैक्टर जनित बीमारी नहीं है, यह बीमारी दूषित जल के कारण होती है। हैजा गंदगी साफ-सफाई की कमी अथवा स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता के अभाव के कारण फैलती है इस संबंध में काफी जागरूकता है।

जहां तक दूषित जल के परीक्षण का प्रश्न है, हमारे पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि यह राज्य का विषय है। क्योंकि माननीय सदस्य को इस संबंध में जानकारी चाहिए हम गुजरात सरकार द्वारा कराये गए परिक्षणों की संख्या के संबंध में जानकारी मांगेंगे और माननीय सदस्य को इस जानकारी से अवगत किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडीया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि देश के विभिन्न भागों में डेंगू, मलेरिया आदि जैसे रोगों का फैलाव बढ़ता जा रहा है। ये रोग मच्छरों से फैलते हैं। मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं? माननीय मंत्री जी पिछले एक साल का ब्यौरा देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

डा० अंबुमणि रामदास : महोदय, मैं एक-एक कर इन बीमारियों के बारे में जानकारी देता हूं। पिछले चार पांच वर्षों से मलेरिया में कमी हो रही है। वर्ष 2001 में 2.09 मिलियन मामले प्रकाश में आए वहीं पिछले वर्ष इनकी संख्या घट कर 1.82 मिलियन रह गई और सरकार मलेरिया की रोक-थाम के लिए अनेक कदम उठा रही है।

यहां दो बातें हैं। पहला रोक-थाम संबंधी है दूसरा उपचारात्मक है जो मलेरिया होने की स्थिति में किया जाता है। जहां तक रोक-थाम का प्रश्न है हम इस संबंध में अनेक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम नि:शुल्क मच्छरदानियां उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले वर्ष हमने केवल आंध्र प्रदेश में 2,70,000 मच्छरदानियां उपलब्ध करायी थी। मैं पूरे देश के आंकड़े आपको दूंगा। हम अधिक टिकाऊ मच्छरदानियां उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं जिन्हें प्री. इमप्रेगनेटिड अधिक टिकाऊ मच्छरदानियां कहा जाता है, जिसमें पहले से ही कृत्रिम पाइरेथ्राइड संसेचित किया गया है।

हम गम्बूशिया तथा गपी मछलियों का प्रयोग भी कर रहे हैं जो कि डिमक-भक्षी है। आप इन्हें तालाब में छोड़ दीजिए ये मलेरिया के सभी डिमकों को खा जाएगी। ये पूरे तालाब को साफ भी कर देगी। हम डी.डी.टी. तथा मैलाथियन जैसे कीटनाशकों का छिड़काव भी कर रहे हैं। इन सभी की आपूर्ति हम राज्य सरकारों को कर रहे हैं हमारा राष्ट्रीय जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत हम राज्य सरकारों को यह सब निशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं।

जहां तक उपचार का प्रश्न है हम मरीजों को महंगी गोलियां दे रहे हैं वास्तव में हम मरीजों को पहले कलोरोकुइन तथा प्राइमाकुइन आदि दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध करा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप इस विषय में पहले भी बता चुके हैं।

डा० अंबुमणि रामदास : वास्तव में, हम अर्टेमेसिनी जैसे महंगे इन्जेक्शन तथा अर्टेसुनेट सल्फेट जैसी कुछ दवाइयां दे रहे हैं जो काफी महंगी हैं; ये मलेरिया रोकथाम में प्रयोग की जाती है। हम इस संबंध में सभी प्रकार के कदम उठा रहे हैं।

हमने मलेरिया नियंत्रण को वर्गीकृत किया है हमारे संवर्द्धित मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, प्रबल मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आदि जैसे कुछ अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं। ये सभी कार्यक्रम जारी हैं क्योंकि भारत सरकार मलेरिया की समस्या के बारे में अत्यधिक चिंतित है। हम मलेरिया स्थानिक राज्यों अथवा मलेरिया प्रवण क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं।

जहां तक मच्छरदानियों का प्रश्न है वर्ष 2004-2005 में 3.8 मिलियन मच्छरदानियां वितरित की गयी।

अध्यक्ष महोदय : श्री जुएल ओराम — अनुपस्थित हैं। श्री के. येरननायडु।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर अब और अनुपूरक प्रश्न न पूछे जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा उठाए जाने वाले विषय पर पहले ही काफी चर्चा की जा चुकी है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में आदिवासी लोग अत्यंत संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं। अभी तक 900 से भी अधिक आदिवासी लोगों की अतिसार, ऐन्थ्रैक्स जापानी मस्तिष्क शोथ, डैंगू आदि जैसी महामारियों के कारण मृत्यु हो चुकी है। यह एक सच्चाई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा में यह सब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : इसके परिणामस्वरूप अधिकांश बच्चे बीमार हो रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर देने की जिम्मेदारी माननीय मंत्री की है। जब तक मैं अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे रहा हूं, उसका उत्तर आपको नहीं देना है, माननीय मंत्री द्वारा उसका उत्तर दिया जाना है। हमें कम से कम इन प्रक्रियाओं की जानकारी होनी चाहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, बड़ी वेदना के साथ मैं इस को उठा रहा हूं आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। यदि यह सत्य नहीं है तो आप कल इन सब विषयों की जांच करने के लिए एक दल भेज सकते हैं और वह दल लौटकर इस संबंध में पूरी जानकारी लोक सभा को दे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय, आपको इस बारे में उत्तर नहीं देना है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मुझे खेद है, महोदय, आदिवासी लोगों के हित के लिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मैं यह विषय इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि उनमें से अधिकांश बच्चे हैं। राज्य सरकार इस विषय पर निपटने में पूर्णरूप से असफल रही है।

हमने कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस संबंध में एक अभ्यावेदन भी दिया है। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों तथा मूल अधिकारों के अन्तर्गत यह राज्य तथा केन्द्र सरकार का दायित्व है कि वह आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री किन्जरपु येरननायडु : अभी तक राज्य सरकार इस विषय से निपटने में पूरी तरह से असफल रही है। केन्द्र सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है? इस विषय पर कल राज्य सभा में चर्चा की गयी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि अब हम यहां भी इस पर चर्चा करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मंत्री महोदय, पहले ही इस विषय में उत्तर दे चुके हैं। परन्तु आंध्र प्रदेश में यही स्थिति व्याप्त है। इसलिए इस सरकार से हाथ जोड़कर मेरी यह प्रार्थना है कि वह आंध्र प्रदेश के जनजातीय लोगों विशेषकर विशाखापत्तनम जिले के आदिवासियों की सहायता करे। यदि आप मेरी इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करते तो आप भारत सरकार के अधिकारियों का एक दल वहां भेज सकते हैं वे यह पता लगा सकते हैं कि यह सत्य है अथवा नहीं और प्राप्त की गयी जानकारी से सभा को अवगत करायें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपके सुझावों को नोट कर लिया है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : यदि यह पाया जाता है कि यह सत्य नहीं है आप वापस आकर सभा में यह कह सकते हैं कि श्री येरननायडु ने सभा में जो कुछ कहा था वह सत्य नहीं था। अत: मैं इसके लिए सहमत हूं, परन्तु मेरे द्वारा यहां कही गयी बातें सत्य हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : येरननायडु जी, अब इस विषय पर और अधिक न कहा जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यवधान डालने की कोशिश करता है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा उसे इसके परिणामों को भुगतना पड़ेगा।

डा० अंबुमणि रामदास : सरकार इस विषय पर अत्यधिक चिंतित है वास्तव में सरकार माननीय सदस्य की अपेक्षा कहीं अधिक चिंतित है, किसी भी बीमारी के कारण एक भी मौत नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भी उतने ही चिंतित हैं। इसलिए आपको तुलनात्मक रूप से नहीं बोलना चाहिए।

डा० अंबुमणि रामदास : माननीय सदस्य ने पडेरू ऐजेंसी क्षेत्र तथा विशाखापत्तनम जिले के विषय में भी पूछा था। आंध्र प्रदेश में लगभग सात ऐजेंसी क्षेत्र हैं। ऐजेंसियों से अभिप्राय आदिवासी क्षेत्रों से है इनमें से अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारा संवर्द्धित मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। यह विषय कल राज्य सभा में भी उठाया गया था और मैंने इसका उत्तर दिया था। मैं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाये जा रहे कदमों के बारे में तथा भविष्य में इस समस्या से निपटने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि वक्तव्य लम्बे हों, तो आप इसका विवरण सीधे माननीय सदस्य को दे सकते हैं। यहां पूरे वक्तव्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

डा० अंबुमणि रामदास : नहीं, महोदय मैं इसमें उल्लेखित कुछ बिन्दुओं को पढ़ना चाहूंगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं, लगभग 11 कार्यक्रम अधिकारी वहां जाते रहे हैं, 195 चिकित्सा कैम्प लगाये गये हैं वहां की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

1 जून से घर-घर जाकर मिलने का काम किया जा चुका है। प्रारंभ में सात विद्यालयों के सात चिकित्सा दल भेजे गए हैं। इस समय, 55 विद्यालय-परिसरों में 55 चिकित्सा दल कार्य कर रहे हैं जिसमें चिकित्सा अधिकारी, प्रयोगशाला तकनीशियन, परीक्षण के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र और अन्य साधन लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्रों से 300 अतिरिक्त चिकित्सा कर्मचारी ओर अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी इस पर्वतीय क्षेत्र को रवाना किए गए हैं। केवल पेडुरु में ही 55 वाहन तैनात किए गए हैं जो 11 मंडलों में काम कर रहे हैं। वास्तव में, मुख्यमंत्री ने पिछले माह में एक बैठक आयोजित की थी। यह उच्च स्तरीय बैठक थी। इसके बाद उनकी दूसरी बैठक जिला कलेक्टरों के साथ थी। आज चार मंत्री इस मुद्दे पर सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमने माननीय मंत्री से तथाकथित 1000 मौतों के बारे में सुना है। भारत सरकार ने आज क्षेत्रीय निदेशक के नेतृत्व में एक दल उस क्षेत्र में भेजा है जो इस तथ्य का सत्यापन करेगा कि क्या कोई मौत हुई है और इन मौतों का कारण क्या है। इसके साथ ही बड़ी सक्रियता से इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं और मलेरिया तथा इससे जुड़ी अन्य बीमारियों के रोकथाम के लिए निवारक कदम उठा रहे हैं। वास्तव में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री शीघ्र ही उस क्षेत्र का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। हम कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चितरूप से हम इसकी गहन निगरानी कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, मैं 'शून्यकाल' के दौरान इस विषय को पुन: नहीं उठाऊंगा। आंध्र प्रदेश में जबसे नई सरकार सत्ता में आई है तभी से वहां कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। केवल एक सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री ने इस विभाग को किसी व्यक्ति को सौंपा है। आंध्र प्रदेश में यह हाल है और इसी बात से मैं दु:खी हूं।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक बार मैं आपको प्रश्न पूछने के बजाए जानकारी देने हेतु अनुमति दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु : मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु यह उचित नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह उचित नहीं है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : संघ सरकार से भेजने का अनुरोध किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहने में अफसोस है कि यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नही होगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रामकृपाल यादव, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। केवल उन्हीं का प्रश्न कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। मंत्री ने आपके प्रश्न का सुविस्तृत उत्तर दिया है। इस प्रकार का प्रश्न-उत्तर का सत्र नहीं हो सकता। आप उनके पास जाइए। मंत्री जी, आप उन्हें क्यों नहीं अपने पास बुलाते हैं और उनके साथ चर्चा करते हैं? आप उनके कार्यालय में जाइए। आपको वे चाय भी पिलाएंगे और जरूरी सारी जानकारी आपको देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में विभिन्न रोगों, जैसे फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, हैजा, मस्तिष्क ज्वर इत्यादि का राज्यवार ब्यौरा दिया है। मंत्री जी ने बिहार के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि वहां कालाजार और मलेरिया से कितने जिले ग्रसित हैं और उससे कितने लोगों की मृत्यु हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो बातें स्वीकार की हैं कि पानी और गंदगी की वजह से हैजे का रोग फैलता है। बिहार एक गरीब प्रदेश है। आज भी वहां बड़े पैमाने पर कई ऐसे गांव और इलाके हैं जहां शुद्ध पानी लोगों को नहीं मिलता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है, खासतौर से कालाजार से बचने के लिए, क्योंकि आज भी इस रोग से वहां कई लोगों की मौत हुई है। मंत्री जी ने जिलावार ब्यौरा दिया है लेकिन मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता लेकिन सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि बिहार में आज भी कालाजार का रोग बड़े पैमाने पर प्रत्येक जिले में फैला हुआ है। मैं पूछना चाहता

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं कि कालाजार और मलेरिया को रोकने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप स्पेशल कम्पोनेट के अन्तर्गत पैसा देकर बिहार के उन गरीबों को कालाजार से बचाने की व्यवस्था करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे न दोहराएं। मंत्री जी, यदि आपके पास जानकारी है, तो कृपया उत्तर दीजिए। मंत्रीजी जिलेवार जानकारी नहीं दे सकते।

डा० अंबुमणि रामदास : अब देश में कालाजार केवल चार राज्यों–बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही व्याप्त है। देश में केवल 53 जिले इससे प्रभावित हैं और इन जिलों पर हमारा विशेष ध्यान है। दरअसल, कालाजार को समाप्त करने के लिए हमने इस वर्ष के प्रारंभ में बंगलादेश और नेपाल से एक समझौता किया है। हमारा एक नियत कार्यक्रम है कि हम इसे 2015 तक समाप्त कर देंगे। भारत सरकार देश से कालाजार को 2008 या 2009 तक समाप्त करने वाली है। वास्तव में, हमने एक उच्चस्तरीय बैठक 2 सप्ताह पूर्व ही आयोजित की है जिससे सभी प्रभावित राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रियों ने भाग लिया था। कालाजार को हम कैसे समाप्त करेंगे इसके लिए हम लोगों ने एक विशेष कार्यक्रम बनाया है।

इस समय हम कुछ महंगी औषधियों, खाने वाली औषधियों का उपयोग कर रहे हैं। सभी प्रभावित जिलों में कालाजार के लिए पहली बार दवा खिलाने वाला कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं।

प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में मैं सभा को बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू की है। यह एक समेकित कार्यक्रम है जिसमें न केवल स्वास्थ्य बल्कि स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य विज्ञान आदि घटक भी हैं। इन सभी घटकों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सम्मिलित किया गया है। बिहार उन राज्यों में से एक है जहां यह मिशन बिल्कुल निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि वहां इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सके।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि बिहार के लिए कौन सी विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने जनरल उत्तर दे दिया है कि बिहार के लिए देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या बोलेंगे और यहां? क्या की जाने वाली हर कार्रवाई यहां दोहरायी जाएगी?

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष जी, काला अजार से इतने बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री प्रभुनाथ सिंह का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि इसके दो भाग हैं– एक तो बीमार को रोकना है ताकि बीमारी न हो और दूसरा बीमारी हो जाने के बाद उसका इलाज करना है। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया है कि गंदा पानी पीने से ये बीमारियां होती हैं। क्या यह बात सही है कि खाद्य उत्पादन में जिन रासायनिक खादों या कीटनाशक दवाओं का हम उपयोग करते हैं, उनसे भी इस तरह की बीमारियां होती हैं। इस संबंध में क्या आपने कोई सर्वेक्षण कराया है? अगर सर्वेक्षण कराया है तो आप इसका क्या निदान करने जा रहे हैं? जो खाद्य उत्पादन होता है, जो भोजन के लिए हम अनाज का उत्पादन करते हैं, उसमें रासायनिक खाद के अलावा क्या कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की जा सकती है? तीसरे, जहां उचित चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, जहां के मरीज बराबर देश की राजधानी दिल्ली में आया करते हैं, जिन्हें यहां बैड नहीं मिलता है। जो मरीज दिल्ली के बाहर से आते हैं, क्या उनके इलाज के लिए आप कोई अलग से व्यवस्था करेंगे ताकि उनका ठीक से इलाज हो सके और वे मरने न पाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ये दोनों भिन्न-भिन्न प्रश्न हैं। केवल प्रथम प्रश्न का उत्तरा दीजिए।

डा० अंबुमणि रामदास : माननीय मंत्री ने जायज प्रश्न पूछा है कि सरकार इस संबंध में निवारक कदम उठा रही है या उपचारात्मक कदम उठा रही है? संप्रग सरकार के सत्ता मे आने के बाद से स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा अधिकांश ज़ोर निवारक कदमों पर ही रहा है। इस दौरान उस पर बहुत जोर नहीं रहा।

हम केवल निवारक अभियान चला रहे हैं। उसके बाद हम उपचारात्मक कदम उठा रहे हैं। बहुत सी बीमारियों के संबंध मे, जिसमें मलेरिया और जलजनित बीमारियां हैं, हम निवारक अभियान के अंतर्गत उपचारात्मक कदमों के बजाए बहुत से निवारक कदम उठा रहे हैं। मलेरिया के मामले में, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हम मच्छरदानी का उपयोग, कीटनाशी का छिड़काव, और लारवा भक्षी मछली तथा अन्य सभी उपायों को बढ़ावा दे रहे हैं। जल जनित बीमारियों के संबंध में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। जहां पानी न केवल दूषित हो गया है बल्कि उसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक भी मौजूद है। यह पश्चिम बंगाल में और बिहार के कुछ हिस्सों में व्याप्त है। हम बाहर जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं कि जल से इस फ्लोराइड को कैसे दूर किया जाए। कुछ कम खर्चीले उपाय भी हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उन क्षेत्रों का आकलन कर रही है जहां जल दूषित है। इंडोसल्फान का मुद्दा भी था।

अध्यक्ष महोदय : हमने दो प्रश्नों में लगभग 40 मिनट का समय लिया है।

डा० अंबुमणि रामदास : इन बीमारियों को कैसे रोका जाए हम इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : डा. सेनथिल, यदि आपके पास कोई दूसरा प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कृपया उसे दोहराइए नहीं।

डा. आर. सेनथिल : मच्छरों से काटने से बचने के लिए माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में दवा-युक्त मच्छरदानी के प्रयोग की बात कही है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुरूप है। एकमात्र समस्या है कि ये मच्छरदानियां केवल आयात की जाती हैं और देश में बड़े पैमाने पर इनका निर्माण नहीं होता। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि इनके स्वदेश में विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इन मच्छरदानियों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए क्या वे नियमों में कुछ छूट देंगे ताकि अपने देश में पाइरेथीन रहित मच्छरदानियों का उपयोग हो सके।

डा० अंबुमणि रामदास : दवायुक्त मच्छरदानियों की अवधारणा यह है कि ये मच्छरदानियां कृत्रिम पाइरेथ्राइड युक्त होती हैं और मच्छर इसे अंदर नही जा सकते। मच्छर जैसे ही मच्छरदानी के निकट जाते हैं वे इससे दूर भागते हैं। मनुष्य द्वारा इसका उपयोग भी बहुत ही सुरक्षित है। यदि कोई इसका स्पर्श करता है तो भी इसमे कोई समस्या नहीं है। केवल यही समस्या है कि यह विश्वबैंक द्वारा वितपोषित कार्यक्रम है और इसके लिए शर्त यह है कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित सूची में होना चाहिए। इस समय हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से बात कर रहे हैं और उनसे इस विषय में थोड़ा लचीला रवैया अपनाने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली यह मच्छरदानी आज समय की मांग है।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे इस पर चर्चा करें।

डा० अंबुमणि रामदास : इसे भारतीय कीटनाशी बोर्ड द्वारा भी अनुमोदित किया जाना है। प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही हम देश में लम्बी अवधि तक टिकने वाली मच्छरदानी बनने लगेंगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : धन्यवाद, महोदय।

हजारो लोग प्रतिवर्ष मलेरिया से मर जाते हैं। ये अधिकारिक आंकड़े हैं। वास्तव में आज यह इससे अधिक है। मलेरिया द्वारा इस समय वास्तव में दो मिलियन लोग प्रभावित हैं। दुर्भाग्यवश उड़ीसा में सबसे अधिक संख्या में इसके मामले हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश ओर कर्नाटक में लाखों मामले हैं। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है। क्या सरकार के पास मलेरिया उन्मूलन या नियंत्रण के लिए जिला चिकित्सालयों, अस्पतालों या सी.डी.एम.ओ. को मजबूत बनाने हेतु कोई प्रस्ताव या योजना है? क्या मंत्रालय के पास उन जिलों की पहचान करने, जिला स्तरीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सशक्त बनाने के लिए योजना है।

यह बीमारी जापानी इन्सेफिलाइटिस (मस्तिष्क शोथो) से संबंधित है जो बड़े पेमाने पर है और इसमें ज्यादा कठिनाई है। हमारे पास स्वदेश में निर्मित जे.ई. टीको (वैक्सीन) हैं जो कसौली में बनाई जाती है। लेकिन यह इतना प्रर्याप्त नहीं है कि इसे सभी 14 से 15 राज्यों में वितरित किया जा सके। क्या मंत्रालय के पास इस टीका की मात्रा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है।

डा० अंबुमणि रामदास : माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि मलेरिया, कालाजार, डेंगू, इन्सेफिलाइटिस और हैजा के उन्मूलन के लिए हमारे यहां राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है। मलेरिया के लिए हमारे पास मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है जिसकी अवधि बढ़ाई गई है और जो 100 जिलों में संकेन्द्रित है। इसमें से अधिकांश एजेंसी वाले जिले हैं और अधिकांश जन-जातीय क्षेत्रों में है। हमने उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर सहित

10 राज्यों में मलेरिया नियंत्रण परियोजना को गहन रूप से लागू किया है। इन विशिष्ट राज्यों में हम अपने कार्यक्रम में तीव्रता ला रहे हैं। उड़ीसा देश में ऐसा राज्य है जहां मलेरिया महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा है। हम उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में अपने संसाधन जुटा रहे हैं। वास्तव में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे शुरू किया गया है, के अंतर्गत हम अपनी सोसायटियों को विकेन्द्रीकृत कर रहे हैं। हमने क्षय रोग, कुष्ठ रोग और मलेरिया संबंधी सोसायटियां बनाई हैं और जिला कलेक्टर, या जिला चिकित्सा अधिकारी उनके प्रभारी बनाए जा रहे हैं। वे योजनाएं और स्कीमें बना रहे हैं और भविष्य के लिए जिले से संबंधित और गांव से संबंधित विषयों के अनुसार कार्य करने जा रहे हैं।

जहां तक जे.ई. वैक्सीन का संबंध है, हमारे पास सी एस आई, कसौली में स्वदेश में ही निर्मित वैक्सीन है। वह है रैट ब्रेन वैक्सीन। हमें अपनी सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। दो वैक्सीन हैं एक चीन से आता है और दूसरा कोरिया से। यह टिश्यू कल्चर वैक्सीन है जिसे भारत में आयात के लिए संभावित वैक्सीन के रूप में देखा जाता है। किंतु हमने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। हम इस बारे में सोच रहे हैं। एक बार इसका निर्णय हो जाता है तो हमारे पास अधिक वैक्सीन उपलब्ध होगा। हमने सी एस आई से और जे.ई. वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आधे घंटे की चर्चा करा सकते हैं। आप इस पर सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अंतिम अनपूरक प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने केवल दो प्रश्नों के लिए 45 मिनट लिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बिक्रम केशरी देव, आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मैं आपकी इजाजत से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2004 तक मलेरिया के केसेज में कोई कमी नहीं आई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वही प्रश्न दोहराये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि हम डीडीटी देते हैं और स्प्रे भी करवाते हैं। मैं आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी रियासत जम्मू-कश्मीर में पिछले करीब दस साल से डीडीटी का स्प्रे नहीं हुआ है। मैं इसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहा हूं लेकिन कभी भी हमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से डीडीटी की सप्लाई नहीं आई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये। अन्यथा, मैं अगले प्रश्न पर चला जाऊंगा। कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : मेरा मंत्री जी से इतना ही कहना है कि वह मेहरबानी करके यह बताएं कि जो दवाएं आप हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में दे रहे हैं, क्या वे दवाएं रियासत जम्मू-कश्मीर में भी देंगे और देंगे, तो कब देंगे?

[अनुवाद]

डा० अंबुमणि रामदास : जहां तक डीडीटी के प्रयोग का संबंध है तो हम इस सम्पूर्ण देश में बहुत युक्तिसंगत ढंग से प्रयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप जम्मू-कश्मीर राज्य का उल्लेख कर सकते हैं।

डा० अंबुमणि रामदास : हम इसे बहुत युक्तिसंगत ढंग से प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि डीडीटी देश में प्रदूषण फैला सकता है। ऐसे भी

कुछ राज्य हैं जहां हमने डीडीटी की आपूर्ति की थी परन्तु उन्होंने इसे देखा भी नहीं।

जम्मू-कश्मीर पर आते हुए, मुझे ब्यौरा मिल जाएगा और इसे माननीय सदस्य को भेज दूंगा। वस्तुतः केवल डीडीटी ही नहीं बल्कि अन्य कीटनाशक भी हैं जैसे मैलाथियन और फेंथियन। हम पर्यावरण प्रदूषण के कारण डीडीटी का बहुत कम और युक्तिसंगत ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। हम कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही इसका प्रयाग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए और उत्तर संक्षिप्त।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो : अध्यक्ष महोदय, झारखंड में मलेरिया और खासकर ब्रेन मलेरिया विकराल रूप धारण कर चुका है। ब्रेन मलेरिया का इलाज काफी खर्चीला है। वहां के लोग अपनी जमीन और जानवर बेचकर इसका इलाज कराते हैं। सरकार की तरफ से जो मच्छरदानियां बांटी गई हैं, वे भी नगण्य हैं। मैं स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि झारखंड को इस बीमारी के इलाज के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, क्योंकि झारखंड के लोग ब्रेन मलेरिया के इलाज के लिए वैस्ट बंगाल और उड़ीसा पर निर्भर हैं। इसलिए इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : हमने कहा है।

[अनुवाद]

मैं आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हो गया हूं। किसी को उसके लिए सूचना देनी चाहिए।

डा० अंबुमणि रामदास : हम निश्चय ही इस पर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया झारखंड के मामले पर ध्यान दीजिए।

डा० अंबुमणि रामदास : जी हां श्रीमान।

अध्यक्ष महोदय : वह इस पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो : ठीक है।

[अनुवाद]

औषधों में अयुक्त सम्मिश्रण

\+

***43. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
मो. मुकीम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में औषधों/भेषजों में विभिन्न अयुक्त सम्मिश्रण मौजूद हैं तथा उनका विपणन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने इन आयुक्त सम्मिश्रणों पर रोक लगाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन सम्मिश्रणों के नाम क्या हैं और वे कम्पनियां कौन सी हैं जो डी सी जी आई की जांच के तहत इनका विपणन कर रही हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

किसी औषध की विषाक्तता या प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए रोगी पर बेहतर प्रभाव डालने, सहक्रियाशील या उपचारात्मक कार्य जैसे विभिन्न कारणों हेतु भिन्न-भिन्न खुराक वाली औषधों में एक से अधिक अवयव हो सकते हैं और ये सामान्यतया प्रोप्राइटरी दवाइयों के रूप में बेचे जाते हैं। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत राज्य औषध लाइसेंसिग प्राधिकारियों को मिश्रित औषधों सहित दवाइयों के निर्माण के लिए

लाइसेंस प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसी मिश्रित औषधों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करते समय आवेदक को लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस बात का प्रमाण और आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता हो कि मिश्रणों में किए गए दावों अथवा शर्तों में निर्धारित चिकित्सीय/रोगनिरोधक मात्रा में वे संघटक मौजूद हैं जिनके लिए उनका उपयोग करने की सिफारिश की गई है तथा उनमें मौजूद घटक स्थिर हैं और चिकित्सा के लिए अपेक्षित मात्रा में मौजूद हैं।

असंगत अथवा हानिकारक औषधों को हटाने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, में 1982 में संशोधन किया गया था ताकि किसी ऐसी औषध, जिससे मानव अथवा जानवरों को कोई खतरा होने की सम्भावना हो अथवा यदि किसी औषध में दावे के अनुरूप चिकित्सीय गुण न हों अथवा उसमें मौजूद घटक उतनी मात्रा में हों जिनका चिकित्सीय औचित्य नहीं है, के विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने की शक्तियां केन्द्र सरकार को मिल सकें। ऐसे नए मिश्रित औषधों की उपयुक्तता का पूरा-पूरा मूल्यांकन सुनश्चित करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों में 2002 में संशोधन किया गया था जिससे कि राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो सके कि ऐसे नए प्रोप्राइटरी औषधियों के आवेदकों के पास, उन्हें लाइसेंस मंजूर किए जाने पहले औषध महानियंत्रक (भारत) से लिखित स्वीकृति प्राप्त हो।

जिन औषधों के हानिकारक प्रभावों की सूचना दी जाती है अथवा मौजूदा चिकित्सा प्रमाणों के सन्दर्भ में जिनके चिकित्सीय औचित्य अपर्याप्त समझे जाते हैं, उनकी जांच औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के अधीन विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अभी तक देश में मिश्रित औषधों सहित 76 औषधों की बिक्री पर रोक लगाई गई है।

औषध महानियंत्रक (भारत) ने अनुपयुक्त मिश्रणों पर प्रतिबंध लगाने में असमर्थता व्यक्त नहीं की है। ऐसी मिश्रित उत्पादों के निर्माण के लिए अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र की मंजूरी के वास्ते औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जांच की जाती है। दिसम्बर, 2004 से नियत खुराक वाले मिश्रणों के विनिर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु 255 आवेदन प्राप्त हुए थे और इनमें से 38 को अस्वीकृत किया गया है क्योंकि ये युक्तिसंगत नहीं पाए गए थे अथवा इनमें वे घटक मौजूद थे जिनके विनिर्माण और बिक्री पर अब देश में रोक है।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : माननीय मंत्री ने उन अविवेकपूर्ण सम्मिश्रणों के बारे में कुछ नहीं कहा जिन्हें 2002 के पश्चात् भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया अथवा 'आफ द शेफ' घोषित कर दिया गया। बाजार में 'आफ द शेल्फ' और 'आन द शेल्फ' अनेक अविवेकपूर्ण सम्मिश्रण उपलब्ध हैं और वे उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं जिन्हे इन सम्मिश्रणों के हानिकारक प्रभावों की जानकारी नहीं है। मांसपेशी संबंधी परेशानियों की रिपोर्ट हैं और इन सम्मिश्रणों का खतरा सामान्यत: दर्द निवारक दवा यथा एस्प्रिन, एनलजीन, ब्रूफेन इत्यादि का है। भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा 2003 में इन औषधियों के ए डी आर (एडवर्स ड्रग रिएक्शन) की निगरानी के बारे में एक समिति गठित की गई थी। परन्तु माननीय मंत्री द्वारा उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया। क्या माननीय मंत्री सभा को बतायेंगे कि अभी तक किन सम्मिश्रणों को प्रतिबंधित किया गया है? इसे कैसे लागू किया गया है? बताया गया है कि भारत के औषध महानियंत्रक के पास कोई पर्याप्त तंत्र नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : एक वाक्य पर्याप्त होता। हम स्पष्ट रूप से भी प्रश्न पूछ सकते हैं।

डा० अंबुमणि रामदास : आज तक सरकार ने विभिन्न सम्मिश्रणों तथा प्रतिपादनों सहित लगभग 76 औषधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यदि माननीय सदस्य को जरूरत हो तो मैं उन्हें सूची दे सकता हूं। यदि उनके पास किसी अन्य औषधि अथवा सम्मिश्रणों के बारे में जानकारी है जिसे कहीं भी प्रतिबंधित किया गया है तो वह हमें दे सकते हैं और तब औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के अधीन हमारी वैज्ञानिक समिति इसके गुण-दोषों पर विचार कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको सूची भेजेंगे। यदि आपको उसमें कुछ गायब मिले तो आप उनसे पूछ सकते हैं।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन : मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि ऐसे सम्मिश्रण अभी भी बाजार में उपलब्ध क्यों हैं? उदाहरणार्थ, स्पास्मो प्रोक्सिवान और अन्य सम्मिश्रण भी बाजार में उपलब्ध हैं। चिकित्सकों ने भी इनकी शिकायत की है। इस संबंध में क्या किया गया है? आप क्या संभव कार्यवाही करने जा रहे हैं?

डा० अंबुमणि रामदास : 76 औषधियों, सम्मिश्रणों, प्रतिपादनों जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है, में से किसी का भी विपणन नहीं किया जा सकता और कुछ भी देश में नहीं बेचा जा सकता। यदि कुछ

स्पष्ट मामले हैं तो निश्चय ही हम उन विनिर्माताओं और उन लोगों के विरुद्ध कुछ कठोर कार्यवाही करेंगे जो इन उत्पादों का विपणन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है।

[हिन्दी]

मो. मुकीम : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज देश में बहुत बड़े पैमाने पर कुछ कंपनियां और ड्रग-माफिया नकली दवाइयां बना रहे हैं ओर बाजार में बेच रहे हैं। क्या सरकार ने नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनियों को चिन्हित कर लिया है? अगर हां, तो ऐसी कौन-कौन सी कंपनियां है और उनका लाइसेंस रद्द करने तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह प्रश्न नकली दवाओं से संबंधित नहीं है। यह औषधियों में अविवेकपूर्ण सम्मिश्रण से संबंधित है।

डा० अंबुमणि रामदास : जी हां महोदय, मूल प्रश्न औषधियों में सम्मिश्रणों के बारे में है।

मिलावटी और नकली दवाओं के बारे में हमने बहुत सारे प्रक्रम किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। इस पर पहले विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है।

डा० अंबुमणि रामदास : महोदय, इन नकली और असुरक्षित औषधियों के बारे में हम कदम उठा रहे हैं। वास्तव में, हम क्षमता निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी राज्य और केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं दोनों में सुधार ला रहे हैं। हम औषध निरीक्षकों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। वस्तुत: हमने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन संसद में प्रस्तुत किए हैं जिनमें ऐसी सभी समस्याओं से निपटने के लिए कठोर दांडिक प्रावधान किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही उसे निपटा दिया है यद्यपि प्रश्न अविवेकपूर्ण सम्मिश्रणों के बारे में है।

डा. पी.पी. कोया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या प्रश्न और उत्तर दोनों में एलोपैथी को ही शामिल किया गया है अथवा आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध तथा ऐसी ही अन्य पद्धतियों को भी शामिल किया गया है। एलोपैथी के सम्मिश्रण वाली दवाएं उपलब्ध हैं जिनकी पहचान की गई हैं। परन्तु अन्य पद्धतियों से संबंधित औषधियां भी हैं जो उपलब्ध हैं और मैं नहीं समझता कि मूल दवाओं और सम्मिश्रणों, जिनकी पहचान की गई है और प्रतिबंधित किया गया है, की कोई सूची है।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न कीजिए।

डा. पी.पी. कोया : क्या माननीय मंत्री आयुर पद्धति सहित अन्य पद्धतियों से संबंधित औषधियों की पहचान करने के लिए इमानदारी से प्रयास करेंगे और अब बाजार में आ रही हानिकारक औषधियों को प्रतिबंधित करने के लिए उचित निर्णय लेंगे?

डा० अंबुमणि रामदास : महोदय, प्रतिबंधित किए गए 76 प्रतिपादनों की सूची में कुछ आयुर्वेदिक प्रतिपादन भी शामिल हैं। किन्तु इसमें थोड़ी समस्या है। जब एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सम्मिश्रणों का प्रयोग किया जाता है तो वहां कुछ समस्याएं हैं। परन्तु मैंने भारत के औषध महानियंत्रक, भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड को इस विषय पर ध्यान देने के लिए कहा है। विचार-विमर्श पहले ही शुरू हो गया है और अगले कुछ माह में वे उस विषय पर गहराई से विचार करेंगे जिसके बारे में सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं। इसलिए, हम इस विषय पर गहराई से विचार कर रहे हैं।

डा. के.एस. मनोज : महोदय, सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने के बावजूद अभी भी बाजार में अविवेकपूर्ण सम्मिश्रण उपलब्ध हैं। इन सम्मिश्रणों की कीमत लिए जा रहे अलग घटक की कीमत से बहुत अधिक है।

महोदय, इन सम्मिश्रणों के उत्पादन का एक कारण है औषधियों की कीमत में वृद्धि करना। इसलिए, कंपनियां अधिक से अधिक सम्मिश्रण ला रही हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारे यहां औषधियों के मूल्य नियंत्रित करने का कोई तंत्र अथवा प्राधिकरण है? यदि नही, तो क्या मंत्री महोदय न केवल औषध सम्मिश्रण बल्कि औषध विशेष के मूल्यों की निगरानी तथा नियंत्रण हेतु कोई प्राधिकरण गणित करने पर विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस प्रश्न से यह बात नहीं उठती।

डा. के.एस. मनोज : महोदय, औषध समिश्रण उत्पादन करने का मुख्य कारण है, औषधियों के मूल्यों में वृद्धि करना।

डा० अंबुमणि रामदास : महोदय, मूल्य नियंत्रण विषय मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं है। मेरे सहयोगी पासवान जी इसका उचित उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न उनसे संबंधित नहीं है।

श्री रामदास आठवले जी, अनुपूरक प्रश्न का संबंध मुख्य प्रश्न तथा संबद्ध मंत्री से ही होना चाहिए।

[हिन्दी]

राम दास आठवले : अध्यक्ष जी, औषधियों में सम्मिश्रण करना बहुत गंभीर बात है। माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल इतना ही है कि इस तरह का सम्मिश्रण करने वाली जो कंपनियां हैं, क्या उनके खिलाफ देशद्रोह का गुनाह लगाने का आपका विचार है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में उन्होंने पहले ही आपको आश्वासन दिया है। मंत्री जी आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

अब डा. सुजान चक्रवर्ती अपना प्रश्न पूछे। आपका अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित होना चाहिए।

डा. सुजान चक्रवर्ती : ठीक है महोदय, वास्तव में निदान भेषज अब समूचे विश्व में एक विशिष्ट विषय है। यह औषधियों की अयुक्ति, गलत समिश्रण तथा औषधियों के प्रतिवाद से संबंधित है।

हमारे देश में भी तीन कालेजों में निदान भेषज के विशिष्ट पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते हैं। निदान भेषज का यदि सही से नियोजन किया जाए तो इसका प्रयोग औषध निर्देशन अथवा औषध समाविष्ट करने में किया जाता है तथा इसका उचित नियंत्रण तथा समाधान किया जा सकता है।

अत: आपके माध्यम से महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हमारे विषय पर औषध के उचित प्रयोग तथा सही उपयोग के लिए नैदानिक भेषज अथवा नैदानिक भेषजगुणविज्ञान को बढ़ावा देने की इच्छुक है।

डा० अंबुमणि रामदास : महोदय, माननीय सदस्य के विचारों को नोट कर लिया है। सरकार व्यवस्था को और तर्कसंगत बनाने के लिए इन औषधियों के नैदानिक भेषजगुणविज्ञान अथवा भेषज पर विचार करेगी।

सेतुसमुद्रम परियोजना

+

***44. श्री एन.एन. कृष्णदास :**
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू की गयी सेतुसमुद्रम परियोजना के संबंध में पर्यावरण संबंधी कतिपय संगठनों ने चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) इस बारे में विवरण इस सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) पर्यावरणविदों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री वनस्पतियों और समुद्री जीवन और प्रवाल-भित्तियों को पहुंचने वाली क्षति, मत्स्य-प्रजनन और मछली पकड़ने पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं। उपर्युक्त परियोजना तैयार करते समय यह सुनिश्चित किए जाने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है कि पर्यावरण पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस परियोजना के संबंध में पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति हासिल करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में लोक-सुनवाई के दो सत्र भी चलाए गए थे, जिनमें मछुआरों के प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रकट की गई आशंकाओं पर ध्यान दिया गया। उपर्युक्त परियोजना के संबंध में पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति दिए जाने के समय, पर्यावरण और

वन-मंत्रालय द्वारा इन आशंकाओं के साथ-साथ इनके प्रति इस परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर पर भी विचार किया गया। पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति से जुड़ी शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना-प्राधिकारियों को आवधिक रूप से समुद्री पर्यावरण की जांच करते रहने और कच्छ-वनस्पति, प्रवाल और स्तनधारियों की विलुप्तता के खतरे में पड़ी प्रजातियों सहित, जैव-विविधता का संरक्षण करने के सभी आवश्यक उपाय करने का आदेश दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी और अनुसंधान-संस्थान, नागपुर द्वारा एक बृहत् पर्यावरण-प्रभाव-आकलन-अध्ययन किया गया है। उपर्युक्त संस्थान द्वारा पारिस्थितिकीय अध्ययन सहित, पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों-मसलों का दो वर्ष की अवधि तक गहन अध्ययन किया गया। प्रस्तावित निकर्षित क्षेत्र, मन्नान की खाड़ी और पाल्क की खाड़ी के विशाल क्षेत्रों की तुलना में नगण्य है। उपर्युक्त सीमा तक, इस दृष्टि चुनी गई सीधाई से, समुद्र-तल की वनस्पति और जल-जीवन/सूक्ष्म-जीवों के प्रति किसी भी प्रकार की पारिस्थितिकीय आशंका उत्पन्न नहीं होती।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, ज्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं सीधे प्रश्न पर आता हूं।

महोदय, सरकार ने पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण दृष्टिकोण से सेतुसमुद्रम परियोजना पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन कराया है। इस परियोजना को पारिस्थितिकी मंजूरी देते समय इसमें एक शर्त का भी उल्लेख किया गया था। लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे मैनग्रोव, प्रवाल, स्तनधारी तथा ऐसे ही सूक्ष्म जीवों सहित जैव विविधिता की रक्षा की मॉनिटरिंग की जानी थी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस शर्त को पूरा करने के लिए परियोजना प्राधिकरण के पास किस प्रकार की मॉनिटरिंग प्रणाली है?

श्री टी.आर. बालू : महोदय, सेतुसमुद्रम भारत के लिए गर्व का विषय है। मैं डा. मनमोहन सिंह तथा साथ ही श्रीमती सोनिया गांधी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भारतीय प्रायद्वीप की वास्तविक समस्या को समझा। उनके तथा यूपीए सरकार के कारण ही 145 वर्ष पुराना सपना साकार हो पाया है।

जहां तक इस प्रश्न का संबंध है। हमने डा. कनइयन जो कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, की अध्यक्षता में 11 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। प्रतिदिन अलगप्पा विश्वविद्यालय से लोग वहां जाते हैं और निकर्षण तथा साथ ही व्ययन क्षेत्रों से नमूने इकट्ठे करते हैं। केवल इतना ही नहीं वे प्रतिदिन मुधुपेट के अति संवेदनशील क्षेत्रों अपितु प्वाइंट कली मेरे जो कि जैव-विविधता की प्रचुरता के लिए जाना जाता है, से दो मीटर स्तर तथा पांच मीटर स्तर तक भी नमूने इकट्ठे करते हैं। वे प्रत्येक चार घंटे में निकर्षण तथा व्ययन क्षेत्रों से नमूने इकट्ठे करते हैं कराइकुडी अलगप्पा विश्वविद्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। जहां तक पर्यावरण तथा अन्य विषयों का संबंध है इस बारे में अभी तक कोई क्षति नहीं हुई है।

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, मैने यह पढ़ा था कि सेतुसमुद्रम परियोजना के उद्घाटन समारो के समय संबद्ध राज्य की मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं थीं। हमारे प्रधानमंत्री, यूपीए अध्यक्ष तथा अन्य संबंधित मंत्री वहां उपस्थित थे परन्तु उस राज्य की मुख्यमंत्री वहां उपस्थित नहीं थीं। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि किस कारण से राज्य की मुख्यमंत्री वहां उपस्थित नहीं थीं?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या वहां पर्यावरण की कोई समस्या थी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे विषय सभा के बाहर उठाए जाने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास : उन्हें इसका स्पष्टीकरण देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एस.के. खारवेनथन : महोदय, यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि परियोजना मन्नार की खाड़ी तथा पाल्क खाड़ी में उपस्थित प्रवाल भित्ति को क्षति पहुंचा सकती है अथवा नष्ट कर सकती है। क्या इस आशंका में वास्तविकता है?

श्री टी.आर. बालू : जहां तक निर्माण स्थल का प्रश्न है वहां पर कोई प्रवाल भित्ति नहीं है। सरेखण में परिवर्तन कर दिया गया है। सरेखण अब मन्नार की खाड़ी के जैवमंडल से 20 कि.मी. दूर है।

अध्यक्ष महोदय : अत्यंत कठिनाई के साथ हमने चार प्रश्न पूरे किए हैं।

आपके प्रश्नों के लिए धन्यवाद।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयोडीनरहित नमक के उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध

*45. श्री राम कृपाल यादव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयोडीनरहित नमक के उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में आयोडीनरहित नमक खाने की वजह से काफी संख्या में लोग घेंघा और अन्य रोगों का शिकार हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में आम आदमी को उचित मूल्य पर आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने हेतु क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने सीधे मानव उपभोग के लिए साधारण नमक की बिक्री पर तब तक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है जब तक की इसे आयोडीकृत नहीं कर दिया जाता। आयोडीनरहित नमक को लेबल पर उपयुक्त तरीके से घोषणा करके आयोडीकरण, लोह पुष्टीकरण, पशुओं के उपयोग, परिरक्षण, औषधें बनाने और औद्योगिक उपयोग के लिए बेचा जाना जारी रखा जा सकता है।

सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत दिनांक 27.5.2005 को एक अधिसूचना सा.का.नि. 340 (ई) का प्रारूप जारी किया है जिसमें जब तक इसे आयोडीकृत नहीं कर दिया जाता तब तक सीधे मानव उपभोग के लिए साधारण खाद्य नमक की बिक्री को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

उपर्युक्त अधिसूचना के तहत प्रस्तावित प्रतिबंध निम्नलिखित कारणों के लिए है:—

(i) आयोडीन अल्पता से उत्पन्न होने वाले रोगों की रोकथाम करने के लिए आयोडीकृत नमक की उपलब्धता अनिवार्य है।

(ii) इस क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में आयोडीन नमक का उपयोग सबसे कम है क्योंकि देश में आयोडीकृत नमक और आयोडीनरहित नमक दोनों साथ-साथ उपलब्ध हैं और अब तक आयोडीनरहित नमक की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए कोई उपबंध नहीं है।

(iii) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राज्य सरकारें पहले की तरह साधारण नमक की बिक्री पर रोक अथवा उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती हैं क्योंकि गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट्स आई.पी. लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2.8.2004 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 की धारा 7(iv) के अन्तर्गत किसी भी खाद्य वस्तु के निर्माण, बिक्री अथवा वितरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियां अस्थाई स्वरूप की हैं और यह स्थानीय आपात स्थितियों का समाधान करने के लिए है तथा यह ऐसी आपात स्थिति के उत्पन्न होने पर केवल अल्पावधि के लिए ही रहती है।

सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को कवर करते हुए 321 जिलों में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार आयोडीन अल्पता के विकारों की दृष्टि से 260 जिले स्थानीय महामारी वाले जिलों की श्रेणी में आते हैं जहां आयोडीन अल्पता विकारों की व्याप्तता दर 10 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार देश में कोई राज्य/संघ क्षेत्र आयोडीन अल्पता विकारों से मुक्त नहीं है। वर्ष 2003 के अनुमानों के अनुसार 20 करोड़ लोगों को आयोडीन अल्पता विकारों से खतरा है जबकि देश में विभिन्न विकारों से पीड़ित व्यक्तियों की

संख्या लगभग 7 करोड़ है। प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं और बच्चे पोषणिक आयोडीन अल्पता के विकारों की दृष्टि से सबसे अधिक असुरक्षित वर्ग में आते हैं।

सरकार, आयोडीन अल्पता विकारों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समूचे देश में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य संघटकों में आयोडीन अल्पता विकार सर्वेक्षण चलाना, साधारण नमक के स्थान पर आयोडीकृत नमक की आपूर्ति करना, नमक और मूत्र की प्रयोगशाला मानीटरिंग करना और स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रचार करना शामिल है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वहनीय कीमतों पर आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 13 राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयोडीनयुक्त नमक को शामिल कर लिया है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों को सुदृढ़ बनाना

***46. श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री निखिल कुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर बाड़ लगाने के बारे में मतभेद उभरे हैं जैसाकि 23 जून, 2005 के 'स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मतभेदों को दूर करके सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य बिना किसी बाधा के पूरा करना सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय शुरू किये गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ङ) सीमा पर बाड़ लगाने पर भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेदों की व्याख्या 1975 के संयुक्त भारत-बांग्लादेश सीमा मार्गदर्शी सिद्धांतों में की गई है। मार्गदर्शी सिद्धांतों के खंड 8(इ) में कहा गया है कि ''खाइयों सहित किसी भी प्रकार का कोई भी रक्षात्मक कार्य यदि 300 राज (सीमा के दोनों ओर 150 गज) के भीतर यदि किया जाता है तो उसे नष्ट किया जाएगा अथवा भरा जाएगा''। यह हमारा मानना है कि सीमा पर बाड़ लगाना कोई रक्षात्मक ढांचा नहीं है बल्कि यह अवैध सीमा पार की गतिविधियों, तस्करी, घुसपैठ आदि को नियंत्रित करने का सीमा प्रबंधन का कार्य है। ज्यादातर भागों में बाड़ लगाने का कार्य सीमा के 150 गज पर अथवा इससे अधिक पर किया गया है। तथापि, आबादी अथवा आवश्यक पहाड़ी स्थितियों के कारण बाड़ लगाने का काम जीरो लाइन से 150 गजों के भीतर होगा। तथापि, जीरो लाइन के 150 गजों के भीतर बाड़ लगाने के कार्य पर संयुक्त रूप से सहमत 1975 के सीमा मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लघंन बताते हुए बांग्ला देश ने आपत्ति उठाई है। सीमा संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत सरकार और बांग्लादेश ने अनेक तंत्र स्थापित किए हैं। बाड़ लगाने के मामले पर सितंबर, 2004 गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं और जून, 2005 में नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिवों के बीच विदेश कार्यालय बातचीत के दौरान विचार-विमर्श किया गया। इस मामले पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बांग्लादेश राइफल्स (बी डी आर) महानिदेशक स्तरीय बैठकों के दौरान नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। इस मामले को आने वाली गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं और साथ ही साथ बी एस एफ - बी डी आर वार्ताओं के दौरान पुनः उठाया जाएगा। हमने बांग्लादेश सरकार को बता दिया है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और आबादी के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरों लाइन के भीतर और जीरो लाइन तक बाड़ लगाना क्यों आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत की ओर आवश्यक मरम्मत और विकास कार्य करेंगे। इस विषय में भारत-बांग्लादेश सीमा के 150 गज के भीतर आने वाले गांवों, मकानों और आबादी, शुरू किए गए कार्यों की सूची और बी डी आर द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण रोके गए कार्यों की भी सूचना बंग्लादेश सरकार को भेज दी है। इसको जून, 2005 में विदेश कार्यालय बातचीत के दौरान पुनः दोहराया गया।

बांग्लादेश के साथ द्वीपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की भारत की बात को उच्चतम स्तर पर प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई, 2004 में बी आई एम एस टी ई सी शिखर सम्मेलन के साथ-साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान व्यक्त की गई। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने मई-जून, 2004 और नवम्बर, 2004 में दो बार भारत की यात्रा की। बांग्लादेश से यात्रा करने वाले अन्य मंत्रियों में नवम्बर, 2004 में वाणिज्य मंत्री, दिसम्बर, 2004 में वित्त मंत्री और अप्रैल, 2005 में बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं। अधिकारी स्तरीय बैठकों में सितम्बर, 2004 में गृहसचिवों की बैठक और जल संसाधन सचिवों की बैठक और जून, 2005 में विदेश मंत्रालय बातचीत

में शामिल हैं। इन बैठकों के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को पुन: दोहराया और सहयोग बढ़ाने, और इसको सुदृढ़ करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। सीमा की रक्षा करने वाले बलों के बीच नियमित रूप से बैठकें होती हैं। द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों में अच्छी प्रगति हुई है।

व्यापार और सीमाशुल्क पर संयुक्त कार्य दल और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न उपाय निकालने के लिए संयुक्त सीमाशुल्क दल के अधीन द्विपक्षीय विचार-विमर्श होते रहते हैं।

व्यापार और सीमाशुल्क मामलों पर संयुक्त कार्य दल की आगामी बैठक अगस्त, 2005 में ढाका में होनी तय है जिसमें द्विपक्षीय व्यापार, मुक्त करार और पैरा-टैरिफ और नान-टैरिफ रुकावटों को समाप्त करने पर आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में कम्प्यूटर की सुविधा

*47. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कितने डाकघरों में ई-मेल, इंटरनेट और कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण डाकघरों में एक निश्चित समय-सीमा में उक्त सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश के शेष डाकघरों में कम्प्यूटर सुविधा प्रदान करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) वर्तमान स्थिति के अनुसार देश के ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में 922 डाकघरों में कम्प्यूटर सुविधाएं हैं। इनमें से 58 डाकघरों में विभाग की 'ई-पोस्ट सेवा' के रूप में ई-मेल सुविधाएं हैं।

(ख) और (ग) जी, हां।

डाक विभाग अभी 7700 महत्वपूर्ण विभागीय डाकघरों (दो से अधिक सार्वजनिक काउंटर वाले) को कम्प्यूटरीकृत करने की दसवीं योजना स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। इस प्रकार दो से अधिक सार्वजनिक काउंटर वाले ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में स्थित ऐसे सभी महत्वपूर्ण डाकघर दसवीं योजना के अंत तक कम्प्यूटरीकृत कर दिए जाएंगे।

(घ) और (ङ) कुल 26,165 विभागीय डाकघरों में से विभाग के पास दसवीं योजनावधि में 7700 महत्वपूर्ण डाकघरों को कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक समयबद्ध कार्यक्रम है। अभी तक, ऐसे 5232 डाकघरों को कम्प्यूटर प्रदान कर दिए गए हैं। दसवीं योजना की शेष अवधि के दौरान अन्य 2468 डाकघर कम्प्यूटरीकृत किए जाने हैं। डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है। निधि की उपलब्धता और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर ही और अधिक डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया जा सकेगा।

(च) जैसाकि उपर्युक्त (घ) और (ङ) में स्पष्ट किया गया है।

मोबाइल फोन लाइन "कनेक्टीविटी" में सुधार

*48. **श्री अविनाश राय खन्ना :**
श्री रामसिंह कस्वां :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मोबाइल फोन लाइन "कनेक्टीविटी" में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश में मोबाइल फोन लाइनों में वृद्धि करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जून, 2005 तक मोबाइल फोन कनेक्टीविटी की स्थिति क्या थी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण किया गया है। किसी भी सेवा क्षेत्र में प्रचालकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस समय, प्रत्येक सेवा क्षेत्र में औसतन चार से छः प्रचालक मोबाइल सेवा प्रदान कर रहे हैं। लाइसेंस करार के अनुसार, प्रत्येक महानगरीय सेवा क्षेत्र में उनके लिए एक वर्ष के अन्दर सेवा क्षेत्र का 90% भाग कवर करना अपेक्षित होता है और प्रत्येक दूरसंचार सर्किल सेवा क्षेत्र के संबंध में उनके द्वारा लाइसेंस की प्रभावी तिथि से एक वर्ष से कम-से-कम 10% जिला मुख्यालयों में तथा तीन वर्ष के भीतर 50% जिला मुख्यालयों में मोबाइल सेवा प्रदान की जानी है। मोबाइल सेवा से कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/नगरों का चयन तथा 50% जिला मुख्यालयों/नगरों के अतिरिक्त अन्य जिला मुख्यालयों/नगरों में मोबाइल सेवा प्रदान करना लाइसेंसधारकों द्वारा उनके अपने व्यावसायिक निर्णय के आधार पर किया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने 2007 तक 250 मिलियन टेलीफोन लाइनों (स्थिर तथा मोबाइल) का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(च) 30.06.2005 की स्थिति के अनुसार, देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या 5,67,26,605 (जीएसएम-4,49,20,004 और सीडीएमए-1,18,06,601) है।

[अनुवाद]

एकीकृत टेलीफोन प्रणाली

***49. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकीकृत टेलीफोन प्रणाली संबंधी नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस एकीकृत प्रणाली का मोबाइल टेलीफोन के साथ-साथ लैंड लाइन टेलीफोनों पर भी प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था हेतु अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं तथा उन पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इन सिफारिशों में मौजूदा लाइसेंसिंग ढांचे में परिवर्तन, वार्षिक लाइसेंस शुल्क में कमी तथा अभिगम प्रदाताओं (एक्सेस प्रोवाइडर्स) इत्यादि द्वारा इंटरनेट टेलीफोनी खोलने की परिकल्पना की गई है। एकीकृत लाइसेंस व्यवस्था के अन्तर्गत मोबाइल और लैंडलाइन टेलीफोन एक ही प्रचालक द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।

स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना की प्रगति

***50. श्री तथागत सत्पथी :**
श्री रेवती रमन सिंह :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का कार्य लगभग रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को जल्दी पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और राज्यवार इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) इस परियोजना के चालू किए जाने की संभावित पुनरीक्षित निर्धारित तिथि क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) मार्च, 2004 के अंत तक स्वर्णिम चतुर्भुज की 5846 कि.मी. परियोजना लंबाई में से केवल 2612 कि.मी. (45%) में ही 4/6 लेन बनाई गई थीं जब कि जून, 2005 के अंत तक 4912 कि.मी. (84%) में यह कार्य पूरा किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) गत तीन वर्षों में वर्षवार और राज्यवार हुई प्रगति और उस पर खर्च की गई धनराशि क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दि गई है।

(ङ) स्वर्णिम चतुर्भुज की 92 प्रतिशत लंबाई के दिसम्बर, 2005 के अंत तक पूरे हो जाने की संभावना है। 157 कि.मी. लंबाई को छोड़कर जिसमें समाप्त किए गए चार ठेके और इलाहाबाद बाइपास की 84 कि.मी. लंबाई शामिल है और जिसका कार्य 2004 में ही सौंपा गया था, शेष स्वर्णिम चतुर्भुज (96%) के जून, 2006 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

विवरण-I

स्वर्णिम चतुर्भुज को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता/स्वतंत्र इंजीनियरों, परियोजना निदेशकों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय के अधिकारियों आदि जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं (यूटीलिटीज) को हटाने, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों को स्वीकृति आदि जैसे अंतर मंत्रालयी और केंद्र-राज्यों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

(घ) सड़क उपरि पुलों के शीर्घ निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेलवे के साथ समन्वय किया जा सके। मै. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की पूरी की गई लंबाई का राज्यवार ब्यौरा

(कि.मी.)

राज्य	2002-2003	2003-2004	2004-2005
आंध्र प्रदेश	83.66	305.41	438.74
बिहार	—	12.00	92.00
गुजरात	43.40	139.80	105.79
झारखंड	—	—	66.30
कर्नाटक	5.80	96.92	227.52
महाराष्ट्र	10.00	155.65	137.53
उड़ीसा	27.80	92.16	87.09
राजस्थान	—	314.10	235.46
तमिलनाडु	16.00	120.40	185.26
उत्तर प्रदेश	—	15.35	255.00
पश्चिमी बंगाल	—	35.00	254.71
जोड़	186.66	1286.79	2085.40

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत सिविल निर्माण ठेकों पर खर्च की गई धनराशि

(करोड रु.)

क्र.सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1326.43	1240.86	759.29

1	2	3	4	5
2.	बिहार	147.62	174.65	326.34
3.	गुजरात	399.42	539.42	206.93
4.	झारखंड	107.19	124.32	169.68
5.	कर्नाटक	540.51	937.42	542.91
6.	महाराष्ट्र	363.19	512.84	294.12
7.	उड़ीसा	358.15	315.64	240.47
8.	राजस्थान	469.65	1074.46	521.60
9.	तमिलनाडु	331.66	468.00	315.74
10.	उत्तर प्रदेश	433.07	608.77	794.52
11.	पश्चिम बंगाल	556.14	677.32	953.99
	जोड़	5035.03	6673.70	5125.59

[हिन्दी]

सूचनाओं का लीक होना

*51. **श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज) :**
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ भारतीय वेब-मार्केटिंग संगठन ग्रहकों की व्यक्तिगत सूचनाएं लीक करने में शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका देश के सॉफ्टवेयर व्यवसाय पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारियों तथा राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी संघ (नैसकॉम) के प्रतिनिधियों की हाल ही में बैठक हुई थी; और

(छ) यदि हां, तो इस बैठक में किन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क)और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र बीपीओ एक लाइसेंस मुक्त कार्यकलाप है। ऐसे प्रचालन पक्षों के बीच एक वैध अनुबंध द्वारा संचालित किए जाते हैं। सरकार प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यकलापों को नियमित नहीं करती है।

दी सन (ग्रेट ब्रिटेन) में दिल्ली के निकट एक कॉल सेंटर के किसी कर्मचारी द्वारा ग्राहक डेटा की कथित बिक्री के बारे में एक रिपोर्ट उनके रिपोर्टर द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप 23 जून, 2005 को प्रकाशित हुई थी। अप्रैल, 2005 में यह आरोप लगाया गया था कि पुणे स्थित एक कम्पनी के तीन भूतपूर्व कर्मचारियों ने ग्राहकों की धनराशि का प्रयोग कुछ अवैध लेन-देन के लिए किया था। यह पाया गया था कि आरोपियों ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से धोखाधड़ी का कार्य किया है तथा बीपीओ संगठन इसमें शामिल नहीं है। इसका देश के सॉफ्टवेयर व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 में ऐसी बातों का उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड का प्रावधान है जिनमें गोपनीयता भंग करना तथा कम्प्यूटर प्रणाली का सूचना हरण शामिल है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) और (छ) इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें सरकारी अधिकारी, नैसकॉम आदि शामिल थे। यह सुझाव दिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम विभाग और नैसकॉम सभी पणधारकों के साथ परामर्श करके विद्यमान कानून में परिवर्तन करने, यदि आवश्यक समझे जाएं, के लिए सुझाव प्रस्तुत करें ताकि इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि किसी भी रूप में साइबर अपराध अथवा गोपनीयता भंग करना दण्डनीय अपराध बन जाए। निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

– सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पर पुनर्विचार करना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन, यदि कोई हैं, प्रस्तुत करना, जिनमें अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

– भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षित करना एवं सहयोग देना ताकि इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि वे अपराधों का सामना करने के लिए भली-भांति तैयार हैं।

– नैसकॉम द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का रजिस्टर तैयार करना ताकि इस बात का सुनिश्चिय किया जा सके कि उद्योग में केवल उपयुक्त स्टाफ ही नियोजित किए जाएं।

कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को सहायता

*52. **श्री कीरेन रिजीजू : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुकर बनाने हेतु चीन और भारत की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से कोई योजना तैयार की गयी है अथवा तैयार करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या उपर्युक्त योजना चालू हो जाने के पश्चात् तीर्थयात्रियों के यात्रा खर्चों में कमी आएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) इस समय कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन की सरकार के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत, पिथोरागढ़, उत्तरांचल में लिपुलेख दर्रे के रास्ते सरकार द्वारा उआयोजित की जाती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं के लिए सरकार, कुमाऊं मंडल विकास निगम को प्रति यात्री तीन हजार दो सौ पचास रुपए (3250/-रु.) का भुगतान करती है। इसके अतिरिक्त यात्रा के दौरान सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों को मुहैया कराए जाने वाली सुविधाओं में निःशुल्क चिकित्सा सहायता, भारतीय पक्ष में लिपुलेख दर्रे तक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा सुरक्षा एवं मार्गरक्षण व्यवस्था, चीन के साथ संचार संपर्क, संपूर्ण यात्रा के दौरान आपातकाल में उपयोग करने हेतु तीर्थयात्रियों के प्रत्येक बैच के संपर्क अधिकारी के लिए उपग्रह फोन का प्रावधान करना शामिल है। सरकार तीर्थयात्रियों के प्रत्येक बैच के साथ एक संपर्क अधिकारी भेजती है जो उनके सामान्य कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है।

(ख) से (घ) अनवरत रूप से जारी यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस उद्देश्य से सरकार ने चीन के पक्ष में तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार लाने से संबंधित मसलों को समय-समय पर चीन की सरकार के साथ उठाया है। विगत वर्षों में उत्तरोत्तर सुधार होता रहा है। इसके अलावा हाल के वर्षों में सरकार नी चीनी पक्ष के समक्ष कई बार जम्मू एवं कश्मीर में दमचोक, अथवा हिमाचल प्रदेश में शिपकि ला के रास्ते कैलास मानसरोवर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग को खोलने का प्रस्ताव रखा है जो अपेक्षाकृत छोटा एवं सुगम होगा। इन मार्गों को खोलने में चीनी पक्ष ने इस आधार पर कठिनाई जताई है कि ऐसा करने से खराब सड़कों एवं आवास तथा संचार की समुचित संरचना के अभाव वाले उनके पक्ष में दुर्गम भूभाग में अपेक्षाकृत अधिक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी।

(ङ) और (च) प्रस्तावित वैकल्पिक मार्गों के आधार पर यात्रा की लागत का मसला, चीन के पक्ष के साथ किसी सहमति पर पहुंचने तथा अपेक्षित व्यवस्थाएं हो जाने के बाद ही उठेगा।

[अनुवाद]

बच्चों में पोषण संबंधी कमियां

*53. **डा. पी.पी. कोया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में युवावस्था पूर्व बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास युवावस्था-पूर्व-बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में पोषण संबंधी कमी को दूर करने के लिए कोई कार्यक्रम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बाद स्थिति के सुधार के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का कोई अंत:निर्मित तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जानकारी के संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो (एनएनएमबी) द्वारा 2001 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार स्कूल आयु समूह के बच्चों (6-9 वर्ष) के बीच अल्पपोषण की व्याप्तता नीचे दी गई है:-

लिंग	पौषणिक ग्रेड		
	अल्प	सामान्य	गंभीर
लड़के	31.8	55.2	7.6
लड़कियां	32.1	52.8	9.6
पूल्ड	31.9	54.0	8.6

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त, 1995 में शुरू की गई सामान्य रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाने जाने वाले राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु प्राथमिक शिक्षा की व्याप्तता को बढ़ावा देना और प्राथमिक कक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सभी बच्चों की पौषणिक स्थिति में सुधार करना है।

सितम्बर, 2004 तक, केन्द्रीय सहायता नि:शुल्क खाद्यान्नों की आपूर्ति करने और उनकी ढुलाई के लिए रियायती सहायता देने तक सीमित थी। इस योजना को सितम्बर, 2004 से संशोधित किया गया और इसमें राज्यों को एक रुपया प्रति बच्चा, प्रति स्कूल दिवस की दर से खाना पकाने की लागत वहन करने के लिए भी केन्द्रीय सहायता देना शुरू कर दिया गया। 2005-06 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन लगभग 11.92 करोड़ बच्चों को कवर किए जाने की आशा है जिसके लिए 22.43 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, 5 राज्यों नामत: बिहार, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पके हुए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को व्यापक बना दिया है। चूंकि पके हुए भोजन संबंधी कार्यक्रम एक वर्ष से कम समय पहले ही शुरू हुआ है, इसलिए, बच्चों की पौषणिक स्थिति में सुधार के परिप्रेक्ष्य में इस के प्रभाव का मूल्यांकन करना काफी जल्दबाजी होगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार पौषणिक आयोडीन अल्पता विकारों के निवारण और नियंत्रण के लिए किशोरावस्था पूर्व आयु समूह सहित सारी जनसंख्या को कवर करते हुए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:-

(i) आयोडीन अल्पता विकार सर्वेक्षण;

(ii) साधारण नमक के बजाय आयोडीकृत नमक की आपूर्ति;

(iii) नमक और मूत्र में आयोडीन की मात्रा की मानीटरिंग; और

(iv) स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार।

पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों का पुन: सक्रिय होना

*54. **श्री मधु गौड़ यास्खी :**
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में अनेक आतंकवादी शिविर पुन: सक्रिय हो गए हैं जैसा कि दिनांक 24 मई, 2005 के 'स्टेट्समैन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे को उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस वार्ता का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त मुद्दे को सुलझाने के लिए किए गए उपायों/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (घ) पाकिस्तान में अनेक आतंकवादी कैम्प पुनः शुरू हो गए हैं। सरकार ने सभी स्तरों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत में निरंतर इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान ने संचार, लांचिंग पैड, प्रशिक्षण शिविर, धनराशि जैसे आतंकवाद को समर्थन करने वाले अधारभूत ढांचे को नष्ट करने के लिए अभी तक कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की है।

सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान वार्ता प्रक्रिया का अधार यह है कि पकिस्तान द्वारा 6 जनवरी, 2004 को यह वचनबद्धता की गई थी कि वह पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन किसी भी क्षेत्र का उपयोग किसी भी प्रकार के आतंकवाद के समर्थन के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगा। 18 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रपति मुशर्रफ की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त घोषणा में दोनों ने 6 जनवरी, 2004 की संयुक्त प्रैस घोषणा में की गई वचनबद्धताओं की पुनः पुष्टि की।

[हिन्दी]

भारत निर्माण योजना के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्य की समीक्षा

*55. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'भारत निर्माण योजना' के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रही है जैसा कि 1 जुलाई, 2005 के हिन्दी दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना के वर्ष 2009 तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस योजना पर अब तक खर्च की जा चुकी धनराशि का आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्कीम-वार ब्यौरा क्या है;

(च) इस योजना के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों द्वारा किए गए कार्यों की प्रतिशतता क्या है;

(छ) क्या सरकार ने भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना के नवीकरण हेतु 1,74,000 करोड़ रुपये की एक निवेश योजना को भी स्वीकृति दी है;

(ज) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें इसके अंतर्गत शुरू किए जाने की संभावना है तथा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(झ) इसमें राज्य/केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजेशखरन) : (क) और (ख) जी, हां। 'भारत निर्माण' के प्रतिपादन का, जिसे वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2005-06 के अपने बजट भाषण में घोषित किया था, निर्देशन ग्रामीण अवसंरचना संबंधी समिति द्वारा किया जा रहा है।

(ग) भारत निर्माण एक चार वर्षीय कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2008-09 तक पूरा किया जाना है। तथापि, जबकि ग्रामीण सड़क कार्यक्रम में और एक वर्ष लगेगा, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम ग्यारहवीं योजना के अंत तक जारी रहेगा। ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन 3 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है।

(घ) से (च) 'भारत निर्माण' योजना एक समयबद्ध योजना के रूप में चालू वर्ष (2005-06) में ही शुरू की गई है अतः इस समय खर्च की गई राशियों अथवा पूरे किए गए निर्माण कार्यों की प्रतिशतता के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(छ) से (झ) जी, हां। भारत निर्माण के विभिन्न घटकों के लिए लगभग 1,74,000 करोड़ रुपये की कुल निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। जिन वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है वे निम्नलिखित हैं:-

सिंचाई	: एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई का सृजन करना।
ग्रामीण पेयजल	: कवर न की गई 55067 बस्तियों (संशोधित आकलन के अनुसार), पीछे रह गई बस्तियों, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों एवं ग्रामीण स्कूलों में पेयजल उपलब्ध कराना।
ग्रामीण सड़क	: 1000 (अथवा पर्वतीय जन जातीय क्षेत्रों में 500) तक की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ना।

ग्रामीण आवास	: गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त घरों का निर्माण करना।
ग्रामीण विद्युतीकरण	: शेष बचे 1,25,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना तथा 2.3 करोड़ आवासों में बिजली के कनेक्शन देना।
ग्रामीण टेलीफोन संबद्धता	: शेष बचे 66822 गांवों को टेलीफोन से जोड़ना।

निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को बजटीय सहायता, विदेशी सहायता, बाजार से उधार लेकर तथा लाभार्थी अंशदान (कुछ मामलों में) के उचित मिश्रण से पूरा किया जाएगा।

राज्य सरकारों को केन्द्र से बजट सहायता लेने हेतु राज्य बजट में प्रतिरूप निधिकरण करना होगा तथा कार्यक्रम की आयोजना एवं कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को पूरी तरह शामिल करना होगा।

[अनुवाद]

"प्रीपेड कार्डों" की कमी

***56. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल वन बीएसएनएल मोबाइल सेवा हेतु प्रीपेड कार्डों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं;

(ग) देश में बीएसएनएल प्रीपेड कार्डों की राज्यवार प्रतीक्षा-सूची का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में बीएसएनएल के कर्मचारियों द्वारा प्रीपेड कार्डों को उच्च कीमतों पर बेचा जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्री-पेड सिम कार्ड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने के बावजूद क्षमता संबंधी बाध्यताओं के कारण प्री-पेड सेल्युलर कनेक्शन अस्थाई तौर पर नियंत्रित रूप से जारी किए जा रहे हैं।

(ग) जहां कहीं प्रतीक्षा-सूची रखी जा रही है उनका सर्किल/राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सिम कार्डों को उच्च कीमतों पर बेचे जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच की गई है किंतु आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं।

(ङ) इस संबंध में बीएसएनएल ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- पर्याप्त क्षमता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेटवर्क में तेजी से विस्तार करना।
- सिम कार्डों की आसानी से उपलब्धता एवं प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए और अधिक फ्रैन्चाइजी नियुक्त करना।
- सिम कार्ड वितरित करने के लिए एसटीडी-पीसीओ को प्राधिकृत करना।
- डाकघरों के जरिए सिम कार्डों के वितरण केंद्रों में वृद्धि करना।
- जिन सर्किलों/राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, विशेषकर उनमें प्रतीक्षा सूची रखना।
- सिम कार्डों के वितरण पर कड़ी निगरानी रखना।

विवरण

30.6.2005 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	नहीं रखी जाती
2.	आंध्र प्रदेश	नहीं रखी जाती
3.	असम	नहीं रखी जाती
4.	बिहार	163527

1	2	3
5.	छत्तीसगढ़	118867
6.	गुजरात	नहीं रखी जाती
7.	हरियाणा	नहीं रखी जाती
8.	हिमाचल प्रदेश	नहीं रखी जाती
9.	जम्मू व कश्मीर	नहीं रखी जाती
10.	झारखंड	192932
11.	कर्नाटक	नहीं रखी जाती
12.	केरल	नहीं रखी जाती
13.	मध्य प्रदेश	नहीं रखी जाती
14.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	100000
15.	पूर्वोत्तर-I (त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम)	नहीं रखी जाती
16.	पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड मणिपुर)	नहीं रखी जाती
17.	उड़ीसा	नहीं रखी जाती
18.	पंजाब	नहीं रखी जाती
19.	राजस्थान	नहीं रखी जाती
20.	तमिलनाडु	नहीं रखी जाती
21.	उत्तर प्रदेश	744369
22.	उत्तरांचल	3275
23.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	नहीं रखी जाती

[हिन्दी]

देश में परमाणु विद्युत उत्पादन

*58. **श्री राकेश सिंह :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल विद्युत उत्पादन की तुलना में परमाणु संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) अमरीका, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में उत्पादित विद्युत की तुलना में इस प्रकार से देश में उत्पादित विद्युत की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और अधिक परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो इन संयंत्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) वर्ष 2004-05 में देश में कुल विद्युत उत्पादन में से लगभग 2.9% बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर पावर से किया गया था।

(ख) विकसित देशों में न्यूक्लियर पावर से उत्पादित होने वाली बिजली की प्रतिशतता संयुक्त राज्य अमरीका में 20%, जर्मनी में 32%, जापान में 29% और ब्रिटेन में 19% है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 82,495 मिलियन यूनिट (एम यूज) रखा गया है।

(घ) बिजली का (जून, 2005 तक) 58,659 मिलियन यूनिट उत्पादन किया गया है और इस तरह योजनावधि के 39 माह (65%) में ही 71% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) तारापुर, महाराष्ट्र में स्थित एक रिएक्टर नामतः तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना (टीएपीपी-4, 540 मेगावाट-ई) को 4.6.2005 को ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है। आठ और परमाणु विद्युत रिएक्टरों

का निर्माण कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर दसवीं योजना और ग्यारहवीं योजना में विद्युत उत्पादन क्षमता में कुल वृद्धि क्रमशः 1300 और 3160 मेगावाट-ई होगी।

[अनुवाद]

चिकित्सकों का पंजीकरण

***59. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री गणेश सिंह :

क्या **स्वास्थ्य औा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद (आई.एम.सी.) में चिकित्सकों के पंजीकरण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) दिनांक 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत चिकित्सकों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद की यह संख्या पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले चिकित्सा स्नातकों की कुल संख्या से मेल खाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सकों के पंजीकरण के संबंध में कुछ मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या यह सही है कि भारतीय चिकित्सा परिषद उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन कर रही है और ऐसे विद्यार्थियों का पंजीकरण कर रही है जिन्होंने अपनी डिग्रियां रूस और अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त की हैं;

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद के ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया है; और

(झ) सरकार द्वारा गल्तियों को सुधारने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (झ) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण के लिए उन व्यक्तियों की उम्मीदवारी पर विचार करती है जो भारत के नागरिक हों और भारत के मेडिकल कालेजों/संस्थाओं से बुनियादी मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखते हों। वे भारतीय नागरिक जिनके पास अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल भारत से बाहर की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त बुनियादी चिकित्सीय अर्हताएं हैं, भी भारतीय चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीकरण कराने के लिए पात्र हैं।

30.06.05 की स्थिति के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय कर रहे डाक्टरों की कुल संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

भारतीय चिकित्सा संघ चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण के लिए एक सांविधिक निकाय नहीं है, इसलिए देश में सभी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों का ब्यौरा देने में समर्थ नहीं हो पाएगा।

इस पद्धति को सरल और कारगर बनाने तथा भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने के इच्छुक विदेशी डिग्री वाले व्यवसायियों को अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा एक संशोधन के जरिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में धारा (13) (4) (ए) शामिल की गई थी। उसी के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद ने स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमों को अधिसूचित किया जो 15.3.2002 से प्रवृत्त हुए। उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 8.3.2002 के आदेश के तहत यह निदेश दिया कि विदेशी डिग्री वाले ऐसे सभी चिकित्सा व्यवसायियों को, जो 15.3.2002 को अथवा उसके बाद स्थायी अथवा अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर भारतीय चिकित्सा परिषद विनियम के अनुसार स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करना होगा:-

1. विदेशी प्राथमिक चिकित्सीय अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिक, जिन्होंने 15.3.2002 से पहले स्थायी पंजीकरण के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को आवेदन किया है।

2. ऐसे छात्र जो भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार भारत में स्नातकपूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रमों में भाग लेने (ज्वाइन करने) के लिए न्यूनतम प्रवेश मानदण्डों को पूरा नहीं करते,

बशर्ते उन्होंने 15.3.2002 से पूर्व भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थाओं में प्रवेश ले लिया था।

3. ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने 6 वर्ष से कम अवधि वाले चिकित्सा पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं में अध्ययन किया था अथवा उनका आंशिक अध्ययन एक गैर-मान्यता प्राप्त संस्था में हुआ है बशर्ते उनकी कम रही अवधि को उनके द्वारा एक वर्ष की नियमित इन्टर्नशिप के अलावा अतिरिक्त इन्टर्नशिप के द्वारा कवर कर लिया गया हो।

भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार वह 2001 में यथा संशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों; स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002 और माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार विदेशी डिग्री प्राप्त चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीकरण के लिए मामलों पर विचार करती है।

विवरण

भारत में डाक्टरों की कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य	डाक्टरों की कुल संख्या (2005)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	33800
2.	असम	15927
3.	भोपाल	29049
4.	छत्तीसगढ़	318
5.	बिहार	35111
6.	गोवा	2434
7.	गुजरात	37561
8.	हरियाणा	1360
9.	हैदराबाद	14027
10.	जम्मू-कश्मीर	8284
11.	झारखंड	321
12.	कर्नाटक	66574
13.	ट्रावनकोर-कोचीन	33418
14.	महाराष्ट्र	92327
15.	उड़ीसा	14982
16.	पंजाब	34104
17.	राजस्थान	22666
18.	तमिलनाडु	72474
19.	उत्तर प्रदेश	46251
20.	पश्चिम बंगाल	53129
21.	एमसीआई दिल्ली	26803
22.	दिल्ली	2600
	कुल	643520

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

***60. श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की जून में नई दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) लक्षित विकास दर प्राप्त करने हेतु बैठक में कौन-सा भावी खाका तैयार किया गया;

(घ) क्या सरकार ने समग्र आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु तरीका तलाशने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि और राज्य ऋण संबंधी दो उप समितियां गठित करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन दो उप-समितियों का गठन कृषि और वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता में किया गया था; और

(च) यदि हां, तो इन दोनों द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 27 और 28 जून, 2005 को आयोजित की गई।

(ख) बैठक के दौरान दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के मुख्य विषय पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने मध्यावधि मूल्यांकन में सुझाए गए ऐसे उद्देश्यों और नीतियों के साथ व्यापक सहमति व्यक्त की, जो दसवीं योजना में विकास मामलों पर आगे की कार्रवाई करने की रूपरेखा के रूप में और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में कार्य शुरू करने के लिए शुरूआत बिन्दु के रूप में काम कर सके।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान लक्षित 7-8 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करने के लिए रूपरेखा को दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दर्शाया गया है, जिसकी प्रतियां पहले ही संसद की लाइब्रेरी में रख दी गई हैं।

(घ) एनडीसी ने कृषि और तत्संबंधी विषयों में क्रियान्वयन योग्य कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप-समिति बनाने के लिए सहमति व्यक्त की। यह भी निर्णय लिय गया कि राज्यों के ऋण भार से संबंधित संगत मुद्दों और राष्ट्रीय लघु बजट निधि (एनएसएसएफ) के प्रति उनके ऋण की बकाया राशियों के संदर्भ में ऋण में छूट की जांच करने के लिए वित्त मंत्री के अधीन अलग से एक समिति का गठन किया जाए।

(ङ) कृषि संबंधी उप-सिमिति के अध्यक्ष कृषि मंत्री होंगे, जबकि राज्यों के ऋण-भार से संबंधित संगत मुद्दों और राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के प्रति उनके बकाया ऋण की राशियों के संदर्भ में ऋण में छूट से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री होंगे

(च) अगली एनडीसी की बैठक के लिए समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति से अनुरोध किया जाएगा।

टेलीफोन कनेक्शनों हेतु लम्बित आवेदन

408. श्री जी.एम. सिद्‌दीश्वर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के होललकेरे, जगलुर, हरिहर, होन्नाली, चन्नागिरी, चित्रदुर्गा और दावणगेरे तालुकों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के कुल कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ख) क्या 1999 से लगभग 4000 आवेदन लम्बित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) टेलीफोन कनेक्शनों हेतु सभी आवेदनों को कब तक मंजूर किये जाने की सम्भावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 30.06.2005 की स्थिति के अनुसार नये टेलीफोल कनेक्शनों के लिए लंबित आवेदनों की संख्या नीचे दी गयी है:-

होललकेरे	380
जगलुर	276
हरिहर	219
होन्नाली	680
चन्नागिरि	1191
चित्र दुर्गा	237
दावणगेरे	446
कुल	3429

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि अधिकतर प्रतीक्षा सूची सुदूर और दूरस्थ क्षेत्रों से संबंधित हैं, जिन्हें किफायती तौर पर वायरलाइन से कवर नहीं किया जा सकता है, अत: डब्ल्यूएलएल प्रौद्यागिकी का व्यापक रूप से उपयोग करके इस प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने की योजना बनायी गयी है। डब्ल्यूएलएल उपस्कर की संस्थापना चित्र दुर्गा और दावणगेरे (हरिहर सहित) अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में करने की योजना है और यह उपस्कर नवम्बर, 2005 में चालू होने की संभावना है। अन्य स्थानों पर डब्ल्यूएलएल प्रणालियां काम कर रही हैं और टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए एफडब्ल्यूटीएस (फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल्स) उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(ङ) प्रतीक्षा सूची को मार्च, 2007 तक उत्तरोत्तर रूप से समाप्त करने की योजना है।

[हिन्दी]

एक समान एस.टी.डी. काल दर

409. श्री पंकज चौधरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में बुनियादी टेलीफोन लाइन के लिए एक समान एस.टी.डी. काल दर शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) हालांकि सरकार "वन इंडिया काल रेट" लागू करने की दिशा में काम कर रही है, किन्तु प्रस्तावित कार्यवाही आरम्भिक स्तर पर है। इसकी शुरूआत के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

गुजरात हेतु स्वीकृत एवं गुजरात द्वारा खर्च की गयी धनराशि

410. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत/आवंटित/जारी की गयी थी;

(ख) गुजरात सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि खर्च/उपयोग की गयी;

(ग) गुजरात सरकार द्वारा कितनी धनराशि लौटायी गयी;

(घ) धनराशि लौटाये जाने के मुख कारण क्या हैं;

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक गुजरात को कितनी धनराशि स्वीकृत/आवंटित की गयी है; और

(च) गुजरात सरकार द्वारा इस धनराशि को किन परियोजनाओं पर उपयोग किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में प्रचलित मूल्यों पर कुल संशोधित लागत और वास्तविक व्यय क्रमशः 30019.62 करोड़ रुपये और 24657.98 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय में राज्य के निजी संसाधन और केन्द्रीय सहायता शामिल हैं। जारी की गई केन्द्रीय सहायता की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा उपयोग कर ली गई थी।

(ङ) गुजरात की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए प्रचलित मूल्यों पर अनुमानित परिव्यय 47,000 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजनाओं 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के संशोधित परिव्यय जोड़ कर 22949.79 करोड़ रुपये बनते हैं। गुजरात की वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना हेतु अनुमोदित परिव्यय 11,000 करोड़ रुपये है। दसवीं योजना की पहली तीन वार्षिक योजनाओं के वास्तविक व्यय/संशोधित परिव्यय जोड़ कर 21597.68 करोड़ रुपये बनते हैं।

(च) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए क्षेत्रकों जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन और समाज सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पोषण इत्यादि में वार्षिक आबंटन का उपयोग कर लिया गया है।

मुख्य मंत्री का विवेकाधीन कोष

411. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य मंत्रियों के पास एक 'विवेकाधीन कोष' होता है जिसके लिए निधियां योजना आयोग द्वारा मुहैय्या अथवा स्वीकृत की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके आवंटन और उपयोग के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास इस संबंध में विचारार्थ कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा मुख्य मंत्रियों के 'विवेकाधीन कोष' के लिए निधियां स्वीकृत अथवा मुहैय्या नहीं कराई जाती।

(घ) और (च) सरकार के पास मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छुट्टी यात्रा रियायत/गृह नगर हेतु विमान यात्रा की सुविधा

412. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारी अपने सेवाकाल में 4 वर्षों के ब्लॉक में एक बार अखिल भारत की यात्रा करने तथा 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर जाने की सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आजकल विभिन्न निजी एयरलाइनों द्वारा न्यूनतम रियायत विमान भाड़े की सुविधा दी जा रही है जो राजधानी ए सी-3 टियर और ए सी-2 टियर के भाड़े के लगभग बराबर अथवा उससे थोड़ा अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों को उनकी पात्रता (ए.सी. 3/2 टियर) के अनुसार गृह नगर/अखिल भारत की यात्रा हेतु रियायत भाड़ा पर विमान से यात्रा करने की अनुमति देने हेतु विचार करेगी;

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में कब तक आदेश जारी करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी कर्मचारी (i) दो केलैण्डर वर्षों के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर की; तथा (ii) चार केलैण्डर वर्षों के ब्लॉक में एक बार भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने के हकदार हैं। फिर भी, भारत में किसी भी स्थान की यात्रा, ऐसी आरंभ करते समय उसे उपलब्ध गृह नगर की छुट्टी यात्रा रियायत के एवज में होगी तथा इसे उसी यात्रा के मुद्दे समायोजित किया जाएगा।

(ग) कुछ निजी एयरलाईन्स ने रियायती किराया योजनाएं शुरू की हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(च) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 में निजी परिवहन के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

झारखंड में डाकघरों तथा उनकी शाखाओं का खोला जाना

413. **श्री सुनिल कुमार महतो** :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान झारखण्ड में नए डाकघर और उनकी शाखाओं को खोलने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) 2003-04 में 6 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और एक विभागीय उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया, जिसे पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया।

2004-05 में योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य नहीं रखे गए। हालांकि प्रस्तावों के औचित्यसम्मत पाए जाने पर डाकघर ऐसे डाकघरों की पुनर्स्थापना के माध्यम से खोले जाने थे जो निर्धारित मानदंड की अपेक्षा तय दूरी से कम पर स्थित हैं। तदनुसार, वर्ष 2004-05 के दौरान पुनर्स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से रांची उच्च न्यायालय में एक गैर-डाक वितरण डाकघर खोला गया है। यह कार्यपद्धति 10वीं योजना के नीति-निर्देशों के अनुरूप है।

इस संबंध में उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान झारखण्ड में खोले गए डाकघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र. सं.	जिला का नाम	खोले गए डाकघरों का प्रकार	खोले गए डाकघरों की संख्या
1	2	3	4
	2003-04		
1.	हजारीबाग	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	01
2.	बी. देवधर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	01
3.	पश्चिम सिंहभूम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	02
4.	सरायकेला-खरसावां	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	01
5.	लातेहर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	01
6.	रांची	विभागीय उप डाकघर	01
	2004-05		
1.	रांची	गैर-वितरण उप डाकघर	01

हिमाचल प्रदेश में खेलकूद गतिविधियां

414. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खेलकूद गतिविधियों के लिए तथा नई आधरिक सुविधाओं की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि सहित हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास खेलकूद सुविधाओं के पुनरूद्धार तथा रख-रखाव के लिए राज्यों को धनराशि देने की प्रणाली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे संशोधनों का राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति विशेषकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) सरकार ने 1.4.2005 से खेले अवस्थपना संबंधी योजनाओं को राज्य क्षेत्र को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था तथा तदनुसार, 2005-06 के दौरान खेल अवस्थापना संबंधी योजनाओं के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। इस प्रकार, खेल अवस्थापना संबंधी परियोजना राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से वित्त पोषित की जानी है। तदनुसार, हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को 28.2.2005 को सूचित किया गया था। इसलिए हिमाचल प्रदेश से प्राप्त नये प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसा कोई मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी सचिवों की नियुक्ति

415. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती केन्द्रीय मंत्रियों के निजी सचिवों के रूप में किए जाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रक्रिया को बंद करने के लिए की गई कार्रवाई, यदि कोई की गई हो तो उसका ब्यौरा दें; और

(घ) केन्द्रीय मंत्रियों के निजी सचिव नियुक्त करने के क्या मापदंड हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय मंत्री के निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के मानदंड अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं:- अधिकारी की इच्छा; उसके संवर्ग/मंत्रालय/विभाग, जैसा भी मामला हो, से उपलब्धता; सतर्कता अनापत्ति; गैर-सरकारी कर्मचारी का नामांकन किए जाने से पूर्व सत्यापन; संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी न हो।

खनन कार्य प्रारंभ न करना

416. श्री सीताराम सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयला खनन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी कतिपय फर्में अपना खनन कार्य शुरू नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसी कंपनियों द्वारा खनन कार्य शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् आबंटित कोयला ब्लाकों के संबंध में खनन पट्टे, प्रदान किए जाते हैं। अभी तक निम्नलिखित कम्पनियों ने खनन पट्टे प्राप्त कर लिए हैं और उनको आबंटित किए गए ब्लाकों के संबंध में कोयले का उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

1.	कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम	सरिशातोली
2.	इंडियन एल्युमिनियम कम्पनी लि.	तालाबीरा-I
3.	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन	तारा (ईस्ट) एवं तारा (वेस्ट)
4.	बीएलए इन्डस्ट्रीज लि.	गोतीतांरिया (ईस्ट) गोतीतोरिया (वेस्ट)
5.	जिन्दल स्टील एवं पावर लि.	गारे पालमा IV/I
6.	मोनेट इस्पात लि.	गारे पालमा IV/5
7.	सेन्ट्रल कोलियरीज कम्पनी लि.	तकली-जेना-बेलोरा (साउथ) खनन पट्टे को कोयला मंत्रालय में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है।

यद्यपि निम्नलिखित ब्लाकों के संबंध में, प्रत्येक के सामने उल्लिखित विभिन्न कम्पनियों को आबंटित खनन पट्टे प्रदान करने का पूर्व अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान कर दिया गया है, आबंटी अभी भी संबंधित राज्य सरकारों से खनन् पट्टे प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

1.	जिन्दल पावर लि.	गारे पालमा IV/2 तथा IV/3
2.	जयसवाल नेक्को लि.	गारे पालमा IV/4
3.	रायपुर अलायज लि.	गारे पालमा IV/7

4. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड पन्चवाड़ा सेन्ट्रल

5. प्रकाश इन्डस्ट्रीज लि. चोतिया

आबंटित किए गए अन्य ब्लाकों के मामले में, आबंटितियों के मामले भू-वैज्ञानिक आंकड़े की अधिप्राप्ति, खनन योजना की तैयारी, वानिकी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने, भूमि अधिग्रहण आदि सहित प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं जिन्हें खनन पट्टा प्रदान किए जाने से पहले पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा तथा रांची के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

417. **श्री परसुराम माझी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विजयवाड़ा तथा रांची के बीच उड़ीसा के नक्सल प्रभावित इलाके से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बनाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार से विजयवाड़ा से रांची तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मंत्रालय ने फरवरी, 2004 में 7457 कि.मी. राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था। फिलहाल, और अधिक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बजाए पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खुले मुहाने की परियोजनाओं का विस्तार

418. **श्री नवीन जिन्दल : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय मामलों संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति ने हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) की खुले मुहाने वाली खानों की परियोजनाओं के विस्तार की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रत्येक परियोजनाओं में निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खानों में प्रतिवर्ष लगभग कितने कोयले का उत्पादन होता है; और

(घ) किन-किन क्षेत्रों/उद्योगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पूंजी निवेश सहित परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र. सं.	विवरण	गेवरा विस्तार ओ.सी.	दीपिका विस्तार ओ.सी.
1.	लक्ष्य का उत्पादन	25 मि.ट. प्रतिवर्ष	20 मि.ट. प्रतिवर्ष
2.	जनशक्ति (सं.)	2725	2200
3.	प्रति श्रमपाली उत्पादन (टन)	34.75	34.44
4.	कुल पूंजी निवेश	1667.55 करोड़ रु.	1268.52 करोड़ रु.

(घ) विद्युत, गृहीत विद्युत संयंत्रों, स्पांज आयरन, सीमेंट और अन्य उद्योगों के लाभान्वित होने की संभावना है।

राष्ट्रीय अम्पायर अकादमी

419. **श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में खेल-वार कितने राष्ट्रीय अम्पायर हैं;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न खेलों के लिए राष्ट्रीय अम्पायर अकादमी स्थापित करने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में अम्पायरिंग का स्तर सुधारने के लिए योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय अम्पायर संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा प्रमाणित होते हैं, जो समिति पंजीयन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी संगठन है। अतः भारत सरकार देश में अम्पायरों की संख्या का रिकार्ड नहीं रखती है।

(ख) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अम्पायर अकादमी की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ''खेल'' राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा, अलग-अलग खेल विधाओं के विकास की जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल परिसंघों की है। तथापि, भारत सरकार राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 में दर्शाए गए अनुसार ''खेलों का विस्तृत आधार'' और ''उत्कृष्टता की उपलब्धि'' के दो उद्देश्यों के साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को समर्थन और सुविधाएं देती हैं।

(घ) और (ङ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय पहले से ही ''खेल प्रतिभा और प्रशिक्षण से संबंधित योजना'' को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, खेल विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों, अम्पायरों और खेल वैज्ञानिकों को अपने संबंधित क्षेत्रों में अद्यतन जानकारी को उपलब्ध कराकर आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए समर्थन किया जाता है।

[हिन्दी]

खानों को बंद करते समय बालू न भरा जाना

420. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डब्ल्यू.सी.एल. के अधीन भूमिगत माजरी खान सं. 2 को बंद करते समय इसमें पर्याप्त मात्रा में बालू नहीं भरा गया था जिसके कारण दरारें आ गई और नगर बस्ती में जमीन धंस गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दरारों के आने से भविष्य में निकटवर्ती नगर बस्ती को बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार नागर बस्ती के नीचे की खदान पूर्ण रूप से रेत से भरी हुई है और इसमें खनन प्रचालन के कारण दरार अथवा धंसाव की संभावना नहीं है। जहां भी डिपिल्लरिंग की गई थी उन भूमिगत खदानों में रेत की पर्याप्त मात्रा में भराई की गई थी। विवादास्पद दरारें, नागर बस्ती के बाहर 500 मीटर से अधिक की दूरी पर आयी है जो ऐसा क्षेत्र है जिसके नीचे केवल विकास कार्य ही किया गया है और ऐसे भूमिगत विकास वाले क्षेत्र में रेत भराई की कोई आवश्यकता नहीं है। धंसाव वाले क्षेत्र पर कोई आवास स्थित नहीं है और इसलिए धंसाव के कारण नागर बस्ती को कोई खतरा नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

स्टिलवेल रोड को पुनः खोलना

421. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन तथा भारत ने हाल ही में म्यांमार से होते हुए दोनों देशो के बीच स्टिलवेल रोड को पुनः खोलने की योजना पर कार्य करना शुरू किया है जिससे दोनों देशों के बीच 6000 कि. मी. का घुमावदार मार्ग घटकर केवल 1300 कि.मी. का रह जाएगा;

(ख) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में भारत, म्यांमार तथा चीन का क्या रुख है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इन देशों को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) भारत सरकार ने म्यांमार और चीन के साथ सड़क सम्पर्कों को सुधारने की सम्भावनाओं पर चर्चा की है। तथापि, स्टिलवेल मार्ग को पुन: खोलने के प्रश्न पर चर्चा नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आधारभूत संरचना संबंधी समिति

422. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आधारभूत संरचना संबंधी समिति का गठन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो आधारभूत संरचना के क्षेत्र में आवश्यक न्यूनतम निवेश संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आधारभूत संरचना संबंधी सभी परियोजनाओं में सरकार की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अवसंरचना संबंधी समिति ने, प्रारंभ में, सड़क, पत्तन, वायु पत्तन एवं रेल क्षेत्रक का कार्य शुरू किया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, राजमार्ग क्षेत्र में वर्ष 2012 तक 1,72,000 करोड़ रुपये, वायु पत्तन क्षेत्रकों में, वर्ष 2010 तक 40,000 करोड़ रुपये तथा पत्तन क्षेत्रकों में वर्ष 2012 तक 50,000 करोड़ रुपये का निवेश परिकल्पित है।

(घ) और (ङ) वायु पत्तन, सड़क और पत्तन क्षेत्रकों में, सार्वजनिक-निजी भागीदारी बढ़ने के लिए आदर्श रियात सहमति विकसित की जा रही है। साथ ही, एएआई, एनएचएआई और पोर्ट ट्रस्टों के नवीकरण सहित सार्वजनिक निवेश में तेजी लाई जा रही है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी नीति

423. **श्री जोवाकिम बखला** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त नीति के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार की रणनीति में गांवों को सम्मिलित किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सूचना प्रौद्योगिकी नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) ऊपर उल्लिखित नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को बकाया का भुगतान

424. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नियमित रूप से महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड से भुगतान नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोयले की बिक्री के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड पर बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया धनराशि की शीघ्र वसूली हेतु डब्ल्यूसीएल द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) वर्तमान सप्लाई के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम.एस.ई.बी.) से भुगतान प्राप्त कर रही है। कोयला बिलों

की समय से तथा नियमित भुगतान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने ईंधन आपूर्ति करार (एफ.एस.ए.) के प्रावधान के अनुसार डब्ल्यू.सी.एल. के पक्ष में एक ''अपरिवर्तनीय आवर्ती ऋण-पत्र'' खोल दिया है।

(ग) 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यू.सी.एल. का कोयले की बिक्री का कुल 66.53 करोड़ रुपए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड पर बकाया है।

(घ) ईंधन आपूर्ति करार के प्रावधानों के अनुसार तथा समय-समय पर हुई सहमति के अनुसार डब्ल्यू.सी.एल. और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के बीच द्विपक्षीय बैठकें होती हैं। अप्रैल, 2005 के दौरान हुई पिछली बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि विवादित बकाया को महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और डब्ल्यू.सी.एल. के निदेशक स्तर पर निपटाया जाएगा।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

425. **श्री तापिर गाव :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का प्रस्ताव देश में विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में अनुसंधान तथा विकास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सॉफ्टवेयर का निर्यात बढ़ाने के लिए कदम

426. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान कर्नाटक से सॉफ्टवेयर के निर्यात में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 27,600 करोड़ रुपए का हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं तथा गत वर्ष की तुलना में इसमें किस सीमा तक वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक से सॉफ्टवेयर निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुल कितनी नौकरियां सृजित हुई; और

(ङ) अगले वर्ष के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात तथा नौकरियों में वृद्धि करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) कर्नाटक से होने वाले सॉफ्टवेयर निर्यात का मूल्य जो वर्ष 2003-04 में 18,100 करोड़ रुपए था वर्ष 2004-05 में बढ़कर 27,600 करोड़ रुपए हो गया, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 52% की वृद्धि दर दर्ज हुई है।

(ख) मुख्य कारणों में ये शामिल हैं:-

- वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है।
- राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुकूल वातावरण।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान कर्नाटक से होने वाले सॉफ्टवेयर निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में अनुमानित वृद्धि लगभग 28-30% है।

(घ) कर्नाटक में 50,000 अतिरिक्त नौकरियों के सृजन का अनुमान है।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अपने एसटीपीआई (भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क) के जरिए तथा कर्नाटक सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

– कर्नाटक में स्थित मंगलौर, मैसूर, हुबली तथा गुलबर्ग जैसे गौण शहरों को बढ़ावा देना।

– अद्यतन तकनीकी जानकारी की सुविधाओं सहित एक प्रौद्योगिकी पाल हुबली में स्थापित किया गया है।

– बेलगांव तथा गुलबर्ग शहर में भू-केन्द्र तथा उद्भावक केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास लंबित शिकायतें

427. श्री रघुनाथ झा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास चार सप्ताह से अधिक समय से भ्रष्टाचार से संबंधित कितनी शिकायतें लंबित हैं;

(ख) इन शिकायतों के निपटान में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इन शिकायतों को कब तक निबटाया जाएगा;

(घ) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकार को केन्द्रीय भंडार पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कदम उठाने हेतु लिखा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार, पिछले एक वर्ष के दौरान जांच-पड़ताल और रिपोर्ट के लिए भिजवाई गई और विभागों/संगठनों के पास लंबित शिकायतों की संख्या 458 है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, शिकायतों की जांच पड़ताल और रिपोर्ट के लिए शिकायतों को, विभिन्न संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भिजवाता है। शिकायतों के अन्वेषण में लगने वाले समय में कमी लाने के आशय से रिपोर्टों की प्राप्ति की, आयोग द्वारा समीक्षा और निगरानी की जाती है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह बताते हुए एक पत्र लिखा है कि शिकायतों इत्यादि को देखने के क्रम में रजिस्टर का रख-रखाव करने के लिए केन्द्रीय भण्डार को, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह भी सलाह दी है कि केन्द्रीय भण्डार को स्टोर्स/खरीद संविदा; विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए कीमत संबंधी करार की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। केन्द्रीय भण्डार ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने दोनों अनुदेशों का अनुपालन किया है।

शिशु मृत्यु दर

428. श्री एम. अप्पादुरई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिशु मृत्यु दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने/इसके निवारण के लिए राज्य-वार कितना बजट आबंटित किया गया है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदान की गई वर्ष 2003 की राज्यवार शिशु-मृत्यु दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2003 के बाद का शिशु-मृत्यु दर का डाटा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) बाल स्वास्थ्य चल रहे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का अभिन्न घटक है जिसका लक्ष्य शिशु/मातृ-मृत्यु दर तथा कुल प्रजननता दर को कम करना है। बाल स्वास्थ्य कार्यकलापों के लिए राज्यों को सम्पूर्ण प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य बजट के भाग के रूप में निधियां प्रदान की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

शिशु मृत्यु दर

क्र.सं.	राज्य	2003
1	2	3
	अखिल भारत	60
1.	आंध्र प्रदेश	59

1	2	3
2.	असम	67
3.	बिहार	60
4.	छत्तीसगढ़	70
5.	गुजरात	57
6.	हरियाणा	59
7.	झारखण्ड	51
8.	कर्नाटक	52
9.	केरल	11
10.	मध्य प्रदेश	82
11.	महाराष्ट्र	42
12.	उड़ीसा	83
13.	पंजाब	49
14.	राजस्थान	75
15.	तमिलनाडु	43
16.	उत्तर प्रदेश	76
17.	पश्चिम बंगाल	46
18.	अरुणाचल प्रदेश	34
19.	दिल्ली	28
20.	गोवा	16
21.	हिमाचल प्रदेश	49
22.	जम्मू-कश्मीर	44
23.	मणिपुर	16
24.	मेघालय	57
25.	मिजोरम	16
26.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं
27.	सिक्किम	33
28.	त्रिपुरा	32
29.	उत्तरांचल	41
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18
31.	चंडीगढ़	19
32.	दादरा एवं नगर हवेली	54
33.	दमन और दीव	39
34.	लक्षद्वीप	26
35.	पांडिचेरी	24

स्रोत: नमूना पंजीयन पद्धति, महापंजीयक, भारत।

विवरण-II

वर्ष 2002-03 से 2004-05 की अवधि में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर राज्यवार जारी की गई निधियां

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03 जारी निधियां	2003-04 जारी निधियां	2004-05* जारी निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1590.69	3344.30	3133.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	269.20	145.50	319.46
3.	असम	745.28	1462.12	2810.76

1	2	3	4	5
4.	बिहार	3834.74	3731.31	3895.36
5.	छत्तीसगढ़	1190.93	1305.46	1137.00
6.	गोवा	15.47	16.67	16.37
7.	गुजरात	1399.12	1742.49	8718.02
8.	हरियाणा	1007.86	2177.80	1976.01
9.	हिमाचल प्रदेश	411.41	665.90	497.32
10.	जम्मू-कश्मीर	426.53	206.20	264.31
11.	झारखंड	781.05	1003.11	1341.65
12.	कर्नाटक	2883.78	827.02	1057.00
13.	केरल	711.76	891.95	638.32
14.	मध्य प्रदेश	1582.10	2517.87	4059.46
15.	महाराष्ट्र	1528.13	3472.98	3486.68
16.	मणिपुर	402.44	434.24	258.46
17.	मेघालय	70.80	78.79	111.33
18.	मिजोरम	733.36	335.18	502.19
19.	नगालैण्ड	173.62	253.43	246.51
20.	उड़ीसा	690.55	954.70	1854.70
21.	पंजाब	275.45	376.52	559.08
22.	राजस्थान	1610.99	4119.19	2797.98
23.	सिक्किम	91.10	15.10	328.35
24.	तमिलनाडु	1688.91	1220.86	1447.41
25.	त्रिपुरा	154.22	78.61	119.38
26.	उत्तर प्रदेश	9569.69	12525.56	14577.83
27.	उत्तरांचल	424.61	703.83	410.38
28.	पश्चिम बंगाल	1640.14	3278.19	3356.74
	कुल—सभी राज्य	35903.93	47884.88	59921.44
	विधानसभा वाले संघ राज्य			
1.	दिल्ली	354.06	770.61	1044.45
2.	पांडिचेरी	25.85	25.78	82.13
	बिना विधानसभा वाले संघ क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्विपसमूह	13.53	26.43	25.76
2.	चंडीगढ़	17.86	19.11	19.58
3.	दादरा और नगर हवेली	6.18	9.66	5.30
4.	दमन और दीव	25.41	7.31	13.48
5.	लक्षद्वीप	14.16	10.24	7.31
	कुल (संघ क्षेत्र)	457.05	869.14	1198.01
	महायोग	36360.98	48754.02	61119.45

पीलीभीत-बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति

429. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पीलीभीत-बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति कई वर्षों से बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पीलीभीत-बस्ती राजमार्ग की मरम्मत के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा पीलीभीत-बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) पीलीभीत-बस्ती सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। यह एक राज्यीय राजमार्ग है। तथापि, तीन राष्ट्रीय राजमार्गों अर्थात् पीलीभीत से बरेली रा रा-74, बरेली से लखनऊ रा रा-24 और लखनऊ से बस्ती रा रा-28 द्वारा पीलीभीत बस्ती से जुड़ा हुआ है। इन तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी खंडों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ख) से (घ) रा रा-28 के लखनऊ से बस्ती खंड को विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-II के अंतर्गत चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है और सिविल कार्य सौंपने का कार्य उन्नत स्तर पर है। रा रा-24 के बरेली से लखनऊ खंड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राज्यमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत चार लेन का बनाए जाने का प्रस्ताव है तथा सीतापुर-लखनऊ खंड के लिए पहले ही निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। रा रा-74 के पीलीभीत-बरेली खंड में गत तीन वर्षों के दौरान सामान्य अनुरक्षण के अलावा 311 लख रु. के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

महिलाओं के लिए कंडोम

430. श्री के.सी. पलनिसामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार महिलाओं के लिए कंडोम शुरू करने संबंधी योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने नाको की लक्षित उपाय सं संबंधित कार्यनीति के भाग के रूप में महिलाओं के लिए कण्डोम का प्रयोग शुरू करने हेतु एक संकल्पना नोट तैयार किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नाको की सीमित निधियों से शुरू की गई प्रायोगिक स्कीम के रूप में महिलाओं के वास्ते कण्डोमों का वितरण महानगरों में प्रमुख सामाजिक वितरण संगठनों के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रस्ताव में प्रायोगिक आधार पर लागत, सब्सिडी, खरीद एवं वितरण नेटवर्क संबंधी पहलुओं पर विचार-विमर्श प्रारम्भिक अवस्था में है।

मानव रक्त में कीटनाशक

431. श्री लक्ष्मण सेठ :
श्रीमती पी. सतीदेवी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्रामीण पंजाब में मानव रक्त में बड़ी मात्रा में कीटनाशकों की उपस्थिति संबंधी सेन्टर फार साइंस एण्ड इनवायरनमेंट की रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सेन्टर फार साइन्स एण्ड इनवायरनमेंट, नई दिल्ली ने ग्रामीण पंजाब में मानव रक्त में विभिन्न कीटनाशकों के अवशेषों की मात्रा की मौजूदगी का खुलाशा किया है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के 4 गांवों से रक्त के अलग-अलग (रेन्डम) लिए गए 20 नमूनों में आर्गेनो-क्लोरीन कीटाणुनाशक, आर्गेनो-फॉस्फेट कीटाणुनाशक आदि पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि सेन्टर फार साइन्स एण्ड इनवायरनमेंट की रिपोर्ट में ही यह बताया गया है कि भारत में डी.डी.टी. और एच.सी.एच. की निर्धारित मात्रा पहले की रिपोर्टों की तुलना में कम है और इस रिपोर्ट में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि पंजाब के किसानों में इसका अधिक खतरा है।

पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने रासायनिक परीक्षक, पटियाला द्वारा एक अध्ययन शुरू किया है जिन्होंने आर्गेनो फॉस्फोरम कम्पाउण्ड क्लोरो कम्पाउण्ड एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड एवं कोर्बोनेट ग्रुप जैसे कीटाणुनाशकों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों से मानव रक्त के 235 नमूना (रेण्डम लिए गए) की जांच की है। लेकिन यह पाया गया कि इनमें से किसी भी नमूने में उपरोक्त कीटाणुनाशक नहीं है।

पंचमढ़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक्स

432. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक क्लिनिक्स कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि वन विभाग द्वारा औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की अवैध खेती पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मधुमेह, हृदय संबंधी समस्याओं और नपुंसकता के संबंध में आयुर्वेदिक परामर्श प्रदान करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने क प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्य प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचमढ़ी में केवल एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय चल रहा है जिसे ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस औषधालय को राज्य सरकार द्वारा औषधियों की आपूर्ति की जाती है।

(ग) मधुमेह, हृदय संबंधी समस्याओं और नपुंसकता के लिए परामर्श साधारणत: राजकीय आयुवैदिक अस्पतालों/औषधालयों में उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार संबंधी अधिनियम का क्रियान्वयन

433. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईस्टर्न जोनल काउंसिल के सदस्य राज्यों को अपने-अपने राज्यों में हाल ही में अधिनियमित किए गए सूचना का अधिकार संबंधी अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में इस अधिनियम को किस सीमा तक क्रियान्वित किया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) सूचना का अधिकार अधिनियम की एक प्रति ईस्टर्न जोनल काउंसिल के सदस्य-राज्यों सहित, सभी राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की गई है कि वे अधिनियम को लागू किए जाने के समय तक आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

(ख) चूंकि अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है अत: राज्यों द्वारा इसको क्रियान्वित किए जाने की सीमा का स्तर पर कोई मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

महात्मा गांधी का अनादर सूचक चित्रण

434. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आस्ट्रेलिया के न्यू साऊथ वेल्स स्थित एक भारतीय फास्ट फूड फ्रैन्चाइजी आउटलेट अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनी व्यंजन सूची में, अपने फूड पैक्स पर और अपनी वेब साइट पर महात्मा गांधी के नाम और चित्र का उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ऐसे अनादर सूचक चित्रण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) सरकार के ध्यान में आया है कि न्यू साऊथ वेल्स, आस्ट्रेलिया की एक कंपनी अपने वाणिज्यिक स्थापनाओं में विभिन्न अक्षरों में महात्मा गांधी के चित्र और उनके नाम का उपयोग कर रही है।

(ख) और (ग) मामले को भारत के प्रधान कौंसल द्वारा सीधे ही और संबंधित आस्ट्रेलियाई एजेंसियों के माध्यम से भी स्थापना के मालिक के साथ उठाया गया था। कुछ गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों ने भी कंपनी के साथ इस मामले को उठाया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कंपनी ने अपने 'लोगो' में महात्मा गांधी के चित्र को बदल दिया है परंतु नाम का प्रयोग जारी है। नाम के प्रयोग को रोकने के प्रयास अभी जारी हैं।

[हिन्दी]

पाक जेलों में बंद भारतीय

435. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** :
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

श्री ई. पोन्नुस्वामी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक भारतीय, पाकिस्तान की विभिन्न जेलों, विशेषकर लाहौर स्थित कोट लखपट जेल में बंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कैदियों को जल्द-से-जल्द रिहा कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या हाल ही में पाकिस्तान ने कुछ भारतीय मछुआरों को रिहा किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान द्वारा बाकी मछुआरों को नौकाएं नहीं लौटायी गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार द्वारा बाकी मछुआरों को रिहा कराने और उनकी नौकाओं को वापस प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी, हां! प्राप्त सूचना के अनुसार पाकिस्तानी जेलों में लगभग 923 सिविलियन; 371 मछुआरे और 54 युद्ध बंदी हैं। पाकिस्तान ने केवल 182 सिविलियन कैदियों की मौजूदगी की पुष्टि की है और वह पाकिस्तान में किसी भारतीय युद्ध बंदी की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करता है।

(ग) सरकार ने समय-समय पर राजनयिक माध्यमों और उच्च स्तरीय संपर्कों के माध्यम से भारतीय कैदियों की रिहाई के मामले को निरंतर उठाया है। 27-28 दिसंबर, 2004 को इस्लामाबाद में विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान यह सहमति बनी थी कि गिरफ्तार भारतीय/पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपने-अपने उच्चायोगों के द्वारा तत्काल अधिसूचना उपलब्ध कराई जाएगी; एक दूसरे के देश में बंद सभी सिविलियन कैदियों (मछुआरों सहित) को उनकी गिरफ्तारी की तारीख से तीन महीने के भीतर कौंसली पहुंच उपलब्ध करायी जाएगी और सजा पूरी हाने और राष्ट्रीयता सत्यापन के तुरंत बाद उनको वापिस भेज दिया जाएगा।

15-17 फरवरी, 2005 तक विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा और 16-18 अप्रैल, 2005 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान सभी भारतीय मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ शीघ्र रिहा कर वापिस भेजने के मामले को उठाया गया था।

(घ) और (ङ) जी, हां! पाकिस्तान द्वारा जनवरी, और मार्च, 2005 के बीच 800 भारतीय मछुआरे छोड़े गए, अर्थात् 06 जनवरी को 266 और 22 मार्च, 2005 को 534।

(च) और (छ) जी, हां। पाकिस्तान की हिरासत में अक्टूबर, 2003 और अप्रैल, 2005 के बीच पकड़ी गई लगभग 198 भारतीय मछली नौकाएं हैं। सरकार ने बार-बार इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है।

[अनुवाद]

खेलकूद विद्यालयों को धनराशि का आबंटन

436. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विभिन्न खेलकूद विद्यालयों को राज्यवार कितनी वार्षिक धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन विद्यालयों द्वारा आबंटित पूर्ण धनराशि को खर्च किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विद्यालयवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) देश में खेलकूद विद्यालयों को धनराशि देने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है। अतः इस प्रयोजन के लिए कोई वार्षिक आबंटन नही है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) की राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभावान बच्चों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा स्कूलों को अपनाया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पोलियो कार्यक्रम

437. श्री ए. साई प्रताप : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पोलियो उन्मूलन के लिए शुरू किए विभिन्न कार्यक्रमों पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में पालियो के कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) भारत सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है:-

(रुपए करोड़ में)

2002-03	—	432.11
2003-04	—	659.94
2004-05	—	925.24

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

2003 से 2005 तक के पोलियो रोगी

(25 जून, 2005 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घातक पोलियो विषाणु		
		2003	2004	2005
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21	1	0
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	1	0	0
5.	बिहार	18	39	8
6.	चंडीगढ़	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0
10.	दिल्ली	3	2	1
11.	गोवा	0	0	0
12.	गुजरात	3	0	0
13.	हरियाणा	3	2	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
16.	झारखण्ड	1	0	1
17.	कर्नाटक	36	1	0
18.	केरल	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	11	0	0
21.	महाराष्ट्र	3	3	0
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0
25.	नगालैंड	0	0	0

1	2	3	4	5
26.	उड़ीसा	2	0	0
27.	पांडिचेरी	0	0	0
28.	पंजाब	1	0	0
29.	राजस्थान	4	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलनाडु	2	1	0
32.	त्रिपुरा	0	0	0
33.	उत्तरांचल	0	1	1
34.	उत्तर प्रदेश	88	82	7
35.	पश्चिम बंगाल	28	2	0
	कुल	225	134	18

मानसून के दौरान बीमारियां फैलना

438. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मानसून के दौरान विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप बाल मृत्यु विशेषकर निमोनिया के कारण शिशुओं की मृत्यु हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) वर्षा ऋतु के आरम्भ होने के साथ ही सामान्यतः मानसूनी पानी एवं वेक्टर जनित रोगों में वृद्धि पाई जाती है तथापि न्यूमोनिया के मामलों में केवल सर्दी के मौसम में ही वृद्धि पाई जाती है। केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न रोगों के संबंध में मौसमवार एवं आयु-वार डाटा नहीं रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सूचित न्यूमोनिया के कारण हुई मौतों एवं मामलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

ऐसे विभिन्न रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम, संचारी रोगों हेतु राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम देश में कार्यान्वित किए गए हैं। देश में विभिन्न रोगों के निगरानी तंत्र का मजबूत बनाने के लिए एक एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। जल जनित रोगों की रोकथाम करने हेतु स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा रोकथाम के तरीके अपनाए गए हैं जिनमें स्वच्छ पीने का पानी, निजी एवं सामुदायिक स्वच्छता में वृद्धि, निगरानी एवं मानीटरिंग आदि के प्रावधान भी शामिल हैं।

विवरण

2000-2004 के दौरान न्यूमोनिया के कारण हुए
राज्यवार मामले एवं मौतें

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2000		2001		2002		2003		2004	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	36525	42	38566	79	44386	60	65590	149	98890	192
2.	अरुणाचल प्रदेश	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	1337	16	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
4.	बिहार	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
5.	छत्तीसगढ़	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
6.	गोवा	430	2	351	1	130	2	226	0	193	0
7.	गुजरात	6054	27	7680	26	5845	32	8332	48	18438	82
8.	हरियाणा	7416	35	10268	25	2395	14	7070	42	7644	45
9.	हिमाचल प्रदेश	35893	110	33947	60	37578	83	31813	73	28083	62
10.	जम्मू-कश्मीर	13339	1	10177	0	35220	0	114414	1	79238	1
11.	झारखण्ड	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
12.	कर्नाटक	69332	245	67002	335	8897	91	58971	292	53890	224
13.	केरल	23399	94	24630	53	18713	62	26665	50	18932	37
14.	मध्य प्रदेश	21636	35	27142	31	27225	86	34559	71	43717	44
15.	महाराष्ट्र	35985	497	21808	543	14779	434	23104	431	17783	324
16.	मणिपुर	10793	21	979	21	902	10	1150	7	913	0
17.	मेघालय	4206	16	5277	25	6618	33	3815	32	12761	20
18.	मिजोरम	3632	13	3102	33	3866	44	4093	46	3905	59
19.	नागालैंड	902	3	583	0	254	0	718	0	585	0
20.	उड़ीसा	35629	375	20340	221	22065	269	13503	177	10366	124
21.	पंजाब	2318	9	4621	44	0	0	2146	42	5313	33
22.	राजस्थान	61172	216	90017	414	102197	379	95151	280	79560	300
23.	सिक्किम	427	19	1389	7	2451	5	2159	14	2726	15
24.	तमिलनाडु	4783	7	4511	3	6084	1	—	—	5082	0
25.	त्रिपुरा	3218	20	3623	25	1702	9	191	8	4891	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	उत्तर प्रदेश	36873	64	45973	44	8093	8	17244	35	2045	3
27.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	70518	790	91730	985	76234	1315	70990	1192	48177	859
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	69	3	129	3	22	1	233	10	345	6
30.	चंडीगढ़	2635	22	2714	25	1996	22	3220	58	1493	2
31.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	644	5	1067	24	721	13
32.	दमन एवं दीव	10	0	2	0	5	0	4	0	5	0
33.	दिल्ली	25046	854	22530	3167	34420	713	34562	950	32379	396
34.	लक्षद्वीप	250	1	163	1	103	1	232	4	168	1
35.	पांडीचेरी	7431	33	7499	19	20983	19	15647	31	12131	15
	कुल	519921	3604	546780	6190	483807	3698	638206	2083	593374	2891

स्रोत: सी बी एच आई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

नोट: 1* वर्ष 2004 के लिए नवगठित तीन राज्यों के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अत: छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तरांचल के मामलों एवं मौतों को क्रमश: मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत खर्च नहीं की गई धनराशि

439. श्री दरोगा प्रसाद सरोज : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान संसद सदस्यों के माध्यम से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत खर्च नहीं की गई धनराशि को जारी करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राज्यवार और जिले-वार कितनी धनराशि खर्च नहीं की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, संसद सदस्य (लोक सभा) के संबंध में सभी प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के पश्चात् अव्ययित शेष राशि, उत्तरवर्ती संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों के लिए स्वत: ही उपलब्ध हो जाएगी।

राज्य सभा के चयनित सदस्यों के संबंध में, किसी राज्य विशेष में पूर्ववर्ती राज्य सभा सदस्यों की अव्ययित शेष राशि, उस राज्य विशेष

अथवा संघ शासित क्षेत्र के उत्तरवर्ती राज्य सभा सदस्यों में समान रूप से वितरित की जाएगी।

राज्य सभा/लोक सभा के नामित सदस्यों द्वारा छोड़ी गयी अव्ययित शेष राशि, क्रमश: राज्य सभा/लोक सभा के उत्तरवर्ती नामित सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी।

(ख) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) अव्ययित शेष राशि के वितरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं होगा, क्योंकि उक्त कार्य पूर्ववर्ती सांसद द्वारा अनुशंसित सभी स्वीकृत कार्यों का व्यय पूरा करने के पश्चात् ही किया जाता है।

(घ) जिला प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 30.6.2005 तक अव्ययित शेष राशि के रूप में 2060.65 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इसमें पूर्ववर्ती और वर्तमान संसद सदस्यों का अव्ययित शेष भी शामिल है। इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। केंद्रक जिला-वार ब्यौरे 30.6.2005 को समाप्त होने वाली अवधि की मासिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय को भेजी जा चुकी है और वही वेबसाइट www.mplads.nic.in पर भी उपलब्ध है।

विवरण

दिनांक 30/06/2005 तक संसद सदस्यों की निधियों/व्ययों का राज्यवार अवमोचन

क्र. सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा अवमोचित (करोड़ रु.)	ब्याज आदि सहित केन्द्रक जिले के पास उपलब्ध राशि (करोड़ रु.)	स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)	अवमोचन पर % स्वीकृति	किया गया व्यय (करोड़ रु.)	अपमोचन पर % उपयोग	अव्ययित शेष (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नामित	192.05	194.22	169.43	88.22	148.01	77.07	46.21
2.	आंध्र प्रदेश	1115.95	1137.02	10.8729	97.43	966.00	86.56	171.02
3	अरुणाचल प्रदेश	57.15	57.84	53.65	93.88	53.63	93.84	4.22
4.	असम	397.55	405.52	366.82	92.27	350.05	88.05	55.48
5.	बिहार	1005.35	1020.11	939.53	93.45	856.35	85.18	163.76
6.	गोवा	51.15	53.66	55.88	109.24	46.47	90.84	7.20
7.	गुजरात	644.35	659.94	637.95	99.01	571.86	88.75	88.08
8.	हरियाणा	274.25	278.30	251.35	91.65	234.93	85.66	43.37
9.	हिमाचल प्रदेश	125.30	127.46	117.19	93.53	112.03	89.41	15.44
10.	जम्मू-कश्मीर	142.50	145.31	136.95	96.10	112.59	79.01	32.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	कर्नाटक	727.00	744.74	710.78	97.77	662.92	91.19	81.82
12.	केरल	477.95	502.63	507.68	106.15	414.88	86.80	87.75
13.	मध्य प्रदेश	752.60	765.68	706.51	93.88	664.40	88.28	101.28
14.	महाराष्ट्र	1182.75	1224.54	1194.70	101.01	1042.65	88.15	181.89
15.	मणिपुर	57.15	57.58	53.81	94.16	48.64	85.12	8.93
16.	मेघालय	53.15	53.69	49.47	93.08	49.47	93.08	4.22
17.	मिजोरम	38.10	38.30	36.06	94.64	36.11	94.77	2.20
18.	नागालैण्ड	38.10	38.18	33.10	86.88	33.10	86.88	5.08
19.	उड़ीसा	565.00	573.33	521.43	92.29	471.52	83.45	101.81
20.	पंजाब	357.55	363.69	339.12	94.85	299.71	83.82	63.98
21.	राजस्थान	646.25	654.55	610.27	94.43	566.38	87.64	88.18
22.	सिक्किम	38.10	38.63	36.12	94.80	32.37	84.96	6.26
23.	तमिलनाडु	1067.35	1090.65	1029.52	96.46	998.55	93.55	92.10
24.	त्रिपुरा	56.15	56.37	53.17	94.69	47.99	85.47	8.38
25.	उत्तर प्रदेश	2067.70	2091.35	1890.87	91.45	1794.28	86.78	297.06
26.	पश्चिम बंगाल	933.35	955.76	923.40	98.93	805.71	86.32	150.05
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	19.05	19.50	17.12	89.88	17.42	91.46	2.08
28.	चण्डीगढ़	19.05	19.54	17.50	91.84	17.30	90.82	2.24
29.	दादरा एवं नगर हवेली	17.05	17.61	16.38	96.05	15.76	92.43	1.85
30.	दमन एवं दीव	19.05	19.20	17.52	91.96	16.58	87.04	2.62
31.	दिल्ली	157.95	162.19	155.19	98.25	134.51	85.16	27.68
32.	लक्षद्वीप	15.05	16.37	12.47	82.83	11.26	74.84	5.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	पांडिचेरी	33.10	35.71	36.12	109.12	27.76	83.87	7.95
34.	छत्तीसगढ़	280.65	284.29	261.53	93.19	250.20	89.15	34.09
35.	उत्तरांचल	131.25	132.90	117.78	89.74	108.19	82.43	24.71
36.	झारखंड	302.75	307.53	283.64	93.69	263.66	87.09	43.86
	कुल:	14058.80	14343.91	13446.99	95.65	12283.26	87.37	2060.65

चिकित्सीय उपचार की अधिक लागत

440. **श्री डी. विट्ठल राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिकित्सीय उपचार की अधिक लागत ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता का एक कारण है जैसा कि दिनांक 27 मार्च, 2005 के हिन्दू में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चिकित्सीय उपचार की लागत को कम करके उसे ग्रामीणों द्वारा वहन करने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) उच्च लागत वाला प्राईवेट चिकित्सा उपचार ग्रामीण लोगों के ऋणी होने का एक कारण हो सकता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट, 1995-96 में यह आकलन किया गया है कि ग्रामीण जनता सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में उपचार के लिए औसतन 2,080 रुपए और प्राइवेट क्षेत्र के अस्पतालों में औसतम 4300 रुपए खर्च करती है।

(ङ) एक समुदाय आधारित सर्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा योजना देश के चुनिन्दा भागों में कार्यान्वयनाधीन है जो 30,000 रुपए तक का अस्पताली खर्च प्रदान करती है जिसके लिए 365 रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम देना होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य, मिशन कमजोर जन स्वास्थ्य सूचकों और/अथवा कमजोर स्वास्थ्य ढांचे वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे देश में ग्रामीण जनता को प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करता है। जन स्वास्थ्य मानक लागू काके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मानकीकृत करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सभी एक समान कार्यक्रमों को एकीकृत करना है और रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों को समुदाय द्वारा मॉनीटरिंग किए जाने तथा इसे जवाबदेह बनाए जाने का प्रस्ताव है। अनिवार्य औषधों, एलोपैथिक एवं आयुष दोनों, की आपूर्ति करके उप-केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। अनिवार्य औषधों की पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अपेक्षित विशिष्ट सुविधाओं से युक्त चल चिकित्सा यूनिटें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, अन्य व्यवस्था अर्थात् स्थानीय कार्य के लिए प्रति उपकेन्द्रों असम्बद्ध (अनटाइड) निधि, जहां आवश्यक हो वहां अतिरिक्त ए एन एम की व्यवस्था, महिला मान्य सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकता (आशा) की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर दूसरे डाक्टर की व्यवस्था और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या मानदण्डों को पूरा करने के लिए नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और मिशन अवधि के लिए उनकी आवर्ती लागत का वहन करने पर विचार यिका जाएगा। वास्तव में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी को लोगों की पहुंच में लाया जाएगा और इसे वहन किए जा सकने के लायक बनाया जाएगा।

[हिन्दी]

भारत और यूरोप के परमाणु संस्थानों के बीच समझौता

441. **श्री हरिभाऊ राठौड़ :**

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने यूरोप के एक परमाणु संस्थान के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते के क्या आधार हैं;

(घ) उक्त समझौते के बाद अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) द्वारा किया जाता है, ने वर्ष 1991 में "दि यूरोपियन आर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (सर्न)" के साथ एक सहकार-करार पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद, वर्ष 1996 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे जिससे भारत विश्व में बृहत कण त्वरक अर्थात् लार्ज हैड्रान कोलाइडर (एल एच सी) के निर्माण और उपयोग करने संबंधी कार्य में शामिल हो गया, इससे विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भौतिकी के अग्रणी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने में भाग लेने में सहायता मिली है।

(ग) यह करार पिछले दो दशकों तक भारतीय वैज्ञानिकों और 'सर्न' के बीच किए गए दीर्घकालीन सहकार का परिणाम था और इस करार ने विश्व के बृहत कण त्वरक के विकास और उपयोग में भावी सहकार हेतु एक नींव रखी थी।

(घ) भारत ने अनेक एल एच सी संघटकों के निर्माण में योगदान दिया है और यह दो संसूचकों नामतः संहत म्यूऑन सॉलेनायड (सी एम एस) और एक बृहत आँयन कोलाइडर एक्सपेरीमेंट (ऐलिस) के निर्माण कार्य में भी भाग ले रहा है। सभी कार्यकलापों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और भारत के योगदान की सब तरफ से सराहना की गई है।

[अनुवाद]

मोबाइल कनेक्शन की कमी

442. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर पश्चिमी बंगाल के बसीरहाट, उत्तरी 24 परगना जिले में मोबाइल कनेक्शन की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मोबाइल कनेक्शन की कमी को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) देश भर में, मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए, भारत संचार निगम लि./महानगर टेलीफोन निगम लि. के अलावा निजी मोबाइल प्रचालक भी हैं। किसी भी निजी मोबाइल सेवा प्रदाता से मोबाइल कनैक्शनों की अत्यधिक कमी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, नेटवर्क क्षमता संबंधी दिक्कतों के कारण देश के कुछ क्षेत्रों में भारत संचार निगम लि. के मोबाइल कनैक्शन फिलहाल जारी नहीं किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत संचार निगम लिमिटेड अपने मोबाइल नेटवर्क में लगभग 14 मिलियन लाइनों की वृद्धि कर रहा है। जहां तक बसीरहाट का संबंध है, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा मोबाइल क्षमता 4200 लाइनों से बढ़ाकर 5200 लाइनें की जा चुकी है तथा वहां पर जून, 2005 से नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारत संचार निगम लिमिटेड ने बसीरहाट में अपने मोबाइल नेटवर्क में दिसम्बर, 2005 तक 4000 लइनों तक वृद्धि करने हेतु कार्रवाई शुरू की है।

नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की शुरूआत

443. श्री के. सुब्बारायण :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2005 शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित नीति का आशय एक ऐसी व्यापक नीति तैयार करना है, जिसमें अभिगम्यता, स्पेक्ट्रम आबंटन, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, विनियमों को हटाना/और सरल बनाना, मूल्य वर्धित सेवाओं तथा सेवा की गुणवत्ता आदि के साथ-साथ दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाए। इस नीति का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न प्रमुख स्टेकहोल्डरों से उनके विचार आमंत्रित किए गए हैं।

मधुमेह रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं

444. श्री ह्रितेन बर्मन :
श्री सुब्रत बोस :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर पश्चिमी बंगाल में मधुमेह रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में मधुमेह रोगियों की कुल संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा मधुमेह रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) प्रत्येक राज्य में रोग से निपटने हेतु बजट में कुल कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(छ) उन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जिनमें मधुमेह रोगी नि:शुल्क उपचार करा सकते हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (छ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश के खासकर शहरी क्षेत्रों में मधुमेह की व्याप्तता में वृद्धि दर्शाने वाला जानपदिक रोग संबंधी प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संशोधित अनुमान के अनुसार देश में मधुमेह के 32 मिलियन रोगी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 80 मिलियन मधुमेह रोगी होंगे।

देश के खासकर शहरी क्षेत्रों में मधुमेह की व्याप्तता में वृद्धि दर्शाने वाला जानपदिक रोग संबंधी प्रमाण शायद, अधिक उम्र, अस्वस्थ आहार, मोटापा, आरामदायक जीवन शैली और रोग का पता लगाने संबंधी बेहतर सुविधाओं के कारण है।

मधुमेह का उपचार, ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली और शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में सभी स्तरों पर किया जाता है। क्योंकि मधुमेह जीवन शैली से जुड़ा एक रोग है इसलिए देश में बच्चों और वयस्कों में मधुमेह के नियंत्रण हेतु रोग की रोकथाम वाली जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है। इस रोग से बचाव वाली जीवन शैली के लिए किए जाने वाले उपायों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो सहित सरकार के सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्य-कलापों के जरिए जोर दिया जाता है। इस घटक को राष्ट्रीय मधुमेह एवं हृदयवाहिका रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल किया गया है जिसके लिए इस मंत्रालय ने योजना आयोग से सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदन मांगा है।

[हिन्दी]

बिहार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकार में ली जाने वाली सड़कें

445. श्रीमती रंजीत रंजन : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर बिहार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) द्वारा वर्ष 2000 से 2004-05 तक कितनी सड़कें अपने अधिकार में ली गई और जिला-वार उनके नाम और उनकी लंबाई किलोमीटर में कितनी है;

(ख) क्या अपने कब्जे में ली गई सड़कों की अब तक मरम्मत नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी सड़कों की मरम्मत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) राज्य लोक निर्माण विभागों द्वारा 4/6 लेन बनाने का कार्य शुरू करने से पहले सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। निर्माण अवधि में, सिविल कार्य ठेकेदारों के माध्यम से सड़कों का अनुरक्षण किया जाता है। कार्य पूरा होने के पश्चात् सड़कों का अनुरक्षण प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकों के माध्यम से किया जाता है।

विवरण

क्रम सं.	रा रा सं.	जिला	लंबाई (कि.मी. में)
1	2	3	4
तमिलनाडु			
1.	7	कृष्णागिरि	19.2
2.	7	धरमपुरी	50.2
3.	7	सलेम	54.2
4.	7	नमक्कल	61
5.	7	करूर	66.4
6.	7	डिंडीगुल	64.0
7.	7	मदुरै	55.2
8.	7	विरूधनगर	50.80
9.	7	तूथूकोडी	39.80
10.	7	तिरुनेलवेली	96.20
11.	7	कन्याकुमारी	7.20
12.	7ए	तिरुनेलवेली	10.88
13.	7ए	तूथूकोडी	40.22
14.	45बी	त्रिचुरापल्ली, शिवगंगई, मदुरै	125
15.	47	सलेम	45.0
16.	47	नमक्कल	12.0
17.	47	इरोड	43.0
18.	47	कोयम्बतूर	82.0
19.	45	चेन्नई	11.7
राजस्थान			
1.	76	उदयपुर	154.275
2.	76	चित्तौड़गढ़	131
3.	76	भीलवाड़ा	43
4.	76	बूंदी	40
5.	76	कोटा	60
6.	76	बारन	141
7.	76	सिरोहई	21.4
8.	14	सिरोहई	60
9.	8	जयपुर	97.3
10.	8	अजमेर	27.88
11.	79ए	अजमेर	35
12.	79	अजमेर	55
13.	79	भीलवाड़ा	50
14.	79	चित्तौड़गढ़	63
असम			
1.	31सी	कोकाझार. बोनागईगांव	93

1	2	3	4
2.	31	बरपेटा, नलबारी, कामरूप	163
3.	37	कामरूप, मोरीगांव, ननगांव	120.605
4.	36	नगांव	38
5.	54	नागौन, एन सी हिल्स, कचर	309
	पश्चिम बंगाल		
1.	2	हावड़ा जिला	0.273
2.	2	उत्तरी 24 परगना	2
3.	41	पूर्व मिदनापुर	52.7
4.	31	उत्तर दिनाजपुर, दार्जलिंग, जलपाईगुडी	134
5.	31सी	जलपाईगुड़ी, कूचबिहार	149.5
	महाराष्ट्र		
1.	7	नागपुर	117
2.	7	वर्धा	64.5
3.	7	यवतमल	65.6
4.	4बी	रायगढ़	26.427
5.	4	रायगढ़	3.5
	मध्य प्रदेश		
1.	3	मुरैना	43.00
2.	75	ग्वालियर	85
3.	26	सागर	155.30
4.	26	नरसिंहपुर	90
5.	7	सिवनी	133.5
6.	76	शिवपुरी	31

1	2	3	4
7.	25	शिवपुरी	83.3
8.	25	दतिया	3.3
	दिल्ली		
1.	1	दिल्ली उत्तर	8
2.	1	दिल्ली उत्तर पश्चिम	13.10
	आंध्र प्रदेश		
1.	7	अदिलाबाद	109.4
2.	7	निजामाबाद	113.2
3.	7	मेडक	48.8
4.	7	महबूब नगर	168.2
5.	7	कुरनूल	90.0
6.	7	अनंतपुर	170.60
	गोवा		
1.	17बी	दक्षिणी गोवा	20.5
	कर्नाटक		
1.	7	कोलार	53.40
2.	7	बंगलौर देहात	4.5
3.	7	बंगलौर शहर	13
4.	17	दक्षिण कन्नड	17.3
5.	48	दक्षिण कन्नड	17
6.	13	दक्षिण कन्नड़	1.1
7.	4	बंगलौर देहात	21.5
	उड़ीसा		
1.	5ए	जाजपुर	21
2.	5ए	केंद्रपाड़ा	45

1	2	3	4
3.	5ए	जगतसिंहपुर	11
	केरल		
1.	47	पलक्कड़	66.675
2.	47	त्रिसूर	63.525
3.	47	इर्णाकुलम	39.85
	बिहार		
1.	28	गोालगंज	63
2.	28	पूर्वी चंपारन	64
3.	28	मुजफ्फरपुर	33
4.	57	मुजफ्फरपुर	43.80
5.	57	दरभंगा	38.20
6.	57	मधुबनी	57
7.	57	सुपोल	81
8.	57	अररिया	68
9.	57	पूर्णिया	22
10.	57ए	अररिया	10
11.	28ए	पूर्वी चंपारन	66.70
12.	31	पूर्णिया, कटिहार	28
	उत्तर प्रदेश		
1.	28	लखनऊ	16.7
2.	28	बाराबंकी	75.3
3.	28	फैजाबाद	46
4.	28	गोंडा	5.4
5.	28	बस्ती	68.6
6.	28	संतकबीर नगर	28.6
7.	28	गोरखपुर	46.8
8.	28	कुशीनगर	70.53
9.	28	देवरिया	2.64
10.	28सी	बाराबंकी	92
11.	28सी	बहराइच	58.80
12.	29	गोरखपुर	49.40
13.	29	महाराजगंज	55
14.	24	गाजियाबाद	34.5
15.	24	ज्योतिबा फूले नगर	52.5
16.	24	मुरादाबाद	4.25
17.	25	झांसी	90
18.	25	जालौन	75
19.	25	कानपुर देहात	10
20.	25	कानपुर शहर	3.720
21.	25	उन्नाव	49
22.	25	लखनऊ	27.930
23.	3	आगरा	31
24.	75	झांसी	18
25.	26	झांसी	38.40
26.	26	ललितपुर	93.30
	हरियाणा		
1.	1	सोनीपत	36.7

1	2	3	4
2.	1	पानीपत	35
3.	1	करनाल	51
4.	1	कुरुक्षेत्र	36
5.	1	अंबाला	23
	पंजाब		
1.	1ए	जालंधर	29.57
2.	1ए	होशियारपुर	51
3.	1ए	गुरदासपुर	18.885
4.	1	पटियाला	33
5.	1	फतेगढ़	23
6.	1	लुधियाना	59
7.	1	जालंधर	26
8.	1	कपूरथला	16
	हिमाचल प्रदेश		
1.	1ए	कांगड़ा	11.075
	गुजरात		
1.	14	बनासकांटा	140.6
2.	14	पाटन	11
3.	15	पाटन	67.350
4.	15	कच्छ	73.950
5.	8ए	कच्छ	82.070
6.	8ए	राजकोट	97.490
7.	8बी	पोरबंदर	60
8.	8बी	राजकोट	123.00

[अनुवाद]

दसवीं योजना की विकास दर

446. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार देश में विकास दर की वर्तमान गति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाने का है ताकि कम से कम 6.1 प्रतिशत के विकास दर को प्राप्त किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-सी विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं;

(घ) विकास की दर गिरती प्रवृत्ति के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस गिरती प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार योजना के पहले तीन वर्षों के लिए विकास दर 6.5% अनुमानित की गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। मध्यावधि मूल्यांकन में योजना के आखिरी दो वर्षों में लगभग 7.5% औसत विकास दर का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित उपायों पर दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन में, जो कि संसद पुस्तकालय में रख दिया गया है, चर्चा की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) अर्थव्यवस्था की चालू विकास दर में कोई कमी नहीं आई है। तथापि, कृषि क्षेत्रक में विकास दर में उतार-चढ़ाव की वजह से मुख्यत: एक वर्ष से दूसरे वर्ष में विकास दर में उतार-चढ़ाव आता है।

लैंडलाइन काल और रोमिंग की सस्ती दरें

447. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि सरकार का विचार स्थानीय लैंडलाइन काल और मोबाइल रोमिंग काल की सस्ती दरें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क (टैरिफ) अब भारतीय विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा विनियमित किए जाते हैं। ट्राई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल(एफ) और मोबाइल सेवाओं के रोमिंग प्रभारों सहित, टेलीफोन सेवाओं के लिए मासिक किराए, निःशुल्क कालों की संख्या और काल प्रभारों को छोड़कर, अन्य प्रशुल्कों के मामले में ट्राई द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। तदनुसार, बीएसएनएल तथा एमटीएनएल सहित, सभी सेवा प्रदाता, समय-समय पर अपने प्रशुल्क निर्धारित करते हैं।

फिलहाल, उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों कंपनियों के लैंडलाइन काल प्रभारों और मोबाइल रोमिंग प्रभारों को और सस्ता करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इन दोनों कंपनियों में स्थानीय लैंडलाइन काल प्रभार और मोबाइल रोमिंग प्रभार पहले ही कम हैं।

डाक नेटवर्क का पुनर्गठन

448. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में डाक नेटवर्क के पुनर्गठन पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य ग्लोबल कन्सल्टेंट के.पी.एम.जी. को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो के.पी.एम.जी. को दिए गए अधिदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुनर्गठन के बाद डाक उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो डाक नेटवर्क के इस पुनर्गठन से लोगों को कितना लाभ होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) मैसर्स केपीएमजी की सेवाओं द्वारा डाक विभाग का एक प्रणाली अध्ययन शुरू किया जा रहा है जिसका कार्य आधारभूत डाक सेवाओं तक देश के नागरिकों की अधिकाधिक पहुंच बनाने के अपने विश्व सेवा दायित्व (यूएसओ) को निभाते हुए, डाक प्रणाली के लिए वाणिज्यिक वातावरण में प्रतिस्पर्द्धा करने हेतु उपलब्ध विकल्पों को अभिज्ञात करना है। यह अध्ययन दसवीं योजना के उन दिशानिर्देशों के अनुरूप शुरू किया गया है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षित है कि डाक विभाग को योजना अवधि के अंत तक आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और गैर-विश्व सेवा दायित्व की सेवाओं के मूल्यों को वाणिज्यिक आधार पर निर्धारित करना चाहिये। यह अध्ययन अभी चल रहा है।

[हिन्दी]

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य

449. **श्री गणेश सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार विकास दर क्या है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य क्या है;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसे कितने अवसर आए हैं जब लक्षित विकास दर घटी या बढ़ी थी;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए विकास दर का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) विकास दर की गिरावट के क्या कारण हैं;

(च) क्या गिरती विकास दर को रोकने और लक्षित विकास दर को हासिल करने हेतु कोई विशेष योजना बनाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए विकास दर 6.5 प्रतिशत अनुमानित की गई है।

(ख) दसवीं योजना के लिए लक्षित विकास दर 8.1 प्रतिशत थी।

(ग) लक्षित विकास दर में संशोधन, यदि आवश्यक हुआ तो, केवल योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में ही किया जाता है।

(घ) योजना के लिए 7 प्रतिशत की समग्र विकास दर को देखते हुए योजना (2005-07) के अंतिम दो वर्षों में जी डी पी विकास दर लगभग 7.5% हो सकती है।

(ङ) विकास दर (लक्षित की तुलना में) में गिरावट का मुख्य कारण कृषि क्षेत्रक की लक्षित विकास दर प्राप्त करने में असमर्थता थी। 4 प्रतिशत लक्षित विकास दर की तुलना में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों द्वारा दसवीं योजना में 2.2% विकास दर प्राप्त करने की संभावना है।

(च) और (छ) विकास दर बढ़ाने हेतु प्रतिपादित की जाने वाली स्कीमें/कार्यक्रमों की सूची दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के मध्यावधि मूल्यांकन में दी गई है जिसे संसद के पुस्तकालय में रख दिया गया है।

[अनुवाद]

डाकघरों की स्थापना

450. श्री पवन कुमार बंसल :
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 5000 से भी अधिक ग्राम पंचायत गांव, कई शहरी संकुल और कार्यालयी स्तर से विकसित क्षेत्रों में डाक घर नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों में डाक सुविधाओं के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार कितने नए डाकघरों की योजना बनाई गई है और वास्तव में कितने डाकघर खोले गए हैं; और

(घ) सभी गांवों और मौजूद नगरों के विस्तार क्षेत्रों में डाकघरों की सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) डाकघर केवल दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंडों के पूरा होने के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में से सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में डाकघरों को 66 2/3% सब्सिडी और पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों के मामले में 85% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि सभी शहरी डाकघरों के लिए वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। मानदंडों को पूरा करने वाले स्थानों पर दूरी संबंधी मानदंड के मद्देनजर कर्मचारियों को पुनर्तैनाती और मौजूदा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के माध्यम से डाकघर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किफायती तरीकों से डाकघर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास भी जारी हैं। ये उपाय 10वीं योजना में निहित नीति निर्देशों के अनुरूप हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्यों और वास्तव में खोले गए डाकघरों का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) डाकघर निर्धारित मानदंडों के पूरा होने के आधार पर खोले जाते हैं। अतः इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान डाकघर खोलने के सर्किलवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र. सं.	सर्किल	2002-2003				2003-2004				2004-2005
		योजना के अंतर्गत खोले गए डाकघरों का ब्यौरा				योजना के अंतर्गत खोले गए डाकघरों का ब्यौरा				पुनर्स्थापना/पुनर्तैनाती के माध्यम से खोले गए औचित्यसम्मत विभागीय उप डाकघरों की संख्या
		ईडीबीओ		डीएसओ		ईडीबीओ		डीएसओ		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	शून्य	शून्य	[illegible]	2	1	1	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	असम	15	15	1	1	14	14	1	1	शून्य
3.	बिहार	15	15	शून्य	शून्य	15	15	1	शून्य	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	20	20	1	1	16	16	1	1	शून्य
5.	दिल्ली	1	1	1	1	1	1	शून्य	शून्य	1
6.	गुजरात	15	15	शून्य	शून्य	10	9	1	1	शून्य
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	1	1	2	2	1	1	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2	शून्य	शून्य	2	2	1	1	शून्य
9.	जम्मू-कश्मीर	5	5	शून्य	शून्य	7	7	1	1	शून्य
10.	झारखण्ड	10	8	शून्य	शून्य	6	6	1	1	शून्य
11.	कर्नाटक	9	8	1	1	4	4	1	1	4
12.	केरल	2	2	1	1	6	6	1	1	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	14	16	1	1	15	15	1	1	शून्य
14.	महाराष्ट्र	30	30	8	8	25	25	2	2	6
15.	उत्तर पूर्व	9	9	1	1	10	10	1	1	3
16.	उड़ीसा	10	10	1	1	6	6	1	1	3
17.	पंजाब	5	5	1	1	5	5	शून्य	शून्य	21
18.	राजस्थान	18	18	2	2	15	15	1	1	2
19.	तमिलनाडु	5	5	1	1	6	6	1	1	शून्य
20.	उत्तर प्रदेश	18	18	1	1	20	20	1	1	शून्य
21.	उत्तरांचल	4	4	शून्य	शून्य	5	5	शून्य	शून्य	शून्य
22.	पश्चिम बंगाल	39	32	2	2	6	6	शून्य	शून्य	1
23.	सिक्किम	1	शून्य	1	1	2	2	1	1	शून्य
	कुल	250	241	25	25	200	199	20	19	41

ईडीबीओ—अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, डीएसओ—विभागीय उप डाकघर

पाकिस्तान के साथ बस-सेवा का समझौता

451. डा. रतन सिंह अजनाला :
श्री राजेन्द्र कुमार :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा :
श्री सुब्रत बोस :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में अमृतसर और लाहौर के बीच तथा ननकाना साहिब जैसे धार्मिक स्थानों तक शीघ्र बस सेवा शुरू करने हेतु भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और उन प्रत्येक मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई;

(घ) क्या सरकार ने तीर्थयात्रियों के लाभ के लिए कारगिल-स्कर्दु और कैलाश-मानसरोवर सड़कों को खोलने हेतु प्रयास किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या पाकिस्तान ने कश्मीर सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत का प्रस्ताव पेश किया है जैसाकि दिनांक 14 जून, 2005 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच मई, 2005 को अमृतसर-लाहौर/ननकाना साहिब बस सेवा पर हुई प्रथम तकनीकी वार्ता के दौरान, दोनों देशों ने अमृतसर-लाहौर बस के प्रचालन की रूप रेखा पर चर्चा की, और सिद्धांत रूप में अमृतसर ननकाना साहिब बस सेवा प्रारंभ करने पर सहमत हुए।

(ग) हाल के महीनों के दौरान, पाकिस्तान के साथ विभिन्न अन्य मसलों पर चर्चा हुई, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, नियंत्रण रेखा के पार कार्यकलाप और सहयोग; 1 जनवरी, 2006 तक खोखरापार-मुन्नाबाओ मार्ग की पुनः स्थापना करना; इस चालू वर्ष के अंत से पूर्व क्रमशः मुम्बई और कराची में दोनों देशों के प्रधान कोंसलावास खोलना; बन्दियों की स्थिति में सुधार करना; ईरान-पाकिस्तान-भारत-पाइपलाईन परियोजना को आगे बढ़ाना; संयुक्त आयोग को यथाशीघ्र पुनः सक्रिय करना और संयुक्त व्यापार परिषद की शीघ्र बैठक बुलाना आदि शामिल है।

(घ) और (ङ) अप्रैल, 2005 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ की भारत की यात्रा के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कारगिल स्कार्दु आरंभ करने का प्रस्ताव किया था। पाकिस्तान के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है। भारत ने चीन के समक्ष भी कई अवसरों पर कैलाश-मानसरोवर का वैकल्पिक मार्ग खोलने का प्रस्ताव रखा था। सरकार दोनों देशों के साथ ऊपर उल्लिखित मार्गों को खोलने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

(च) और (छ) सरकार पाकिस्तान के साथ, आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में, जम्मू और कश्मीर के मसले सहित, वर्तमान विश्वासोत्पादक प्रक्रिया को जारी रखने और किसी भी अनसुलझे द्विपक्षीय मसले पर विचार-विमर्श करने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

452. डा. राजेश मिश्रा :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार लंबाई, उनकी वर्तमान स्थिति और उनके पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है, निर्माणाधीन मार्गों की लंबाई कितनी है तथा उनके निर्माण कार्य के शुरू होने एवं पूरा होने की तिथि क्या है;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण निर्धारित समय के अनुसार पूरा हो जाए;

(ग) शेष मार्गों के निर्माण कार्य को शुरू करने हेतु कोरिडोर-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या उक्त निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य तिथि के भीतर पूरा हो जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यह सड़क की स्थिति, यातायात के स्तर, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों जहां विकास कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं, के राज्यवार ब्यौरे और उनके पूरा होने की लक्ष्य तारीख संलग्न विवरण-I में दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई और ऐसे कार्यों जिन्हें अभी प्रारंभ किया जाना है, के संबंध में उनके प्रारंभ और पूरा होने की संभावित तारीख संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(ख) सरकार तिमाही क्रिटीकल समीक्षा के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखती है तथा समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों के तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्ति, अंतर मंत्रालयी और केंद्र-राज्य से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति के गठन जैसे उपाय भी किए हैं। सरकार ने निर्धारित समय सीमा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों का पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों की शेष लंबाई में सुधार कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम महामार्ग में शामिल किए गए हैं और इन्हें 2005-06 तक सौंप दिए जाने तथा मार्च, 2008 तक काफी हद तक पूरे कर लिए जाने का लक्ष्य है।

विवरण-I

चालू कार्य

क्र. सं.	राज्य	निर्माणाधीन लंबाई (कि.मी.)	पूरा करने की लक्ष्य तारीख
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	380.40	सितम्बर, 2005 से मार्च, 2007
2.	अरुणाचल प्रदेश	64.00	जनवरी, 2006 से फरवरी, 2007
3.	असम	996.00	सितम्बर, 2005 से सितम्बर, 2007
4.	बिहार	496.94	मार्च, 2007
5.	चंडीगढ़	5.00	सितम्बर, 2005 से मार्च, 2006
6.	छत्तीसगढ़	712.88	अगस्त, 2005 से जनवरी, 2008
7.	दिल्ली	31.00	दिसंबर, 2005 से मार्च, 2007
8.	गोवा	44.00	अगस्त, 2005
9.	गुजरात	776.30	मार्च, 2007 से नवम्बर, 2007
10.	हरियाणा	251.00	सितम्बर, 2005 से मार्च, 2007
11.	हिमाचल प्रदेश	229.00	सितम्बर, 2005 से मार्च, 2007
12.	जम्मू-कश्मीर	213.00	दिसंबर, 2007
13.	झारखंड	274.93	मार्च, 2007
14.	कर्नाटक	572.58	सितम्बर, 2005 से दिसंबर, 2007
15.	केरल	335.00	सितम्बर, 2005 से मार्च, 2007
16.	मध्य प्रदेश	730.51	अगस्त, 2005 से जनवरी, 2006
17.	महाराष्ट्र	335.18	नवंबर/दिसंबर, 2005 से अक्तूबर, 2007

1	2	3	4
18.	मणिपुर	326.49	सितम्बर, 2005 से मार्च, 2009
19.	मेघालय	265.62	जून, 2005 से मार्च, 2007
20.	मिजोरम	254.50	जून, 2005 से मार्च, 2007
21.	नागालैंड	134.00	सितम्बर, 2005 से मार्च, 2007
22.	उड़ीसा	694.39	सितम्बर, 2005 से जून, 2006
23.	पांडिचेरी	9.00	जुलाई, 2005 से मार्च, 2007
24.	पंजाब	202.00	सितम्बर, 2005 से मार्च, 2007
25.	राजस्थान	802.52	मार्च, 2007 से सितम्बर, 2007
26.	तमिलनाडु	626.90	मई, 2005 से अक्तूबर, 2007
27.	त्रिपुरा	191.00	मार्च, 2008
28.	उत्तरांचल	356.44	मार्च, 2009
29.	उत्तर प्रदेश	1696.01	अप्रैल, 2005 से मई, 2007
30.	पश्चिमी बंगाल	393.00	जुलाई, 2005 से सितम्बर, 2007

विवरण-II

अभी प्रारंभ होने वाले कार्य

क्र. सं	राज्य	निर्माणाधीन लंबाई (कि.मी.)	कार्य प्रारंभ होने की संभावित तारीख	पूरा करने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	896.00	दिसंबर, 2005 से जनवरी, 2006	मार्च, 2006 से मार्च, 2008
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	मार्च, 2006	मार्च, 2009
3.	असम	338.00	अगस्त/सितंबर, 2005	अग., 2006 से मार्च, 09
4.	बिहार	489.24	सितम्बर, 2005	मार्च, 2007
5.	छतीसगढ़	61.70	अक्तूबर/नवम्बर, 2005	मार्च, 2007
6.	दिल्ली	2.30	अगस्त, 2005 से दिसंबर, 05	मार्च, 2007 से जून, 07
7.	गोवा	7.00	नवम्बर, 2005	मार्च, 2006
8.	गुजरात	121.70	सितंबर, 2005 से दिसंबर, 2005	मार्च, 2007
9.	जम्मू-कश्मीर	329.70	नवंबर, 2005	दिसंबर, 2007

1	2	3	4	5
10.	झारखंड	35.43	सितंबर, 2005	मार्च, 2007
11.	हरियाणा	91.55	सितंबर, 2005 से दिसंबर, 05	मार्च, 2006 से मार्च, 07
12.	हिमाचल प्रदेश	77.37	सितंबर, 2005 से दिसंबर, 05	मार्च, 2006 से मार्च, 07
13.	कर्नाटक	290.00	दिसंबर, 2005 से जनवरी, 06	मार्च, 2006 से मार्च, 08
14.	केरल	281.40	दिसंबर, 2005 से जनवरी, 06	मार्च, 2006 से मार्च, 08
15.	मध्य प्रदेश	507.60	मार्च, 2006	मार्च, 2008
16.	महाराष्ट्र	573.70	अगस्त-दिसंबर, 2005	मार्च, 2006
17.	मणिपुर	48.00	अक्तूबर, 2005 से मार्च, 2006	दिसं; 2006 से मार्च, 08
18.	मिजोरम	35.00	मार्च, 2006	मार्च, 2009
19.	मेघालय	18.62	अगस्त, 2005 से मार्च, 2006	जून, 2007 से मार्च, 08
20.	नागालैंड	23.00	अगस्त, 2005 से मार्च, 2006	सितं., 2006 से मार्च, 08
21.	उड़ीसा	139.40	अगस्त, 2005 से अक्तूबर, 2005	मार्च, 06 से अक्तू. 07
22.	पंजाब	100.73	सितंबर, 2005 से दिसंबर, 2005	मार्च, 06 से मार्च, 2007
23.	राजस्थान	134.00	अक्तूबर, 2005	मार्च, 2006
24.	तमिलनाडु	413.30	मार्च, 2006	मार्च, 2008
25.	त्रिपुरा	50.00	मार्च, 2006	मार्च, 2009
26.	उत्तर प्रदेश	631.40	जुलाई, 2005 से सितंबर, 05	दिसं., 2005 से दिसं., 06
27.	उत्तरांचल	45.00	अक्तूबर, 2005	मार्च, 2008
28.	पश्चिम बंगाल	226.85	मार्च, 2006	मार्च, 2008

पत्तनों का खोला जाना

453. श्री वी.के. तुम्मर :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तन सुविधा की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु नए पत्तनों को खोलने की व्यवहार्यता निर्धारित करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) उक्त अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले और नए पत्तनों के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) खोले जाने वाले नए पत्तनों के नाम क्या हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) महापत्तनों के बारे में कुछ ही समय पहले ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं करवाया गया है। महापत्तनों के सिवाय, अन्य पत्तनों के विकास का उत्तरदायित्व, संबंधित राज्य-सरकारों का है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी

454. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने 30 नवम्बर, 2003 को वर्ष 2005 तक 1,00,000 एच.आई.वी./एड्स के मामलों को स्ट्रक्चर्ड एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी के अंतर्गत लाने और उसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए 15-20 प्रतिशत अतिरिक्त मामलों को लाने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं कितना लक्ष्य हासिल किया गया;

(ग) क्या सरकार को ध्यान एच.आई.वी एंटी-रेट्रावायरल थेरेपी (ए.आर.टी.) तक वैश्विक पहुंच संबंधी डब्ल्यू.एच.ओ.-यू.एन.ए.आई.डी. एस. की रिपोर्ट की ओर आकर्षित कराया गया है जिसमें यह व्यक्त किया गया है कि भारत में ए.आर.टी. कवरेज सिर्फ 4-9 प्रतिशत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस घातक रोग से लड़ने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) सरकार ने रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा शुरू करने के लिए एक योजना घोषित की थी। तदनुसार 1 अप्रैल, 2004 से पहले चरण में 8 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा शुरू की गई और वित्तीय वर्ष 2004-05 के अन्त तक लक्ष्य के अनुसार 25 रिट्रोवायरल-रोधी केन्द्र हैं। 1,00,000 रोगियों का लक्ष्य दिसम्बर, 2007 के लिए है न कि वर्ष 2005 के लिए।

(ख) वर्ष 2004-05 के लिए लक्ष्य 25 अस्पतालों में रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा शुरू करने का था जिसे प्राप्त कर लिया गया है। अब तक 25 अस्पतालों में 10,253 रोगियों को रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा पर रखा गया। रक्षा रेल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि जैसे अन्य सरकारी केन्द्रों से लगभग 9,000 अतिरिक्त रोगी रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा ले रहे हैं।

(ग) से (ङ) 1 जुलाई, 2005 को टाइम्स आफ इण्डिया में एड्स थेरेपी पर वैट संबंधी समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें डब्ल्यू एच ओ-यू.एन.ए. आई.डी.एस. रिपोर्ट को इंगित किया गया है। 7.35 लाख एड्स के रोगी रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, का आंकड़ा सही नहीं है। केवल छह राज्यों में ही रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा उपलब्ध है, यह भी सही नहीं है रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा इस समय 25 केन्द्रों के माध्यम से 13 राज्यों में उपलब्ध है। राज्यों द्वारा एड्स के कुल 1,03,837 रोगी होने की सूचना दी गई है।

(च) निम्नलिखित उपचारी उपाए किए गए हैं:-

- अगले 5 वर्षों की अवधि में 6 उच्च व्याप्तता दर वाले राज्यों और दिल्ली में 188 केन्द्रों के माध्यम से 1,80,000 रोगियों को रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा सेवाएं देने के लिए सरकार ने जी.एफ.ए.टी.एम. दौर के लिए चार रिट्रोवायरल-रोधी परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

- अन्य राज्यों में भी रिट्रोवायरल-रोधी सेवाएं बढ़ाई जा रही हैं विद्यमान 25 रिट्रावायरल-रोधी केन्द्रों के अतिरिक्त 14 अतिरिक्त केन्द्रों की रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्सा को मंजूरी दी गई है और चालू वर्ष के अन्त तक कुल 100 केन्द्रों के माध्यम से रिट्रोवायरल-रोधी सेवाएं बढ़ाने की योजना बनाई गई है।

- नि:शुल्क रिट्रोवायरल-रोधी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में प्रचार किया जा रहा है।

– डाक्टरों, नर्सों और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है ताकि सभी केन्द्र रिट्रोवायरल-रोधी चिकित्स को कारगर ढंग से कार्यान्वित कर सकें।

– सी डी 4 परीक्षण की सुविधा प्रदान करके प्रयोगशाला सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

नए मेडिकल कालेजों की स्थापना

455. श्री प्रह्लाद जोशी :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री एम. शिवण्णा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों 2003-04 और 2004-05 के दौरान से अब तक नए मेडिकल कालेजों की स्थापना के उन प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक में सरकारी मेडिकल कालेजों की स्थापना के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कर्नाटक सरकार ने इस मामले में निर्णय पर पुनर्विचार हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (छ) नए मेडिकल कालेज खोलने के बारे में पिछले दो वर्षों से सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अर्हता संबंधी मानदण्ड को पूरा करने वाले सभी प्रस्ताव, जिनमें कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्ताव शमिल है, मूल्यांकन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेज दिए गए थे। कर्नाटक के कालेजों सहित संबंधित कालेजों की जांच/निरीक्षण के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने अपनी सिफारिश दे दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने कर्नाटक के कालेजों सहित कई मामलों में कुछ कमियों के कारण नए कालेज नहीं खोलने की सिफारिश की है। टिप्पणियों/कमियों पर राज्य सरकार के उत्तर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेज दिए गए थे जिसने अपने 11.7.2005 के पत्र में सूचित किया था कि महाविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति रिपोर्ट में जांच द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता है। चूंकि निरीक्षण एवं साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने की समय सीमा पूरी हो चुकी है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार समय-सीमा को बढ़ाने संबंधी मामला अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।

विवरण

वर्ष के दौरान मेडिकल कालेज खोलने के लिए लम्बित राज्यवार प्रस्ताव

क्र.सं.	प्रस्ताव
1	2
	2003-04
	तमिलनाडु
1.	चंदन नगर, तमिलनाडु में श्री कामकोटी पीठम चेरीटेबल ट्रस्ट कांचीपुरम तमिलनाडु में नया मेडिकल कालेज-प्रस्ताव भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में लम्बित
	2004-05
	आंध्र प्रदेश
1.	सी एस आई आरोग्य मेडिकल सेंटर चितूर, आंध्र प्रदेश में नया मेडिकल कालेज
2.	भगवान महावीर मेमोरियल ट्रस्ट, आंध्र प्रदेश द्वारा विकबाद आंध्र प्रदेश में नया मेडिकल कालेज
	असम
3.	डाउन टरउन चेरिटी ट्रस्ट, गुवाहाटी, पानीखेती असम द्वारा पोनीखेती, कामरूप में नया मेडिकल कालेज

1	2
4.	मनोनाइट् मेडिकल बोर्ड ट्रस्ट छत्तीसगढ़ द्वारा धामत्री में नया मेडिकल कालेज
	कर्नाटक
5.	बापूजी एजूकेशनल एसोसिएसन, कर्नाटक द्वारा देवनगिरी कर्नाटक में नया चिकित्सा महाविद्यालय, कर्नाटक
6.	कर्नाटक सरकार द्वारा रायचुर में नया चिकित्सा महाविद्यालय, कर्नाटक
7.	कर्नाटक सरकार द्वारा हसन में नया चिकित्सा महाविद्यालय, कर्नाटक
8.	कर्नाटक सरकार द्वारा मांइपा में नया चिकित्सा महाविद्यालय, कर्नाटक
9.	कर्नाटक सरकार द्वारा बेलगांव में नया चिकित्सा महाविद्यालय, कर्नाटक
10.	कर्नाटक सरकार द्वारा विदर में नया चिकित्सा महाविद्यालय, कर्नाटक
	केरल
11.	डा. के.एन. हर्ट फाउंडेशन, तिरूवनन्तपुरम द्वारा नया चिकित्सा महाविद्यालय
12.	सेफ डेवलेपमेंट अलमस ट्रस्ट द्वारा पलाकाड, केरल में नया महाविद्यालय
13.	श्री गोकुलम चिकित्सा महाविद्यालय एंड अनुसंधान प्रतिष्ठान, त्रिवेन्द्रम, केरल द्वारा बेंजरामूडु में नया चिकित्सा महाविद्यालय
	मणिपुर
14.	विशनपुर जिले में मेडिकल साइंस कालेज सोसाइटी, मीठापुर द्वारा नया मेडिकल कालेज
	नई दिल्ली
15.	आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा आर्मी कालेज आफ मेडिकल साईंसिज

1	2
	उड़ीसा
16.	शिक्षा-ओ-अनुसंधान, भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा भुवनेश्वर में नया मेडिकल कालेज
17.	कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भुवनेश्वर में नया मेडिकल कालेज
	पांडिचेरी
18.	श्री मानाकुला विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा कालिथिरथलकुप्पम, पांडिचेरी में नया मेडिकल कालेज
19.	श्री लक्ष्मी सम्माल एजुकेशनल, ट्रस्ट, चेन्नई द्वारा पांडिचेरी में नया मेडिकल कालेज
	तमिलनाडु
20.	तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु द्वारा नया मेडिकल कालेज, थेनी
	त्रिपुरा
21.	ग्लोबल एजुकेशन नेट, त्रिपुरा द्वारा अगरतला में नया मेडिकल कालेज
	उत्तरांचल
22.	श्री गुरू राम राय एजुकेशन मिशन, देहरादून, उत्तरांचल द्वारा देहरादून में नया मेडिकल कालेज
	उत्तर प्रदेश
23.	आल इंडिया चिल्ड्रन केयर एण्ड एजुकेशनल डवलपमेंट सोसाइटी, यू.पी. द्वारा आजमगढ़ यूपी में नया मेडिकल कालेज
24.	केरियर कानवेंट एजुकेशन एण्ड चेरीटेबल ट्रस्ट, यू पी द्वारा सीतापुर, लखनऊ में नया मेडिकल कालेज

खिलाड़ियों को सुविधाएं

456. श्री उदय सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले खिलाड़ियों को कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खेलकूद गतिविधियों में युवकों को प्रोत्साहित करने हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन खेल हस्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे और उन पुरस्कारों की श्रेणियां क्या. हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) भारत सरकार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को पूरा करती है:-

1. यात्रा लागत, भोजन/आवास, प्रवेश शुल्क, उपस्कर आदि को भाड़े पर लेने/परिवहन आदि के लिए विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तथा प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों को उपस्कर एवं वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित परिसंघों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रयोजन के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मान्यता प्राप्त अन्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान की गई है, इसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
2002-03	26.56
2003-04	36.43
2004-05	41.64

2. उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता तथा प्रशिक्षण तथा देश-विदेश में सहभागिता के लिए "प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजना", तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत खिलाड़ियों को भी सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजना के अंतर्गत 68 खिलाड़ियों को तथा एन.एस.डी.एफ. के अंतर्गत 31 खिलाड़ियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सहायता प्रदान की गई है।

3. ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेलों आदि जैसी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जेब खर्च, समारोह की पोशाक, प्रतियोगिता किट आदि के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

4. पोषण संबंधी आहार, खेल उपस्कर सहायता तथा खेलों को कैरियर के रूप में लेने के लिए उत्कृष्ट लड़कों एवं लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उन महिलाओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो खेलों से संबंधित विषयों में अनुसंधान कर रही हैं।

5. राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य, ध्यानचन्द तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं को विशेष पुरस्कार, जैसे पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं।

6. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जीवन-पर्यन्त पेंशन, जब वो 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं।

7. भारतीय खेल प्राधिकरण 8-25 वर्ष के आयु वर्ग में विभिन्न खेल विधाओं में प्रतिभा का पता लगाने के लिए फिलहाल पूरे देश में इसके क्षेत्रीय केन्द्रों/उप केन्द्रों के जरिए निम्नलिखित खेल संवर्धनकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, ताकि उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षित किया जा सके:-

– राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता

– सेना बाल खेल कंपनी

– विशेष क्षेत्र खेल

– भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र

– उत्कृष्टता केन्द्र

(ग) उपर्युक्त योजनाओं का तात्पर्य खेल गतिविधियों में युवाओं को प्रोत्साहित करना भी है। 2004 के दौरान 34 खिलाड़ियों ने आस्ट्रेलिया

में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा खेलों में भाग लिया। भारतीय खिलाड़ियों में 2 स्वर्ण, 4 रजत तथा 5 कांस्य पदक जीते।

(घ) उन खिलाड़ियों का ब्यौरा जिन्हें पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन खिलाड़ियों की सूची जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए थे

वर्ष	खिलाड़ी का नाम	खेल विधा
1	2	3
	राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता	
1999	श्री धनराज पिल्लै	हाकी
2000	श्री पुल्लेला गोपीचंद	बैडमिंटन
2001	श्री अभिनव बिन्द्रा	निशानेबाजी
2002	कु. के.एम. बीनामोल और श्रीमती अंजली वी. भगत (संयुक्त विजेता)	एथलेटिक्स निशानेबाजी
2003	सुश्री अंजू बाबी जार्ज	एथलेटिक्स
	द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता	
	वर्ष 1999	
1.	श्री कैनेथ ओवेन बोसेन	एथलेटिक्स
2.	स्वर्गीय कैप्टन हवा सिंह	मुक्केबाजी
3.	श्री अजय कुमार सिरोही	भारोत्तोलन
	वर्ष 2000	
1.	श्री एस.एम. आरिफ	बैडमिंटन
2.	श्री गुरदयाल सिंह भांगु	हाकी
3.	श्री फडके गोपाल पुरूषोत्तम	खो-खो

1	2	3
4.	श्री भूपिंदर धवन	पावरलिफ्टिंग
5.	श्रीमती हंसा शर्मा	भारोत्तोलन
	वर्ष 2001	
1	प्रो. सन्नी थामस	निशानेबाजी
2.	श्री माइकिल जोसेफ फरेरा	बिलियर्ड्स व स्नूकर
	वर्ष 2002	
1.	सुश्री रेणु कोहली	एथलेटिक्स
2.	श्री जसवंत सिंह	एथलेटिक्स
3.	श्री एम. के. कौशिक	हाकी
4.	श्री ई. प्रसाद राव	कबड्डी
5.	कमांडर एच.डी. मोतीवाला	यार्टिंग
	वर्ष 2003	
1.	श्री राबर्ट बाबी जार्ज	एथलेटिक्स
2.	श्री अनूप कुमार	मुक्केबाजी
3.	श्री राजिन्द्र सिंह	हाकी
4.	श्री सुखचेन सिंह चीमा	कुश्ती

अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता

वर्ष 1999

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	खेल विधा
1	2	3
1.	श्री गुलाब चंद	एथलेटिक्स
2.	श्रीमती गुरमीत कौर	एथलेटिक्स

1	2	3
3.	कै. रिस मेजर (रिटायर्ड) प्रद्युमन सिंह	एथलेटिक्स
4.	सुश्री सुनीता रानी	एथलेटिक्स
5.	श्री पुलेला गोपीचंद	बैडमिंटन
6.	श्री सज्जन सिंह चीमा	बास्केटबाल
7.	श्री गुरचरण सिंह	मुक्केबाजी
8.	श्री जितेन्द्र कुमार	मुक्केबाजी
9.	श्री चिरंजीव मिल्खा सिंह	गोल्फ
10.	श्री बलबीर सिंह खुल्लर	हाकी
11.	लै. क. (रिटायर्ड) हरिपाल कौशिक	हाकी
12.	श्री रमन दीप सिंह	हाकी
13.	श्री वी.जे. फिलिप्स	हाकी
14.	श्री बलविन्दर सिंह	कबड्डी
15.	श्री तीरथ राज	कबड्डी
16.	श्री जगजीत सिंह	रोइंग
17.	श्री विवेक सिंह	निशानेबाजी
18.	सुश्री निशा मिलेठ	तैराकी
19.	श्री सुखपाल सिंह	बालीबाल
20.	श्री दलवीर सिंह	भारोत्तोलन
21.	श्री अशोक कुमार	कुश्ती
22.	श्री आशिम मोंगिया	यार्टिंग
23.	श्री जी. वेंकटरवनअप्पा (शारीरिक विकलांग)	पेरालेजिक खेल
	वर्ष 2000	
1.	सुश्री के.एम. बीनामोल	एथलेटिक्स
2.	श्री बी.के. वेंकटेश प्रसाद	क्रिकेट
3.	श्री बलजीत सिंह सैनी	हाकी
4.	सुश्री तिंगोनलेयमा चानू	हाकी
5.	श्रीमती अंजली वेद पाठक भागवत	निशानेबाजी
6.	श्री अभिनव बिन्द्रा	निशानेबाजी
7.	श्री सेबेस्टियन जेवियर	तैराकी
8.	श्री जे. अभिजीत	तैराकी
9.	श्री रंधीर सिंह	कुश्ती
10.	श्री कृपा शंकर पटेल	कुश्ती
11.	श्री जार्ज थामस	बैडमिंटन
12.	श्री सी. हनप्पा	कबड्डी
13.	सुश्री एस. विजयलक्ष्मी	शतरंज
14.	सुश्री सनमांचा चानू थिंगबेजम	भारोत्तोलन
15.	श्री यादवेन्द्र वशिष्ठ	एथलेटिटक्स
16.	श्री विजय भालचन्द्र मुनेश्वर	एथलेटिक्स व पावर लिफ्टिंग
17.	डा. (सुश्री) कल्पना देवनाथ	जिम्नास्टिक
18.	ग्रुप कै. आर.एस. भोला	हाकी (पुरुष)
19.	श्री बाल किशन सिंह	हाकी (पुरुष)
20.	श्री जलालुद्दीन रिजवी	हाकी (पुरुष)
21.	सुश्री मधु यादव	हाकी (महिला)
22.	श्री गुरवीर सिंह संधू	निशानेबाजी
23.	स्वर्गीय श्री के.डी. जादव	कुश्ती

1	2	3
24.	श्री नरेश कुमार	कुश्ती
25.	श्री मिल्खा सिंह	एथलेटिक्स
26.	श्रीमती रचना गोविल	एथलेटिक्स
27.	श्रीमती विजयमाला वनोठ	एथलेटिक्स
28.	श्री अख्तर अली	टेनिस
29.	श्री पी.बी. रमण	वालीबाल
30.	श्री सुरेन्द्र सिंह कनवासी	रोइंग
31.	श्री जोगिन्दर सिंह बेदी	एथलेटिक्स
	वर्ष 2001	
1.	श्री परमिन्दर सिंह	बास्केटबाल
2.	श्री देवेन्द्र श्रीकांत जोशी	बिलियर्ड्स व स्नूकर
3.	श्री वी.वी.एस. लक्ष्मण	क्रिकेट
4.	श्री ब्रुनो कोटिन्हो	फुटबाल
5.	श्री दिलीप कुमार टिर्की	हाकी
6.	सुश्री सीता गुसांई	हाकी
7.	श्री बी.सी. रमेश	कबड्डी
8.	श्री कासम खान	रोइंग
9.	श्री समरेश जंग	निशानेबाजी
10.	श्री संदीप कीर्तने	टेनिस
11.	श्री अमीर सिंह	वालीबाल
12.	श्री रमेश कुमार	कुश्ती
13.	ले. कर्नल आर. महेश	यार्टिंग
14.	श्री के.आर. शंकर अय्यर	एथलेटिक (शारीरिक रूप से विकलांग)
	वर्ष 2002	
1.	श्रीमती अंजू बाबी जार्ज	एथलेटिक्स
2.	श्रीमती सरस्वती शाह	एथलेटिक्स
3.	श्री अलोक कुमार	बिलियर्ड्स व स्नूकर
4.	मो. अली कमर	मुक्केबाजी
5.	श्री के. शशिकरन	शतरंज
6.	श्री वीरेन्द्र सहवाग	क्रिकेट
7.	श्री इनीवालप्पील मनी विजयन	फुटबाल
8.	श्री शिव कपूर	गोल्फ
9.	श्री गगन अजीत सिंह	हाकी (पुरुष)
10.	श्रीमती ममता खरब	हाकी (महिला)
11.	श्री राम मेहर सिंह	कबड्डी
12.	श्री इंदर पाल सिंह	रोइंग
13.	श्री अनवर सुलतान	निशानेबाजी
14.	सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर	निशानेबाजी
15.	सुश्री मंटू घोष	टेबल टेनिस
16.	श्री रविकांत रेड्डी	वालीबाल
17.	श्री थंडवा मूर्ती मुत्तु	भारोत्तोलन
18.	श्री पलविन्दर सिंह चीमा	कुश्ती
19.	श्री सुजीत मान	कुश्ती

1	2	3
20.	श्री नीतिन मोंगिया	यार्टिग
21.	श्री रमेश टीकाराम	बैडमिंटन एवं एथलेटिक्स (विकलांग श्रेणी)
	वर्ष 2003	
1.	कुमारी सोमा विश्वास	एथलेटिक्स
2.	श्रीमती माधुरी सक्सेना	एथलेटिक्स
3.	श्री पंकज आडवानी	बिलियर्ड्स व स्नूकर
4.	कु. एम.सी. मेरीकाम	मुक्केबाजी
5.	कु. कोनेरु हम्पी	शतरंज
6.	श्री हर भजन सिंह	क्रिकेट
7.	कु. मिताली राज	क्रिकेट
8.	कैप्टन राजेश पट्टु	घुड़सवारी
9.	श्री देवेश चौहान	हाकी
10.	कु. सूरज लता देवी	हाकी
11.	श्री अकरम शाह	जूडो
12.	श्री संजीब कुमार	कबड्डी
13.	मेजर राज्य वर्धन सिंह राठौड़	निशानेबाजी
14.	श्री सोकिन्दर तोमर	कुश्ती
15.	श्री मडासू श्रीनिवास राव	बैडमिंटन (विकलांग श्रेणी)
	वर्ष 2002 से ध्यान चन्द पुरस्कार प्राप्तकर्ता	
	वर्ष 2002	
1.	सुश्री अपर्णा घोष	बास्केटबाल
2.	श्री साहू राज वी. विराजदार	मुक्केबाजी
3.	श्री अशोक दीवान	हाकी
	वर्ष 2003	
1.	श्री राम कुमार	बास्केटबाल
2.	श्री धर्म सिंह मान	हाकी
3.	श्री चार्ल्स कार्ननिलस	हाकी
4.	श्री ओम प्रकाश	वालीबाल
5.	सुश्री स्मिता सिरोल यादव	रोइंग
	वर्ष 2004	
1.	बिग्रे. (रिटायर्ड) लाभ सिंह	एथलेटिक
2.	श्री हरदयाल सिंह	हाकी
3.	श्री दिगम्बर पी. मेहेनडेल (शारीरिक विकलांग)	एथलेटिक

[हिन्दी]

भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन

457. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री सुब्रत बोस :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं, विशेषकर ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के घटिया प्रदर्शन के क्या कारण हैं;

(ख) भारत सरकार और खेलकूद संघ द्वारा ओलम्पिक खेलों में कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) वर्ष 2004 के ओलम्पिक खेलों में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया;

(घ) वर्ष 2004 के ओलम्पिक खेलों में प्रति खिलाड़ी और प्रति कोच औसतन कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ङ) क्या भारत सरकार ओलम्पिक खेलों की किसी भी प्रतियोगिता में किसी भी भारतीय खिलाड़ी को भली-भांति प्रशिक्षित न होने और प्रतियोगिता के योग्य न होने पर अगले दस वर्षों तक न भेजने के प्रस्ताव पर विचार करेगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा है। 1996 और 2000 के ओलंपिक में भारत ने केवल एक कांस्य पदक जीता था। 1984 और 1988 के ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीता जा सका था। एथेंस में 2004 में हुए पिछले ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी मेजर (अब लेफ्टि. कर्नल) आर.वी.एस. राठौर ने निशानेबाजी में एक रजत पदक जीता था। भारत की स्वतंत्रता से अब तक यह पहला अवसर है जब किसी खिलाड़ी ने व्यक्तिगत खेलों में रजत पदक जीता है। तीरंदाजी, निशानेबाजी तथा भारोत्तोलन की खेल विधाओं में भी भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के करीब थे। एथलेटिक्स की खेल विधाओं में खिलाड़ियों ने नये राष्ट्रीय रिकार्ड बनाये हैं।

(ख) सरकार ने ओलंपिक खेल, 2004 में भारतीय खिलाड़ी दल की सहभागिता के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आई.ओ.ए.) को 66.08 लाख रु. की कुल राशि स्वीकृत की थी, इसे सरकारी लागत पर क्लीयर किया था और व्यय के लिए निर्मलिखित मदों को अनुमोदित किया गया था:-

(1) खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को 50 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति/प्रति दिन की दर से जेब खर्च और सहायक कार्मिक को 40 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से जेब खर्च।

(2) भारतीय खिलाड़ी दल के लिए 10,000/-रु. प्रति व्यक्ति की दर से समारोह ड्रैस और दो युवा कैम्परों के लिए 7,500/-रु. प्रति व्यक्ति।

(3) 2500/-रु. प्रति खिलाड़ी की दर से प्रतियोगिता किट।

(4) 10,000/-रु. अमरीकी डालर रोइंग बोट का किराया।

(5) याटिंग बोट के लिए किराया और संबद्ध व्यय 18,700/- अमरीकी डालर।

(6) निशानेबाजी के अभ्यास के लिए गोला-बारूद-5,000/- अमरीकी डालर।

(7) 2 व्यक्तिक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षण भागीदारों के लिए 150 यूरो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से आवास और भोजन तथा हवाई पास लागत बशर्ते कि इन व्यक्तियों को किसी अन्य सरकारी योजनाओं से प्रशिक्षण शुल्क आदि के लिए सहायता भुगतान न किया जा रहा हो।

इसके अलावा, तीरंदाजी, हाकी, निशानेबाजी के खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त सामान, दोनों तरफ से, 20 किलोग्राम की दर से और भारतीय खिलाड़ी दल के शेष खिलाड़ियों के लिए, दोनों तरफ से, 10 किलोग्राम की दर से भी स्वीकृत किया गया था।

भारत सरकार ने ओलंपिक खेलों के लिए अपेक्षित उपर्युक्त मदों पर व्यय किया है। इस प्रकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा ओलंपिक खेलों में उपर्युक्त मदों पर व्यय किया जाना अपेक्षित नहीं था। यदि उन्होंने इन खेलों के लिए अपने स्वयं के स्रोतों से कोई अन्य व्यय किया है तो ऐसे व्यय के ब्यौरे सरकार के पास नहीं हैं।

(ग) सरकार ने 14 खेल विधाओं में 75 खिलाड़ियों की भागीदारी का अनुमोदन किया था।

(घ) ओलंपिक खेलों में सहभागिता के लिए सरकार द्वारा 75 खिलाड़ियों, 31 कोचों और 6 सहायक कार्मिकों पर औसतन लगभग 57,000/-रु. का व्यय किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) भारत सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों का समर्थन करती है और उन्हें बढ़ावा देती है। भारत सरकार खेल अवस्थापना प्रदान करने के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:-

1. संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञ वैज्ञानिकों से परामर्श लेते हुए विभिन्न खेल विधाओं के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप देना और उनका कार्यान्वयन करना।

2. खिलाड़ियों को उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता का प्रावधान।

3. प्रशिक्षण शिवरों में भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

4. विदेशों में टीमों और भरतीय प्रशिक्षकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

5. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों की सहभागिता के लिए संबंधित परिसंघों को वित्तीय सहायता देना।

6. पोषक खानपान, खेल उपस्कर समर्थन और खेलों को जीविका के रूप में अपनाने के लिए उत्कृष्ट लड़कों और लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

7. प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि से संबंधित योजना के अंतर्गत देश और विदेश में उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण तथा सहभागिता के लिए सहायता।

8. युव प्रतिभाओं को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के लिए चैम्पियन संवर्धन पहल का शुभारंभ।

[अनुवाद]

विशेष शिक्षा जोनों की स्थापना

458. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य भारत में खिकित्सक-रोगी का अनुपात 1:1800 है;

(ख) यदि हां, तो क्या अपनी दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में योजना आयोग ने डाक्टर, इंजीनियर की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु विशेष शिक्षा जोनों की स्थापना की सिफारिश की है, जैसाकि दिनांक 19 मई, 2005 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना आयोग के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा डाक्टरों, इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों की कमी की समस्या के समाधान हेतु बनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजेशेखरन) : (क) यदि केवल एलोपैथिक डाक्टरों को ध्यान में रखा जाए तो भारत में चिकित्सक-जनसंख्या का अनुपात 1 : 1722 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) में स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में यह स्वीकार किया गया है कि देश में चिकित्सा कालेजों का वितरण विषम है और यह सिफारिश की गई है कि जिन राज्यों में ऐसी सेवाएं कम हैं, उन राज्यों में प्रशिक्षित जनसाधन की कमी को केवल चिकित्सा कालेजों की स्थापना करके पूरा किया जा सकता है। एमटीए में यह भी कहा गया है कि सेवाओं की मांग की तुलना में कम अनुकूल अवस्थिति के कारण कुछ चिकित्सा कालेजों में सेवाओं का उपयोग खराब है और सिफारिश की गई है कि नए चिकित्सा कालेजों की स्थापना से पहले संयुक्त प्रतिनिधि समिति जिसमें पेशेवर चिकित्सा संघ और सरकार हो, से अनिवार्यता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता को अनिवार्य बना दिया जाए जिससे कि उपयुक्त और इष्टतम पहुंच के लिए योजना बनायी जा सके। मध्यावधि मूल्यांकन में जरूरतमंद राज्यों में चिकित्सा कालेजों के बेहतर फैलाव और चिकित्सा शिक्षा में अधिक कठोर विनियम मानकों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसके बलावा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से अपेक्षा की गई है कि वे कन्टीन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम में नवीकरण को उपस्थिति के अधीन बनाने और अपेक्षित पाठ्यक्रमों को पूरा करने के साथ-साथ, प्रत्येक पांच वर्षों में चिकित्सा पेशेवरों के पंजीयन के लिए संयुक्त रूप से कठोर प्रवेश मापदंड स्थापित करें।

एम टी ए में स्वीकार किया गया है कि केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के प्रतिस्पर्धी दावों के बावजूद, यह असंभव है कि केवल अकेले सरकार ही वर्ष 2050 में 1.6 बिलियन जनसंख्या की सेवा करने के लिए चिकित्सा शिक्षा की आवश्यकताओं

की देखभाल कर सके। चिकित्सा, नर्सिंग और पैरा-मेडिकल पेशों में उच्च क्षमता सृजित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा में महत्वपूर्ण निजी निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। भारत, दुनिया भर के छात्रों के लिए जो कम लागत वाली चिकित्सा शिक्षा चाहते हैं, के लिए तेजी से एक गंतव्य स्थान बनता जा रहा है। एम टी ए में सिफारिश की गई है कि ज्ञान आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी और निजी चिकित्सा कालेजों में सीटों के लिए प्रतियोगिता करने के वास्ते अनिवासी और विदेशी छात्रों को समर्थ बनाने वाली कुछ पद्धतियों का परीक्षण करे। इन छात्रों से प्राप्त होने वाले राजस्व को उन भारतीय छात्रों के लिए क्रास-सब्सिडी के रूप में अभिनियोजित किया जाए जो चिकित्सा शिक्षा को जारी रखने में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हों तथा इस राजस्व को शिक्षण की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते शिक्षण अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तर मुहैया कराने के लिए अभियोजित किया जाए। इससे इन-पेशेन्ट हास्पिटल केयर की बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में तकनीकी शिक्षा संस्थानों की संख्या और छात्रों के कुल अंतर्ग्रहण में हुई अधिक वृद्धि पर ध्यान दिया गया है, और गुणवत्ता एवं संकाय विकास को सुधारने वाली वृहद अंतर्ग्रहण (इनटेक) क्षमता पर निरन्तर बल दिया गया है जोकि दसवीं योजना के दौरान तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा से संबंधित कुछ मूल समस्याएं हैं। एम टी ए में आई आई टी और आई आई एम जैसी संस्थाओं का विस्तार करने की सिफारिश की गई है जिससे कि ये तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों के लिए मानक स्थापित कर सकें। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि उच्च और तकनीकी संस्थानों की प्रत्यायन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

[हिन्दी]

मानसिक रोग चिकित्सालयों का उन्नयन

459. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से दसवीं पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और रीवा में मानसिक रोग चिकित्सालयों के उन्नयन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से इंदौर और ग्वालियर स्थित मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भोपाल, जबलपुर और रीवा में मानसिक अस्पताल नहीं हैं। तथापि, मेडिकल कालेज इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और रीवा के मनश्चिकित्सीय वार्डों को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) संचालन समिति ने ग्वालियर के मानसिक अस्पताल तथा मेडिकल कालेज इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और रीवा को तकनीकी आकलन के आधार पर वित्त पोषित करने के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। इन्हें शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

इंदौर स्थित मानसिक अस्पताल के बारे में राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

अस्पतालों में सेवाओं का उन्नयन

460. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी** :
श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपचार हेतु भारत आने वाले विदेशियों को बेहतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए नये अस्पताल खोलने अथवा मौजूदा अस्पतालों में विभिन्न सेवाओं का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आर एम एल अस्पताल, नई दिल्ली में यूरोलाजी संबंधी सेवाओं का उन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) विदेशियों को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराने के लिए नए अस्पताल खोलने या मौजूदा अस्पताल का दर्जा बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) यद्यपि किसी विभाग का सुदृढ़ीकरण आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार करना एक सतत प्रक्रिया है तथापि डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मूत्रविज्ञानी सेवाओं को उन्नत करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाना

461. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री रामदास आठवले :
श्री जी.वी. हर्ष कुमार :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि दिनांक 26 जनवरी, 1950 के पश्चात् अन्य देशों में बस चुके भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों को भारत की प्रवासी नागरिकता प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने व्यवसाय के आबंटन संबंधी नियमों में भी संशोधन किया है और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को नागरिकता अधिनियम की धारा 7ख(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने की अनुमति प्रदान की;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में निर्धारित मानदंड का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) नागरिकता अधिनियम, 1955 को संशोधित करके, पाकिस्तान और बंगलादेश के नागरिक जब तक उनके देश अपने स्थानीय नियमों के अंतर्गत किसी रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति दें, के सिवाए सभी देशों के भारतीय मूल के लोगों को प्रवासी भारतीय नागरिक की सुविधा देने के लिए 28.6.2005 को नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश लागू किया गया था।

(ग) और (घ) वह प्रक्रियाधीन है।

(ङ) से (छ) कोई विदेशी राष्ट्रिक, जो 26.01.1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था अथवा 26.01.1950 को अथवा उसके पश्चात् भारत का नागरिक था अथवा उस क्षेत्र से सम्बद्ध था जो 15.8.1947 के पश्चात् भारत का हिस्सा बना था, के भारतीय नागरिक और उसके वच्चों और बच्चों के बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी बशर्ते कि उसकी दोहरी नागरिकता वाल देश अपने स्थानीय कानून के अंतर्गत किसी रूप में भारत की प्रवासी नागरिकता के रूप में पंजीकरण के लिए हकदार हैं। ऐसे व्यक्ति के छोटे बच्चे भी भारत की प्रवासी नागरिकता के हकदार हैं। तथापि, यदि आवेदक कभी पाकिस्तान अथवा बंगलादेश का नागरिक था, वह भारत की प्रवासी नागरिकता के लिए हकदार नहीं होगा।

यदि आवेदक के विरुद्ध कोई विपरीत सूचना उपलब्ध न हो तो, भारतीय मिशन/केन्द्र आवेदन पत्र पाप्त होने के 15 दिनों के भीतर के प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकरण करेगा और उसके पश्चात् आवेदक के जीवन वृत्त की पश्च जांच हेतु मामले को गृह मंत्रालय को भेजेगा। यदि आवेदक के विरुद्ध कोई विपरीत सूचना उपलब्ध होगी, तो प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करने से पूर्व गृह मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। गृह मंत्रालय आवेदन पत्र के तीन माह के भीतर मामले पर निर्णय लेगा।

[हिन्दी]

खेलकूद से जुड़े व्यक्तियों के लिए आरक्षण

462. **श्री गिरिधारी यादव :**
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में खिलाड़ियों के लिए श्रेणीवार कितने पद आरक्षित किए गए हैं;

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद पर्याप्त संख्या में हैं;

(ग) यदि नहीं, तो खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त आरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे आरक्षित पदों पर जूडो-कराटे विशेषज्ञों को नियुक्ति करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार ने खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (च) केन्द्रीय सरकार में मेधावी खिलाड़ियों के लिए सिविल पदों/सेवाओं में समूह 'ग' तथा 'घ' श्रेणी में नियुक्ति हेतु एक योजना मौजूद है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग किसी एक वर्ष में सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों का 5 प्रतिशत तक जूडो तथा कराटे-डू सहित मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति कर सकते हैं।

(छ) युवा कार्य तथा खेल कूद विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

युवा कार्य तथा खेल कूद विभाग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई विभिन्न योजनाएं

1. अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मैडल जीतने वालों तथा उनके कोचों के लिए विशेष पुरस्कार।
2. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
3. खेल-कूद तथा गेम्स में लाईफ टाइम्स उपलब्धि हेतु ध्यानचन्द पुरस्कार।
4. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्राफी।
5. मेधावी खिलाड़ियों की पेंशन हेतु खेल-कूद फंड।
6. ग्रामीण खेल-कूद कार्यक्रम।
7. खेल-कूद छात्रवृत्ति योजना।
8. राष्ट्रीय खेल विकास फंड।
9. खिलाड़ियों हेतु राष्ट्रीय कल्याण फंड।
10. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल-कूद चैंपियनशिप।
11. राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिभा प्रतियोगिता।
12. आर्मी ब्वॉय स्पोर्टस कम्पनी।
13. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र।
14. स्पेशल एरिया गेम्स।
15. सेंटर ऑफ एक्सिलेंस।
16. डोप परीक्षण हेतु योजना।
17. राष्ट्रीय खेल-कूद संघ की सहायता।

[अनुवाद]

कोयले की तस्करी और चोरी संबंधी राष्ट्रीय नीति

463. श्री रमेन बर्मन :

श्री जोवाकिम बखला :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खानें और कोयला क्षेत्रों के लिंकेज को आवंटित करने हेतु कोई नीति अथवा मानदंड तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कोयले की तस्करी और चोरी संबंधी देशव्यापी नीति तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्य कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) कुछ क्षेत्रों के लिए गृहीत कोयला खनन की अनुमति देने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का संशोधन 1976 और 1993 में किया गया था। लोहा और इस्पात उत्पादन, विद्युत उत्पादन और ऐसे ही अन्य अन्त्य उपयोगों में लगी कंपनियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, को गृहीत खपत के लिए कोयला खनन करने की अनुमति दी गई थी। 1993 के संशोधन द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, गृहीत खनन के लिए अन्त्य उपयोग के रूप में सीमेंट के उत्पादन को निर्दिष्ट किया गया है। उक्त के अनुसरण में, कोयला मंत्रालय में सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्य विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी नीति एवं संवर्धन विभाग), रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि, संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव, निदेशक (तक.) सी.आई.एल., सी.एम.डी., सीएमपीडीआईएल, संबंधित कोयला कंपनी के सी.एम.डी. हैं। स्क्रीनिंग समिति आवेदक कंपनियों के अनुरोधों पर विचार करती है और गुणावगुण के आधार पर कोयला ब्लॉकों का आवंटन तय करती है। कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए चयन प्रक्रिया को चयन की प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। जहां विद्युत संयंत्र, तथा स्पांज लोहा संयंत्र जैसे कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयला लिंकेज का संबंध है, कोयला मंत्रालय में निम्नलिखित तीन लिंकेज समितियां कार्य कर रही हैं:-

(1) स्थायी समिति (दीर्घावधि): विद्युत तथा सीमेंट संयंत्रों को दीर्घावधि आधार पर कोयला लिंकेज प्रदान करती है।

(2) स्थायी लिंकेज समिति (अल्पावधि): विद्युत तथा सीमेंट संयंत्रों को तिमाही आधार पर कोयला लिंकेज प्रदान करती है।

(3) स्पंज लोहा इकाइयों तथा फेरो एलाय इकाइयों के लिए स्थायी लिंकेज समिति: यह समिति स्पंज लोहा इकाइयों को दीर्घावधि आधार पर कोयला लिंकेज प्रदान करने के आवेदनों पर विचार करती है। यह समिति इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी जिसे अब कोयला मंत्रालय को अन्तरित कर दिया गया है।

(घ) से (च) कानून तथा व्यवस्था राज्य का विषय है, अत: कोयला कंपनियां राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती हैं। इसके अतिरिक्त, सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों द्वारा कोयले की चोरी/उठाईगिरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे है:-

(1) अवैध कोयला डिपो तथा कोयले के अवैध संचलन के बारे में आसूचना रिपोर्टों का संग्रहण तथा निवारक कार्रवाई करने के लिए जिला प्राधिकारियों को सूचित करना।

(2) परिवहन दस्तावेजों की जांच करने के लिए संवेदनशील बिन्दुओं पर चैक-पोस्ट स्थापित करना।

(3) वॉच-टावरों का निर्माण करना तथा कोयला स्टेकिंग क्षेत्र के इर्द-गिर्द प्रकाश की व्यवस्था करना।

(4) पिट हैड डिपों के इर्द-गिर्द कांटेदार बाड़ लगाना/दीवार बनाना, रात के समय सशस्त्र गार्डों के नियोजन सहित स्थायी सुरक्षा व्यवस्था करना।

(5) भरे हुए रेकों को सशस्त्र गार्डों की सुरक्षा में रेलवे वे-ब्रिजों तक ले जाना तथा लम्बी दूरी के रेलवे ट्रैकों में, जहां वैगनों के लूटे जाने की संभावना होती है, रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के साथ संयुक्त रूप से गश्त लगाना।

(6) अवैध खनन स्थलों को सील करना।

(7) चोरी अथवा उठाईगिरी के कार्य में पकड़ी गयी परिवहन गाड़ियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना।

(8) कोयले की चोरी/उठाईगिरी में महिलाओं और बच्चों के लिप्त होने को रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्ड लगाना, सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता का पुन: आकलन करके सुरक्षा स्कंध को सुदृढ़ बनाना, सुरक्षा कार्य की क्षमता वाले अधिकारियों का होरीजोन्टल संचलन तथा कनिष्ठ, मध्यम तथा वरिष्ठ स्तरों पर योग्य सुरक्षा कार्मिकों को लगाना।

(9) मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण, सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सुरक्षा स्कंध में नए भर्ती हुए कार्मिकों को बेसिक प्रशिक्षण देना।

कोचीन स्थित वल्लारपदम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर की प्रगति

464. श्री पी.सी. थामस : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन स्थित वल्लारपदम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए कार्य की प्रगति तथा पूरे किए जाने वाले शेष कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसमें कितना समय लगेगा; और

(ग) इस टर्मिनल पर अन्तर्राष्ट्रीय घरेलू कंटेनर यातायात को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) मैसर्स दुबई पोर्ट्स इंटरनेशनल, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (डी पी आई) की एक अनुषंगी कंपनी, मैसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटिड (लाइसेंसधारक) से कोचीन-पत्तन-न्यास (लाइसेंसदाता) द्वारा 31.01.2005 को किए गए लाइसेंस-क़रार (क़रार) की शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारक द्वारा, निर्धारित समय-अनुसूची के अनुसार, 01.04.2005 से मौजूदा राजीव गांधी कंटेनर-टर्मिनल पर वाणिज्यिक काम-काज सचालित किया जाना आरंभ कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय कंटेनर-यानांतरण टर्मिलन (आई सी टी टी) के पहले चरण के संबंध में उपर्युक्त करार में, सार रूप में, लाइसेंसधारक द्वारा राजीव गांधी कंटेनर-टर्मिनल पर वाणिज्यिक काम-काज आरंभ कर दिए जाने की तारीख से 2 वर्षो के भीतर अर्थात् 31.03.2007 तक निर्माण-कार्य आरंभ कर दिया जाना और 4 वर्षों के भीतर अर्थात् 31.03.2009 तक वाणिज्यिक काम-काज संचालित करना आरंभ कर दिया जाना परिकल्पित है।

फिर भी, लाइसेंसधारक द्वारा अंतरराष्ट्रीय कंटेनर-यानांतरण टर्मिनल के पहले चरण के संबंध में निर्माण-कार्य आरंभ करना, लाइसेंसदाता द्वारा क़रार में शामिल की गई 'पूर्व निर्धारित शर्तों' जिनमें उनके पारस्परिक संबंध भी निर्धारित किए गए हैं, को पूरा किए जाने की शर्त पर निर्भर होगा। 'पूर्व निर्धारित शर्तें' इस प्रकार हैं: वल्लारपदम/पुत्तुवाईपिन पर उपर्युक्त परियोजना के स्थान को विशेष आर्थिक क्षेत्र (जोन) के एक हिस्से के रूप में घोषित कर दिए जाने और उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा रेल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-संपर्क का कार्य आरंभ कर दिए जाने पर, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर-यानांतरण टर्मिनल के पहले चरण के संबंध में लाइसेंसधारक द्वारा वाणिज्यिक काम-काज संचालित करना आरंभ कर दिया जाना, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर-यानांतरण टर्मिनल के स्थान के रेल और सड़क से संपर्क की व्यवस्था किए जाने पर निर्भर है। उपर्युक्त करार में परिकल्पित इन कार्यों को पूरा किए जाने की समय-सीमा के अनुसार, वाणिज्यिक काम-काज का संचालन, 01.04.2009 तक आरंभ कर दिए जाने की योजना है।

उपर्युक्त करार के अनुसार, लाइसेंसधारक द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य मार्ग के जलयानों को संभालने की क्षमता से युक्त परियोजना-सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाना और राजीव गांधी कंटेनर-टर्मिनल के संबंध में वाणिज्यिक काम-काज संचालित करना आरंभ कर दिए जाने की तारीख के दूसरे साल से अर्थात् 01.04.2006 से उन्हें सभालने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त लाइसेंसधारक द्वारा राजीव गांधी कंटेनर-टर्मिनल पर कंटेनरों को संभालने के लिए दो चल बंदरगाह क्रेनें और चार यार्ड गैंट्री क्रेनें पहले ही स्थापित कर दी गई हैं। लाइसेंसदाता ने, 12.5 मीटर के डुबाव की अपेक्षा से युक्त जलयानों का उपर्युक्त पत्तन पर आना संभव बनाने की दृष्टि से राजीव गांधी कंटेनर-टर्मिनल को जाने वाले जलमार्ग को और अधिक गहरा किए जाने का ठेका दे दिया है। अंतरराष्ट्रीय कंटेनर-यानांतरण टर्मिनल के सामान्य प्रयोक्ता के पहुंच जलमार्गों और बेसिनों में डुबाव को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाए जाने के साथ-साथ, इन कदमों में अंतरराष्ट्रीय/घरेलू कंटेनर यातायात आकृष्ट करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए धनराशि

465. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान स्वास्थ्य के लिए बजट आबंटन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यापक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस वर्ष उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

(रुपए करोड़ में)

	वर्ष 2004-05 के लिए बजट अनुमान	वर्ष 2005-06 के लिए बजट अनुमान
योजना	7442.30	9650.77
गैर-योजना	995.82	1066.34
कुल	8438.12	16687.11

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में वर्ष 2005-06 की कार्य योजना में राज्य एवं जिला स्वास्थ्य मिशनों का गठन, राज्य एवं जिला स्तर पर कई सोसाइटियों का एकीकरण, अस्पताल का पंजीकरण, जिला/उपजिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सोसाइटी प्रबंधन, सभी स्तरों पर बेहतर अन्तर्क्षेत्रीय तालमेल शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के मौजूदा कार्यक्रमों, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम हेतु ठोस कार्य ढांचा प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत योजना बनाई गई अन्य गतिविधियों में मान्य सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) का चयन एवं प्रशिक्षण, उप केन्द्र स्तर पर असम्बद्ध (अनटाइड) निधि, आयुष को मुख्य धारा में लाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भारतीय जन-स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उन्नत करना, उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जेनरिक औषधों की आपूर्ति, स्वास्थ्य मेले का आयोजन और जिला कार्य योजना तैयार करना शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान सहायता अनुदान के राज्यवार आबंटन का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	कुल परिवार कल्याण स्कीमें (आरसीएच)	स्वास्थ्य विभाग की स्कीमें							एन आर एच एम के लिए कुल अनुदान
			क्षय रोग	कुष्ठ रोग	आई डी एस पी	आई डी डी	दृष्टि-हीनता	एन वी बी डी सी पी	कुल स्वास्थ्य स्कीमें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बिहार	33207.01	1270.28	320.00		3.50	284.52	4736.19	6614.49	39821.50
2.	छत्तीसगढ़	8213.75	740.2	151.00	305.00	3.50	271.78	2114.72	3586.21	11799.9
3.	झारखंड	12160.81	957.30	285.00		3.50	183.74	2179.13	3608.67	15769.48
4.	मध्य प्रदेश	23507.59	925.51	292.50	900.00	3.50	549.50	1897.77	4568.78	28076.37
5.	उड़ीसा	14372.84	300.00	213.00	425.00	7.00	326.64	4027.67	5299.31	19672.15
6.	राजस्थान	22783.64	865.75	55.00	500.00	5.50	554.79	1661.86	3642.90	26426.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	उत्तर प्रदेश	69580.10	2545.16	357.00		5.00	1061.06	1121.00	5089.22	74669.32
8.	उत्तरांचल	4279.98	302.49	73.50	300.00	6.75	164.77	58.44	905.95	5185.93
9.	हिमाचल प्रदेश	3711.35	93.47	35.00	360.00	4.50	122.18	31.72	646.87	4358.22
10.	जम्मू-कश्मीर	4710.87	154.76	43.90		3.50	216.35	50.96	469.47	5180.34
11.	अरुणाचल प्रदेश	1434.99	55.31	50.00		13.00	21.00	1063.66	1202.97	2637.96
12.	असम	20249.11	1337.50	47.50		13.00	115.00	3035.10	4548.10	24797.21
13.	मणिपुर	2465.26	120.68	31.50	172.00	12.00	30.00	531.37	897.55	3362.81
14.	मेघालय	2147.32	115.65	32.00	164.00	12.00	15.50	729.00	1068.15	3215.47
15.	मिजोरम	2177.51	45.25	35.00	149.00	13.00	23.50	677.82	943.57	3121.08
16.	नागालैंड	1934.23	100.56	78.00	164.00	12.00	20.50	732.23	1107.29	3041.52
17.	सिक्किम	692.69	25.14	23.00		13.00	13.50	24.65	99.29	791.98
18.	त्रिपुरा	3036.33	160.90	21.00	151.00	12.00	61.00	1616.65	2022.35	5058.88
	कुल 18 राज्यों के लिए	230665.38	10115.92	2143.90	3590.00	146.25	4035.33	26289.94	46321.34	276986.72
अन्य										
1.	आंध्र प्रदेश	24572.36	1100.00	92.50	610.00	4.50	528.76	852.37	3188.13	27760.49
2.	गोवा	447.10	19.92	15.50	59.00	4.00	68.44	21.13	187.99	635.09
3.	गुजरात	27990.67	775.35	111.00	440.00	5.00	521.44	838.84	2691.63	30682.30
4.	हरियाणा	6106.80	200.00	30.10	283.00	6.00	184.52	122.76	826.38	6933.18
5.	कर्नाटक	16427.04	807.30	45.00	620.00	9.00	462.08	385.99	2329.37	18756.41
6.	केरल	10535.53	487.27	18.50	330.00	5.00	270.19	91.53	1202.49	11738.02
7.	महाराष्ट्र	27501.20	1483.27	74.50	890.00	3.50	351.07	768.09	3570.43	31071.63
8.	पंजाब	6741.59	372.35	46.50	55.00	4.75	148.39	140.70	767.69	7509.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	तमिलनाडु	17843.30	951.56	61.00	760.00	4.50	1294.39	358.60	3430.05	21273.35
10.	पश्चिम बंगाल	24402.41	1228.91	182.50	290.00	3.50	390.41	1231.17	3326.49	27728.90
	कुल-अन्य राज्य	162568.00	7425.93	677.10	4337.00	49.75	4219.69	4811.18	21520.65	184088.65
	कुल-सभी राज्य	393233.38	17541.85	2821.00	7927.00	196.00	8255.02	31101.12	67841.99	461075.37
1.	दिल्ली	2554.64	232.42	61.00	177.00	5.50	63.00	42.51	581.43	3136.07
2.	पांडिचेरी	181.35	16.84	11.00		2.50	24.00	31.77	86.11	267.46
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	286.56	5.05	11.00		6.00	17.50	236.96	276.51	563.07
2.	चंडीगढ़	152.42	15.16	10.40	46.00	6.00	29.00	69.62	176.18	328.60
3.	दादरा एवं नगर हवेली	131.25	3.37	8.70		5.00	4.50	50.09	71.66	202.91
4.	दमन व दीव	104.56	3.37	10.00		6.00	11.00	11.66	42.03	146.59
5.	लक्षद्वीप	94.23	1.68	6.50		500	6.00	8.27	27.45	121.68
	कुल-संघ क्षेत्र	3505.01	277.89	118.60	223.00	36.00	155.00	450.88	1261.37	4766.38
	कुल योग	396738.39	17819.74	2339.60	8150.00	232.00	8410.02	31552.00	69103.36	465841.75

आई डी एस पी — एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

आई डी डी — आयोडीन अल्पताजन्य विकार

एन वी बी डी सी पी — राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

स्टेडियमों और प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता

466. **श्री पी. मोहन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्टेडियमों और प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण के लिए विशेष रूप से शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे सभी स्टेडियम/प्रशिक्षण केन्द्र संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राज्यवार ऐसे कितने स्टेडियम हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) "खेल" राज्य सूची का विषय है। स्टेडियमों तथा विशेष रूप से शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे का रखरखाव इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) उपर्युक्त (ग) और (घ) के संदर्भ में ऐसे केन्द्रों की उपलब्धता के बारे में सूचना का रखरखाव इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता।

अमृतसर के लिए विशेष पैकेज

467. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पंजाब के अमृतसर जिले के विकास के लिए विशेष पैकेज दिए जाने संबंधी अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रकिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) भारत सरकार को पंजाब के अमृतसर जिले के विकास के लिए विशेष पैकेज के अनुदान के संबंध में कोई अभ्यावेदन/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

1. प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 2004 में शहर के अपने दौरे में अमृतसर के लिए एक पैकेज के संबंध में घोषणाएं की थीं। घोषणा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

2. तब से सरकार पूर्व में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को पूर्ण करने के लिए अनुरोधों को प्राप्त करती आ रही है।

विवरण

क्र.सं.	घोषणा	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	स्वर्ण मंदिर को यूनेस्को दर्जा दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।	शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक समिति एस जी पी सी ने लिखा है कि वे यूनेस्को फाइल वापस ले रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने ताजा सर्वसम्मति प्रकट होने तक कार्य योजना को अविलम्बित कर दिया है।
2.	भारत सरकार, श्री हरमंदिर साहिब को प्रदूषण से बचाने हेतु इसके चारों ओर गलियारा परियोजना पूर्ण करने के लिए 70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देगी।	गृह मंत्रालय ने श्री हरमंदिर साहिब के चारों ओर गलियारा परियोजना के चौथे व पांचवें चरण को पूर्ण करने के लिए 72 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 31.3.2005 के एक आदेश के तहत 13.75 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है। नवनिर्मित प्रसाधन खण्ड के चारों ओर वीवीआईपी पार्किंग और क्षेत्र के विकास निर्माण जैसे कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। घंटाघर के पास सीमेंट कंक्रीट सड़क और पादुका कक्ष का निर्माण।
3.	भारत सरकार श्री गुरू ग्रंथ साहिब अध्ययन पर एक शोध केन्द्र स्थापित करने के लिए हर संभव सहायता करेगी, जिसके लिए भारत के राष्ट्रपति ने गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में शिलान्यास कर दिया है।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कीम को अनुमोदन कर दिया है और 2004-05 के दौरान 1.00 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। शेष मुद्दों को निपटाने के लिए गुरू ग्रंथ साहिब में अध्ययन पर राष्ट्रीय संस्थान के शासी निकाय की एक बैठक, 2 जुलाई, 2005 को हो चुकी है। एक माह के अंदर संस्थान को सुचारू बनाने के लिए कदम उठा लिए गए हैं।

1	2	3
4.	भारत सरकार अमृतसर की गुरूरामदास झुग्गी विकास परियोजना पर पंजाब सरकार की परियोजना रिपोर्ट को जांचेगी और आवश्यक वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी।	शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की गई अनुमानित 255 करोड़ रुपये लागत की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को व्यवहार्य बनाने हेतु परिवर्तित किया जा रहा है। आशा में, शहरी विकास मंत्रालय ने परियोजना को जेवीआईसी निधियन के लिए आर्थिक मामले विभाग को अग्रेषित किया है।
5.	शहर के आसपास अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने के लिए एक विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड,) अमृतसर में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार पंजाब सरकार को आवश्यक सहायता देगी।	वाणिज्य मंत्रालय ने क्षेत्रक विशिष्ट एस ई जेड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन देने का निश्चय किया है और पंजाब सरकार को एस ई जेड अधिसूचित करने की सलाह दी है। पंजाब सरकार अधिसूचना को अंतिम रूप दे रही है।
6.	कुछ वस्तुएं जिन्हें 1984 के आपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 1984 में स्वर्ण मंदिर परिसर से हटा दिया गया था, इन्हें श्री हरमंदिर साहिब या एस जी पी सी को पुन: बरामद कराने के प्रयास किए जाएंगे।	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गृह मंत्रालय ने गायब पुस्तकों/हस्तलिपियों को स्थापित करने के लिए एक प्राथमिक जांच दर्ज की है। पंजाब सरकार ने सी बी आई द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए ऐसे दस्तावेजों की सूची मुहैया कराई है।
7.	अनंदपुर साहिब में खालसा विरासत परियोजना को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार आवश्यक वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी।	संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने 2004-05 के दौरान 2.00 करोड़ रुपये जारी किए हैं। परियोजना के लिए क्रियान्वयन समय सीमा व अन्य संबद्ध मुद्दे को खालसा विरासत परिसर संस्थान की अधिशासी समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।
8.	पाकिस्तान में करतारपुर में ऐतिहासिक गुरुद्वारे की यात्रा के लिए एक गलियारा खोलने के मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत के अगले दौर में जोरदार ढंग से उठाया जाएगा।	मुख्यमंत्री, पंजाब ने जून, 2005 में, विदेश मंत्री से इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया था।
9.	अंतर्धर्म समझदारी और सदभावना के लिए गुरू ग्रंथ साहिब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।	पंजाब सरकार, प्रधानमंत्री के साथ मुद्दे को उठाएगी।
10.	गुरू समदास राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।	मुख्यमंत्री, पंजाब ने संस्थान को स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सलाह देने हेतु जून, 2005 में प्रधानमंत्री को अनुरोध के साथ लिखा है।

[हिन्दी]

विभिन्न औषधालयों के भवनों का निर्माण

468. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी औषधालयों के लिए भवनों का निर्माण करने की कोई योजनाएं हैं:

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये योजनाएं कब से कार्यान्वित की जा रही हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, नहीं। आयुर्वेद/होम्योपैथिक/यूनानी औषधालयों के लिए भवनों के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत आयुष सुविधाओं की स्थापना हेतु भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और रद्दोबदल आदि के लिए एलोपैथी अस्पतालों को एकबारगी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

[अनुवाद]

छोटे पत्तनों को सड़कों से जोड़ना

469. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात की 'अलंग-त्रपज सड़क, राजकोट-द्वारका राज्य राजमार्ग को जोड़ने वाला जामनगर (बेदी) रोजी-बेदी पहुंचमार्ग, पोरबन्दर, ओरवा, पिपावव-जाफराबाद, मुन्द्रा, नवलखी, भावनगर और हजीरा जैसे छोटे पत्तनों को जोड़ने वाली सड़कों का उन्नयन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) लघु पत्तनों के सड़कों से संपर्क का उन्नयन किए जाने का उत्तरदायित्व, संबंधित राज्य-सरकारों का है। फिर भी, गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-विकास-परियोजना के चरण-III के अंतर्गत, कांडला-पत्तन से मुन्द्रा-पत्तन तक के 73 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग-8क के विस्तार और सूरत-पत्तन से हजीरा-पत्तन तक के 29 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के विस्तार के उन्नयन के बारे में विस्तृत-परियोजना-रिपोर्ट तैयार करवाना आरंभ किए जाने का निर्णय किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग-प्राधिकरण को उपर्युक्त खंडों के संबंध में विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तत्काल तैयार करने की सलाह दी गई है।

चार्टर मार्क योजना

470. श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागरिकों के चार्टरों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देने और शिकायत निवारण तंत्र के लिए रेटिंग प्रणाली का विकास करने के लिए एक चार्टर मार्क योजना का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को मान्यता देने और उसका मूल्यांकन करने के लिये एक चार्टर मार्क योजना की अवधारणा और कार्यान्वयन के लिए तथा शिकायत निवारण तंत्र और सेवा प्रदान करने हेतु प्रोटोटाइप का एक माडल विकसित किया गया है। इस योजना के तीन घटक इस प्रकार हैं:- (i) नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता का मूल्यांकन और पहचान; (ii) लोक शिकायत निवारण तंत्र रेटिंग माडल तथा (iii) लोक सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिये संस्थानों का मूल्यांकन। वर्तमान में इस प्रोटोटाइप का चिन्हित किये गये मंत्रालयों/विभागों तथा संगठनों में परीक्षण किया जा रहा है। इसके शुरू होने पर इस योजना से नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परिणामों/निष्पादनों के बढ़ने की आशा है।

[हिन्दी]

दवाइयों की आपूर्ति न किया जाना

471. श्री ब्रजेश पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.जी.एच.एस. के कर्मचारियों ने जून माह, 2005 में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दवा-विक्रेताओं द्वारा जून, 2005 में सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए इंडेंट की गई दवाइयों की आपूर्ति नहीं की थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जून, 2005 के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारी सेवा विषयों आदि से संबंधित 24-बिन्दु वाली मांग सूची को मनवाने के लिए दबाव डालने के वास्ते दिनांक 7.6.2005 को एक दिन के हड़ताल पर गए थे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधिकृत स्थानीय केमिस्टों द्वारा इन्डेंट कराई गई दवाओं की आपूर्ति नहीं कराए जाने संबंधित किसी घटना की सूचना जून, 2005 के दौरान नहीं दी गई है।

(ङ) उपरोक्त (ग) एवं (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

तटवर्ती क्षेत्रों में क्रूज टर्मिनल

472. **श्री डी.वी. सदानन्द गौडा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों में मंगलौर और करवाड़ के बीच क्रूज टर्मिनल स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जीनोमिक्स और जैव प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यशाला

473. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल के दौरान नयी दिल्ली में स्वास्थ्य हेतु जीनोमिक्स और जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी यूरोपीय संघ और भारत की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गयी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत-यूरोपीय यूनियन कार्यशाला में 90 भारतीयों और 10 यूरोपीय वैज्ञानिकों ने भाग लिया और इसमें पारस्परिक सहमति वाले विषयों पर चर्चा की। ये विषय हैं (क) फंक्शनल जीनोमिक्स, जिसमें प्रोटिओमिक्स और सिस्टम्स बायोलोजी; (ख) स्वास्थ्य के लिए जैव प्रौद्योगिकी जिसमें पादप जैव प्रौद्योगिकी और न्यूट्रीजीनोमिक्स शामिल हैं और (ग) प्रमुख रोग-जटिल विकास, जिसमें हृदयवाहिका रोग, टाइप 2 मधुमेह और तंत्रिका-मनश्चिकित्सीय विकार; और संक्रामक रोग जिनमें एचआईवी, क्षय रोग, मलेरिया, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका और लेसमेनिया शामिल हैं।

इस कार्यशाला में उद्योग, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अकादमियों में यूरोपीय और भारतीय अनुसंधान समुदाय के बीच नेटवर्किंग बनाने, चुने हुए विषयों पर भारत और यूरोप में चल रहे अनुसंधान पर नजर रखने में सहायता प्रदान करने पर सहमति हुई। इससे जीव-विज्ञान, जीनोमिक्स एवं स्वास्थ्य के लिए जैव-प्रौद्योगिकी में प्रस्तावों पर यूरोपीयन कमीशन के प्रत्याशित आह्वान को प्रसारित करने, सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को प्रस्तुत करने तथा इस समय चल रही ऐसी यूरोपीय अनुसंधान परियोजनाओं का निर्धारण करने में सुविधा हुई जिनमें भारतीय वैज्ञानिकों/अनुसंधान संस्थाओं की पार्श्विक प्रवेश प्रविष्टि लाभदायक होगा।

(ग) सरकार ने भारत और यूरोप के अनुसंधान वैज्ञानिकों को एक दूसरे से जोड़ने तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने में अपनी प्रोत्साहनात्मक और सहायक भूमिका प्रदान की।

सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलना

474. **डा. के. धनराजू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सी.जी.एच.एस. औषधालयों की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु विशेषकर विल्लुपुरम जिले में अधिक संख्या में सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, इन औषधालयों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई ही एकमात्र ऐसा नगर है जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं मौजूद हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चेन्नई के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की पर्याप्त संख्या है; इसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

एलोपैथिक औषधालय	14
पोलीक्लिनिक	2
प्रयोगशाला	2
दंत यूनिट	1
आयुर्वेदिक यूनिट	1
होमियोपैथिक यूनिट	1
सिद्धा यूनिट	1

गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्रों (जो तमिलनाडु में गैर-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना क्षेत्र में आते हैं) में रहने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारी स्वत: ही केन्द्रीय सेवा (मेडिकल अटेंडेन्स) नियम 1944 के तहत प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते हैं।

वेल्लूपुरम में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त, संसाधनों एवं मानवशक्ति के अभाव के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं को तमिलनाडु के अन्य जिलों तक बढ़ाना अभी सम्भव नहीं होगा।

उपचार हेतु विदेश जाने वाले भारतीय नागरिक

475. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक चिकित्सीय उपचार हेतु देश-वार कितने भारतीय विदेश गये?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : विदेशी राजनयिक राजदूतावास, जिन्होंने चिकित्सा उपचार के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को वीजा प्रदान किया है, सरकार को वीजा से संबंधित सूचना नहीं देते। तथापि केन्द्रीय विदेशी ब्यूरो द्वारा रखे रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान क्रमश: 4940244, 5349896 और 5212809 भारतीयों ने विदेश का दौरा किया।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 को चार लेन का बनाना

476. श्री रघुनाज सिंह शाक्य : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 चौड़ा करके चार लेन का बनाने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि के लिए किसानों को मुआवजा दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा किसानों को मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा;

(घ) किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या वर्ष 2004 में पूर्ण होने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के फिरोजाबाद से इटावा खंड को चार लेन का बनाने से संबंधित कार्य को करने वाली कंपनी ने कार्य को बीच में अधूरा छोड़ दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस अधूरे कार्य को जल्द पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया गया है।

(ङ) जी, हां। ठेकेदार (मै. चाइना कोल कंस्ट्रक्शन ग्रुप कार्पोरेशन, चाइना) के कार्य न करने के कारण उत्तर प्रदेश में रा रा-2 के शिकोहाबाद-इटावा खंड के बीच चार लेन बनाने के कार्य का ठेका दिनांक 9.6.2004 को समाप्त कर दिया गया था।

(च) एन एच ए आई द्वारा शेष कार्य का ठेका सौंपने के लिए पहले ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और अगस्त, 2005 तक इसे अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है।

विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल

477. **श्री रामदास आठवले** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित पुलों का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितने पुलों के निर्माण की योजना है; और

(ग) इसके लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1161 पुलों का निर्माण किया गया। इसके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना खंडों से भिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 195 पुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान 997 पुलों का निर्माण किया गया/किया जा रहा है/किए जाने का प्रस्ताव है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित पुलों की अनुमानित लागत 319.74 करोड़ रु. है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन/निर्माण के लिए प्रस्तावित पुलों की लागत शामिल नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना खंडों में पुल, सड़क पैकेज का हिस्सा है। तथापि, राज्य लोक निर्माण विभागों सहित निष्पादन एजेंसियों के लिए आबंटन एकमुश्त किया जाता है न कि पुलों के लिए अलग से।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 से 2004-05 के दौरान निर्मित पुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	313
2.	अरुणाचल प्रदेश	7
3.	असम	9
4.	बिहार	67
5.	छत्तीसगढ़	8
6.	गुजरात	67
7.	हरियाणा	3
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू-कश्मीर	1
10.	झारखंड	26
11.	कर्नाटक	137
12.	केरल	6
13.	मध्य प्रदेश	15
14.	महाराष्ट्र	164
15.	मणिपुर	1

1	2	3
16.	मेघालय	9
17.	मिजोरम	1
18.	उड़ीसा	20
19.	पंजाब	7
20.	राजस्थान	148
21.	तमिलनाडु	42
22.	उत्तरांचल	14
23.	उत्तर प्रदेश	44
24.	पश्चिम बंगाल	50
	जोड़	1161

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चालू वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान गैर-एन एच डी पी पर निर्माण के लिए प्रस्तावित पुल	2005-06 के दौरान एन एच डी पी के अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन/निर्माण के लिए प्रस्तावित पुल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27	कुछ नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	कुछ नहीं
3.	असम	6	कुछ नहीं
4.	बिहार	22	234
5.	चंडीगढ़	1	7
6.	छत्तीसगढ़	9	कुछ नहीं
7.	दिल्ली	1	1
8.	गुजरात	12	39
9.	हरियाणा	5	4
10.	हिमाचल प्रदेश	7	कुछ नहीं
11.	झारखंड	6	21
12.	कर्नाटक	16	54
13.	केरल	10	1
14.	मध्य प्रदेश	8	10
15.	महाराष्ट्र	2	53
16.	मेघालय	3	कुछ नहीं
17.	मिजोरम	2	कुछ नहीं
18.	उड़ीसा	8	115
19	पांडिचेरी	1	कुछ नहीं
20.	पंजाब	6	23
21.	राजस्थान	4	92
22.	तमिलनाडु	12	143
23.	त्रिपुरा	1	कुछ नहीं
24.	उत्तरांचल	11	कुछ नहीं
25.	उत्तर प्रदेश	4	150
26.	पश्चिम बंगाल	7	50
	जोड़	195	997
	कुल जोड़	1192	

[अनुवाद]

प्रतिबन्धित औषधियों की बिक्री

478. श्रीमती मेनका गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनाइल प्रोपेनोल अमीन (पी पी ए) युक्त ओषधियां पश्चिमी देशों में चार वर्षों से भी अधिक समय से प्रतिबन्धित है परन्तु ये भारत में अभी भी बिक रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विक्स एक्शन-500 जैसी कुछ औषधियों को भारत में पी पी ए के साथ बेचा जा रहा है जबकि ब्रिटेन में इसी तरह के उत्पाद बिना पी पी ए के उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यावाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) बहुत से देशों में खांसी और जुकाम की दवाइयों में पी पी ए (फिनिल प्रोपेनोलेमाइन) का उपयोग किया गया है। नवम्बर, 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पी. पी. ए. युक्त उत्पादों को हटा लिया गया है। यहां पर इनका खांसी और जुकाम की दवाइयों के उपयोग के अतिरिक्त वजन को कम करने हेतु उच्चतर क्षमता में इनका विपणन किया गया है। ब्रिटेन में औषध सुरक्षा समिति ने भी पी. पी. ए. की सुरक्षा के मामले की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि रक्तस्रावी अभिघात और पी. पी. ए. में संबंध का प्रमाण कमजोर है और खांसी और जुकाम के कम खुराकों के औषध योगों को ब्रिटेन में बेचा जाना जारी रखा जा सकता है।

(ग) इसके साथ-साथ भारत में विशेषज्ञों से परामर्श लेते हुए वर्ष 2000-2001 में इस मामले की भी जांच की गई और यह अनुभव किया गया कि भारत में पी. पी. ए. औषधयोगों की ब्रिटेन के औषध योगों के उपयोग से एक रूपता को देखते हुए इस औषध के खांसी और जुकाम की दवाइयों के विपणन किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन बच्चों में इसके दैनिक उपयोग की मात्रा 50 मि.ग्रा. और वयस्कों में इसकी मात्रा 100 मि.ग्रा. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हज यात्रियों की संख्या में वृद्धि

479. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हज यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्यों ने अपने हज कोटा को बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) भारत सरकार और सउदी अरब साम्राज्य की शाही सरकार ने एक करार संपन्न किया जिसके अंतर्गत वर्ष 2005 में हज के लिए 127.000 भारतीय हाजियों के लिए संपन्न करार की तुलना में वर्ष 2006 में 137,000 भारतीय हाजी हज करेंगे।

(ग) और (घ) निम्नलिखित राज्यों ने भारत की हज समिति द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित हज कोटा में वृद्धि करने का अनुरोध किया है:-

राज्य	हज 2006 के लिए भारत की हज समिति द्वारा निर्धारित कोटा	राज्य द्वारा अनुरोध किया गया कोटा
आंध्र प्रदेश	6047	6385
छत्तीसगढ़	354	595
जम्मू-कश्मीर	5880	9000
केरल	6806	13002
महाराष्ट्र	8889	11452
उड़ीसा	432	470
तमिलनाडु	3004	3900
उत्तरांचल	876	1404

(ङ) भारत सरकार ने इन अनुरोधों को नोट कर लिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का उन्नयन

480. श्री जी.वी. हर्ष कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों के उन्नयन हेतु गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तिथि तक विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के ग्रामीण अस्पतालों के उन्नयन के लिए अब तक वास्तव में कितनी राशि जारी की गई है तथा अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) चूंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक निधिकरण अभिकरण नहीं है और इसकी भूमिका तकनीकी सहायता प्रदान करने और सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में परामर्श देने की है, इसलिए उन्होंने देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है। तथापि, विश्व बैंक सहायता प्राप्त स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं, जो राज्यों में द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन से संबंधित है, को आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और पंजाब में पूरा कर लिया गया है जबकि उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान और तमिलनाडु में इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक इन परियोनाओं के लिए वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक सहायता से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाओं के बारे में स्थिति नोट

विश्व बैंक सहायता से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाओं का उद्देश्य द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार/उन्नयन करना है। इनको निम्नलिखित राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है:-

राज्य	परियोजना अवधि	परियोजना परिव्यय (रुपये करोड़ में)	स्थिति
आंध्र प्रदेश	1.3.95 से 6½ वर्षों के लिए	608.00	30.6.2002 को पूरी हुई
पश्चिम बंगाल	26.6.96 से 5½ वर्षों के लिए	751.76 (संशोधित)	31.3.2004 को पूरी हुई
कर्नाटक	27.6.96 से 5½ वर्षों के लिए	652.15 (संशोधित)	31.3.2004 को पूरी हुई
पंजाब	27.6.96 से 5½ वर्षों के लिए	425.00	31.3.2004 को पूरी हुई
उड़ीसा	सितम्बर, 98 से 5 वर्षों के लिए	415.57	31.3.2005 तक बढ़ाई गई
महाराष्ट्र	14.2.99 से 5½ वर्षों के लिए	747.58	
उत्तर प्रदेश	1.7.2000 से 5½ वर्षों के लिए	478.07	
उत्तरांचल	1.7.2000 से 5½ वर्षों के लिए	07.77	
राजस्थान	21.7.4 से (5 वर्षों के लिए)	472.58 (89 मिलियन अमरीकी डालर)	
तमिलनाडु	27.1.05 से (5 वर्षों के लिए)	597.1554 ($110,8)	

कोयले का ई-आक्शन

481. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री अनन्त नायक :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सी.आई.एल. द्वारा उत्पादित कुल कोयले में से 20% कोयले को ई-आक्शन के माध्यम से बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षित विद्युत निर्माताओं द्वारा इस प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से पहले लघु कोयला उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या की चिंताओं को ध्यान में रखा है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं विशेष रूप से उद्योग में उपभोक्ताओं के भारी असंतोष को देखते हुए कोयले के ई-आक्शन को स्थगित करने का है;

(छ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) को कोई निर्देश दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचना की वर्तमान प्रणाली के बजाय कोयले की बाजार निर्धारित कीमत लाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

(च) ऐसे छोटे कोयला उपभोक्ताओं, जिन्हें पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा था अथवा जिन्हें कोयला आपूर्ति के आधिकारिक चैनलों से कोयला लिंकेज प्राप्त नहीं थे, उनकी चिन्ताओं को ध्यान में रखने के बाद, ई-नीलामी की अवधारणा को परीक्षण आधार पर कार्यान्वित किया गया है। ये उपभोक्ता अब, वरीय स्रोतों से कोयला प्राप्त करने के लिए ई-नीलामी के माध्यम से, बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस व्यवस्था को जारी रखने या जारी न रखने के बारे में अंतिम निर्णय किसी प्रतिष्ठित संस्था द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन किए जाने के बाद लिया जाएगा।

(छ) और (ज) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

विदेशों में अवैध रूप से प्रवेश

482. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दूतावासों ने एजेन्टों द्वारा लोगों को अवैध रूप से अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा तथा अन्य देशों में भेजने का झांसा देकर लूटने के कई मामलों की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान विभिन्न दूतावासों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवैध व्यापार में कुछ शीर्ष संगीतकार/गायक/नकली स्पोर्ट्स क्लब भी लगे हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक प्रकाश में आए मामलों का ब्यौरा क्या है तथा विदेशों में इस अवैध प्रवास को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश स्थित विभिन्न भारतीय मिशनों/केंद्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ इस प्रकार, अवैध रूप से ऐसे कार्यों में लिप्त होने के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली हैं। विदेशों में अवैध उत्प्रवासन को रोकने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही में संबंधित पुलिस प्राधिकरण द्वारा जांच-पड़ताल करना उन एजेंटों जो, अवैध उत्प्रवासन में लिप्त हैं, सहित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करना; अवैध उत्प्रवासियों को, उनकी भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि होने के पश्चात् अवैध उत्प्रवासियों के प्रत्यावर्तन के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग, और अवैध उत्प्रवासियों को पासपोर्ट की सुविधा को प्रतिबन्धित करना शामिल है।

विवरण

"विदेशों में अवैध प्रवेश"

1. गत पांच वर्ष के दौरान, विदेश स्थित कई भारतीय मिशनों/केंद्रों ने भारतीय राष्ट्रिकों के अकेले अथवा समूहों में अवैध रूप से और धोखे से पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमरीका में जाकर बसने की कई घटनाएं मंत्रालय के ध्यान में लाई हैं। इन अवैध रूप से जाकर बसने वालों में पंजाब के लोग भी हैं। ये लोग मुख्यतया आर्थिक कारणों से वहां जाकर बसते हैं और अधिकतर बेईमान एजेन्टों और दलालों से सहायता लेते हैं, जिन्हें वे मोटी रकम का भुगतान करते हैं। इन अवैध उत्प्रवासियों को रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों से जो अवैध उत्प्रवासन के उद्देश्य से पारगमन देशों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, से होते हुए पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमरीका के विकसित देशों में लाया जाता है। ऐसी गतिविधियों की सामान्य कार्यप्रणाली यह है कि भारत छोड़ने के पश्चात् ये लोग अपनी वास्तविक पहचान/राष्ट्रीयता सत्यापन और भारत में अपने पुनः प्रत्यावर्तन से बचने के लिए, अपने यात्रा दस्तावेजों को जानबूझकर खो देते हैं अथवा नष्ट कर देते हैं। अपने गंतव्य देश में पहुंचने पर या तो वे लोग राजनीतिक शरण लेने अथवा शरणार्थी के रूप में बसने के लिए किसी न किसी आधार पर आवदेन देते हैं अथवा अपने गंतव्य देश में अपने निवास के अधिकार हेतु झूठे/जाली यात्रा दस्तावेज भी प्राप्त करते हैं। ये लोग स्थानीय विधिक प्रणाली में बचाव के रास्तों का उपयोग करते हैं, जिनमें नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से, वहां स्थायी रूप से बसने की आकांक्षा से गंतव्य देश में अपने प्रवास को लंबा करने के उद्देश्य से स्थानीय व्यक्ति से विवाह करना शामिल है। तथापि कई ऐसे अवैध उत्प्रवासी पकड़े गए हैं।

2. अवैध उत्प्रवासन अधिकतर विकासशील और कम विकसित देशों से विकसित देशों में पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमरीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता है। तथापि, 9/11 की घटना के पश्चात्, यूरोपीय और उत्तरी अमरीका के देश जो अवैध उत्प्रवासियों के लिए अनुकूल गंतव्य थे, ने अब अपने नियम अधिक कठोर कर दिए हैं। इसका परिणाम यह है कि न केवल इन देशों में अवैध उत्प्रवासियों के रूप में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है, अपितु इन देशों ने अवैध उत्प्रवासियों को उनके देश में प्रत्यावर्तित करना भी प्रारम्भ कर दिया है।

3. भारत से अवैध उत्प्रवासन लगातार हो रहा है और विश्व के विभिन्न देश विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमरीका साथ ही पूर्वी यूरोप में पारगमन के देश भी, भारत से तकरीबन रोजाना, आने वाले अवैध उत्प्रवासियों से परेशान हैं। एजेन्टों और दलालों की संख्या भी बढ़ती हुई प्रतीत होती है क्योंकि अवैध उत्प्रवासी अपने गंतव्य देश में पहुंचने के लिए सभी तरीके अपनाते हैं, जिनमें अवैध तरीके भी शामिल हैं।

4. केंद्र और राज्य सरकार दोनों अवैध उत्प्रवासन में संलिप्त एजेंटों और दलालों को खोजने और उनके विरुद्ध सभी आवश्यक उपाय करने के कार्य में लगी हैं। सरकार भारत के अवैध उत्प्रवासियों के शीघ्र प्रत्यावर्तन के लिए विदेशी सरकारों के साथ भी सहयोग कर रही है।

नैदानिक परीक्षणों हेतु मानदण्ड

483. श्री मुनव्वर हसन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जी ई ए सी की स्वीकृति हेतु नैदानिक परीक्षणों के कई आवेदन डी सी जी आई की टिप्पणियों के अभाव में लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो जी ई ए सी के पास नैदानिक परीक्षणों के लिए लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नैदानिक परीक्षणों को स्वीकृति देने के लिए क्या मानदण्ड हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) क्लिनिकल जांचों हेतु जी ई ए सी के पास डी सी जी (आई) की टिप्पणियों के अभाव में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) जी ई ए सी, रीकाम्बीनेंट फार्मा उत्पादों की क्लिनिकल जांच करने के अनुरोध का अवलोकन कर रही है जो क्लिनिकल पूर्व अध्ययन डाटा एवं वायोटेक्नोलोजी विभाग के अन्तर्गत जेनेटिक मैनीपुलेशन पर पुनरीक्षा समिति की सिफारियों पर आधारित है। जी ई ए सी का (डी सी जी) (आई) एक सदस्य भी है तथा जी ई

ए सी की बैठक में डी सी जी (आई) की विशिष्ट टिप्पणियों से अवगत करा दिया गया है। सूची वाई में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार औषध एवं प्रसाधन नियमों के तहत क्लिनिकल जांचों हेतु अनुमोदन दे दिया गया है। जांच आरम्भ करने से पहले संबंधित चिकित्सा संस्थानों को ईथिक्स समिति की मंजूरी लेना आवश्यक है।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना

484. श्री दुष्यंत सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना से बिजली लेने के लिए एक पारेषण प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पारेषण प्रणाली की लागत क्या है;

(ग) इसे पूरा करने के लिए निर्धारित लक्षित तिथि क्या है;

(घ) इस पारेषण प्रणाली की स्थापना का कार्य किस संगठन/निगम को सौंपा गया है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) पारेषण प्रणाली की अनुमोदित लागत लगभग 500 करोड़ रुपए है।

(ग) पारेषण प्रणाली को पूरा करने के लिए अनुमोदित कार्यक्रम मार्च, 2008 है।

(घ) विद्युत मंत्रालय का पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी जी सी आई एल) पारेषण प्रणाली स्थापित करेगा।

(ङ) राजस्थान में चार परमाणु विद्युत रिएक्टर हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 740 मेगावाट-ई है और इनमें पारेषण प्रणाली पहले से स्थापित है। इनके अतिरिक्त, इस समय दो परमाणु विद्युत रिएक्टर (आर ए पी पी-5 तथा 6) जिनकी प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट-ई है, निर्माणाधीन हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही पारेषण प्रणाली आर ए पी पी-5 तथा 6 से विद्युत निकालने के लिए है।

[हिन्दी]

दसवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा

485. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में प्रगति धीमी पाई गई है;

(ग) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) निर्धारित समय में कौन-कौन सी योजनाएं पूरी कर ली गई हैं;

(च) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो निर्धारित समय के पीछे चल रही हैं और जिनकी लागत बढ़ गई है;

(छ) क्या विभिन्न राज्यों में शुरू की गई योजनाओं की समीक्षा की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि क्षेत्रक में विकास की दर लक्ष्य से बहुत कम रही है। उद्योग और सेवा क्षेत्रकों के संबंध में विकास की दर हालांकि लक्ष्य से कम किन्तु नितांत संतोषजनक रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन, जल संभर विकास और बेकार/अवक्रमित भूमि के उद्धार और अनिवार्य आधारिक संरचना के प्रावधान जैसे कि सड़कें, बाजार और बिजली में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के प्रस्ताव हैं।

(ङ) और (च) सरकार की अधिकांश स्कीमें जारी रहने की प्रकृति की होती हैं और मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर लागत संशोधित की जाती है।

(छ) और (ज) राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई स्कीमें सामान्यतः केन्द्र सरकार द्वारा मानीटर नहीं की जाती।

[अनुवाद]

कालाजार को खत्म करना

486. प्रो. एम. रामदास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा कालाजार को खत्म करने के लिए बांग्लादेश तथा नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2015 तक इस रोग से पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) भारत सरकार ने दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र से कालाजार के उन्मूलन के बारे में बांग्लादेश एवं नेपाल के साथ 18 मई, 2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) तीन देशों अर्थात् भारत, बंग्लादेश एवं नेपाल ने दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र से कालाजार के उन्मूलन के बारे में 18 मई, 2005 को इस बात को ध्यान में रखते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकिए हैं कि दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्र विशेषकर बंग्लादेश, भारत एवं नेपाल में 147 मिलियन से अधिक लोगों में कालाजार का संक्रमण होने का जोखिम है। इस समझौता ज्ञापन में यह लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2015 तक जिला एवं उप-जिला स्तरों पर एक वर्ष में प्रति 10000 लोगों में एक से भी कम लोग कालाजार से प्रभावित हों। इस लक्ष्य को हासिल करने से संबंधित कार्यनितियों में रोग का शुरू में ही पता लगाना एवं उसका उपचार, उपचार एवं वेक्टर निगरानी का सुदृढ़ीकरण, एकीकृत वेक्टर प्रबंधन, सामाजिक सहभागिता, अनुसंधान एवं नेटवर्किंग शामिल हैं। संसाधन जुटाने सूचना का आदान-प्रदान करने और अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ करने के वास्ते एक अन्तर्देशीय कार्य बल गठित किया जाएगा।

(ग) भारत ने चार राज्यों अर्थात्, उत्तर प्रदेश, बिहार झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल कालाजार से सर्वाधिक ग्रस्त हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1990-91 में एक केन्द्र प्रायोजित कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है।

कालाजार नियंत्रण से संबंधित प्रमुख कार्यनीति में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:-

(क) सतह से 6 फीट तक की ऊचाई तक वर्ष में दो बार घर के अन्दर डी डी टी का छिड़काव करके वेक्टर नियंत्रण।

(ख) रोग का शुरू में ही पता लगाना एवं उसका पूरा उपचार करना।

(ग) सामाजिक सहभागिता एवं अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग के लिए व्यवहार पर प्रभाव हेतु सम्प्रेषण।

(घ) क्षमता निर्माण।

(ङ) आपरेशन अनुसंधान।

इस कार्यनीति के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप वर्ष 1995 तक इस रोग एवं इससे होने वाली मौतों में कमी हो रूझान देखने को मिला है। तथापि, वर्ष 1996 में एक झटका लगा था। इसके बाद से कालाजार के रोगियों की संख्या वर्ष दर वर्ष 12,239 से 22,699 के बीच ऊपर-नीचे होती रही। दिसम्बर, 2003 से भारत सरकार इस कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वियन के लिए शत प्रतिशत नकद सहायता प्रदान कर रही है जिसमें सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में डी डी टी के परिवहन के लिए भाड़ा-प्रभार शामिल है।

वर्ष 2010 तक कालाजार के उन्मूलन हेतु एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है। भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 217 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। वर्ष 2005-06 में 58.86 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इस कार्यक्रम को सुदृढ करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से अतिरिक्त निधि देने हेतु निवेदन किया गया है। इस रोग से प्रभावित राज्यों ने नई दिल्ली में 12.7.2005 का आयोजित समीक्षा बैठक में वर्ष 2010 तक कालाजार का उन्मूलन करने की अपनी वचनबद्धता दोहरायी है। भारत में कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम में कालाजार की घटना को वर्ष 2010 तक कम करके उपजिला स्तर पर प्रति 10,000 की जनसंख्या पर एक से भी कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-80 को चार लेन का बनाया जाना

487. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा मोकामा तथा मुंगेर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-80 को चार लेन का बनाने की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इसे भागलपुर शहर तक चार लेन का न बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार मुंगेर तथा भागलपुर के बीच सड़क को चार लेन का बनाने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत बिहार में रा.रा. 80 के मोकामा-मुंगेर खंड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर चार लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इस कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) से (ङ) इस समय विभिन्न कठिनाइयों के कारण सरकार का भागलपुर शहर तक चार लेन का बनाने का विचार नहीं हैं।

राजस्थान से प्राप्त सी आर एफ प्रस्ताव

488. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सड़क निधि के संबंध में राजस्थान के जोधपुर जिले से प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) कुल कितनी परियोजनाएं विचाराधीन हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जोधपुर जिले में राज्यीय सड़कों के लिए केंद्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सरकार से वर्ष 2000-01 से अब तक 19 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से अभी तक 17 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा की कोयले की आवश्यकता

489. श्री अनन्त नायक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा की कोयले की मासिक आवश्यकता कितनी रही है तथा राज्य को कुल कितना कोयला दिया गया;

(ख) क्या राज्य को अपनी आवश्यकतानुसार कोयला नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना के बाद कोयले की मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए उड़ीसा को कोयले के आवंटन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) मांग का आंकलन योजना आयोग द्वारा क्षेत्र-वार किया जाता है न कि राज्य-वार। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य को प्रेषित किए गए कोयले की कुल मात्रा नीचे दी गई है:-

वर्ष	प्रेषित (मिलियन टन में)
2002-03	21.14
2003-04	27.21
2004-05	31.51 (अनंतिम)

(ख) और (ग) सम्पूर्ण देश में कोयले की मांग और स्वदेशी आपूर्ति के बीच काफी अंतर है। कोयले की मांग में वृद्धि, आर्थिक विकास में अचानक उछाल के कारण हुई है।

(घ) दसवीं योजना दस्तावेज के तैयार करने के दौरान वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) के कोयला उत्पादन का अनुमान क्रमशः 62.50 मिलियन टन और 68.00 मिलियन टन था। तत्पश्चात् एम.सी.एल. में कोयले की मांग में वृद्धि के मद्देनजर वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लक्ष्यों को

बढ़ाकर क्रमश: 72 मिलियन टन तथा 80 मिलियन टन कर दिया गया है। इससे कोयले की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

छत्रपति शिवाजी की तलवार वापस लाना

490. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की 350 वर्ष पुरानी तलवार को भारत लाने के लिए प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रयासों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार को मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी की तलवार यू के में है। तथापि इन रिपोर्टों की सच्चाई अभी स्पष्ट नहीं है।

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

491. **श्री रूपचन्द मुर्मू :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या **स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में लोगों के लिए आवश्यक तत्काल स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा विदेशी सहायता से वित्तपोषित योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना कब से परिचालन में है;

(ङ) नौवीं योजना के दौरान योजना के लिए वर्ष-वार कितनी निधियां आबंटित की गई है; और

(च) इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में देश के सामाजिक विस्तार तक स्वास्थ्य सेवाओं की और अधिक समान पहुंच सुनिश्चित करने और आम लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार मानक हासिल करने की आवश्यकता को मान्यता दी है। यह नीति स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यापक पहलुओं को कवर करती है जिसमें वित्तीय संसाधन, समानता, राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के की प्रदानगी, स्वास्थ्य टांचा निजीक्षेत्र की भूमिका, स्थानीय स्वत: सरकारी संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठन, स्वास्थ्य अनुसंधान, रोग निगरानी आदि शामिल है।

(ग) पश्चिम बंगाल समेत देश में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्र प्रायोजित स्कीमों में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (नाको) शामिल है। इसके अलावा, नौवीं पंचवर्षीय योजना में विश्व बैंक की सहायता से राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना शुरू की गई थी जिसकी लागत 751.76 करोड़ रुपए थी। यह परियोजना मार्च, 2004 में पूरी हो गई थी।

(घ) निम्नलिखित वर्षों में ये कार्यक्रम शुरू किए गए थे:-

स्कीम/कार्यक्रम	वर्ष
राष्ट्रीय मेलेरिया रोधी कार्यक्रम (दसवीं योजना में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मिला दिया गया)	1953
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (1992 में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित)	1962
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	1976
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	1955
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	1992

(ङ) और (च) ब्यौरा विवरण I और II के रूप में संलग्न है। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना हेतु

कोई वर्ष-वार आवंटन नहीं है। राज्य सरकारों को निधियां खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में जारी की गई थीं। विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में संवितरण और प्रगति की विश्व बैंक मिशन आवधिक समीक्षा करता है।

विवरण-I

पश्चिम बंगाल में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवंटित निधियां

(रुपए लाख में)

स्कीम/कार्यक्रम वर्ष	मलेरीया	क्षयरोग	कुष्ठ	दृष्टिहीनता	एड्स
1997-1998	465.28	817.01	640.66	56.75	100
1998-1999	460.63	1052.71	452.85	141.70	350.00
1999-2000	296.26	2063.34	841.53	194.10	425.00
2000-2001	354.86	1126.85	784.00	275.00	643.15
2001-2002	589.86	1109.92	574.66	180.76	1059.50
कुल (नौवीं योजना)	2166.89	6169.83	3293	848.31	2577.65

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की उपलब्धियां

(i) राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम

वर्ष	ए बी ई आर	ए पी टी
1	2	3
1997	4.37	2.81
1998	3.90	2.12
1999	3.51	2.77
2000	3.62	1.76
2001	3.51	1.53
2002	4.70	2.34

ए बी ई आर : वार्षिक एकल जांच दर %

ए पी आई : प्रति हजार व्यक्ति पर वार्षिक परजीवी घटना दर

(ii) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष	स्पूटम जांच		स्पूटम पाजीटिव	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1997-1998	1136520	72046	37884	8858
1998-1999	1136520	66048	37884	6964
1999-2000	389860	85068	38900	15595
2000-2001	395040	35820	39500	3721
2001-2002	401000	35494	40100	3688

(iii) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष	पता लगाना		उपचार		छुट्टी दी गई	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1997-98	25000	38134	25000	38134	45000	60199
1998-99	40000	71728	40000	71728	70000	57138
1999-00	20000	52888	20000	52888	45000	64137
2000-01	18000	34619	18000	34619	30800	54689
2001-02	18000	46214	18000	46214	30800	35739

(iv) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष	मोतिया बिन्द के लिए आपरेशन	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1997-98	168000	146405
1998-99	184800	169397
1999-00	200000	205790
2000-01	210000	176473
2001-02	220000	229665

(v) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम*

15 प्रमुख रक्त बैंक और 61 जिला रक्त बैंक स्थापित किए गए हैं। 36 यौन संचारित रोग क्लीनिकों की स्थापना की गई है। 10 स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। असुरक्षित एवं उपांतिक उच्च जोखिम आचरण वाले समूहों के लिए 37 कार्यकलाप परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

*वर्ष 2001-02 के संबंध में

लंदन में धार्मिक स्थलों को नुकसान

492. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज) :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय उच्चायुक्त से लंदन में किसी धार्मिक स्थल विशेषरूप से सिख गुरूद्वारों को वहां हाल में हुए बम बिस्फोटों के कारण नुकसान के बारे में कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस मामले को ब्रिटेन की सरकार के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर ब्रिटेन की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) जी हां, लंदन में 7 जुलाई को आतंकी बम विस्फोटों के बाद दक्षिण लंदन, केंट, और लीड्स में गुरूद्वारों पर छोटी मोटी हमलों की अलग-अलग घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। किसी बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने यू के में सिक्खों के पूजा स्थलों पर हमलों की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। सरकार ने ब्रिटिश सरकार से इन हमलावरों को पकड़ने और सिक्ख समुदाय की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाने को कहा है। ब्रिटिश प्राधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि के वे सभी समुदायों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए समुदाय के नेताओं के साथ काम करेंगे।

छत्तीसगढ़ में सिमकार्डों की कमी

493. श्री अजीत जोगी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ में बी.एस.एन.एल. मोबाइल फोन की मांग को पूरा करने के लिए सिमकार्डों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वर्ष 2004-2005 के लिए विशेषकर छत्तीसगढ़ में इस संबंध में राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) अब तक यह लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) अत्यधिक मांग के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य में रॉल-आउट की गई अतिरिक्त क्षमता की खपत हो गई है और परिणामस्वरूप भारत संचार निगम लिमिटेड को इस राज्य में सेल्युलर नेटवर्क क्षमता संबंधी-दिक्कत पेश आ रही है। तदनुसार, सिमकार्डों की उपलब्धता के बावजूद, कनेक्शन प्रदान करने के कार्य को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया गया है। सेल्युलर कनेक्शनों की जिला-वार पंजीकृत मांग संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बी.एस.एन.एल. ने इस राज्य की नेटवर्क क्षमता में 1.50 लाख लाइनों की अतिरिक्त क्षमता से इसका विस्तार करने हेतु खरीद आदेश पहले ही दे दिया है। अतिरिक्त क्षमता दिसम्बर 2005 से उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध होने की संभावना है।

(घ) बी.एस.एन.एल. ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान 65 लाख सेल्युलर कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें एक लाख कनेक्शन छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी हैं।

(ङ) मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान बी.एस.एन.एल. ने अब तक छत्तीसगढ़ राज्य में 50,956 सेल्युलर कनेक्शन प्रदान किए हैं।

विवरण

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलावार-पंजीकृत मांग

जिला	पंजीकृत मांग
1	2
दांतेवाडा	5266
जगदलपुर	10825
कंकेड	5429
बिलासपुर	9660
जांजगीर	5259
कोरबा	7780
दुर्ग	18976
कवार्धा	1206
राजनांदगांव	3785
जशपुरनगर	1576
रायगढ़	5729
धामतारी	3363
महासमुंद	5968
रायपुर	19760
अंबिकापुर	3810
कोरिया	5979
जोड़	114371

[हिन्दी]

स्वास्थ्य संस्थानों हेतु वित्तीय सहायता

494. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश जैसे गरीब और पिछड़े राज्यों के स्वास्थ्य संस्थानों की अवसंरचना की बेहतरी के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) इस मंत्रालय को मई, 2001 में मध्य प्रदेश सरकार से विश्व बैंक की सहायता के लिए स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के वास्ते एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस परियोजना की कुल लागत 6269.26 मिलियन रुपए थी इसमें से 42 प्रतिशत सिविल निर्माण कार्यों (नवीकरण, विस्तार करने और निर्माण) के लिए थी। परियोजना प्रस्ताव को मार्च, 2003 में विश्व बैंक सहायता हेतु विचार करने के लिए विदेशी मामलों के विभाग को भेजा गया। विदेशी मामलों के विभाग (डी ई ए) ने ऋण लेते रहने (डेट-सस्टेनेबिलिटी) के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं पर राज्य सरकार से इन पर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत भोपाल में अखिल

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह का संस्थान भी खोलने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

भारतीय देवता का अपमानजनक चित्रण

495. **श्री एम. शिवन्ना :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल में एक भालू को "गणेश" का नाम दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय देवता को अपमानजनक ढंग से बोतल के लेबल में चित्रित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मामले को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (घ) 18 मई, 2005 के कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार लास्ट कोस्ट ब्रेवरी, हमबोल्ट में उत्तरी केलीफोर्निया में महिला स्वामित्व वाली छोटी सी शराब निर्माणशाला ने इंडिका इंडिया पेल एले बीयर निकाली, जिसके लेबल में गणेश के चार हाथों मे से एक हाथ में और सूंड में बीयर पकड़े दिखाया गया है।

(ङ) से (छ) एक भारतीय विधि विद्यार्थी ने ब्रेवरी द्वारा अपने बीयर ब्रांड में गणेश की तस्वीर छापने पर भावनात्मक विरोध के लिए एक बिलियन अमरीकी डालर का मुकदमा दायर कर दिया है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार ब्रेवरी ने कहा कि कुछ भारतीय-अमरीकी हिंदुओं की नाराजगी को देखते हुए वह अपनी इंडिका पेल एले ब्रांड को हटा लेगी। किसी भी भारतीय-अमरीकी संगठन द्वारा यह मसला अमरीका में भारतीय दूतावास/कोंसलावास के ध्यान में नहीं लाया गया है।

पारिस्थितिकीय सूचना केन्द्र

496. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री एम. शिवन्ना :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक ट्रस्ट फार रिसर्च इन इकोलॉजी एण्ड इन्वायरनमेंट ने कर्नाटक में बंगलौर में देश का पहला पारिस्थितिकीय सूचना केन्द्र शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यह जनता के लिए कितना सहायक होगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एण्ड इन्वायरनमेंट ने बंगलौर में मई, 2005 में पहला पारिस्थितिकीय सूचना केन्द्र शुरू किया है।

(ख) जीव वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंध में इच्छुक अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों, नीति निर्माताओं तथा अन्य विशेषज्ञों की व्यापक रेंज के इस्तेमाल के लिए सार्वजनिक डोमेन में पारिस्थितिकीय, सुदूर संवदेनशील तथा भू-भौतिकीय आंकड़े संयोजित करना, व्यवस्थित करना तथा प्रसार करना।

- साधनों एवं सॉफ्टवेयर की मॉडलिंग एवं विकास के जरिए डेटाबेस के संगठन, संरचना एवं प्रसार पर अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- बड़े डेटाबेसों के संचालन, मॉडलिंग और सूचना के प्रसार में पर्यावरण विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना।

(ग) सूचना केन्द्र निम्नलिखित प्रकार से जनता के लिए लाभदायक हैं:—

- भारत के विभिन्न मुख्य पारिस्थितिकीय क्षेत्रों उदाहरणस्वरूप पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय आदि के संरक्षण एवं प्रर्यावरण

पर जीआईएस आधारित एवं सुदूर संवेदनशील आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

– जनता में जागरुकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कार्यशालाएं/समाचार पत्रिकाएं शुरू की गई हैं।

– पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

विदेशी छात्रों हेतु वीजा प्रक्रिया में संशोधन

497. श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :
श्री के.सी. पलनिसामी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे या करने के इच्छुक विदेशी छात्रों द्वारा वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) छात्र वीजा प्रदान करने और बाद में छात्र वीजा की अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सभी भारतीय मिशनों को भारत में मान्यताप्राप्त/प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश लेने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमित और पूर्णकालिक शैक्षिक अध्ययन करने के लिए भारत आने वाले विदेशी छात्र को पांच वर्ष की अवधि अथवा अध्ययन किए जाने वाले पाठ्यक्रम की अवधि के लिए छात्र वीजा प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। विदेशी छात्र जिनके पास विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान का निश्चित प्रवेश पत्र नहीं है उनके अस्थायी वीजा की अवधि को तीन माह से छह माह तक बढ़ा दिया गया है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जहां कहीं आवश्यक हो विदेशी छात्रों के वीजा की अवधि को आगे और बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है।

आयातित कोयले का मूल्य

498. श्री विकास चौधरी : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान आयातित कोयले का प्रति टन मूल्य कितना है और भारतीय बाजार में उसका बिक्री मूल्य कितना है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव स्वदेशी कोयले के मूल्य से अधिक मूल्य होने की दृष्टि से कोयले के आयात में कटौती करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान कोयले के आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	कोयले का ग्रेड	मात्रा (मि.ट.)	आयातित कोयले की कुल कीमत (मिलियन रुपयों में)	आयातित कोयले का औसत मूल्य (रुपए प्रति टन)
2003-2004	कोकिंग कोयला	12.99	36,072	2825.40
	नान-कोकिंग कोयला	8.69	13,385	1540.28
	कोक	1.89	14,741	7799.47
2004-2005 (अनंतिम)	कोकिंग कोयला	14.84	62,500	4211.59
	नान-कोकिंग कोयला	10.47	26,000	2483.28
	कोक	2.78	42,000	15107.91

कोयले के अधिकांश उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के लिए कोयला आयात कर रहे हैं। इसलिए आयातित कोयले की बिक्री कीमत का पता लगाना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) इस समय कोयला खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत आयातित किया जाता है। कोयले का आयात आवश्यकता पर आधारित है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए घरेलू कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों का विनिवेश

499. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों का विनिवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विनिवेश के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) विनिवेश के कारण कोयला उद्योग में कार्यरत कितने कामगार प्रभावित हुए हैं; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) ऊपर भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दवाइयों की आपूर्ति में विलम्ब

500. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञों द्वारा लिखी दवाइयों की आपूर्ति सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को समय पर नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके तहत सी. जी. एच. एस. लाभार्थी सी. जी. एच. एस. की पूर्व अनुमति के बिना बाजार से दवाइयां खरीद सकते हैं और उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) लाभार्थियों के हित में वर्तमान प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए और सी. जी. एच. एस. के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) दवाइयों की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति लाभार्थियों को उसी दिन कर दी जाती है। तथापि, औषधालय में अनुपलब्ध दवाइयों को वैयक्तिक प्रैस्क्रिप्शन के आधार पर प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से खरीद लिया जाता है। कुल मिलाकर प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट द्वारा आगामी कार्य दिवस पर दवाइयों की आपूर्ति कर दी जाती है या अधिक से अधिक तीसरे दिन कर दी जाती है। जिन के. स. स्वा. यो. के औषधालयों के प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट नहीं हैं उनके मामले में के. स. स्वा. यो. के लाभार्थियों (पेंशन लेने वालों समेत) को खुले बाजार से दवाइयां खरीदने की अनुमति है जिनकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कर दी जाती है।

(ख) और (ग) लाभार्थियों को के.स.स्वा.यो. की अनुमति लिए बगैर सीधे ही बाजार से दवाइयां खरीदने संबंधी अनुमति का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) सरकार ने 504 प्रोप्राइटेरी औषधियों के संबंध में एम एस ओ/के.स.स्वा.यो. हेतु कम्बाइन्ड फार्मुलेरी को पहले ही अनुमोदन दे दिया है। फार्मुलेरी के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए दवाइयां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में आगे औषधियों की उपलब्धता होने की अपेक्षा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा दिशार्निदेश के माध्यम से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

औषधालयों के कार्यो को उन्नत करने के लिए एक अन्तर्निमित तंत्र मौजूद है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के समस्त कार्यों के निगरानी करने के लिए दिल्ली में 8 विशेष निरीक्षण टीमें गठित की गई हैं। समय-समय पर इन टीमों द्वारा पर्यवेक्षी दौरे किए जाते हैं तथा जब भी आवश्यकता हो नैदानिक कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

उ.प्र. में खेल-कूद क्रियाकलापों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना

501. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में खेल-कूद क्रियाकलापों हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षी योजनावधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य को कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) 31.3.2005 तक, यह मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा था जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालय/कॉलेजो और स्कूलों को निर्धारित पैटर्न के अनुसार राज्य सरकार आदि से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि सरकार ने खेल अवस्थापना योजनाओं को 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है, तदनुसार खेल अवस्थापना योजनाओं के लिए 2005-2006 के दौरान राशि का आबंटन नहीं किय गया है। इसलिए अब नए खेल अवस्थापना प्रस्तावों को राज्य सरकारों द्वारा अपने स्रोतों से वित्त पोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 28.2.2005 को सूचित कर दिया गया था। तथापि राज्य खेल अकादमी, एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो कि उत्तर प्रदेश के लिए भी मान्य है।

(ख) जैसा कि उपर्युक्त (क) में बताया गया है।

(ग) खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन का कोई प्रावधान नहीं था। राज्य सरकारों और भाग (क) में दर्शायी गई अन्य एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 2003-04 से 2004-05 के दौरान अवस्थापना योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को 467.09 लाख रु. जारी किए गए। राज्य खेल अकादमी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में प्रशिक्षण केन्द्र

502. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जम्मू और कश्मीर में स्थापित किए गए प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण का विचार वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए नए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) ने ऊधमपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, जम्मू व कश्मीर में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विद्यालयों को अपनाया गया है:-

1. जवाहर नवोदय विद्यालय, शाहकुटे, जिला बारामूला।
2. जवाहर नवोदय विद्यालय, बसोहली, जिला कठुआ।
3. देशज खेल और मार्श आर्ट केन्द्र, किश्तवाड़, जिला-डोडा।

(ख) और (ग) उपर्युक्त दर्शाये जवाहर नवोदय विद्यालय, बसोहली, जिला कठुआ की पहचान वर्ष 2004-05 में की गई थी।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकों हेतु उच्च वेतनमान

503. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव पद धारक कार्मिकों और निजी सचिव के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले कार्मिकों को नान-फंक्शनल वेतनमान के रूप में 8000-13500/- रुपए के उच्च वेतनमान प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये आदेश वायु सेना मुख्यालय, रेल बोर्ड, विदेश मंत्रालय आदि की आशुलिपिक सेवाओं में भी प्रयोज्य हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हां। सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों [आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (संविलयित)] को उक्त ग्रेड में उनके द्वारा चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी करने पर 8000-275-13500/- रुपए का गैर कार्यात्मक (नान-फंक्शनल) वेतनमान मंजूर करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में पदोन्नति के अवसरों में अवरोध को कम करने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए, गठित अधिकारियों के एक समूह ने केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव स्तर के पदों के लिए एक गैर कार्यात्मक (नान-फंक्शनल) वेतनमान लागू करने की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया।

[हिन्दी]

डब्ल्यू.एल.एल. फोनों का कार्य-निष्पादन

504. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संचार क्षेत्र में प्रदान की जा रही सेवाएं निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की तुलना में सन्तोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना राजस्व घाटा हुआ है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बी.एस.एन.एल. द्वारा प्रदान किए गए डब्ल्यू.एल.एल. फोन उत्तर प्रदेश में विशेषकर इटावा जिले में सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में सेवा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। मार्च, 2005 को समाप्त तिमाही की सेवा-गुणवत्ता निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्टों के अनुसार, एमटीएनएल और बीएसएनएल अन्य निजी सेल्यूलर मोबाइल प्रचालकों की भांति अधिकांश सर्किलों में विभिन्न पैरामीटरों के अधिकतर बैंचमार्कों को पूरा करते हैं। मार्च, 2005 को समाप्त तिमाही से संबंधित सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रचालकों की निष्पादन मॉनीटरिंग रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि बीएसएनएल देश में सेल्यूलर मोबाइल सेवा का सर्वोत्तम कवरेज प्रदान कर रहा है। बुनियादी सेवा के मामले में, एमटीएनएल तथा बीएसएनएल दोनों ही दोष-दर संबंधी कुछ पैरामीटरों में निजी प्रचालकों से पीछे हैं। तथापि, हाल के वर्षों में बुनियादी सेवा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है और सेवा असंतोषजनक नहीं है। बीएसएनएल से संबंधित निम्नलिखित सारणी में इसकी झलक मिलती है:-

क्र.सं.	पैरामीटर	वर्ष	
		2003-04	2004-05
1	2	3	4
1.	दोष दर %	8.4	7.6
2.	सीसीआर (स्थानीय) %	57.85	59.85

1	2	3	4
3.	अगले दिन तक दोष मरम्मत %	90.29	90.2
4.	दोष पुनरावृत्ति %	0.87	0.58

(ख) उपरोक्त भाग (क) उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इटावा जिले सहित उत्तर प्रदेश में बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त डब्ल्यूएलएल फोन सामान्यतया संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में "ए/सी मेन्स" विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति, उपभोक्ता के (सब्सक्राइबर एण्ड) टर्मिनलों (एफडब्ल्यूटी) की अन्त: निर्मित (इन-बिल्ट) बैटरी ठीक-से चार्ज नहीं होती जिससे उपभोक्ताओं की सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है तथा उपभोक्ताओं द्वारा एफडब्ल्यूटी के गलत ढंग से संचालन (मिसहैंडलिंग) की वजह से भी एफ डब्ल्यू टी में खराबी पैदा हो जाती है जिसके कारण डब्ल्यूएलएल प्रणालियों के ठीक ढंग से कार्य करने में दिक्कतें पेश आती हैं। एफ डब्ल्यू टी में समस्या के कारण जो डब्ल्यू एल एल टेलीफोन कनेक्शन खराब हो जाते हैं उन्हें बहाल करने संबंधी कारवाई की व्यवस्था पहले से ही जारी है।

(ङ) सेवा में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i) केबल की लम्बाई घटाने के लिए और अधिक आरएसयू (रिमोट स्विचिंग यूनिट)/डीएलसी (डिजीटल लूप कैरियर) लगाना जिससे केबल के कारण उत्पन्न दोषों में कमी आई है।

(ii) आउटडोर नेटवर्क के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए बाह्य संयंत्र का उन्नयन जिसमें खम्बा रहित गतिविधि भी शामिल है।

(iii) दोष-प्रवण पेपर कोर भूमिगत केबलों को बदलना।

(iv) "लास्ट माइल" समस्याओं को कम करने और हाई स्पीड डाटा सर्किट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डीएलसी (डिजिटल लूप कैरियर्स) में वृद्धि करना।

(v) व्यापक ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए वायरलैस-इन-लोकल लूप प्रणाली शुरू करना।

(vi) अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र (एसडीसीसी)/लम्बी दूरी प्रभारण केन्द्र (एलडीसीसी) पर इन्टरएक्टिव वायस रिस्पोन्स सिस्टम (आई वी आर एस) आधारित केन्द्रीकृत दोष-दर्ज सुविधा की व्यवस्था करना।

(vii) सी-डॉट 256 एक्सचेंजों को ए एन आर ए एक्स (अभिगम नेटवर्क ग्रामीण स्वचालित एक्सेचेंजों में बदलना।

(viii) एसबीएम (सिंगल बेस मोड्यूल) एक्सचेंज को आरएसयू एक्सचेंजों में बदलना।

(ix) बैक-अप विद्युत आपूर्ति के लिए अनुरक्षण मुक्त बैटरी सैटों तथा इंजन अल्टरनेटरों की व्यवस्था।

(x) नई प्रौद्योगिकी स्विचों और एफ डब्ल्यू टी (फिक्सड वायरलैस टर्मिनलों) सहित डब्ल्यू एल एल स्विचों के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा पर हस्ताक्षर करना।

(xi) दीर्घ वार्ता समय (लांगर टॉक टाइम) और "सटैण्डबाई" समय के लिए एफ डब्ल्यू टी सहित उच्च क्षमता वाला बाह्य अनुरक्षण मुक्त बैटरियों की व्यवस्था।

(xii) उन नगरों में मोबाइल स्विचन क्षमता में वृद्धि करना, जहां इसकी आवश्यकता हो।

(xiii) हायर-इण्डोर/इन-कार/संकेत स्तरों के संबंध में मौजूदा मोबाइल सेवाओं का विस्तार/उनमें सुधार करना।

(xiv) राजमार्गों में पड़ने वाले नगरों/गांवों को ग्रामीण कवरेज प्रदान करने के लिए राजमार्गों के मोबाइल नेटवर्क में सुधार करना।

(xv) एफ डब्ल्यू टी के सही उपयोग के संबंध में उपभोक्ताओं की जागरूकता में वृद्धि करने के लिए उन्हें "क्या करें" तथा "क्या न करें" संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि एफ डब्ल्यू टी से संबंधित दोष न्यूनतम किए जा सकें।

(xvi) मोबाइल नेटवर्क क्षमता का लगातार विस्तार किया जा रहा है और इसके कार्य-निष्पादन के लिए मोबाइल नेटवर्क का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।

विवरण

31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा यथा सूचित सेल्युलर सेवाओं संबंधी सेवा की गुणवत्ता के पैरामीटर का ब्यौरा

क्र.सं.	सेवा प्रदाताओं का नाम	खराबी होने के मामले एवं मरम्मत			नेटवर्क निष्पादन				बिलिंग संबंधी शिकायतें		
		(i) खराबियों की संख्या (प्रति 100 उपभोक्ता)	(ii) 24 घंटे के भीतर निपटाई गई खराबियां	(iii) समुदाय के अलग-थलग रहने का कुल संचित समय	(i) काल सफलता दर (लाइसेंस-धारक के स्वयं के नेटवर्क के भीतर)	(ii) सेवा अभिगम में विलम्ब	(iii) काल ड्राप दर	(iv) अच्छी ध्वनि की गुणवत्ता वाले कनेक्शनों का %	(i) जारी किए गए प्रति 100 बिल पर शिकायतें	(ii) 4 सप्ताह के भीतर समाधान की गई शिकायतों का %	(iii) उपर्युक्त (ii) के अनुसार शिकायतों का समाधान करने की तारीख से उपभोक्ताओं को देय सभी रिफंडों/भुगतान की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	बैंचमार्क										
		<1%	100%	<24 घंटे	>99%	9 से 20 सेकेंड	<3%	>95%	<1%	100%	<4 सप्ताह
	(क) सर्किल										
	महाराष्ट्र										
1.	बीपीएल सेल्युलर	1.17%	98.00%	58.6	98.69%	11.21	1.32	98.09%	0.100%	100.00%	30 दिन
2.	आईडिया सेल्युलर	0.01%	100.00%	45.38	96.40%	13.45	1.40	98.39%	0.405%	100.00%	30 दिन
3.	बीएसएनएल	0.20%	90.00%	98	88.00%	2.00	120	96.00%	1.200%	100.00%	30 दिन
4.	भारती सेल्युलर	0.39%	100.00%	22.23	99.01%	9.35	0.92	96.50%	0.100%	100.00%	30 दिन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	रिलायंस-सीडीएमए										
6.	टाटा, एमएच-सीडीएमए	0.16%	98.00%	13.56	99.58%	12.00	0.55	97.17%	0.003%	100.00%	लागू नहीं
	गुजरात										
7.	हच	0.01%	100.00%	10.5	98.66%	14.14	1.38	97.52%	0.080%	100.00%	30 दिन
8.	आईडिया सेल्युलर										
9.	बीएसएनएल	0.10%	99.00%	शून्य	99.00%	2.00	1.00	लागू नहीं	0.100%	100.00%	7 दिन
10.	भारती सेल्युलर	0.10%	100.00%	17.57	99.75%	12.80	0.25	96.94%	0.050%	100.00%	14 दिन
11.	रिलायंस-सीडीएमए										
12.	टाटा-सीडीएमए	0.87%	99.00%	4.18	99.77%	8.60	0.49	96.77%	0.010%	100.00%	30 दिन
	आंध्र प्रदेश										
13.	आईडिया सेल्युलर	0.32%	100.00%	26.44	99.98%	9.56	0.51	98.53%	0.390%	100.00%	2 दिन
14.	भारती मोबाइल	0.02%	100.00%	139	98.80%	12.00	0.88	98.10%	0.050%	100.00%	लागू नहीं
15.	बीएसएनएल, एपी	0.30%	95.00%	शून्य	98.00%	6.00	1.60	98.00%	0.000%	100.00%	तत्काल
16.	हचिसन एस्सार	0.37%	100.00%	18	99.04%	5.00	1.04	98.00%	0.090%	100.00	30 दिन
17.	रिलायंस-सीडीएमए										
18.	टाटा-सीडीएमए	1.09%	64.00%	15.35	99.83%	5.53	0.51	97.55%	0.310%	100.00%	30 दिन
	कर्नाटक										
19.	भारती मोबाइल	0.04%	100.00%	97.13	99.05%	7.00	1.50	96.20%	0.005%	100.00%	30 दिन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	स्पाइस कॉम	0.15%	100.00%	1.2	99.72%	9.00	1.26	99.71%	0.020%	100.00%	7 दिन
21.	बीएसएनएल	0.50%	100.00%	12	94.00%	12.00	1.30	98.00%	0.020%	100.00%	30 दिन
22.	हचिसन एस्सार	0.75%	100.00%	15	99.90%	17.00	1.29	97.60%	0.018%	100.00%	30 दिन
23.	रिलायंस-सीडीएमए										
24.	टाटा-सीडीएमए	2.07	98.58%	21.46	99.30%	8.77	1.04	96.33%	0.240%	100.00%	30 दिन
	तमिलनाडु										
25.	बीपीएल सेल्युलर	0.52%	100.00%	140.57%	98.96%	9.50	1.35	99.81%	0.170%	100.00%	30 दिन
26.	एयरसेल	0.01%	100.00%	18.27	99.02%	11.06	1.69	95.70%	0.110%	100.00%	28 दिन
27.	बीएसएनएल	0.10%	100.00%	शून्य	88.00%	9.00	1.10	95.00%	0.000%	100.00%	तत्काल
28.	भारती सेल्युलर	0.07%	98.11%	20	98.36%	12.24	0.81	98.39%	0.080%	100.00%	30 दिन
29.	रिलायंस-सीडीएमए										
30.	टाटा-सीडीएमए	0.02%	100.00%	0.48	99.48%	5.40	1.03	95.53%	0.090%	100.00	30 दिन
	(ख) सर्किल										
	केरल										
31.	आइडिया-एस्कोटेल मोबाइल	0.23%	100.00%	13.08	99.82%	14.00	1.93	98.15%	0.180%	100.00%	30 दिन
32.	बीपीएल सेल्युलर	0.00%	100.00%	15.28	99.19%	20.00	1.27	99.45%	0.001%	100.00%	30 दिन
33.	बीएसएनएल	1.10%	96.00%	209	96.00%	12.40	1.40	95.00%	1.700%	100.00%	30 दिन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	भारती सेल्युलर	0.05%	97.52%	21	99.41%	15.34	1.38	98.70%	0.050%	100.00%	30 दिन
35.	टाटा-सीडीएमए										
36.	रिलायंस-सीडीएमए										
	पंजाब										
37.	स्पाइस कॉम.	0.20%	100.00%	6.85	99.21%	4.20	1.55	98.30%	0.035%	100.00	30 दिन
38.	भारती मोबाइल	0.02%	100.00%	4.68	99.60%	9.00	1.63	99.80%	0.080%	100.00	1 दिन
39.	हच	0.63%	100.00%	शून्य	99.41%	10.00	1.22	98.98%	0.082%	100.00%	1 दिन
40.	बीएसएनएल										
41.	टाटा-सीडीएमए										
42.	रिलायंस-सीडीएमए										
	हरियाणा										
43.	आइडिया एस्कोटेल मोबाइल	0.15%	100.00%	10.4	99.95%	14.27	0.77	99.41%	0.080%	100.00%	35 दिन
44.	हच-एयरसेल डिजीलिंक	0.95%	100.00%	3.15	99.75%	9.20	1.72	98.50%	0.090%	100.00%	30 दिन
45.	बीएसएनएल	0.30%	100.00%	20	97.00%	9.00	2.80	97.00%	0.070%	100.00%	7 दिन
46.	भारती सेल्युलर	0.09%	100.00%	2.2	99.70%	8.00	1.59	99.80%	0.070%	100.00%	1 दिन
47.	टाटा-सीडीएमए										
48.	रिलायंस-सीडीएमए										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	उत्तर प्रदेश पश्चिम										
	हच एस्सार	1.00%	100.00%	शून्य	96.00%	10.00	1.40	96.00%	0.024%	100.00%	3 दिन
49.	आइडिया	0.08%	100.00%	16.04	99.89%	11.50	1.92	97.00%	0.390%	100.00%	30 दिन
50.	बीएसएनएल	0.60%	98.00%	शून्य	88.00%	9.00	1.10	95.00%	0.000%	100.00%	तत्काल
51.	भारतीय सेल्युलर	0.76%	100.00%	16.08	99.63%	9.00	1.67	95.94	0.020%	100.00%	30 दिन
52.	टाटा-सीडीएमए										
53.	रिलायंस-सीडीएमए										
	उत्तर प्रदेश पूर्व										
54.	भारती सेल्युलर	3.00%	98.00%	शून्य	95.00%	9.50	लागू नहीं	96.00%	0.200%	99.00%	45 दिन
55.	हच-एडी	052%	100.00%	शून्य	99.45%	9.00	1.61	98.00%	0.020%	100.00%	21 दिन
56.	बीएसएनएल	1.80%	100.00%	2	97.00%	13.00	2.80	96.00%	0.100%	100.00%	30 दिन
57.	रिलायंस-सीडीएमए										
58.	टाटा-सीडीएमए										
	राजस्थान										
59.	हच-एयरसेल डिजीलिंक	0.14%	100.00%	1.05	100.00%	9.00	1.40	95.99%	0.090%	100.00%	21 दिन
60.	बीएसएनएल	0.40%	97.00%	38	95.00%	6.00	1.80	92.00%	0.500%	93.00%	30 दिन
61.	भारती-हेक्साकॉम	0.70%	100.00%	7.5	99.80%	9.00	1.50	99.00%	0.080%	100.00%	1 दिन
62.	रिलायंस-सीडीएमए										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	टाटा-सीडीएमए										
	मध्य प्रदेश										
64.	आइडिया सेल्युलर	0.19%	100.00%	5.5	99.03%	12.33	1.23	99.19%	0.260%	100.00%	30 दिन
65.	रिलायंस	0.00%	100.00%	13.18	100.00%	8.06	2.84	97.89%	0.040%	100.00%	1 दिन
66.	बीएसएनएल	0.80%	97.00%	शून्य	99.00%	3.00	1.30	95.00%	0.040%	100.00%	30 दिन
67.	भारती सेल्युलर	0.08%	100.00%	16.06	99.51%	13.00	0.58	98.00%	0.092%	100.00%	30 दिन
68.	रिलायंस-सीडीएमए										
69.	टाटा-सीडीएमए										
	पश्चिम बंगाल										
70.	भारती	0.01%	100.00%	1	98.29%	6.90	1.69	97.00%	0.180%	100.00%	30 दिन
71.	रिलायंस	0.08%	100.00%	57.54	99.00%	9.44	2.63	99.79%	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
72.	बीएसएनएल	0.60%	100.00%	शून्य	99.00%	6.00	1.70	99.00%	0.000%	100.00%	तत्काल
73.	टाटा-सीडीएमए										
74.	रिलांयस-सीडीएमए										
	(ग) सर्किल										
	हिमाचल प्रदेश										
75.	भारती टेलिनेट	0.01%	100.00%	4.26	99.57%	9.00	1.93	99.91%	0.060%	100.00%	1 दिन
76.	रिलायंस	0.02%	100.00%	6.4	100.00%	6.61	2.33	99.62%	0.000%	100.00%	10 दिन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.	बीएसएनएल	0.30%	97.00%	1	98.00%	6.00	2.50	95.00%	0.090%	100.00%	तत्काल
78.	रिलायंस-सीडीएमए										
79.	टाटा-सीडीएमए										
	बिहार										
80.	रिलायंस	0.11%	100.00%	19.32	99.00%	8.35	1.98	98.88%	0.000%	100.00%	7 दिन
81.	बीएसएनएल	0.40%	96.00%	87	99.00%	9.00	2.10	92.00%	0.200%	90.00%	42 दिन
82.	रिलायंस-सीडीएमए										
83.	टाटा-सीडीएमए										
	भारती सेल्युलर	0.12%	100.00%	4	99.53%	5.33	1.03	99.66%	0.200%	100.00%	शून्य
	उड़ीसा										
84.	रिलायंस	0.10%	100.00%	14.36	99.17%	7.27	2.47	99.76%	0.050%	100.00%	लागू नहीं
85.	बीएसएनएल	0.10%	88.00%	83	84.00%	9.00	1.90	93.00%	0.100%	100.00%	तत्काल
86.	भारती	0.43%	98.17%	शून्य	100.00%	7.40	0.00	98.82%	0.050%	100.00%	30 दिन
87.	रिलायंस-सीडीएमए										
88.	टाटा-सीडीएमए										
	असम										
89.	बीएसएनएल, एएस	0.30%	100.00%	3	99.00%	12.00	36.60	95.00%	0.100%	100.00%	तत्काल
90.	रिलायंस, एएस	0.02%	100.00%	13.4	99.00%	9.70	1.22	98.18	0.010%	100.00%	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	जम्मू-कश्मीर										
91.	बीएसएनएल	1.90%	100.00%	23	99.00%	12.00	2.00	97.00%	0.100%	100.00%	21 दिन
92.	भारती	2.00%	99.70%	3.78	99.00%	9.00	2.80	98.50%	0.050%	100.00%	1 दिन
93.	रिलायंस-सीडीएमए										
	पूर्वोत्तर										
94.	बीएसएनएल	1.40%	100.00%	12	99.00%	14.00	2.00	98.00%	0.000%	100.00%	21 दिन
95.	रिलायंस	शून्य	शून्य	शून्य	99.00%	9.74	2.56	95.07%	शून्य	शून्य	शून्य
	महानगर										
	दिल्ली										
96.	भारती सेल्युलर	0.38%	100.00%	शून्य	99.11%	10.00	1.58	95.68%	0.059%	100.00%	30 दिन
97.	हचिसन एस्सार	0.63%	100.00%	शून्य	99.41%	10.00	1.22	98.98%	0.082%	100.00%	तत्काल
98.	एमटीएनएल	1.99%	100.00	शून्य	99.50%	13.00	1.04	56.80%	0.070%	100.00%	30 दिन
99.	आइडिया सेल्युलर	0.37%	100.00	शून्य	99.98%	7.00	0.63	97.15%	0.090%	100.00%	30 दिन
100.	रिलायंस-सीडीएमए										
101.	टाटा-सीडीएमए										
	मुंबई										
102.	बीपीएल मोबाइल	0.27%	100.00%	63.53	99.45%	11.34	1.83	98.72%	0.100%	100.00%	40 दिन
103.	हचिसन मैक्स										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.	एमटीएनएल	0.00%	100.00%	शून्य	99.20%	14.00	1.41	95.30%	0.060%	100.00%	30 दिन
105.	भारती सेल्युलर	0.00%	100.00%	शून्य	100.00%	9.00	1.21	97.00%	0.020%	100.00%	7 दिन
106.	रिलायंस सीडीएमए										
107.	टाटा-सीडीएमए	0.16%	99.00%	3.08	99.82%	12.00	0.30	97.39%	0.620%	94.53%	
	चेन्नई										
108.	एयरसेल सेल्युलर लि.	0.11%	99.20%	शून्य	100.00%	12.00	0.84	95.00%	0.200%	100.00%	30 दिन
109.	भारती मोबीनेट	0.04%	98.26%	शून्य	99.78%	12.67	0.51	96.98%	0.090%	100.00%	30 दिन
110.	हचिसन एस्सार	0.07%	100.00%	शून्य	99.60%	9.00	0.72	98.78%	0.060%	100.00%	3 दिन
111.	बीएसएनएल	0.00	100.00%	शून्य	99.90%	12से.	0.90	100.00%	1.100%	100.00%	तत्काल
112.	रिलायंस-सीडीएमए										
113.	टाटा-सीडीएमए	0.03%	99.00%	शून्य	99.41%	6.55	0.76	95.50%	0.110%	100.00%	30 दिन
	कोलकाता										
114.	भारती मोबीनेट	0.00%	100.00%	शून्य	94.41%	7.30	1.22	98.96%	0.100%	100.00%	लागू नहीं
115.	हचिसन	0.14%	100.00%	शून्य	99.93%	12.00	0.87	97.05%	0.080%	100.00%	4 दिन
116.	बीएसएनएल	0.20%	92.00%	शून्य	93.00%	7.00	0.90	97.00%	2.300%	99.00%	30 दिन
117.	रिलायंस										
118.	रिलायंस-सीडीएमए										
119.	टाटा-सीडीएमए										

[अनुवाद]

बिजनेस पोस्ट सेन्टर्स की स्थापना

505. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ डाकघरों मे "बिजनेस पोस्ट सेन्टर्स" के रूप में कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्रों के मुख्य कार्य क्या हैं और उनके द्वारा कितना कारोबार किया जा रहा है;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। कुछ चुनिंदा डाकघर अपने परंपरागत कार्य के अतिरिक्त बिजनेस पोस्ट केन्द्रों के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और कुछ जगहों पर स्वतंत्र बिजनेस पोस्ट केन्द्र भी हैं।

(ख) ऐसे बिजनेस पोस्ट केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ऐसे बिजनेस पोस्ट केन्द्रों का मुख्य कार्य कारपोरेट ग्राहकों की थोक डाक का निपटान और उनकी डाक संबंधी समस्याओं जैसे संग्रहण, लिफाफा बंदी, फ्रैंकिंग, गमिंग आदि का समाधान करना तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर डाक का विशेष निपटान करना है। वर्ष 2004-05 में स्वतंत्र तथा डाकघरों में स्थित बिजनेस पोस्ट केन्द्रों द्वारा लेन-देनों में निपटाए गए परियात की मात्रा 7780.02 लाख है। डाकघरों में कार्यरत बिजनेस पोस्ट केन्द्रों के माध्यम से हुए लेन-देन की निश्चित मात्रा प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) और (ङ) बिजनेस पोस्ट केन्द्रों का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है। इन केन्द्रों की स्थापना की जांच मामला-दर-मामला आधार पर सर्किल अध्यक्षों द्वारा की जाती है जो इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी होते हैं।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिजनेस डाकघरों के स्थानों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	बिजनेस पोस्ट केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. अट्टिली
		2. भीमावरम
		3. पालकोल
		4. तनुकु
		5. एलुरु नैशनल एसपीसी
		6. जंगरेड्डिगुदम
		7. गुडिवाड़ा
		8. नुजविद
		9. गुदूर
		10. गुंटूर नैशनल/एसपीसी
		11. मंगलगिरी
		12. खम्मन नैशनल एसपीसी
		13. कोथागुदम कोल.
		14. भद्राचलम
		15. अवनिगड्डा
		16. मच्छलिपट्टनम
		17. नरसरावपेट
		18. सत्तेनपल्लि

1	2	3
		19. चिलकलुरिपेटा
		20. नेल्लूर
		21. चिराला
		22. कण्डुकुरु
		23. कनिगिरी
		24. ऑंगोल
		25. तडेपल्लिगुडम
		26. कोव्वुरु
		27. बपातिया
		28. रेपल्ले
		29. तेनाली
		30. बुचिघमपेटा
		31. विजयवाड़ा
		32. विजयवाड़ा नैशनल एसपीसी
		33. हनामकोण्डा
		34. करीमनगर
		35. महबूबनगर
		36. निजामाबाद
		37. मंगरेड्डि
		38. अनाकपल्ले
		39. काकिनाडा
		40. राजामुंद्रि
		41. श्रीकाकुलम
		42. विजयनगरम
		43. विशाखपट्टनम नैशनल एसपीसी
		44. कुर्नूल नैशनल एसपीसी
		45. तिरुपति नैशनल एसपीसी
		46. चन्द्रगिरी
		47. श्रीकालहस्ति
		48. अनंतपुर
		49. चित्तूर
		50. मदनपल्ले
		51. कुडुप्पा
		52. गंटकल
		53. धर्मवारम
		54. प्रशान्तिनिलमय
		55. नंदयाल
		56. मरकापुर
		57. अल्लागड्डा
		58. प्रोड्डुतूर
		59. पुलिवेंदिया
		60. तिरुपति आरएमएस
		61. नेल्लूर आरएमएस
		62. गुडूर आरएमएस
		63. कुर्नूल आरएमएस
		64. गंटकल आरएमएस

1	2	3
		65. सिकंदराबाद
		66. हैदराबाद बिजनेस पोस्ट सेंटर-I
		67. हैदराबाद बिजनेस पोस्ट सेंटर-II
		68. हैदराबाद बिजनेस पोस्ट सेंटर-III
2.	असम	1. गुवाहटी
		2. सिलचर
		3. तेजपुर
		4. डिब्रुगढ़
		5. जोरहाट
		6. तिनसुकिया
		7. बोंगाईगांव
3.	अरुणाचल प्रदेश	1. इटानगर
4.	बिहार	1. पटना
		2. बांकीपुर
		3. मुजफ्फरपुर
5.	छत्तीसगढ़	1. रायपुर
6.	दिल्ली	1. विदेश डाक काम्पलेक्स, नई दिल्ली-2
		2. मेघदूत भवन, नई दिल्ली-1
		3. सफदरजंग छंटाई कार्यालय, नई दिल्ली-23
		4. इग्नू डाकघर काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-68
		5. सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
		6. रेल डाक सेवा, आरएमएस भवन, दिल्ली-6
		7. दिल्ली जीपीओ, दिल्ली-6
		8. नारायणा औद्योगिक एस्टेट प्रधान डाकघर, नई दिल्ली
		9. नई दिल्ली प्रधान डाकघर, नई दिल्ली-1
		10. मालवीय नगर उप डाकघर, नई दिल्ली-17
		11. कृष्णा नगर, दिल्ली
		12. लोधी रोड, प्रधान डाकघर, नई दिल्ली-3
7.	गुजरात	1. अहमदाबाद
		2. वडोदरा
		3. सूरत
		4. राजकोट
8.	गोवा	1. पणजी
		2. वास्को-द-गामा
		3. मारगो
		4. पोण्डा
		5. पणजी छंटाई कार्यालय
		6. मपुका
9.	हरियाणा	1. अम्बाला
		2. गुड़गांव
		3. फरीदाबाद

1	2	3	
10.	हिमाचल प्रदेश	1.	शिमला
		2.	धर्मशाला
		3.	हमीरपुर
		4.	सोलन
11.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	
12.	झारखण्ड	1.	रांची
		2.	धनबाद
		3.	जमशेदपुर
13.	कर्नाटक	1.	बागलकोट
		2.	बेलगांव
		3.	बेल्लारी
		4.	बीदर
		5.	बीजापुर
		6.	गडग
		7.	गुलबर्ग
		8.	हवेरी
		9.	हुबली-धारवाड़
		10.	रायचूर
		11.	सिरसी (उत्तर कन्नड)
		12.	चिकमंगलूर
		13.	दावनगेरे
		14.	चित्रदुर्ग
		15.	हासन
		16.	मदिकेरी (कोडगु)
		17.	कोलार
		18.	मांडया
		19.	मैंगलूर (दक्षिण कन्नड)
		20.	मैसूर
		21.	ननांजगुड, मैसूर
		22.	पुत्तूर (दक्षिण कन्नड)
		23.	शिमोगा
		24.	टुमकूर
		25.	उडुपी
		26.	बिजनेस पोस्ट सेंटर-I, बेंगलूर
		27.	बिजनेस पोस्ट सेंटर-II, बेंगलूर
		28.	बिजनेस पोस्ट सेंटर-III, बेंगलूर
14.	केरल	1.	त्रिवेंन्द्रम
		2.	कोल्लम
		3.	तिरुवल्ला
		4.	कोट्टयम
		5.	एरणाकुलम
		6.	आलुवा
		7.	त्रिश्शूर
		8.	ईरिंजालक्कुडा
		9.	चंगनाश्शेरी
		10.	मावेलीकारा

1	2	3
		11. पालक्काड
		12. ओट्टपालम
		13. मलप्पुरम
		14. कासरगोड
		15. वडकरा
		16. तलश्शेरी
		17. कण्णूर
		18. तिरूर
		19. कोषिकोड
15.	महाराष्ट्र	1. मुम्बई
		2. योगक्षेम
		3. जेकब सर्किल
		4. विले पार्ले (पश्चिम)
		5. चकाला एमआईडीसी
		6. मण्डपेश्वर
		7. माहिम बजार
		8. ठाणे
		9. वाशी
		10. कामर्स हाउस
		11. दादर
		12. शांति सदन कुर्ला
		13. यूटीआई बेलापुर
		14. टी एस मार्केटिंग मेलिंग सेंटर
		15. पनवेल
		16. हिंगोली
		17. पंढरपुर
		18. सतारा
		19. कराद
		20. पलटन
		21. सतारा सिटी
		22. कोरेगांव
		23. पुणे
		24. चिंचवाड (पूर्व)
		25. येरवाड़ा
		26. शिवाजी नगर
		27. श्रीरामपुर
		28. अहमदनगर
		29. सोलापुर
		30. दपोली
		31. धुले
		32. नंदरबार
		33. जीरो माइल
		34. नागपुर
		35. एसआईडीसी नागपुर
		36. अमरावती
		37. अकोला

1	2	3
		38. चन्द्रपुर
		39. गांडिया
		40. भण्डारा
		41. बुलढाणा
		42. यवतमाल
		43. वर्धा
		44. आरएमएस पी डिवीजन, नागपुर
		45. कोल्हापुर
		46. तिलक मेमोरियल
		47. उसमानाबाद
		48. मनमाड रेलवे मेल सर्विस
		49. नाशिक
		50. मालेगांव
		51. औरंगाबाद
		52. जालना
		53. हीड
		54. नांदेड
		55. नाशिक रोड
		56. चालिसगांव
		57. भुसावल
		58. जलगांव
		59. परभणी
		60. सांगली
		61. रत्नागिरि
		62. चिपलुन
		63. लातूर
16.	मध्य प्रदेश	1. भोपाल
		2. उज्जैन
		3. इन्दौर
		4. जबलपुर
		5. ग्वालियर
17.	मेघालय	1. शिलांग
18.	मणिपुर	1. इंफाल
19.	मिजोरम	1. ऐजवाल
20.	नागालैंड	1. दीमापुर
		2. कोहिमा
21.	उड़ीसा	1. भुवनेश्वर
		2. कटक
		3. पुरी
		4. बालासोर
		5. भद्रक
		6. बारीपाडा
		7. चांदनी चौक
		8. खुरदा
		9. नयागढ़
		10. केन्द्रपाड़ा

1	2	3
		11. जगतैंधपुर
		12. जाजपुर
		13. अथगढ़
		14. जालेश्वर
		15. राइरांगपुर
		16. बरहांपुर
		17. फुलभनी
		18. भवानीपटना
		19. असका
		20. भनजानगर
		21. जेयोरे
		22. कोरापुट
		23. रायागडा
		24. छत्रपुर
		25. परलखम्मुण्डे
		26. झरसुगुडा
		27. संभलपुर
		28. क्योंझर
		29. धेंनकनल
		30. अंगुल
		31. बोलांगीर
		32. सुन्दरगढ़
		33. राउरकेला
		34. उदितनगर
22.	पंजाब	1. चण्डीगढ़
		2. लुधियाना
		3. जालंधर
		4. अमृतसर
23.	राजस्थान	1. बिजनेस डाकघर, संगानेरी गेट, जयपुर
		2. बिजनेस डाकघर, सिटी सार्टिंग आफिस, जयपुर
		3. मोबाइल बिजनेस मेल आफिस, सीएसओ गांधीनगर का कार्यालय, जयपुर
		4. भरतपुर आरएमएस
		5. गंगापुर ट्रांसिट मेल आफिस
		6. अलवर
		7. भिवाडी आई.ए.
		8. खैरथल
		9. अजमेर
		10. उदयपुर
		11. कोटा
		12. जोधपुर आरएमएस
24.	त्रिपुरा	1. अगरतला प्रधान डाकघर
25.	तमिलनाडु	1. इथिराज शालई
		2. चेन्नै, जीपीओ

1	2	3
		3. नंदनम
		4. वदपलनी
		5. तिरुवल्लिकेनी
		6. ग्रेमस रोड
		7. तेयनामपेट
		8. टी नगर
		9. टी. नगर उत्तर
		10. मइलापुर
		11. तिरुवल्लूर
		12. कांचीपुरम
		13. चेंगलपट्टु
		14. तिरुवन्नामलई
		15. वेल्लूर
		16. तंबारम
		17. अम्बतूर
		18. अवाड़ी
		19. तिरुवोत्तियूर
		20. डिंडिगल
		21. पलनी
		22. नल्लकोट्टई
		23. नागरकोविल
		24. थुक्कालई
		25. करईकुडी

1	2	3
		26. कोविलपट्टि
		27. मदुरै
		28. तल्लकुलम
		29. अनसारदी
		30. पेरियकुलम
		31. मनमदुरै
		32. रामनाथपुर
		33. परमकुडी
		34. तिरुनेलवेली
		35. पालयमकोट्टई
		36. अम्बासमुद्रम
		37. तूतिकोरीन
		38. विरुदुनगर
		39. शिवकाशी
		40. राजपालयम
		41. कोयम्बटूर
		42. धर्मपुरी
		43. ईरोड
		44. नमक्कई
		45. नीलगिरीज
		46. पोल्लाच्वी
		47. सेलम पूर्व
		48. सेलम पश्चिम

1	2	3
		49. तिरुपूर
		50. तिरूप्पत्तूर
		51. त्रिच्ची
		52. पांडिचेरी
26.	उत्तरांचल	1. देहरादून
27.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ आरएमएस
		2. लखनऊ
		3. महानगर
		4. फैजाबाद
		5. सीतापुर
		6. बाराबंकी
		7. रायबरेली
		8. सुलतानपुर
		9. संजय प्लेस आगरा
		10. इटावा
		11. मैनपुरी
		12. अलीगढ़
		13. झांसी
		14. मथुरा
		15. एटा
		16. बुलंद शहर
		17. खुर्जा
		18. कानपुर
		19. गोरखपुर आरएमएस
		20. बरेली
		21. गाजियाबाद
		22. नोएडा
		23. खेरी
		24. मेरठ
		25. शाहजहांपुर
		26. इलाहाबाद
		27. वाराणसी
28.	पश्चिम बंगाल	1. कोलकाता जीपीओ
		2. बड़ा बाजार, कोलकाता
		3. अलिपुर, कोलकाता
		4. न्यू मार्किट, कोलकाता
		5. बेलघाट, कोलकाता
		6. आईएसआई काम्प्लेक्स, कोलकाता
		7. ग्रेस ब्रिज, कोलकाता
		8. बेलघड़िया, कोलकाता
		9. बैरकपुर
		10. बरूईपुर
		11. डायमण्ड हार्बर
		12. बारासात
		13. बसीरहाल

1	2	3
		14. कल्याणी
		15. राणाघाट
		16. कृष्णानगर
		17. नबाद्वीप
		18. बरहामपुर
		19. कानी
		20. रघुनाथ गंज
		21. सुरी
		22. रामपुरहाट
		23. कदमतला
		24. आरामबाग
		25. चिनसुरा
		26. सेरामपुर
		27. मिदनापुर
		28. झारग्राम
		29. कोंटाई
		30. तामलुक
		31. बर्दवान
		32. कतवा
		33. आसनसोल
		34. दुर्गापुर
		35. रानीगंज
		36. पोर्ट ब्लेयर
		37. बांकुरा
		38. पुरुलिया
		39. सिलिगुड़ी
		40. दार्जीलिंग
		41. जलपाईगुड़ी
		42. माल
		43. कूचबिहार
		44. बेलुरघाट
29.	सिक्किम	1. गंगटोक

1. संघ शासित क्षेत्रों को उन डाक सर्किलों (राज्यों) के अंतर्गत रखा गया है जिनके अधिकार क्षेत्र में ये आते हैं।
2. आर एम एस से तात्पर्य रेलवे मेल सर्विस है।
3. एस पी सी से तात्पर्य स्पीड पोस्ट सेंटर है।

म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली

506. **श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा 'एशियान' की सहायता से म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये कदम फलदायी साबित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो स्थिति में किस सीमा तक सुधार हुआ है; और

(घ) इस पर म्यांमार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (घ) भारत सरकार ने म्यांमा में लगातार वार्ता प्रक्रिया, राजनैतिक सुधार और राष्ट्रीय समाधान का समर्थन किया है। हमने म्यांमा के संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्रात्मक राज्यव्यवस्था तैयार करने में सहयोग प्रदान

करने का प्रस्ताव किया है। हमने इस संबंध में किसी क्षेत्रीय दल की सहायता नहीं मांगी है। म्यांमार सरकार ने म्यांमार की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल आधुनिक, लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करने की अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है।

प्रमुख पत्तनों के कार्यकरण में सुधार

507. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारा द्वारा देश में प्रमुख पत्तनों के कार्यकरण को सुधारने के लिए पत्तन-वार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक पत्तन के संबंध में पत्तन-वार और वर्ष-वार क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) देश के महापत्तनों के कार्य-संचालन में सुधार किया जाना, एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। महापत्तनों की कार्यकुशलता में सुधार किए जाने की दृष्टि से, समय-समय पर कई क़दम उठाए गए हैं, जैसे (i) नए घाटों/टर्मिनलों का निर्माण करना तथा उन्हें उपस्करों से लैस करना; (ii) मौजूदा घाटों पर मौजूदा उपस्करों को अत्याधुनिक उपस्करों से बदलना; (iii) और अधिक कार्यकुशलता हासिल करने के उद्देश्य से श्रमिकों का प्रशिक्षण और प्रबंधन के तरीकों में सुधार करना; (iv)अपेक्षाकृत अधिक कार्यकुशलता हासिल करने की दृष्टि से अतिरिक्त निवेश किए जाने और आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के लिहाज से पत्तन-सुविधाओं के विकास एवं संचालन में गैर सरकारी क्षेत्र को शामिल करना; (v) पत्तन के कार्य-संचालन का कंम्प्यूटरीकरण करना और इसमें इलैक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को आंशिक रूप से शामिल करना। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर चलाई जानी शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान संभाले गए जहाजी माल और उससे संबंधित प्रक्रिया के निर्वाह में लगे समय की दृष्टि से रहीं पत्तन-वार उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

पत्तन का नाम	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
	संभाला गया जहाजी माल (मिलियन टन में)	संबंधित के निर्वाह प्रक्रिया में लगा समय (दिन)	संभाला गया जहाजी माल (मिलियन टन में)	संबंधित के निर्वाह प्रक्रिया में लगा समय (दिन)	संभाला गया जहाजी माल (मिलियन टन में)	संबंधित प्रक्रिया में निर्वाह में लगा समय (दिन)
1	2	3	4	5	6	7
कोलकाता	35.80	7.49	41.26	7.16	46.15	7.16
पारादीप	23.90	3.37	25.31	3.42	30.10	3.41
विशाखापट्टणम	46.01	3.72	47.74	3.33	50.15	3.20
इन्नौर	8.49	2.24	9.28	1.94	9.48	1.68
चेन्नई	33.69	3.70	36.71	4.60	43.81	4.00
तूतीकोरिन	13.29	3.59	13.68	2.59	15.81	2.66
कोचीन	13.02	2.19	13.57	2.21	14.10	2.33
नव मंगलूर	21.43	1.90	26.67	2.35	33.89	2.96

1	2	3	4	5	6	7
मुरगांव	23.65	3.86	27.87	4.47	30.66	4.35
जवाहरलाल नेहरू	26.84	2.28	31.19	2.04	32.81	2.34
मुम्बई	26.80	5.06	30.00	4.17	35.13	4.16
कांडला	40.63	5.94	41.52	5.06	41.54	4.62
कुल/समग्र	313.55	3.69	344.80	3.45	383.63	3.42

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों में चलाई जानी शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजना की सूची

पत्तन का नाम	परियोजना का नाम
1	2
कोलकाता	हल्दिया डॉक में घाट के निर्माण का कार्य
पारादीप	तेल-घाट के निर्माण का कार्य
विशाखापट्टणम	(i) 20 टी की क्षमता की 4 क्रेनों का अधिग्रहण
	(ii) ग्रैब हॉपर ड्रेजर (जी एच डी) "दुर्गा" का बदला जाना
इन्नौर	लौह आयस्क की संभलाई की दृष्टि से क्षमता का बढ़ाया जाना
चेन्नई	(i) कंटनेर-टर्मिनल का और अधिक विस्तार
	(ii) चेन्नई-पत्तन में पश्चिमी क्वे घाट का आधुनिकीकरण
	(iii) दक्षिणी क्वे का आधुनिकीकरण
	(iv) फ्लोटिंग क्रेन ड्रेजर का बदला जाना
	(v) 32 टी की क्षमता के 2 बोलार्ड पुल टगों का अधिग्रहण
तूतीकोरिन	(i) पी एस ए कंटेनर घाट की क्षमता बढ़ा दी गई।
	(ii) डॉक बेसिन का निकर्षण
कोचीन	(i) जहाजी माल की संभलाई करने वाली गैन्ट्री क्रेन की स्थापना
	(ii) कंटेनरों की संभलाई के लिए आर टी जी क्रेनों के स्थान पर में गैन्ट्री क्रेन की स्थापना
नव मंगलूर	(i) मंगलूर रिफाइनरी पैट्रोकैमिकल्स लि. के संबंध में अतिरिक्त पत्तन-सुविधाओं की व्यवस्था
	(ii) बहुउपयोगी तेल-घाट के निर्माण का कार्य
मुरगांव	(i) बार्ज से सामान उतारने वाले उपस्करों का बदला जाना और टगों की ख़रीद

1	2
	(ii) घाट और पहुंच-जलमार्ग का निकर्षण किया जाना और उसे और अधिक गहरा बनाया जाना
जवाहरलाल नेहरू	(i) कम गहराई वाले घाट के निर्माण का कार्य
	(ii) पोत पैनामैक्स माउंटिड क्वे क्रेनों की ख़रीद (आर एम क्यू सी)
	(iii) रबड़ के टायरों वाली गैंट्री क्रेनों की ख़रीद और उन्हें बदला जाना
मुम्बई	(i) समुद्री-तेल टर्मिनल घाटों का आधुनिकीकरण
	(ii) द्वार सं. 6, वडाला और बैलार्ड पिअर के बीच रेल की पटरी का उन्नयन
	(iii) पीरपाऊ-सेवर वडाला-तट पर अवस्थित पाइपलाईनों का बदला जाना
कांडला	(i) ग्यारहवें जहाज़ी माल के घाट के निर्माण का कार्य
	(ii) सौगल जहाज़ी नहर का और अधिक गहरा तथा चौड़ा किया जाना
	(iii) 20/25 टन की क्षमता की व्हार्फ क्रेनों की ख़रीद

जी-20 देशों के साथ व्यापार संबंधी नियम

508. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में जी-20 के सदस्य देशों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या भारत भी जी-20 देशों का एक सदस्य है;

(ग) यदि हां, तो इन देशों के साथ व्यापार करने के लिए नियम और विनियम क्या हैं; और

(घ) व्यापारिक कार्यकलापों के लिए सदस्य देशों को सामान्यत: क्या लाभ दिए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी-20 दल के सदस्यों में अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया, चिल, चीन, क्यूबा, मिश्र, ग्वेटेमाला, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पैरागुए, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, थाइलैंड, उरूगुए, वेनेजुएला और जिम्बाबवे आते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी-20 मुख्यत: विश्व व्यापार संगठन में कृषि पर जारी बातचीत/सौदों में सामान हितों वाले विश्व व्यापार संगठन के विकासशील देशों के साथ सौदा करने वाले दल के तौर पर कार्य करता है। जी-20 के सदस्य देशों के बीच व्यापार हेतु वे नियम और विनियम भी लागू होंगे जो व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों पर लागू हैं।

देहरादून में सी.जी.एच.एस. औषधालय

509. **मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में औषधालय के लिए नए पदों के सृजन संबंधी मुद्दे का समाधान कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या वहां प्राधिकृत स्टाफ है और औषधालय पूर्णत: कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त औषधालय कब से कार्य कर रहा है;

(ङ) क्या यह औषधालय देहरादून शहर से बाहर के क्षेत्रों के लाभार्थियों को भी सेवाएं देगा;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सेवाओं को पड़ोसी पौड़ी गढ़वाल जिले के लिए भी उपलब्ध कराने पर विचार करेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, देहरादून में डाक्टरों के पदों को पुनर्तैनाती करके भर दिया गया है। उक्त औषधालय में पराचिकित्सा और अन्य कर्मचारियों के पद सहायक सेवाओं की आउटसोर्सिंग से भरे गए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि औषधालय में अपेक्षित कर्मचारी हैं इसलिए वहां पर लाभार्थियों को पंजीकृत करना आरम्भ कर दिया गया है। जिन्हें जुलाई, 2005 से वहिरंग रोगी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ङ) से (छ) देहरादून में रहने वाले सी जी एच एस कार्डधारकों के अतिरिक्त देहरादून के आस-पास के जिलों में रहने वाले केन्द्रीय सरकारा के पेंशनभोगी भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, देहरादून में पंजीकृत कराने के पात्र हैं, लेकिन ऐसे पेंशनभोगी कार्डधारक आपाती स्थिति में सी जी एच एस डाक्टरों द्वारा घर पर देखे जाने के पात्र नहीं होंगे।

'जिपमेर' को स्वायत्तता

510. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दलों वाली पीपुल्स एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने 'जिपमेर', पांडिचेरी को स्वायत्तता देने के सरकार के कदम का विरोध किया है तथा संस्थान के विकास हेतु 'जिपमेर' के लिए पर्याप्त धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकाार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। जिपमेर एंटी आटोनामी पीपल्स एक्शन कमेटी, पांडिचेरी सहित विभिन्न संगठनों ने जिपमेर, पांडिचेरी को स्वायतता प्रदान करने संबंधी प्रयासों के संबंध में अभ्यावेदन दिए हैं। सम्पूर्ण दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए जिपमेर, पांडिचेरी हेतु 150.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सी सी ई ए ने हाल ही में जिपमेर, पांडिचेरी में 118.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के अतिविशिष्टता ब्लाक तथा अभिघात परिचर्या केन्द्र की स्थापना को मंजूरी दी है। चालू वर्ष के लिए इस योजना में 62.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

सरकारी कार्यालयों पर बकाया धनराशि

511. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भंडार से संबंधित सरकारी कार्यालयों पर मंत्रालय-वार कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) बकाया धनराशि वसूलने में विफलता के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय भंडार के अधिकारियों की जिम्मेदारी तथा जवाबदेही निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बकाया धनराशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के पास केन्द्रीय भंडार की लगभग 337.50 लाख रुपए की धनराशि बकाया है।

(ख) से (ङ) बकाया राशि की वसूली एक सतत प्रक्रिया है और केन्द्रीय भंडार बकाया राशि की वसूली के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। अधिकांशतः ये प्रयोस सफल होते हैं क्योंकि 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि, कुल बिक्री के 1% से भी कम थी।

[हिन्दी]

सी.बी.आई. में रिक्त पद

512. **श्री अविनाश राय खन्ना** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) में 32 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जैसा कि दिनांक 2 मई, 2005 के 'द ट्रिब्यून' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन रिक्त पदों के कारण सी.बी.आई. का कार्यकरण प्रभावित हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सी बी आई की कार्यकुशलता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1.5.2005 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की मंजूर पद संख्या 5891 की तुलना में 1143 पद रिक्त पड़े थे। प्रतिशतता के अनुसार, रिक्तियां लगभग 19.4% थीं।

(ग) सरकार ने संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार, रिक्त पदों को भरने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

(घ) और (ङ) कमी के बावजूद मौजूदा कार्मिकों का उपयोग और तैनाती प्रभावी रूप से की गई है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए, सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार, आवास और कार्य की शर्तों में सुधार और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों का नियोजन शामिल है।

[अनुवाद]

जिला कलेक्टरों का सम्मेलन

513. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जमीनी स्तर पर प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए मई, 2005 में सभी राज्यों के जिला कलेक्टरों का एक सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उन्हें क्या निर्देश दिए गए हैं; और

(ग) व्यापक ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे अधिकारियों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करने हेतु क्या प्रणाली ईजाद की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 19-20 मई, 2005 को नई दिल्ली में जिलाधीशों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय जिला स्तर पर शासकीय मुद्दों एवं सेवा प्रदायगी प्रणालियों में सुधार लाना था। प्रधानमंत्री जी ने जिलाधीशों को कुशलतापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आह्वान किया, विशेषकर गरीबों, कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों तथा उन सभी असुविधाभोगियों के प्रति जिनको कि राज्य से सहयोग की आवश्यकता है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, नियमित क्षेत्र विक्षणों, राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों के पुनःरीक्षण एवं इसके साथ-ही-साथ कार्यक्रमों के शीघ्र मूल्यांकन के जरिए ग्रामीण विकास योजना के कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग की व्यापक प्रणाली विकसित की है। संसद सदस्यों के लिए विशेष भूमिका के साथ राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समितियों का भी पुनर्गठन किया गया। सीधे जनसंपर्क स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए राष्ट्र स्तरीय प्रबोधकों का एक पैनल बनाया गया है। स्थानीय स्थित स्वतंत्र, सरकारेतर अभिकरणों के जरिए 25 राज्यों के 126 जिलों में जिला स्तरीय मॉनीटरिंग की एक नई पहलकदमी भी की गई है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

514. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रति व्यक्ति आय में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-01 की तुलना में 2004-05 के दौरान दर्ज की गई वृद्धि की राज्य-वार प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय में अंतर के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान स्थिर मूल्यों (1993-94) पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में प्रति वर्ष 4.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2004-05 के राज्यवार प्रति व्यक्ति आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000-01 और 2003-04 के राज्यवार प्रति व्यक्ति आय के साथ-साथ इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में अंतर राज्यों में आर्थिक वृद्धि के असमान वितरण और जनसंख्या वृद्धि में अंतर के कारण है।

विवरण

1993-94 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (राज्य आय)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2003-04	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर 2000-01 से 2003-04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10195	11333	3.6%
2.	अरुणाचल प्रदेश	9135	उपलब्ध नहीं	-1.0%
3.	असम	5943	6520	3.1%
4.	बिहार	3879	3707	-1.5%
5.	झारखंड	7212	उपलब्ध नहीं	4.1%
6.	गोवा	26730	उपलब्ध नहीं	2.5%
7.	गुजरात	12489	16779	10.3%
8.	हरियाणा	13822	15721	4.4%
9.	हिमाचल प्रदेश	11029	उपलब्ध नहीं	3.6%
10.	जम्मू-कश्मीर	7385	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11.	कर्नाटक	11900	उपलब्ध नहीं	-0.4%
12.	केरल	10510	12109	4.8%
13.	मध्य प्रदेश	7195	8284	4.8%
14.	छत्तीसगढ़	6423	उपलब्ध नहीं	4.7%
15.	महाराष्ट्र	14211	16050	4.1%
16.	मणिपुर	6845	8751	8.5%
17.	मेघालय	9427	उपलब्ध नहीं	1.6%
18.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	11473	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
20.	उड़ीसा	5562	6427	4.9%
21.	पंजाब	15048	15800	1.6%
22.	राजस्थान	8104	8571	1.9%
23.	सिक्किम	10703	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
24.	तमिलनाडु	13017	13423	1.0%
25.	त्रिपुरा	9397	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	5570	उपलब्ध नहीं	0.4%
27.	उत्तरांचल	7720	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	9796	उपलब्ध नहीं	5.7%
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15822	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
30.	चंडीगढ़	27764	31865	4.7%

1	2	3	4	5
31.	दिल्ली	26390	उपलब्ध नहीं	2.8%
32.	पांडिचेरी	22252	23610	2.0%

नोट: 1. राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर मापा गया है।

2. प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक % वृद्धि को संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर से मापा गया है।

3. अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मेघालय, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्यों की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान वर्ष 2000-01 से वर्ष 2002-03 तक की अवधि के लिए है।

मेनिनाजाइटिस के मामले

515. **श्री महेश कनोडीया :**
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मेनिनाजाइटिस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए उजा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) देश में मेनिनाजाइटिस के रोगी वर्ष भर देखे जाते हैं। तथापि, वर्तमान वर्ष के दोरान अप्रैल, 2005 के अंतिम सप्ताह से मेनिंन्गोकोकल रोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह रूझान जून, 2005 के अंत तक जारी हैं।

मेनिंन्गोकोकल रोग महामारी प्रवण संचारी रोग है और हर 15-20 वर्षों में इसके रोगियों में वृद्धि हो जाती है। वर्ष 2000 से 2004 की अवधि के दोरान मेनिंन्गोकोकल मेनिन्जाइटिस के रोगियों तथा इससे हुई मौतों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

इस रोग को अधिसूचित करना अनिवार्य कर दिया गया। शुरू में ही निदान और त्वरित उपचार करने, रोगियों पर नजर रखने और केमोप्रोफलेक्सिस प्रदान करने के प्रयास किए गए। लोगों की सहभागिता से सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण कार्यकलाप किए गए। निगरानी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने, रोग का शुरू में ही पता लगाने और मेनिन्गोकोकेमिया सहित महामारी प्रवण संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समुचित कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग निगरानी कार्यक्रम 1997-98 से चलाया जा रहा है। देश में विभिन्न रोगों के निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

विवरण

मेनिन्गोकोकल मेनिन्जाइटिस के रोगियों और इससे हुई मौतों की राज्यवार स्थिति, 2000-2004

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2000		2001		2002		2003		2004	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1392	69	1595	36	2741	49	2201	86	9996	54
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	7	3	अप्राप्त	अप्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	—	—	—	—	—	—	—	—	अप्राप्त	अप्राप्त
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	अप्राप्त	अप्राप्त
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	अप्राप्त	अप्राप्त
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0
7.	गुजरात	16	0	0	0	0	0	6	0	18	4
8.	हरियाणा	69	3	109	2	36	1	40	2	57	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	83	0	9	0	33	0	208	4	26	1
11.	झारखंड	—	—	—	—	0	0	—	—	अप्राप्त	अप्राप्त
12.	कर्नाटक	896	8	2077	21	805	3	1873	8	2731	33
13.	केरल	111	6	22	3	147	4	203	1	73	5
14.	मध्य प्रदेश	189	2	352	4	333	11	317	8	317	18
15.	महाराष्ट्र	337	103	393	137	307	96	218	70	218	50
16.	मणिपुर	70	19	19	4	109	13	68	8	55	7
17.	मेघालय	83	4	100	14	88	18	191	17	90	123
18.	मिजोरम	0	0	7	0	5	1	0	0	1	0
19.	नागालैंड	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	74	2	182	15	20	2	82	13	18	3
21.	पंजाब	42	0	32	1	43	5	10	1	8	0
22.	राजस्थान	244	24	442	37	280	39	273	35	156	30
23.	सिक्किम	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0
24.	तमिलनाडु	418	0	95	0	218	0	—	—	3504	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	त्रिपुरा	79	1	12	4	3	1	2	0	5	0
26.	उत्तर प्रदेश	251	32	212	5	22	0	285	4	12	1
27.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	अप्राप्त	अप्राप्त
28.	पश्चिम बंगाल	2948	643	3360	620	2638	500	1408	292	1265	217
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	7	4	3	0	11	3	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	25	14	28	14	53	9	26	6	10	6
31.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	415	38	404	32	397	50	325	48	249	20
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडीचेरी	84	18	97	20	96	12	83	16	62	3
	कुल	7857	991	9555	969	8387	817	7829	622	18875	467

स्रोत: के.स्वा.आ.ब्यूरो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

नोट: 1 वर्ष 2000 के लिए नए बनाए गए तीन राज्यों के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल के रोगियों और मौतों की संख्या क्रमशः मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में शामिल की गई है।

विदेश मंत्री की रूस की आधिकारिक यात्रा

516. **श्री कीरेन रिजीजू : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेश मंत्री ने रूस की आधिकारिक यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आधिकारिक यात्रा में कांग्रेस की अध्यक्षा उनके साथ थीं;

(ग) यदि हां, तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा विदेश मंत्री के आधिकारिक यात्रा में उनके साथ किस हैसियत से गईं; और

(घ) यदि नहीं तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के साथ विदेश मंत्री किस हैसियत से साथ में गए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश मंत्री श्रीमती सोनिया गांधी की रूस की यात्रा पर उनके साथ गए थे।

(ग) श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति ब्लादीमीर पुतिन के निजी आमंत्रण पर यू पी ए के अध्यक्ष के रूप में रूस की आधिकारिक यात्रा की थी।

(घ) श्रीमती सोनिया गांधी की रूस की यह यात्रा, भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय विचार-विनिमय का हिस्सा थी। विदेश मंत्री यू पी ए की अध्यक्ष के साथ आधिकारिक हैसियत से गए थे।

सैलवन मोबाइल सेवा की प्रतीक्षा-सूची

517. **श्री चंद्रकांत खैरे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बी.एस.एन.एल. की मोबाइल फोन सेवा "सेलवन" के अंतर्गत कनैक्शन चाहने वाले लोगों की एक लम्बी सूची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) औरंगाबाद जिले में अब तक कितने टॉवर लगाए गए हैं तथा स्थानवार कितने टॉवर लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में बेसिक फोन कनैक्शन लेने वाले लोगों की संख्या कम हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) क्षमता संबंधी-दिक्कतों के कारण, औरंगाबाद जिले में भारत संचार निगम लि. के प्री-पेड सेल्यूलर कनैक्शन चाहने वालों की प्रतीक्षा-सूची की संख्या लगभग 26000 है।

(ग) फिलहाल औरंगाबाद जिले में सेल्यूलर सेवाओं हेतु 42 "बेस स्टेशन" टॉवर कार्यरत हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, स्थापित किए जाने वाले "मोबाइल बेस स्टेशनों" का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) गतिशीलता, लचीलेपन एवं अनेक मूल्य वर्द्धित सेवाओं की उपलब्धता के कारण, फिलहाल उपभोक्ताओं का झुकाव बेतार सेवाओं की ओर है। यह एक सार्वभौमिक घटना है तथा महाराष्ट्र राज्य सहित भारतीय दूरसंचार परिदृश्य इसका अपवाद नहीं है। बुनियादी "वायर लाइन" सेवाओं के मुकाबले, बेतार सेवाओं में अच्छी वृद्धि हुई है और दूरसंचार का तेजी से विकास हो रहा है।

(च) उद्योग प्रवृति तथा उपभोक्ताओं की पंसद को ध्यान में रखते हुए भारत संचार निगम लि. अपनी मोबाइल एवं डब्ल्यूएलएल सेवाओं का विस्तार कर रहा है। भारत संचार निगम लि. ने बेतार तथा तार लाइन प्रणाली दोनों पर 7.52 लाख टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।

विवरण

औरंगाबाद गौण स्विचन क्षेत्र

क्र. सं.	स्थान का नाम	मौजूदा मोबाइल आधार	योजनाशुदा मोबाइल स्टेशन
1	2	3	4
1.	औरंगाबाद	22	43
2.	चितगांव	1	0
3.	कुल्ताबाद	1	0
4.	एल्लोरा	1	0
5.	अजंता	0	1
6.	सिलोद	2	0
7.	कन्नड	1	1
8.	वैजापुर	1	1
9.	पैठन	1	0
10.	पाचोद	1	0
11.	अदुल	0	1
12.	अजंता (वी)	0	1
13.	अमठाना	0	1
14.	बाजार सवांगी	0	1

1	2	3	4
15.	भमारवाडी	0	1
16.	चापानेर	0	1
17.	दौलताबाद	0	1
18.	देवगांव रंगारी	0	1
19.	धोरेगांव	0	1
20.	धोरकिन	0	1
21.	गल्लेबारेगांव	0	1
22.	गराज	0	1
23.	गौंडेगांव	0	1
24.	जैकवाडी	0	1
25.	कचनेर	0	1
26.	खंडाला	0	1
27.	लडगांव	0	1
28.	लडसावांगी	0	1
29.	लोनी के एच	0	1
30.	महलगांव	0	1
31.	पालोद	0	1
32.	परसौदा	0	1
33.	पोटूल	0	1
34.	शिवूर	0	1
35.	विहमंडवा	0	1
36.	डभरूल	0	1
37.	काटे-पीपलगांव	0	1
38.	अन्धेरी	0	1
39.	अम्भोई	0	1
40.	मैसमल	0	1
41.	सवालदबड़ा	0	1
42.	मिटमिटा (एच/डब्ल्यू)	0	1
43.	भालगांव (एच/डब्ल्यू)	0	1
44.	पैइान नोमीनल (एच/डब्ल्यू)	0	1
45.	हटनूर (एच/डब्ल्यू)	0	1
46.	फर्दापुर	1	0
47.	गोलेगांव	1	0
48.	पिसौर	1	0
49.	गंगापुर	1	0
50.	अलांद	1	0
51.	कर्माड	1	0
52.	लासूर	1	0
53.	फूलमबाड़ी	1	0
54.	सोयगांव	1	0
55.	बिडकिन	1	0
56.	सुल्तानपुर	0	1
57.	शेंड्रा एमआईडीसी	0	1
58.	चंचोली लिम्बाजी	0	1
59.	चिट्टे पिपलागांव	0	1

1	2	3	4
60.	तुर्काबाद	0	1
61.	बालानगर	0	1
	कुल	41	87

मोरारजी देसाई योग केन्द्र का निजीकरण

518. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री राजेन गोहेन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोरारजी देसाई योग केंद्र के नए नियमों के अंतर्गत किसी भी योग उत्साही को छह माह का पाठयक्रम पूरा करने के पश्चात् आगे योग सीखने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योग सीखने वालों की लगातार कम होती संख्या के कारण यह संस्थान बंद होने के कगार पर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संस्थान में नियमित रूप से योग सीखने वालों के लाभ के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार इस संस्थान के निजीकरण पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) में कक्षाएं निशुल्क आयोजित की जा रही थीं और प्रवेश एवं प्रशिक्षण की अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं था। फलस्वरूप, संस्थान के आसपास के कुछ निवासी निरंतर और अपनी सुविधा के अनुसार इन सुविधाओं का प्रयोग कर रहे थे। संस्थान पड़ोस में एक स्वास्थ्य क्लब बनकर रह गया था और योग में गहरी रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए अवरोधक बन गया था। वहां अनुशासन की भी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। एमडीएनआईवाई द्वारा 100 रु. का नाममात्र शुल्क प्रारंभ करने और 6 महीने के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि पर प्रतिबंध लगाने के बाद अनुशासन, समय की पाबंदी, उपस्थिति और गंभीरता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है और योग के बेहतर पहलुओं को समझने के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति इस परिवर्तन की प्रशंसा कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, संस्थान केवल आम जनता के लिए योग कक्षाएं आयोजित करने हेतु नहीं है, बल्कि इसे शैक्षणिक डिप्लोमा कार्यक्रमों, पुनर्भिविन्यास प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रकाशन आदि का भी आयोजन कराता है (जो यह कर रहा है)।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) योग सीखने वाले जो 6 महीने के लिए नियमित योग कक्षाओं में उपस्थित हुए हैं, को कोई उत्तरोत्तर प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं ही योग करना जारी रख सकते हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"वन इंडिया" टेलीफोन कॉल दर

519. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों को रियायती टेलीफोन दर के दायरे में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार "वन इंडिया" टेलीफोन कॉल दर शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या वन इंडिया टेलीफोन कॉल दर प्लॉन

के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की रियायती टेलीफोन दर के बढ़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) एक्सचेंज क्षमता के आधार पर किराया 50/-रु. से 210/-रु. के बीच है, जबकि औसत लागत आधारित किराया 361/-रु. है। 76 से 300 के बीच मीटर्ड कॉल यूनिट (एमसीयू) के लिए यूनिट कॉल प्रभार 0.80 रु. है और 75 एमसीयू तक कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) हालांकि सरकार "वन इंडिया" कॉल रेट लागू करने की दिशा में काम कर रही है, किन्तु प्रस्तावित कार्यवाही आरम्भिक स्तर पर है। सरकार ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगी।

हुर्रियत नेताओ की पाकिस्तान यात्रा

520. **श्रीमती किरण माहेश्वरी :**
श्री तथागत सत्पथी :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :
श्री खारबेल स्वाईं :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हुर्रियत नेताओं की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की यात्रा के संदर्भ में भारत के साथ मुजफ्फराबाद-कश्मीर बस सेवा में संबंधित समझौते के उपबंधों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर पाकिस्तान का ध्यान दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या ये नेता उक्त बस सेवा के माध्यम से अपने भारतीय पासपोर्टों के बिना इस्लामाबाद तक की यात्रा पर गए थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(छ) पाकिस्तान में हुर्रियत नेता कहां-कहां गए थे; और

(ज) इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ज) हुर्रियत के कुछ नेताओं ने 12-16 जून 2005 तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान का दौरा किया। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस के माध्यम से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की उनकी यात्रा भारत और पाकिस्तान द्वारा सहमत प्रक्रियाओं के आधार पर हुई। श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा पर द्विपक्षीय समझौता यह है कि यात्रा तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य तक सीमित है और दोनों पक्षों द्वारा जारी परमिट के आधार पर है।

सरकार ने अपना यह पक्ष स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान द्वारा हुर्रियत नेताओं को इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अन्य शहरों में दौरा करने के लिए निमंत्रित करना दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लघंन है और श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आगे यात्रा करने वाले यात्री के लिए उत्तरदायित्व पाकिस्तानी प्राधिकारियों पर है। पाकिस्तान ने किसी समझौते के उल्लंघन से इंकार किया है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान दौरा करने वाले हुर्रियत नेताओं ने व्यक्तिगत दौरा किया। उन हुर्रियत नेताओं को पासपोर्ट जारी किए गए जिनके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं थे और इस प्रकार के कागजात जारी करने का अनुरोध किया गया।

[हिन्दी]

यूनानी अस्पताल तथा औषधालय

521. **श्री सीताराम सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा यूनानी चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ग) देश में आज की स्थिति के अनुसार यूनानी अस्पतालों/औषधालों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से यूनानी अस्पतालों तथा औषधालयों की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं; और

(च) केंद्र सरकार द्वारा इन अनुरोधों पर क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने यूनानी चिकित्सा पद्धति समेत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धनार्थ एक पृथक् राष्ट्रीय नीति निर्धारित की है तथा आयुर्वे, योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा पद्धतियों के प्रचारार्थ अनेक केंद्रीय क्षेत्र एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएं प्रचलित की हैं। विविध केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत शैक्षिक अवसंरचना, गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं, औषधीय आपूर्ति आदि के लिए वित्त सहायता संदर्भाधीन राष्ट्रीय नीति के अनुसार उपलब्ध है। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग, भारत सरकार द्वारा 2001 से आयोजित किए जा रहे आरोग्य मेलों से जनता में जागृति फैली है और लोगों की मांग पर इस वर्ष यह निर्णय लिया गया है कि ये मेले चार स्थानों अर्थात् नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में आयोजित किए जाएं। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर का कार्य शुरू होना, दिल्ली में नए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलना, यूनानी चिकित्सा के आदर्श कॉलेज के रूप मं राजकीय निजामिया तिब्बिया कॉलेज, हैदराबाद के विकास के लिए उसे 3 करोड़ मंजूर करना, विविध राज्यों में अनेक औषधालयों को 25000/-रु. प्रति औषधालय प्रति वर्ष की दर से वित्त सहायता देना, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में यूनानी चिकित्सा केंद्र खोलना आदि, हमारी उपलब्धियों में शामिल हैं।

(ग) यूनानी अस्पतालों व औषधालयों के राज्यवार विवरण निम्नवत् हैं:—

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्पतालों की सं.	औषधालयों की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	193
2.	असम	0	1
3.	बिहार	4	144
4.	छत्तीसगढ़	1	6
5.	दिल्ली	2	25
6.	हरियाणा	1	19
7.	हिमाचल प्रदेश	0	3
8.	जम्मू-कश्मीर	3	203
9.	झारखंड		30
10.	कर्नाटक	13	51
11.	केरल	0	1
12.	मध्य प्रदेश	3	50
13.	महाराष्ट्र	5	25
14.	उड़ीसा	0	9
15.	पंजाब	0	35
16.	राजस्थान	3	89
17.	तमिलनाडु	1	17
18.	उत्तर प्रदेश	17	231
19.	उत्तरांचल	2	3
20.	पश्चिम बंगाल	1	3

(घ) से (च) संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि संख्या 6 के तहत् सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल और औषधालय राज्य के विषय हैं, अतएव यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने संसाधनों तथा अपेक्षाओं के आधार पर यूनानी चिकित्सा के अस्पताल व औषधालय स्थापित करे। केंद्रीय सरकार अपनी ओर से केंद्र

प्रायोजित योजना चलाती है जिसमें राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर 25000/-रु. प्रति वर्ष प्रति औषधालय की दर से औषधीय आपूर्ति करने के लिए वित्त सहायता तथा एलोपैथिक अस्पतालों में आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथिक स्कंध की स्थापना करने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप द्वीपसमूह में भू-उपग्रह केन्द्र/ मोबाइल टॉवर

522. **डा. पी.पी. कोया :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपूर्ण लक्षद्वीप द्वीपसमूह को कवर करने के लिए पर्याप्त भू-उपग्रह केन्द्र तथा मोबाइल टॉवर हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त द्वीपसमूह में विश्वसनीय इंटरनेट सुविधाएं तथा मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या अमीनी में एक भू-उपग्रह केन्द्र तथा अमीनी, काडमठ, चेतलठ और बिथरा में मोबाइल टॉवर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त केन्द्रों/टॉवरों के कब से चालू हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। आगाथी, एण्ड्रोथ, कल्पेनी, कावारती, किल्टान ओर मिनीकॉय द्वीपसमूहों में भू-उपग्रह केन्द्र उपलब्ध हैं। इन द्वीपसमूहों में मोबाइल टॉवर भी उपलब्ध हैं। तथापि, अमीनी, बिट्रा, चेटलेट और कडामठ यूएनएफ माध्यम से जुड़े हैं।

(ख) (i) सभी द्वीप समूहों में विश्वसनीय इंटरनेट सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं।

(ii) चालू वित्त वर्ष के दौरान अमीनी में और आगामी वर्ष के दौरान, बिट्रा, चेटलेट और कडामठ में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

(ग) (i) जी, हां। 2005-2006 के दौरान, अमीनी में मोबाइल टॉवर के साथ उपग्रह भू-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ii) शेष तीन द्वीप-समूहों अर्थात्, बिट्रा, चेटलेट और कडामठ में 2005-07 के दौरान भू-उपग्रह केन्द्र और मोबाइल टॉवरों की संस्थापना करने का प्रस्ताव है।

(घ) (i) अमीनी में प्रस्तावित संस्थापनाओं के मार्च, 2006 तक प्रचालनात्मक बना दिये जाने की संभावना है।

(ii) अन्य तीन द्वीप समूहों अर्थात् बिट्रा, चेटलेट और कडामठ स्थित संस्थापनाओं के वर्ष 2006-07 में प्रचालनात्मक किए जाने की आशा है।

एंटी-रेट्रोवाइरल दवा के लिए धनराशि

523. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एच आई वी/एड्स, टीबी, मलेरिया हेतु ग्लोबल फंड से विभिन्न राज्यों के एच आई वी/एड्स मरीजों को एंटी-रेट्रोवाइरल दवा प्रदान करने के लिए 540 करोड़ रुपये स्वीकृत/जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्हें इस प्रकार का अनुदान मिला है तथा प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) एड्स, टी बी तथा मलेरियां संबंधी वैश्विक निधि (जी एफ ए टी एम) ने छः उच्च व्यापतता वाले राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड तथा तमिलनाडु एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एड्स रोगियों की निःशुल्क एंटी रेटरोवाइरल थेरेपी के लिए भारत सरकार के 122.668 मिलियन अमरीकी डॉलर 564.27 करोड़ रुपए के बराबर

स्वीकृति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। यह परियोजना कुल पांच वर्षों की अवधि के लिए है जो 1 अगस्त, 2005 से 31 जुलाई 2010 तक संचालित की जाएगी। जी एफ ए टी एम से जल्द हो प्रथम वर्ष के लिए निधि जारी करने की अपेक्षा की जा रही है और जैसे ही निधियां प्राप्त होंगी, इन्हें संबंधित राज्यों में आबंटित कर दिया जाएगा। परियोजना हेतु अनुमोदित निधियां वैश्विक निधि द्वारा भारत सरकार को जारी की जाएगी जो परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति के अनुसार वार्षिक किश्तों पर आधारित होंगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्यूलर सेवा

524. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मुन्शी राम :
श्री मो. ताहिर :
श्री मुनव्वर हसन :
श्री मोहम्मद शाहिद :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एस.एन.एल. ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्यूलर सेवा के विस्तार के लिए एक योजना तैयार की है कि जैसा कि दिनांक 18 जून, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्यूलर टॉवर सेवा को आरंभ करना भी विचाराधीन है, जहां लैंडलाइन फोन ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सेवा प्रदान करने तथा टॉवर लगाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त टॉवरों को कब तक लगा दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जिला मुख्यालय स्तर तक के नगरों को सुविधा प्रदान करने के बाद, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा इस समय किए जा रहे विस्तार कार्यों के अंतर्गत, उन्होंने उपमंडलीय मुख्यालयों (एसडीएक्यू)/तहसील मुख्यालयों को सेल्युलर सुविधाएं उत्तरोत्तर रूप से प्रदान करने की योजना बनाई है। तथापि, राजमार्गों, रेल मार्गों तथा बड़ी संख्या में तहसील मुख्यालय स्तर तक के अनेक महत्वपूर्ण नगरों को व्यापक कवरेज प्रदान करने के कारण अनेक ग्रामीण क्षेत्रों को भी बी.एस.एन.एल. की सेल्युलर सेवाओं की आनुषंगिक कवरेज प्राप्त हो रही है। इसके अलावा बी.एस.एन.एल. वर्ष 2006 में ब्लॉक मुख्यालय स्तर तक सेल्युलर सेवाओं का विस्तार उत्तरोत्तर रूप से करने की योजना बना रहा है, जिससे जनसंख्या युक्त व्यापक क्षेत्रों को भी मोबाइल सेवा सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तथापि, इस समय ब्लॉक मुख्यालय स्तर से नीचे के क्षेत्रों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ह्रदय सर्जरी की उच्च लागत

525. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ह्रदय सर्जरी का उच्च लागत के कारण बहुत से गरीब मरीज इससे वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ह्रदय सर्जरी की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित हैं;

(ग) क्या सरकार एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तथा बाई पास सर्जरी की दरों के मानकीकरण की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो भारत में ह्रदय सर्जरी करने वाले सरकारी अस्पतालों की कुल संख्या कितनी है तथा इन अस्पतालों में प्रतिदिन कितने मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) ह्रदय शल्यक्रिया की लागत शल्यक्रिया संबंधी कार्यकलापों की प्रकृति पर निर्भर करती है। शल्यक्रिया की लागत केवल वाल्व रिपेयर, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी जैसे कार्यों में अधिक होती है क्योंकि इनमें महंगी उपभोज्य वस्तुएं एवं औषधिया

शामिल होती हैं। हृदय सल्य-चिकित्सा की सुविधाएं कई सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों, शीर्ष संस्थानों जैसे एम्स, पी जी आई एम ई आर, चंडीगढ़, जिपमेर तथा एस जी पी जी आई, लखनऊ आदि में उपलब्ध है तथा इन संस्थानों में आपरेशन लागत में काफी रियायत दी गई है। जहां तक गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों का प्रश्न है, उन्हें आर ए एन, राष्ट्रीय रोग सहायता निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह मंत्रालय ऐसी शल्यक्रियाएं करने वाले सरकारी अस्पतालों की कुल संख्या तथा प्रतिदिन देखे जाने वाले मरीजों की संख्या का कोई केन्द्रीकृत डाटा नहीं रखता है।

सरकारी अस्पतालों में बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाएं

526. **श्री रघुनाथ झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनधारकों को सफदरजंग अस्पताल के हृदय रोग विभाग में आपरेशन कराने तथा टेस्ट कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सफदरजंग जैसे सरकारी अस्पतालों में रोगी-अनुकूल प्रक्रिया बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उपर्युक्त के संबंध में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कर्मचारियों/पेंशनधारकों के प्रतिपूर्ति के लिए लंबित दावों का ब्यौरा क्या है तथा ये कब से लंबित है और इस प्रकार के दावों को निपटाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकारी अस्पतालों में बेहतर ओर अवसंरचना तथा स्वच्छता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) सरकारी कार्मिकों और पेंशनभोगियों को खासकर सफदरजंग अस्पताल के हृदय रोग विभाग में जांच/उपचार जैसी सुविधाएं प्राप्त करने में पेश आ रही परेशानियों के विषय में सरकार को कोई सूचना नहीं है। केन्द्र सरकार के अस्पतालों में पंजीकरण सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण, बेहतर स्वध्य वातावरण, रोगी संबंधी सूचना का प्रदर्शन, सीटीजन चार्टर और रोगियों के लिए बैठने का उचित प्रावधान जैसी सुविधाएं रोगियों को मुहैय्या कराई जाती हैं। सेवारत कर्मचारियों के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकार संबंधित विभागों को दिए गए हैं जहां वे कार्य करते हैं। पेंशनभोगियों के चिकित्सा दावों का निपटारा संबंधित जोनल/क्षेत्रीय अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्यालय द्वारा किया जाता है और इन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाती है। केन्द्र सरकार के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य ढांचा प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है जो उपलब्ध संसाधनों एवं अस्पताल की आवश्यकताओं पर आधारित होती हैं। अस्पताल की मौजूदा सफाई व्यवस्था के साथ-साथ सुलभ इंटरनेशनल की सेवाएं भी सफाई व्यवस्था हेतु अनुबंध के आधार पर ली गई हैं।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जबलपुर हेतु भवन

527. **श्री राकेश सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जबलपुर हेतु भवन निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार से सहायता के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। कॉलेज के निर्माण के लिए 50.00 लाख रु. और छात्रावास के निर्माण के लिए 50.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता हेतु राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, जबलपुर से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। सरकार ने प्रथम चरण में कॉलेज भवन के निर्माण हेतु 12.50 लाख रु. और कन्या छात्रावास सुविधाओं के निर्माण हेतु 12.50 लाख रु. की केंद्रीय सहायता दी है। उपर्युक्त निधियों का उपयोग होने और राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर शेष राशि दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन-घनत्व को बढ़ाना

528. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों का औसत क्या है;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन घनत्व को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में निजी क्षेत्र की कंपनियों से विचार-विमर्श किया है;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 31.05.2005 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 की जनसंख्या के लिए 1.74 टेलीफोन हैं।

(ख) और (ग) वैश्विक सेवा दायित्व (यूएसओ) निधि के प्रशासक के कार्यालय द्वारा एक निविदा के आधार पर उन 1,685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में मांग पर टेलीफोन प्रदान करने के लिए करार किया गया जिनमें घाटा हो रहा है। इनमें से अधिकांश एसडीसीए में ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं।

सरकार इन 1,685 एसडीसीए में मोबाइल फोनों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में भागीदारी वाली सार्वजनिक अवसंरचना की व्यवस्था करने पर भी विचार कर रही है।

(घ) अभिगम सेवा लाइसेंस की निर्धारित शर्तों में ग्रामीण रॉल-आउट दायित्व अनिवार्य नहीं है।

(ङ) और (च) 10वीं पंचवर्षीया योजना के अनुसार वर्ष 2010 तक 4% के टेलीघनत्व के लक्ष्य की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु सहायता

529. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**

श्री अजीत जोगी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों में विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजनाओं और अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता के लिए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं— 1. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए संयुक्त प्रस्ताव 2. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में जर्मनी की सहायता से सुविधाएं स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से भारत-फ्रांस वित्तीय सहायता प्रोटोकोल के अंतर्गत चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति एवं कार्यान्वयन के लिए एक और प्रस्ताव 3. विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना 4. छत्तीसगढ़ राज्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पहले स्तर पर रेफरल इकाइयों के सुदृढ़ीकरण और जिला स्तर पर योजना कार्यकलाप शुरू करने का एक प्रस्ताव।

(ख) 1. दोनों राज्यों से प्राप्त प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II प्रस्तावों का मूल उद्देश्य दोनों राज्यों में कुल प्रजननता दर, शिशु मृत्यु दर और मातृ-मृत्यु दर सुधार करना है। दोनों राज्यों के प्रस्तावों में, सुरक्षित मातृत्व, नवजात परिचर्या, रोग प्रतिरक्षण और पौषणिक सम्पूरकता, अतिसार नियंत्रण, गंभीर श्वसनीय संक्रमण, वयस्क स्वास्थ्य, गर्भ का चिकित्सीय विधि द्वारा समापन सेवा, प्रजनन मार्गीय संक्रमण, योन संचारित संक्रमण, गर्भ निरोधकों की आपूरित आवश्यकताओं को कम करना, शहरी स्वास्थ्य आचरण में परिवर्तन संबंधी संप्रेषण/सन्देश और उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, उन्नयन व सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य शामिल हैं। 2. फ्रांस सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संसीान का प्रस्ताव चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए है जबकि जर्मन सहायता के अंतर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में अभिघात केन्द्र, अर्बुदशास्त्र केन्द्र, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य केन्द्र, अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग और

टेली मेडिसन के लिए है और 3. उत्तर प्रदेश की राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना का लक्ष्य रेफरल तंत्र में सुधार करके और नीति में सुधार द्वारा तथा संस्थागत विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर निर्धन लोगों व अल्पसेवितों को गुणवत्तावाली स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है। 4. छत्तीसगढ़ राज्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर प्राप्त प्रस्ताव का लक्ष्य प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं और जिला स्तरीय योजना प्रदानगी को सुदृढ़ करना है।

(ग) उत्तर प्रदेश के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II प्रस्ताव और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रस्ताव को वर्ष 2005-06 के लिए क्रमशः 257.50 करोड़ रुपए और 32.50 करोड़ रुपए का अनुमोदन दे दिया गया है बशर्ते कि ये दोनों राज्य प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम के लागू मानकों तथा दिशानिर्देशों को पूरा करते हों। 2. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में भारत-फ्रांस वित्तीय सहायता प्रोटोकोल के अंतर्गत चिकित्सा उपकरणों के कार्यान्वयन हेतु आपूर्ति के प्रस्ताव के लिए 480 मिलियन फ्रांस फ्रेंक्स अनुमोदित किया गया है जबकि जर्मन सहायता के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव जर्मन सरकार की ओर से शुरू नहीं किया गया है। 3. विश्व बैंक के साथ राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के लिए 487.07 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं। 4. छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी प्रस्ताव के लिए अनुमोदित 18.26 करोड़ रुपए का खर्च आर सी एच-II फ्लेकसीबल पूल के जरिए पूरा किया जाएगा।

प्रमुख अस्पतालों में सुविधाओं का उन्नयन

530. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जे आई पी एम ई आर), पांडिचेरी और अन्य प्रमुख अस्पतालों में सुविधाओं का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) अस्पतालों में सुविधाओं का उन्नयन हमेशा होता रहता है और इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली आदि जैसे संबंधित संस्थाओं/अस्पतालों द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2005-06 में इन संस्थाओं/अस्पतालों की गतिविधियों का योजना प्रावधान निम्नलिखित हैं:—

1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	201.26 करोड़ रुपए
2.	जिपमेर, पांडिचेरी	62.00 करोड़ रुपए
3.	स्नाकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़	35.00 करोड़ रुपए
4.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	55.54 करोड़ रुपए
5.	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	35.49 करोड़ रुपए

जहां तक जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पांडिचेरी में सुविधाओं के उन्नयन का संबंध है, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में जिपमेर, पांडिचेरी में अतिविशेषज्ञता वाले खंड और अभिघात केन्द्र की स्थापना करने का अनुमोदन कर दिया है जिसकी कुल लागत 118 करोड़ रुपए (लगभग) है। यह परियोजना अगले 24 महीनों में पूरा होने की संभावना है।

त्वचा संक्रमणों के मामलों में तीव्र वृद्धि

531. **श्री गणेश सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में आई बाढ़ के कारण लोगों में त्वचा संक्रमण होने की संभावना उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार मध्य प्रदेश और गुजरात में इस संक्रमण की रोकथाम करने के लिए कोई सहायता प्रदान करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों सहित हाल ही में आई बाढ़ों के परिणामस्वरूप त्वचा संक्रमणों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

जन स्वास्थ्य आवश्यकताओं का निर्धारण करने और उपयुक्त उपाय शुरू करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय जन स्वास्थ्य दल ने इन राज्यों का दौरा किया है।

[हिन्दी]

एड्स की रोकथाम

532. **श्री राजेश वर्मा :**

श्री ई. पोन्नुस्वामी :

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री संतोष गंगवार :

श्री बापू हरी चौरे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, रक्षा और अर्धसैनिक बलों के व्यक्तियों के बीच एड्स रोगियों की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक तत्संबंधी राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में एड्स रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए एचआईवी/एड्स संबंधी पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एड्स के उपचार और रोकथाम के संबंध में विश्व बैंक से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(छ) एड्स के खतरे से निपटने के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदान गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ज) एड्स के उपचार और रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां।

कैलेण्डर वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को सूचित एड्स रोगियों की संख्या दर्शाने वाला राज्यवार तथा वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। इस ब्यौरे में पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों में रोगियों की संख्या शामिल है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सुरक्षा तथा अर्ध-सैन्य बलों में एड्स रोगियों की संख्या के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां।

जनवरी, 2005 में नई दिल्ली में एचआईवी/एड्स के संबंध में मीडिया लीडरों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। विभिन्न मीडिया कंपनियों के कार्यकारी सदस्यों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन से निम्नलिखित उपाय तथा कार्रवाई संबंधी विषय सामने आएं:—

- मीडिया कंपनियों के सभी कार्यकारी सदस्यों जिन्होंने इसमें भाग लिया, ने एचआईवी/एड्स के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए साथ-साथ कार्य करने का वचन देते हुए सहायता संबंधी वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए।

- मीडिया के प्रयासों के साथ सहयोग सुनिश्चित करना तथा अवसरों की पहचान करना, संसाधनों का आदान-प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के साथ मीडिया के सम्पूर्ण प्रयास का समन्वय करना।

- दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स, एमटीवी, एनडीटीवी, प्रसार भारती, सेट इंडिया, स्टार टीवी, सन टीवी, हिन्दू तथा जीटीवी सहित उपस्थित होने वाले अनेक मीडिया लीडरों द्वारा नई प्रतिबद्धताएं की गई।

(ङ) और (च) जी, हां।

जून, 2004 में विश्व बैंक द्वारा "भारत में एचआईवी/एड्स उपचार तथा निवारण" नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में यथाअन्तर्निहित सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(छ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में प्रदान की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	रशि (रुपए करोड़ में)
2002-03	242.00
2003-04	233.40
2004-05	426.00
2005-06	533.50

(ज) एड्स के उपचार तथा निवारण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कार्ययोजना में निम्नलिखित पांच कार्यनीतिगत क्षेत्र शामिल हैं:—

— उच्च जोखिम वाली जनसंख्या के लिए हमउम्र परामर्श और व्यवहार में बदलाव लाने वाले संप्रेषण सहित एक बहुमुखी कार्ययोजना को अपनाते हुए लक्षित कार्यकलापों के जरिए निवारक कार्यकलाप।

— रक्त निरापदता के लिए कार्यक्रमों, स्वैच्छिक परामर्श तथा जांच सेवाओं, माता-पिता से बच्चे में संचरण के निवारण, सूचना शिक्षा तथा संप्रेषण के जरिए सामान्य जनसंख्या के लिए निवारक कार्यकलाप।

— सामुदायिक परिचर्या सेवाएं प्रदान करके कम लागत वाली परिचर्या तथा सहायता सेवाओं की व्यवस्था तथा देश में अभिज्ञात केन्द्रों में व्यावसायिक अरक्षितता और निःशुल्क एण्टीरिट्रो वायरल थिरपी की रोकथाम।

— कार्यस्थल कार्यकलापों और सरकारी-निजी सहभागिता सहित अंतःक्षेत्र कार्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सहयोगात्मक प्रयत्न।

— निगरानी, प्रशिक्षण, अनुवीक्षण और मूल्यांकन, तकनीकी संसाधन समूहों, आपरेशनल अनुसंधान और कार्यक्रम प्रबंधन के जरिए कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं का सृजन करना।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान एड्स रोगियों (पुरुष, महिला, बच्चों) की सूचित संख्या

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002				2003				2004			
		पुरुष	महिला	बच्चे	कुल	पुरुष	महिला	बच्चे	कुल	पुरुष	महिला	बच्चे	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4	2	0	6	5	0	0	5	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	651	406	28	1085	2486	1532	105	4123	2506	1555	94	4155
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	15	1	0	16	40	8	2	50	9	4	0	13
5.	बिहार	19	9	0	28	6	3	0	9	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	156	69	14	239	130	32	11	173	122	41	55	218
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	72	26	8	106	92	13	9	114	53	11	4	68
11.	गोवा	49	16	3	68	124	42	8	174	75	33	1	109
12.	गुजरात	881	282	45	1108	787	304	33	1124	1095	382	59	1536
13.	हरियाणा	49	4	0	53	46	8	0	54	70	15	0	85
14.	हिमाचल प्रदेश	28	9	3	40	32	9	0	41	60	13	2	75
15.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	212	66	16	294	157	43	1	201	169	48	5	222
18.	केरल	252	118	15	385	396	202	28	626	51	20	2	73
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	110	41	5	156	105	32	8	145	149	51	9	209
21.	महाराष्ट्र	2567	1166	85	3818	3291	1385	396	5072	3053	1283	365	4701
22.	मणिपुर	461	135	33	632	708	390	89	1187	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	6	5	3	14	8	6	4	18	25	20	9	54
25.	नागालैंड	48	29	10	87	48	28	8	84	140	93	36	269
26.	उड़ीसा	11	3	1	15	1	0	0	1	0	0	0	0
27.	पांडिचेरी	92	46	2	140	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	30	29	0	59	20	18	0	38	26	9	2	37
29.	राजस्थान	202	70	20	292	183	69	14	266	172	48	8	228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	सिक्किम	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	6474	2296	331	9101	5023	1858	249	7130	9054	5451	766	15271
32.	त्रिपुरा	4	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	308	51	0	359	287	52	0	339	84	23	2	109
34.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	684	148	137	969	487	76	48	611	0	0	0	0
	कुल	13387	5031	759	19077	14464	6110	1013	21587	16913	9100	1419	27432

विवरण-II

"भारत में एचआईवी/एड्स का उपचार तथा निवारण" संबंधी विश्व बैंक रिपोर्ट की सिफारिशें

1. भारत में एचआईवी की मौजूदा व्यप्तता तथा घटना के संबंध में बेहतर आंकड़े एकत्रित करना ताकि मौजूदा नियोजन कार्यकलापों की परिशुद्धता का उन्नयन किया जा सके।

2. निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई गैर-ढांचागत एण्टी-रिट्रोवायरल थिरेपी की गुणवत्ता के लिए सहायता का उन्नयन करना ताकि सरकार की न्यूनतम संभावित लागत पर इसके शेष बचे नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। इस रिपोर्ट में बनाई गई धारणा के अधीन ऐसी नीति एण्टी-रिट्रोवायरल थिरेपी के लिए सर्वाधिक लागत प्रभावी है।

3. निवारक कार्यक्रमों की लागत तथा प्रभाव, दोनों, का मूल्यांकन करना। यदि सरकार यह पाए कि निवारक कार्यक्रमों में ठहराव आ रहा है तथा बचाए गए प्रति जीवित-वर्ष 10 डालर-20 डालर की लागत पर उपलब्ध न कराए जा सके तो एण्टी-रिट्रोवायरल थिरेपी, मुख्यतया संचरण-न्यूनीकरण एण्टी-रिट्रोवायरल थिरेपी, का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

4. वैकल्पिक एण्टी-रिट्रोवायरल थिरेपी कार्यक्रमों की लागत तथा प्रभावों का मूल्यांकन। इससे यह जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार के उपचार से भारत में रोगी औषध रेजीमन का अधिकाधिक पालन करेंगे।

5. एचआईवी से ग्रस्त व्यक्तियों में विषाणु की प्रतिरोधशक्ति विकृति की व्याप्तता का सहायता मापन।

6. यह सुनिश्चित करना कि कंडोम का प्रयोग कम होने की बजाए बढ़े, उपचाराधीन न रहने वाले, मुख्यतया उच्च जोखिम समूहों के जोखिम आचरण पर एण्टी-रिट्रोवायरल उपचार तक उन्नत पहुंच की जागरूकता के व्यावहारिक प्रभावों की मानीटरिंग।

7. सभी राज्य तथा राष्ट्रीय पणधारियों के परामर्श से ऐसी सांस्थानिक व्यवस्था तैयार करना तथा कार्यान्वित करना जिससे प्रभावी निवारक कार्यक्रम तैयार हों तथा उससे यह सुनिश्चित हो कि उपचार की उपलब्धता के शेष प्रभाव लाभकारी (न कि विकृत) हो।

प्रधानमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार-निरोधक प्रकोष्ठ

533. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री काशीराम राणा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार-निरोधक प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अधिकारियों/प्रकोष्ठ के कानूनी अधिकार और उनके कार्य क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान प्रकोष्ठ द्वारा किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और वे किस मंत्रालय से जुड़े हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) उपलब्ध कर्मचारियों को पुनरविन्यस्त करके प्रधानमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधी एकक स्थापित किया गया है।

(ख) यह एकक आम जनता से, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्राप्त भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है तथा इन्हें जांच/अन्वेषण तथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा अन्य सरकारी अभिकरणों को भिजवाता है। केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अन्य सरकारी अभिकरणों को भेजी गई ऐसी सभी शिकायतों के निपटान की भी यह एकक मॉनिटरिंग करता है।

(ग) और (घ) सरकार का इस एकक से सीधे कार्रवाई करने का इरादा नहीं है। इस एकक का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय को मिलने वाली शिकायतों, जिन पर संबंधित मंत्रालयों तथा सरकारी अभिकरणों द्वारा कार्रवाई आरंभ की जाती है की मॉनिटरिंग करना है।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल संबंध

534. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विदेश उप मंत्री हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके साथ नेपाल की स्थिति पर चर्चा हुई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार नेपाल में लोकतंत्र बहाल करने और माओवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु नेपाल की सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि सेना के एक खास हिस्से पर नेपाल में माओवादियों द्वारा हमला हो रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भारत नेपाल के साथ प्रमुख दलों का समर्थन कर रहा है जैसा कि दिनांक 22 मई, 2005 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ज) अमरीकी की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सुश्री क्रिस्टिना रोक्का नेपाल जाते हुए 9 मई, 2005 को दिल्ली में ठहरी थी। दिल्ली में, सुश्री क्रिस्टिना रोक्का ने विचारों का आदान-प्रदान करने तथा नेपाल की स्थिति के मूल्यांकन पर विचार-विमर्श करने के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की।

1 फरवरी, 2005 को बहुदलीय सरकार को बर्खास्त करके नेपाल नरेश श्री ज्ञानेन्द्र द्वारा सत्ता को सीधे अपने हाथ में लेने के बाद नेपाल की स्थिति के बारे में सरकार को गहरी चिंता है खुली सीमा के कारण नेपाल में बढ़ रही माओवादी गतिविधियों और नेपाल के माओवादियों तथा भारत में वामपंथी उग्रवादी दलों और भारत में घुसपैठ करने वाले अन्य दलों के बीच संपर्कों पर भी हम चिंतित हैं।

हमें दृढ़ विश्वास है कि अंतिम राजनैतिक व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ही नेपाल को पेश आ रही बहुआयामी तथा जटिल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। पहले कदम के रूप में राष्ट्रीय सामंजस्य तथा बातचीत की प्रक्रिया की शुरूआत होनी चाहिए। इस संदर्भ में नेपाल को पेश आ रही चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नेपाल के प्रमुख राजनैतिक दलों द्वारा घोषित साझे कार्यक्रम का हमने स्वागत किया है। नेपाल में राजनैतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बहाल करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार कृतसंकल्प है। भारत ने नेपाली सुरक्षा बलों को भी सहायता प्रदान की है तथा सुरक्षा एवं अन्य मसलों पर सीमा के

पार सहयोग को मजबूत बनाने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना की है।

मीडिया द्वारा प्रकाशित ऐसे समाचार गलत है कि भारतीय सेना के सेवारत सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिकों के हितों को माओवादियों द्वारा विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है।

[हिन्दी]

साइबर अपराध

535. **श्री हंसराज जी. अहीर :**
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव के कारण साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में साइबर अपराधों के माध्यम से प्रतिवर्ष करोड़ो रुपयों की धोखाधड़ी होती है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को किसी प्रकार का प्रशिक्षण दे रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार साइबर अपराधों की सुनवाई करने के लिए साइबर विनियमन अपील अधिकरण स्थापित करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) वर्ष 2002-3 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता आईपीसी) के अंतर्गत दर्ज किए गए साइबर अपराधों के मामले नीचे दिए अनुसार हैं:-

वर्ष	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम	आईपीसी	कुल
2002	70	738	808
2003	60	411	471

उपलब्ध आंकड़े वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 में साइबर अपराध के मामलों में कमी दर्शाते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले 2 वर्षों के दौरान साइबर अपराध के 6 मामले दर्ज किए हैं, अर्थात् आरसी 3/2003, आरसी 4/2003, आरसी 1/2004, आरसी 2/2005, आरसी 3/2005 और आरसी 6/2005 जिनमें धोखाधड़ी की गई है, जिससे सरकार/निजी व्यक्तियों का वित्तीय नुकसान हुआ है। इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) सरकार ने देश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्य कदम इस प्रकार हैं:-

- सरकार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए साइबर पर कई जागरुकता एवं प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। इसमें अपराध स्थल से अंकीय साक्ष्य एकत्रित करने के लिए साइबर अपराध विज्ञान सॉफ्टवेयर पैकेज तथा संबद्ध कार्यविधि का इस्तेमाल शामिल है।

- न्यायपालिका को साइबर अपराधों के तकनीकी-वैध पहलुओं और उन्हें प्रस्तुत किए गए अंकीय साक्ष्य के विश्लेषण पर प्रशिक्षण देने के लिए न्यायापालिका के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

- भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कार्य कर रहा है। सर्ट-इन प्रणाली प्रशासकों को सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी मूल संरचना का अनुसरण करने की सलाह देने के लिए समुचित सुरक्षा दिशा-निर्देशों का तथा अन्य सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का विकास कर रहा है। सर्ट-इन सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोक्ताओं की दुघर्टनाओं का विश्लेषण करके तथा उन्हें समुचित समाधान की सलाह देकर भी उनकी सहायता करता है।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 साइबर अपराधों के निपटान के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराता है।

– केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा अन्य पुलिस संगठनों ने साइबर अपराध कक्ष स्थापित किए हैं।

(ज) जी, हां।

(झ) "साइबर विनियमन अपील अधिकरण (अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2002 के संबंध में दिनांक 22.10.2002 की राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर सं. 717 (ई) तथा "साइबर विनियम अपील अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधनें) नियम, 2003 के संबंध में दिनांक 17.3.2003 की अधिसूचना सं. जीएसआर सं. 221 (ई) जारी की गई है। साइबर विनियमन अपील अधिकरण के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर भी कार्रवाई की गई है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पंजीकृत किए गए मामलों के संक्षिप्त तथ्य

1. **आईआरसीटीसी मामले :**

आज तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नवम्बर, 2002 से फरवरी, 2004 तक भारतीय रेल के टिकट खरीदने के लिए चुनाए गए क्रेडिट कार्ड के ब्यौरों का धोखाधड़ी में इस्तेमाल करने के लिए आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ 420 तथा 420 आईपीसी के साथ पठित धारा बी के अंतर्गत 3 मामले दर्ज किए हैं, अर्थात् आरसी 4/2003 दिनांक 1.10.2003 (देबाशीश चक्रवर्ती मामला), आरसी 1/2004 दिनांक 19.02.2004 (एम. राजा राव मामला) तथा आरसी 2/2005 दिनांक 19.1.2005 (रोशन मेनडोनका मामला)। आरोपित व्यक्तियों ने बताया कि उन्हें दूसरे व्यक्तियों के क्रेडिट कार्डों के ब्यौरे सामाजिक इंजीनियरी से प्राप्त हुए थे। इन 3 मामलों में आरोपित व्यक्तियों द्वारा आईआरसीटीसी (भारतीय रेल खानपान एवं परिवहन निगम को 2,20,000/-रुपए का कुल नुकसान पहुचाया गया। 3 मामलों में से दो को आरोप-पत्र दिया गया है।

2. **नीलामी में धोखाधड़ी**

(i) मामला आरसी 3/2003 धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत दिनांक 30.6.2003 को दर्ज किया गया था। आरोप था कि जनवरी-फरवरी, 2003 के दौरान आरोपित व्यक्ति www.indiatimes.com नामत नीलामी साइट पर नीलामी द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रानिक वस्तुओं को खरीदने के लिए आकर्षित करके लोगों को धोखा दे रहा था। शिकायतकर्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की कभी डिलीवरी नहीं की गई। बैंक खाते के आधार पर जिसके जरिए पीड़ित व्यक्ति ने भुगतान किया था, शिकायतकर्ता को 20,250/- रुपए का नुकसान हुआ। आरोपित व्यक्ति की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में धोखाधड़ी के 7 प्रमाणित दृष्टांतों के लिए 3 आरोप-पत्र दर्ज किए गए।

(ii) मामला आरसी 3/2005 दिनांक 20.2.2005 को www.bazzee.com सहित विभिन्न नीलामी साइटों पर मोबाइल फोनों की नीलमी करके लोगों को धोखा देने के आरोप पर दर्ज की गई जिसमें शिकायतकर्ता को 30,400/- रुपए का नुकसान हुआ। बंगलौर निवासी आरोपी शिव कुमार के खिलाफ आरोप-पत्र दर्ज किया गया है।

3. **ऑनलाइन व्यापार में धोखाधड़ी**

मामला आरसी 6/2005 आईपीसी की धारा 419 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत एक अनजान व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया। आरोप है कि किसी अनजान व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के व्यापार खाते का सूचना हरण कर लिया था और बड़े ऊंचे मूल्य पर शेयर खरीद लिए तथा बाद में उसी खाते से कम मूल्य पर उन शेयररों को बेच दिया। इस प्रकार से शिकायकर्ता को 5.00 लाख रुपए का बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है।

आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए पेटेंट अधिकार

536. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आयुर्वेदिक दवाइयों के बढ़ते उपयोग और मांग के संबंध में जानकारी हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए पेटेंट अधिकार प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार निर्मित आयुर्वेदिक दवाएं पेटेंट नहीं की जा सकतीं, क्योंकि वे जनक्षेत्र में पहले से उपलब्ध पूर्ववर्ती कला और ज्ञान पर आधारित हैं। तथापि, नए शोध या प्रक्रिया पर आधारित औषध योग का पेटेंट किया जा सकता है। औषधीय पादपों से संबंधित परंपरागत आयुर्वेदिक ज्ञान का दुर्विनियोजन न होने देने के उद्देश्य से सरकार परंपरागत ज्ञान अंकीय पुस्तकालय (टी.के.डी.एल.) नामक परियोजना चला रही है। इस योजना के तहत, प्राचीन साहित्य में यथा वर्णित औषधीय पादपों के परंपरागत ज्ञान को अंकीय प्रपत्र में पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं नामत: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनी में लिप्यंतरित किया जा रहा है ताकि परंपरागत औषधीय ज्ञान पर आधारित उत्पादों का भूल से पेटेंट न हो जाए।

सी.बी.आई. छापे

537. **श्री मोहन सिंह :**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के अन्तर्गत 6 मई, 2005 और 30 जून, 2005 को राष्ट्रव्यापी छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों और कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनके परिसरों पर छापे मारे गए थे;

(ग) इन अधिकारियों का किन विभागों से संबंध था और उनके पदनाम क्या थे;

(घ) छापों के दौरान राज्यवार बेहिसाब संपत्तियों के कितने मामले हुए और न्यायालयों में कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 6 मई, 2005 को कोई राष्ट्रव्यापी छापा नहीं मारा था। तथापि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने वार्षिक कार्यक्रम के रूप में दिनांक 6 अप्रैल, 2005 और 30 जून, 2005 को सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी कार्य का राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान चलाया।

(ख) से (ङ) इन अभियानों के दौरान 99 मामले दर्ज किए गए जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है। इन 99 मामलों में से केवल एक गैर-सरकारी व्यक्ति के द्वारा धोखेधड़ी का आर. एस. 3(एस.)/2005-एस.सी.बी./डी.एल.आई मामले की जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है। चूंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का क्षेत्राधिकार पूरा भारत है और अधिकांश मामले अंतर्राज्यीय विस्तार में दर्ज किए गए हैं, अत: इन मामलों का राज्यवार श्रेणीबद्ध करना कठिन है। इसके अतिरिक्त, जांच-पड़ताल के दौरान मामलों की बेहिसाब सम्पत्तियों का ब्यौरा देना उचित नहीं है।

विवरण

दिनांक 30.06.2005 को आयोजित विशेष अभियान के दौरान दर्ज किए गए मामले और ली गई तलाशियों का ब्यौरा

क्र. सं.	मामला संख्या और शाखा	श्रेणी	विभाग/संगठन का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट में दोषी का नाम
1	2	3	4	5
1.	आर.सी. 32/2005-डी.एल.आई.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	इलैक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, निर्यात संवर्द्धन परिषद	1. श्री डी.पी. गुप्ता, अपर कार्यपालक निदेशक

1	2	3	4	5
2.	आर.सी. 33/2005-डी.एल.आई.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	दिल्ली विकास प्राधिकरण	1. श्री विजय सिंह, सहायक निदेशक, डी डी ए, विकास मीनार, नई दिल्ली
3.	आर.सी. 34/2005-डी.एल.आई.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	शिक्षा (एन सी टी दिल्ली)	1. श्री केसी अग्रवाल दानिक्स अधिकारी, संयुक्त निदेशक, शिक्षा एन सी टी दिल्ली
4.	आर.सी. 35/2005-डी.एल.आई.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, इस समय केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्त मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर।	1. श्री आनन्द कुमार सिंघल, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क
5.	आर.सी. 36/2005-डी.एल.आई.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	दिल्ली पुलिस	1. श्री उदय वीर सिंह राठी, ए सी पी, अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस
6.	आर.सी. 7/2005-जे.डी.एच.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	बी एस एन एल	1. श्री अनिल दुधानी, प्रभागीय अभियन्ता, बी एस एन एल, उदयपुर
7.	आर.सी. 10/2005-जे.पी.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	भारतीय मानक ब्यूरो	1. श्री पी एस यादव, तत्कालीन निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, जयपुर (अब साहिबाबाद में)
8.	आर.सी. 11/2005-जे.पी.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	भारतीय मानक ब्यूरो	1. श्री डी पी मीना, तत्कालीन निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, जयपुर (अब मुम्बई में स्थानांतरित)
9.	आर.सी. 3/2005-ए.स.यू.-III.	धोखाधड़ी	टी आर आई एफ ई डी	4. 1. श्री आर के नायक, आई ए एस सेवानिवृत्त 2. श्री के श्रीधर राव, आई ए एस सेवानिवृत्त 3. श्री डी के मानवल्लन, आई ए एस सेवानिवृत्त 4. श्री जे पी लाथ और अन्य

1	2	3	4	5
10.	आर.सी. 3/2005-ए.स.यू.-iv	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	ई पी एफ ओ	1. श्री पी के संखला, क्षेत्रीय आयुक्त, उत्तरांचल
11.	आर.सी. 27/2005-एम.यू.एम.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	रेलवे	1. श्री एस के झा, सीनियर डी सी एम, पश्चिम रेलवे
12.	आर.सी. 28/2005-एम.यू.एम.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	बैंक आफ इंडिया	1. श्री डी एच किरण, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, बैंक आफ इंडिया
13.	आर.सी. 29/2005-एम.यू.एम.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	आयकर	1. श्री मनीष नाडकर, आयकर अधिकारी
14.	आर.सी. 11/2005-जी.एन.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान	1. श्री पी एस वी कुरूप, सचिव और प्रशासनाध्यक्ष, अहमदाबाद
15.	आर.सी. 12/2005-जी.एन.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क	1. श्री फौजा सिंह पंढेर, अधक्षीक
16.	आर.सी. 13/2005-जी.एन.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	रेलवे	1. श्री एस वाई नितनावरे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर
17.	आर.सी. 10/2005-एन.ए.जी.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	रेलवे	1. श्री एस के तिवारी, तत्कालीन जनरल मैनेजर, राइटस नागपुर, इस समय मुख्य प्रयोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड के पद पर तैनात
18.	आर.सी. 13/2005-बी.एल.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	आयकर	1. श्री बी आर धोर, @ बाबूराया, आयकर अधिकारी बेलगाम
19.	आर.सी. 14/2005-वी.एस.पी.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	आयकर	1. श्री वी अपालाराजू, आई आर एस, अपर आयकर आयुक्त, आयकर, विशाखापट्नम
20.	आर.सी. 15/2005-के.ई.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटिड	1. श्री डी रेजित, मुख्य प्रबंधक, हिन्दुस्तान ऑर्ग्रेनिक कैमिकल्स लिमिटिड, कोचीन

1	2	3	4	5
21.	आर.सी. 31/2005-सी.एच.एन.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	सीमा शुल्क	1. श्री अजय कुमार गुप्ता, मूल्यांकन कर्ता, सीमा शुल्क चेन्नई
22.	आर.सी. 27/2005-बी.बी.एस.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	नालको	1. श्री रामचन्द्र पांढी, मुख्य प्रबंधक, कैपटिव पावर प्लांट, नालको, अंगुल
23.	आर.सी. 24/2005-के.ओ.एल.	धोखाधड़ी	बी एस एन एल	1. श्री डी एस दास, ए.ई. सिविल, बी एस एन एल, कोलकाता 2. श्री परिमल बख्शी, जे टी ओ, सिविल, बी एस एन एल, कोलकाता
24.	आर.सी. 25/2005-के.ओ.एल.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	एन सी बी	1. श्री रथिम बिश्वास, आसूचना अधिकारी, स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो, कोलकाता
25.	आर.सी. 26/2005-के.ओ.एल.	ट्रैप	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1. श्री एम के भट्टाचार्य, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कोलकाता
26.	आर.सी. 27/2005-के.ओ.एल.	धोखाधड़ी	ए आई सी लिमिटिड	1. श्री ए के मोंडाल, ए.ए.ओ., एन आई सी, कोलकाता 2. श्रीमती सरस्वती राय, विकास अधिकारी, एन आई सी, कोलकाता
27.	आर.सी. 2/2005-एस.आई.एल.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	जल संसाधन मंत्रालय	1. श्री आर यू बारलस्कर
28.	आर.सी. 21/2005-सी.एच.जी.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	स्वास्थ्य मंत्रालय	1. श्री एन के मुंजाल, भंडारण अधिकारी, पी जी आई, चंडीगढ़ 2. श्री जे.डी. मुंजाल, स्टोर कीपर, पी.जी.आई., चंडीगढ़

1	2	3	4	5
29.	आर.सी. 18/2005-डी.डी.एन.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	सी पी डब्ल्यू डी	1. श्री अशोक कुमार शर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, सी पी डब्ल्यू डी, देहरादून, अब मूल्यांकन अधिकारी, आयकर कार्यालय, चंडीगढ़
30.	आर.सी. 14/2005-एल.के.ओ.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	बी एस एन एल	1. श्री परमाता राय, तत्कालीन डी जी एम, बी एस एन एल, गोरखपुर
31.	आर.सी. 8/2005-बी.पी.एल	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	भारतीय स्टेट बैंक	1. श्री श्री जे पी सिंह, सहायक महाप्रबंधक, एस बी आई, एल एच ओ, भोपाल
32.	आर.सी. 14/2005-पटना	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	बी एस एन एल	1. श्री श्री एस के शर्मा, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) बी एस एन एल, पटना
33.	आर.सी. 16/2005-रांची	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1. श्री अनिल शरण, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हजारी बाग, झारखण्ड
34.	आर.सी. 4/2005-ई ओ यू vii	आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक दुराचार	प्राइवेट	–
35.	आर.सी. 6/ई/2005-ई ओ य ix	साइबर अपराध (वेश बदलकर और हैकिंग द्वारा धोखाधड़ी)	प्राइवेट	–
36.	आर.सी. 6/2005-ई ओ यू iv	धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक दुराचार और आपराधिक षंडयंत्र	डी डी ए	1. श्री एन के गुप्ता, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, वेस्टर्न डिवीजन, 8 डी डी ए द्वारका, नई दिल्ली
37.	आर.सी. 8/2005-ईओडब्ल्यू-I/डी एल आई	आपराधिक दुराचार, धोखाधड़ी, जालसाजी	आयकर	अज्ञात व्यक्ति
38.	आर.सी. 6/2005-ई ओ डब्ल्यू-सी एच एन	आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	अज्ञात व्यक्ति
39.	आर.सी. 4/2005-ई ओ डब्ल्यू-मुम्बई	आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	अज्ञात व्यक्ति

1	2	3	4	5
40.	आर.सी. 5/2005-ई ओ डब्ल्यू-मुम्बई	आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र दुराचार	सीमा शुल्क	1. श्री लोक सेवक
41.	आर.सी. 4/ई/2005-बी एस और एफ सी/बी एल आर	आपराधिक षडयंत्र, आपराधिक विश्वास भंग, धोखाधड़ी	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	—
42.	आर.सी. 4/2005-बी एस एफ सी/डी एल आई	आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी जालसाजी	पंजाब और सिंध बैंक	1. श्री एस के रैना, प्रबन्धक
43.	आर.सी. 5/2005-बी एस एफ सी/डी एल आई	आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी जालसाजी	प्राइवेट	—
44.	आर.सी. 5/2005-बी एस एफ सी/मुम्बई	आपराधिक षडयंत्र, आपराधिक विश्वास भंग, धोखाधड़ी	देना बैंक	—
45.	आर.सी. 14/एस) 2005-एस सी यू-1	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	ई पी एफ ओ	1. श्री एस एल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
46.	आर.सी. 5/2005-एस सी बी-II/डी एल आई	धोखाधड़ी, जालसाजी	—	—
47.	आर.सी. 12/2005-एस सी बी/सी एच एन	आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1. श्री रमेश बाबू, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
48.	आर.सी. 7/2005-एस सी आर-III	आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और दुर्विनियोग	प्राइवेट	—

दिनांक 06.04.2005 को आयोजित विशेष अभियान के दौरान दर्ज किए गए मामले और ली गई तलाशियों का ब्यौरा

क्र. सं.	मामला संख्या और शाखा	श्रेणी	विभाग/संगठन का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट में दोषी का नाम
1	2	3	4	5
1.	आर.सी. 17(ए)/2005-मुम्बई	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	आयकर	श्री विवेक बत्रा, संयुक्त आयुक्त, आयकर (आई आर एस : 93)

1	2	3	4	5
2.	आर.सी. 18(ए)/2005-मुम्बई	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	एयर इण्डिया	श्री प्रवीण आर बारवे, डी जी एम, (एक्पोर्ट) एयर इण्डिया
3.	आर.सी. 19(ए)/2005-मुम्बई	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवाएं	श्री विजय कुमार शर्मा, संघ राज्य क्षेत्र, लोक सेवक (2000 बैच)
4.	आर.सी. 20(ए)/2005-मुम्बई	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	यूनियन बैंक आफ इंडिया	श्री जे जे दारूवालिया, वरिष्ठ प्रबन्धक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया
5.	आर.सी. 5(ए)/2005-जी एन आर	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	बी एस एन एल	श्री अनन्त स्वरूप, डी ई, बी एस एन एल, दीसा, जी एम टी डी, पालनपुर के अधीन
6.	आर.सी. 6(ए)/2005-जी एन आर	प्राइवेट पार्टी का अनुचित ढंग से पक्ष लेने में आपराधिक दुराचार	काण्डला विशेष आर्थिक क्षेत्र	1. श्री योगेन्द्र गर्ग, संयुक्त विकास आयुक्त
7.	आर.सी. 7(ए)/2005-जी एन आर	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	काण्डला विशेष आर्थिक क्षेत्र	2. श्री वी एन, जहागीधर, उप आयुक्त
8.	आर.सी. 8(ए)/2005-एन जी आर	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	ट्राइफेड	श्री यशवन्त गणवीर, क्षेत्रीय प्रबन्धक, ट्राइफेड गुवाहाटी
9.	आर.सी. 18(ए)/2005-डी एल आई	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	शहरी विकास मंत्रालय	श्री संजय कुमार साह, निदेशक (वित्त) शहरी विकास मंत्रालय (आई आर एस : 90)
10.	आर.सी. 19(ए)/2005-डी एल आई	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	दिल्ली पुलिस	श्री अख्तर अली फारूकी, पुलिस उपायुक्त, दिल्ली पुलिस, दिल्ली (दिनिप्स : 1978)
11.	आर.सी. 8(ए)/2005-के ई आर	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	श्री वी पी ओमकुमार, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
12.	आर.सी. 9(ए)/2005-के ई आर	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	सीमा शुल्क	हैरीशन एण्टानी, मूल्यांकक, सीमा शुल्क, मैंगलूर
13.	आर.सी. 9(ए)/2005-हैदराबाद	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	आयकर	श्री सी वेंकटेश्वर राव, डी सी आई टी, तिरूपति

1	2	3	4	5
14.	आर.सी. 10(ए)/2005-वी एस पी	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेन्टर	श्री सी संबंदन, एन एस डी आर सी विशाखापट्टनम के पूर्व निदेशक
15.	आर.सी. 18(ए)/2005-सी.एच.एम.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	श्री एल. कुमार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सालेम
16.	आर.सी. 19(ए)/2005-सी.एच.एम.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	भारतीय खाद्य निगम	श्री एस.टी.पी.वी.एन., आचार्युलु, क्षेत्रीय उपप्रबंधक, चेन्नई
17.	आर.सी. (ए)8/2005-बी.एल.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	कम्पनी कार्य विभाग	श्री बी.एम. आनन्द, कम्पनी पंजीयक, बैंगलोर
18.	आर.सी. 16(ए)/2005-बी.बी.एस.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड	श्री बिशेश्वर साहनी, लिपिक, ओरिएंट कोलरी माइन्स, एम.सी.एल., ब्रजराज नगर
19.	आर.सी. 17(ए)/2005-बी.बी.एस.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड	श्री तारक चन्द्र राउत, क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक, एम.सी.एल. तलचर
20.	आर.सी. 18(ए)/2005-बी.बी.एस.आर.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	आयकर	श्री एस.आर. सेनापति, अतिरिक्त आयकर आयुक्त, राउरकेला
21.	आर.सी. 5(ए)/2005-गुवाहाटी	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	एन.ई.ई. पी.सी.ओ.	श्री पी.सी. बोर्गोहाइन, ई.डी., एन.ई.ई.पी.सी.ओ.
22.	आर.सी. 10(ए)/2005-कोलकाता	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	समाज कल्याण विभाग	श्रीमती जंतरा पंत, सी.डी.पी.ओ., फेरूरगंज, दक्षिण अंडमान, पोर्टब्लेयर
23.	आर.सी. 11(ए)/2005-कोलकाता	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	बी.एस.एन.एल.	श्री एम.एल. कार, एस.डी.ई., बी.एस.एन.एल., कोलकाता
24.	आर.सी. 12(ए)/2005-कोलकाता	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	सीमा शुल्क	श्री पी.आर. चौधरी, मूल्यांकक, एस.आई.यू., सीमा शुल्क भवन, कोलकाता,
25.	आर.सी. 13(ए)/2005-कोलकाता	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	बी.एस.एन.एल.	श्री आशिम कुमार बिस्वास, वरिष्ठ लेखाकार, बी.एस.एन.एल, कोलकाता
26.	आर.सी. 14(ए)/2005-कोलकाता	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	सीमा शुल्क	श्री प्रद्युत रे चौधरी, अधीक्षक, केन्द्रीय सीमा शुल्क

1	2	3	4	5
27.	आर.सी. 2(ए)/2005-ए.सी.यू.-III	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	एस.टी.एन.एल.	श्री अशोक कुमार दिनकर, महाप्रबंधक, एम.टी.एन.एल. (संयुक्त सचिव के स्तर के
28.	आर.सी. 2(ए)/2005-ए.सी.यू.-VII	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	दिल्ली नगर निगम	श्री आर.बी. बंसल, कार्यकारी अभियंता, एम.सी.डी., नई दिल्ली
29.	आर.सी. 10(ए)/2005-सी.एच.जी.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	भारतीय खाद्य निगम	श्री वी.पी. सुब्रमणियन, उप प्रबंधक (सामान्य) और जिला प्रबंधक, एफ.सी.आई., फिरोजपुर, पंजाब
30.	आर.सी. 12(ए)/2005-डी.डी.एन.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	विस्फोटक विभाग	श्री पुरूषेन्द्र कुमार, विस्फोटक नियंत्रक, इलाहाबाद
31.	आर.सी. 13(ए)/2005-डी.डी.एन.	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	सी.पी.डब्ल्यू.डी	श्री नईम अहसान खान, ए.ई.सी.पी.डब्ल्यू.डी., रामपुर
32.	आर.सी. 8(ए)/2005-रांची	आपराधिक कदाचार, षडयंत्र और धोखाधड़ी	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड	1. श्री एम.के. थापर, तत्कालीन निदेशक(टी.)/सी.एम.डी., सी.सी.एल., रांची 2. श्री एस.के. बासु, तत्कालीन निदेशक (वित्त), सी.सी.एल., (सेवानिवृत्त) 3. श्री पी.वी.एल.एन. प्रसाद, तत्कालीन सी.जी.एम.(टी.) सी.सी.एल. (सेवानिवृत्त), रांची
33.	आर.सी. 7(ए)/2005-रांची	आपराधिक कदाचार, षडयंत्र और धोखाधड़ी	बी.एस.एन.एल.	श्री संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (सिविल), बी.एस.एन.एल., रांची
34.	आर.सी. 5(ए)/2005-धनबाद	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	भारत कुकिंग कोल लि.	श्री बी.सी., मांझी, परियोजना अधिकारी, धनबाद
35.	आर.सी. 8(ए)/2005-पटना	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	सीमा शुल्क	श्री आर.के. सिंह, अधीक्षक, सीमा शुल्क, रक्सौल
36.	आर.सी. 9(ए)/2005-पटना	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	बी.एस.एन.एल.	श्री सत्येन्द्र सहाय, तत्कालीन ए.ओ. बैंकिंग, बी.एस.एन.एल., पटना

1	2	3	4	5
37.	आर.सी. 5(ए)/2005-रांची	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	बी.एस.एन.एल.	श्री बी.एल. गुप्ता, डिवीजनल इंजीनियर, बी.एस.एन.एल., दुमका
38.	आर.सी. 1(ए)/2005-ए.एच.डी., पटना	आपराधिक कदाचार, षडयंत्र और धोखाधड़ी	स्वास्थ्य विभाग, बिहार शासन	1. श्री एन.सी. धवन, तत्कालीन ए.डी.जी.एम., एस.एस.डी., मुंबई 2. श्री एम.वी., रमन्ना, तत्कालीन डिपो प्रबंधक, एम.एस.डी., मुम्बई 3. डॉ. एस.एन. यादव, सेवानिवृत्त, सिविल सर्जन, झारखंड
39.	आर.सी. 7(ए)/2005-पटना	आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखना	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क और सीमा शुल्क	श्री आर.के. श्रीवास्तव, निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, मुजफ्फरपुर
40.	आर.सी. 3(ई)/2005 ई.ओ.यू.-I	आपराधिक कदाचार, षडयंत्र और धोखाधड़ी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क और सीमा शुल्क	1. श्री प्रकाश टी. काम्बले, तत्कालीन उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, भंडारा, महाराष्ट्र 2. श्री अनिल एस. वासनिक, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, भंडारा
41.	आर.सी. 2(ई)/2005-ई.ओ.डब्ल्यू.-II/डी.एल.आई.	आपराधिक कदाचार, षडयंत्र और दुर्विनियोग	डाक विभाग	1. श्री आई.एन. सिंह, सब पोस्ट मास्टर, वाराणसी 2. श्री एस.एस. यादव, तत्कालीन जी.डी.एस. पैकर, सब पोस्ट अधिकारी, वाराणसी 3. श्री पी.एन. राम, डाकखानों का उपमंडलीय निरीक्षक, वाराणसी 4. श्री ज्युत राम, तत्कालीन पोस्ट मास्टर, वाराणसी 5. श्री आर.एस. राम, उप पोस्ट मास्टर, वाराणसी
42.	आर.सी. 3(ई)/2005-ई.ओ.डब्ल्यू., कोलकाता	आपराधिक कदाचार, जालसाजी और धोखाधड़ी	गैर-सरकारी व्यक्ति/फर्म	गैर-सरकारी

1	2	3	4	5
43.	आर.सी. 5(ई)/2005-ई.ओ.डब्ल्यू., चेन्नई	आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम ओर भारतीय बेतार अधिनियम	गैर-सरकारी व्यक्ति/फर्म	गैर-सरकारी व्यक्ति/फर्म तथा दूर संचार विभाग और बी.एस.एन.एल. के अज्ञात अधिकारी
44.	आर.सी. 3(ई)/2005-ई.ओ.डब्ल्यू., मुम्बई	आपराधिक कदाचार, षडयंत्र और धोखाधड़ी	गैर-सरकारी व्यक्ति/फर्म	गैर-सरकारी व्यक्ति/फर्म तथा डाक विभाग के अज्ञात अधिकारी
45.	आर.सी. 3(ई)/2005-बी.एस. एंड एफ.सी./डी.एल.आई.	आपराधिक कदाचार, षडयंत्र और दुर्विनियोग	आरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स (पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक)	श्री बी. राम गोपाल, पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, नई दिल्ली के तत्कालीन शाखा प्रमुख
46.	आर.सी. 3(ई)/2005-बी.एस. एंड एफ.सी./मुम्बई	आपराधिक कदाचार, षडयंत्र और अपाराधिक विश्वासघात	बैंक ऑफ बड़ौदा	बैंक ऑफ बड़ौदा के अज्ञात अधिकारी
47.	आर.सी. 3(ई)/2005-बी.एस. एंड एफ.सी./बी.एल.आर.	आपराधिक कदाचार, षडयंत्र और धोखाधड़ी	भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक के अज्ञात अधिकारी
48.	आर.सी. 2(ई)/2005-बी.एस. एंड एफ.सी./बी.एल.आर.	आपराधिक कदाचार, षडयंत्र और धोखाधड़ी	भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक के अज्ञात अधिकारी
49.	आर.सी. 3((एस)/2005-एस.सी.यू.-V	आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी, और धोखाधड़ी	भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण	1. श्री पी.पी. केईम, महाप्रबंधक, कार्गो 2. श्री दिनेश कुमार, महाप्रबंधक, कार्गो 3. श्री कैप्टन (सेवानिवृत्त) आर.के. मलिक, डी.जी.एम. सुरक्षा 4. श्री कैप्टन (सेवानिवृत्त) सुधीर मलिक, डी.जी.एम. सुरक्षा 5. ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) आर.के. कुकरेजा 6. कर्नल (सेवानिवृत्त) बी.के धूपेर
50.	आर.सी. 3(एस)/2005-एस.सी.बी./डी.एल.आई.	धोखाधड़ी	गैर-सरकारी व्यक्ति	गैर-सरकारी व्यक्ति
51.	आर.सी. 2(एस)/2005-एस.सी.बी./सी.एच.जी.	आपराधिक कदाचार, षडयंत्र, जालसाजी और धोखाधड़ी	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1. श्री राजेश गुप्ता, प्रमंडलीय प्रबंधक

1	2	3	4	5
				2. श्री टी.बी. नेगी, सहायक प्रबंधक
				3. श्री बी.एस. मेहता, सभी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के.ए.ओ.

[अनुवाद]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना

538. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
डा. के. धनराजू :
श्री अजीत जोगी :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :
श्री सुरेश चन्देल :
श्री के.सी. पलनिसामी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में राज्यवार कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चेन्नई, तिरूचिरापल्ली और शिमला में नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यालयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ राज्य में भी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) से (च) चेन्नई और तिरूचिरापल्ली, प्रत्येक स्थान में पासपोर्ट कार्यालय मौजूद हैं। अतः इन शहरों में अतिरिक्त पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिमला में पासपोर्ट आवेदन पत्र संग्रहण केन्द्र (पी ए सी सी) मौजूद है। सरकार का शिमला के पीएसीसी को उन्नत करके पूर्ण रूप से पासपोर्ट कार्यालय बनाने का निर्णय है। रायपुर में एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। तथापि, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में स्टाफ की कमी की वजह से इन कार्यालयों को अभी तक खोला नहीं गया है। इन कार्यालयों को खोलने की समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं है।

(छ) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारत सरकार सतत प्रयासरत रही है। हाल के महीनों में, लम्बित आवेदन पत्रों के पुराने मामलों को निपटाने के लिए कई पासपोर्ट कार्यालयों में विशेष अभियान चलाए गए। इसके फलस्वरूप पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय में काफी कमी आई है।

आवेदकों के लिए पासपोर्टों सेवाओं को और आसान बनाने की दृष्टि से भारत सरकार ने लगभग 450 जिलों में जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों की स्थापना करके आवेदन पत्रों को जमा करने की प्रक्रिया को विकेन्द्रित किया। आवेदन पत्र देशभर के 200 से अधिक स्पीड पोस्ट केन्द्रों में भी जमा कराए जा सकते हैं।

विवरण

15.7.2005 तक राज्यवार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालयों में लंबित मामले दर्शाता विवरण

क्रम सं.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय का नाम	लम्बित आवेदनों की संख्या
1	2	3
	गुजरात	
1.	अहमदाबाद	1194

1	2	3
2.	सूरत	2669
	जोड़	3863
	कर्नाटक	
3.	बंगलौर	8637
	उत्तर प्रदेश	
4.	बरेली	1505
5.	गाजियाबाद	
6.	लखनऊ	7834
	जोड़	9339
	मध्य प्रदेश	
7.	भोपाल	1927
	उड़ीसा	
8.	भुवनेश्वर	1450
	तमिलनाडु	
9.	चेन्नई	8495
10.	त्रिची	14861
	जोड़	23356
	केरल	
11.	कोचीन	3265
12.	कोझीकोड	7931
13.	त्रिवेन्द्रम	1336
	जोड़	12532
	असम	
14.	गुवाहाटी	1270
	आंध्र प्रदेश	
15.	हैदराबाद	90
16.	विशाखापत्तनम	3215
	जोड़	3305
	राजस्थान	
17.	जयपुर	14255
	पंजाब	
18.	जालंधर	2628
	जम्मू-कश्मीर	
19.	जम्मू	00
20.	श्रीनगर	00
	पश्चिम बंगाल	
21.	कोलकाता	376
	महाराष्ट्र	
22.	मुम्बई	776
23.	नागपुर	964
24.	पुणे	340
25.	थाणे	658
	जोड़	2738
	बिहार	
26.	पटना	873
	झारखंड	
27.	रांची	181

1	2	3
28.	चण्डीगढ़	14895
29.	दिल्ली	7444
30.	पणजी	281

थर्मल कोयले का उत्पादन

539. श्री जुएल ओराम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में और विशेषकर महानदी कोलफील्ड्स लि. में थर्मल कोयले का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार भी थर्मल कोयले का आयात कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल कितनी मात्रा में कोयले का आयात किया गया;

(घ) क्या सरकार का थर्मल कोयले के आयात में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में और महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) में तापीय कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	अखिल भारतीय कोयला उत्पादन	एम.सी.एल.
2002-03	311.077	52.229
2003-04	331.755	60.049
2004-05 (अनंतिम)	352.794	66.080

(ख) और (ग) कोयला मंत्रालय कोयले का आयात नहीं कर रहा है। तथापि, चूंकि कोयले का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए कोई भी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार कोयले का आयात कर सकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा आयातित कोयले की कुल मात्रा नीचे दी गई है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	नान-कोकिंग कोयला
2002-03	10.313
2003-04	8.691
2004-05 (अनंतिम)	10.465

(घ) और (ङ) मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण, विद्युत मंत्रालय ने, विद्युत गृहों में कोयला भंडार तैयार करने और विद्युत उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान 13.45 मि.ट. (अनंतिम) कोयले का आयात करने की योजना बनाई है।

योजना व्यय का उपयोग

540. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में वर्ष 2004-05 के योजना व्यय से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है;

(ख) योजना व्यय के उपयोग न करने के राज्यवार कारण क्या हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान चूककर्ता राज्यों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) वर्ष 2005-06 के लिए योजना परिव्यय में कितनी कटौती की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) और (ख) राज्यों से वार्षिक योजना 2004-05 के लिए वास्तविक व्यय संबंधी आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। बिहार, गोवा, हरियाणा,

कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल का वर्ष 2004-05 का अनुमानित व्यय अनुमोदित परिव्ययों से कम रहा। व्यय में कमी का मुख्य कारण राज्यों द्वारा अपने संसाधनों का योजनानुसार जुटाव करने तथा संपूर्ण केन्द्रीय सहायता विशेषकर विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में उनकी असमर्थता थी।

(ग) और (घ) राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में अनुमोदित/संशोधित परिव्यय की तुलना में व्यय में कमी तथा निर्धारित परिव्यय में भी कमी के कारण समानुपातिक कटौती की गई है। यह कटौती वित्त मंत्रालय से वास्तविक लेखा परीक्षित व्यय प्राप्त होने के बाद की जाती है। चूंकि राज्यों से वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 से संबंधित वास्तविक लेखा परीक्षित व्यय अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, अत: वर्ष 2004-05 और 2005-06 में कमी के कारण कोई कटौती नहीं की गई है।

स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा एचआईवी/एड्स संबंधी आंकड़ों का संग्रहण

541. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एचआईवी/एड्स से संबंधित आंकड़ों में सरकार द्वारा अनियमितताएं देखी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आंकड़े स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से संग्रहित कराने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, नहीं।

सरकार द्वारा एचआईवी/एड्स से संबंधित आंकड़ों में कोई अनियमितता नहीं देखी गई है और एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से डाटा एकत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार निगरानी प्रणाली के लिए एप्रोच सहित पूरे कार्यक्रम का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराने का इरादा रखती है। इसमें कार्यक्रम के सभी घटकों की समीक्षा-सह-समग्र मूल्यांकन, उपयोग की गई एप्रोचों की परिशुद्धता और मौजूदा एप्रोचों को सुधारने के तरीकों के लिए सुझाव देना शामिल है। इस कार्य के लिए प्रस्तावित की गई समय-सीमा इस वर्ष के अंत तक है।

आईएएस/आईपीएस अधिकारियों की कमी

542. **श्री राजेन्द्र कुमार :**
मो. मुकीम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में सभी राज्यों में आईएएस/आईपीएस अधिकारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो आईएएस/आईपीएस अधिकारियों की स्वीकृत संख्या, उनकी नियुक्ति का अलग-अलग राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत संख्या के स्थान पर विभिन्न राज्यों में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं और ये पद किस तारीख से रिक्त हैं;

(घ) क्या देश में उक्त अधिकारियों की कमी के कारण प्रशासनिक कार्य बाधित हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या के अनुसार अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस बारे में विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्य संवर्गों में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की आवश्यकता के बारे में समीक्षा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए समय-समय पर की जाती है और जहां आवश्यक हो, संवर्ग-संख्या में संशोधन किया जाता है। रिक्तियों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और अंतराल को सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और राज्य-फीडर सेवाओं से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

विवरण

क्र. सं.	संवर्ग	भारतीय प्रशासनिक सेवा		भारतीय पुलिस सेवा	
		कुल प्राधिकृत संख्या	पदों पर तैनात अधिकारी (1.1.2005 की स्थिति के अनुसार)	कुल प्राधिकृत संख्या	पदों पर तैनात अधिकारी (1.1.2005 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	314	315	209	183
2.	ए.जी.एम.यू.	245	220	162	143
3.	असम-मेघालय	226	205	153	136
4.	बिहार	264	251	193	145
5.	छत्तीसगढ़	138	89	81	58
6.	गुजरात	248	221	161	132
7.	हरियाणा	212	208	125	114
8.	हिमाचल प्रदेश	126	122	72	68
9.	जम्मू-कश्मीर	112	97	135	115
10.	झारखंड	143	115	110	86
11.	कर्नाटक	259	241	156	135
12.	केरल	178	172	139	116
13.	मध्य प्रदेश	296	291	231	211
14.	महाराष्ट्र	351	338	236	191
15.	मणिपुर-त्रिपुरा	198	174	121	100
16.	नागालैंड	64	53	58	45
17.	उड़ीसा	202	183	159	111
18.	पंजाब	193	163	144	122
19.	राजस्थान	260	226	184	147
20.	सिक्किम	50	44	32	30
21.	तमिलनाडु	325	313	214	197
22.	उत्तरांचल	94	71	60	41
23.	उत्तर प्रदेश	467	429	404	351
24.	पश्चिम बंगाल	296	247	278	221
	कुल	5261	4788	3817	3198

दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

543. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के लाभकारी उपक्रमों में न्यून धारिता के अन्यत्र उपयोग और खुदरा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु खोलने के लिए रणनीति विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के लाभकारी उपक्रमों में न्यूनधारिता के अन्यत्र उपयोग और खुदरा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु खोलने के लिए कोई रणनीति विकसित नहीं की गई है क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किए गए दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में सुझाई गई नीतियों एवं लक्ष्यों से व्यापक सहमति दिनांक 27 और 28 जून, 2005 को हुई बैठक में ही व्यक्त की गई है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक निवेश

544. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में सार्वजनिक निवेश अपने लक्ष्यों से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे क्षेत्र कौन से हैं जिनमें यह कमी अधिक उल्लेखनीय है;

(ग) इसके लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने तदनुसार चालू पंचवर्षीय योजना हेतु निवेश संबंधी लक्ष्यों को कम कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : (क) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार योजना के प्रथम तीन वर्षों में कुल सार्वजनिक निवेश दसवीं योजना के लक्ष्य का 37.6 प्रतिशत होना अनुमानित किया गया है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित नवीनतम राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय 2005 के अनुसार, क्षेत्र-वार किए गए सार्वजनिक निवेश की सूचना केवल दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 2002-03 के लिए ही उपलब्ध है। केवल एक वर्ष के आंकड़ों के आधार पर उन क्षेत्रों का निर्धारण करना संभव नहीं है जिनमें कमी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

(ग) सार्वजनिक निवेश के लक्ष्य में कमी के मुख्य कारणों में निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में सक्षम न होना और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में आंतरिक स्तर तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई ई बी आर) का कम होना शामिल है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वास्तविक लक्ष्य की तुलना में दसवीं योजना में सम्भाव्य संशोधित निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दसवीं योजना की क्षेत्रकीय निवेश आवश्यकताएं

(2001-02 के मूल्यों पर 000 करोड़ रुपये)

क्षेत्रक	दसवीं योजना दस्तावेज	मध्यावधि मूल्यांकन	प्रतिशत परिवर्तन
कृषि एवं संबंधित	219.6	175.7	-20.0
खनन एवं उत्खनन कार्य	89.4	98.2	9.8
विनिर्माण	1476.9	1196.6	-19.0
बिजली गैस एवं जलापूर्ति	412.5	316.1	-23.4
निर्माण	61.0	53.5	-12.3
व्यापार, होटल आदि	136.6	115.1	-15.7
रेलवे परिवहन	81.9	77.8	-5.0
अन्य परिवहन	237.6	230.0	-3.2
संचार	296.4	431.4	45.5
वित्तीय सेवाएं	151.2	129.4	-14.4
लोक प्रशासन एवं आदि	273.1	213.1	-22.0
अन्य सेवाएं	645.3	545.3	-15.5
कुल	4081.5	3582.2	-12.2

केंद्रीय सड़क निधि का उपयोग नहीं किया जाना

545. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1465 करोड़ की केंद्रीय सड़क निधि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में सड़कों में सुधार करने और इनका निर्माण करने हेतु इस विधि का यथाशीघ्र उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राज्यीय सड़कों के लिए अलग से रखी गई केंद्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) को 31.03.2005 तक उपयोग न की गई कुल धनराशि 1606.18 करोड़ रु. है। तथापि, केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सड़क निधि के लिए उपार्जित निधियां गैर-व्यपगत किस्म की होती हैं। केंद्रीय सड़क निधि से निधियों को जारी करना, जारी की गई धनराशि के उपयोग और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए और उनके द्वारा कार्यान्वित प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत कार्यों की प्रगति पर निर्भर करता है।

(ग) राज्यों के लिए इस विभाग के दिशानिर्देश यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि इस प्रकार के केंद्रीय सड़क निधि के कार्य 2 वर्षों की अवधि के अंदर पूरे किए जाने हैं। राज्य सरकारों से केंद्रीय सड़क निधि कार्यों की प्रगति संबंधी गति को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से अनुरोध किए जाते हैं और केंद्रीय सड़क निधि से निधियों के उपयोग संबंधी प्रगति की तिमाही आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है।

ग्रामीण इंटरनेट केन्द्रों की स्थापना

546. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और अमरीकी कम्पनियों और विश्व बैंक सहित एक अंतर्राष्ट्रीय संघ (कंसोर्टियम) भारत में ग्रामीण इंटरनेट केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(घ) ग्रामीण इंटरनेट केन्द्रों की स्थापना संबंधी कार्य को कब तक पूरा करने की संभावना है; और

(ङ) देश में उक्त केन्द्रों की स्थापना करने हेतु स्थलों का चयन करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्य हज समितियों का पुनर्गठन

547. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने राज्य हज समितियों का समय पर पुनर्गठन कर लिया है और उन राज्यों का भी ब्यौरा क्या है जिन्होंने उनका पुनर्गठन नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त राज्यों से राज्य हज समितियों का यथाशीघ्र गठन करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) 5 दिसम्बर, 2002 से लागू हज समिति अधिनियम, 2002 और भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना संख्या 110 दिनांक 4 फरवरी, 2003 की शर्तों के अनुसार सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से 15 मार्च, 2003 तक अपनी-अपनी राज्य हज समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया था। निम्नलिखित 6 राज्यों ने निर्धारित तारीख तक अपनी राज्य हज समितियां गठित कर ली हैं:-

1. असम* .
2. केरल
3. महाराष्ट्र
4. मणिपुर
5. राजस्थान

6. उत्तरांचल

इसके बाद निम्नलिखित 17 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने भी अपनी राज्य हज समितियों का गठन कर लिया है:-

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. आंध्र प्रदेश
3. बिहार
4. छत्तीसगढ़
5. दादरा और नगर हवेली
6. दमन और दीव
7. हिमाचल प्रदेश
8. मध्य प्रदेश
9. मेघाल्य*
10. मिजोरम*
11. नागालैंड
12. उड़ीसा
13. पंजाब
14. तमिलनाडु
15. त्रिपुरा
16. उत्तर प्रदेश
17. पश्चिम बंगाल

*(असम ने 13.3.2003 को अपनी राज्य हज समिति का गठन किया; बाद में 4.6.2005 को असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम की संयुक्त राज्य हज समिति का भी गठन किया गया)

निम्नलिखत 12 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अभी तक अपनी हज समितियों का गठन नहीं किया है:-

1. अरुणाचल प्रदेश
2. छत्तीसगढ़
3. दिल्ली
4. गोवा
5. गुजरात
6. हरियाणा
7. जम्मू-कश्मीर
8. झारखंड
9. कर्नाटक
10. लक्षद्वीप
11. पांडिचेरी
12. सिक्किम

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने अपने 28.2.2003, 13.8.2003 और 7.6.2004 के पत्रों द्वारा विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की अपनी राज्य हज समितियां शीघ्र गठित करने के लिए स्मरण कराया है। 27 अक्तूबर, 2004 को नई दिल्ली में हुए अखिल भारतीय हज सम्मेलन, 2005 और 6 जून 2005 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय हज सम्मेलन, 2006 के अपने सम्बोधन में विदेश राज्य मंत्री ने उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जिन्होंने अभी तक अपनी-अपनी राज्य हज समितियों का गठन नहीं किया है, से शीघ्रता से उनका गठन करने को कहा है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि प्रदान करना

548. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार उन स्वैच्छिक संगठनों को धन उपलब्ध कराती है जो देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक को आवंटित किए गए धन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बात की निगरानी करने हेतु कोई अभिकरण है कि इन स्वैच्छिक संगठनों को आवंटित धन का उनके द्वारा समुचित ढंग से उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो चूककर्ता संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों के मूल्यांकन के लिए परिवार कल्याण विभाग द्वारा मूल्यांकनकर्ता एजेंसियों के एक पैनल को स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। गैर-सरकारी संगठनों का मूल्यांकन परियोजना के प्रथम और तृतीय वर्ष समप्ति पर किया जाता है। सपोर्ट टू जेंडर इश्यूज (एसजीआई) योजना के तहत, जिसके लिए वित्तीय सहायता यूनएनएफपीए द्वारा दी जाती थी, वित्तीय सहायता अभिनिर्धारित गैर-सरकारी संगठन (निगरानीकर्ता गैर-सरकारी संगठन) के माध्यम से पहुंचाई जाती थी जबकि परियोजना का कार्यान्वयन अन्य गैर-सरकारी संगठन (कार्यान्वयनकर्ता गैर-सरकारी संगठन) के माध्यम से किया जाता था। एसजीआई योजना अब प्रचलन में नहीं है।

(घ) और (ङ) जिन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध अभी हाल ही में शिकायते प्राप्त हुई हैं, उनकी सूची और इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठनों की सूची संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

विश्व बैंक सहायता प्रदत्त आरसीएच कार्यक्रम के तहत मदर एनजीओ स्कीम

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	एकल्वय मेमोयिल लीग, प्रकाशम	आंध्र प्रदेश		978,414.00	
2.	राहुल्स मेडि. एंड हेल्थ सर्विसेज सोसायटी, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	3,898,562.00	3,200,000.00	765,110.00
3.	सोसायटी फार नेशनल इंटरग्रेशन थ्रो रूरल डेवलपमेंट, प्रकाशम	आंध्र प्रदेश		1,936,708.00	
4.	सेंट. पीटर्स मल्टीप्रप्स हेल्थ वर्क्स (फिमेल), गुंटूर	आंध्र प्रदेश	900,000.00	850,000.00	129,984.00
5.	एसईएडीएस, अनन्मपुर	आंध्र प्रदेश	739,649.00	2,689,345.00	300,000.00
6.	सोशियल एक्शन फार सोशियल डेवलपमेंट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश		1,440,000.00	
7.	अरुणाचल प्रदेश, वीएचए	अरुणाचल प्रदेश	2,987,396.00		

1	2	3	4	5	6
8.	रूरल वूमेन अपलीफ्टमेंट एसोशिएशन आफ असम	असम	3,000,000.00	2,964,147.00	
9.	वालंटरी हेल्थ एसोशिएशन आफ असम, गुवाहाटी	असम	2,613,000.00		
10.	देशबंधु क्लब, कचहार	असम		1,704,646.00	
11.	साइंटिफिक एजूकेशन प्रोम. एंड मेडि. एड फाउंडेशन, पटना	बिहार	2,360,000.00	2,324,240.00	100,000.00
12.	मिल्लत एजूकेशनल सोसायटी, समस्तीपुर	बिहार	1,200,000.00	1,736,000.00	100,000.00
13.	महिला बाल उत्थान केन्द्र, समस्तीपुर	बिहार	1,760,000.00	1,800,000.00	100,000.00
14.	आदर्श महिला शिल्प कला केन्द्र, पटना	बिहार	2,129,408.00	2,400,000.00	306,592.00
15.	अदिथि, पटना	बिहार		2,987,600.00	595,125.00
16.	भगवान बुद्ध विकास सेवा समिति, पटना	बिहार	596,355.00	600,000.00	
17.	आर्थिक आत्मा निरर्भता समाजिक विकास अभिकरण, पटना	बिहार	800,000.00	1,166,70.00	900,000.00
18.	दाउद नगर आर्गेनाइजेशन फार रूरल डेवपलममेंट, औरंगाबाद	बिहार		1,983,397.00	485,654.00
19.	शांतिदूत, नालंदा	बिहार	600,000,00	579,254.00	100,000.00
20.	बिहार वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन	बिहार			100,000.00
21.	राजेन्द्र इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन एण्ड सोशियल वेलफेयर	बिहार		1,189,100,00	100,000.00
22.	ग्राम निर्माण मंडल, नवादा	झारखंड/बिहार			1,272,665.99
23.	सेंटर फार लेबर एजूकेशन एंड सोशियल रिसर्च	छत्तीसगढ़			912,184.00

1	2	3	4	5	6
24.	उत्थान सेंटर फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पावर्टी एलीविएशन, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश		1,200,000.00	
25.	आईएनडीसीएआई चैरिटेबल ट्रस्ट	दिल्ली	1,500,000.00		
26.	सोस्वा, नार्थ	दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब		6,607,853.00	
27.	गुजरात वालंटरी हेल्थ एसोशिएशन, अहमदाबाद	गुजरात	1,250,000.00		
28.	सेंटर फार हेल्थ एजूकेशन ट्रेनिंग एण्ड न्युट्रेशन एवेयरनेस (सीएचईटीएनए)	गुजरात	676,317.00	1,345,849.00	
29.	फेमिली प्लानिंग एसोशिएशन इंडिया, अहमदाबाद	गुजरात	1,395,562.00		
30.	समग्र विकास ट्रस्ट, अमरेली, गुजरात	गुजरात	2,426,389.00		
31.	एचपी वीएचए	हिमाचल प्रदेश	2,271,377.00		
32.	सोसायटी फार सोशल अपलिफ्ट थ्रू रूरल एक्शन	हिमाचल प्रदेश		1,277,980.00	
33.	निश्चल फाउंडेशन (एसएनएस), गुरगांव (एमएनजीओ इन हि.प्र)	हिमाचल प्रदेश	2,000,000.00		
34.	स्वाच फाउंडेशन, पंचकुला	हरियाणा	2,500,000.00	2,959,657.00	
35.	हरियाणा नवयुवक कला संगम	हरियाणा	474,418.00		
36.	जम्मूव कश्मीर एक्स-सर्विस लीग, जम्मू	जम्मू-कश्मीर	1,352,544.00		
37.	कलमकारी सेंटर प्लोरा, जम्मू	जम्मू-कश्मीर		997,770.00	
38.	कृषि ग्राम मंडल, नवादा	झारखंड	2,129,386.00		
39.	ग्राम निर्माण मंडल, नवादा	झारखंड/बिहार	2,289,963.00	1,200,000.00	

1	2	3	4	5	6
40.	वूमेन इन सोशियन चेतना विकास केन्द्र, मिदनापुर	झारखंड	2,400,000.00	2,327,632.00	
41.	फूलीन महिला चेतना विकास केन्द्र, देवघर	झारखंड	576,645.00		
42.	कर्नाटक वालंटरी हैल्थ एशोसिएशन	कर्नाटक	2,128,829.00		
43.	सोस्वा, कर्नाटक	कर्नाटक	4,000,000.00	3,890,854.00	
44.	सेंट जान्स मेडिकल कालेज, बंगलौर	कर्नाटक	3,364,741.00		
45.	फेमिली प्लानिंग एसोशिएशन आफ़ इंडिया, तिरूवनंतपुरम	केरल	1,390,591.00		
46.	केरल वालंटरी हेल्थ सर्विसेज, कोट्टायम	केरल			
47.	महिला उत्कर्षा संस्थान, इंदौर	मध्य प्रदेश	1,200,000.00		
48.	तरूण सस्कार, जबलपुर	मध्य प्रदेश	1,200,000.00		
49.	संभव, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	3,378,818.00	3,600,000.00	
50.	सार्वजनिक परिवार कल्याण एवाम सेवा समिति, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	3,000,000.00	3,000,000.00	
51.	संस्कार शिक्षा समिति	मध्य प्रदेश	1,533,773,00	1,761,990.00	
52.	मध्य प्रदेश वी.एच.ए, इंदौर	मध्य प्रदेश		692,888.00	
53.	एफपीएआई, मुम्बई (एमएनजीओ इन म.प्र.)	मध्य प्रदेश		3,288,868.00	
54.	मेडिकल काउंसिल सेंटर, भोपाल	मध्य प्रदेश		1,762,450,00	338,922.00
55.	श्री पार्श्वनाथ बाल मंदिर समिति, इंदौर	मध्य प्रदेश	960,000.00	1,183,876.00	232,670.00

1	2	3	4	5	6
56.	उत्थान सेंटर फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पावर्टी एलीविएशन, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश		1,200,000.00	
57.	सेवाधाम ट्रस्ट, पुणे	महाराष्ट्र	7,739,521.00		
58.	सोस्वा, (एसटीएपीआई), पुणे	महाराष्ट्र		3,366,057.00	
59.	प्रवर मेडिकल ट्रस्ट, अहमदनगर	महाराष्ट्र		1,374,160.00	
60.	गोदावरी फाउंडेशन, जलगांव	महाराष्ट्र		2,467,773.00	
61.	लेमडिंग चेरपुर होमियोपैथिक एण्ड यूनानी एसोशिएशन, वांगजिंग	मणिपुर	2,269,217.00		
62.	फेमिली प्लानिंग एसोशिएशन आफ इंडिया, इम्फाल	मणिपुर	2,731,823.00		
63.	नागालैंड वीएचए	नागालैंड	2,128,829.00		
64.	उड़ीसा वीएचए, भुवनेश्वर	उड़ीसा	4,892,593.00	3,200,000.00	
65.	माई हर्ट, भुवनेश्वर	उड़ीसा	6,000,000.00	2,962,049.00	
66.	आर्गेनाइजेशन फार सोशियल चेंज एण्ड रूरल डेवलपमेंट (ओसकार्ड), भुवनेश्वर	उड़ीसा	1,800,000.00	1,800,000.00	
67.	ईश्वर	उड़ीसा	584,000.00		
68.	असरा	उड़ीसा	1,159,634.00	1,195,643.00	
69.	एनिमल वेलफेयर सोसायटी आफ उड़ीसा	उड़ीसा	1,200,000.00	1,187,893.00	
70.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान	उड़ीसा		600,000.00	
71.	प्रकल्प	उड़ीसा	600,000,00	478,800.00	
72.	आंचलिक कुंजेश्वरी संस्कृतिका, पुरी	उड़ीसा	3,000,000.00	2,993,185.00	
73.	नीहरड, कटक	उड़ीसा		1.189,483.00	
74.	एफपीएआई, मोहाली	पंजाब	1,500,000.00		

1	2	3	4	5	6
75.	वीएचए आफ पंजाब, चंडीगढ़	पंजाब			
76.	भौरूका चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर	राजस्थान			2,985,853.00
77.	बुद्धग्राम सोसायटी फार एजूकेशन कंसाइनटाइजेशन एवेयरनेस एंड ट्रेनिंग (ईसीएटी)	राजस्थान	1,200,000.00		
78.	यूआरएमयूएल, रूरल हेल्थ रिसर्च, बीकानेर	राजस्थान	3,000,000.00		
79.	चेतना	राजस्थान			
80.	वालंटरी हैल्थ एसोसिएशन आफ सिक्किम	सिक्किम		2,371,294.00	
81.	रूरल एजूकेशन एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी, शिवगंगई	तमिलनाडु		1,795,902.00	
82.	तमिलनाडु वालंटरी हेल्थ एसोशिएशन, चेन्नई	तमिलनाडु	2,598,151.00		
83.	गांधीग्राम इंस्टी. आफ रूरल हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर ट्रस्ट, डिंडीगुल	तमिलनाडु	3,930,383.00		
84.	दीपम एजूकेशनल सोसायटी फार हेल्थ (डीईएसएच), चेन्नई	तमिलनाडु		887,264.00	
85.	एफपीआई, मदुरै	तमिलनाडु		3,482,741.00	
86.	वीएचए आफ त्रिपुरा, अगरतला	त्रिपुरा		1,780,03400	
87.	सीएआरटीई, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	2,400,000.00	1,834,645.00	432,408.00
88.	इंडियन इंस्टीट्यूट फार डेवलपमेंट स्टडी एण्ड रिसर्च, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश		3,534,000.00	
89.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	3,550,471.00	2,830.471.00	687,852.00
90.	नौजहिल इंटरग्रेटिड रूरल प्रोजेक्ट फार हेल्थ एण्ड डेवलपमेंट,	उत्तर प्रदेश	3,288,624.00	2,800,000.00	

1	2	3	4	5	6
91.	उत्थान-सेंटर फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट एण्ड पावरटी एलीवेशन, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश		3,558,000.00	
92.	वर्ल्ड वेल्फेयर एंड रिसर्च सेंटर, गोंडा	उत्तर प्रदेश	2,909,142.00	2,774,505.00	
93.	एफपीएआई, लखनऊ	उत्तर प्रदेश		3,548,209.00	
94.	यू पी वीएचए	उत्तर प्रदेश		2,135,852,00	
95.	हिमालयन इंस्टी. हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून	उत्तरांचल	3,392,695.00		
96.	सीआईएनआई, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल		3,883,404.00	
97.	गाना उन्नायना परिषद, कोलकाता	पश्चिम बंगाल		1,500,000.00	
98.	पश्चिम बंगाल वीएचए, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	3,980,300.00	3,996,313.00	
			नवीन स्कीम		
1.	जन स्वास्थ्य सहयोग	छत्तीसगढ़	2,207,100.00		
2.	प्रयास	दिल्ली			714,600.00
3.	वीएचएआई, नई दिल्ली	दिल्ली		700,000.00	
4.	एसएनएस फाउंडेशन, गुडगांव	हरियाणा	837,400.00		210,600.00
5.	युवक प्रतिष्ठान	महाराष्ट्र	1,500,000.00		
6.	एसओएसवीए, पुणे	महाराष्ट्र	1,975,000.00		
7.	वीएचएआई, दिल्ली	मध्य प्रदेश		700,000.00	
8.	वीएचएआई, नई दिल्ली	उड़ीसा			1,416,829.00
9.	जन चेतना परिषद	उड़ीसा	1,304,000.00		
10.	टैगोर सोसायटी फार रूरल डिवलपमेंट, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	5,150,867.00		4,495,771.00
11.	वीमैन इन सोशल एक्शन	पश्चिम बंगाल	421,000.00		

लिंग मुद्दों पर यूएनएफपीए सहायता प्राप्त योजनाएं

क्र. सं.	कार्यान्वित करने वाले गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-2003 के दौरान जारी निधियां	2003-2004 के दौरान जारी निधियां	2004-2005 के दौरान निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	वालेंटरी हैल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया, दिल्ली	दिल्ली		460,630.00	
2.	मोबाइल क्रेचिज, नई दिल्ली	दिल्ली	195,262.00	252,582.00	
3.	इंस्टीट्यूट फार डिवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, चंडीगढ़	चंडीगढ़	297,448.00		
4.	सेंटर डायरेक्ट, पटना	बिहार	787,554.00		
5.	ओरगेनाइजेशन फार सोशियो इकोनोमी एंड रूरल डिवलपमेंट (आरएसईआरडी), पटना	बिहार	283,900.00	283,660.00	
6.	दोदनगर डिवलपमेंट संस्थान, दोदनगर	बिहार	597,497.00	156,600.00	
7.	विशाखा जिला नव निर्माण समिति, विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	808,071.00		
8.	राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरूपति	आंध्र प्रदेश	709,753.00		
9.	स्व-सहयोग संस्थान, चिरूकुसु	राजस्थान	169,050.00		
10.	इंडियन इंस्टीट्यूट फार रूरल डिवलपमेंट, जयपुर	राजस्थान			
11.	लुपिन ह्युमन वेल्फेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन	राजस्थान	773,928.00		447,908.00
12.	कंसर्नड सिटीजन	राजस्थान	910,967.00		111,168.00
13.	गिल्ड ऑफ सर्विसिज (सेंट्रल), चैन्नई	तमिलनाडु	19,318.00		
14.	रूरल डिवलपमेंट सोसायटी, वांगलिंग	मणिपुर	666,515.00		146,771.00
15.	कम्युनिटी डिवलपमेंट प्रोग्राम सेंटर, थाऊबल	मणिपुर	54,810.00		
16.	खुरारी यंग वीमेन्स सोशियो कल्चर आर्गेनाइजेशन (केवाईडब्ल्यूएससीओ)	मणिपुर	186,900.00		

1	2	3	4	5	6
17.	सवेना, त्रिवेन्द्रम	केरल	32,328.00		
18.	जनानीथी	केरल	68,643.00		
19.	आवासी वीमेन्स काउंसलिंग सेन्टर, कालीकट	केरल	867,384.00	176,835.00	
20.	दीपक चेरिटेबल ट्रस्ट, वडोदरा	गुजरात	149,957.00	219,396.00	121,223.00
21.	पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण समिति, पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश	560,000.00		
22.	वेस्ट बंगाल वालेंटरी हैल्थ एसोसिएशन	पश्चिम बंगाल	912,900.00		
23.	यूथ एसोसिएशन आफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन	उड़ीसा	457,832.00		
24.	केरला स्टेट काउंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर	केरल	867,382.00		
25.	कम्यूनिटी एक्शन फार सोशल ट्रांस्फोरमेशन, तिरूवीरूथनपुली	तमिलनाडु	2047,096.00	204,096.00	

आर आर सी परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान

क्रम सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य	राशि (रुपए)
1.	एफ पी ए आई, मुम्बई	महाराष्ट्र	10,32,722
2.	चेतना, अहमदाबाद	गुजरात	12,75,666
3.	आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत हिन्दुस्तान लैटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट, केरल	आन्ध्र प्रदेश	12,75,666
4.	ममता हैल्थ इंस्टीट्यूट फार मदर एंड चाइल्ड, नई दिल्ली	दिल्ली	12,75,666
5.	ग्रांधीग्राम इंस्टीट्यूट फार मदर एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट	दिल्ली	12,75,666
6.	वालंटरी हैल्थ एसोसिएशन आफ असम, गुवाहाटी	असम	25,51,666
7.	सी आई एन आई, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	26,82,522
8.	वी एच ए आई, नई दिल्ली	दिल्ली	21,85,564
9.	स्टेट इनोवेशन्स इन फैम्रिली प्लानिंग सर्विसेज, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	12,75,666
10.	पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली	दिल्ली	12,75,666

एन सी पी परियोजना के अन्तर्गत 2004-05 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान

क्रम सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	राज्य	राशि (रुपए)
1.	ग्रामीण विकास संस्था, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	2,36,381
2.	जयपुर ग्रामीण स्वास्थ्य एवं विकास ट्रस्ट जयपुर	राजस्थान	5,55,000
3.	एस ओ एस वी ए (एन), नई दिल्ली	दिल्ली	2,34,343
4.	एशिया प्रशान्त सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	हरियाणा	3,43,200
5.	बापू नेचर क्योर अस्पताल एवं योगाश्रम, नई दिल्ली	दिल्ली	2,31,000
6.	भारतीय परिवर्धन संस्थान, नंदनगरी, दिल्ली (बिहार में परियोजना)	बिहार	2,35,158
7.	दिशा, जनकपूरी (बिहार में परियोजना)	बिहार	4,00,000
8.	लाल बाहदूर शास्त्री ग्रामीण प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना	बिहार	80,000
9.	डा. देव सेवाश्रम, मुजफ्फरपुर	बिहार	2,40,400
10.	विवेक दीप परिवार कल्याण संस्थान, मुजफ्फरपुर	बिहार	2,40,400
11.	टाटा स्टील ग्रामीण विकास सोसायटी, हजारीबाग	झारखण्ड	2,84,800
12.	नेटवर्क आफ इन्टरप्रिन्युरशिप और इकोनोमिक डेवलपमेंट (एन ई ई डी), लखनऊ	उत्तर प्रदेश	1,49,600
13.	इण्डियन फाउंडेशन फार हैल्थ एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, नई दिल्ली, स्कोवा उत्तर प्रदेश के माध्यम से	उत्तर प्रदेश	2,12,758
14.	निलाचल सेवा प्रतिष्ठन, पुरी	उड़ीसा	1,56,643

सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलापः

(राशि रुपए में)

संगठन	राज्य	2002-2003	2003-2004	2004-2005	स्थिति
1	2	3	4	5	6
इण्डियन एसोशिएसन आफ पार्लियामेंटेरियन्स आन पोपुलेशन एंड डेवलपमेंट	दिल्ली	(3) 30,00,000 (4) 9,00,000	47,87,000	11,96,950	

1	2	3	4	5	6
प्रेस इंस्टीट्यूट आफ इण्डिया	दिल्ली	15,00,000	30,49,000	7,62,000	
प्रोग्राम फार इथिकल एकेडेमिक एंड कल्चरल इंटरप्राइजेज (पी ई ए सी ई)	सहारनपुर उत्तर प्रदेश	(3) 2,70,000 (4) 4,57,372			
जर्नल आफ इण्डिया मेडिकल एसोशिएसन-जे आई एम ए	कोलकाता पश्चिम बंगाल	5,00,000	5,00,000		
प्रयास, चित्तौड़गढ़				13,50,000	
पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली	नई दिल्ली		(1)38,34,000 (2)10,00,000	(1)9,58,650 (2)11,25,000	
संस्कार शिक्षा समिति, भोपाल	मध्य प्रदेश			13,88,000	
ममता हैल्प इंस्टीट्यूट फार मदर एंड चाइल्ड, साइदुला जाब, नई दिल्ली	नई दिल्ली		20,000		
इण्डियन मेडिकल एसोशिएसन, 'आई एम ए'	नई दिल्ली			8,00,000	

विवरण-II

आरसीएच स्कीम के अंतर्गत पूर्व-मूल्यांकन/मूल्यांकन/ फील्ड मूल्यांकन का पैनल

1. निदेशक,
   भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान
   1, प्रभु दयाल मार्ग,
   सांगानेर एयरपोर्ट,
   जयपुर।

2. निदेशक,
   भारतीय परिवार कल्याण संघ (एफपीएआई),
   बजाज भवन, नरीमन प्वांइट,
   मुम्बई।

3. निदेशक,
   नाबाकृष्णा चौधरी,
   सेंटर फार डेव. स्टडिज,
   भुवनेश्वर-751013.

4. निदेशक,
   एफएचएफडब्ल्यू,
   मुनीरका, नई दिल्ली।

5. मुख्य कार्यपालक,
   भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन,
   टोंग स्वास्थ्य भवन,
   40, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
   नई दिल्ली।

6. निदेशक,
सीआईएनआई, दौलतपुर गांव,
पो.आ. पाइलान,
वाया जोका, 24 परगना,
पश्चिम बंगाल-743512.

7. निदेशक,
गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान,
अम्बा थुरई आर.एस.,
डिण्डीगुल जिला, तमिलनाडु-624304.

8. निदेशक,
ओम कैलाश टावर,
190-ए, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

विवरण-III

गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

क्रम सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	चेतना, राजस्थान	वर्ष 2002-03 के उपयोग प्रमाण-पत्र के अनुसार उन्होंने 1,58,551/-रुपए की शेष राशि खर्च की, चेतना राजस्थान एक अलग से पंजीकृत सत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त जब तक वे राजस्थान में पंजीकरण प्रमाण-पत्र नहीं उपलब्ध कराएंगे उन्हें सहायता अनुदान नहीं दिया जाएगा।
2.	हेड्स (एचईएडीएस), आंध्र प्रदेश	आरसींएच कार्यक्रम के अधीन एफएनजीओ के चयन पर एक वकील की याचिका प्राप्त की गई थी। एमएनजीओ की टिप्पणी मंगाई गई थी। इस मामले को जिला एनजीओ समिति के समक्ष रखने के लिए एमएनजीओ की टिप्पणियों को आर.डी. (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), आंध्र प्रदेश को भेजा जाता है।
3.	उड़ीसा, भुवनेश्वर की पशु कल्याण समिति	एमएनजीओ के विरुद्ध दुरुपयोग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बोलंगीर/नवरंगपुर के एमएनजीओ, जिलाधीश की पैरावार टिप्पणियां मंगाई गई है।
4.	स्व सहायता नेटवर्क (दर्शन), केरल द्वारा विकास कार्य	इस गैर-सरकारी संगठन की ''दिवस परिचर्या केन्द्र'' के लिए 1,41,400/- रुपए की धनराशि जारी की गई थी। मानिटरिंग रिपोर्ट तथा यूएनएफपीए के निरीक्षण से लेखों के रख-रखाव में दुरुपयोग तथा निधियों का दुरुपयोग व्यक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त निमुर्क्तियां बंद कर दी गई हैं और एमओएचएफडब्ल्यू के लेखा परीक्षा स्कंध से गैर-सरकारी संगठनों के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण-IV

विगत तीन वर्षों के दौरान काली सूची में रखे गए गैर-सरकारी संगठन

क्रम सं.	संगठन का नाम
1.	ग्रामीण विकास संस्थान, भरतपुर, राजस्थान
2.	हरिजन पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, माधेपुर, मधुबनी, बिहार
3.	हस्त कला विकास केन्द्र, माधेपुर, मधुबनी, बिहार
4.	जयपुर हरिजन सेवा समिति, जयपुर, उड़ीसा

राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़-भाड़

549. डा. के. धनराजू : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यातायात में भारी वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर तमिलनाडु में चेन्नै से पांडिचेरी तक जाने वाली सड़क पर भीड़भाड़ बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4183 कि.मी. है। इसमें से 1630 कि.मी. को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और II के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चार लेन का बनाया जा रहा है जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर, पत्तन संपर्क मार्ग तथा अन्य कार्य शामिल हैं। अनेक सड़क उपरि पुल (आर ओ बी), ग्रेड सेपरेटर्स, बाइपास तथा सेवा सड़कें, जहां कहीं आवश्यक हैं, बनाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III के अंतर्गत बी ओ टी आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कुल 1255 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को चार लेन का बनाने के लिए शामिल किया गया है। इन खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने संबंधी प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं में है। इसके अतिरिक्त, चेन्नै और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को भीड़भाड़ को कम करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:-

(i) काठीपाड़ा और कोयम्बेडु जंक्शनों पर ग्रेड सेपरेटरों, पाड़ी जंक्शन पर उत्थापित गोल चक्कर (एलिवेटिड रोटरी), अंतर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन पर फ्लाईओवर का निर्माण, मदुरावोयल मे अम्बेडकर की मूर्ति तक सड़क को चार लेन को बनाकर स्वर्णिम चतुर्भुज की ओर जाने वाले चेन्नै के यातायात को निर्बाध बनाने संबंधी एक विशेष परियोजना।

(ii) ताम्बरम मे मदुरावोयल जंक्शन तक 19.17 कि.मी. लंबे 2 लेन वाले मौजूदा चेन्नै बाइपास (चरण-1) को चार लेन का बनाना और मदुरावोयल से माधवराम् जंक्शन तक 13 कि.मी. लंबे नए चार लेन वाले चेन्नै बाइपास (चरण-II) का निर्माण कार्य।

चेन्नै को पांडिचेरी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में चेन्नै से टिंडीवनम तक रा.रा. 45 और टिंडीवनम से पांडिचेरी तक रा.रा. 66 शामिल हैं। चेन्नै और टिंडीवनम के बीच रा.रा. 45 को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चार लेन का बनाया गया है। टिंडीवनम से पांडिचेरी तक रा.रा. 66 को एन एच डी पी चरण-IIIक के अंतर्गत चार लेन का बनाने के लिए शामिल किया गया है और इस खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

डाकघरों का खोला जाना

550. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां उप-डाकघर कार्य कर रहे हैं;

(ख) देश में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनमें दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उप-डाकघर खोले जाने हैं;

(ग) धकघरों को खोलने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने संबंधी मानदंड शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने संबंधी मानदंडों से भिन्न हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या यह सच है कि ग्रामीण डाकघरों को खोलने से संबंधित कार्य संतोषजनक नहीं है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) देश में उप-डाकघर से युक्त गांवों की संख्या

का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) दसवीं योजना के अंतर्गत उप-डाकघर खोलने के लक्ष्य केवल पहले दो वर्षों के लिए निर्धारित किए गए थे। तीसरे वर्ष में जरूरतें ऐसे मौजूदा डाकघरों की पुनर्स्थापना के माध्यम से पूरी की गईं, जो दूरी संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं करते। पहले दो वर्षों के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण और तीसरे वर्ष के दौरान पुनर्स्थापना के माध्यम से खोले गए उप डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	लक्ष्य विभागीय उप डाकघर	उपलब्धि विभागीय उप डाकघर
2002-2003	25	25
2003-2004	20	20
2004-2005	पुनर्स्थापना/पुनर्तैनाती के माध्यम से 41 विभागीय उप डाकघर खोले गए।	

(ग) विभागीय उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) जहां तक डाकघर खोलने के आय संबंधी मानदंड का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों को वहां की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर भारी सब्सिडी दी जाती है। पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों के मामले में सब्सिडी की मात्रा अधिक होती है। ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में डाकघरों के लिए इस तरह की सब्सिडी उपलब्ध नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों, कनेक्टिविटी के स्तर को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में डाकघरों के लिए दूरी और जनसंख्या संबंधी मानदंडों में भी ढील देने का प्रावधान है।

(च) और (छ) जी, नहीं। देश में डाकघर खोलने के मानदंडों को पूरा करने वाले 1,41,814 गांवों में डाकघर सुविधाएं-अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा विभागीय उप डाकघर-उपलब्ध हैं। भारत में विश्व का विशालतम डाक नेटवर्क है और इसका 89% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है।

दसवीं योजना के नीति निर्देशों के अंतर्गत विभाग से अपेक्षा की गई है कि मौजूदा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाया जाए ताकि संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाए और बजटीय घाटे में कमी की जाए क्योंकि मौजूदा डाकघर स्वीकृत स्तर से ज्यादा घाटे में चल रहे हैं। इन निर्देशों के मद्देनजर और मानदंडों के अनुसार जहां भी डाकघर औचित्यसम्मत पाए जा रहे हैं, वहां डाकघर खोलना जारी है। डाकघर सुविधाओं की मांग को पूरा करने के लिए अधिक किफायती विकल्पों के इस्तेमाल के प्रयास भी जारी हैं।

विवरण

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड :

1.1 जनसंख्या :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी :

(क) सामान्य क्षेत्रों में

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि. मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों

में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 **अनुमानित आय :**

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की $33^1/_3$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. **विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड**

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में :

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/-रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/-रु. है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) शहरी क्षेत्रों में :

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिएं।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिएं।

हज यात्रियों पर व्यय की गई धनराशि

551. **श्री रामदास आठवले :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हज यात्रियों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस धनराशि में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह वृद्धि कब तक की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत की हज समिति के माध्यम से जाने वाले हज यात्रियों के रियायती विमान किराये के लिए हज यात्रियों पर व्यय की गई राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (रु. करोड़ में)
2003	172.00
2004	160.70
2005	179.66

डिस्पैंसरियों, दवाइयों, यात्रा व्ययों, वेतनों और डाक्टरों, पराचिकित्सीय और अन्य प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के आवास और शिविर लगाने को शामिल करते हुए जद्दाह, मक्का, मदीना, मीना और अराफात में विभिन्न हज व्यवस्थाओं के लिए व्यय हुई राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2003	12.12
2004	12.59
2005	14.82

(ख) से (ग) मुद्रास्फीति और यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण इसमें कुछ वृद्धि होने की संभावना है।

[अनुवाद]

अस्थमा की मछली वाली दवा

552. डा. एम. जगन्नाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) के बाथिनी बंधुओं के इन दावों का सत्यापन करने हेतु कोई अध्ययन किया है कि उनकी मछली वाली दवा से अस्थमा का उपचार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जनहित में मछली वाली दवा में औषधीय तत्व की उपस्थिति का पता लगाने हेतु जांच करने का है; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने इस दावे को सत्यापित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है कि मछली वाली दवा दमा से रोग मुक्ति दिला सकती है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। आंध्र प्रदेश सरकार से यह पता लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निदेश पर प्रयोगशाला जांच के लिए कुछ नमूने लिए गए हैं। परिणामों के आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सेवानिवृत्ति की आयु को कम करना

553. मो. मुकीम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने यह सिफारिश की है कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को वर्तमान 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर 58 वर्ष कब किया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कोयला कंपनियों का पुनर्गठन संबंधी पैनल

554. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी.एल. शंकर की अध्यक्षता वाले पैनल ने कोयला कंपनियों के पुनर्गठन संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विपणनोपरांत निगरानी

555. **श्री मुनव्वर हसन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औषधि संबंधी अनुमति के सभी अनुमोदनों हेतु विपणनोपरांत निगरानी (पीएमएस) की शर्त रखी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकतर औषधि कंपनियां विपणनोपरांत निगरानी (पीएमएस) नहीं कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विपणनोपरांत निगरानी (पीएमएस) नहीं करने के कारण भारत सरकार के औषधि नियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा किन कंपनियों को दंडित किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। नई औषधें शुरू करने वाली फार्मास्युटिकल फर्मों द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने से 2 वर्ष के भीतर विपणनोत्तर निगरानी अध्ययन शुरू किए जाने अपेक्षित हैं। तथापि, विपणनोत्तर निगरानी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय देश में उत्पाद के वास्तविक रूप से विपणन किए जाने के समय पर निर्भर करता है।

विपणनोत्तर अध्ययन रिपोर्ट सामान्य रूप से फर्मों द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं।

स्वर (वॉयस) आधारित सूचना सेवा का आरंभ

556. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे शहर कौन से हैं जिनमें भारत संचार निगम लिमिटेड ने स्वर (वॉयस) आधारित सूचना सेवाएं आरंभ की हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य शहरों में उक्त सूचना सेवाओं को आरंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के अंत तक इन शहरों में उक्त सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) बीएसएनएल द्वारा सभी प्रमुख शहरों में वायस आधारित सूचना सेवाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) (i) **सेल्युलर मोबाइल उपभोक्ता** : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सभी सेल्युलर मोबाइल उपभोक्ताओं को काल सेंटरों के माध्यम से वायस-आधारित सूचना सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये काल सेंटर गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलूर, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद में स्थित हैं। इन काल सेंटरों में प्रशुल्कों, सेवाओं की किस्मों, बिलिंग आदि से संबधित सूचनाएं प्रदान करने के अलावा मोबाइल सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं को हर किस्म की जानकारी प्रदान करने और उनकी शिकायतों का निपटान करने का कार्य किया जाता है। इन काल सेंटरों के माध्यम से ब्राडबैंड सेवाओं से संबंधित पूछताछ का निपटान भी किया जाता है।

(ii) **बुनियादी टेलीफोनी के उपभोक्ता** : बुनियादी टेलीफोनी के उपभोक्ताओं के लिए सभी शहरों में विभिन्न नंबरों जैसे 197 (डायरेक्टरी पूछताछ) पर वायस-आधारित सूचना सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त बिलिंग, नई स्कीमों/सेवाओं के ब्योरे, प्रशुल्कों, आवेदन प्रपत्रों, फोन प्लस सेवाओं, नए टेलीफोन कनेक्शनों की स्थिति और टेलीफोनों को शिफ्ट करने आदि के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, पुणे, बेंगलूर, गुड़गांव, मेरठ, बरेली, देहरादून, जयपुर तथा रायपुर में काल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

(ख) (i) **सेल्युलर मोबाइल उपभोक्ता** : अतिरिक्त काल सेंटरों की शुरूआत करने की कोई योजना नहीं है।

(ii) **बुनियादी टेलीफोनी के उपभोक्ता** : सर्किलों को ऐसे केन्द्रीकृत काल सेंटरों को क्रियान्वित करने की सलाह दी गई है जिनके द्वारा सर्किलों के सभी गौण स्विचन क्षेत्रों (एसएसए) को कवर किया जाए।

(ग) और (घ) सर्किलों को बुनियादी टेलीफोनी के उपभोक्ताओं के लिए केन्द्रीकृत काल सेंटरों को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने की सलाह दी गई है।

आर्थिक विकास दर

557. प्रो० एम० रामदास :
श्रीमती रूपाताई डी० पाटील :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा नापी गई इसकी समग्र आर्थिक विकास दर कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में विकास दर गत वर्ष से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने कृषि उत्पाद के क्षेत्र में हुई प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया है और कम विकास दर के लिए इस क्षेत्र को उत्तरदायी ठहराया है;

(ङ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कृषि विकास दर को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दसवीं योजना के दौरान औसत आर्थिक विकास दर के कितना रहने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) से (ग) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (कारक लागत एवं स्थिर मूल्यों पर) वर्ष 2003-04 में 8.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान 6.95 प्रतिशत अनुमानित की गई है। वर्ष 2004-05 के दौरान कम विकास दर का मुख्य कारण वर्ष 2004-05 में कृषि क्षेत्रक की वृद्धि में 1.1 प्रतिशत की गिरावट थी जो कि वर्ष 2003-04 में 9.6 प्रतिशत थी।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में कृषि की एक ऐसे क्षेत्रक के रूप में पहचान की गई है जिसके कारण योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था का विकास धीमा रहा। इस टिप्पणी से राष्ट्रीय विकास परिषद सहमत है।

(ङ) और (च) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कृषि विकास में तेजी लाने हेतु विशेष कार्यक्रमों पर कुछ मुख्य सुझाव जैसाकि मध्यावधि मूल्यांकन में दर्शाया गया है, विवरण में संलग्न है।

(छ) मध्यावधि मूल्यांकन में दसवीं योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की संभावित औसत विकास दर 7 प्रतिशत दर्शाई गई है बशर्ते कि योजना अवधि के अंतिम दो वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था 7.7 प्रतिशत पर बनी रहे।

विवरण

कार्रवाई के लिए प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र

दसवीं योजना अवधि के दौरान इन सभी कमियों का उपचार करने की गुंजाइश सीमित रह गई है। तथापि एक उपचारी कार्यसूची परिभाषित करना और कार्रवाई को यथासंभव शीघ्र शुरू करना इस समय जरूरी है। एम०टी०ए० के प्रत्येक अलग-अलग अध्याय में भावी कार्रवाई से युक्त एक समापक खण्ड है जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक में उपचारी उपायों के लिए विस्तृत सुझावों का उल्लेख किया गया है। इन सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और इन्हें दसवीं योजना के नीति निर्माण के लिए एक तंत्र बनना चाहिए। इस अध्याय में प्रमुख क्षेत्रों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें दी गई हैं जिनके आधार पर दसवीं योजना की शेष अवधि के लिए एक विश्वसनीय शुरूआत की जा सकती है और इसलिए उसे अगले वर्ष के लिए नीति कार्यसूची परिभाषित करने में उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

कृषि-सिंचाई और ग्रामीण विकास

कृषि के लिए अपेक्षित नीतिगत पहलों को यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि क्षेत्र में सामान्य मन्दी है और केवल वितरणात्मक समस्या नहीं है। छोटे किसानों और भूमिहीनों की विशिष्ट समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन अपेक्षित नीतिगत उपचार अधिक व्यापक हैं और उन्हें कृषि को सामान्यतः प्रभावित करने वाले तत्वों पर अवश्य नजर डालनी चाहिए। निवेश में वृद्धि करना जरूरी है जिसमें कृषि से सम्बद्ध अवस्थापना में विशेष रूप से सरकारी निवेश शामिल है तथा अनेक नीतिगत पहलें भी की जानी चाहिए।

1. अनुसमर्थन प्रणालियों का कायाकल्प करना

कृषि उन्नति तब तक बहाल नहीं की जा सकती जब तक कि विस्तार, ऋण में अनुसमर्थन प्रणालियों का और बीजों, उर्वरकों, पशुचिकित्सा सेवाओं जैसे इन्पुटों की आपूर्ति प्रणालियों का कायाकल्प नहीं कर दिया जाता। हालांकि कृषि को संस्थानगत ऋण में पिछले वर्ष से काफी वृद्धि कर दी गई है फिर भी फार्म ऋण और सहकारी प्रणाली की मूल समस्याएं बराबर बनी हुई हैं। सहकारिताओं पर वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित करना जरूरी है ताकि विशालतम ग्रामीण ऋण से युक्त इस क्षेत्रक का जीर्णोद्धार हो सके। इसी प्रकार अधिकांश राज्यों में विस्तार प्रणालियों के प्रायः ढह जाने की स्थिति से निपटने के हाल के केन्द्रीय प्रयासों में तीव्रता लाए लाए जाने और उन्हें और अधिक संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत है।

बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों सम्बन्धी आपूर्ति प्रणालियों को चुस्त बनाए जाने की जरूरत है जिसके लिए केवल यही नहीं कि मौजूदा सरकारी आधारिक तंत्र को मजबूत बनाया जाए बल्कि निजी विकल्पों की बढ़ोत्तरी को भी सुकर बनाया जाना चाहिए। इन इन्पुटों के लिए विनियामक तंत्रों का भी तात्कालिक सुदृढ़ीकरण किए जाने की जरूरत है ताकि उद्यम पर अत्यधिक रोक लगाए बिना नकली माल की बिक्री से बचा जा सके। इस प्रयोजन के लिए पहले से की जा रही केन्द्रीय पहलों के अलावा व्यय में बड़े पैमाने पर वृद्धि करनी होगी। तथापि क्योंकि इन प्रणालियों में अनिवार्यत: आवर्ती व्यय शामिल रहता है उपर्युक्त सुधार एक नीतिगत तंत्र के भीतर रखे जाने की जरूरत है ताकि इन सुधारों का स्वामित्व राज्यों द्वारा ले लिया जाए और एम समय सीमा के भीतर ये सुधार उन्हें अन्तरित कर दिए जाएं।

2. सिंचाई/जल प्रबन्ध में निवेश

कृषि उत्पादकता पर पानी की उपलब्धता और प्रबन्ध का सबसे प्रमुख दबाव रहता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि विशेष रूप से राज्य सरकारों के संसाधनों की कमी और साथ ही दायित्व के केन्द्रीय सरकार में अनेक अलग-अलग विभागों के बीच बंटे होने के कारण उपेक्षित बना रहा है। जिन स्कीमों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए वे इस प्रकार हैं :—

(i) मौजूदा सिंचाई प्रणालियों की बहाली;

(ii) ऐसे क्षेत्रों में जहां अप्रयुक्त क्षमता बनी है, मौसत-अन्त्य सब्सिडी स्कीमों के माध्यम से भूजल विकास;

(iii) जिन क्षेत्रों में जलभरण समाप्ति हो रही है वहां भूजल का कृत्रिम रिचार्ज; और

(iv) विशाल/मझोली परियोजनाओं के एक अंग के रूप में कमान क्षेत्र विकास कार्यों को शामिल करना।

इस प्रयास का समूचा व्यय अनुमानत: 110,000 करोड़ रुपये होगा और 11वीं योजना अवधि के अन्त तक केन्द्रीय हिस्सा लगभग 23,000 करोड़ रुपये हो सकता है।

यदि इन स्कीमों को कार्यान्वित करने की शुरूआत 2006-07 से की जाए तो 2006-07 में अतिरिक्त रूप से 3000 करोड़ रुपये की जरूरत रहेगी जाकि 2011-12 तक बढ़कर 5000 करोड़ रुपये हो जाएगी। क्योंकि अन्य मौजूदा प्रतिबद्धताओं को देखते हुए जी०बी०एस० से इतने बड़े पैमाने पर अतिरिक्त संसाधन जुटाना कठिन हो जाएगा, इसलिए एक संभावित हल यह हो सकता है कि मौजूदा एफ०एफ०डब्ल्यू० और एस०जी०आर०वाई० कार्यक्रमों के अधीन निधियों और नई पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को जोड़ दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम 150 या इसके आस-पास जिलों में जोकि इन कार्यक्रमों में शामिल हैं सिंचाई और जल प्रबंध से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता मिल सके। गैर-मजदूरी घटक के संबंध में एफ०एफ०डब्ल्यू० और एस०जी०आर०वाई० की सीमाएं हैं जिस कारण कुछ आवश्यक कार्य हाथ में लेने की क्षमता अवरुद्ध हो सकती है लेकिन पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि निर्बाध संसाधनों की पेशकश करती है जोकि एफ०एफ०डब्ल्यू०/एस०जी०आर०वाई० के गैर-मजदूरी घटक की पूर्ति कर सकती है।

जो जिले पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में शामिल हैं उनमें निधि द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों का प्रयोग सिंचाई और जल प्रबंध सुधार के प्रति लक्षित निवेश के निमित्त मूलत: एफ०एफ०डब्ल्यू०/एस०जी०आर०वाई० के साथ किया जाना चाहिए। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त इसी बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाएंगे तथा एफ०एफ०डब्ल्यू०/एस०जी०आर०वाई० तथा प्रस्तावित ई०जी०ए० के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की जांच की जाएगी ताकि ऐसा करने की अनुमति मिल सके। अन्य जिलों में सिंचाई और जल प्रबन्ध कार्यक्रमों की तरफ केन्द्रित ध्यान देने के लिए ए०आई०बी०पी० और आर०आई०डी०एफ० स्कीमों का प्रयोग किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए ए०आई०बी०पी० का 2006-07 में और आगे संवर्धन किया जाना चाहिए।

3. जल का मूल्य-निर्धारण

नहर प्रणालियों से मिलने वाले पानी के अत्यधिक न्यून मूल्य-निर्धारण के दो सुविदित कुप्रभाव हैं। एक तो यह विशेष रूप से ऊपरी क्षेत्रों में पानी के अत्यधिक प्रयोग को बढ़ावा देता है जिसके फलस्वरूप अकसर पानी का जमाव हो जाता है और लवणता पैदा हो जाती है जिससे मृदा की उत्पादकता को क्षति पहुंचती है। साथ ही यह सिंचाई विभागों की, जो कि मौजूदा प्रणालियों को बनाए रखने और पहले से चली आ रही परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं आर्थिक स्थिति को कमजोर बना देती है। जल का मूल्य-निर्धारण एक नाजुक मुद्दा है लेकिन इसी कारण इसकी ओर ध्यान न देने से मौजूदा समस्याएं और भी अधिक गंभीर रूप ले लेंगी। निम्न नीतिगत उपचारों पर विचार किया जाना चाहिए :—

(i) राज्यों को नियतकालिक आधार पर पानी का शुल्क संशोधित करने के लिए जल विनियामक स्थापित करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में हो रहा है।

(ii) पानी के वितरण की व्यवस्था करने के लिए राज्य पानी उपभोक्ता संघों (डब्ल्यू०यू०ए०) की स्थापना भी कर सकते हैं और उन्हें शुल्क वसूल करने तथा प्रणाली के रखरखाव के लिए उसका कुछ हिस्सा (मान लीजिए 50%) अपने पास रखने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

डब्ल्यू०यू०ए० को पानी का मूल्य उच्चतर स्तरों पर निर्धारित करने तथा सारी अतिरिक्त वसूली को अपने पास रखने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए।

(iii) पानी विनियामक पानी की अधिक खपत वाली फसलों के मामले में भूजल स्थिति से जोड़ते हुए विभेदपूर्ण जल शुल्क लगा सकते हैं और जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उनमें कृषि के लिए विद्युत शुल्क पर सब्सिडी की न्यून मात्रा की सिफारिश भी कर सकते हैं ताकि भूजल की अधिक निकासी को हतोत्साहित किया जा सके।

(iv) केन्द्र, सूक्ष्म सिंचाई (केन्द्रीय और नाबार्ड स्कीमों से) के लिए सब्सिडी को भूजल स्थिति के साथ जोड़ सकता है ताकि नाजुक और अस्पष्ट क्षेत्रों में सूक्ष्म-सिंचाई अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके। विशाल भूजल संभावनाओं वाले क्षेत्रों में इसके प्रयोग का प्रश्न वित्तीय व्यवहार्यता द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त मद (i), (ii) तथा (iii) राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्य सरकारों को ए०आई०बी०पी० का वित्तपोषण और साथ ही मेगा परियोजनाओं (देखें नीचे दी गई मद 3) के प्रस्तावित वित्तपोषण को (i)-(iii)के कार्यान्वयन के अध्यधीन बनाते हुए संभवतः चरणबद्ध रूप में कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

4. बृहत सिंचाई परियोजनाएं

अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों/अन्तर्राज्यीय लाभों सहित चली आ रही नौ वृहत परियोजनाएं हैं जिनमें से प्रत्येक की एक लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता है। ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं: तीस्ता बांध अवस्था I, चरण II (पश्चिम बंगाल), इन्दिरा गांधी नहर अवस्था II (राजस्थान), पश्चिमी कोसी (बिहार), शाहपुर कण्डी (पंजाब), सरदार सरोवर (गुजरात), इन्दिरा सागर (मध्य प्रदेश), ओंकारेशवर (मध्य प्रदेश), अपरकृष्णा अवस्था II (कर्नाटक), गोसीखुर्द (महाराष्ट्र)। इन परियोजनाएं के पूरा हो जाने पर 27,700 करोड़ रुपये के व्यय पर 3.3 एम०एच०ए० की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाएगी।

राज्यों में संसाधन संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समुचित अवधि के भीतर इन परियोजनाओं की पूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध नहीं करा दिए जाते। इन परियोजनाओं की पूर्ति के प्रति लक्षित एक नई बृहत सिंचाई स्कीम के लिए केन्द्रीय अनुसमर्थन पर विचार किए जाने का औचित्य है। 2005-06 के बजट में घोषित आधारिक तंत्र के वित्तपोषण के लिए एस०पी०वी० सहित इस तरह के निवेशों के लिए नए संसाधनों का लाभ उठाने की संभावना का पता लगाए जाने की जरूरत है। परम्परागत अर्थों में सिंचाई परियोजनाएं अपने आप में न्यून जल शुल्क के कारण वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हो सकती लेकिन जब तक उनके आर्थिक लाभ उच्चतर हैं और ऋण राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं आर्थिक समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए वित्तपोषण को जल शुल्क नीति में सुधारों के साथ तथा जल उपभोक्ता संघों के माध्यम से सहभागितापूर्ण प्रबन्ध पर अधिक आश्रय के साथ कठोरतापूर्वक सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

5. जलविभाजक विकास

हमारे खेतीयोग्य क्षेत्र में से आधे से अधिक क्षेत्र वर्षा सिंचित है और इसमें से अधिकांश क्षेत्र पानी के गंभीर दबाव में हैं। इन क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण के लिए उपायों सहित परतीभूमि तथा अवनत भूमि के उपचार के लिए कार्यक्रम अत्यन्त जरूरी हैं। संप्रति से कार्यक्रम एकसमान लक्ष्यों किन्तु विभिन्न प्रचालन मार्गदर्शी सिद्धान्तों और साथ ही अलग लागत मानदण्डों सहित विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं जोकि प्रचालनात्मक प्रभाविता के अनुकूल नहीं हैं। जल विभाजक विकास एक जटिल विषयक्षेत्र है जिसमें मृदा, उप-मृदा संरचनाओं, भूजल वैज्ञानिक आंकड़ों और कृषि विज्ञानों का ज्ञान जरूरी है। साथ ही इसकी सफलता के लिए सशक्त संगठनात्मक सहयोग और सामुदायिक सहभागिता की भी आवश्यकता है। जलविभाजक परियोजनाओं में परियोजना के प्रारम्भिक चरण में और साथ ही परियोजना कार्यान्वयन के दौरान तथा परियोजनेत्तर चरण में भी प्रौद्योगिकीय इन्पुटों की जरूरत रहती है। इसलिए जल विभाजन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में तकनीकी इन्पुटों, सामाजिक प्रक्रिया, लेखांकन और लेखापरीक्षा नियम पुस्तिकाओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करना अत्यावश्यक है। इसके साथ-साथ जल विभाजक विकास परियोजनाओं में सतही और भूजल के संयुक्त प्रयोग के लिए भी एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा प्रणाली की समीक्षा किए जाने की जरूरत है जिससे कि एक विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र में सभी जल विभाजक परियोजनाएं एक सामान्य तंत्र के भीतर एक अकेले विभाग/एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जाएं।

6. कृषि अनुसंधान

कृषि विकास में वैज्ञानिक इन्पुटों का अत्यधिक सुदृढ़ीकरण किए जाने की जरूरत है। योजना आयोग द्वारा कृषि अनुसंधान पर डा० एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में स्थापित समिति ने मौजूदा कृषि अनुसंधान संस्थानों के सुदृढ़ीकरण तथा उन्हें और अधिक नमनशीलता प्रदान किए जाने के प्रति लक्षित अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को कार्यरूप देने पर शीघ्र विचार किए जाने की जरूरत है। सरकार ने महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय निधि स्थापित करने की एक सिफारिश पहले ही स्वीकार कर ली है और वर्ष 2005-06 के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक प्रावधान कर दिया गया है। निधि की स्थापना के निमित्त प्रशासनिक व्यवस्था कर दी जानी चाहिए ताकि 30 जून 2005 तक निधि काम करना शुरू कर दे। साथ ही वित्तपोषण में विश्व बैंक और ए०डी०बी० जैसे बहुराष्ट्रीय एजेंसियों

से सहयोग प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए ताकि निधि को वित्तपोषण का एक ऐसा आश्वस्त स्रोत मिल जाए जिस पर वह निर्भर रह सके।

7. पी०डी०एस० मूल्य-निर्धारण

विभेदपूर्ण पी०डी०एस० मूल्य-निर्धारण की मौजूदा व्यवस्था जिसमें बी०पी०एल० उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही न्यून मूल्य रहते हैं समानता के लक्ष्य की पूर्ति करने वाला एक अत्यन्त निष्प्रभावी तरीका है। योजना आयोग द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन के अनुसार इस प्रणाली में अत्यधिक अर्थात् 55% तक रिसाव होता है। यह प्रणाली गैर-अधिशेष क्षेत्रों में जहां एफ०सी०आई० अधिप्राप्ति बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं है अनाज के उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन को भी विकृत कर देती है क्योंकि यह अनाज का मूल्य एम०एस०पी० से भी नीचे ले आती है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम चालू हो जाने और मध्याह्न भोजन स्कीम का विस्तार किए जाने तथा एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई०सी०डी०एस०) का सर्वसुलभीकरण किए जाने के कारण एकसमान पी०डी०एस० मूल्य-निर्धारण की ओर बढ़ने का एक सशक्त आधार है। दूसरे शब्दों में पी०डी०एस० को गरीबी घटाने वाले एक साधन के रूप में नहीं बल्कि निगम मूल्य ऐसे स्तर पर स्थिरीकृत करके जिसमें केवल यही नहीं कि अत्यन्त सीमित सब्सिडी आवश्यक होगी बल्कि कमी के कारण मूल्यों में होने वाली आकस्मिक वृद्धि की दृष्टि से उपभोक्ता को रोधी बना दिया जाएगा, सामान्य व्यक्ति (गरीबों सहित) के संरक्षण के एक साधन के रूप में समझा जाना चाहिए। प्रचालन के अधिप्राप्ति पक्ष को एम०एस०पी० को उत्पादन की लागत से काफी ऊपर स्थिरीकृत करने के प्रयास करते रहने चाहिए। समूचे देश को समाहित करने के लिए अधिप्राप्ति सहयोग का भी विस्तार किया जाना चाहिए।

पी०डी०एस० मूल्य-निर्धारण एक नाजुक मुद्दा है लेकिन प्रस्तावित बदलाव निर्धनता के उपशमन के प्रति लक्षित अन्य स्कीमों के अपनाए जाने का एक तर्कपूर्ण परिणाम है। इसे अन्य सुरक्षा नेट स्कीमों के विस्तार के साथ-साथ सामनान्तर रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। एकीकृत निर्गम मूल्य की तरफ बढ़कर संसाधनों की जो बचत की जाएगी, इसे विशेष रूप से एफ०एफ०डब्ल्यू० सहित निर्धनता का उपशमन करने वाले अन्य कार्यक्रमों के विस्तार में लगाया जाना चाहिए।

शहरी गरीब काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन नहीं आते और इस तरह का एक आधार निर्मित किया जा सकता है कि उन्हें पी०डी०एस० के माध्यम से निरन्तर सब्सिडी लाभों की जरूरत है। यह काम स्मार्ट कार्डों की एक प्रणाली के जरिए किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड को व्यक्ति की हकदारी के अनुरूप प्रभारित किया जा सकता है। जिसके बाद व्यक्ति किसी भी अन्य व्यापारी से, जोकि स्मार्ट कार्ड प्रणाली के साथ सम्बद्ध है राशन की वस्तुएं खरीद सकता है। मूल्यों के बीच का अन्तर उस स्थिति में, जबकि धारक कोई खरीदारी करता है व्यापारी के खाते में स्वत: अन्तरित हो जाएगा।

8. उर्वरक मूल्य-निर्धारण

एन०, पी० के असन्तुलन जोकि 1990 के दशक के मध्य में अपने शिखर पर पहुंच गया था, अब काफी कम हो गया है लेकिन यूरिया पर सब्सिडी पी तथा के उर्वरकों की तुलना में कहीं उच्चतर बनी हुई है जिससे उर्वरक प्रयोग में बराबर असन्तुलन की स्थिति बनी हुई है। नाइट्रोजनी उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग के फलस्वरूप पर्यावरणात्मक प्रदूषण उत्पन्न होता है और अनावश्यक रूप से किसान का लाभ कम हो जाता है। उर्वरक सब्सिडियों की गहन पुनरीक्षा किए जाने की जरूरत है ताकि सन्तुलन स्थापित किया जा सके और साथ ही सब्सिडी को छोटे जोतक्षेत्र के प्रति अधिक लक्षित किया जा सके, उदाहरण के लिए प्रत्येक किसान को दी जाने वाली सब्सिडी की नियत मात्रा सीमित कर दी जाए जबकि शेष बाजार में कोई नियंत्रण लागू न हो। यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के लिए अलग-अलग उर्वरक मूल्य-निर्धारण की मौजूदा व्यवस्था, जोकि अलग-अलग तर्कों पर आधारित है समाप्त की जानी चाहिए और उसके स्थान पर ऐसी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए जोकि एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाती हो। इस मुद्दे की जांच अनेक विशेषज्ञ समूहों ने की है। इसे राष्ट्रीय किसान आयोग को भेजा जाना चाहिए ताकि वह इस स्पष्ट बोध के साथ इसकी पुनर्रचना की सिफारिश करे कि पुनर्रचना का प्रयोजन (क) यह है कि सब्सिडी को विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के बीच युक्तियुक्त बनाया जाए ताकि उर्वरकों का सन्तुलित प्रयोग सुनिश्चित हो सके और (ख) इसे तंत्रों के साथ जोड़ा जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बचाए गए सभी संसाधनों को अन्य स्कीमों के माध्यम से पुन: कृषि में ही लगा दिया जाता है।

9. राष्ट्रीय बागवानी मिशन

बागवानी फसलों में कृषि वैविध्यकरण बढ़ते हुए आय स्तरों की प्रक्रिया तथा उपयोग शैलियों में सम्बद्ध बदलाव और निर्यातों की बढ़ती हुई संभावना की एक स्वाभाविक परिणति है। इस प्रकार 2005-06 में शुरू किये जाने वाला राष्ट्रीय बागवानी मिशन बागवानी को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्यों के प्रयासों को अनुसमर्थन देने वाली एक सामायिक पहल है। 2005-06 के लिए वित्तपोषण का जो स्तर उपलब्ध कराया गया है। वह प्रयास शुरू करने के लिए काफी है लेकिन यदि तेजी आ जाती है और राज्य इस क्षेत्र में विश्वसनीय कार्यनीतियां बना लेते हैं तो इस स्कीम के वित्तपोषण में काफी बढ़ोतरी करनी जरूरी होगी।

10. कृषि विपणन और संविदागत खेती

कृषि वैविध्यकरण को ऐसे बाजार संस्थानों की स्थापना के जरिए अनुसमर्थन प्रदान किया जाना चाहिए जोकि अविनाशशील अनाज की फसलों के लिए जरूरी बाजार संस्थानों से भिन्न तरह के हों। विनाशशील बागवानी फसलों के विपणन के लिए एक शीत श्रृंखला का निर्माण किया जाना है जिसमें फसल कटाई के कुछ समय बाद त्वरित प्रशीतन तथा प्रशीतित ट्रकों में बाजार तक ढुलाई की सुविधाएं सुलभ हों। साथ

ही इसमें खरीदार के साथ किसान (और इस कारण उसके उत्पादन निर्णयों) का बहुत सशक्त सम्बन्ध होना चाहिए, खरीदार बाजार की विशिष्ट आवश्यकताओं, जोकि इस आधार पर बहुत अधिक भिन्नता लिए होती हैं कि क्या उत्पाद घरेलू खुदरा बाजार के लिए है अथवा निर्यात के लिए है अथवा कृषि प्रसंस्करण उद्योग में एक इन्पुट के रूप में है, के बारे में बता सकता है।

संविदागत खेती, निगमित खरीदारी को इस योग्य बना देती है कि वे संविदा के अधीन पैदा करने के लिए किसानों के समूह संगठित कर सकते हैं जबकि खरीदार बीजों तथा सम्बद्ध इन्पुटों की आपूर्ति जुटाएगा और साथ ही एक मात्रा में विस्तार सहयोग भी उपलब्ध कराएगा। संविदागत खेती को, राज्यों में कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियमों में, जिसके अधीन यह जरूरी है कि कृषि उत्पाद केवल विनियमित बाजारों में खरीदा जा सकता है। बदलावों को समर्थन मिलना चाहिए। मौजूदा *मण्डियों* तथा तत्संबंधी निधियों को नियंत्रित करने वाले संस्थापित हितों के चलते ऐसे बदलाव लाने का विरोध होता है लेकिन किसान के हित में बदलाव लाने जरूरी हैं। प्रस्तावित बागवानी मिशन में केन्द्रीय सहायता को, विशेष रूप से कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए०पी०एम०सी०) अधिनियमों में संशोधनों सहित कृषि विपणन सुधारों के साथ जोड़ना जरूरी हैं। तथापि यह मानना होगा कि इस क्षेत्र की सफलता, ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से परिवहन तालमेल के विकास सहित अनिवार्य आधारिक तंत्र, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्यात के मामले में हवाई अड्डों पर उपयुक्त व्यवहार सुविधाओं पर निर्भर करती है।

11. अनिवार्य वस्तु अधिनियम में संशोधन

कृषि उत्पादों के व्यापार के विकास में एक अन्य महत्वपूर्ण पहल अनिवार्य वस्तु अधिनियम में संशोधन है। मौजूदा अधिनियम अधिकारियों को बहुत अधिक विवेकाधिकार प्रदान करता है और निगमित व्यपारियों द्वारा बड़े निवेशों को हतोत्साहित करता है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम को संशोधित करना जरूरी है ताकि अधिनियम के उन पहलुओं को जोकि आधुनिक निजी व्यापार को हतोत्साहित करें हटा दिया जाए और उसके साथ-साथ वास्तविक आपातिक स्थिति या अभाव का स्थिति में हस्तक्षेप करने की अधिनियम की क्षमता का सुदृढ़ीकरण किया जाए। ऐसे सभी हस्तक्षेपणीय उपाय अनिवार्यतः समयबद्ध और अभाव की अवधि तक सीमित रहने चाहिए और उन्हें यथासंभव पारदर्शी रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

12. खाद्य प्रसंस्करण विधि

खाद्य प्रसंस्करण के विकास को बाधित करने वाला एक तत्व इस उद्योग को शासित करने वाली विधियों की बहुलता है जिसके चलते बहुविध परिस्थितियों में इस बात को लेकर काफी अनिश्चितता बनी रहती है कि किस आधार पर उत्पादकों पर उल्लंघन लागू होगा। मंत्रियों का एक समूह एक समेकित खाद्य प्रसंस्करण अधिनियम पर विचार कर रहा है और अधिनियम का एक संशोधित प्रारूप भी तैयार किया गया है जो कि उद्योग संघों को स्वीकार्य होने के साथ-साथ विशेष रूप से शिशु खाद्यों के संवेदनशील मुद्दे सहित एन०जी०ओ० की चिन्ताओं की देखभाल भी करता है। विधेयक का प्रारूप यथासंभव शीघ्र संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

13. सहभागितापूर्ण प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध को प्रोत्साहन

सहभागितापूर्ण प्रबन्ध पद्धतियां ग्रामीण समुदायों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास करती हैं जौकि अपनी जरूरतों के बारे में निर्णय लेंगे और प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे और तदनुसार स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त सूक्ष्म योजनाएं तैयार और कार्यान्वित करेंगे। इन सहभागितापूर्ण प्रक्रियाओं के प्रमुख आधार-वाक्य और क्रिया-विधियां इस प्रकार हैं : समुदाय आधारित संगठनों का निर्माण, तकनीकी और वित्तीय मानदण्डों में लचीलापन, बहुविषयक्षेत्रीय व्यावसायिक समूहों के माध्यम से सुसाध्यकरण, स्वतंत्र विश्वसनीय और सतत मानीटरन। प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध के सभी कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धान्तों और अन्तर्वस्तु पर इस मूल्यवान अनुभव के सन्दर्भ में पुनः दृष्टि डालने तथा इन कार्यक्रमों के कवरेज और वित्तपोषण का सुदृढ़ीकरण किए जाने की भी आवश्यकता है। अधिक विशिष्ट रूप से कहें तो वन संसाधनों का निर्माण करने के लिए खाली और अल्प प्रयुक्त भूमि क्षेत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। सम्प्रति, देश के भीतर 31 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में 2,34,676 ग्राम पंचायत संस्थान हैं जोकि मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड में परम्परागत परिषदों के अलावा हैं। यदि प्रत्येक पंचायत को सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से वनरोपण के लिए समुचित भूक्षेत्र अभिज्ञात करने का काम सौंपा जाए तो कुल मिलाकर हरेक छत्र के अधीन काफी बड़ा क्षेत्र शामिल किया जा सकता है। इन संसाधनों का प्रयोग करने का अधिकार समुदायों को सौंप दिया जाना चाहिए और मूल्य संवर्धन तथा विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

14. जैव-डीजल

कच्चे तेल के मूल्य के मौजूदा और अनुमानित स्तरों का दृष्टिगत रखते हुए जैव ईंधन को फासिल ईंधन का एक सक्षम व्यवहार्य विकल्प समझा जा सकता है। अधिकांश विकसित देशों के पास, यूरोप में तौरिया तेल और सूरजमुखी के तेल, अमरीका में सोया, दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों में खजूर के तेल जैसे विभिन्न स्रोतों से जैव-डीजल के प्रयोग के सक्रिय कार्यक्रम हैं। भारत में इस प्रयोजन के लिए खाद्य तेलों का प्रयोग किए जाने की संभावना नहीं है लेकिन करंज, जैट्रोफा करकास, पंगामिया, नीम, महुआ आदि जैसे अखाद्य तेल, जिन्हें पानी देने तथा रखरखाव की दृष्टि से मामूली देखभाल की जरूरत होती है और जिन्हें अकृष्य भूमि पर लगाया जा सकता है जैव-डीजल के उत्पादन के लिए एक व्यवहार्य विकल्प की पेशकश कर सकते हैं। क्योंकि देश में लगभग 63 मिलियन हैक्टेयर अकृष्ट भूमि है, ऐसे भूमि के एक

हिस्से का प्रयोग इन तेल उत्पादक फसलों की खेती के लिए किया जा सकता है। जैव-डीजल, पेट्रोलियम डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ होता है और यह स्थानीय पर्यावरण में सहायक होगा और क्योंकि वह नवीकरणीय होता है इसलिए कार्बन का कोई भी शुद्ध उत्सर्जन नहीं होता और यह कार्बन व्यापार के लिए पात्र हो सकता है। 20% तक के मिश्रण के लिए अनुमानतः 13 मिलियन टन जैव-डीजल की मात्रा का उत्पादन करना होगा जिसके लिए अकृष्य भूमि के 11 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की जरूरत होगी। इस क्षेत्रफल पर जैट्रोफा की खेती से ग्रामीण क्षेत्रों में 11 मिलियन रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं और इस प्रकार निर्मित हरितकी क्योतो प्रोटोकाल के अधीन उत्सर्जन व्यापार की पात्र होगी।

जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिए शुरू में 2% जैव-डीजल का अनिवार्य मिश्रण पर विचार किया जाना जरूरी है जिसे क्रमिक रूप से 15% तक बढ़ाया जा सकता है, जो एक स्वीकार्य कीमत पर उपलब्धता के अध्यधीन है। बड़े तेलशोधक कारखाने और तेल का व्यापार करने वाली कम्पनियां मिश्रण के लिए आवश्यक तेल प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिए सक्रिय हो जाएंगी और इससे निजी कम्पनियों अथवा संयुक्त उद्यम कम्पनियों को तेलशोधक कारखानों के साथ करार करने को प्रोत्साहन प्राप्त होगा और वांछित कोटि की अखाद्य तेलों की खेती विकसित करने के लिए फार्म समुदायों और सरकारी अधिकारियों के साथ समानान्तर सम्बन्ध स्थापित करने को बढ़ावा मिलेगा। प्रारंभिक वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सब्सिडियों/राजकोषीय प्रोत्साहनों में एक अनिवार्य खण्ड शामिल किया जाना चाहिए ताकि दीर्घकालीन संधारणीयता सुनिश्चित हो सके।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटित और व्यय किया गया धन

558. **श्री सुशील कुमार मोदी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बिहार सहित विभिन्न राज्यों द्वारा आबंटित की गई और व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार हेतु उक्त धनराशि के आबंटन पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बिहार में परिवार कल्याण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत अवसंरचना के रख-रखाव से जुड़ी योजनाओं अर्थात् निर्देशन और प्रशासन, शहरी परिवार कल्याण सेवाओं, उपकेन्द्रों ए०एन०एम०/एल०एच०वी०, एम०पी०डब्ल्यू० के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों, बंधीकरण उपचार के लिए बिस्तरों, पी०ओ०एल० तथा प्रतिपूर्ति के लिए धन आबंटित किया जाता है। दूसरी योजनाओं अर्थात् आर०सी०एच० कार्यक्रम, एरिया प्रोजेक्ट, आई०ई०सी०, एन०एम०बी०एस० और ई०ए०जी० के लिए धन का आबंटन नहीं किया जाता है बल्कि राज्यों की मांग और अपेक्षाओं के आधार पर धन जारी किया जाता है। राज्यों को वर्ष 2004-05 के दौरान अवसंरचना के रख-रखाव के लिए आबंटित और जारी धनराशि तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए जारी और व्यय की गयी राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) बिहार राज्य को वर्ष 2004-05 के दौरान अवसंरचना के रख-रखाव और अन्य कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2003-04 की तुलना में अधिक राशि दी गयी थी।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत अवसंरचना के रख-रखाव के लिए आवंटित और जारी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए जारी और व्यय की गयी राशि के राज्यवार आंकड़े

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य	अवसंरचना का रख-रखाव		अन्य कार्यक्रम	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16097.84	19780.35	4378.47	244.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	421.68	421.68	335.98	350.37

1	2	3	4	5	6
3.	असम	6679.20	5009.40	2917.23	1448.80
4.	बिहार	11434.64	15036.65	5970.06	370.51
5.	छत्तीसगढ़	4841.80	6172.21	3044.98	1439.30
6.	गोवा	258.08	318.01	36.01	1.12
7.	गुजरात	10084.68	12619.36	9564.90	3098.38
8	हरियाणा	3625.76	4426.87	2122.52	2363.34
9.	हिमाचल प्रदेश	2803.84	3524.80	535.50	124.73
10.	जम्मू-कश्मीर	2509.68	3093.77	289.41	371.41
11.	झारखण्ड	5247.48	6802.30	3817.53	2285.24
12.	कर्नाटक	11566.72	14404.21	1556.40	1862.95
13.	केरल	6111.48	7886.53	1188.47	678.81
14.	मध्य प्रदेश	11931.20	14763.82	8400.25	782.97
15.	महाराष्ट्र	15580.96	18969.72	4549.62	1685.74
16.	मणिपुर@	986.08		335.93	2.09
17.	मेघालय	647.68	647.68	136.47	205.23
18.	मिजोरम	578.20	808.20	588.22	323.61
19.	नागालैंड	568.40	568.40	322.58	66.82
20.	उड़ीसा	6744.68	8809.99	4090.26	904.66
21.	पंजाब	3983.92	4977.72	772.78	236.01
22.	राजस्थान	13060.52	16519.32	6795.11	2935.16
23.	सिक्किम	284.80	299.80	362.22	167.82
24.	तमिलनाडु	11960.92	14986.23	2674.21	371.19
25.	त्रिपुरा	829.96	829.96	185.82	6.00
26.	उत्तर प्रदेश	23821.28	30645.71	22407.30	10595.83
27.	उत्तरांचल	1909.52	2241.07	2779.16	535.03
28.	पश्चिम बंगाल	10412.00	13243.57	3537.66	1899.46
	योग-सभी राज्य	184983.00	227807.33	93695.05	37557.47

वर्ष 2004-05 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों को आवंटन से अधिक राशि जारी की गयी।

*यथासूचित व्यय राशि।

@राज्य के पास व्यय न हुई राशि के शेष रहने के कारण धनराशि जारी नहीं की गयी।

विदेशी जेलों में बंद भारतीय

559. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों की जेलों के देश-वार कितने भारतीय मूल के लोग बंदी हैं और इन जेलों में वह कितनी अवधि गुजर चुके हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार किया गया, विभिन्न देशों की जेलों में बंद भारतीय बंदियों का देशवार विवरण अनुबंध में संलग्न है।

(ख) विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र विदेशी जेलों में बंद भारतीय राष्ट्रिकों को यथासंभव रिहा कराने का प्रत्यन करते हैं। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र सहायता प्रदान करते हैं जिसमें मुकदमों का शीघ्र निपटारा; नजरबंद व्यक्तियों और बंदियों और कौंसली सुविधाएं दिलाना; विधिक और अन्य मामलों में सलाह/दिशा निर्देश; भारत में संबंधियों के साथ संपर्क करवाना; जेल में उचित उपचार सुनिश्चित करना; रिहाई पर भारत भेजने की व्यवस्था करना शामिल है। विभिन्न भारतीय मिशनों द्वारा किए गए विशिष्ट देश-वार प्रयास संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

"विदेशी जेलों में बंद भारतीय" के संबंध में दिनांक 27.7.2005 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न 559 के संबंध में मिशनों से प्राप्त सूचना

क्रमांक	मिशन	बंदियों की संख्या	जेल में व्यतीत अवधि	उनकी रिहाई के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास
1	2	3	4	5
1.	अबूधाबी (दुबई और अल एन शामिल करते हुए)	संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में 1073 भारतीय बंदी हैं।	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जेल अवधि का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि हत्या, नशीले पदार्थों के व्यापार इत्यादि जैसे रंगीन अपराधों के लिए 4 से 15 वर्ष तक की लंबी सजाएं होती है।	मिशन अधिकारी भारतीय बंदियों के कुशलक्षेम की जानकारी हासिल करने और उपचारात्मक कार्रवाई हेतु जेल अधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से जेलों की यात्राएं करते हैं। भारतीय बंदियों की रिहाई उनकी सजा पूरी होने से पूर्व संभव नहीं है, तथापि मिशन उनकी सजा पूरी होने पर स्थानीय पद्धति के अनुसार उनकी शीघ्र रिहाई के प्रयास करता है जो कि स्वत: नहीं होते।
2.	अल्जीयर्स	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	अल्माती	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	अम्मान	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	अंकारा	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6.	अशगाबात	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7.	बगदाद	1	दो वर्ष की सजा काट रहे हैं। जिसमें से 1 वर्ष 8 महीने बीत चुके हैं।	मिशन ने इस मामले को इराकी सरकार के समक्ष मानवीय आधार पर शीघ्र रिहा करने के लिए उठाया है।

1	2	3	4	5
8.	बीजिंग	11	जनवरी 2005 में 8 गिरफ्तार हुए; फरवरी, मार्च और मई 2005 में एक-एक।	भारतीय बंदियों के सभी मामलों में कौंसली सहायता प्रदान की जाती है। उनकी रिहाई और अंततः देश वापसी के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के समक्ष मामले उठाए जाते हैं।
9.	बेरूत	31	अवैध प्रविष्टि के आरोप पर 27 गिरफ्तार हुए जबकि आपराधिक आरोपों पर 4 गिरफ्तार हुए।	मिशन सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु स्थानीय प्राधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है।
10.	बेलग्रेड	4	आव्रजन अपराधों के लिए 3.6.2005 से नजरबंद।	उनकी राष्ट्रीयता के सत्यापन के पश्चात् नजरबंद भारतीयों को यात्रा दस्तावेज जारी किए जाते हैं ताकि वे भारत वापिस भेजे जा सकें।
11.	बीरगंज	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12.	बरमिंघम	सूचना उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध नहीं
13.	ब्रसल्स	4 आपराधिक मामलों में जेलबंद किए गए। 20 अन्य संदिग्ध भारतीयों को आव्रजन कानून के उल्लंघन के तहत बंदी बनाया गया।	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।	यात्रा दस्तावेज राष्ट्रीयता के सत्यापन के पश्चात् जारी किए जाते हैं और उक्त व्यक्ति को भारत वापिस भेज दिया जाता है।
14.	बोगोटा	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15.	ब्रासीलिया	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16.	ब्यूनस आयर्स	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
17.	काहिरा	2	दोनों (एक महिला एक पुरुष आजीवन कारावास की सजा काट रहें हैं। भारतीय पुरुष ने 12 वर्ष की सज़ा पूरी कर ली है और भारतीय महिला ने 6 वर्ष की सज़ा पूरी कर ली है।)	नियमानुसार उनको रिहा करवाने की कार्रवाई केवल 20 वर्ष की सजा पूरी होने के बाद ही आरंभ की जा सकती है।
18.	कैनबरा	35	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19.	कैराकस	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
20.	कोपेनहगन	2	उनमें से एक हत्या और लूटपाट के लिए आजीवन कारावास की सज़ा पूरी कर रहा है। दूसरे के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।	राजदूतावास डेनिश जेलों में बंद भारतीयों को पूर्ण कौंसली सहयोग और सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। हालांकि डेनिश नियमों के अनुसार बंदी भारतीयों को कौंसली सेवा केवल उन्हीं को प्रदान की जा सकती है जिन्होंने उसकी मांग की हो।
21.	डाकर	शून्य	उपलब्ध नहीं	
22.	डमस्कस	शून्य	उपलब्ध नहीं	
23.	ढाका	871	ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।	मिशन उनको कौंसली सेवाएं उपलब्ध करवाने और उनकी देशवापसी के लिए बंगलादेशी प्राधिकारियों के साथ-साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।
24.	दुबई	उपर्युक्त अबूधाबी में देखें		
25.	दरबन	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26.	दुशानबे	1	6 वर्ष की सजा में से 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं।	
27.	फ्रांकफुर्त	सूचना उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28.	जार्जटाउन	शून्य	उपलब्ध नहीं	
29.	हनोई	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
30.	हरारे	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
31.	हवाना	2	उनमें से एक को अवैध प्रविष्टि तथा जाली दस्तावेज रखने के आरोप में 16 वर्ष की तथा दूसरे को अवयस्क के भ्रष्टाचार के लिए 10 वर्ष की जेल की सजा हुई है।	उस मामले में जिसमें भारतीय राष्ट्रिक को 16 वर्ष की जेल की सजा मिली है, राजदूत ने क्यूबा के न्याय मंत्री को मानवीय आधार पर उसकी रिहाई के लिए एक पत्र लिखा था किंतु उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया है।
32.	इस्लामाबाद	भारतीय मछुआरे 371 और सिविलियन बंदी-में 205	सितम्बर 2004 से फरवरी 2005 के बीच 173 मछुआरों की गिरफ्तारी हुई। फरवरी 2005 से अप्रैल 2005 के बीच 198 मछुआरे पकड़े गए उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं: 25 वर्ष से अधिक-8 20 वर्ष से अधिक-10	मिशन भारतीय बंदियों की शीघ्र रिहाई और देश वापसी के सघन प्रयास कर रहा है। चालू वर्ष के दौरान 589 बंदियों को पाकिस्तान से भारत लौटाया गया है।

1	2	3	4	5
			15 वर्ष से अधिक-25 5 वर्ष से अधिक-11 2 वर्ष से अधिक-5 ब्यौरे उपलब्ध नहीं-64	
33.	जलालाबाद	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
34.	कीव	1	19.2.2004 से किसी अपराध के लिए सजायाफ्ता	लागू नहीं क्योंकि भारतीय नागरिक को आपराधिक कृत्य के लिए अभिशंसित किया गया है।
35.	लीमा	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
36.	हामबुर्ग	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
37.	होची मिनसिटी	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
38.	इस्तानबुल	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
39.	जकार्ता	1 पर मुकद्दमा चल रहा है।	एक भारतीय पर नशीला पदार्थ रखने पर मुकद्दमा चल रहा है। निचली अदालत ने मृत्यु दंड दे दिया है जिसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है।	
40.	कैंडी	शून्य	नहीं उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
41.	किंग्सटन	1	स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार हेतु जेल। उनके एक वर्ष की सजा और काट लेने पर पैरोल पर रिहाई पर विचार किया जाएगा।	भारतीय मिशन को इस मामले के बारे में पिछले वर्ष के अंत में सूचित किया गया था जब उन्हें पैरोल पर छोड़ने पर विचार हो रहा था। मिशन ने जेल की यात्रा करके उन्हें कौंसली सेवा प्रदान की।
42.	कुआला लंपुर	460 (आव्रजन कानूनों के उल्लंघन हेतु 229 बंदी गृहों में बंद और अन्य अपराधों के लिए 231 जेलों में बंद)	आव्रजन अपराधों के लिए 3 से 6 महीने की जेल। अन्य अपराधों के लिए वहां का कानून स्वयं कार्रवाई करेगा।	मिशन मलेशियाई विदेश कार्यालय, आव्रजन विभाग और बंदी गृहों से लगातार संपर्क बनाए रखता है ताकि उन्हें कौंसली सुविधाएं और रिहाई के पश्चात् भारत वापसी की सुविधा मुहैया हो।
43.	कीव	1	लूट और हत्या के लिए 15 वर्ष की जेल की सजा काट रहे हैं।	
44.	लुसाका	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
45.	माले	10	4-2002 में गिरफ्तार: 1-2004 में और 4-2005 में।	भारतीय बंदियों की रिहाई के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के समक्ष इन मामलों को नियमित रूप से उठाया जाता है।
46.	माल्टा	7	माल्टा में अवैध प्रविष्टि के लिए गिरफ्तार	मिशन ने उनके नियोक्ताओं से यात्रा दस्तावेज हासिल किए और उन्हें स्थानीय प्राधिकारियों को अग्रेषित कर दिया ताकि बंदी बनाए गए भारतीय राष्ट्रिक भारत वापिस भेजे जाएं। उनकी भारत वापसी की पुष्टि अभी स्थानीय प्राधिकारियों से की जानी है।
47.	मजार-ए-शरीफ	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
48.	मैक्सिको सिटी	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
49.	मिलान	5	4 वर्ष से 20 दिनों तक की जेल की सजाएं काट रहे हैं।	चूंकि सभी सजाओं का आधार आपराधिक कृत्य है अतः इन सजाओं के पूरा होने पर ही उन्हें रिहा किया जाएगा।
50.	म्यूनिख	स्थानीय प्राधिकारी सूचना गुप्त रखने के कानून के तहत कोई सूचना प्रदान नहीं करते।	उपलब्ध नहीं	
51.	मस्कट	72	पिछले 1 वर्ष से 48 बंदी जेलों में बंद हैं; अन्य बंदियों ने 2 से 7 वर्ष की सजा पूरी कर ली है।	
52.	मोम्बासा	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
53.	मास्को	7	उन्होंने क्रमशः 7 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष की सजा पूरी कर ली है।	मिशन के प्रयासों के परिणामस्वरूप एक आरोपी को शीघ्र ही छोड़ दिया जाएगा। अन्य आरोपियों को भी छुड़ाने के प्रयास जारी हैं।
54.	नैरोबी	1	सूचना के अनुसार उनके संबंधी उन पर लगाए गए दंड के भुगतान की व्यवस्था कर रहे हैं।	दंड के भुगतान के पश्चात् मिशन उनके यात्रा दस्तावेज जारी करने में सहायता करेगा ताकि उनकी भारत वापसी हो।
55.	न्यूयार्क	158	आव्रजन कानून के उल्लंघन हेतु 119 बंदी बनाए गए; 29 आपराधिक आरोपों के लिए बंदी बनाए गए।	राष्ट्रीयता के सत्यापन के पश्चात् यात्रा दस्तावेज तत्काल जारी कर दिए जाते हैं ताकि भारतीयों को वापिस भेजा जा सके।

1	2	3	4	5
56.	ओटावा	2	उसमें से एक ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए 25 वर्ष की जेल में से 19 वर्ष की सजा काट ली है। दूसरा आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।	समय-समय पर कनाडा के प्राधिकारियों से भारतीय बंदियों को छोड़ने का अनुरोध किया जाता रहा है। जेलों की कौंसली यात्राएं भी की जाती हैं। हालांकि कनाडा के कानून के तहत उनकी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं प्रदान की गई है।
57.	पानामा	2	नशीले पदार्थ के व्यापार के आरोप में 12 वर्ष की सज़ा में से 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं।	उपलब्ध नहीं
58.	नामपेन्ह	1	5 वर्ष की सजा से 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं।	भारतीय राष्ट्रिक को जाली सिंगापुर का पासपोर्ट रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मिशन ने उसकी शीघ्र रिहाई के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क किया किन्तु अस्वीकार कर दिया गया।
59.	पोर्ट मोर्सबी	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
60.	प्राग	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
61.	प्यांग यांग	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
62.	रबट	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
63.	रियाध	1444	सामान्यत: मिशन को सूचना प्रदान नहीं की जाती है।	जैसे की भारतीय मिशन को किसी भारतीय की गिरफ्तारी की सूचना दी जाती है, विदेश कार्यालय से कौंसली सुविधा मुहैया करवाने के लिए संपर्क साधा जाता है। रमादान के पाक महीने में मिशन भारतीय बंदियों को रिहाई के लिए शाही माफी हेतु औपचारिक अनुरोध करता है। मिशन भारतीय बंदियों की रिहाई के लिए अनुकंपा याचिकाएं प्रस्तुत करता है।
64.	सना ए	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
65.	सन फ्रांसिस्को	14	अधिकांश आव्रजन कानून के उल्लंघन के लिए काम अवधि की सजा काट रहे हैं।	भारतीय राष्ट्रिकों को गिरफ्तार करने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उनकी राष्ट्रीयता के सत्यापन की प्रक्रिया राज्य सरकार अथवा संबंधित पासपोर्ट कार्यालय के माध्यम से आरंभ की जाती है। इसके अतिरिक्त यह

1	2	3	4	5
				सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है कि राष्ट्रीयता का सत्यापन यथाशीघ्र पूरा हो।
66.	संतियागो	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
67.	सेंटपीटर्सबर्ग	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
68.	स्टॉक होम	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
69.	सूवा	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
70.	सिडनी	1	1996 से हत्या के आरोप पर जेल में बंद।	पैरोल पर छोड़ने के उनके मुकद्दमों पर 2009 में कार्रवाई होगी। आस्ट्रेलियाई गोपनीयता कानून के तहत मिशनों को कोई ब्यौरे नहीं दिए जाते जब तक कि बंदी स्वयं इसका अनुरोध नहीं करें।
71.	ताशकंत	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
72.	तेल अवीव	4	अपने-अपने वीसा की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये सभी वहीं रुके हुए थे।	मिशन यथा-आवश्यकता कौंसली सुविधाएं और आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्रदान करता है।
73.	थिम्पु	48	अधिकांश चोरी और छोटे-मोटे अन्य आरोपों पर कम अवधि की सजा (1-2 वर्ष) काट रहे हैं। कुछ 10 वर्ष और इससे अधिक लंबी सजा काट रहे हैं।	मिशन कौंसली सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकार से नियमित संपर्क स्थापित करता है।
74.	टोक्यो	एक नशीलें पदार्थों के अपराध के लिए जेल में बंद है, दूसरा वीसा अवधि रुकने के लिए कम अवधि की जेल काट रहा है।	नशीले पदार्थों के अपराध का सामना करने वाला व्यक्ति जो लंबी जेल काट रहा है, सितम्बर 2004 से बंद है।	निर्धारित वीसा अवधि से अधिक रुकने वाले भारतीयों को उनकी वापसी हेतु यात्रा दस्तावेज जारी किए जाते हैं। राजदूतावास मेजबान देश की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है।
75.	त्रिपोली	1	अपने नियोक्ता की हत्या करने के लिए 1992 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।	मिशन के अधिकर्मियों ने जेल में भारतीय राष्ट्रिक आरोपी से मुलाकात की है और यह माना जा रहा है कि कुछ वर्षों में उसकी सजा पूरी होने पर उसे रिहा कर दिया जाएगा।
76.	ट्यूनिस	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
77.	वैन्कुवर	2	हत्या के आरोप पर 15 वर्ष की लंबी सजा काट रहे हैं।	हमारे मिशनों द्वारा कौंसली यात्राएं की गई और यह सूचना प्राप्त हुई कि उन्हें उसकी सज़ा पूरी होने पर रिहा कर दिया जाएगा।
78.	वारसा	कोई भारतीय राष्ट्रिक इस समय जेल में नहीं है। हालांकि भारतीय राष्ट्रिक होने का दावा कर रहे 6 व्यक्तियों को अवैध प्रविष्टि और एक ईरानी राष्ट्रिक की हत्या के शक के लिए बंदी गृह में रखा गया है।	बंदी गृह में भारतीय राष्ट्रिको को बंद किए जाने के मामले की जांच चल रही है।	भारतीय राष्ट्रिकों के बंदी बनाए जाने की सूचना प्राप्त होते ही मिशन कौंसली सुविधा प्रदान करता है और उनकी भारतीय राष्ट्रीयता के निर्धारण हेतु निजी सूचना एकत्र करने के लिए बंदी गृहों में अधिकर्मी नियुक्त किए जाते हैं। उनकी राष्ट्रीयता के सत्यापन के बाद यात्रा दस्तावेज जारी किए जाते हैं ताकि मेजबान सरकार के प्राधिकारी उन्हें भारत वापस भेज सकें।
79.	यंगोन	26	उन 5 को छोड़कर जो पिछले 8-9 वर्ष से जेल में बंद हैं, अन्य व्यक्तियों ने केवल एक या दो वर्षों की जेल काटी है।	म्यांमा सरकार ने केवल 2 को छोड़कर सभी भारतीय बंदियों की रिहाई का प्रस्ताव किया है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। मिशन उनके मामले पर कार्रवाई कर रहा है।
80.	येरेवन	1	दिसम्बर 2001 में साथी भारतीय की हत्या के आरोप में 6 वर्ष की जेल काट रहे हैं।	मिशन उनकी शीघ्र रिहाई के लिए प्रयास करता रहा है।
81.	जगरेब	स्थानीय सरकार सूचना प्रदान नहीं करती है।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
82.	जंजीबार	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दर के लक्ष्य की समीक्षा

560. श्री अनन्त नायक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित वृद्धि दर की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य क्या है और आज की तारीख तक क्षेत्रवार क्या उपलब्धियां हासिल की गईं;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र की विकास दर संतोषजनक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) और (ख) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दसवीं योजना के विभिन्न क्षेत्रकों के लिए निर्धारित विकास दरों की समीक्षा की गई है। दसवीं पचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर और विभिन्न क्षेत्रकों से संबंधित प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2004-05 तक की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

क्षेत्रक	लक्षित विकास दर	उपलब्धियां 2002-03 से 2004-05
कृषि और संबंधित	4.0	1.0
उद्योग	8.9	7.0
सेवाएं	9.3	8.6

(ग) कृषि की विकास दर, जिसमें योजना के प्रथम तीन वर्षों के कृषि क्षेत्र शामिल हैं, दसवीं पंचवर्षीय योजना के कुल 4% लक्ष्य की तुलना में 1% होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) कृषि में कम संतोषजनक निष्पादन का मुख्य कारण, खराब मानसून और इस क्षेत्र में लक्षित सार्वजनिक निवेश कम होने के कारण वर्ष 2002-03 में कृषि क्षेत्र में मूल्य वर्धन की नकारात्मक विकास दर रही।

द्वितीय वित्तीय कोटि उन्नयन

561. श्री एम० शिवन्ना : क्या प्रधानमंत्री द्वितीय वित्तीय कोटि उन्नयन के बारे में 25/02/2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1106 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय को छोड़कर अन्य किसी भी सरकारी कार्यालय में द्वितीय वित्तीय कोटि-उन्नयन लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गृह मंत्रालय को छोड़कर अन्य सभी विभागों/मंत्रालयों ने अपने कर्मचारियों से प्रथम पदोन्नति के पश्चात् 12 वर्ष के लिए प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या एक कर्मचारी जो 20 वर्ष के बाद प्रथम पदोन्नति पाता है, को द्वितीय एस्योर्ड कैरियर प्रमोशन के लिए 32 वर्ष की सेवा करनी होगी;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए गलत निर्वचन को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सभी विभागों/मंत्रालयों को इस संबंध में कोई परिपत्र जारी किया गया है;

(छ) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) दूसरे वित्तीय उन्नयन सहित सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन योजना विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस तरह का कोई उदाहरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) जी, नहीं। किसी कर्मचारी को पहली पदोन्नति चाहे 20 वर्ष बाद क्यों न मिली हो, तो भी वह 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात् दूसरे वित्तीय उन्नयन दिए जाने के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र होगा बशर्ते कि अधिकारी के उपयुक्त न पाए जाने पर प्रथम वित्तीय उन्नयन में विलम्ब न हुआ तो अथवा अधिकारी ने सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन की मंजूरी के बाद प्रारंभ में, पदोन्नति स्वीकार करने के पहले कुछ वर्षों तक, ऐसी पदोन्नति स्वीकार न की हो।

(ङ) गलत व्याख्या किए जाने का कोई मामला विशेष कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) पहली पदोन्नति की तारीख के 12 वर्ष पश्चात् दूसरा वित्तीय उन्नयन दिए जाने पर जोर देने संबंधी किन्हीं मंत्रालयों/विभागों का कोई भी उदाहरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

[हिन्दी]

'चन्द्रयान-1' मिशन में विदेशी भागीदारी

562. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) निकट भविष्य में चालक रहित अन्तरिक्ष यान भेजने के लिए ''चन्द्रयान-1'' मिशन कार्यक्रम में अन्य किसी देश को भागीदारी बनाने के प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की निकट भविष्य में चन्द्रमा पर चालक रहित अंतरिक्ष शटल भेजने की कोई योजना नहीं है। तथापि, चन्द्रमा पर मानवरहित यंत्रीय अन्तरिक्षयान 'चन्द्रयान-1' को भेजने की योजना है जो चन्द्रमा की परिक्रमा करते हुए उसकी सतह पर विशिष्ट आंकड़ों को संग्रहित करेगा। 'चन्द्रयान-1' पूर्णतः भारतीय प्रयास है। भारत में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग बढ़ाने की दिशा में, 'चन्द्रयान-1' पर उनके कुछ वैज्ञानिक उपकरणों को भेजने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। इनमें से छः परीक्षणों को 'चन्द्रयान-1' पर पिग्गी-बैंक के रूप में शामिल करने के लिए चुना गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय खेल प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के कथित मामले

563. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री उदय सिंह :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री ई० पोन्नुस्वामी :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री अधीर चौधरी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लेखा परीक्षा एजेंसी ने भारतीय खेल प्राधिकरण में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त होने के आरोप लगाये हैं जैसा कि दिनांक 9 जुलाई, 2005 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) गबन की गई धनराशि कितनी है;

(घ) उक्त आरोपों में संलिप्त प्राधिकरण के व्यक्तियों के नाम और उनके पदनाम क्या हैं;

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है;

(च) क्या सरकार के पास आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से भारतीय खेल प्राधिकरण के पुनरुद्धार की कोई योजना है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में और क्या उपाय किये जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) मै० एन०सी० मित्तल एन्ड कम्पनी ने, जिसने वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) की सांविधिक लेखा परीक्षा की है, सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के आरोपों का समावेश है और अपनी उल्लिखित लेखा परीक्षा रिपोर्टों में 20 बड़े धोखा-धड़ी के मामलों की ओर इशारा किया है। तथापि, उक्त कथित कम्पनी द्वारा इन वर्षों की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में किसी धोखा-धड़ी का उल्लेख नहीं है। लेखा-परीक्षकों ने अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्तीय तथा लेखा संबंधी कमियाँ दर्शाई हैं। उन्होंने बताया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण और उसके केन्द्रों ने लेखा पुस्तिकाओं का समुचित रख-रखाव नहीं किया है। वर्ष 2002-2003 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट भारतीय खेल प्राधिकरण को 2 मई, 2005 को प्राप्त हुई थी।

(ग) इन लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में गबन की गई निधियों का कोई उल्लेख नहीं है।

(घ) उपर्युक्त 'ग' को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण की वित्त समिति ने भारतीय खेल प्राधिकरण के खातों के समुचित समेकन के लिए बाह्य व्यावसायिक सहायता प्राप्त करने और खातों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मार्च, 2005 में एक निर्णय लिया है। खातों में समाशोधन की सतत् प्रक्रिया तीव्र कर दी गई है।

(च) और (छ) जी, हां। वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल के खेलों के संदर्भ में, भारतीय खेल प्राधिकरण की कार्ययोजना में तीन प्रमुख रणनीतियां हैं (1) देश के विभिन्न भागों में भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों की अवस्थापनाओं का सदृढ़ीकरण; (2) इन केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों को उपकरण तथा वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना; और (3) वर्तमान सुविधाओं और मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दन्त्य बहिरंग सेवाएं

564. श्री दरोगा प्रसाद सरोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि डा० राम मनोहर लोहिया (आर०एम०एल०) अस्पताल का दन्त्य विभाग बुधवार और शनिवार को रोगियों को बहिरंग सेवाएं प्रदान नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आर०एम०एल० अस्पताल के दन्त विभाग में एक्स-रे कुर्सियां भी नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि आर०एम०एल० अस्पताल द्वारा रोगियों को घटिया दवाइयां प्रदान की जाती हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा का है और रोगियों को अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दंत चिकित्सा विभाग बुधवार और शनिवार को भी ओ०पी०डी० सेवाएं प्रदान करता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दंत चिकित्सा विभाग में एक्स-रे सुविधा वाली दंत चिकित्सीय कुर्सियां उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) यह सच नहीं है कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रोगियों की आपूर्ति की जाने वाली औषधें घटिया होती हैं। औषधों का प्रापण अनुमोदित स्रोतों से किया जाता है और केवल उच्च कोटि की औषधें ही रोगियों को दी जाती हैं। तथापि, यदि प्रयोक्ता द्वारा जरा भी शिकायत की जाती है तो मामले को संबंधित राज्य के औषध नियंत्रक को रेफर किया जाता है जहां से औषधें विनिर्मित होती हैं और साथ ही, औषध के विश्लेषण से संबंधित रिपोर्ट की प्राप्ति तक अस्पताल में उस बैच की औषधों का प्रयोग बंद कर दिया जाता है।

कार्निया की बिक्री

565. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का एक कर्मचारी कार्निया बेचते हुए पाया गया जैसा कि दिनांक 2.5.2005 के 'द टाईम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह मामले में अस्पातल प्राधिकारियों ने कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और दोषी पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किये गए/किये जाने वाले उपाय क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) कार्निया बेचे जाने की सूचना पर संस्थान द्वारा जांच करवाई गयी। इस मामले में लिप्त एक प्रयोगशाला सहायक को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। संस्थान में नियमित तौर पर भण्डारित/संचित सामग्री की जांच करते रहने और कम्प्यूटरीकृत ढंग से रिकार्डों का रख-रखाव करने की हिदायत दी गयी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

[हिन्दी]

रक्षित विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले का अनुबंधन

566. **श्री चन्द्रकांत खैरे :**
श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ (एन०सी०सी०एफ०) नामक एकमात्र संस्थान को ही 20 लाख टन कोयले का अनुबंधन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड रक्षित विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले के अनुबंधन की मांग नजरअंदाज कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो रक्षित विद्युत संयंत्रों के कोयले के अनुबंधन हेतु महाराष्ट्र से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने रक्षित विद्युत संयंत्रों को अनुबंधन दिया गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार के देश के छोटे और अपेक्षाकृत छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सिफारिश पर उक्त मंत्रालय के अधीन एक सरकारी निकाय मेसर्स नेशनल को-आपरेटिव कन्ज़्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन०सी०सी०एफ०) को प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन कोयला आवंटित किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) दीर्घावधिक कोयला लिंकेज के आवंटन के लिए महाराष्ट्र में अवस्थित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से कुल 6 आवेदन कोयला मंत्रालय में प्राप्त हुए। 2 जून, 2005 को सम्पन्न स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधिक) की बैठक में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से तीन कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को दीर्घावधिक कोयला लिंकेज मंजूर किया गया है।

[अनुवाद]

सौदा कोयला खान में दुर्घटना

567. **श्री हन्नान मोल्लाह :**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री ई० पोन्नुस्वामी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की विभिन्न कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पीड़ितों के आश्रितों को अदा किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांसगढ़, झारखंड स्थित सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की सौदा खान में हुई दुर्घटना की कोई जांच की गई जिसमें 16 जून, 2005 की सुबह 14 खदान-श्रमिक फंस गए थे;

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या खानों में सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० दासरि नारायण राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	गभीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या
2002	81	97	15	629	650
2003	83	113	12	563	578
2004	90	99	14	599	608

*वर्ष 2004 के आंकड़े अनंतिम हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी०आई०एल० तथा ए०सी०सी०एल० में हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों के आश्रितों को कामगार मुआवजा अधिनियम के अंतर्गत अदा किए गए मुआवजे का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मुआवजा (करोड़ रु० में)		
	सी०आई०एल०	एस०सी०सी०एल०	जोड़
2002	1.54	0.81	2.35
2003	1.52	1.51	3.03
2004	1.91	0.48	2.39

(ग) और (घ) श्रम मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी०जी०एम०एस०) जो देश में खानों के सुरक्षा संविधियों को लागू करने के लिए सांविधिक निकाय है, सी०सी०एल० की सेंट्रल सौदा कोलियरी में हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है जहां 15 जून, 2005 की सुबह 14 व्यक्ति फंस गए थे। इसके अलावा, सी०आई०एल० के अधिकारियों को शामिल करते हुए इस मंत्रालय द्वारा गठित समिति भी सेंट्रल सौदा कोलियरी की दुर्घटना की जांच कर रही है जो प्रगति पर है।

(ङ) और (च) कोयला खानों में खनन प्रचालन देश की संगत सुरक्षा संविधियों अर्थात् खनन अधिनियम, 1952, कोयला खान विनियमन, 1957, खान नियमावली, 1955 आदि के अनुसार किया जाता है जिसे डी०जी०एम०एस० द्वारा लागू किया जाता है।

(छ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोयला खानों में निम्नलिखित विशिष्ट सुरक्षा उपायों को शुरू करने का प्रस्ताव है :—

- लाइन प्रबंधन तथा खान अधिकारियों एवं आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा सुरक्षा प्रथाओं के कार्यान्वयन और सुरक्षा उपकरणों के प्रचालन की निगरानी करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से खानों का निरीक्षण करना तथा जहां अपेक्षित हो उपचारात्मक उपाय करना।
- खनन/विद्युत/मेकेनिकल विधाओं में बाह्य विशेषज्ञों द्वारा लेखा-परीक्षाएं आयोजित करना और दो वर्ष के अंतराल तथा यदि आवश्यक हो, उससे पहले भी उसकी सिफारिशों का कार्यान्वयन।
- विकास कार्यस्थलों के साथ-साथ मशीनीकृत डिपिलेरिंग डिस्ट्रिकों में छत के सपोर्ट के लिए जल्दी से सेट होने वाले सीमेंट ग्राउटिड/रेसिन ग्राउटिड रूफ बोल्टों/स्टील वायर रोपों के बृहत्तर उपयोग पर लगातार जोर देना।
- अतिज्वलनशील/हानिकर गैसों का पता लगाने के लिए हाथ वाले गैस डिटेक्टरों/चेतावनियों और फ्लेम लैम्पों द्वारा खान वातावरण की नियमित निगरानी एवं कुछ खानों में खान पर्यावरण की निरन्तर कम्प्यूटरीकृत निरन्तर टेली-मानिटरिंग।
- कार्य क्षेत्रों तथा जल भराव वाले संभावित क्षेत्रों के बीच विभाजन की पुष्टि करने के लिए अथवा खान योजनाओं की परिशुद्धता की पुष्टि करने के लिए कुछ खानों में विभिन्न खानों/बाह्य अभिकरणों (प्रगति पर हैं) के सर्वेयरों के दलों से जांच सर्वेक्षण।
- साईट डिस्चार्ज लोडरों/लोड हॉल डम्परों, पावर वाले सपोर्ट लांगवाल फेसों, निरन्तर माइनर प्रौद्योगिकी आदि के उपयोग द्वारा लोडिंग प्रचालनों के मशीनीकरण के जरिए कामगारों के खनन संबंधी जोखिम को कम करने के प्रयास जारी रखना।

— खान स्तर, क्षेत्र स्तर, कंपनी स्तर से धारक कंपनी के स्तर तक विभिन्न समितियों के माध्यम से सुरक्षा में कामगारों की भागीदारी को संवर्धित करना।

[हिन्दी]

डाक्टरों द्वारा अनैतिक वृत्ति

568. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री रघुनाथ झा :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री सुरेश अंगड़ि :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल का एक डाक्टर अनुचित हृदय प्रत्यारोपण में संलिप्त है जैसा कि दिनांक 2 जुलाई, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सही है कि सफदरजंग अस्पताल में अनैतिक डाक्टरों द्वारा अनुचित एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी की गई है;

(घ) यदि हां, तो इन गतिविधियों में अंकुश लगाने की सरकार द्वारा उठाए गए/उठाये जाने वाले कदम क्या हैं;

(ङ) अस्पतालों में डाक्टरों की ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाये जाने वाले कदम क्या हैं;

(च) इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(छ) क्या निजी अस्पताल भी अवैध धन कमाने और रोगियों को परेशान करने के लिए ऐसी वृत्तियों में संलग्न हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार भविष्य में सी०जी०एच०एस० कार्ड धारकों के लिए प्रत्येक औषधालय हेतु विशेषज्ञ प्रदान करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) और (च) जी, हां। डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कम से कम एक अवांछित एंजियोप्लास्टी में एक हृदय रोग विशेषज्ञ तथाकथित रूप से सम्बद्ध है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उक्त हृदयरोग विशेषज्ञ के विरुद्ध झूठी एंजियोग्राफी रिपोर्ट तैयार करने और अस्पताल में लाभार्थी द्वारा नकदी जमा करवाने के लिए अपेक्षित व्यय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी को तथाकथित धोखे से तथा बेईमानी से ठगने के लिए एक मामला दर्ज किया है। सरकार को दूसरी शिकायत सफदरजंग अस्पताल में कार्यरत एक हृदयरोग विशेषज्ञ के संबंध में प्राप्त हुई है जिसने एंजीयोप्लास्टी की सलाह दी थी जो कि उसी अस्पताल के दो दूसरे हृदयरोग विशेषज्ञों के विचारानुसार अनुचित थी।

(ङ) डाक्टरों द्वारा ऐसे अनियमित कार्यकलापों को रोकने के लिए दोनों अस्पतालों द्वारा दिशानिदेश तैयार और परिचालित किए गए हैं।

(छ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए निजी अस्पतालों सहित अपने अस्पतालों का विनियमित करना/मानिटरिंग करना और यह सुनिश्चित करना कि वे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानकों/विनियमों का अनुपालन करते हैं और सिद्ध किए गए अनैतिक और बेईमान व्यवहार के मामलों में निजी अस्पतालों/डाक्टरों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाई करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। पीड़ित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन कानूनी प्रतिकारक का रास्ता श्री अपना सकता है।

(ज) और (झ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पॉलिक्लीनिकों में विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारी रोगी भार वाले चुनिंदा औषधालयों में विशिष्ट दिनों पर विशेषज्ञ भी दौरा करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना

569. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री एम० अंजनकुमार यादव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल परिसरों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किसी स्टेडियम का निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) यह मंत्रालय केन्द्रीय सहायता के माध्यम से अनुमोदित ढांचे के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों,

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, विद्यालयों इत्यादि के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित खेल-संबंधी अवस्थापनाओं की योजनाओं को दिनांक 31.3.2005 तक कार्यान्वित कर रहा था जो कि उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर थीं। तथापि, सरकार ने दिनांक 1.4.2005 से खेल संबंधी अवस्थापनाओं की योजनाओं को राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया है और तदनुसार वर्ष 2005-2006 के दौरान खेल संबंधी अवस्थापनाओं के लिए कोई निधियां आवंटित नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिनांक 28.2.2005 को सूचित कर दिया गया है।

तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। योजना में ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की चुनिन्दा विधाओं में ग्रामीण खेल टूर्नामेंटों के आयोजन की परिकल्पना की गई है। राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्र स्तर और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों के लिए भारत सरकार की सहायता उपलब्ध है जबकि ब्लॉक और जिला स्तर पर ग्रामीण खेल टूर्नामेंटों के लिए राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से आयोजन करने की आवश्यकता है।

(ग) पिछले दो वर्षों अर्थात् 2003-04 से 2004-05 के दौरान, उत्तर प्रदेश में 8 स्टेडियमों और आन्ध्र प्रदेश में 12 स्टेडियमों के लिए वित्तीय सहायता की संस्वीकृति प्रदान की गई है।

(घ) उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में स्टेडियमों के लिए प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य और वर्ष	इन्डोर स्टेडियम/आउटडोर स्टेडियम/जिला स्तरीय खेल परिसर/राज्य स्तरीय खेल परिसर	प्रदान की गई धनराशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
2003-2004		
	1. जिला करानचेंदू प्रकाशम में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 (अंतिम किस्त)	4.57
	2. डी०एस०सी०, वारंगल में इंडोर स्टेडियम (प्रथम किस्त)	30.00
	3. फतेह मैदान, हैदराबाद में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 (प्रथम और अंतिम किस्त)	60.00
	4. गाची बोवली में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 (प्रथम और अंतिम किस्त)	60.00
	5. गाची बोवली में आउटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 (प्रथम और अंतिम किस्त)	18.00
	6. योसूफगुडा, हैदराबाद में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 (प्रथम और अंतिम किस्त)	60.00
	7. सरुर नगर, हैदराबाद में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1 (प्रथम और अंतिम किस्त)	60.00
	8. चिराला में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 (अंतिम किस्त)	15.00
	9. आदिलाबाद में जिला स्तरीय खेल परिसर (प्रथम किस्त)	20.00
2004-2005		
	10. खेल परिसर श्रीकाकुलम में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2 (प्रथम किस्त)	18.75
	11. अनन्तपुरम में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2	22.50
	12. जिला स्तरीय खेल परिसर, करीमनगर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-2	22.50
उत्तर प्रदेश		
2003-2004		
	1. कछना, इलाहाबाद में बहु-उद्देश्यीय हाल (प्रथम किस्त)	16.29
	2. ग्राम दूजाना, जी०बी० नगर, में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 (प्रथम किस्त)	12.65

1	2	3
2004-2005		
	3. नीहास्था, रायबरेली में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 (प्रथम किस्त)	9.70
	4. सारसेना, जिला मऊ में इंडोर स्टेडियम (प्रथम किस्त)	10.63
	5. ग्राम पिजोखेरा, जिला मुजफ्फरनगर में इंडौर स्टेडियम श्रेणी-3 (प्रथम किस्त)	13.00
	6. लखनऊ में राज्य स्तरीय खेल परिसर (प्रथम किस्त)	5.00
	7. ग्राम गुडा, जिला ललितपुर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 (प्रथम किस्त)	12.90
	8. पहाड़गांव, जालौम में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-3 (प्रथम किस्त)	14.00

इराक के साथ आर्थिक सहयोग

570. श्री अविनाश राय खन्ना :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इराक के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इराक की पुनर्सरचना में भारत की सहायता के संबंध में इराकी नेताओं ने भारत के विशेष दूत के साथ कोई बातचीत की थी;

(घ) यदि हां, तो वार्ता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत ने किन क्षेत्रों में सहायता की पेशकश की है; और

(च) इस पर इराकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। संस्थागत तंत्रों का उपयोग करके और इराकी व्यापार शिष्टमंडलों और व्यापारियों की यात्राओं के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सम्पर्कों को बढ़ावा देकर और संबंधित सूचना के प्रसार के माध्यम से इराक के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव है। भारत इराक को मानवीय सहायता भी उपलब्ध करा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। पश्चिम एशिया के विशेष दूत श्री सी०आर० घारेखान ने 22 से 25 मई, 2005 तक बगदाद की यात्रा की। उन्होंने इराकी प्रधानमंत्री और इराक सरकार के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की और इराक के आर्थिक पुनर्निर्माण में सहायता के लिए भारत सरकार की वचनबद्धता दोहराई।

(ङ) भारत सरकार ने क्षमता निर्माण और व्यापक क्षेत्रों में इराकी अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण देकर इसके मानव संसाधनों के विकास के माध्यम में पुनर्निर्माण कार्य में इराक को सहायता की पेशकश की है।

(च) इराकी सरकार ने इराक के पुनर्निर्माण प्रयासों में भारत सरकार द्वारा दी जा रही सहायता की सराहना की है।

[अनुवाद]

चिकित्सा पर्यटन

571. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिकित्सा पर्यटन को आकर्षित करने की आवश्यकता की जानकारी है जैसा कि दिनांक 24 जून, 2005 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा पर्यटकों की संख्या का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चिकित्सा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार चिकित्सा जगत से जुड़े पर्यटकों को आकृष्ट करने की जरूरत से अवगत है। विदेशों से काफी मात्रा में पर्यटक भारत आ रहे हैं ताकि वे विश्व

के अन्य देशों की अपेक्षा कम लागत पर गुणवत्ता परक चिकित्सा उपचार विशेष हृदय रोग सम्बन्धी शल्य चिकित्सा, ज्वाइंट रीप्लेसमेंट, नेत्र चिकित्सा, पैथालाजी और आयुष आदि के क्षेत्र से संबंधित उपचार करा सकें। भारत सरकार ने पूरे विश्व के लोगों के लिए भारत को स्वास्थ्य गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया है ताकि देश में उपलब्ध स्वास्थ्य परिचर्या से जुड़ी अवसंरचना और कौशल का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा-पर्यटकों की संभावित संख्या का कोई आकलन नहीं किया गया है और न ही इस संदर्भ में कोई विशेष योजना तैयार की गयी है।

[हिन्दी]

कोचलियर प्रत्यारोपण सुविधा

572. **श्री सीताराम सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवविकसित नाभिकीय कोचलियर प्रत्यारोपण सुविधा में गम्भीर रूप से अशक्त, बहरों और गूंगों के उपचार करने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सभी बड़े अस्पतालों ने यह उपकरण बहुतायत में ले लिये हैं जिससे कि जरूरत-मंदों को यह सुविधा प्रदान की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि कोचलियर इम्प्लांट में रोगी की आयु तथा बहरापन शुरू होने की आयु के अनुसार सीमित लक्षणों वाले गंभीर रूप से विकलांग बहरे और गूंगे व्यक्तियों को उपचार करने की क्षमता है। कोचलियर इम्प्लांट एफ०डी०ए० द्वारा वयस्कों के लिए 1986 में और बच्चों के लिए 1990 में अनुमोदित किया गया था। न्यूक्लियस कोचलियर इम्प्लांट भारतीय बाजार में अन्य कंपनियों के इम्प्लांट के साथ उपलब्ध इम्प्लांट्स में से एक है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनसुंधान परिषद्, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि बाजार में न्यूक्लियस कोचलियर इम्प्लांट के 4 रूपांतर (प्रकार) उपलब्ध हैं जिसमें से प्रत्येक की कीमत लगभग 5.17 लाख रुपए से 9.5 लाख रुपए तक है। प्रमुख अस्पताल चुनिंदा (नैदानिक रूप से परिभाषित) स्थितियों वाले रोगियों के लिए इसकी सिफारिश कर रहे हैं। इस इम्प्लांट का प्रापण रोगियों द्वारा स्वयं किया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी इम्प्लांट की कीमत रोगियों द्वारा वहन की जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्यचर्या समिति की सिफारिश

573. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय स्वास्थ्यचर्या समिति ने भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यू०सी०आई०) से अस्पतालों को प्रत्यायन प्रणाली सम्बन्धी मसौदा रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यू०सी०आई०) द्वारा मानक तैयार करने के कार्य को अंतिम रूप देने के लिए एक तकनीकी समिति गठित की गयी है जिसके आधार पर अस्पतालों का मूल्यांकन किया जाना है। भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या समिति ने क्यू०सी०आई० को अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी मानक-संहिता का प्रारूप प्रस्तुत किया है जिसे अस्पतालों के प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित मानक का अंतिम रूप देते समय क्यू०सी०आई० की तकनीकी समिति द्वारा मुख्य आधार के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रूस के साथ करार

574. **प्रो० महादेवराव शिवनकर :**
श्री मुन्शी राम :
श्री मो० ताहिर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
मोहम्मद शाहिद :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के रूस के साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में करारों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या तारापुर संयंत्र और अन्य परमाणु संयंत्रों के लिए ईंधन की आपूर्ति के लिए भी कोई करार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो रूस ईंधन की आपूर्ति के लिए कितने वर्षों के लिए सहमत हुआ है;

(घ) इन करारों में कुल कितनी धनराशि सम्मिलित है और ये करार कितने वर्षों के लिए हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ङ) परमाणु संयंत्रों के लिए प्रत्येक वर्ष अनुमानतः कुल कितने ईंधन की आवश्यकता है; और

(च) इन संयंत्रों हेतु अब तक ईंधन की आपूर्ति करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) भारत सरकार ने कुडानकुलम, तमिलनाडु में दो परमाणु विद्युत रिएक्टरों, जिनकी प्रत्येक की क्षमता 1000 मेगावाट-ई है, का निर्माण करने और उनके लिए ईंधन की आपूर्ति भी करने के लिए रूसी परिसंघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) तारापुर और अन्य परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन की आपूर्ति करने के लिए कोई करार नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर यह लागू नहीं होता।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए वर्ष में ईंधन की आवश्यकता किसी संयंत्र विशेष की क्षमता और यूरेनियम की समृद्धता, यदि कोई हो, पर निर्भर करती है। प्राकृतिक यूरेनियम विद्युत रिएक्टरों में लगभग 0.2 टन प्रति मेगावाट-ई ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। जिन रिएक्टरों में समृद्ध ईंधन का उपयोग किया जाता है, उनमें लगभग 0.025 टन प्रति मेगावाट-ई ईंधन की आवश्यकता होती है।

(च) विगत में संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, चीन और रूस ने तारापुर बिजलीघर के लिए ईंधन की आपूर्ति की थी। विगत में, फ्रांस ने राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 तथा और 2 के लिए भी ईंधन की आपूर्ति की थी।

केन्द्रीय सड़क निधि को धनराशि का अंतरण

575. श्री राकेश सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त उपकर से एकत्र धनराशि केन्द्रीय सड़क निधि को उक्त धनराशि अंतरित नहीं किए जाने की वजह से अप्रयुक्त ही पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उक्त धनराशि को शीघ्र ही अंतरित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आपातकालीन चिकित्सा सेवा की स्थापना करना

576. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की तरह ही मुम्बई में अप्रवासी भारतीयों की सहायता से 24 घन्टे चलने वाली आपातकालीन चिकित्सा सेवा और अभिघात केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अप्रवासी भारतीयों और महाराष्ट्र सरकार को सहायता का आश्वासन दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक आरम्भ किया जायेगा; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए दी जानी वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अपने राज्यों में आपाती चिकित्सा सेवा एवं अभिघात केन्द्रों की स्थापना करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, एक प्रतिष्ठित डाक्टर से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था जिसमें मुम्बई में आपाती चिकित्सा सेवा एवं अभिघात केन्द्र स्थापित करने सहित विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी मसले उठाए गए थे। इस संबंध में इस मंत्रालय में अब तक महाराष्ट्र सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन

577. डा० के० धनराजू : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार देश में, विशेषकर तमिलनाडु में कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है;

(ग) क्या विल्लुपुरम जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु राज्य की 13126 ग्राम पंचायतों सहित देश की 2,30,788 ग्राम पंचायतों को संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। 30.06.2005 की स्थिति के अनुसार 6,07,491 गांवों में से कुल मिलाकर 5,29,377 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं।

(ग) तमिलनाडु के जिला विल्लुपुरम की सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में टेलीफोन सुविधाओं से युक्त ग्राम पंचायतों के दूरसंचार सर्किल-वार ब्यौरा

क्र० सं०	दूरसंचार सर्किल का नाम	टेलीफोन सुविधाओं से युक्त ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	67
2.	आंध्र प्रदेश	18,335
3.	असम	2,319
4.	बिहार	8,471
5.	छत्तीसगढ़	7,929
6.	गुजरात	12,370
7.	हरियाणा	5,992
8.	हिमाचल प्रदेश	3,019
9.	जम्मू-कश्मीर	907
10.	झारखंड	3,322
11.	कर्नाटक	5,692
12.	केरल	1,000
13.	मध्य प्रदेश	19,938
14.	महाराष्ट्र	22,917
15.	पूर्वोत्तर-I	1,784
16.	पूर्वोत्तर-II	3,343
17.	उड़ीसा	5,121
18.	पंजाब	12,687
19.	राजस्थान	8,708
20.	तमिलनाडु	13,126
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	51,262
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	12,831
23.	उत्तरांचल	6,245
24.	पश्चिम बंगाल	3,473
	कुल	2,30,788

जयनकोंडम खनन और विद्युत परियोजना

578. श्री एस०के० खारवेनथन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तमिलनाडु में जयनकोंडम खनन और विद्युत परियोजना पर काम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना से कितना विद्युत उत्पादन होने की आशा है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डा० दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) भारत सरकार के एक उद्यम नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० (एन०एल०सी०) ने स्वयं जयमकोंडम खनन तथा विद्युत परियोजना को शुरू करने के लिए अभिरुचि व्यक्त की है जिसके लिए एन०एल०सी० ने तमिलनाडु सरकार से सहमति मांगी है। तमिलनाडु सरकार से सहमति प्राप्त होने पर, एन०एल०सी० व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू करेगा। इस समय विद्युत उत्पादन के बारे में सूचना देना संभव नहीं है।

गरीबी रेखा की परिभाषा

579. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :**
डा० रामचन्द्र डोम :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री रेनेन बर्मन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु नियत की गई प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंकड़े का निर्धारण करने हेतु किन प्रमुख कारणों पर विचार किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार का विचार इस सीमा को वास्तविक स्तर तक बढ़ाना है ताकि पात्र लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या चीन में गरीबी रेखा को परिभाषित करने का मानदंड एक गृहस्थी द्वारा अपनी आय का 50 प्रतिशत या इससे अधिक भाग भोजन पर खर्च करना है;

(छ) यदि हां, तो इस मानदंड के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी इस श्रेणी के अंतर्गत आती है;

(ज) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात निर्धारित करने के अनुमान से राज्यों की जनसंख्या के सही आंकड़ों का पता चल जाता है;

(झ) यदि नहीं, तो क्या सरकार की इस मामले की जांच हेतु कोई विशेषज्ञ समिति या दल के गठन की कोई योजना है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ट) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) योजना आयोग गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्रतिव्यक्ति आय का नहीं बल्कि प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय का प्रयोग करता है। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) यह आंकड़े निर्धारित करने में जिन प्रमुख कारकों को ध्यान में रखा जाता है वे 'गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान' संबंधी विशेषज्ञ दल (लाकड़ावाला समिति) द्वारा सिफारिश की गई पद्धति पर आधारित हैं। सितम्बर, 1989 में गठित विशेषज्ञ दल ने योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1993 में प्रस्तुत की थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मार्च, 1997 में हुई पूर्ण योजना आयोग की बैठक में विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को लघु संशोधनों सहित स्वीकार किया गया था। उसके बाद से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के अनुमान विशेषज्ञ दल की पद्धति का प्रयोग करते हुए लगाए जाते हैं। प्रतिव्यक्ति उपभोग मानक राष्ट्रीय स्तर पर 1973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी की प्रतिव्यक्ति दैनिक कैलोरी के मानक पर वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट के अनुरूप है। 1999-2000 के मूल्यों पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 327.56 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 454.11 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह है। राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं विशेषज्ञ दल पद्धति के अनुसार राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकों और अन्तर-राज्यीय मूल्य विभेदकों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर की गरीबी रेखाओं से प्राप्त की जाती है।

(ग) से (ङ) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों के निर्धारण के लिए निर्धारित प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय सीमाओं को नियमित रूप से जीवनयापन सूचकांकों की राज्य विशिष्ट लागत अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी०पी०आई०ए०एल०) और शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हुए अद्यतन की जाती हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं। योजना आयोग को गरीबी रेखा परिमापित करने के लिए चीन में प्रयोग में लाए जा रहे मानदण्ड की जानकारी नहीं है। इसके अलावा, परिवारों के संबंध में प्रतिव्यक्ति आय के आंकड़े भी भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) जो परिवार उपभोग व्यय के आंकड़े एकत्र करता है, के पास उपलब्ध नहीं है।

(ज) से (ट) गरीबी के प्रसार के आंकड़े जो योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही जनसंख्या का प्रतिशत है, लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रीय

प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) द्वारा आयोजित किए जाने वाले पारिवारिक उपभोग व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित है और तत्पश्चात् जनगणना आंकड़ों का प्रयोग करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति 'गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान' संबंधी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों, जो 1997 में अपनाई गई थी, पर आधारित है। मौजूदा रूप से इस मामले की जांच हेतु विशेषज्ञ दल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1999-2000 में राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं

(रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह)

क्र०सं०	राज्य	ग्रामीण	शहरी
1.	आन्ध्र प्रदेश	262.94	457.40
2.	असम	365.43	343.99
3.	बिहार	333.07	379.78
4.	गुजरात	318.94	474.41
5.	हरियाणा	362.81	420.20
6.	हिमाचल प्रदेश	367.45	420.20
7.	कर्नाटक	309.59	511.44
8.	केरल	374.79	477.06
9.	मध्य प्रदेश	311.34	481.65
10.	महाराष्ट्र	318.63	539.71
11.	उड़ीसा	323.92	473.12
12.	पंजाब	362.68	388.15
13.	राजस्थान	344.03	465.92
14.	तमिलनाडु	307.64	475.60
15.	उत्तर प्रदेश	336.88	416.29
16.	पश्चिम बंगाल	350.17	409.22
17.	दिल्ली	362.68	505.45
	अखिल भारत#	327.56	454.11

#अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा (निहित) व्यक्तियों के व्यय श्रेणी-वार वितरण और अखिल भारत स्तर पर गरीबी अनुपात से निकाली जाती है। अखिल भारत स्तर पर गरीबी अनुपात राज्य-वार गरीबी अनुपात के भारित औसत से प्राप्त किया जाता है।

आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु संयुक्त फोरम

580. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री ई० पोन्नुस्वामी :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री संतोष गंगवार :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री राजनरायन बुधौलिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, चीन और रूस ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त फोरम बनाया है जैसा कि दिनांक 3 जून, 2005 के 'एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों में आपसी सहयोग करने का निर्णय लिया गया है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे क्या लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या भारत और अमरीका ने अपने आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2003-04, 2004-05 और आज की तारीख तक कितनी राशि का व्यापार हुआ और उसका ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार अमरीका के साथ एक द्विपक्षीय परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ज) उक्त फोरम का भारत-अमरीका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (ग) भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों ने 2 जून, 2005 को ब्लादीवोस्तोक में मुलाकात की और नए खतरों और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग करने पर सहमत हुए। तीनों देश इस बात पर सहमत थे कि आतंकवाद का सुसंगत, सतत और व्यापक तरीके से मुकाबला किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) आर्थिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत और अमरीका ने 1 जून, 2005 को वाशिंगटन डीसी में भारत-अमरीका आर्थिक वार्ता को पुनःपुष्ट करना प्रारंभ किया। भारतीय पक्ष की ओर से योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री मोंटेक सिंह आहूलवालिया और अमरीकी राष्ट्रपति के आर्थिक योजना सहायक तथा नैशनल इकनामिक

काउंसिल के निदेशक अल्तान ह्यबर्ड-दोनों सह-अध्यक्ष, आर्थिक वार्ता (व्यापार, वाणिज्य, वित्त और पर्यावरण) में चार विषयों पर निकट समन्वय जारी रखने पर सहमत हुए। 18-20 जुलाई, 2005 को प्रधानमंत्री की अमरीका की यात्रा के दौरान एक सी०ई०ओ० मंच की स्थापना की गई, ताकि विचार-विमर्श हेतु निजी क्षेत्र की सूचना प्रदान करने के लिए अमरीका के वरिष्ठ सदस्यों और भारत के व्यापारी समुदायों को सम्मिलित किया जाए। इसमें भारत और अमरीका प्रत्येक से 10 सी०ई०ओ० शामिल होंगे। वर्ष, 2004 में वस्तु व्यापार और पण्यों में भारत-अमरीका का कुल व्यापार 21.7 बि० भारत-अमरीकी डालर का था, पिछले वर्षों के आंकड़ों में लगभग 20% की वृद्धि हुई थी। भारत के पक्ष में 9.5 बि० अमरीकी डालर के अतिरिक्त व्यापार सहित भारतीय निर्यात 15.6 बिलियन अमरीकी डालर का था, जबकि भारतीय आयात 6.1 बिलियन अमरीकी डालर थी। यद्यपि वर्ष 2005 की प्रथम तिमाही (जनवरी-मार्च) में अमरीका को भारतीय निर्यात 3.8 बिलियन अरमीकी डालर से बढ़कर 4.3 बिलयन अमीरीकी डालर हो गया अमरीका से भारत को निर्यात 1.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 1.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) ऊपर (क), (ख) और (ग) में बताए गए त्रिपक्षीय सहयोग में किसी देश को लक्ष्य रखकर नहीं बनाए गए है, और इसलिए, अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा।

[हिन्दी]

कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड को खनन की अनुमति देना

581. **श्री हंसराज जी० अहीर :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड को पश्चिमी कोयला क्षेत्रों की नई खानों में से कोयला निकालने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम कोयला क्षेत्रों के सन्निकट उद्योगों और विद्युतउ संयंत्रों को कोयला आपूर्ति करने में असमर्थ रहने के बावजूद कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड को कोयला खान देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को लघु उद्योगों और पश्चिमी कोयला क्षेत्रों के विद्युत संयंत्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) सरकार ने मैसर्स कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि० को कोयला ब्लॉक आबंटित किए हैं जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रचालन क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।

(ख) और (ग) जो ब्लॉक गृहीत खनन हेतु निजी/सार्वजनिक क्षेत्र को आबंटित किए जाने के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं, उन्हें विद्युत उत्पादन, लोहा और इस्पात उत्पादन तथा सीमेंट उत्पादन हेतु कोयले के गृहीत खनन के लिए आवेदकों को आबंटित किए जाने पर विचार किया जाता है। ऐसे ब्लॉक सी०आई०एल० क्षेत्र के बाहर हैं और वे कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी सहायक कम्पनियों के उत्पादन कार्यक्रम और भावी योजनाओं में शामिल नहीं हैं। बारन्ज-I से IV, किलोनी और मनोरा दीप के कोयला ब्लॉक, जो गृहीत खनन हेतु निर्दिष्ट कोयला ब्लॉकों की सूची में शामिल हैं, उन्हें कर्नाटक पावर कारपोरेशन को अपने विद्युत संयंत्र में गृहीत उपयोग के लिए कोयला खनन हेतु आबंटित किया गया है। चूंकि ये ब्लॉक डब्ल्यू०सी०एल० के उत्पादन कार्यक्रम का एक भाग नहीं थे, अतः डब्ल्यू०सी०एल० के लघु उद्योगों और विद्युत संयंत्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) ऊपर भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात

582. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
श्री पी० मोहन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं संतोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या के संबंध में चिकित्सकों का अनुपात कितना है;

(ग) सरकार द्वारा चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) विश्व के किस देश में चिकित्सक-जनसंख्या का अनुपात उच्चतम है;

(ङ) क्या सरकार के पास होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी और आयुर्वेद इत्यादि जैसी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली को विकसित करने संबंधी कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान चिकित्सकों और पैरा मेडिक्स के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् के अनुसार इस समय एलोपैथिक डाक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:1722 बैठता है। इसके अलावा, देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के 6 लाख से अधिक चिकित्सा व्यवसायी हैं। इन सारी संख्याओं को एक साथ मिलाकर डाक्टर-जनसंख्या अनुपात 128 डाक्टर प्रति लाख जनसंख्या (1:781) बैठता है। 27,000 छात्रों से अधिक की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले 241 मेडिकल कालेज हैं। यद्यपि, उपलब्ध डाक्टरों की कुल संख्या में कोई कमी नहीं है, फिर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डाक्टरों की उपलब्धता में असन्तुलन है।

(घ) कुछ विकसित/विकासशील देशों की प्रति लाख जनसंख्या पर फिजीशियनों की उपलब्धता (विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट, 1998 के अनुसार) इस प्रकार है :—

देश	प्रति लाख जनसंख्या पर फिजीशियनों की संख्या
आस्ट्रिया	240 (1998)
बेलारूस	443 (1998)
बैल्जियम	395 (1998)
फ्रांस	303 (1997)
जार्जिया	436 (1998)
जर्मनी	350 (1998)
ग्रीस	392 (1995)
लिथुआनिया	395 (1998)
यू०के०	164 (1993)
यू०एस०ए०	179 (1995)

(ङ) से (छ) जी, हां। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में सुधार करने के लिए आयुष विभाग तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् संस्थाओं का विकास, औषध गुणवत्ता नियंत्रण और अस्पताल तथा औषधालय कार्यान्वित कर रहा है जिनके अधीन देश में राज्यों को इन पद्धतियों के विकास के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ज) से (झ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में अन्य बातों के साथ-साथ कमी वाले क्षेत्रों में नए आधारभूत ढांचे की स्थापना करके और मौजूदा संस्थाओं में निवेशों में वृद्धि कर के आधारभूत ढांचे को अपग्रेड करके विकेन्द्रीकृत जन स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंच में वृद्धि करने की बात सोची गई। सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5.2 प्रतिशत से बढ़ा कर 6.0 प्रतिशत करने की योजना है जिनमें इसके अंशदान को 0.9 प्रतिशत से बढ़ा कर 2010 तक 2.00 प्रतिशत करना है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनकि निवेश को बढ़ाने की बात सोची गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने से सामान्य तौर पर चिकित्सीय, परा चिकित्सीय तथा तकनीकी कार्मिकों के लिए नौकरी के अतिरिक्त अवसरों का सृजन होगा।

[अनुवाद]

एड्स के टीके के विकास हेतु वित्तीय सहायता

503. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
श्री जी०वी० हर्षकुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वयं सेवकों पर एच०आई०वी०/एड्स के बचाव के टीके का परीक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिक्षण से होने वाले जोखिम का ब्यौरा क्या है और इसके प्रति क्या ऐहतियात बरता जाता है;

(ग) क्या सरकार एड्स के टीके का विकास कर रहे संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस टीके के जानवरों पर किए गए परीक्षण के परिणामों और दुष्प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एन०ए०आर०आई०) पुणे में 7 फरवरी, 2005 को एडिनो-संबद्ध विषाणु आधारित वैक्सीन का चरण-1 का परीक्षण किया गया है। वैक्सीन संबंधी संभाव्य खतरे इस प्रकार हैं :—

(i) हालांकि ऐसी संभावना नहीं होती है परन्तु वाइल्ड टाइप ए०ए०वी० से संपूर्ण वैक्सीन प्रतिकृति हो सकती है।

(ii) स्वयंसेवी को सुरक्षा की झूठी भावना की अनुभूति हो सकती है तथा वह जोखिम संबंधी आचरण में संलिप्त हो सकता है।

(iii) दर्द, सूजन और लालपन होने जैसे स्थानिक विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं।

(iv) हल्का ज्वर, शीत (चिल्स)-शीरोवेदना, मचली, उल्टी जैसे क्रमबद्ध विपरीत प्रभाव पड़ भी सकते हैं अथवा नहीं भी। अनपेक्षित विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना होती है हालांकि यह असंभावित होता है।

(v) यदि स्वयंसेवी संचरण के किसी अन्य तरीके से एच०आई०वी० से ग्रस्त हो तो वैक्सीन से एच०आई०वी० संक्रमण की रोकथाम नहीं हो सकती।

सामान्यत: वैक्सीन बहुत अच्छी है तथा अध्ययन उत्पाद संबंधी कोई भी प्रतिकूल घटना अभी तक नहीं देखी गई है। एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा बोर्ड ने डाटा की समीक्षा की है और मध्यम खुराक समूह के लिए पंजीकरण की स्वीकृति दे दी है।

ए०ए०वी० वैक्सनी, जो 'सी' क्लेड पर आधारित है, की बेल्जियम और जर्मनी में चरण-I परीक्षण में प्रयुक्त खुराक के साथ अत्युत्तम सुरक्षा रूपरेखा है। भारत में विनियामक तथा सामाजिक समितियों द्वारा इस डाटा की अन्य परीक्षण स्थलों पर गहन जांच के पश्चात् ही चरण-I परीक्षण की स्वीकृत दी गई थी।

जर्मनी और बेल्जियम के एफ०डी०ए० द्वारा पहले ही चरण-I परीक्षण हेतु इस वैक्सीन को स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारत सरकार ने आई०ए०वी०आई० एवं आई०सी०एम०आर० के साथ वैक्सीन के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का वित्तपोषण इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनीशिएटिव (आई०ए०वी०आई०) द्वारा किया जाता है। तथापि, संस्थान की प्रयोगशाला तथा स्टाफ का प्रयोग किया जा रहा है।

(च) विषालुता शक्ति, स्थानिक सहनशीलता का आकलन करने के लिए खरगोशों में अध्ययन किए गए हैं। सुरक्षा के मानदंडों में रुग्णता दर तथा मृत्यु दर, नैदानिक अवलोकन, शारीरिक लम्बाई, खाद्य उपभोग, नेत्र जांच, हेमाटोलोजी, रक्त रसायन विज्ञान, यूरिनलाइसिस, पूरी शव-परीक्षा, अंगों का भार, हिस्टो-पैथोलोजी और वैक्सीन डी०एन०ए० का जैव-वितरण शामिल है। किसी भी सुरक्षा मानदंड में परीक्षित वैक्सीन से संबंधित कोई भी खुराक-निर्भरता, नैदानिक रूप से प्रतिकूल महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं थीं तथा वैक्सीन 180 दिनों तक सभी खुराक स्तरों तथा समय पर काफी सहनशील थी। इस परीक्षाधीन वैक्सीन की सुरक्षा के लिए चूहों तथा बंदरों जैसे अन्य जानवरों पर परीक्षण किया गया और जानवरों में कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया।

एन०ए०आर०आई० वैज्ञानिक सलाहकार समिति, डी०सी०जी०आई० और जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी०ई०एसी०) ने जानवरों पर इस वैक्सीन की विषालुता/प्रतिकूल प्रभाव की समीक्षा की है। यह सुनिश्चित होने के बाद कि वैक्सीन के मानव पर कोई संभाव्य खतरे नहीं हैं, सामान्य स्वस्थ स्वयंसेवियों में चरण-I परीक्षण की स्वीकृति दी गई है।

विभिन्न कोटि के कोयले की कीमत

584. श्री जुएल ओराम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोटि के कोयले की कीमत में कितनी बार वृद्धि की गई और हरेक बार उक्त कीमत में वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने कोयले की कीमत को नियंत्रित करने का कोई प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के मूल्य में वृद्धि का ब्यौरा, कारणों सहित, नीचे दिया गया है :—

मूल्य वृद्धि की तारीख	इस कोयला कम्पनी का नाम जहां मूल्य वृद्धि लागू हुई	मूल्य वृद्धि में शामिल कोयले के ग्रेड	मूल्य वृद्धि के कारण
1	2	3	4
18.8.2002	ई०सी०एल० (केवल रानीगंज कोलफील्ड)	सभी ग्रेड	पिछली मूल्य वृद्धि 1.2.2001 से हुई पिछली मूल्य वृद्धि से अब तक के आदानों की लागत में वृद्धि की पूर्ति करने के लिए।
	बी०सी०सी०एल०, सी०सी०एल०, डब्ल्यू०सी०एल०, तथा एस०ई०सी०एल०	बी०सी०सी०एल० के लांग फ्लेम वाले कोयले को छोड़कर सभी ग्रेड	
16.5.2003	बी०सी०सी०एल	केवल लांग फ्लेम वाला कोयला	

1	2	3	4
1.10.2003	एन०सी०एल०	सभी ग्रेड	
16.6.2004	सभी सहायक कम्पनियां	सभी ग्रेड	1. आदानों की लागत में हुई वृद्धि की पूर्ति करने के लिए। 2. मांग की आपूर्ति के बीच सदैव बढ़ते हुए अन्तर को पाटने के लिए उभरती हुई परियोजनाओं के लिए और मौजूदा खानों के आधुनिकीकरण के लिए निवेश के संसाधन जुटाना।

(ख) और (ग) कोलियरी नियंत्रण आदेश 2000, के प्रवर्तन से दिनांक, 1.1.2000 से कोयला मूल्य निर्धारण को पूर्णत: विनियंत्रित कर दिया गया है। चूंकि कोयला मूल्य निर्धारण को विनियंत्रित कर दिया गया है, इसलिए कोयला कम्पनियां अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से कोयले के मूल्य का निर्धारण कर रही हैं।

सम्पूर्ण चिकित्सा उपचार

585. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने हेतु पाश्चात्य और भारतीय पद्धति तथा योग के सम्मिश्रण वाली चिकित्सीय शिक्षा प्रदान करने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू और विदेशी मांगों को पूरा करने हेतु बड़े पैमाने पर जड़ी-बूटी की खेती करने की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सरकार ने आयुष विभाग की तर्ज पर आयुर्वेद, होमियोपैथी, यूनानी, सिद्ध और योग के मूल सिद्धान्तों और धारणाओं को एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम की विषयसूची में शामिल करने के मामले पर विचार करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् से कहा है। भारत के सभी मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों से इस मामले पर विचार-विमर्श करने के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में आयुष के मूल सिद्धान्तों और धारणाओं को शामिल करने से एम०बी०बी०एस० के विद्यार्थियों को इस चिकित्सा प्रणाली की अपर्याप्त जानकारी मात्र ही मिल पाएगी जिसका दुरुपयोग एलोपैथी के डाक्टरों द्वारा किया जाएगा और इसलिए प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की। तथापि, इस मामले को पुन: भारतीय चिकित्सा परिषद को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल की सिफारिश पर भारत सरकार ने वर्ष 2000 में नेशनल मेडीसिनल प्लांट्स बोर्ड (एन०एम०पी०बी०) का गठन किया है। एन०एम०पी०बी० द्वारा देशभर में चिकित्सकीय पौधों की खेती के लिए गत चार वर्षों के दौरान कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। अब तक 27 राज्यों और 5 संघ शासित राज्यों में 32 स्टेट मेडिसिनल बोर्ड स्थापित किए जा चुके हैं। बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय पौधों की खेती के लिए 30% सब्सिडी दी जाती है। घरेलू और बाह्य जरूरतों को पूरा करने और हर्बल दवाओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गयी है।

सर्व स्वास्थ्य अभियान

586. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 500 करोड़ रुपये की राशि से जनस्वास्थ्य विकास प्राधिकरण की स्थापना करने और स्वास्थ्य देखभाल को सर्वसुलभ बनाने हेतु 'सर्व स्वास्थ्य अभियान' शुरू करने सहित कई उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्यावधि मूल्यांकन में योजना पैनल ने बताया है कि उक्त प्राधिकरण इस राशि का प्रयोग जन स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की क्षमता का विस्तार करने और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का विकास करने हेतु करेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, हां। योजना आयोग ने अपने मध्यकालिक मूल्यांकन में अन्य बातों के साथ-साथ 500 करोड़ रुपए के संग्रह के साथ एक जन स्वास्थ्य विकास प्राधिकरण

(पी०एच०डी०ए०) के गठन की सिफारिश सहित स्वास्थ्य परिचर्या में गुणवत्ता आश्वासन के लिए मानक स्थापित करने; राष्ट्रीय प्रेक्टिस दिशानिर्देश और उपभोक्ता सूचना विकसित करने और इसके प्रचार प्रसार; व्यावसायिक परिषदों के सुधार; जन स्वास्थ्य में क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के विकास की सिफारिश की है। उन्होंने 2001 में शुरू किए गए "सर्व शिक्षा अभियान" की सदृश तर्ज पर "सर्व स्वास्थ्य अभियान" शुरू करने की भी सिफारिश की है। योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि डब्ल्यू०बी०, आई०डी०ए० ऋण प्राप्त करके संशोधनों को बढ़ाया जाए जैसा कि "सर्व शिक्षा अभियान" के लिए किया जाता है। 11वीं योजना के दौरान इन कार्यकलापों के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित सुधार

587. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्री सी०के० चन्द्रप्पन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के विशेष दूत मि० शेरिन ताहिर खीली, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और लोकतंत्रीकरण सहित संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर अमरीका की स्थिति स्पष्ट करने का काम सौंपा गया था, ने इस वर्ष मई में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो मि० ताहिर द्वारा प्रस्तुत तथा स्पष्टत: उल्लेखित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारत तथा कुछ अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित सुधारों पर एक प्रारूप संकल्प परिचालित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। मई 2005 में सुश्री सीरीन ताहिर खेली ने नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सुधार सहित संयुक्त राष्ट्र सुधारों से संबंधित व्यापक मामलों पर विचार-विमर्श किया। इससे इन मामलों पर आपसी विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्राप्त हुआ।

(घ) भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जिन्हें अब ग्रुप चार का देश कहा जाता है, ने 11 जुलाई 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सुधार पर एक संकल्प पेश किया। जी-4 संकल्प में 6 नए स्थायी सदस्यों और 4 नए अस्थायी सदस्यों को शामिल कर मौजूदा 15 की संख्या को 25 तक बढ़ाने की बात कही गई है। जी-4 का प्रस्ताव की सुधार प्रक्रिया तीन चरणों में की जाए जिनमें संकल्प की रूपरेखा पर निर्णय, महासभा में नए स्थायी सदस्यों का चुनाव और बाद में नए स्थायी सदस्यों के पदनामित होने के बाद चार्टर के संशोधन के लिए संकल्प का पारित किया जाना शामिल है।

जी-4 संकल्प के लिए धीरे-धीरे समर्थन बढ़ रहा है जिसमें 31 देशों का सह-प्रायोजन है। इस विषय पर न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श चल रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आई०ए०एस० काडर पदों की बढ़ती संख्या

588. श्री ब्रजेश पाठक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आई०ए०एस० काडर पदों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अनुरोध को मान लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने वरिष्ठ ड्यूटी पदों को 253 से बढ़ाकर 301 करने तथा कुल प्राधिकृत संवर्ग संख्या को 467 से बढ़ा कर 555 किए जाने का अनुरोध किया है।

(ग) से (ङ) यह मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

589. श्री डी०वी० सदानन्द गौडा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जिलेवार कितने डाकघर/उप-डाकघर हैं;

(ख) कितने डाकघरों/उप-डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है;

(ग) क्या राज्य भर में प्रधान डाकघरों, डाकघरों, उप-डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) कर्नाटक राज्य में 60 प्रधान डाकघर और 1771 उप-डाकघर हैं। प्रधान डाकघरों और उप-डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अभी तक कर्नाटक में सभी 60 प्रधान डाकघर और 337 महत्वपूर्ण उप-डाकघर कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कर्नाटक सहित देश के सभी महत्वपूर्ण डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने की एक अनुमोदित योजना है। इस योजना में राज्य के सभी 60 प्रधान डाकघरों और दो से अधिक सार्वजनिक काउंटरों वाले 436 महत्वपूर्ण उप-डाकघरों का कम्प्यूटीकरण करना शामिल है। अभी तक सभी जिलों को कवर करते हुए 60 प्रधान डाकघरों और 337 उप-डाकघरों में कम्प्यूटर प्रदान किए जा चुके हैं। दसवीं योजना की शेष अवधि में 99 उप-डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण की योजना है।

विवरण

कर्नाटक में प्रधान डाकघर और उप-डाकघरों की जिलावार संख्या

जिले का नाम	प्रधान डाकघरों की संख्या	उप-डाकघरों की संख्या	कुल
1	2	3	4
बागलकोट	2	45	47
बेंगलूर शहर	7	242	249
बेंगलूर ग्रामीण	1	39	40
बेलगांव	6	136	142
बेल्लारी	2	71	73
बीदर	1	32	33
बीजापुर	2	54	56
चामराजनगर	1	32	33
चिकमंगलूर	2	58	60
चित्रदुर्ग	1	40	41
दक्षिण कन्नड़	4	124	128
धारवाड़	2	64	66
दावनगेरे	1	42	43
गडग	1	28	29
गुलबर्गा	2	71	73
हासन	2	61	63
हावेरी	1	33	34
कोडगु	1	25	26
कोलार	2	63	65
मंड्या	2	54	56
मैसूर	3	73	76
रायचूर	1	38	39
कोप्पल	1	29	30
शिमोगा	3	85	88
टुमकूर	2	78	80
उडुपी	4	63	67
उत्तर कन्नड़	3	91	94
कुल	60	1771	1831

के०बी०के० जिलों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

590. **श्री परसुराम माझी :**
श्री गिरिधर गमांग :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के के०बी०के० जिलों में अधिकांश केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के विफल होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके कारणों का पता लगाने हेतु मध्यावधि समीक्षा करने का है;

(ग) दसवीं योजना में 2005-06 तक विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत किए गए राशि आबंटन और योजनावार प्रयुक्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) के०बी०के० जिलों में रहने वाले लोगों के किन क्षेत्रों में विकासात्मक लाभ हुए हैं और इससे इन जिलों में लोग किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) योजनाओं की समीक्षा करने और उसकी प्रगति की निगरानी करने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) और (ख) के०बी०के० जिलों में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन एक जारी रहने वाला विकास प्रयास है। इन स्कीमों का क्रियान्वयन विभिन्न राज्य स्तर अधिकारियों द्वारा तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, याचिकाओं संबंधी राज्य सभा समिति और योजना आयोग द्वारा भी मानीटर किया जाता है और स्कीमों को अधिक प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार को उपयुक्त मध्यावधिक निर्देश दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) 2005-06 के दौरान के०बी०के० जिलों के विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन और उपयोग की गई राशि संलग्न विवरण-I से IV में दी गई हैं। इन विवरणों में कुछ स्कीमों के लाभों की सीमा भी इंगित की गई है।

(ङ) के०बी०के० जिलों के लिए संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना (आर०एल०टी०ए०पी०) का कार्यान्वयन और इन जिलों में अन्य विकासात्मक गतिविधियों को मानीटर करने व समीक्षा करने के लिए मार्च, 2000 में मुख्य मंत्री, उड़ीसा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति की जनवरी, 2005 में पुनर्गठित किया गया है।

विवरण-I

के०बी०के० जिलों के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन और उपयोग की गई राशि 2002-2003

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	क्षेत्रक/स्कीम	आबंटन	उपयोग की गई राशि	प्राप्त लाभ
1	2	3	4	5
I-कृषि				
1.	कार्य योजना	1.63	1.56	
2.	ओ०पी०पी०	1.59	0.82	12 कृषकों का प्रशिक्षण एवं 9056 क्विंटल प्रमाणित बीज
3.	आई०सी०डी०पी० रुई	0.79	0.75	446 क्षेत्र प्रेरक, 42 कृषक प्रशिक्षण, 1654 हाथ छिड़काव यंत्र
4.	ए०एम०डी०पी०	0.01	0.01	30 क्षेत्र प्रेरक, 4 कृषक प्रशिक्षण
	कुल कृषि	4.02	3.14	
II-बागवानी				
1.	कार्य योजना	17.40	1.45	फल पौधा रोपण-1248.5 हेक्टे० पुष्पकृति प्रेरक-115 सं० मसाले प्रेरक-2569 सं० छिड़काव यंत्रों का विरतण-829 सं० क्यू०पी०एम० का उत्पादन-190262 सं० वेजिटेबल लघु किटों का वितरण-41,200 सं० टपक सिंचाई-4080 हेक्टे० छिड़काव सिंचाई-29 हेक्टे०
	कुल बागवानी	17.40	1.45	

1	2	3	4	5
III-जल विभाजक विकास				
1.	एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०	3.06	1.26	59 डब्ल्यू०/एस० में 3510 हेक्टे०
2.	आर०वी०पी०	0.38	0.38	8 डब्ल्यू०/एस० में 1907 हेक्टे०
3.	डी०पी०ए०पी०	16.93	8.37	17,809 हेक्टे०
4.	आई०डब्ल्यू०डी०पी०	7.48	5.03	12,104 हेक्टे०
	कुल जल विभाजक विकास	27.85	15.04	
IV-वन रोपण				
1.	एकीकृत वन रोपण एवं पर्यावरण विकास परियोजना	0.10	0.01	10,445 हेक्टे० पौधा रोपण का रख-रखाव
2.	गैर टिंबर वन उत्पाद	0.00	0.00	
3.	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन एवं चारा परियोजना	0.94	0.36	11061 हेक्टे.. पौधा रोपण का रख-रखाव
4.	घटते हुए वनों के पुर्नवास में आदिवासी एवं ग्रामीण गरीबों का सहयोग	0.00	0.00	
	कुल वन रोपण	1.04	0.37	
V-गरीबी उपशमन व सामाजिक सुरक्षा				
1.	आई०ए०वाई०	15.29	16.08	11,131 मकानों का निर्माण किया
	आई०ए०वाई० (अद्यतन)	5.72	5.36	6224 मकानों का अद्यतन किया
2.	एस०जी०एस०वाई०	14.20	13.86	11,063 स्वरोजगारी
3.	ई०ए०एस० (एस०जी०आर०वाई० शाखा 1)	57.91	51.76	95.79 लाख मानव दिवस
4.	जे०जी०एस०वाई० (एस०जी०आर०वाई०) शाखा 2)	54.26	49.86	110.72 लाख मानव दिवस
5.	एन०ओ०ए०पी०एस०	14.38	18.47	2,16,807 लाभभोगी
6.	एन०एफ०बी०एस०	1.25	0.79	808 लाभकारी
	कुल गरीबी उपशमन एवं सामाजिक सुरक्षा	163.01	156.18	
VI- स्वास्थ्य				
1.	क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.61	0.06	8,985 मरीजों को उपचारित किया
2.	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	1.13	0.40	2,29,523 मरीजों की उपचारित किया 13,18,190 रक्त स्लाइडों की जांच की गई
	कुल स्वास्थ्य	1.74	0.46	

1	2	3	4	5
VII-पेय जल का प्रावधान				
1.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०)	10.54	10.54	1522 नलकूपों, 80 स्वास्थ्य कूपों एवं 15 पी०डब्ल्यू०एस०
2.	प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी०एम० जी०वाई०	2.59	2.59	835 नलकूपों, 80 स्वास्थ्य कूपों एवं 5 पी०डब्ल्यू०
	कुल पेय जल का प्रावधान	13.13	13.13	
VIII-ग्रामीण संपर्कता				
1.	ग्रामीण संपर्कता (पी०एम०जी०एस०वाई०)	82.694	45.72	चालू 135 सड़कों में से 19 सड़कें पूर्ण की गई
	कुल ग्रामीण संपर्कता	82.64	45.72	
IX- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण				
1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नए अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण	0.15	0.10	2 छात्रावासों का निर्माण प्रगति पर
	कुल अनुसूचिज जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण	0.15	0.10	
	कुल योग	310.98	235.59	

विवरण-II

के०बी०के० जिलों के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन और उपयोग की गई राशि 2003-2004

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	क्षेत्रक/स्कीम	आबंटन	उपयोग की गई राशि	प्राप्त लाभ
1	2	3	4	5
I-कृषि				
1.	चावल विकास	1.19	1.19	बीज वितरण-24000 क्विंटल उर्जा जोतक-200
2.	ओ०पी०पी०	0.64	0.64	
3.	आई०सी०डी०पी० कॉटन	0.42	0.42	प्रेरक-274, प्रशिक्षण-45, छिरकाव यंत्रों का वितरण-2090
4.	एन०पी०डी०पी०	0.13	0.13	
	कुल-कृषि	2.38	2.38	

1	2	3	4	5
II-बागवानी				
1.	कार्य योजना	2.25	2.25	
	कुल-बागवानी	2.25	2.25	
III-जल विभाजक विकास				
1.	एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०	2.00	2.00	4443 हेक्टे०
2.	आर०वी०पी०	0.03	0.03	369 हेक्टे०
3.	डी०पी०ए०पी०	9.85	9.85	14,786 हेक्टे०
4.	आई०डब्ल्यू०डी०पी०	8.08	8.08	13,055 हेक्टे०
	कुल जल विभाजक विकास	19.96	19.96	
IV-वन रोपण				
1.	एफ०डी०ए० के जरिए राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम	3.55	2.93	3,887 हेक्टे० का पौधा रोपण
	कुल-वन रोपण	3.55	2.93	
V-गरीबी उपमशन एवं सामाजिक सुरक्षा				
1.	आई०ए०वाई०	31.70	29.90	13,706 मकानों का निर्माण किया
	आई०ए०वाई० (अद्यतन)	2.56	2.69	2,749 मकानों का निर्माण किया
2.	एस०जी०एस०वाई०	17.36	18.00	13,640 स्वरोजगारी
3.	एस०जी०आर०वाई०-शाखा-1	63.50	60.50	101.17 लाख मानव दिवस
4.	एस०जी०आर०वाई०-शाखा-2	64.74	61.07	98.23 लाख मानव दिवस
5.	एन०ओ०ए०पी०एस०	20.91	21.89	2,16,984 लाभ भोगी
6.	एन०एफ०बी०एस०	0.27	0.27	342 लाभ भोगी
	कुल-गरीबी उपशमन एवं सामाजिक सुरक्षा	201.04	194.32	
VI-स्वास्थ्य				
1.	क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.16	0.65	
2.	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	10.83	14.43	
3.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	3.07	3.25	
4.	राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम	0.27	0.25	
	कुल-स्वास्थ्य	14.78	18.58	

1	2	3	4	5
VII-पेय जल का प्रावधान				
1.	त्वरित ग्रामीण जलआपूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०)	9.77	9.77	
2.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी०एम० जी०एस०वाई०)	8.31	3.66	
	कुल-पेय जल का प्रावधान	18.08	13.43	
VIII-ग्रामीण संपर्कता				
1.	ग्रमीण संपर्कता (पी०एम०जी०एस०वाई०)	118.14	118.14	
	कुल ग्रामीण संपर्कता	118.14	118.14	
IX-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण				
1.	अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति	0.02	0.02	
2.	विशेष कोपोनेन्ट योजना को एस०सी०ए०	4.67	3.93	
3.	एन०एस०एल०आर०एस०	0.51	0.19	
4.	एन०एस०एफ०डी०सी० उच्च लागत स्कीम	0.35	0.35	
	कुल-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण	5.55	4.49	
	कुल योग	385.73	376.48	

विवरण-III

के०बी०के० जिलों के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन और उपयोग की गई राशि 2004-2005

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	क्षेत्रक/स्कीम	आबंटन	उपयोग की गई राशि	प्राप्त लाभ
1	2	3	4	5
I-कृषि				
1.	चावल विकास	0.82	0.82	बीज-24042 क्विंटल
2.	ओ०पी०पी०	2.46	2.46	
3.	आई०सी०डी०पी० कॉटन	1.23	1.23	प्रेरक-347, प्रशिक्षण-82, छिड़काव यंत्रों का वितरण-1179

1	2	3	4	5
4.	एन०पी०डी०पी०	0.73	0.73	
	कुल-कृषि	5.24	5.24	
II-बागवानी				
1.	कार्य योजना	2.59	2.59	
	कुल-बागवानी	2.59	2.59	
III-जल विभाजक विकास				
1.	एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०	2.00	2.00	4,443 हेक्टे०
2.	आर०वी०पी०	0.03	0.03	369 हेक्टे०
3.	डी०पी०ए०पी०	9.85	9.85	14,786 हेक्टे०
4.	आई०डब्ल्यू०डी०पी०	8.08	8.08	13,055 हेक्टे०
	कुल जल विभाजक विकास	19.96	19.96	
IV-वन रोपण				
1.	एफ०डी०ए० के जरिए राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम	1.03	1.03	2099 हेक्टे० का पौधा रोपण
	कुल-वन रोपण	1.03	1.03	
V-गरीबी उपमशन एवं सामाजिक सुरक्षा				
1.	आई०ए०वाई०	50.89	46.85	15,858 मकानों का निर्माण किया
2.	एस०जी०एस०वाई०	19.39	20.62	15,899 स्वरोजगारी
3.	एस०जी०आर०वाई०	118.46	109.69	171.47 लाख मानव दिवस
4.	एन०ओ०ए०पी०एस०	25.45	25.25	2,16,984 लाभकारी
5.	एन०एफ०बी०एस०	0.59	0.55	557 लाभकारी
	कुल-गरीबी उपशमन एवं सामाजिक सुरक्षा	214.78	202.96	
VI-स्वास्थ्य				
1.	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	4.93	4.93	
2.	राष्ट्रीय फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	0.26	0.26	
3.	राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	0.33	0.31	
	कुल-स्वास्थ्य	5.52	5.50	

1	2	3	4	5
VII-पेय जल का प्रावधान				
1.	त्वरित ग्रामीण जलआपूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०)	5.17	5.17	
	कुल-पेय जल का प्रावधान	5.17	5.17	
VIII-ग्रामीण संपर्कता				
1.	ग्रमीण संपर्कता (पी०एम०जी०एस०वाई०)	35.29	35.29	
	कुल ग्रामीण संपर्कता	35.29	35.29	
IX-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण				
1.	अनुसूचित जाति छात्रों की प्रतीभा का अद्यतन	0.02	0.02	
2.	विशेष कोपोनेन्ट योजना को एस०सी०ए०	3.25	3.25	
3.	एन०एस०एल०आर०एस०	0.26	0.26	
4.	अल्प वित्त	0.50	0.50	
	कुल-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण	4.03	4.03	
	कुल योग	293.61	281.77	

विवरण-IV

के०बी०के० जिलों के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन और उपयोग की गई राशि 2004-2005

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	क्षेत्रक/स्कीम	परिलक्षित आबंटन (करोड़ रुपये में)
1	2	3
I-कृषि		
1.	चावल विकास	0.99
2.	ओ०पी०पी०	1.86
3.	आई०सी०डी०पी० कॉटन	0.93
4.	एन०पी०डी०पी०	0.79
	कुल-कृषि	4.57
II-बागवानी		
1.	कार्य योजना	30.00
	कुल-बागवानी	30.00
III-जल विभाजक विकास		
1.	एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०	1.44
2.	आर०वी०पी०	0.00
3.	डी०पी०ए०पी०	15.00
4.	आई०डब्ल्यू०डी०पी०	11.00
	कुल जल विभाजक विकास	27.44
IV-वन रोपण		
1.	एफ०डी०ए० के जरिए राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम	2.58
	कुल-वन रोपण	2.58

1	2	3
V-गरीबी उपमशन एवं सामाजिक सुरक्षा		
1.	आई०ए०वाई०	49.28
2.	एस०जी०एस०वाई०	19.54
3.	एस०जी०आर०वाई०-शाखा	111.58
4.	एन०ओ०ए०पी०एस०	11.69
5.	एन०एफ०बी०एस०	0.59
	कुल-गरीबी उपशमन एवं सामाजिक सुरक्षा	192.68
VI-स्वास्थ्य		
1.	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	0.10
2.	राष्ट्रीय फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	0.26
3.	राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	0.31
	कुल-स्वास्थ्य	0.67
VII-पेय जल का प्रावधान		
1.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०)	15.00
2.	स्वजलधारा	4.00
	कुल-पेय जल का प्रावधान	19.00
VIII-ग्रामीण संपर्कता		
1.	ग्रमीण संपर्कता (पी०एम०जी०एस०वाई०)	238.41
	कुल ग्रामीण संपर्कता	238.41
IX-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण		
1.	अनुसूचित जाति छात्रों की प्रतीभा का अद्यतन	0.02
2.	विशेष कोपोनेन्ट योजना को एस०सी०ए०	0.66
3.	एन०एस०एल०आर०एस०	0.57
4.	एन०एस०एफ०डी०सी० उच्च लागत स्कीम	6.40
	कुल-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण	13.65
	कुल योग	529.00

आंध्र प्रदेश हेतु समुद्री परियोजनाएं

591. डा० एम० जगन्नाथ : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में विभिन्न समुद्री परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति के साथ-साथ वित्तीय सहायता की भी मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यक स्वीकृति के कब तक दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) पत्तनों, वाणिज्य-पोत-परिवहन और अंतर्देशीय जल-परिवहन से युक्त समुद्री क्षेत्र के बारे में एक नीति और राष्ट्रीय समुद्री विकास-कार्यक्रम तैयार करने की दृष्टि से आरंभ की गई क़वायद के परिप्रेक्ष्य में, आंध्र प्रदेश-सरकार ने, उत्तरी तटवर्ती के आंध्र प्रदेश के साथ-साथ राष्ट्रीय समुद्री जलमार्ग स्थापित किए जाने से जुड़े पत्तनों/गोदामों की तटीय तथा समुद्री अवसरंचना के विकास और तटीय एवं समुद्री अवसंरचना के सम्पूरक विकास और अंतर समुद्री संगठन के समझौते के अनुसरण के बारे में एक प्रस्ताव, केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त परियोजना के घटकों में 10 स्थानों पर नए पत्तनों का विकास और उनकी स्थापना, लदान के 04 ढांचों का विकास तथा निर्माण, मौजूदा लघु पत्तनों में, संभार-तंत्र में और भंडारण में सुधार, पोत-मरम्मत सुविधा जैसी उप-परियोजनाएं, मत्स्य लैंडिंग और मत्स्य-पालन से संबंधित अवंसरचना, तेल-रिसाव-अनुक्रिया एकक, पोत-तोड़ने का यार्ड, तटीय पर्यटन और मनोरंजन से संबंधित अवसंरचना, शरण के लिए छत से ढका जल और पत्तन तथा विस्तृत परियोजना-रिपोर्टें भी तैयार किया जाना शामिल है। आंध्र प्रदेश-सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमान के अनुसार उपर्युक्त परियोजना पर कुल 6050 करोड़ रु० का खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से 1353.63 करोड़ रु० की धनराशि गैर सरकारी क्षेत्र से प्रस्तावित है और दो वर्षों के कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए केन्द्र-सरकार से 4699 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता मांगी गई है।

(ग) जबकि लघु पत्तनों के विकास/उन्नयन का उत्तरदायित्व, संबंधित राज्य-सरकार का है, निरन्तर चलती रहने वाली ऐसी कोई भी योजना नहीं है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश-सरकार द्वारा उपर्युक्त परियोजना के लिए मांगी गई केन्द्रीय सरकारी वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जा सके।

[हिन्दी]

नीम आधारित गर्भ-निरोधक

592. मो० मुकीम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०आर०डी०ओ० ने नीम आधारित गर्भ-निरोधक का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त गर्भ-निरोधक के कब तक बाजार में उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। डी०आई०पी०ए०एस०, डी०आर०डी०ओ० द्वारा नीम पर आधारित शुक्राणुनाशी औषध तैयार करने की दो प्रक्रियाएं विकसित की गयी हैं।

(ख) नीम आधारित शुक्राणुनाशी औषध तैयार करने की प्रक्रियाओं से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की कार्रवाई 23.3.2005 से शुरू की गयी। वाणिज्यिक विक्रेताओं की पहचान कर ली गयी है तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए पत्र भी जारी कर दिया गया है। इच्छुक विक्रेताओं से प्रत्युत्तर की प्राप्ति की अंतिम तिथि 31.7.2005 है जिसके बाद नीम-आधारित इस गर्भ-निरोधक की प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इच्छुक विक्रेताओं को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्पंज आयरन एककों के लिए कोयला लिंकेज

593. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जिन स्पंज आयरन एककों हेतु कोयला लिंकेज देने की सिफारिश की गई थी, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन एककों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए मंत्रालय ने कोयला लिंकेज प्रदान किया है और जिन एककों को कोयला लिंकेज प्रदान नहीं किया गया है उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्यों ने मंत्रालय का ध्यान कोयले की कम आपूर्ति और इन एककों को कोयला लिंकेज न देने की ओर दिलाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

पोतचालकों की कमी

594. **श्री दुष्यंत सिंह** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ प्रमुख पत्तनों में पोतचालकों/पायलटों की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार पत्तन-वार स्थिति क्या है;

(ग) पायलटों/पोतचालकों की कमी दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) महापत्तनों में पायलटों की आवश्यकता, किसी पत्तन में किए जाने हेतु अपेक्षित पोतों के संचलन की संख्या पर निर्भर करती है। आज मौजूद स्थिति के अनुसार नियमित पायलटों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या की पत्तन-वार स्थिति नीचे दर्शाई जा रही है :—

पत्तन	स्वीकृत संख्या	नियमित पायलटों की वास्तविक संख्या
मुंबई	28	23
कोलकाता	91	50
चेन्नई	09	05
जवाहर लाल नेहरू	06	05
विशाखापट्टणम	08	07
कांडला	13	07
पारादीप	06	05
कोचीन	11	09
नव मंगलूर	03	03
मुरगांव	06	03
तूतीकोरिन	03	01
इन्नौर	03	03

जब कभी पायलटों की कमी महसूस की जाती है, तब अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पत्तन, अपने नियमित पायलटों के अतिरिक्त पायलटों को संविदा के आधार पर काम पर रख लेते हैं।

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् हेतु चुनाव

595. श्री जी० करूणाकर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाव करा लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछली बार यह चुनाव कब हुए थे;

(ग) क्या ये चुनाव केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर कराए जाते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले निर्वाचन 1997-98 में बिहार और महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हुए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) निर्वाचन उन निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कराए जाते हैं जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त करती है। अद्यतनकृत राज्य पंजिकाओं के आधार पर मतदाता सूची होम्योपैथी राज्य बोर्डों/परिषदों (राज्य सरकार के अधीन सांविधिक निकाय) द्वारा निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव कराने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। होम्योपैथिक चिकित्साभ्यासियों की पंजिकाओं को अद्यतन करने और मतदाता सूची बनाने का कार्य उन विभिन्न राज्यों में नियमित रूप से नहीं हो रहा है जहां पर निर्वाचन हो रहे हैं। राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है कि वे केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का निर्वाचन यथाशीघ्र कराएं। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के निर्वाचन कराने के लिए केंद्र सरकार से पहले ही आवश्यक निधियां प्राप्त हो चुकी हैं।

जिला मुख्यालयों में "आई०एस०डी०एन०" सेवाएं उपलब्ध कराना

596. श्री अनन्त नायक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी जिला मुख्यालयों में "आई०एस०डी०एन०" सेवाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आज की तिथि तक राज्यवार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उड़ीसा में प्रत्येक जिला मुख्यालय में आई०एस०डी०एन० सेवाएं कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गांवों में टेलीफोन कनेक्शन

597. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन सुविधाओं के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कितने गांवों को अभी भी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराया जाना शेष है;

(ख) क्या वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के क्रमशः 37,306 और 323,166 बसे हुए, सुगम, अविवादित और शांत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। यद्यपि पश्चिम बंगाल को पूरा कवर कर लिया गया है। तथापि, महाराष्ट्र में 4,816 ग्रामों को अभी टेलीफोन सुविधा प्रदान कराई जानी है।

(ख) और (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल के लिए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था क्योंकि सभी ग्रामों को टेलीफोन सुविधा पहले ही प्रदान कराई जा चुकी है। महाराष्ट्र सर्किल में वर्ष 2004-05 के लिए 892 के लक्ष्य की तुलना में 1,416 वी०पी०टी० प्रदान किए गए थे।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी/गैर-सरकारी अस्पतालों में 'न्यूरो सर्जनों की अनुपलब्धता'

598. श्री रघुनाथ झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एक अस्पताल द्वारा एक दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को न्यूरो सर्जन के अभाव में लौटा दिया गया जैसा कि 29 अप्रैल, 2005 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दोषी अस्पताल के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सभी प्रमुख सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों में पूरे दिन न्यूरो सर्जन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल द्वारा रेफर किए गए दुर्घटना के शिकार, श्री जसवंत सिंह को दिनांक 26.04.05 की सुबह 2.30 बजे डा० आर०एम०एल० अस्पताल में दाखिल किया गया था। संबंधित डाक्टरों द्वारा रोगी की जांच की गयी थी। चूंकि आपरेशन थियेटर खाली नहीं था क्योंकि आपातकालीन रोगियों को सर्जरी चल रही थी इसलिए रोगी को वहां के संबंधित न्यूरो सर्जन के साथ विचार-विमर्श करके, सुश्रुत अभिघात केन्द्र रेफर कर दिया गया। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के मुख्य अस्पतालों में आपातकालीन स्थितियों में न्यूरो सर्जन उपलब्ध रहते हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली का विस्तार और विकास

599. श्री रामजीलाल सुमन :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मात्र 20 प्रतिशत आबादी वर्तमान स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के अंतर्गत लाभान्वित हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रणाली के विस्तार और विकास के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) अनुमान है कि देश की स्वास्थ्य परिचर्या की 20% आवश्यकता जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली तथा शेष निजी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के जरिए पूरी की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्थापित किया है जो देश भर में ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने का प्रयत्न करता है। इसमें मुख्य घटकों के रूप में प्रत्येक ग्राम में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की व्यवस्था; पंचायत की स्वास्थ्य एवं सफाई समिति की अध्यक्षता वाले स्थानीय दल के माध्यम से तैयार की गई ग्राम स्वास्थ्य योजना; प्रभावी रोगहर परिचर्या के लिए ग्रामीण अस्पताल का सुदृढ़ीकरण तथा भारतीय जनस्वास्थ्य मानदण्डों के जरिए समुदाय के प्रति परिमेय तथा उत्तरदायी बनाया जाना; तथा निधियों के इष्टतम उपयोग एवं प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की अवसंरचना तथा प्रदानगी के सुदृढ़ीकरण के लिए शीर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का समाकलन है।

इसके अलावा, देश के अल्प सेवित क्षेत्रों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी संस्थाओं की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है और राज्यों की 7 अन्य संस्थाओं को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एकबारगी सहायता देकर उस स्तर तक उन्नत बनाने का प्रस्ताव है।

(ङ) वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कुल परिव्यय 6371.156 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए वर्ष 2005-06 हेतु परिव्यय 250 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि जारी करना

600. श्री दरोगा प्रसाद सरोज :
श्री रामकृपाल यादव :
श्री पी०सी० थामस :
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूड़ी :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
श्री चंद्रभान सिंह :
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों को कितनी धनराशि जारी की गई है और इन सड़कों की राज्यवार लंबाई और ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत किन सड़कों के लिए धनराशि जारी की गई है और उनकी लंबाई कितनी है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यवार किन-किन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के विकास के लिए जारी धनराशि, अनुमोदित सड़कों की संख्या और लंबाई के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान राज्यीय सड़कों पर 20059.61 कि०मी० की कुल लंबाई के सुधार कार्य अनुमोदित किए गए थे।

(ग) वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान अभी तक निर्माण के लिए अनुमोदित राज्यवार सड़क लम्बाई संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य का नाम	2002-03 से 2004-05 अनुमोदित सड़कों की संख्या और लंबाई (कि०मी०)		जारी धनराशि (करोड़ रु०)
		संख्या	लंबाई	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100	976.37	262.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	19	126.51	27.63
3.	असम	37	317.83	63.56
4.	बिहार	17	109.00	44.87
5.	चंडीगढ़	06	28.50	7.09
6.	छत्तीसगढ़	08	367.17	51.56
7.	दिल्ली	37	6.51	8.16
8.	गोवा	01	7.20	3.98
9.	गुजरात	226	2565.00	178.80
10.	हरियाणा	21	428.02	86.68
11.	हिमाचल प्रदेश	18	144.075	27.94
12.	जम्मू-कश्मीर	14	108.20	57.91
13.	झारखंड	02	100.40	15.11
14.	कर्नाटक	432	4064.13	184.21
15.	केरल	13	180.31	51.44
16.	मध्य प्रदेश	34	898.80	175.17
17.	महाराष्ट्र	169	1245.65	287.28
18.	मणिपुर	04	58.00	6.58
19.	मेघालय	09	70.00	14.56
20.	मिजोरम	13	99.95	6.19
21.	नागालैंड	07	78.00	8.13
22.	उड़ीसा	13	84.23	77.47
23.	पंजाब	13	158.05	111.44
24.	पांडिचेरी	01	11.00	3.61
25.	राजस्थान	189	4234.43	214.44
26.	सिक्किम	05	26.00	4.12
27.	तमिलनाडु	297	2147.00	150.46
28.	त्रिपुरा	04	22.01	3.21
29.	उत्तर प्रदेश	48	955.815	175.38
30.	उत्तरांचल	29	304.65	59.82
31.	पश्चिम बंगाल	06	108.30	98.77
32.	अंडमान व निकोबार प्रशासन	02	28.50	0.00
	जोड़	1794	20059.61	2467.97

विवरण-II

क्रम सं०	राज्य का नाम	2005-06 अब तक अनुमोदित सड़कों की संख्या और लंबाई (कि०मी०)	
		संख्या	लंबाई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	02	35.06

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	28	186.72
3.	असम	08	24.53
4.	गुजरात	22	272.00
5.	हरियाणा	05	67.72
6.	केरल	11	201.77
7.	मध्य प्रदेश	05	108.61
8.	महाराष्ट्र	25	397.00
9.	मणिपुर	01	2.96
10.	मेघालय	18	53.73
11.	उड़ीसा	11	161.13
12.	पंजाब	05	58.97
13.	राजस्थान	41	561.00
14.	उत्तर प्रदेश	09	195.22
15.	पश्चिम बंगाल	04	159.61
	जोड़	195	2486.03

कश्मीर मुद्दे को उठाना

601. **श्री हन्नान मोल्लाह : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में आयोजित साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन (एस०ए०एफ०एम०ए०) के सम्मेलन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के सम्बोधन की ओर आकृष्ट कराया गया है जिसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव सुझाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है तथा इस पर पाकिस्तान के साथ चर्चा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) और (ख) मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 20 मई 2005 को साऊथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन (साफमा) द्वारा आयोजित समापन सत्र में राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि कश्मीर मुद्दे का एक ऐसा समाधान था जो भारत, पाकिस्तान और कश्मीरियों को स्वीकार्य होना चाहिए था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरे

602. **श्री कीर्तिवर्धन सिंह :**
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान आज तक किन-किन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने भारत का दौरा किया है;

(ख) प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति के साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई है;

(ग) क्या उनके साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समझौतों से भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री द्वारा किए गए दौरों का ब्यौरा क्या है;

(च) की गयी चर्चाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) इन देशों के साथ संबंधों का सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) से (घ) और (छ) पिछले दो वर्षों के दौरान और अब तक भारत आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों, प्रत्येक के साथ हुई बातचीत और उनके साथ संपन्न किये गये द्विपक्षीय करारों और इनसे भारत को होने वाले संभावित लाभों के देशवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

अफगानिस्तान — अफगान विदेश मंत्री डा० अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने 3-4 जुलाई, 2005 तक और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डा० जालमई रसूल ने 13 जुलाई 2005 को भारत का दौरा किया। भारतीय नेताओं के साथ उनकी बैठकों में अफगानिस्तान को भारतीय सहायता और आपसी हित के क्षेत्रीय मसालों सहित अन्य द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की गयी।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के भाग के रूप में भारत अफगानिस्तान के पुनर्निमाण का समर्थन करने के लिए कृतसंकल्प है। भारत की सहायता वचनबद्धता वर्ष 2002-08 की अवधि के लिए 500 मि० अमरीकी डालरों की है। अफगान सरकार के परामर्श से हमने व्यापक क्षेत्रों में और अफगानिस्तान के लगभग सभी भागों में परियोजनाएं शुरू की है।

श्रीलंका

राष्ट्रपति चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा ने 2-4 जुलाई, 2005 तक भारत का दौरा किया। हमारे प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पंचायती राज मंत्री के साथ उनकी बैठकों में व्यापक द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के अन्य मसलों पर चर्चा की गयी।

भारत और श्रीलंका के बीच सर्वोच्च स्तरों पर उत्कृष्ट राजनैतिक समझबूझ है। इसकी झलक अनेक उच्च-स्तरीय दौरों, आधिकारिक स्तर पर नियमित संपर्कों और बढ़ रहे संस्थागत एवं न्यायिक ढांचे में मिलती है। एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार संपन्न किये जाने के लिए बातचीत की जा रही है जिससे कि आर्थिक संबंध और बढ़ सकें। भारत श्रीलंका के पश्च सुनामी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्रयासों में सहयोग कर रहा है; तीन ऋण श्रृंखलाएं चल रही हैं और अनेक विकास परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा लोगों से लोगों के बीच बेहतर संपर्क बनाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं।

म्यामां

म्यामां के ऊर्जा मंत्री बिग्रेडियर जनरल लुन थी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर के निमंत्रण पर 5-7 जुलाई, 2005 तक भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान म्यामां से भारत प्राकृतिक गैस लाने और साथ ही म्यामां में हाइड्रोकार्बन के दोहन और उत्पादन में भारतीय कंपनियों की भागीदारी के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने म्यामां में थानलिन रिफाइनरी के नवीनीकरण के लिए 20 मि० अमरीकी डालरों की एक ऋण श्रृंखला देने की घोषणा की।

थाइलैंड

थाइलैंड के प्रधानमंत्री डा० तक्षिन सिनावत्रा ने 3 जून, 2005 को भारत का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मंत्री डा० मनमोहन सिंह के साथ बातचीत की और यू०पी०ए० की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से मुलाकात की मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह ने थाई प्रधान मंत्री से मुलाकात की। बातचीत में उच्च-स्तरीय दौरों; एफ०टी०ए० वार्ता, नागर विमानन मामले और रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा पर्यटन और आपदा राहत सहित व्यापक द्विपक्षीय मसलों को शामिल किया गया। आसियान और बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय मंचों पर तथा साथ ही बहुपक्षीय मसलों पर भारत-थाई सहयोग पर भी चर्चा हुई।

यात्रा के दौरान शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। समझौता ज्ञापन पर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह और थाई विदेश मंत्री कानथाई सुफामोनखोंग ने हस्ताक्षर किये। थाइलैंड के प्रधानमंत्री की यात्रा में हमारे आपसी क्रियाकलाप को व्यापक बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी लाभकारी सहयोग के अवसरों को अधिकतम करने की हमारी आपसी इच्छा परिलक्षित हुई।

सिंगापुर

सिंगापुर के प्रधान मंत्री श्री ली हेसिन लूंगा ने 28-30 जून, 2005 तक भारत की राजकीय यात्रा की। यात्रा के दौरान सिंगापुर के प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और प्रधानमंत्री के साथ उनकी आमने-सामने तथा शिष्टमंडल स्तरीय बातचीत हुई। विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा यू०पी०ए० की अध्यक्ष के साथ भी उनकी अलग-अलग बैठकें हुई। चर्चा में सिंगापुर के साथ हमारे व्यापक द्विपक्षीय संबंधों, आसियान के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी और आपसी हित के अनेक अंतर्राष्ट्रीय मसलों को शामिल किया गया।

भारत गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार, दोहरे कराधान के परिहार और मौद्रिक वंचन पर रोक से संबद्ध करार में संशोधन करने के लिए एक प्रोतोकोल, सी०ई०सी०ए० के लिए पक्ष पत्र तथा भारत सरकार और सिंगापुर सरकार के बीच अपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता से संबद्ध करार संपन्न किया गया।

सी०ई०सी०ए०एफ०टी०ए० सहित एक व्यापक पैकेज है जिसमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं सेवाओं का व्यापार, निवेश, वित्तीय सेवाएं, स्वाभाविक व्यक्तियों की आवाजाही, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं मीडिया में सहयोग इत्यादि। इसमें संशोधित दोहरे कराधान से परिहार करार को भी शामिल किया गया है। भारत-सिंगापुर सी०ई०सी०ए० भारत और किसी अन्य देश के साथ संपन्न किया जाने वाला पहला ऐसा करार है। सी०ई०सी०ए० संपन्न किये जाने से सामानों, सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, पूंजी के प्रवाह और व्यावसायिकों के व्यापार में सहयोग के लिए नये

अवसर प्राप्त होंगे। आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता से संबद्ध करार से जारी द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग का आगे ले जाने में सहायता मिलेगी।

आस्ट्रेलिया

विदेश मंत्री अलेक्जेंडर डावनर से मंत्रिस्तरीय रूपरेखा वार्ता के अगले दौरे के लिए 6-9 जून, 2005 तक भारत का दौरा किया। नई दिल्ली में विदेश मंत्री डावनर ने प्रधानमंत्री डा० मनमोहन सिंह और रक्षा एवं पर्यावरण मंत्रियों और साथ ही योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ मुलाकात की। डावनर ने 6 और 7 जून को चेन्नई का भी दौरा किया जहां उन्होंने तमिलनाडु की मुख्य मंत्री से मुलाकात की और भारत-आस्ट्रेलियाई वाणिज्य परिसंघ को संबोधित किया। इस यात्रा के विविध क्षेत्रों में आपसी लाभकारी सहयोग के लिए अवसरों को अधिकतम बनाने की आपसी इच्छा सुदृढ़ हुई और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय रूपरेखा में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को नया रूप देने में सहायता मिली।

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया के भूतपूर्व विदेश मंत्री और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत श्री अली अल्तास ने 12-15 जुलाई, 2005 तक भारत का दौरा किया। उपर्युक्त गणमान्य व्यक्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र सुधार, जिसपर 60वें संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन में चर्चा किये जाने की आशा है, पर व्यापक चर्चा हुई। उपर्युक्त यात्रा के दौरान कोई द्विपक्षीय करार संपन्न नहीं हुआ। इन चर्चाओं से संयुक्त राष्ट्र सुधार के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अपनी स्थितियों को स्पष्ट करने तथा भावी सहयोग के संभावित क्षेत्रों का आकलन करने में सहायता मिली।

फिलीस्तीन

फिलीस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकार के अध्यक्ष राष्ट्रपति महमूद अब्बास (अबु मजेन) ने फिलीस्तीन के विदेश मंत्री नासर अल किदवा के साथ 19 और 20 मई, 2005 को भारत का कार्यकारी दौरा किया।

राष्ट्रपति अब्बास और उनके शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया को पुन: आरंभ करने के संबंध में प्रधान मत्री और विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की तथा माननीय प्रधान मंत्री को पश्च-अराफात युग में मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया के संबंध में हुई हाल की घटनाओं के बारे में बताया। भारत ने फिलीस्तीनी आंदोलन तथा एक संप्रभु, स्वतंत्र फिलीस्तीनी राज्य के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान भारत ने फिलीस्तीन को 15 मी० अमरीकी डालरों का अनुदान देने की घोषणा की।

भारत और फिलीस्तीन के बीच पारंपरिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं। भारत 1988 में फिलीस्तीन राज्य को मान्यता प्रदान करने वाले पहले देशों में से एक था और इसने 1996 में गाजा रमल्ला में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला। भारत फिलीस्तीनी आंदोलन का कट्टर समर्थक है और इसने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य मंचों पर विभिन्न प्रस्तावों का समर्थन किया है। फिलीस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकार के जन्म से भारत 3.96 मि० अमरीकी डालरों की सहायता दे चुका है। राष्ट्रपति अब्बास की यात्रा के दौरान भारत ने फिलीस्तीन के पुनर्निर्माण के लिए 15 मि० अमरीकी डालरों की अतिरिक्त सहायता का भी वचन दिया है। हम फिलीस्तीनी छात्रों के लिए उच्च अध्ययन के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का भी प्रस्ताव कर रहे हैं। हम फिलीस्तीनी राजनयिकों सहित अन्य अधिकारियों के लिए अनेक लघु-आवधिक व दीर्घावधिक पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव कर रहे हैं। फरवरी 2005 में भारत ने इस क्षेत्र में अपने क्रियाकलाप को बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में पश्चिमी एशिया के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया है।

सूडान

सूडान के विदेश मंत्री डा० मुस्तफा ओहमान इस्माइल ने 6-8 जून, 2005 तक भारत का दौरा किया। सूडान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की और विदेशी मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री के साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों एवं मसलों के संबंध में तथा द्विपक्षीय राजनैतिक एवं आर्थिक सहयोग, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने पर व्यापक बातचीत की। भारतीय नेताओं ने अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में सुधार लाने के लिए उठाये गये कादमों के बारे में विदेश मंत्री को बताया।

सूडान के साथ भारत के पारंपरिक संबंध रहे हैं और भारत ने उत्तरी और दक्षिणी सूडान के बीच व्यापक शांति करार के अंतर्गत 9 जुलाई, 2005 को नई राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन का स्वागत किया। मार्च, 2005 में भारत ने पश्चिमी सूडान में दरफुर के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में 20000 मी० टन गेहूं भेजा।

भारत और सूडान हाइड्रोकार्बन रेलवे, आई०टी० एवं लघु उद्योगों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी सहयोग कर रहे हैं। भारत ने सी०पी०ए० के अंतर्गत सूडान के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के एक भाग के रूप में सूडान में विभिन्न परियोजनाएं चलाने के लिए 100 मि० अमरीकी डालरों की रियायती द्विपक्षीय ऋण श्रृंखला और 10 मि० अमरीकी डालरों का द्विपक्षीय अनुदान देने का वचन दिया है। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रमों के अंतर्गत सूडान को 60 स्लाट्स आबंटित किये गये जो सबसे बड़े आबंटनों में से एक है।

अमरीका

संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर विदेश मंत्री के वरिष्ठ सलाहकार राजदूत शिरिन ताहिर-खेली ने 26 मई, 2005 को भारत का दौरा किया। संयुक्त राष्ट्र सुधारों के मामले जिसे सितम्बर 2005 में संयुक्त राष्ट्र के 60वें

महाधिवेशन में उठाये जाने की आशा है पर इस उच्चाधिकारी के साथ चर्चा हुई। उपर्युक्त यात्रा के दौरान कोई द्विपक्षीय करार संपन्न नहीं किया गया। चर्चाओं से संयुक्त राष्ट्र सुधार के विभिन्न पहलुओं पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने तथा भावी सहयोग के संभावित क्षेत्रों का आकलन करने में सहायता मिली।

ग्वाटेमाला

ग्वाटेमाला के विदेश संबंध मंत्री श्री जोर्ज ब्रिज अबुलराय ने 1-7 मई, 2005 तक भारत का दौरा किया। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें शामिल है द्विपक्षीय संबंधों का संवर्द्धन, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और निर्माण क्षेत्रों में सहयोग, अपनी-अपनी राजधानियों में आवासी दूतावास खोलना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन इत्यादि।

यात्रा के दौरान विदेश कार्यालय स्तरीय परामर्शों पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। आशा की जाती है कि इस समझौता ज्ञापन से द्विपक्षीय संबंधों की निगरानी और आपसी हित के मसलों पर अपने-अपने दृष्टिकोण का समन्वय हो पायेगा।

भाग-II (ङ) और (च) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री की यात्राओं; की गयी वार्ताओं और इनके परिणामों के देशवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

प्रधान मंत्री की यात्राओं के ब्यौरे

रूस

प्रधान मंत्री ने विजय दिवस की 60वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के आमंत्रण पर 8-10 मई, 2005 तक रूस का दौरा किया। प्रधान मंत्री ने रूस राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात की और उनकी आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत हुई।

यू०के०

प्रधान मंत्री ने जी-8 शिखर सम्मेलन के लिए 6-9 जुलाई, 2005 तक यू.के. का दौरा किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और स्थाई विकास से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। जी-8 देशों और ऊर्जा की महत्वपूर्ण आवश्यकता वाले अन्य देशों के बीच नई बातचीत इस बैठक का परिणाम रही जो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की रूपरेखा के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है।

अमरीका

प्रधान मंत्री डा० मनमोहन सिंह ने विदेश मंत्री के साथ राष्ट्रपति जॉर्ज बी बुश के आमंत्रण पर 18-20 जुलाई, 2005 तक अमरीका का दौरा किया।

प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति बुश ने संबंधों में बदलाव लाने और दोनों देशों के बीच वैश्विक भागीदारी स्थापित करने के अपने संकल्प की घोषणा की। बहुफलकीय सहयोग संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी। इनमें शामिल थे आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग, भारत-अमरीकी आर्थिक वार्ता को बहाल करने और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के द्विपक्षीय मंच की शुरूआत करने की संभावना। द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्र थे ऊर्जा, पर्यावरण; लोकतंत्र एवं विकास, आतंकवाद का मुकाबला, अप्रसार और सुरक्षा, सामरिक भागीदारी पहल में अगले कदमों की पूर्णता, उच्च-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, असैनिक नाभिकीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा, एच०आई०वी०/एड्स के विरुद्ध लड़ाई तथा आपदा राहत कार्रवाई।

बढ़ती वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति स्वच्छ और प्रभावी तरीके से करने में असैनिक नाभिकीय ऊर्जा के महत्व की पहचान करते हुए दोनों नेताओं ने अपने नाभकीय ऊर्जा कार्यक्रमों का विकास करने की भारत की योजना पर चर्चा की। राष्ट्रपति बुश ने व्यापक विनाश के हथियारों पर रोक लगाने में भारत की सुदृढ़ वचनबद्धता की प्रशंसा की ओर कहा कि उच्च नाभिकीय प्रौद्योगिकी वाले एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में भारत को वही लाभ मिलने चाहिएं जो ऐसे राज्यों को मिलते हैं। राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री को संकेत दिया कि वे अमरीकी कानूनों और नीतियों में परिवर्तन लाने के लिए कांग्रेस की सहमति प्राप्त करेंगे तथा अमरीका अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिससे कि तारापुर स्थित सुरक्षित नाभिकीय रिएक्टरों को शीघ्र इंधन की आपूर्ति किये जाने सहित भारत के साथ पूर्ण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग और व्यापार आरंभ किया जा सके। इस बीच अमरीका अपने भागीदारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे आई०टी०ई०आर० और जेनरेशन IV अंतर्राष्ट्रीय मंच में शामिल किये जाने के भारत के अनुरोध को स्वीकार कर लें। प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत इस बात के लिए परस्पर रूप से सहमत है कि वह उन जिम्मेदारियों को उठाने और उन कार्यों को करने के लिए तथा उन लाभों को प्राप्त करने के लिए तैयार है जो अमरीका जैसे उच्च नाभिकीय प्रौद्योगिकी संपन्न देशों को दी गयी हैं प्राप्त हैं।

हाल में भारत और अमरीका के बीच संबंधों में निंरतर प्रगति हुई है। दोनों देशों में इस सुदृढ़ वचनबद्धता को आगे ले जाने और इन संबंधों को और गहन एवं संवर्द्धित करने की सुदृढ़ वचनबद्धता है। राजनैतिक और आधिकारिक स्तर पर बार-बार होने वाले संपर्क तथा आपसी हित के व्यापक मसलों पर होने वाली नियमित द्विपक्षीय बातचीत द्विपक्षीय संबंधों में आये गुणात्मक परिवर्तन को परिलक्षित करते हैं। प्रधान मंत्री की यात्रा से इस संबंध को और आगे ले जाने में सहायता मिली।

विदेश मंत्री की यात्राओं के ब्यौरे

श्री लंका

विदेश मंत्री श्री के नटवर सिंह ने 9-11 जून, 2005 तक श्री लंका का दौरा किया। विदेश मंत्री ने श्री लंका के विदेश मंत्री के साथ भारत-श्री लंका संयुक्त आयोग की सहअध्यक्षता की। नेताओं के साथ अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों और आपसी हित के अन्य मसलों पर चर्चा की गयी। विद्यमान उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को और गति एवं सत्व प्रदान करने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा की गयी।

कोरिया

विदेशी मंत्री ने एक पारगमन ठहराव के दौरान 1 जून, 2005 को सियोल का दौरा किया और कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री श्री बान की – मून के साथ मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और अक्टूबर, 2004 में कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के पश्चात संबंधों में हाल में हुए सकारात्मक परिवर्तनों पर संतोष व्यक्त किया। भारत सरकार कोरिया गणराज्य के साथ अपने संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है। अक्टूबर, 2004 में कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच स्थापित शांति और समृद्धि के लिए दीर्घावधिक सहयोगी भागीदारी अपनी-अपनी आर्थिक संपूरकताओं और राजनैतिक समानताओं का लाभ लेते हुए आपसी लाभकारी सहयोग को और गहन बनाने के लिए पर्याप्त संभावनाओं और अवसरों का पूर्ण उपयोग करने की दोनों पक्षों की राजनैतिक वचनबद्धता का प्रतीक है।

रूस

विदेश मंत्री ने चौथी भारत-रूस-चीन त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 2 जून, 2005 को ब्लादिवोस्तक का दौरा किया। तीनों विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोहरे मानदण्ड अपनाये बिना सतत्, स्थायी और व्यापक तरीके से आतंकवाद का मुकाबला किया जाना चाहिए। उन्होंने तीनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया ताकि मादक द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की अन्य अभिव्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। उन्होंने परिवहन, कृषि, ऊर्जा तथा उच्च प्रौद्योगिकीयों के क्षेत्रों में रूस, भारत और चीन के बीच आपसी लाभकारी सहयोग की पर्याप्त संभावना को स्वीकार किया। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय आदान-प्रदानों के अंतर्गत रूसी और चीनी के विदेश मंत्रियों के साथ अलग-अलग मुलाकातें की।

कज़ाकिस्तान

विदेश मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक के लिए भारतीय शिष्टमण्डल के नेता के रूप में 4-5 जुलाई, 2005 तक अस्ताना, कज़ाकिस्तान का दौरा किया। शिखर बैठक, जिसमें भारत को एस०सी०ओ० के 'पर्यवेक्षक' के रूप में प्रवेश दिया गया, में भाग लेने के अतिरिक्त विदेश मंत्री ने एस०सी०ओ० सदस्यों और पर्यवेक्षक देशों के शिष्टमण्डलों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। सदस्यो देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद और अन्य चुनौतियों एवं खतरों के विरुद्ध लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वे बहुपक्षीय मंचों पर आर्थिक क्षेत्र में अपने बीच सहयोग बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे जिससे सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।

सेनेगल

विदेश मंत्री ने 25-26 मई, 2005 तक सेनेगल का दौरा किया। उनकी सेनेगल के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि व्यापार निवेश और दोनों ओर से उच्च-स्तरीय यात्राओं में लगातार प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे पर भी चर्चा की। सेनेगल ने वीटो सहित साथी सदस्यता के भारत के वाजिव दावे के प्रति अपना समर्थन व्यक्त व किया। भारत ने सिंचाई, परिवहन, रेलवे, आई०टी०, इत्यादि क्षेत्रों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सेनेगल को अनेक ऋण श्रृंखलाएं स्वीकृत की हैं। भारत डकर में एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना कर रहा है। जिससे एस०एम०ई० और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत सेनेगल में और जिगुइंचोर के बीच 900 कि०मी० की रेलवे लाइन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

यू०के०

विदेश मंत्री ने 27 जून, 2005 को यू०के० का दौरा किया। विदेश मंत्री ने ''अगले दशक में भारत'' पर चातम हाउस में भाषण दिया और विदेश मंत्री श्री जैक स्ट्रा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। आपसी हित की द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर भी चर्चा हुई। यू० के पक्ष ने भारत के संबंध में यात्रा चेतावनी की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की। यू०के० भारत का सामरिक भागीदार है और बार-बार होने वाले उच्च-स्तरीय दौरे हमारे द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता हैं।

विदेश मंत्री ने जी-4 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग होने के लिए 8-11, 2005 तक के लिए भी लंदन का दौरा किया। विदेश मंत्री ने 8 जुलाई को लंदन में तीन के अफ्रीकी कोर दल के अध्यक्ष के रूप में घाना के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। वे प्रस्ताव के एक साझे प्रारूप और संयुक्त कारवाई की संभावना का पता लगाने पर सहमत हुए।

इटली

विदेश मंत्री ने 20-21 जून, 2005 तक इटली का दौरा किया और उन्होंने अपने समकक्ष इटली के उप-प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री श्री जियानफ्रांको फिनी के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री और श्री फिनी ने फरवरी, 2005 में राष्ट्रपति सिआम्पी की भारत यात्रा के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री ने इटली के 20 प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की जिनके साथ उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार निवेश तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाये जाने में गहरी रूचि व्यक्त की। सभ्यतागत संपर्क भारत-इटली संबंधों की विशेषता हैं और ये साझे मूल्यों और आपसी हित पर आधारित हैं।

हंगरी

विदेश मंत्री ने हंगरी के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर 23-25, जून 2005 तक हंगरी का दौरा किया। आर्थिक एवं वाणिज्यिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को संवर्द्धित करने के उपायों सहित भारत-हंगरी संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की गयी। एक आर्थिक सहयोग करार संपन्न किया गया। विदेश मंत्री ने बालाटन फुरेड में गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। आपसी हित के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और विविधापूर्ण तथा गहन बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। संयुक्त आयोग और विदेश कार्यालय परामर्शों जैसे संस्थागत तंत्रों का भी सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है।

नार्वे

विदेश मंत्री ने नार्वे के विदेश मंत्री श्री जेन पीटरसन के आमंत्रण पर 16-17 जून, 2005 तक नार्वे का दौरा किया। विदेश मंत्री ने भारत-नार्वे संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सहअध्यक्षता की। आपसी हित के द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की गयी जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग पर विशेष बल दिया गया। संयुक्त आयोग, विदेश कार्यालय परामर्श इत्यादि जैसे संस्थागत तंत्रों को पुन: सक्रिय किया गया। हाइड्रोकार्बन्स से संबद्ध संयुक्त है। कार्यकारी दल का उपयोग ऊर्जा क्षेत्र में घनिष्ट सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति पर नये संयुक्त कार्यकारी दलों का गठन किया गया है तथा व्यापार और निवेश एवं नौवहन पर संयुक्त कार्यकारी दलों का प्रस्ताव किया गया है।

बेल्जियम

विदेश मंत्री ने 22 जून, 2005 को ब्रसेल्स में आयोजित जी-4 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ब्रसेल्स का दौरा किया। 22 जून, 2005 को ब्रसेल्स में हुई बैठक में जी-4 विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने प्रस्ताव की रूपरेखा के पाठ को पेश करने का अपना संकल्प व्यक्त किया ताकि जुलाई में होने वाले ए०यू० और कैरिकॉम की बैठक के बाद महासभा द्वारा इसे पारित किया जा सके।

अमरीका

विदेश मंत्री ने 16-17 जुलाई, 2005 तक न्यूयार्क में आयोजित जी-4 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका का दौरा किया। 17 जुलाई, 2005 को ग्रुप 4 (ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान) के विदेश मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्र सुधार से संबद्ध अफ्रीकी संघ अनुवर्ती तंत्र (नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया और मिस्त्र) के मंत्रियों ने मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुधार तथा सुरक्षा परिषद सुधार के संबंध में अफ्रीकी संघ और जी-4 द्वारा की जाने वाली साझी कार्रवाइयों के तरीकों और की संभावनाओं पर चर्चा की। वे एक संयुक्त तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए तथा अपने स्थायी प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे मतभेदों को समाप्त करने तथा समान विचार पर पहुंचने के तरीकों का पता लगाएं।

प्रतिरक्षण योजना

603. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :**
श्री गणेश सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने प्रतिरक्षण योजना पर प्रश्न चिन्ह लगाया है क्योंकि इसमें पोलियो अभियान पर बल दिया गया है जिससे नियमित प्रतिरक्षण योजना हाशिए पर चली गयी है जैसा कि 1 जुलाई, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वर्षों में डिप्थेरिया, पोलियों माइलिटिस, कुक्कुर खांसी और खसरा सहित बीमारियां बढ़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। पोलियो अभियान ने नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम को उपेक्षित (साइडलाइन) नहीं किया है। तथापि, विशेषज्ञों को ऐसे उपाय करने की सलाह दी गई है जिनका

उद्देश्य 100% प्रतिरक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य वाले राज्यों में नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में और सुधार करना था।

(ग) देश में पिछले 5-6 वर्षों के रूझान दर्शाते हैं कि काली खांसी और खसरे के मामले स्थिर रहे हैं और पोलियो में महत्वपूर्ण ढंग से कमी आई है। तथापि, डिफ्थीरिया के मामलों की संख्या में वृद्धि होती रही है। 2003 में सूचित किए गए डिफ्थीरिया के मामले 4237 थे जबकि यह संख्या 2004 में 8465 थी।

(घ) और (ङ) नेमी प्रतिरक्षण को आगे और सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ पहलें की गई हैं। नेमी प्रतिरक्षण का सुदृढ़ीकरण भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एक जोर दिया जाने वाला क्षेत्र है। प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य प्रेरक (एक्टिविस्ट)/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सत्र स्थल आदि में बच्चों का जुटाव;

(ii) शहरी स्लम क्षेत्रों में प्रतिरक्षण सेवाओं का सुदृढ़ीकरण;

(iii) पहुंच से बाहर (आउटरीच) वाले सत्रों में वैक्सीन प्रदानगी के लिए सहायता;

(iv) सभी एंटिजनों के लिए प्रतिरक्षण में आटो-डिसेबल सुइयां शुरू करना;

(v) सत्र स्थलों में बी०सी०जी० की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 20 खुराक के स्थान पर 10 खुराक बी०सी०जी० शुरू करना;

(vi) सहयोगी पर्यवेक्षण और मानीटरिंग को सुदृढ़ बनाना।

[हिन्दी]

कोयला खनन हेतु पुरानी मशीनों का उपयोग

604. प्रो० महादेवराव शिवनकर : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड्स के मुरेपट और बंडर कोयला खानों में पुरानी मशीनों की सहायता से कोयला उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मशीनों के कारण अल्प उत्पादन का अनुमान लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन खानों के लिए नई मशीनें खरीदने की योजना बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो इन कोयला खानों को कब तक नयी मशीनें उपलब्ध करा दी जाएंगी?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क), (ग) और (घ) कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार, मुरपार भूमिगत खान बंडार कोयला ब्लॉक में स्थित है। बंडार के नाम से कोई कोयला खान नहीं है। साइड डिस्चार्ज लोडर्स द्वारा मुरपार भूमिगत खान में उत्पादन प्रचालन किया जा रहा है। प्रक्रियात्मक चक्र के रूप में पुरानी मशीनें, जो अपना निर्दिष्ट जीवन-काल पूरा कर चुकी हैं, उन्हें नई मशीनों से बदल दिया जाता है। हाल ही में, इसी प्रकार के एक साइड डिस्चार्ज लोडर का निरीक्षण किया गया और उसके स्थान पर एक उच्चतर क्षमता वाला लोड हॉल डम्पर प्रतिस्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दो पुराने साईड डिस्चार्ज लोडरों को एक उच्चतर क्षमता वाले लोड हॉल डम्पर से बदल दिया गया है। दोनों लोड हॉल डम्पर मुरपार भूमिगत खान में प्रचालन में है।

(ख) जी, नहीं। कम उत्पादन का कारण मुख्य रूप से खराब छत स्थिति, पतली सीम और स्ट्राटा से पानी का अत्यधिक रिसाव है।

[अनुवाद]

बी०एस०एन०एल० की खराब सेवाएं

605. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में विशेषतः दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्रों में बी०एस०एन०एल० की सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) क्या बी०एस०एन०एल० की खराब सेवा के कारण धीरे-धीरे उपभोक्ताओं की संख्या घटती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) देश में विशेषत: दूर-दराज़ के/दूरस्थ क्षेत्रों में बी०एस०एन०एल० की दूरसंचार सेवाएं आमतौर पर संतोषजनक हैं। तथापि, कभी-कभी लंबे समय तक वाणिज्यिक बिजली की आपूर्ति न होने अथवा मानक वोल्टता की बिजली उपलब्ध न होने के कारण दूरसंचार सेवाएं बाधित हो जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाक विभाग हेतु नयी योजनाएं

606. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान डाक विभाग द्वारा प्रस्तावित नयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के लिए प्रथम तीन वर्षों हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्य योजना बनायी गयी है और इसके परिणामत: कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) विभाग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं के साथ-साथ पहले तीन वर्षों के लिए आबंटित निधियों का कारण निम्नलिखित है :

(करोड़ में)

क्रम सं०	योजना स्कीम	आर्थिक आबंटन		
		2002-03	2003-04	2004-05
1.	सर्किल डाक-टिकट डिपुओं का आधुनिकीकरण	0.24	0.01	0.66
2.	अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रोसेसिंग का कम्प्यूटरीकरण	1.26	2.06	शून्य
3.	राष्ट्रीय डाटा केन्द्र	5.00	0.550	0.10
4.	अनुसंधान एवं विकास	1.00	0.07	1.00
5.	एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट केन्द्रों की स्थापना	0.50	0.01	1.00
6.	ई-पोस्ट	0.50	2.30	0.71
7.	ई-बिलपोस्ट	0.50	3.00	0.25
8.	वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विकास सहित नए उत्पाद एवं सेवाएं	5.00	3.60	3.00
9.	सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार	शून्य	शून्य	2.34

(ग) जांचकर्ता एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर योजना स्कीमों को अनुमोदन प्रदान करते समय सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्कीमों के कार्यान्वयन के चरण को भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है। इस फेसिंग तथा वार्षिक योजना के अंतर्गत दिए गए संसाधनों और वास्तविक लक्ष्यों के आधार पर स्कीमों को कार्यान्वित किया जाता है। इन लक्ष्यों की विभाग, योजना आयोग आदि के विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग की जाती है। ताकि प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

कोयला निर्यात

607. **श्री बाडिगा रामकृष्णा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि० और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा कोयला निर्यात को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका गैर-कोर क्षेत्र और थोक औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति और कोयले की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस क्षेत्र में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयले के निर्यात में शामिल मात्रा बहुत कम है जो कोल इंडिया लि० द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए कुल प्रेषण का 0.007% होता है। इसलिए इस प्रकार नॉन-कोर क्षेत्र तथा थोक औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की कीमत तथा आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(घ) कोयले के निर्यात की पद्धति पारदर्शी है तथा यह आयात करने वाले देशों की संतुष्टि के अनुसार काम कर रही है।

[हिन्दी]

ट्रीप्नोसोमिसिस रोग

608. **श्री हंसराज जी० अहीर** :
श्री जी०एम० सिद्दीश्वर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंसानों के ट्रीप्नोसोमिसिस रोग से ग्रस्त होने की घटनाओं की जानकारी है जो रोग जानवरों में पाया जाता है जैसा कि 27 मई, 2005 के ''दैनिक भास्कर' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुसंधान किए जा रहे हैं;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई सहायता की मांग की गयी है जो पहले ही इस रोग पर अनुसंधान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) सरकार को अक्तूबर, 2004 में महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में मानव में ट्राइपनोसोमियासिस की एक विरल घटना की जानकारी है। भारत सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक बहु-विषयक दल का गठन किया। सूचित मामले की नैदानिक महामारी विज्ञानी जांच करने से पता चला कि यह मानवों में ट्राइपनोसोमा इवांसी द्वारा हुए संक्रमण का एक पृथक मामला था जो इस क्षेत्र में पशुओं में व्याप्त है। एक संभावना यह है कि उसी परजीवी ने अपने पेशे (आकुपेशन) के कारण एक व्यक्ति में प्रवेश कर लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रोगी के प्रबंधन में तकनीकी सहायता प्रदान की थी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य पैकेज

609. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कमीशन आन मैक्रो इकोनामिक्स एण्ड हैल्थ ने देश में प्रतिवर्ष प्रत्येक नागरिक को 1,165 रु० का स्वास्थ्य पैकेज देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो कमीशन द्वारा दिए गए सुझावों/की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) नेशनल कमीशन आन मैक्रो इकोनामिक एंड हेल्थ ने अपना प्रारूप रिपोर्ट आयोग के सह-अध्यक्ष अर्थात केन्द्रीय वित्त मंत्री और केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रीं के विचारार्थ प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

कोयला क्षेत्र में सुधार

610. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला क्षेत्र में सुधारों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विचारित सुधारों का व्यापार खाका क्या है और इस संबंध में अब तक क्या निर्णय लिए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) सरकार ने कोयला क्षेत्र के लिए एक खाका तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। उम्मीद है कि यह समिति शीघ्र ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी।

प्रमुख पत्तनों द्वारा संग्रहीत राशि

***611. श्री परसुराम माझी :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न प्रमुख पत्तनों द्वारा निजी टर्मिनलों से कितना राजस्व और रायल्टी प्राप्त की गयी है; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक पत्तन द्वारा प्राप्त राशि का किस प्रकार इस्तेमाल किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में विभिन्न महापत्तनों को गैर सरकारी टर्मिनलों से मिले राजस्व और स्वत्व-शुल्क की धनराशि, निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	पत्तन का नाम	(करोड़ रु०)
1	2	3
1.	जवाहर लाल नेहरू	116.99
2.	कांडला	76.28

*तदनंतर, दिनांक 24.8.2005 को सभा में मंत्री द्वारा दिए गए शुद्धि करने वाले विवरण द्वारा उत्तर में शुद्धि की गई और इसे एल०टी०संख्या 2765/2005 के अधीन ग्रंथालय में भी रखा गया। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में क्रम संख्या 11 में कोलकाता द्वारा एकत्र की गई धनराशि 36.42 करोड़ रुपए के स्थान पर संशोधित धनराशि 28.40 करोड़ रुपए हैं।

1	2	3
3.	तूतीकोरिन	26.12
4.	चेन्नई	183.99
5.	मुरगाँव	4.49
6.	विशाखापट्टणम	15.37
7.	पारादीप	शून्य
8.	नव मंगूलर	शून्य
9.	मुंबई	शून्य
10.	कोचीन	शून्य
11.	कोलकाता	36.42
12.	इन्नौर-पत्तन लिमिटिड	6.78

(ख) गैर सरकारी टर्मिनलों से मिलने वाला राजस्व, संबंधित पत्तन के काम-काज के संचालन से अर्जित आय के हिस्से के रूप में माना जाता है और उसे पत्तन के काम-काज के संचालन और उसके विकास में इस्तेमाल किया जाता है।

पोर्ट चैनलों को गहरा बनाना

612. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'पोर्ट चैनलों' को गहरा बनाने से संबंधित कार्यकलापों में निजी कंपनियों को शमिल करने का हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) पत्तन तक पहुँच के मार्गों को और अधिक गहरा किए जाने में, साररूप से बड़े पैमाने पर निकर्षण किया जाना आवश्यक होता है। वर्तमान नीति के अनुसार, बड़े पैमाने पर निकर्षण किए जाने के ठेके देने के लिये सभी पत्तनों द्वारा प्रतियोगात्मक बोली प्रक्रिया का निर्वाह किया जाना अपेक्षित है, जिसमें गैर सरकारी कम्पनियों को हिस्सा लेने दिया जाता है। उपर्युक्त नीति में आगे भारतीय निकर्षण कम्पनियों द्वारा कुछ विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी किए जाने पर उन्हें पहले मौका दिए जाने और उनके मना करने पर ही किसी अन्य कम्पनी को मौका दिया जाना भी परिकल्पित है।

ट्रक/ट्रेलर चालकों की भर्ती

613. **श्री रघुनाथ झा :** क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुबई की के०जी०एल० कंपनी ने पंजाब में ट्रक/ट्रेलर चालकों की भर्ती फिर शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेश में इन चालकों की सुरक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें इराक जाने के लिए मजबूर न किया जाए जैसा कि पहले भी किया गया था, सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) इराक के लिए ट्रक और ट्रेलर ड्राइवरों की भर्ती करने वाली मै० के जी०एल० के बारे में प्रैस रिपोर्ट है। मै० कुवैत एंड गल्फ लिंग ट्रांस्पोर्ट क० कुवैत को 2001 में पी०ए०सी० की सूची में रखा गया था और कुवैत में भारतीय दूतावास की सिफारिश पर नवम्बर 2004 में पूर्व अनुमोदन श्रेणी(पी०ए०सी०) से हटा दिया था। कुवैत और जोर्डन जाने वाले कामगारों को संबंधित भारतीय मिशन द्वारा सत्यापित रोजगार दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इससे आगे ऐसे देशों को जाने वाले कामगारों के पासपोर्टों पर "इराक में रोजगार हेतु नहीं" लिख दिया जाता है।

तथापि, स्थिति की समीक्षा करने के बाद सभी उत्प्रवासन संरक्षकों को यह हिदायत दी गई कि वे अपने स्तर पर 22.7.2005 से कथित कंपनी के लिए प्रस्तावित भारतीय कामगारों को कोई उत्प्रवासन क्लीयरेंस न दें।

राष्ट्रीय औषध विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

614. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री गणेश सिंह :
श्री राजेन्द्र कुमार :
मो० मुकीम :
श्री सीताराम यादव :
श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून, 2005 में आयोजित परामर्शदात्री बैठक में यह घोषणा की थी कि सरकार का विचार औषधि उद्योग में गुणवत्ता

और मानक सुनिश्चित करने हेतु औषधि विनियमों को और अधिक कठोर बनाने के लिए अमरीकी खाद्य और औषधि प्रशासन की सहायता से एक स्वतंत्र राष्ट्रीय औषध विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस प्राधिकरण को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने दिनांक 23 और 24 जून, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित औषध सलाहकार समिति की बैठक का उद्‌घाटन करते हुए सहभागियों को बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय माशेलकर समिति की रिपोर्ट में सुझाई गई बातों के अनुसार एक केन्द्रीय औषध प्रशासन/राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना करने की संभाव्यता पर गंभीरतापूर्वक जांच कर रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त विनियामक तंत्र के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे विनियामक तंत्र की स्थापना के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

सेन्ट्रल मैरीन इंजीनियरिंग एंड शिपिंग यूनिवर्सिटी

615. **प्रो० महादेवराव शिवनकर** :
श्री मुन्शी राम :
श्री मो० ताहिर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
मोहम्मद शाहिद :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की तर्ज पर सेन्ट्रल मैरीन इंजीनियरिंग एंड शिपिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में ऐसी निजी संस्थाओं की कुल संख्या कितनी है जिन्हें उक्त यूनिवर्सिटी के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है;

(ग) क्या उक्त यूनिवर्सिटी मानव संसाधन विकास विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं होगी;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ङ) समुद्री क्षेत्र की आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिये एक भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। फिर भी, इस बारे में विस्तृत रूपरेखा अभी तक अन्तत: तय नहीं की गई है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि

616. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा किये गए कार्य की केन्द्र सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्यों द्वारा किए गए कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की सावधिक रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों और क्षेत्रीय दौरों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(घ) सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जो देश भर में ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने का प्रयत्न करता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली का वास्तुशिल्पीय सुधार करना है जिससे कि यह राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए आश्वासन के अनुसार बढ़े हुए आबंटनों का प्रभावी ढंग से संचालन करने तथा उन नीतियों को बढ़ावा देने में समर्थ हो सके जिनसे देश में जनस्वास्थ्य प्रबन्धन तथा सेवा प्रदानगी सुदृढ़ हो। यह मिशन स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को जी०डी०पी० के 0.9% से बढ़ाकर जी०डी०पी० के 2.3% तक करने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रतिज्ञापन है।

विवरण

वर्ष 2005-2006 के लिए प्रमुख रोग नियंत्रण तथा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रमों के अंतर्गत योजनावार, राज्यवार आबंटन :

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षयरोग	कुष्ठरोग	आईडीएसपी	आईडीडी	दृष्टिहिनता	एनबीबीडी सीपी	एड्स	आरसीएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	5.05	11.19		6.00	17.50	236.96	289.12	45.56
2. आन्ध्र प्रदेश	1100.00	102.50	610.00	4.50	528.76	862.37	7511.66	1345.88
3. अरुणाचल प्रदेश	55.31	50.03		13.00	21.00	1053.66	56.69	217.87
4. असम	1337.50	54.45		13.00	115.00	3035.10	1395.18	675.67
5. बिहार	1270.28	409.21		3.50	284.52	4736.19	1757.78	1026.73
6. चण्डीगढ़	15.16	10.65	46.00	6.00	29.00	69.62	438.84	25.42
7. छत्तीसगढ़	740.21	238.80	305.00	3.50	271.78	2114.72	916.54	549.15
8. दादरा व नगर हवेली	3.37	9.35		5.00	4.50	50.09	9.08	26.25
9. दमण व द्वीव	3.37	10.04		6.00	11.00	11.66	158.94	27.56
10. दिल्ली	232.42	63.41	177.00	5.50	63.00	42.51	2273.02	187.64
11. गोवा	19.92	17.05	59.00	4.00	68.44	21.13	604.78	8.47
12. गुजरात	775.35	114.90	440.00	5.00	621.44	838.84	4163.1	680.47
13. हरियाणा	200.00	33.94	283.00	6.00	184.52	122.76	724.35	38.14
14. हिमाचल प्रदेश	93.47	35.97	360.00	4.50	122.18	31.72	903.45	321.31
15. जम्मू-कश्मीर	154.76	52.45		3.50	216.35	50.96	597.74	374.27
16. झारखण्ड	957.30	346.80		3.50	183.74	2179.13	634.15	586.89
17. कर्नाटक	807.30	80.42	620.00	9.00	462.08	385.99	2071.35	1007.12
18. केरल	487.27	24.07	330.00	5.00	270.19	91.53	2251.61	582.97
19. लक्षद्वीप	1.68	6.52		5.00	6.00	8.27	125.59	25.23
20. मध्य प्रदेश	925.51	354.52	900.00	3.50	449.50	1897.77	1779.61	1416.47
21. महाराष्ट्र	1483.27	148.23	890.00	3.50	351.07	768.09	5202.27	1353.56
22. मणिपुर	120.68	32.09	172.00	12.00	30.00	531.37	1576.5	198.54
23. मेघालय	115.66	33.15	164.00	12.00	15.50	729.00	3287.1	151.12
24. मिजोरम	45.25	35.07	149.00	13.00	23.50	677.82	76.16	155.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. नागालैण्ड	100.56	78.57	164.00	12.00	20.50	732.23	1405.36	169.71
26. उड़ीसा	300.00	292.58	425.00	7.00	326.64	4027.67	1563.29	1038.04
27. पांडिचेरी	16.84	11.28		2.50	24.00	31.77	200.08	71.35
28. पंजाब	372.35	47.38	55.00	4.75	148.39	140.70	924.24	483.47
29. राजस्थान	855.75	73.16	500.00	5.50	554.79	1661.86	1280.72	1023.35
30. सिक्किम	25.14	23.92		13.00	13.50	24.65	391.92	91.69
31. तमिलनाडु	951.56	80.81	760.00	4.50	1294.39	358.60	4329.04	1018.25
32. त्रिपुरा	160.90	21.12	151.00	12.00	61.00	1616.66	34.59	136.21
33. उत्तर प्रदेश	2545.16	449.94		5.00	1061.06	1121.00	1267.83	2082.02
34. उत्तरांचल	302.49	108.93	300.00	6.75	164.77	58.44	1542.66	540.34
35. पश्चिम बंगाल	1228.91	257.09	290.00	3.50	390.41	1231.17	4301.47	1137.61
कुल	17819.74	3739.60	8150.00	282.00	8410.02	31552.00	54681.10	15252.83

केन्द्रीय निधि का उपयोग करने में असफलता

617. **श्री बाडिगा रामकृष्ण :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें सड़क विकास, वनों के संरक्षण, वन्य जीव तथा अन्य ऐसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित केन्द्रीय निधि का उपयोग करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान उक्त परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कुल कितनी धनराशि जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई है; और

(घ) विलम्ब से चल रही परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० राजशेखरन) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

केन्द्रीयकृत दुर्घटना और अभिघात सेवाएं

618. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीयकृत दुर्घटना और अभिघात सेवाओं में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इसके अंतर्गत मुख्य सुविधाओं और सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी सेवाओं की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) केन्द्रीयकृत दुर्घटना और अभिघात सेवाएं (कैट्स) परियोजना 1991 से कार्य कर रही है।

(ख) भाग(क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय केन्द्रीयकृत दुर्घटना और अभिघात सेवाओं(कैट्स) ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 35 एम्बुलेंस गाड़िया तैनात कर रही हैं और दुर्घटना/अभिघात स्थितियों में फसें लोगों को चौबीसों घन्टे निःशुल्क चिकित्सा आजादी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में कैट्स निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कर रहा है :—

(I) कार्डियो प्लमोनरी ब्रेन रिसूसिएशन।

(II) परिवहन के दौरान पीड़ितों का वायुमार्ग खोलना और उनकों ऑक्सीजन, कृत्रिम श्वसन प्रदान करना।

(III) शरीर के टूटे (फ्रेक्चर) भाग को अटकाए रखने के लिए खपचियाँ बाँधना।

(IV) दुर्घटना स्थल से अस्पताल तक पीड़ितों को लाना ले जाना।

(V) कैट्स नियंत्रण कक्ष, पुलिस नियंत्रण कक्ष और फायर कन्ट्रोल कक्ष के साथ वायरलैस संचार।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य, राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों में अपनी प्राथमिकताएं और उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए, ऐसी सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। केन्द्रीय सरकार के पास एक स्कीम है जिसके अंतर्गत आपाती (अभिघात परिचर्या) सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राज मार्गों पर स्थित राज्य सरकारी अस्पतालों को 1.50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

मैंनिंगोकॉक्सीमिया रोग

619. **श्री मुन्शी राम :**
श्री मो० ताहिर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
मोहम्मद शाहिद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैंनिंगोकॉक्सीमिया रोग के कारणों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रोग से कौन-कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस रोग की रोकथाम करने और भविष्य में भी इसकी रोकथाम के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(च) क्या इस रोग की दवाइयों के अभाव के कारणों का पता चला है;

(छ) क्या इस रोग की दवाइयों की कमी के कारण कुछ रोगियों की मृत्यु हो गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) मेनिंगोकोकल रोग एक तीव्र वेक्टीरिया रोग है, जो वेक्टीरियम मेनिंगोकोकस से होता है। इस रोग के रोगी दिल्ली, हरियाणा, चंड़ीगढ़, पंजाब उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल से सूचित किए गए थे।

(घ) और (ङ) इस रोग को रोकना और अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रोग की अभी भी नियमित मानिटरिंग जारी है। इस रोग को अधिसूचित करना अनिवार्य किया गया था। शुरू में निदान करने और तुरंत उपचार करने, रोगियों की खोज करने के लिए सम्पर्क करने और रसायन रोग निरोधन प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए। समुदायों की भागीदारी से सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप चलाए गए। स्थिति की मानिटरिंग और समीक्षा करने के लिए अस्पतालों से नमूने प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। निगरानी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने और प्रकोप की शुरू में पहचान को बढ़ावा देने तथा मेनिंगोकोकोमिया सहित जानपदिक रोग विज्ञानी संचारी रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए उपर्युक्त कार्रवाई शुरू करने हेतु एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(च) से (ज) रोगियों का उपचार करने और रोगियों को रसायन रोग निरोधन प्रदान करने के लिए औषधों को पर्याप्त स्टाक उपलब्ध था।

अस्पतालों का आधुनिकीकरण

620. **श्री सूरज सिंह :**
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े राज्यों में बड़ी संख्या में रोगियों के दिल्ली आने की बात हाल ही में सरकार के ध्यान में आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों पर बाकी दबाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में रोगियों के प्रवेशी संबंधी अनियमितताएं ध्यान में आयी हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या कुछ रोगियों को शल्य चिकित्सा और जांचों के मामले में लम्बे समय तक प्रतीक्षा करायी जाती है जबकि अन्य रोगी अन्य उपायों में शीघ्र उपचार प्राप्त कर लेते हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाये हैं;

(छ) क्या देश के विभिन्न भागों में अस्पतालों का उन्नयन करने और आधुनिकीकरण के लिए प्रभावी उपाय किये गये हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए विभिन्न राज्यों से रोगी आते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपराह्न में विशेष क्लीनिक चलाए जाते हैं।

(घ) से (च) एम्स में रोगियों के दाखिलों में दाखिलों संबंधी नियमितता की कोई घटना नोटिस नहीं की गई है। रोगियों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, इंतजार अवधि को कम करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार विभिन्न विभागों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(छ) और (ज) बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) और उत्तरांचल (ऋषिकेश) राज्यों में प्रत्येक राज्य में एम्स जैसी एक-एक संस्था स्थापित करना प्रस्तावित है। इसके अलावा, (1) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, (2) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची, (3) सरकारी मेडिकल कालेज, जम्मू (4) कोलकाता मेडिकल कालेज, कोलकाता, (5) सरकारी मेडिकल कालेज, सेलम, तमिलनाडु, (6) निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद और (7) वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान, तिरूपति और एम्स जैसी संस्था के स्तर तक सुदृढ़ करना प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

कासरगोड-कोवलम जलमार्ग

621. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कासरगोड-कोवलम जलमार्ग के विकास के अपने प्रस्ताव के लिए स्वीकृत मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) केरल-सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-3 के विस्तार को कोट्टापुरम से कासरगोड तथा कोल्लम से कोवलम तक एक राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जाने का अनुरोध किया था। फिर भी, यह तथ्य ध्यान में रखते हुये कि सुजल मार्ग पर मछली पकड़ने का मंच, निकर्षण-सामग्री को इकट्ठी करने की समस्या आदि जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण विद्यमान जलमार्ग अभी भी पूरी तरह से कार्य-संचालनात्मक नहीं बन पाया है, सरकार ने उपर्युक्त घोषणा से संबंधित प्रस्ताव पर तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं करना तय किया है, जब तक कि विद्यमान जलमार्ग पूरी तरह से कार्य-संचालनात्मक नहीं हो जाए।

[हिन्दी]

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

622. **श्री मो. ताहिर : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी बड़ी परियोजनाओं के समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण उनकी लागत में वृद्धि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों के अधीन चल रही बड़ी परियोजनाओं की लागत में कुल कितनी धनराशि की वृद्धि हुई है;

(ग) कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा कितनी परियोजनाओं पर कार्य निर्बाध रूप से चल रहा है तथा कितनी परियोजना पर कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(घ) क्या सरकार ने उन परियोजनाओं की जांच कर रही है जिनकी लागत लगभग दुगुनी हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या कमियां उजागर हुई हैं; और

(च) लागत में वृद्धि से बचने के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये गए हैं/किये जाने का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस) : (क) जी, हाँ।

(ख) 01 जून, 2005 तक, 12 क्षेत्रों से संबंधित 136 बड़ी और मेगा परियोजनाएं, विभिन्न कारणों से, जिसमें समय से पूरा न होना भी शामिल है, 40.7 प्रतिशत लगभग वृद्धि से प्रभावित हैं।

(ग) 313 स्वीकृत बड़ी और मेगा परियोजनाएं प्रबोधन पर हैं। 98 परियोजनाओं में लागत और समय वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) जी, हां, सरकार लागत और समय वृद्धि से प्रभावित परियोजनाओं की स्थिति की आवधिक समीक्षा कर रही है।

(ङ) इन परियोजनाओं के समापन में आई कमियों में शामिल है : (i) वित्तीय अवरोध (ii) भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास में विलंब, (iii) ठेके प्रदान करने में विलंब (iv) उपस्कर आपूर्ति एवं निर्माण में विलंब (v) ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति (vi) पर्यावरण एवं अन्य अनुमतियों में विलंब, और (vii) भूवैज्ञानिक आकस्मिकताएं

(च) इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए उठाए गए कदम निम्न है :

(i) दो चरणों वाली निकासी व्यवस्था को अपनाया जाना और निवेश अनुमोदन से पूर्व परियोजना रिपोर्टों का पूर्ण मूल्यांकन;

(ii) निधियों को पूर्णरूप से एकत्रित किए जाने के पश्चात् ही परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू करना;

(iii) सरकार द्वारा परियोजनाओं की मासिक और साथ ही त्रैमासिक आधार पर गहन समीक्षा;

(iv) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास से संबद्ध मुद्दे, वन संबंधी निकासियां, अधिसंरचनात्मक सुविधाएं एवं परियोजना स्थलों पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने इत्यादि से संबंधित समस्याओं के संबंध में राज्य सरकारों के साथ अनुवर्तन;

(v) विभाग द्वारा निष्पादित परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों में शक्ति प्रदत्त समितियों का गठन;

(vi) अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतरमंत्रालयी समन्वय;

(vii) समय और लागत वृद्धि के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालयों/विभागों में स्थायी समितियों का गठन;

(viii) प्रत्येक परियोजना के लिए कार्यावधि की निरंतरता के साथ केन्द्रक अधिकारियों की नियुक्ति; और

(ix) मानक बोमली दस्तावेजों को अपनाने के लिए दिशा-निर्देशों का जारी किया जाना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव और उन्नयन

623\. **श्री राजेन्द्र कुमार :**
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खंडूडी :
श्री डी०वी० सदानन्द गौडा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव और उन्नयन के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) उपर्युक्त वर्षों के दौरान राज्यों को कितनी धनराशि उप आबंटित की गयी और वर्ष-वार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या उपर्युक्त आबंटन उत्तरांचल के मामले में अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करने तथा वर्तमान राजमार्गों की मरम्मत/उन्नयन के प्रस्ताव विशेषत: कर्नाटक से ऐसे प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(छ) उक्त प्रस्तावों की कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) वित्त वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और उन्नयन के लिए आबंटित धनराशि इस प्रकार है।

	2004-05 (करोड़ रु०)	2005-06 (करोड़ रु०)
राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन	6958.70	10257.34
अनुरक्षण	745.56	769.14

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि का आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। वित्त वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि का राज्यवार आबंटन और उपभोग का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) उत्तरांचल सहित राज्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और अनुरक्षण हेतु धनाशि, धनराशि की उपलब्धता, निर्माण कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार प्रदान की जाती है। तदनुसार, उत्तरांचल को प्रदान की गई धनराशि पर्याप्त है।

(ङ) से (छ) राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में कर्नाटक सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों

का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया हैं। सरकार ने फरवरी, 2004 में 7457 कि०मी० राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था। वित्तीय एवं अन्य समस्याओं के कारण फिलहाल सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बजाय विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर बल दिया जा रहा है। तद्नुसार सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया था।

विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/विकास के लिए सरकार के पास कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य धनराशि की उपलब्धता एवं निर्माण कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के अनुसार किया जा रहा है।

विवरण-I

2004-05 और 2005-06 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यों को आबंटित और उपयोग की गई धनराशि के ब्योरे

(करोड़ रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2004-05				2005-06			
	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास		अनुरक्षण एवं मरम्मत		राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास		अनुरक्षण एवं मरम्मत	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (30.6.05 के अनुसार)	आबंटन	व्यय (30.6.05 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	96.74	89.86	35.13	20.65	86.23	17.19	43.78	6.65
अरुणाचल प्रदेश	6.00	5.91	0.41	0.10	7.00	0.00	0.32	0.01
असम	79.81	77.84	26.59	11.28	61.50	6.00	25.08	2.10
बिहार	79.51	52.64	46.28	22.25	79.00	17.00	30.78	98.80
चंडीगढ़	1.00	1.00	0.93	0.40	2.00	0.20	0.50	0.30
छत्तीसगढ़	36.26	34.89	26.99	16.69	53.70	8.73	19.03	2.78
दिल्ली	4.00	3.95	0.75	0.00	5.50	0.35	0.42	0.00
गोवा	5.00	5.00	2.80	1.75	5.50	0.00	25.5	0.15
गुजरात	70.35	53.64	34.86	26.09	69.77	17.64	27.00	1.38
हरियाणा	46.00	37.87	11.80	3.96	47.00	9.19	10.52	2.45
हिमाचल प्रदेश	45.00	40.48	17.75	13.53	42.00	9.19	14.70	3.62
जम्मू-कश्मीर	0.22	0.21	0.44	0.05	0.00	0.00	0.42	0.00
झारखंड	35.00	14.04	23.28	7.63	35.00	7.78	17.96	3.06
कर्नाटक	81.51	76.69	34.40	31.56	74.61	8.31	33.60	5.63
केरल	64.69	58.38	13.20	7.40	55.96	8.42	33.19	1.55
मध्य प्रदेश	94.90	82.86	59.49	49.85	93.03	14.89	54.14	6.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	78.98	65.07	48.48	41.61	100.65	9.77	42.50	2.30
मणिपुर	14.07	13.78	8.79	3.20	16.07	0.21	10.08	0.56
मेघालय	28.43	28.26	14.60	9.11	26.21	2.60	8.63	1.14
मिजोरम	25.00	24.91	4.87	1.90	21.50	3.90	4.33	1.05
नगालैंड	16.00	16.00	3.79	1.13	11.00	0.86	3.44	0.17
उड़ीसा	74.55	72.33	37.24	24.06	67.63	8.72	34.56	1.81
पांडिचेरी	2.13	2.07	0.84	0.65	5.00	0.31	0.80	2.53
पंजाब	54.79	50.72	20.26	14.52	49.01	21.56	18.68	0.04
राजस्थान	64.72	46.34	53.09	39.48	75.36	23.90	45.54	11.61
तमिलनाडु	86.55	65.15	37.99	29.18	90.91	15.00	57.92	10.73
उत्तरांचल	28.44	26.48	14.60	7.99	25.06	11.72	11.60	2.71
उत्तर प्रदेश	186.43	186.40	53.87	44.15	139.30	61.71	46.32	5.48
पश्चिम बंगाल	183.70	71.90	24.95	15.79	256.30	11.26	21.40	4.48
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह					5.00	0.00		

नोट – राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटन में राष्ट्रीय राजमार्गों (मूल) के लिए धनराशि, स्थायी पुल शुल्क निधि और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं शामिल हैं।

विवरण-II

नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	लंबाई (कि०मी०)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	17	4590.00
2.	गुजरात	19	3806.00
3.	कर्नाटक	20	4518.10
4.	केरल	1	164.00
5.	हरियाणा	3	60.40
6.	मेघालय	2	442.00
7.	नगालैंड	3	725.00
8.	उड़ीसा	13	1584.87
9.	राजस्थान	17	2715.00
10.	तमिलनाडु	2	152.00
11.	त्रिपुरा	1	310.00
12.	उत्तर प्रदेश	7	943.23

विवरण-III

विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन/मरम्मत के लिए लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन/मरम्मत	
		लंबित प्रस्तावों की संख्या	धनराशि (करोड़ रु०)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12	72.04

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	14.60
3.	असम	26	99.66
4.	बिहार	8	67.40
5.	छत्तीसगढ़	19	19.82
6.	दिल्ली	3	8.50
7.	गुजरात	19	57.39
8.	हिमाचल प्रदेश	13	7.92
9.	हरियाणा	7	24.83
10.	झारखंड	6	15.91
11.	कर्नाटक	16	38.00
12.	केरल	6	13.20
13.	मध्य प्रदेश	60	146.72
14.	महाराष्ट्र	2	150.00
15.	मणिपुर	3	1.33
16.	मेघालय	5	27.46
17.	मिजोरम	3	12.42
18.	नागालैंड	5	30.31
19.	उड़ीसा	14	49.01
20.	पंजाब	12	33.20
21.	पांडिचेरी	3	10.42
22.	राजस्थान	25	70.52
23.	तमिलनाडु	31	48.91
24.	उत्तर प्रदेश	28	63.91
25.	उत्तरांचल	9	7.80
26.	पश्चिम बंगाल	27	32.13

[हिन्दी]

विदेशी सहायता का उचित उपयोग

624. **श्री मुन्शीराम : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीकृत विदेशी सहायता की राशि को सड़क परियोजनाओं पर उचित रूप से खर्च किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) अब तक सड़क परियोजनाओं हेतु कुल कितनी विदेशी सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी है; और

(ङ) विदेशी सहायता राशि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण अब तक कितनी ब्याज राशि का भुगतान किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०एच० मुनियप्पा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बी०एस०एन०एल० सिम कार्डों की कमी

625. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बी०एस०एन०एल० सिम कार्डों की मांग की तुलना में कम आपूर्ति के क्या कारण हैं;

(ख) उपभोक्ताओं की मांग को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या सामने आ रही है उनकी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान कितने व्यक्तियों को सिम कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है और कितने उपभोक्ताओं के आवेदन लंबित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एसएन०एल०) की सेल्युलर सेवाएं जनता में काफी लोकप्रिय हैं जिसके परिणामस्वरूप इसके सेल्युलर उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1,02,51,184 है जबकि इसकी क्षमता 1,03,47,573 लाइनों की है। क्षमता संबंधी बाधा के कारण देश के विभिन्न भागों में कनेक्शन अस्थायी तौर पर नियंत्रित रूप से जारी किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) बी०एस०एन०एल० ने देश भर के अपने सेल्युलर नेटवर्क में 14एम लाइनों की वृद्धि करने के लिए क्रयादेश जारी कर दिया है। नेटवर्क रॉल आउट संबंधी कार्य प्रगति पर है तथा पिछले

माह से इसकी क्षमताओं का उपयोग किया जा रहा है और आशा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान संपूर्ण नियोजित क्षमता उपलब्ध हो जाएगी।

(घ) बी०एस०एन०एल० ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 65 लाख सेलुलर कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार बी०एस०एन०एल० के सेलुलर कनेक्शनों के लिए लगभग 13,86,076 आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में रखे गए हैं।

[अनुवाद]

चीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना

626. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है जैसा कि दिनांक 3 जुलाई, 2005 के द हिंदू में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ज्ञापन को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां। भारत और चीन के बीच 1 जुलाई, 2005 को खेल सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार, देनों देशों के बीच शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र से संबंधित साहित्य, सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों का आदान-प्रदान किया जाएगा। समझौता-ज्ञापन में विशेषज्ञों, कोचों, रेफरियों, जजों, खेल अधिकारियों, प्रशासकों और खेल विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया गया है। समझौता-ज्ञापन में दोनों देशों में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों में विशेषज्ञों और खेल अधिकारियों की सहभागिता की तथा खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में व्याख्यान देने की परिकल्पना भी की गई है।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण और चीन के खेल में सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मानव संसाधन विकास केन्द्र की विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचान की गई है।

रोगों की रोकथाम के लिए धनराशि आबंटन

627. **श्री राजेन्द्र कुमार :**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :
श्री स्वदेशी चक्रवर्ती :
श्री समिक लाहिरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तपेदिक, घेंघा, कैंसर, एड्स, हृदय रोगियों और निःशक्त व्यक्तियों की राज्यवार कुल कितनी संख्या है;

(ख) इन सभी रोगों के क्या कारण हैं;

(ग) पूर्वोक्त रोगों के कारण हुई मृत्यु का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं और पूर्वोक्त रोगों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने और उनका पता लगाने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बी०एस०एन०एल० कैश कार्डों की उपलब्धता

628. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या संचार और सचूना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में बी०एस०एन०एल० के कैश कार्ड तथा नियमित कार्ड उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कार्ड कब से उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) कार्डों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) पोस्ट-पेड सेल्युलर कनेक्शन मांग पर उपलब्ध है। तथापि नेटवर्क क्षमता की कमी के कारण प्री-पेड कनेक्शनों

को जारी करने पर राजस्थान के कुछ भागों में अस्थायी रूप से नियंत्रण रखा गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बी०एस०एन०एल० पहले से ही राजस्थान राज्य में नेटवर्क क्षमता में 8.5 लाख लाइनों की वृद्धि कर रहा है। नेटवर्क विस्तार का कार्य चल रहा है और क्षमता की उपलब्धता के अनुरूप सेल्युलर कनेक्शन उत्तरोत्तर रूप से जारी किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक में टेलीफोन एक्सचेंज

629. श्री जी० करूणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विशेष रूप से बेल्लारी जिले में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है तथा आज की तारीख तक इनकी एक्सचेंज-वार क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने तथा कुछ नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त जिले में प्रतीक्षा सूची को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) कर्नाटक में कुल 2708 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं जिनमें से बेल्लारी जिले में 121 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। बेल्लारी जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता डब्ल्यू०एल०एल० प्रौद्योगिकी के माध्यम से बढ़ायी जा रही है। नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की कोई योजना नहीं है।

(ग) बेल्लारी दूरसंचार जिले में एच०बी० हल्ली, बेल्लारी, हारापनाहल्ली, हुवीनाहादागली, कुडलिगी, संदूर और सिरूगुप्पा प्रत्येक अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र में सी०डी०एम०ए० डब्ल्यू०एल०एल० प्रौद्योगिकी पर आधारित 750 लाइनों की क्षमता वाला अतिरिक्त बी०टी०एस० स्थापित करने की योजना है।

(घ) वर्तमान में, बेल्लारी दूरसंचार जिले में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

विवरण

बेल्लारी दूरसंचार जिले में एक्सचेंज और उनकी क्षमता

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज की क्षमता
1	2	3
1.	अरासिकेरे	248
2.	बचीगोंडानहली	152
3.	बालाकुंडी	96
4.	बांदड़ी	152
5.	बांदड़ी (एच०पी०एन०)	184
6.	बनविकल	152
7.	बेल्लारी ए०पी०एम०सी० यार्ड	1256
8.	बेल्लारी कैंट	5512
9.	बेल्लारी कैंट	250
10.	बेल्लारी जी० नगर	4768
11.	बेल्लारी जी० नगर	250
12.	बेल्लारी मेन	11536
13.	बेल्लारी मेन	250
14.	बेल्लारी आर० कालोनी	1256
15.	बेल्लारी सास्त्रीनगर	3128
16.	बेवीना हल्ली	184
17.	भागेवाडी	152
18.	चेल्लागुर्की	152
19.	चिगातेरी	248
20.	चिक्काजोगीहल्ली	336
21.	चोरानुर	184
22.	दम्मूर	192
23.	दरोजी	120
24.	देवगिरी	184
25.	देवासमुद्र	248

1	2	3
26.	दोनीमलई	1512
27.	एम्मीगनर	368
28.	गाडीगनूर	152
29.	गरगा नगालापुरा	152
30.	गुडेकोटा	184
31.	गुंडागट्टी	152
32.	एच० वीरापुरा	184
33.	एच०बी० हल्ली	2272
34.	हगरी	248
35.	हलावागलु	312
36.	हम्पासागर	336
37.	हनासी	152
38.	हराकाभावी	152
39.	हारापनाहल्ली	2000
40.	हातचोल्ली	152
41.	हिरे हदागली	336
42.	हिरे मल्लानाकेरी	184
43.	हिरेमगलागेरी	184
44.	होलालू	336
45.	होस्पेट० जे०पी० नगर	1512
46.	हेस्पेट० एम०जे० नगर	3000
47.	होस्पेट मेन	10000
48.	होस्पेट मेन	224
49.	ओस्पेट टी०बी० डैम	1256
50.	हुरालीहल	152
51.	हुविन्हादागली	1192
52.	इट्टिग्गी	336
53.	जलीहाल	152

1	2	3
54.	के० अय्यानाहल्ली	152
55.	के० होसाहल्ली	512
56.	के० बेरापुरा	120
57.	कल्लूकम्बा	248
58.	कमलापुर	1000
59.	कम्बातारहल्ली	248
60.	कम्मारचेडू	192
61.	कम्पली	2000
62.	कांचीकेरी	248
63.	कप्पागल	184
64.	करूर	488
65.	कोगली	152
66.	कोलागल्लु	152
67.	कोम्बली	152
68.	कोरालागुंडी	152
69.	कोट्टूर	1480
70.	कुडीथिनी	744
71.	कुडलिगी	1512
72.	कुडूधारहल	152
73.	कुरूगोडू	1000
74.	एम०एम० हल्ली	1000
75.	माधिहल्ली	152
76.	मगला	152
77.	मात्तीहल्ली	320
78.	मेत्री	152
79.	मिंचेरी	120
80.	मोका	488
81.	मोरीगेरे	136

1	2	3
82.	नगाथीबासापुर	152
83.	नंदीबेवूर	152
84.	नंदीहल्ली	88
85.	नीलागुंड	152
86.	निबंलगेरी	152
87.	नित्तूर	184
88.	पापीनायाकनहल्ली	152
89.	रामासागर	488
90.	ररावी	184
91.	सानापुर	184
92.	संदूर	1640
93.	सिद्दाम्मनाहल्ली	184
94.	सिंदीगेरे	184
95.	सिरागुप्पा मेन	2888
96.	सिरीगेरे	488
97.	सोगी	184
98.	सोमसमुद्र	184
99.	श्रीधरागड्डा	120
100.	सुग्गेनेहल्ली	184
101.	तलूर	152
102.	तंबराहल्ली	352
103.	तारानगर	184
104.	टेक्कलकोटा	488
105.	तेलगी	336
106.	तिम्मलापुर	152
107.	तूलाहल्ली	152
108.	तोरांगल्लू	808
109.	तोरांगल्लू	250
110.	उचंगीदुर्गा	248
111.	उज्जिनी	336
112.	उलावट्टी	152
113.	उप्पीनायाकनहल्ली	248
114.	उट्टंगी	152
115.	वड्डाट्टी	152
116.	वन्नीनूर	248
117.	विद्यानगर जे०वी०एस०एल०	1000
118.	विरूपापुरा	152
119.	वाई बुदिहल	120
120.	येरांगली	152
121.	यशवंतनगर	152

एम्स में अनियमितताएं

630. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा एम्स द्वारा दिए गए वित्तीय सहायता अनुदान में बड़ी खामियां, परिवहन भत्ते के अनियमित भुगतान तथा अनुचित खरीद योजना आदि की ओर इशारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एम्स में अनियमितताएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2005 की अपनी रिपोर्ट में गैर पात्र अधिकारियों को वित्तीय सहायता देने, अपात्र अधिकारियों को वाहन-भत्ते के भुगतान में अनियमितताओं तथा कुछ उपकरणों की खरीद में अपूर्ण प्रापण को दर्शाया है। उन्होंने वाहन-भत्ते के अधिक वसूली की भी सलाह दी है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार, वित्तीय सहायता केवल पात्र श्रेणी के अधिकारियों को ही दी गयी थी। तथापि, इस मामले को लेखापरीक्षा महानिदेशक के साथ सुलझाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 05.10.2004 से अपात्र अधिकारियों को वाहन-भत्ते

का भुगतान बंद कर दिया गया है। अधिक भुगतान की वसूली के मामले की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा जांच की जा रही है। समुचित प्रापण नियोजन सुनिश्चित करने, निर्माण कार्यकलापों के साथ समक्रमिक बनाने के लिए अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

डाकघरों के डेबिट कार्ड्स

631. **श्री किसनभाई वी० पटेल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशभर के डाकघरों के पास स्वयं के डेबिट कार्ड्स होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) और (ख) डाक विभाग का डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए कभी भी और कहीं भी बैंकिंग शुरू करने का विचार है इसके लिए ग्राहकों को लेन-देन करने हेतु डेबिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, यह मामला विचाराधीन है और इस संबंध में ब्यौरे अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

632. **डा० के० धनराजू :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
मो० शाहिद :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं काफी घटिया स्तर की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु निर्धारित किए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2004-2005 के दौरान स्वीकृत और खोले गए सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और वर्ष 2005-06 हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को ग्रामीण भारत के कुछ भागों में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का पता है, जो कि मुख्यतः स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना और कार्मिक शक्ति की कमी में अंतरालों के कारण हैं।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने के लिए जनसंख्या मानक इस प्रकार हैं :—

स्वास्थ्य संस्था	जनसंख्या मानदण्ड मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

(घ) और (ङ) वर्ष 2005-06 के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य और 2003-04 एवं 2004-05 (सितम्बर, 2004 तक) के दौरान उपलब्धियां संलग्न हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिए गए लक्ष्यों को पूरा करके मौजूदा अंतरालों को भरने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार नए सामुदायिक केन्द्रों (30-50 पलंग) के सृजन पर विचार किया जाएगा।

विवरण

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लक्ष्यों की अपेक्षा लक्ष्य और उपलब्धियां :

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	दसवीं योजना लक्ष्य और निम्न के दौरान उपलब्धि			
		लक्ष्य 2005-06 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2003-04 और 2004-05 (सितम्बर, 2005 तक) के दौरान उपलब्धि	लक्ष्य 2005-06 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2003-04 और 2004-05 के दौरान उपलब्धि सितम्बर, 2005 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	76	104	50	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	27	0	19	0

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	75	0	95	0
5.	छत्तीसगढ़	39	4	6	2
6.	गोवा	1	0	1	0
7.	गुजरात	0	0	1	23
8.	हरियाणा	3	6	9	8
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
11.	झारखण्ड	27	0	29	0
12.	कर्नाटक	0	0	5	4
13.	केरल	0	0	18	8
14.	मध्य प्रदेश	29	1	24	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	21	31
16.	मणिपुर	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	1	10
18.	मिजोरम	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	2	19	1	7
20.	उड़ीसा	0	0	25	74
21.	पंजाब	0	0	3	12
22.	राजस्थान	0	0	12	11
23.	सिक्किम	0	0	0	2
24.	तमिलनाडु	0	0	55	0
25.	त्रिपुरा	9	0	2	0
26.	उत्तरांचल	2	1	8	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	126	7
28.	पश्चिम बंगाल	110	0	62	0
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	0	0	0	0
31.	दादरा व नगर	0	0	0	0
32.	दमण व दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	6	0	2	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	0	0	0	0
	अखिल भारत:	406	135	575	199

नोट:— दी गई उपलब्धियां इस अवधि के दौरान स्थापित किए गए केन्द्रों की संख्या है जबकि दसवीं योजना लक्ष्य दिए गए हैं।

मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना

633. श्री दुष्यंत सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) ने मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राजस्थान के झालाबाड़ जिले सहित राज्यवार कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची समाप्त करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि अधिकांश लंबित प्रतीक्षा सूची दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में है जिन्हें वायरलाइन पर आर्थिक रूप से कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए बी०एस०एन०एल० ने बड़े पैमाने पर डब्ल्यू०एल०एल० अवसंरचना स्थापित करने की योजना बनायी है ताकि प्रतीक्षा सूची को कम की जा सके और भविष्य की मांग को पूरा किया जा सके। चालू वर्ष के दौरान डब्ल्यू०एल०एल० अवसरंचना उपलब्ध कराने के लिए सर्किल वार योजना संलग्न विवरण में दी गई है।

झालावाड़ जिले में डब्ल्यू०एल०एल० नेटवर्क विस्तार की योजना नीचे दी गई है :

(i) झालरापतन, पीरावा, डाग, चौमेहला और अकलेरा प्रत्येक में 750 लाइनों की 5 सी०डी०एम०ए० डब्ल्यू०एल०एल० (वायरलेस इन लोकल लूप) बी०टी०एस० (बेस टर्मिनल स्टेशन) संस्थापित किए गए हैं।

(ii) मनोहरथाना, घटोली, खानपुर और भवानीमंडी प्रत्येक में 750

लाइनों की 4 सी०डी०एम०ए० डब्ल्यू०एल०एल० बी०टी०एस० संस्थापित करने की योजना बनाई गई है।

(ग) विभिन्न राज्यों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची के निपटान हेतु बी०एस०एन०एल० द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डब्ल्यू०एल०एल० नेटवर्क की संस्थापना जो लैंडलाइन नेटवर्क का स्थान ले सके।

(ii) जहां कही मांग होती है वायर लाइन कनेक्शनों के लिए बाह्य केबल बिछाने के मानक में छूट देकर इसे 2.5 कि०मी० से 5.0 कि०मी० कर दिया गया है।

(iii) सभी राजमार्गों, महत्वपूर्ण शहरों, तीर्थ स्थानों और राज्य राजमार्गों में मोबाइल नेटवर्क संस्थापित किए जा रहें हैं ताकि अधिक क्षेत्रों को कवर किया जा सके।

विवरण

क्र० सं०	सर्किल का नाम	डब्ल्यू०एल०एल० क्षमता जिसे 2005-06 के दौरान उपलब्ध कराए जाने की योजना है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	219750
2.	अंडमान व निकोबार	—
3.	असम	44300
4.	बिहार	101000
5.	छत्तीसगढ़	32800
6.	गुजरात	110000
7.	हरियाणा	145250
8.	हिमाचल प्रदेश	54000
9.	जम्मू-कश्मीर	91000
10.	झारखंड	—
11.	कर्नाटक	218250
12.	केरल	475500
13.	मध्य प्रदेश	106500
14.	महाराष्ट्र	295250
15.	पूर्वोत्तर-I	56250
16.	पूर्वोत्तर-II	51250
17.	उड़ीसा	50000
18.	पंजाब	50250
19.	राजस्थान	203500
20.	तमिलनाडु	293250
21.	उत्तर प्रदेश पूर्व	57000
22.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	138000
23.	उत्तरांचल	60000
24.	पश्चिम बंगाल	133750
25.	चेन्नई	—
26.	कोलकाता	50000
	कुल	3036850

सी०जी०एच०एस० औषधालयों में खराब सेवाएं

634. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से इन औषधालयों में चिकित्सकों और परा-चिकित्सीय स्टाफ की उपस्थिति संतोषजनक न होने तथा सामान्यत: दवाईयां उपलब्ध न होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों और अस्पतलों में स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सी०जी०एच०एस० के डाक्टरों और स्टाफ के देर से आने और औषधालयों में औषधि की उपलब्धता की कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं। सी०जी०एच०एस० के औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में औषधि उपलब्ध हैं जिनकी आपूर्ति लाभार्थियों को उसी दिन की जाती है। जो औषधि औषधालय में उपलब्ध नहीं होती हैं, उनका प्रापण प्राधिकृत एवं स्थानीय दवा-विक्रेताओं के माध्यम से वैयक्तिक नुस्खों के आधार पर किया जाता है। कुल मिलाकर प्राधिकृत दवा-विक्रेताओं द्वारा औषधों की आपूर्ति दूसरे दिन अथवा तीसरे दिन की जाती है। जिन औषधालयों को प्राधिकृत दवा-विक्रेता से सम्बद्ध नहीं रखा गया है, उन औषधालयों से सम्बद्ध सी०जी०

एच०एस० लाभार्थियों (पेंशनभोगियों सहित) को खुले बाजार से औषधि क्रय करने की अनुमति दी जाती है तथा दवा पर खर्च हुई राशि की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाती है।

औषधालय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर तथा मुख्यालय स्तर पर शिकायतों पर नियमित निगरानी रखी जाती है। सी०जी०एच०एस० औषधालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए आंतरिक तौर पर निरीक्षण और पर्यवेक्षण भी किया जाता है। दिल्ली स्थित सी०जी०एच०एस० औषधालयों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए आठ विशेष निरीक्षण दल भी गठित किए गए हैं। सी०जी०एच०एस० औषधालयों की कार्यप्रणाली के सुधार लाने के लिए रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों के साथ नियमित बैठक भी की जाती है।

कर्नाटक में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन देना

635. **श्री जी० करुणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2004-2005 के दौरान कर्नाटक की प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने संबंधी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कर्नाटक की प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई शुरू की गई है;

(घ) उन गांवों के क्या नाम हैं जहां पर वर्ष 2004-05 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं; और

(ङ) वर्ष 2005-06 के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : (क) कर्नाटक में समस्त 5,692 ग्राम पंचायतों में पहले ही ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी०पी०टी०) प्रदान कर दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता

636. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी :**
श्री बीर सिंह महतो :
श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी :
श्री काशीराम राणा :
श्री पंकज चौधरी :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक प्रस्ताव लाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा करने की योजना बना रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान राजनयिक कदम के माध्यम से हमारे प्रयासों को विफल करने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि 3 जुलाई, 2005 को द हिंदुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) भारत के दावे का अब तक किन-किन देशों ने समर्थन किया है; और

(च) उपर्युक्त हेतु समर्थन जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई० अहमद) : (क) और (ख) ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ भारत (जिसे अब ग्रुप चार जी-4) के नाम से जाना जाता है ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 11 जुलाई, 2005 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर एक संकल्प प्रस्तुत किया है। जी-4 संकल्प में 6 नए स्थायी और 4 नए गैर स्थायी सदस्यों को जोड़ने के माध्यम से मौजूदा 15 सदस्यों को बढ़ाकर 25 कर देने की संकल्पना की गई है। जी-4 का प्रस्ताव तीन चरणों में सुधार लाने का है — स्वरूप संकल्प पर निर्णय, महासभा में नए स्थायी सदस्यों का चयन और तदुपरांत नए स्थायी सदस्यों के निर्धारण के उपरांत चार्टर में संशोधनों के लिए संकल्प को अपनाना।

(ग) से (घ) ''यूनायटिंग फार कन्सेसस'' नामक एक देशों का दल जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, स्थायी वर्ग में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में किसी भी प्रकार के विस्तार के विरुद्ध है। उन्होंने केवल अस्थायी वर्ग में विस्तार पुन: चुनाव की संभावना और नए अस्थायी सदस्यों के लिए लंबी अवधि की मांग की है। वे जी-4 संकल्प के विरुद्ध सक्रियता से गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

(ङ) जी-4 संकल्प के समर्थन में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है जिसे 31 देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया है। इस स्वरूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी हेतु समर्थन में उल्लेखनीय संवृद्धि हुई है। स्थायी तथा अन्य सदस्यों सहित अनेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की उम्मीदवारी अथवा द्विपक्षीय आदान-प्रदानों के संदर्भ में भारत के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। इस प्रकार का समर्थन विभिन्न मंचों और स्वरूपों में व्यक्त किया गया

है और इसलिए विशेष तौर पर भारत का समर्थन करने वाले देशों की निश्चित संख्या देना कठिन है।

(च) भारत ने 1994 में संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी। तब से भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रत्येक सत्र, समिति की बैठकों, बहुपक्षीय बैठकों के दौरान और द्विपक्षीय मुलाकातों में अपनी उम्मीदवारी के मुद्दे को उठाया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : महोदय, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2005 जो 20 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 35(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 20 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 32(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2005 जो 16 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 174(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं, *देखिए* संख्या एल०टी० 2345/2005]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : महोदय, मैं भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2005 जो 13 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 292(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, *देखिए* संख्या एल०टी० 2436/2005]

अपराह्न 12.01 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (फिल्लौर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कल्याण सिंह (बुलन्दशहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक, 2004 के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत* करता हूं।

अपराह्न 12.01¾ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : महोदय, मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(एक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2003-2004 के संबंध में तत्कालीन श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के तीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर समिति (2003) (तेरहवीं

---

* यह प्रतिवेदन 21 जून, 2005 को, जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष के निदेशों के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत 13वें प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

लोक सभा) के पैंतीसवें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण;

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 2347/05]

(दो) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003-2004) के संबंध में तत्कालीन श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर समिति (2003) (तेरहवीं लोक सभा) के छत्तीसवें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण;

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 2348/05]

(तीन) "दि ट्राइबल को-आपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" के संबंध में तत्कालीन श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) के तैंतीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) (चौदहवीं लोक सभा) के तीसरे की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण; और

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 2349/05]

(चार) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2004-2005 के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर समिति (2004-2005) (चौदहवीं लोक सभा) के पांचवें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 2350/05]

अपराह्न 12.03 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग) : महोदय, मैं 'कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास की स्कीम--स्वाधार' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2004-2005) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं विस्थापित व्यक्ति दावे और अन्य विधियां निरसन विधेयक, 2004 के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के एक सौ चौहदवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ चौसठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा० टोकचोम मैन्या (आतंरिम मणिपुर) : महोदय, मैं "मणिपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2005" के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के एक सौ चौसठवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी सिमति

(एक) नवासीवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004 के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के नवासीवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो साक्ष्य)

श्री अनिल बसु : अध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2004 के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल गृह मंत्री ने कहा था कि गुड़गांव के सवाल पर उन्हें पूरी जानकारी नहीं है और एक विस्तृत बयान सदन में आ कर देंगे *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। जब मैं खड़ा हो जाऊं तो आप लोग कृपया बैठ जाएं और मेरी बात सुनें। मैं ध्यानाकर्षण को शीघ्रता से निपटाने की कोशिश करूंगा। इस बात पर सहमति हो गई है कि "हम उन महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करेंगे।" मैं उसकी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर सहमति हो गई है। आप अगले 20-30 मिनट तक इंतजार करें।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : क्या गृहमंत्री बयान देंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यहां उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा सलाह मत दिया कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री मल्होत्रा की टिप्पणियां और माननीय मंत्री का उत्तर दर्ज किया जाएगा। अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे आफसोस है।

*(व्यवधान)**

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : महोदय, मेरा मुद्दा अलग है।

अध्यक्ष महोदय : इस चरण पर नहीं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, यह कॉलिंग अटेंशन के बारे में है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

महोदय, हम दिल्ली और देश के अन्य भागों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा कर रहे हैं और माननीय गृह मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं

[हिन्दी]

होम मिनिस्टर से इतना तो हो सकता है *(व्यवधान)* ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तो क्या हुआ? मुझे विश्वास है वे एक जिम्मेदार मंत्री हैं।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : वह राज्य सभा में है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य सभा में हैं, मुझे बताया गया है।

अपराह्न 12.05 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिश्चंद्र चव्हाण — उपस्थित नहीं। प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

"दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाएं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई"

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मल्होत्रा जी ने जिस महत्वपूर्ण विषय को उठाया है, मैं उसके संबंध में कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते। आप वक्तव्य पढ़ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने पहला पैरा नहीं पढ़ा।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, मैं वक्तव्य पढ़ रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं, देश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं के संबंध में इस सम्माननीय सदन के सदस्यों की गहरी चिन्ता में शामिल हूं। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या के प्रति पूर्णतः सचेत है तथा देश में महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको पूरा वक्तव्य पढ़ना है।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह कुछ आश्चर्यजनक है। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी को यहां होना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : वे दूसरे सदन में है।

(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गुरूदास दासगुप्ता : यह मंत्री की ओर से घोर अनियमितता का मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : किसी से भी गलती हो सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत सचेत सदस्य हैं। आपने सुझाव दिया और इन्होंने उसमें सुधार कर दिया। आप यह कह कहते हैं कि यह एक बहुत गंभीर मामला है। अतः, कृपया सदन में समुचित रूप से चर्चा चलने दें। कृपया, ऐसे ही कुछ भी न कहें।

[हिन्दी]

***श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) द्वारा संकलित अखिल भारतीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 तथा 2005 (मार्च तक) के दौरान महिलाओं के प्रति सूचित मुख्य अपराध जैसे बलात्कार, अपहरण तथा व्यपहरण, दहेज संबंधी मृत्यु, प्रति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, उत्पीड़न, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम तथा दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम की संख्या नीचे दी गई है :—

2001	—	1,33,935
2002	—	1,32,803
2003	—	1,28,230
2004	—	1,33,865
जनवरी से मार्च, 2004 तक	—	30,114
जनवरी से मार्च, 2005 तक	—	29,932

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यहां बहुत खुसर-फुसर हो रही है। आप इस विषय पर समुचित रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप एक महत्वपूर्ण विषय पर उचित रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इन आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2004 के दौरान देश में महिलाओं के प्रति अपराध की समग्र घटनाओं में कमी आई थी। चालू वर्ष के प्रथम तीन महीनों के लिए महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े भी विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कमी का रुझान इंगित करते हैं। तथापि, सभी चारों वर्षों संबंधी आंकड़े मिले-जुले रुझान को दर्शाते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहते समय इसपर टिप्पणी कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को निर्देश दे रहा है।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 2351/2005।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004 तथा 2005 (15 जुलाई तक) के दौरान दहेज मृत्यु, बलात्कार, महिलाओं का उत्पीड़न, दहेज से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 406, भारतीय दंड संहिता 498 – पति अथवा ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अपहरण/व्यपहरण और महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे मुख्य अपराध शीर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के प्रति सूचित अपराधों की संख्या इस प्रकार थी :–

2001	–	3,870
2002	–	4,106
2003	–	4,338
2004	–	5,568
जनवरी से 15 जुलाई, 2004 तक	–	3,042
जनवरी से 15 जुलाई, 2005 तक	–	2,706

उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के दौरान जनवरी से 15 जुलाई की अवधि में महिलाओं के प्रति अपराध के आंकड़े विगत वर्ष के इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में समग्र अपराध दर में कमी दर्शाते हैं। तथापि, यह सच है कि वर्ष 2003, 2004 और चालू वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान दिल्ली में बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई है।

महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस ने हाल में कारगर कदम उठाए हैं। इन कदमों में शामिल हैं – महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करना, रेप क्राइसेस इन्टरवेंशन सेंटर की स्थापना, महिला न्यायाधीशों वाले विशेष सत्र न्यायालयों का गठन, महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा बलात्कार और अन्य संबंधित अपराध की जांच अथवा ऐसे मामलों में जांच अधिकारियों के साथ महिला पुलिस को संबद्ध करना, कानूनी जागरुकता और प्रचार अभियान चलाना, महत्वपूर्ण महिला महाविद्यालयों में गश्त करने वाले पी०सी०आर० वाहनों में महिला पुलिस कांस्टेबल की तैनाती, महिलाओं के साथ छेड़खानी और उत्पीड़न को समाप्त करने तथा अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए शहर में महत्वपूर्ण स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती, महिला हैल्प लाइन नं० 1991 की स्थापना, महिलाओं की तात्कालिक, संकट परिस्थिति एवं आपातकाली कॉलों को सुनने के लिए 24 घंटों महिला मोबाइल टील का गठन, आदि। इन कदमों के परिणामस्वरूप, महिलाओं के बीच अपराध की घटनाओं को रिपोर्ट करने के संबंध में व्यापक जागरुकता आई है।

दुर्भाग्यवश, दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए इन कदमों के बावजूद, हाल ही में जल्दी-जल्दी बलात्कार के दो मामले घटित हुए। इन मामलों को व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त हुई। पहला मामला धौला कुंआ से एक लड़की के व्यपहरण तथा 7/8 मई, 2005 की रात्रि को चलती कार में उसके साथ बलात्कार से संबंधित है। इस मामले में दिल्ली पुलिस दोषी व्यक्तियों में से एक को गिरफ्तार करने में सफल रही है। दिल्ली पुलिस ने अन्य अभियुक्तों को पकड़ने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। दूसरा मामला, जो इसी प्रकार का है, मायापुरी से एक महिला के व्यपहरण तथा 20 जुलाई, 2005 को चलती कार में उसके साथ बलात्कार से संबंधित है। इस मामले को हल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने काफी व्यापक अभियान चलाया है।

दिल्ली में अपराध की घटनाओं को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक, जनसंख्या का भिन्न जातीय स्वरूप है। अपराध में वृद्धि और शहर की जनसंख्या के बीच एक सकारात्मक सह-संबंध है। जनसंख्या के अलावा, अन्य कारण जैसे यायावर जनसंख्या, शहरीकरण और उद्योगीकरण के कारण पड़ोसी राज्यों से जनसंख्या का पलायन, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता तथा घटते सामाजिक और पारिवारिक बंधन भी अपराध की घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं।

बलात्कार के मामलों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 में 97% से अधिक मामलों में पारिवारिक सदस्य, पड़ोसी, नजदीकी मित्र तथा रिश्तेदार बलात्कार में संलिप्त थे जिनकी पीड़िता तक पहुंच आसान थी। अत: केवल पुलिस कार्रवाई द्वारा ही इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के जरिए परिवारों, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सामाजिक जागरुकता पैदा करने से महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। अपराध की रोकथाम में यह कदम दूरगामी सिद्ध होगा।

मैं, माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार दिल्ली में महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए आगे और कदम उठाएगी।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के बयान से हमें बहुत निराशा हुई है। यह बहुत ही डिस्करिंटग और शर्मनाक स्थिति है और ऐसा ही इनका बयान है। बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिन पर बहुत गहरा वाद-विवाद होना चाहिए इसलिए उन बातों को मैं यहां उठाना नहीं चाहता हूं। महिलाओं पर अत्याचार, चुड़ैले बता कर उनकी हत्या कर देना, पारिवारिक सम्मान के लिए हत्या, दहेज समस्या, ये दूसरे प्रश्न हैं, परन्तु आपका यह कहना कि सिर्फ बलात्कार की दो घटनाएं हुई हैं, इससे ज्यादा गलत बयान संभव नहीं हो सकता है। मैं पिछले सात दिनों के अखबार आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला अखबार 24 जुलाई का है–

[प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा]

"अनसेफ दिल्ली – श्री रेपस् रिपोर्टेड इन 24 आवर्स।"

एक दिन के अंदर, 24 घंटों में तीन बलात्कार हुए। दूसरा अखबार 25 जुलाई का है–

'25 इअर ओल्ड रेपड् इन दिल्ली, टू हेल्ड "सिक्स हेल्ड आफ्टर साउथ दिल्ली शूट-आउट एंड रेप"; "यट अगेन रेप इन ए मूविंग कार"; अनॉदर मॉर्निंग अनॉदर नाइटमेअर – अनॉदर दिल्ली वुमैन फाल्स विक्टिम टु ए गैंग रेप इन ए कार नॉट फ्रॉम धौला कुआँ"।

"राजधानी महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित" ये सात दिन के अखबार हैं।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह कहना कि दिल्ली में हाल ही में जल्दी-जल्दी सिर्फ दो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, ठीक नहीं है। सारी दिल्ली बलात्कार की घटनाओं से दहल रही है, सारी दिल्ली में असुरक्षा की भावना है, महिलाओं का रात को निकलना बन्द है। इन घटनाओं से जो स्थिति पैदा हुई है, उनमें इस प्रकार से एक केजुअल सा बयान देना, मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है, यह बहुत शर्मनाक बयान है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमती शीला दीक्षित जी से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ला-एंड-आर्डर नहीं है। चूंकि शान्ति-व्यवस्था दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है इसलिए इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री महोदय की है। अभी मैं आपको सुश्री गिरिजा व्यास का एक बयान पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वे इन्हीं की पार्टी की हैं और महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। उन्होंने बयान दिया है जो अखबारों में छपा है। उन्होंने "विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार" की एक घटना का जिक्र किया जो अखबार में छपा है और बाद में वे कहती है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रही। देश की राजधानी होने के कारण, काम की तलाश में देश के कोने-कोन से महिलाएं यहां आती हैं, लेकिन पर्याप्त सुविधा और सुरक्षा के अभाव में उन्हें हर पल अपनी जान और इज्जत जाने का डर बना रहता है।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की मुख्य मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के बयान, सुश्री गिरिजा व्याज के बयान और सारे मीडिया के कहने के बाद, देश में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, उसे देखते हुए मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को तुरन्त अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह मानना कि दिल्ली पुलिस इन घटनाओं को नहीं रोक सकती, आप शिक्षा का प्रबन्ध करिए, आप दूसरे प्रबन्ध करिए और केवल एक एस०एच०ओ० को सस्पेंड कर देना और सस्पेंड भी नहीं किया है, सिर्फ ट्रांसफर किया है, जिससे घटनाएं नहीं रुकेंगी। फिर यह कहना कि गृह मंत्री ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को बुलाया। इस प्रकार बड़ा भारी बयान दे देना, इससे मामला समाप्त हो जाएगा, इससे मामला शान्त हो जाएगा, यह समझना ठीक नहीं है। दिल्ली की स्थिति के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली में बाहर के लोग आते हैं, वे स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो माफिया गैंग आते हैं, जो बलात्कारी आते हैं, उनको दिल्ली में आने से रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं?

महोदय, अभी एक साल पहले तक, दिल्ली में बार-बार कहा गया था कि हरेक दिल्ली निवासी को एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे और दिल्ली में हर आदमी के पास एक पहचान होनी चाहिए। बलात्कारी दिल्ली आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, लेकिन उनको आप रोक नहीं पाते हैं। गुड़गांव में पुलिस 700 मजदूरों को जख्मी कर सकती हैं, लेकिन बलात्कारियों को पकड़ने में असमर्थ है, उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। आपने अपने बयान में यही बात कही लगती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अभी देश भर की बहुत सी बातों का यहां जिक्र हुआ, इमराना के केस का जिक्र हुआ। इमराना के केस के बारे में मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके ससुर ने सारी पवित्रताओं को नष्ट करते हुए, उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद एक फतवा दिया गया कि उसे अपने पति को अपना बेटा मान ले और ससुर के साथ पत्नी के रूप में रहना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इमराना के मामले में फतवा की पॉलिटिक्स चलेगी?

अध्यक्ष महोदय,* ... वे हिन्दुस्तान की महिलाओं का प्रतिनिधत्व करती हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। कृपया उस नाम को निकाल दें।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं इसे दोहराना चाहता हूं ...***(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह इससे उत्पन्न नहीं होता। कृपया प्रस्ताव से अलग न हटें। कृपया जारी रखें।

(व्यवधान)

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपनी बात को जारी नहीं रखेंगे तो मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, क्या किसी संसद सदस्य का उल्लेख करना असंसदीय की श्रेणी में आता है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। यह मेरा निर्णय है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि हमने महिलाओं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना आदेश दे चुका हूं।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इस देश में कॉमन सिविल कोड है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : इस देश में कॉमन सिविल कोड है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अनुचित है। एक गंभीर मामले पर चर्चा हो रही है। और अनावश्यक रूप से यह सब कोलाहल हो रहा है। यह एक गंभीर मामला है। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। अब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया दूसरे माननीय सदस्य पर आरोप लगाने के बदले अपनी बात पूरी करें।

[हिन्दी]

आप लोग बैठ जाइये।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : आप लोग बार-बार क्यों टोकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : वे पार्टी की नेता हैं तो उत्तर देने में क्या दिक्कत है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है।

[हिन्दी]

आप लोग बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उसे मेरे पास लाइए। मैं उसे देखूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जहां देश में कॉमन क्रिमिनल कोड है, कॉमन क्रिमिनल कोड में कोई भी व्यक्ति अगर बलात्कार करता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, यह मांग भी करते हैं, आपकी तरफ से भी कहा जाता है, परन्तु एक व्यक्ति बलात्कार करे, ससुर बलात्कार करे तो उसको पकड़ने की बजाय, उसको फांसी देने के बजाय उसे ईनाम दिया जाये और गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग चुप रह जायें, उसके ऊपर एक शब्द न बोलें, यह फतवा कंट्री में कब तक चलेगा? क्या अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए वहां पर महिलाओं के बलात्कार को बार-बार संरक्षण दिया जायेगा, यह हम जानना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी को तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : हाउस के अन्दर यहां पर हमारी यह मांग है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अजय चक्रवर्ती बोलेंगे।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : हां। इसे गंभीरता से ही लिया जाना चाहिए। इसे केवल गंभीर कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा।

श्री अजय चक्रवर्ती : यह देश के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय है। यह किसी राजनैतिक दल विशेष का मामला नहीं है। यह केवल किसी दल 'क' या दल 'ख' का मामला नहीं है। यह इस प्रकार से पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

दिल्ली हमारे देश की राजनैतिक राजधानी ही नहीं है। यह अपराधियों की भी राजधानी है। यह अपराध की राजधानी है। यहां अपराधिक गतिविधियों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत अधिक सुगबुगाहट हो रही है। यह भारतीय संसद है। ऐसा लगता है कि किसी को भी यह याद नहीं है। आप शांत रहिए। यह मजाक का विषय नहीं है। एक ऐसे गंभीर मामले पर चर्चा हो रही है और सभा में कम से कम शांति भी नहीं रखी जा रही है।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, दिन-प्रतिदिन अपराधिक कार्यवाहियां बढ़ती जा रही है। महिलाओं पर अत्याचार जैसे अपराध प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसा केवल दिल्ली में ही नहीं है। ऐसा पूरे देश में हो रहा है। बलात्कार, अपहरण, भगा ले जाना, शालीनता का उल्लंघन करना, महिलाओं की दहेज के लिए हत्या जैसे अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस गुडगांव में श्रमिक आंदोलन को दबाने में तो बहुत सक्रीय है। लेकिन पुलिस दिल्ली व अन्य स्थानों पर अपराधी गतिविधियों को रोकने में अप्रभावी रही है। महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह किसी दल 'क' या दल 'ख' का मामला नहीं है। यह एक प्रकार से पूरे देश की चिंता का विषय है। महिलाएं उत्पीड़न, बलात्कार और अपहरण का शिकार बन रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री अजय चक्रवर्ती : अब, मैं अपना प्रश्न रखूंगा। माननीय मंत्री जी तथा प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा पहले ही यह बता चुके हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, धौला कुंआ में, एक महिला का अपहरण कर चलती कार में उसके साथ दो व्यक्तियों ने बलात्कार किया *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती के कथन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुंवर मानवेन्द्र सिंह, मुझे खेद है, ऐसा लगता है कि मैं आप को तब तक ठीक नहीं कर सकता जब तक मैं आप को सभा से बाहर न भेज दूं। आप सुधार किए जाने से परे हैं।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती : पहले, मणिपुर में एक महाविद्यालय की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था। गत वर्ष दिल्ली के विधि महाविद्यालय की एक छात्रा के साथ भी बलात्कार हुआ था। यह घृणित अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

ऐसा स्थिति में, मेरा माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार महिलाओं के बलात्कार, भागा ले जाने, अपहरण, दहेज हत्या और शालीनता का उल्लंघन जैसे अपराधों से रक्षा करने और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम करने हेतु एक पुलिस का विशेष कृतिक बल गठित किए जाने पर विचार करने जा रही है?

कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य का विषय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इस प्रकार की अपराधी गतिविधियों तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने हेतु विशेष कृतिक बल गठित किए जाने पर परामर्श दिया है। दूसरे, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या भारत ससरकार महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामलों और महिलाओं से संबंधित सभी मामलों की जांच करने हेतु महिला कर्मियों वाला एक विशेष पुलिस प्रकोष्ठ स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है? तीसरे, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ऐसे किसी पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो केवल महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित मामलों की ही जांच करेगा?

अध्यक्ष महोदय : वे अपने वक्तव्य में इसका उल्लेख कर चुके हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : मंत्री जी के वक्तव्य और एन०सी०आर०बी० द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि दिल्ली और देश के अन्य भागों में ऐसे मामलों और ऐसे अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि इन अपराधों के संबंध में विभिन्न पुलिस थानों में कितने मामले दर्ज किए गए हैं? कितने मामलों में समुचित न्यायालयों में समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। कितने मामलों में न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। कितने मामलों में अपराधियों, आरोपियों को सजा सुनाई गई है और कितने मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया है? क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार बलात्कार, शील-भंग, दहेज, हत्या, आदि जैसे अपराधों की शिकार महिलाओं की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर विचार कर रही है? महोदय, अंत में, मैं आपके सम्मुख यह कहता हूं कि यह सभी देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। अत: सरकार को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने हेतु गंभीर उपाय करने चाहिए। यह आज की वेदना है। प्रत्येक व्यक्ति आवेश में है। यह आज के समय की एक गंभीर चिंता है। हम सभी को दलगत राजनीति से हटकर इसपर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया प्रश्न ही पूछिये। यह विस्तार में जाने का मामला नहीं है।

डा० सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर) : महोदय, यह भारी चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि सभी सदस्यों को इस मामले में बराबर चिंता होनी चाहिए। यह एक्स या वाई पर आरोप लगाने का प्रश्न नहीं है। जिस प्रकार से गत कुछ माह से रिपोर्ट आ रही हैं यह पूरे देश के लिए बड़ा शर्मनाक है। यह एक या दो या तीन माह का प्रश्न नहीं है। यदि हम पिछले सात या आठ या दस वर्षों की रिपोर्ट देखें तो इसी तरह की घटनाओं में बढ़ोत्तरी सामने आ रही है। हम सबको धौला कुंआ और मायापुरी की घटनाओं के बारे में पता है। चलती कार में बलात्कार एक नया रिवाज है। संभवत: पहले ऐसी रिपोर्ट नहीं होती थीं। चलती कार में बलात्कार एक नई चीज है। हमें स्विस राजनायिक वाली घटना के बारे में भी पता है। एक बार फिर यह सम्पूर्ण देश के लिए बहुत शर्मनाक थी। उसका बलात्कार हुआ था। उसे वापस अपने देश जाना पड़ा। भारत जैसे देश का उस पर क्या जवाब है? दिल्ली का क्या जवाब है? इसी तरह हम सबको तंदूर मामले का भी पता है उसमें एक राजनेता भी ··· नाम पर शामिल था।

अध्यक्ष महोदय : नाम मत लीजिये।

डा० सुजान चक्रवर्ती : ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा। एक राजनेता भी शामिल था। तंदूर मामला भी बहुत गम्भीर घटना थी। इसलिए दिल्ली में इस तरह के मामलों में वृद्धि हो रही है। श्री अजय चक्रवर्ती ने जब कहा कि दिल्ली देश की राजनैतिक राजधानी ही नहीं है, बल्कि यह इस तरह की गतिविधियों की भी राजधानी है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली में प्रतिवर्ष बलात्कार की 450 घटनाएं होती हैं। इनमें से तीस प्रतिशत अत्याचार बच्चों और युवा बालिकाओं के साथ होते हैं। सरकार का क्या जवाब है? यदि आप इन बुराईयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही को देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके विरुद्ध कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। माननीय मंत्री ने संभवत: अपने वक्तव्य के तीसरे पैरा में इसे इस तरह दिखाया है कि देश में ये मामले फट रहे हैं

वर्ष 2001 में यह 1,33,935 थे। वह गर्व के साथ बताते हैं कि 2004 में यह 1,33,865 थे। संख्या में इसमें अंतर नहीं है। प्रतिशतता में भी अंतर नहीं है। परन्तु फिर भी सरकार शेखी बघार रही है कि आंकड़ों में 70 की कमी हुई है। प्रतिशत आंकड़ों में भी यह घट नहीं रही है। चौथे और पांचवें पैरा में हम देख सकते हैं कि विवरण के अनुसार जहां देश में घटनाएं कम हुई हैं वहीं दिल्ली में घटनाओं में वृद्धि हुई है। 2001 में यह 3,870 थी; 2002 में 4106; 2003 में 4338 और 2004 में यह 5568 थी।

अध्यक्ष महोदय : विवरण में वह सब कुछ है। कृपया अपना प्रश्न करिये।

डा० सुजान चक्रवर्ती : स्पष्ट रूप से इसे ममाले पर सभी संबंधित लोगों और सरकार को समान रूप से ध्यान देना चाहिए।

महोदय, कन्या भ्रूण हत्या भी एक चिंता का मामला है। यह राष्ट्रीय राजधानी है। यह देश का दूरस्थ क्षेत्र नहीं है। यहां कन्या भ्रूण हत्या में भी वृद्धि हो रही है। मेरा मानना है कि सरकार को इस पर बहुत गम्भीर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपना असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी बताया कि वह ऐसा करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि पुलिस पर भारत सरकार का नियंत्रण है।

महोदय, विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट में यह इंगित किया गया है कि हमारी दंड प्रक्रिया और इन मामलों का निपटारा करने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया में विभिन्न खामियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सब बुराईयों के दोषसिद्धि के मामलों पर ध्यान देगी जो कि बहुत कम है। संभवत: यह चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं है अथवा उससे भी कम है। यह इतनी कम क्यों है। ऐसा क्यों है कि इनमें से बहुत से मामलों को पुलिस द्वारा दर्ज ही नहीं किया जा रहा है? ऐसा क्यों है कि पुलिस इन सब बुराईयों में उतनी रूचि क्यों नहीं ले रही है जितनी कि अन्य मामलों में लेती हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

डा० सुजान चक्रवर्ती : संभवत: कानून और पुलिस की कार्य प्रणाली में बहुत दोष हैं। वर्ष 1984 के पश्चात् कानून में कुछ संशोधन हुआ था। परन्तु उसके पश्चात् कोई संशोधन नहीं हुआ। सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया और इन मामलों से निपटने के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया को अच्छी तरह परिभाषित किया जाना चाहिए। बहुत से अन्य देशों और राष्ट्रमंडल देशों में भी प्रक्रिया परिवर्तित कर दिया गया है। हमने अपनी प्रक्रिया को कभी भी परिवर्तित नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

डा० सुजान चक्रवर्ती : हाल ही में आस्ट्रेलिया ने अपनी प्रक्रिया को परिवर्तित किया है, कनाडा ने अपनी प्रक्रिया को परिवर्तित किया है और दक्षिण अफ्रीका तक ने भी अपनी प्रक्रिया को परिवर्तित किया है। राष्ट्रमंडल देशों ने अपनी प्रक्रियाओं को बदल दिया है परन्तु हमने नहीं बदला।

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिये। श्री चक्रवर्ती, यह यहां बहस का विषय नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

डा० सुजन चक्रवर्ती : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे, गंभीरता से मामले पर विचार करेंगे और चर्चा करेंगे और सभी सम्बद्ध लोगों से जानकारी और सुझाव लेंगे ताकि एक प्रामाणिक कानून और प्रक्रिया को बनाये रखा जा सके।

धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रमंडल देशों सहित! हां, माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अध्यक्ष महोदय यह बहुत गम्भीर मामला है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पूरी चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार था परन्तु ध्यानाकर्षण पर जोर दिया गया। मैंने इसके तात्कालिक महत्व के कारण इसकी अनुमति दी। क्या आप नियमों का पालन करते हैं? कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी अगर इस महत्वपूर्ण ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ध्यानाकर्षण से संतुष्ट हैं। मुझे खेद है। मैं ऐसे नहीं चला सकता। श्री मोहन सिंह जी पचास हाथ खड़े कर दिए गए। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिट्ठी से कुछ नहीं होता है। सबके लिए कानून है, रूल है। आप रूल को पढ़िये।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : आज सदन में हमारे देश की जिस महत्वपूर्ण समस्या पर चिंता व्यक्त की जा रही है, हम समझते हैं कि उससे गंभीरतम समस्या हमारे मुल्क के लिए कोई दूसरी नहीं है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक गंभीर मामला है। किसी ने सूचना देने में भी रूचि नहीं ली।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : सबके लिए एक कानून नहीं है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सबके लिए एक ही कानून है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कालिंग अटैंशन की बात कर रहा हूं। आप एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के वक्तव्य के अलावा और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आप लोगों ने इस पर चिंता व्यक्त की है, इसमें कोई शक नहीं कि इस पर केवल हमारे चार माननीय सदस्यों ने ही अपनी चिंता व्यक्त की है।

इससे पूरा सदन ही नहीं बल्कि प्रत्येक माननीय सदस्य इस चिंता से पूरी तरह से ग्रस्त होगा और चाहता होगा कि हमारे देश को इस समस्या से कोई न कोई समाधान का रास्ता सामने मिल जाए। श्री

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विजय कुमार मल्होत्रा जी ने अगर थोड़ी राजनीति न की होती तो ज्यादा बेहतर होता। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : बलात्कार में क्या राजनीति होती है? ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : प्रश्न के साथ-साथ ये राजनीति करने लगे। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : इसमें ये क्या राजनीति करने लगे? ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायवाल : अभी बताता हूं कि क्या राजनीति है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मैंने जो बात कही है, ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : आप क्या बात कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, 6 साल राजग की सरकार रही है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको उसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे हटा दिया है आप प्रश्नों का उत्तर दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे : इसमें क्या राजनीति वे लेकर आए हैं? ...*(व्यवधान)* आपका कानून क्या कर रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अभी बता रहा हूं कि क्या राजनीति है लेकिन अब आप सुनेंगे तभी जानेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री परांजपे, आप अपने स्थान पर नहीं बैठे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे से अनुमति लेकर ही बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी जगह में जाइए। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, 6 साल तक राजग की सरकार रही है। मल्होत्रा जी उसके एक अंग रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग सुन नहीं रहे हैं। यह क्या बात है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि आप माननीय मंत्री के वक्तव्य को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कृपया बैठ जाइये। मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री को केवल आपकी इच्छानुसार बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

यह कया बात है? क्या मंत्री जी को आप बोलने नहीं देंगे?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कम से कम हमें अच्छी तरह कार्य करना चाहिए! आप ध्यानाकर्षण रख रहे हैं परन्तु आप उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, सन् 2001 में राजग की सरकार के दौरान 3870 बलात्कार के केसेज दिल्ली में हुए थे। सन् 2002 में 4106 केसेज हुए थे। सन् 2003 में 4338 केसेज हुए थे। क्या उन्होंने अपने गृह मंत्री जी ने कभी इस्तीफा मांगा था? मैं राजनैतिक भाषा बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप छोड़िए न।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय, विवाद में मत पड़िये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, मैं इसलिए बता रहा हूं, जो ये कहते हैं कि राजनीति की जा रही है। क्या आपने अपने तत्कालीन गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगा था? आप अपनी चिंता व्यक्त करिए। हम आपके साथ पूरी तरह सहमत हैं। *(व्यवधान)* बलात्कार हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। हम आपसे पूरी तरह से सहमत हैं। *(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : किस-किसके खिलाफ अपने अभी तक कार्रवाई की है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्ष ऐसा कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आप मामले के महत्व पर ध्यान दीजिये।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उन्हें इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : अध्यक्ष जी, यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। *(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : श्री मल्होत्रा जी का खास प्रश्न जिसमें उन्होंने यह कहा है और जितने भी केसेज का उन्होंने जिक्र किया है, वे ज्यादातर केसेज वर्क-आउट किये जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस बलात्कार के 97 प्रतिशत केसेज में वर्क-आउट कर चुकी है। आज उसका रिकार्ड है कि 97 प्रतिशत केसेज में दिल्ली पुलिस वर्क-आउट कर चुकी है। *(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, दिल्ली में इस वक्त इतना हाहाकार मचा हुआ है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप इस तरह टोका-टाकी नहीं कर सकते। अन्यथा मैं इस चर्चा को पूरा कर दूंगा और यदि हर वाक्य में व्यवधान पहुंचाया जाएगा तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर तो मैं इसे पूर्ण कर दूंगा। मैं सीधा अगले विषय पर चला जाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, धौलाकुंआ के जिस केस का माननीय मल्होत्रा जी ने जिक्र किया है, वह केस वर्क-आउट हो चुका है। केवल मायापुरी का एक केस अभी वर्क-आउट होना बाकी है। मैं दिल्ली पुलिस को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। मैं मल्होत्रा जी की इस चिंता से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे देश में बलात्कार जैसी घटना सबसे ज्यादा वीभत्स और निंदाजनक है। हमारी सरकार और दिल्ली पुलिस इस संबंध में जो कुछ भी संभव हो सका है, वह हर संभव कदम उठा रही है। हमने कई चीजें बतलाई थीं कि दिल्ली पुलिस ये-ये कदम उठा रही है। महिलाओं के प्रति अपराध-प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया जारी है। अपराध-प्रकोष्ठ की प्रक्रिया के बारे में माननीय अजय चक्रवर्ती जी कह रहे थे। अपराध-प्रकोष्ठ दिल्ली में पहले से ही स्थापित है। उसको और मजबूत बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। रेप क्राइसिस इन्टरवेन्शन सेन्टर की स्थापना की गयी है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि आपने इसे दलगत मुद्दा बना दिया है। आपने यह भी कहा है कि यह दलगत मुद्दा नहीं होना चाहिए। हम इस मुद्दे का इस देश के सामने आ रही सबसे बड़ी मानवीय समस्या के रूप में समाधान करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह गलत है। मैंने कभी नहीं कहा कि आपको सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आप सरकार की आलोचना जरूर कीजिये परन्तु मैं कह रहा हूं कि जब एक मंत्री उत्तर दे रहे हैं तो उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनिये। हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए यही प्रक्रिया निर्धारित की है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : पुलिस अधिकारियों द्वारा बलात्कार और अन्य सम्बन्धित अपराधों की जांच *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, सभी प्रश्न जेडी(यू) के नेता से पूछिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जांच प्रक्रिया में महिला पुलिस अधिकारियों को शामिल करने की व्यवस्था की गयी है। यह एक प्रभावी कदम के रूप में उठाया गया है। कानूनी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। मैं मल्होत्रा साहब से कहूंगा कि इस प्रचार अभियान में आप भी चलें और हम भी चलें। इससे अभियान ज्यादा सफल होगा। हमें राजनीति से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा, केवल इस्तीफा मांगने से समस्या का समाधान नहीं होगा। महत्वपूर्ण महिला विद्यालयों

में गश्त लगाने वाले पी०सी०आर० वाहनों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गयी है। महिलाओं के साथ छेड़खानी और उत्पीड़न समाप्त करने और ऐसे अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर तथा बसों में जिस तरह की छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, उनको रोकने के लिए सादे वेश में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये पुलिसकर्मी ऐसे लोगों को पकड़ेंगे और अपराधों की रोकथाम करेंगे। महिला हेल्प लाइन '1991' की स्थापना की गयी है। किसी भी महिला को अगर किसी तरीके की शिकायत हो तो इस नम्बर पर तुरन्त शिकायत दर्ज करा सकती है। महिलाओं की आपातकालीन काल्स को सुनने के लिए 24 घण्टे महिला मोबाइल टीम का गठन किया गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली हमारे देश का ऐसा राज्य है जहां 4.5 लाख से अधिक लोग प्रति वर्ष बाहर से आते हैं। उनके दिल्ली में आने के समय उनकी शिनाख्त नहीं हो सकती है कि उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, वे किस सूबे से आए हैं? यह आज तक नहीं किया जा सका है।

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उन्हे पहचान पत्र दीजिये।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : मल्होत्रा जी, आपको दिल्ली की बहुत अच्छी जानकारी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आज आप सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप यह सब बातें क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने एक सूचना देने का भी कष्ट नहीं किया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियंत्रित करें। श्री बीते में आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपने माननीय सदस्य से अनुरोध करें।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जहां तक आपने उत्तर प्रदेश की एक घटना का मुद्दा उठाया है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है। कृपया नाम न लें।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : जहां तक दूसरे राज्यों की बात है, दूसरे राज्यों में जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, उनकी रोकथाम के लिए भारत सरकार ने प्रयास किए हैं। भारत सरकार ने यह किया है कि सभी राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे पुलिस सैल बनाएं। कुछ राज्यों में ये पुलिस सैल पहले से कार्यरत हैं जैसे कि अपने राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकता हूं कि वहां पुलिस सैल आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। ऐसी पुलिस सैलों को और अधिक इफेक्टिव बनाने की सलाह दी गयी है। जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सभी राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि महिला पुलिस थाने बनाए जाएं और महिला पुलिस को और जयादा एक्टिव किया जाए। महिला पुलिस को जितना एक्टिव किया जाएगा, उतना ही इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

अध्यक्ष जी, मैंने जो ये स्पष्टीकरण दिए हैं, मैं इतना ही आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार पूर्ण रूप से सदन की भावनाओं से अवगत है कि बलात्कार जैसे कांडों पर अंकुश लगना चाहिए। हमारे देश की कानून व्यवस्था में दिल्ली सहित, सुधार आना चाहिए, क्योंकि बलात्कार की घटना हमारे देश के कानून और व्यवस्था पर कलंक के समान है। इसलिए समय-समय पर हमारी सरकार, जो भी संभव हो सकेगा, कदम उठाएगी। मैं माननीय सदस्यों और खास तौर से मल्होत्रा जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमें सहयोग दें। आपको दिल्ली के भूगोल के बारे में ज्यादा जानकारी है, यहां के इतिहास के बारे में भी आपको ज्यादा जानकारी है इसलिए आप समय-समय पर हमें बताते रहेंगे, तो यह सही होगा। *(व्यवधान)* मैं अंत में एक अनुरोध और करना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। जब आपको मौका मिले, तब आप अपनी बात कहें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए मैंने सदन को बताया कि क्या-क्या उपाय भारत सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारें कर रही हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध विपक्ष से और है कि अगर हम वास्तव में पूरी तन्मयता से महिला उत्पीड़न को रोकना चाहते हैं, तो महिला आरक्षण विधेयक को पास कीजिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप लाएं तो सही और अपने साथियों से भी इस बारे में पूछ लें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : हम लाएंगे। उस बिल के पास होने से महिला पर जो अत्याचार होता है, उस पर अंकुश लग सकेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया मुझे बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं गुडगाँव के इस दुर्भाग्यपूर्ण गंभीर विषय को उठाने की अनुमति दूंगा। मैंने माननीय सदस्यों की उपस्थिति में इस बात के लिए वचन दिया था कि मैं श्री गीते को यह मामला उठाने की अनुमति दूंगा। प्राकृतिक आपदाओं पर भी एक चर्चा होगी। मेरा अनुरोध है कि वे संक्षेप में बोलें। फिर मैं प्रभुनाथ सिंह जी को बुलाऊंगा क्योंकि मैंने आपकी उपस्थिति में ही वायदा किया था। इसके बाद में आचार्य जी को मौका दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्यों आप बैठेंगे? कृपया भगवान के लिए सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाएं।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास उन सभी सदस्यों के नाम की सूची है, जिन्होंने नोटिस दिया है। उस सूची में सर्वश्री अनंत गीते, बसुदेव आचार्य, सुखदेव सिंह ढींढसा, प्रभुनाथ सिंह, सुशील कुमार मोदी के नाम हैं। आप फिर भी हल्ला करते हैं और कल भी आपने हल्ला किया था।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री गीते का बयान कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, आप कृपया बैठिए। आप एक अनुशासित सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, पिछले तीन दिन से हुई भारी वर्षा के कारण मुम्बई, ठाणे, पूरा कोंकण क्षेत्र, मराठवाड़ा के कुछ जिले और सारा गोवा राज्य तबाही के मंजर से जूझ रहा है। पिछले तीन दिनों से इन क्षेत्रों में सारे नेशनल हाइवेज बंद हैं और उन पर बने हुए कई ब्रिज टूट गए हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों से रेल सेवा बंद है, क्योंकि सारा ट्रैक पानी में बह गया है। इसके अलावा पिछले तीन दिन से इन क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप है और संचार व्यवस्था भी काम नहीं कर रही है। यहां तक कि एयरपोर्ट भी बंद हैं। मतलब यह है कि संचार और आवागमन की सारी सुविधाएं इन क्षेत्रों में बंद हो चुकी हैं। और शेष दुनिया से इनका सम्पर्क टूट गया है। बारिश से इन क्षेत्रों में भयंकर तबाही मची हुई है। हमें जो थोड़ी-बहुत जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक मुम्बई को छोड़ कर ठाणे और कोंकण के क्षेत्र में एक हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूरी जानकारी मिलने पर शायद यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है।

पिछले तीन दिनों से कई शहर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। मुम्बई के नजदीक थाणे का बदलापुर है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महाड़, पनवैल, पेण शहर है और रत्नागिरी का खेड, राजापुर, चिपलून आदि सारे शहर तीन दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। अभी भी 12 फुट से ज्यादा पानी शहरों में कायम है। मुम्बई की जो स्थिति है वह मैं सदन के सामने रख रहा हूं। जान और माल की हानि वहां बहुत हुई है। मुझे लगता है कि वहां जो सम्पत्ति की हानि हुई है वह लगभग 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की हुई है। किसान पूरे तबाह हो चुके हैं। हमारे धान और पैडी की खेती पूरी तरह से तबाह हो चुकी है।

ऐसी हालत में संचार और यातायात खत्म हो चुका है और राज्य सरकार कहीं भी नहीं पहुंच पा रही है। तीन हैलीकोप्टर्स राज्य सरकार ने दिये हैं जिनसे हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। राज्य सरकार कोई सहायता नहीं कर पा रही है। हम जानते हैं कि जब देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदा आती है तो मुम्बई से सबसे पहले मदद मिलती है, लेकिन आज खुद मुम्बई शहर पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है और अब मुम्बई को मदद की आवश्यकता है। इसलिए मैं भारत सरकार से और विशेष कर माननीय प्रधान मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र सरकार को मदद करें। महाराष्ट्र को इस समय कम से कम 5 हजार करोड़ रुपये राहत के रूप में तुरंत देने की आवश्यकता है और माननीय प्रधान मंत्री जी को मुम्बई विजिट करने की भी आवश्यकता है। आपसे प्रार्थना है कि संसद सदस्यों की एक समिति गठित की जाए और वह समिति पूरे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करे और वहां की आवश्यकता को देखे। मेरे क्षेत्र में जो महाड़ तहसील है वहां जो दासगांव गांव है वहां लैंड-स्लाइड हो गया है और पूरे गांव के गांव बह गये हैं और वहां कुछ ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। दूसरा, जुई गांव में लैंड-स्लाइड के कारण पूरा गांव का गांव बह गया है। संचार के साधन वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। जहाज मुम्बई नहीं जा पा रहे हैं। मैंने जब अपने घर फोन किया तो मेरी पत्नी रो रही थी। घर में पानी घुस रहा था। मैंने उससे कहा कि आप तीसरी मंजिल की टैरिस पर चले जाओ। यह स्थिति केवल मेरे ही घर की नहीं है बल्कि वहां पर सारे घरों की यही स्थिति है। झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों की स्थिति तो इससे भी बुरी है। गांव के गांव बह गये हैं। मैंने आपसे प्रार्थना की है कि इस मैटर को जनरल डिस्कशन में न लेते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं वहां जाएं। एक और प्रार्थना है कि आप महाराष्ट्र सरकार से जानकारी लेकर वहां की जो स्थिति है उसका बयान सदन में हो। हमारा सत्र चल रहा है, इसलिए कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये की सहायता वहां के लिए, भारत सरकार द्वारा तुरंत घोषित की जाए। भारत सरकार से एक और प्रार्थना है कि हमारी सेना महाराष्ट्र सरकार की इस आपदा में मदद करे। वहां सड़के, रेलें, हवाई, जहाह सब बंद हैं। कहीं कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज मुम्बई रो रही है और मुम्बई के आंसुओं को नजर-अंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कोंकण, गोवा सब तबाह हो चुके हैं और मराठवाडा में लोग अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों पर चले गये हैं। वहां की सारी नदियों में बाढ़ आ गयी है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र को तुरंत राहत देने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार इस ओर तुरंत ध्यान दे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : रायगढ़ कोंकण में सब जगह हालत खराब है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने माननीय शरद पवार जी को वहां भेजा है। और माननीय प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया है कि वे महाराष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा मदद देने वाले हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आप इनके साथ सम्बद्ध हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि पूरी सभा इस स्थिति के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं वरिष्ठ माननीय मंत्री जी, जो यहां उपस्थिति हैं, से अनुरोध करूंगा ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

श्री एन०एन० कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, मैं भी अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में मुद्दा उठाना चाहूंगा। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम अब मुम्बई के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप इसे बाद में उठाएगें। आपको सभा के समक्ष उचित रूप से चर्चा करने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय मंत्रियों से जो यहां उपस्थित हैं मुझे विश्वास है कि वे इससे अवगत होंगे, अनुरोध कर रहा हूं कि वे स्थिति को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, आज एक चर्चा होनी है। यह शुरू हो चुकी है। यह हमारे नेता द्वारा शुरू की जा रही है। यदि आप बोलना चाहते हैं कि आप उस विषय पर बोल सकते हैं। प्रत्येक राज्य इस मुद्दे को अलग-अलग नहीं उठा सकता। विषय की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र की इस समस्या को कम करके मत देखिए।

(व्यवधान)

श्री एन०एन० कृष्णदास : महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे जानता हूं। आप अपनी बात तब रखेंगे जब आपकी बारी आएगी। इस प्रकार कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने की आदत छोड़िए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : किसी भी अन्य व्यक्ति की बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी और जब मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं तो कोई खड़ा न हो।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। यह एक पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश देख रहा है। मैंने उन्हें यह विषय उठाने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, मुझे बहुत अफसोस है, मैं सिर्फ अफसोस जता सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी को मौका देने की कोशिश कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, उधर की आवाज इधर आ रही है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनका गला तो दबा नहीं सकते हैं। उनकी बात पर ध्यान नहीं दें। आप जो कहना चाहते हैं वह कहें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति पहले से खराब है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद लोगों में एक विश्वास जगा तथा लेकिन दिन-प्रतिदिन स्थिति और बदत्तर होती जा रही है। आतंकवादी और उग्रवादी संगठन पूरे बिहार में बहुत सक्रिय हो चुके हैं। इसका उदाहरण है कि सदन के सांसद श्री सीताराम सिंह के घर में उग्रवादी संगठन एम०सी०सी० ने हमला किया। संयोग से वह घर में नहीं थे जिससे बाल-बाल बच गए। वहां राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। कल श्री अशोक यादव जो जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनकी भी गोली मार कर हत्या कर दी गई। बिहार में जो जन-प्रतिनिधि चुने गए और जो निवर्तमान विधायक हैं, उन सब की सुरक्षा वापस ले ली गई है। बिहार में चुनाव की सरगर्मी चल रही है। वैसी स्थिति में शंका व्यक्त की जा रही है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं होने की संभावना है। वहां अभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है यानी केन्द्र का शासन चल रहा है। बिहार की पुलिस और प्रशासन के लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपने स्तर से होम सैक्रेटरी, भारत सरकार बिहार के डी०जी०पी०, होम सैक्रेटरी, चीफ सैक्रेटरी की एक बैठक बुलाएं तथा बिहार के हर दल से एक-एक प्रतिनिधि को लेकर मीटिंग करके, बिहार के जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा का इंतजाम कीजिए ताकि हत्याएं न हो सके, उनका जन जीवन सुरक्षित रह सके। हमें उम्मीद है कि आप सभी इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे जिससे देश जान सकेगा कि आसन बिहार के प्रति चिंतित हैं और आसन कार्रवाई करने की बात कर रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : टिप्पणी करेंगे लेकिन आप पहले बैठिए। मैंने कहा है कि जहां तक संसद सदस्यों का सम्बंध है, यह सरकार, प्राधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें पूरी सुरक्षा और संरक्षण मुहैया कराए। बिहार से कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे कहा है। मैं इस विषय की जांच कर रहा हूं। मैंने अपने कार्यालय से इस बारे में जांच करने को कहा है और उपयुक्त अधिकारियों के साथ मैं इस विषय पर बात करूंगा। चूंकि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और पुनः इसका उल्लेख कर रहे हैं। मैं पुनः एक बैठक बुलाऊंगा और देखूंगा कि इसमें क्या हो सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने कल गुड़गांव का मामला उठाया था। परसों जो हुआ था वह उन अस्पतालों जहां पीड़ित भर्ती थे, के सामने कल भी हुआ।

अपराह्न 01.00 बजे

पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उनके संबंधियों को अपमानित किया जो उनसे मिलने गए थे। वक्तव्य देते समय गृह मंत्री ने सभा को आश्वस्त किया था कि राज्य सरकार से उन्हें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर वे वक्तव्य दे रहे हैं। उन्होंने 'आश्वस्त किया था कि आज वे पूरा बयान देंगे जब उनको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। वे जानकारी एकत्र करेंगे। मेरी मांग है कि इस प्रकार की जानकारी आज गृहमंत्री दें। इसका कारण है कि मैंने यहां कई बार यह मांग की है। मेरी और पूरी सभा की मांग यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों को जैसे उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने मजदूरों के साथ मार-पीट करने का आदेशजारी किया उन्हें गुड़गांव से स्थानांतरित

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया जाए। इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वे अभी भी वहाँ मौजूद हैं और अभी भी उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं।

हमने अस्पताल में भर्ती मजदूरों के बेहतर इलाज की मांग की थी। इसका कारण है कि गुडगांव स्थित अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं नहीं हैं। उन्हें दिल्ली के अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाए। यह काम भी अभी तक नहीं हुआ है। हमने घायल मजदूरों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग की थी। कुछ ऐसे मजदूर भी है जो गंभीररूप से घायल हैं। सरकार ने उन मजदूरों के लिए किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : सभी प्रकार की मांग गलत सरकार से की गई।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने यह भी मांग की है कि जो मजदूर गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें छोड़ा जाए। उन्हें जमानत भी नहीं दी गई है। उन्हें अभी भी पुलिस हिरासत में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, जिन मजूदरों को काम से निकाला गया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह हरियाणा की विधान सभा नहीं है। इसमें मैं और कुछ नहीं जोड़ सकता। मैंने इस पर कल ही पूरी चर्चा की अनुमति दी थी। यहां पर एक वक्तव्य रखा जा रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन उन्होंने पूरा वक्तव्य का आश्वासन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे अनुरोध पर उन्होंने वक्तव्य दिया था।

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय गृह मंत्री को इस सभा में एक पूर्ण वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं लेकिन आप विस्तृत मामले की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे पता नहीं कि केन्द्र सरकार इसे कैसे हल करेगी। उस मामले में राज्य संबंधी कोई भी मामला कल लाया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री एन०एन० कृष्णदास : अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : जब हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं और यह जारी है *(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) गृह मंत्री ने सभा में वायदा किया है कि *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने कहा था कि एक बजे से पहले इसे पूरा कर देंगे? मुझे पता नहीं कि वे कब वक्तव्य देंगे। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मजूदरों का संघर्ष अभी भी मौजूद है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे ज्ञात नहीं कि आप मुझें निशाना बना रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। बहुत अच्छा, आप बोलना जारी रखिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ की बात सुनने का आप में धैर्य नहीं है। मैं सभा का संचालन किस तरह कर सकता हूं? यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यही चाहते हैं। आप सभा को स्थगित करवाना चाहते हैं। मैं सभा को स्थगित करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बताइए, आप क्या चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री अनिल बसु आपको बैठना होगा। मैं इस तरह की अनुशासनहीनता नहीं चलने दूंगा। अध्यक्षपीठ का कोई सम्मान नहीं है। मुझे लगता है कि इस सभा में जानबूझकर अध्यक्षपीठ का अपमान किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कर रहे हैं। आप माननीय गृह मंत्री से वक्तव्य चाहते हैं।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एन०एन० कृष्णदास : महोदय, उन्होंने कोई वादा किया था ...*(व्यवधान)* उन्होंने अध्यक्षपीठ से वादा किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने कहा था कि वे किस समय वक्तव्य देंगे? उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि वे आज वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, मैं आपको हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों ने सुना है। सरकार ने सुना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा के नेता कुछ कहना चाहते हैं। उनकी बात सुनने का धैर्य रखिए।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं सभा को सूचित कर सकता हूं कि माननीय गृह मंत्री दूसरे सदन में इस विषय पर अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अतः, यथाशीघ्र मध्याह्न भोजन के पश्चात् वह सूचना प्राप्त कर लेंगे और हमें उससे अवगत कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास तो बात सुनने का भी धैर्य नहीं है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह बहुत व्यवस्थित और गंभीर तरीके से किया जा सकता है। आप पहले ही इसकी मांग कर चुके हैं। जब श्री बसुदेव आचार्य बोले थे तो मैंने उन्हें नहीं टोका था। आप सभी बिना किसी की अनुमति से उनका समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, क्या आप मुझे 30 सैकेंड का समय देंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं अपको अनुमति क्यों दूं? आपने क्या किया है? एक सूचना भी नहीं है। आप खड़े हो रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरूदास दासगुप्त, आपने उचित सूचना नहीं दी है। फिर भी मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं क्योंकि आपने अनुरोध किया है। कृपया संक्षेप में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि संसद को इस विषय की सूचना कैसे मिली। कृपया मुझे अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी। आप चाहते हैं कि संसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से हस्तक्षेप करे। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री गिरिधर गमांग (कोरापुट) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं। यह मुद्दा बहुत स्पष्ट है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि कोई भी अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, हम अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। केवल 'सहयोग कर रहे हैं' कहने से ही बात नहीं बनती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए जनता का विश्वास संसद से उठ रहा है। सदस्यों के व्यवहार के कारण जनता हम पर विश्वास नहीं करती है।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, हम आपकी बात मानते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको आज की सभा की कार्यवाही की सी०डी० दे दूंगा। आप अपने घर जाकर शांति से उसे देखना की आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री गुरूदास दासगुप्त

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मेरे पास बहुत ही ठोस सुझाव है। मुझे गृह मंत्री के औपचारिक वक्तव्य से संतुष्टि नहीं होगी। वह जैसा चाहे तथा आपके परामर्श के अनुसार वक्तव्य दे सकते हैं। लेकिन मेरी छोटी सी मांग है। भारत सरकार को हरियाणा सरकार को सलाह देनी चाहिए कि वह स्थिति का संज्ञान ले तथा पुलिस को नियंत्रित करने हेतु कदम उठाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि संसद सरकार को निदेश दें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, हम अच्छी तरह से सलाह दी सकते हैं। मैं संवैधानिक अनौचित्य के बारे में जनता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे सहयोग देते तो मैं इस पर अपनी सलाह देता।

श्री गुरूदास दासगुप्त : दूसरी बात, भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने चाहिए कि इस विदेशी एकाधिकार कम्पनी द्वारा कामगारों के अधिकारों की रक्षा हो ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, आपने अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सुखदेव सिंह ढींडसा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मैं इस तरह का व्यवहार करने वाले प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं। यह मत समझिए कि किसी को बख्शा जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पाएंगे कि एक दिन आपका व्यवहार आपके प्रतिकूल हो जाएगा। एक बार दलील देने के बाद यह आपके प्रतिकूल होगी। आप आज इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : अध्यक्ष जी, मैं आपका और इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद इतिहास में ऐसे काले दिन आये जब श्रीमती इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में और खासकर दिल्ली में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने दो मामलों के संबंध में सूचना दी है। आप केवल एक मामला उठा सकते हैं। आप पंजाब में आतंकवाद पुनः शुरू होने का मामला उठा सकते हैं। इस मामले को उठाने का निर्णय लिया गया था।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : यह फिर दोबारा हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : दोबारा नहीं होता है। एक ही होता है। आप कल दूसरा नोटिस दीजिए। अभी आप रिवाइवल ऑफ टैररिज्म इन पंजाब पर बोलिये।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं जिसे आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि पंजाब में दोबारा टैररिज्म की बात चल रही है। इसके लिए हमने अपोजीशन के तौर पर और लोगों ने भी पंजाब सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि ये शह दे रहे हैं कि दोबारा टैररिज्म पैदा हो। यहां पर लीडर ऑफ द हाउस भी बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि* ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह यहां उपस्थित नहीं हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह के आरोप न लगाएं। मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : मैं चीफ मिनिस्टर की बात बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप नियम जानते हैं। आप मंत्री भी रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुद्दा उठाइए। देश को इस बात से सरोकार नहीं है कि उन्होंने बाहर क्या किया।

*(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास लाइए। मैं देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : हमारे पंजाब से यह बात चल रही है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूं। मैं इसका लोप करने का निर्णय ले चुका हूं। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : आपके पास क्या प्रूफ है कि पैसा देने गए हैं?

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।
**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : यही तो हम सरकार से पूछ रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यहां पर कोई समाचार पत्र नहीं दिखा सकते हैं। यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है। श्री सुखबीर सिंह बादल, यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह बादल (फरीदकोट) : यह क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मैं विशेषाधिकार सूचना जारी करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह बादल : एक ओर तो वे आतंकवाद से लड़ रहे हैं और दूसरी ओर वे पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.17 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.17 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 14 लेगें 'नियम 377 के अधीन मामले' कुंवर मानवेन्द्र सिंह। पहले आप अपने स्थान पर वापस जाइए।

(एक) ताजमहल तथा देश के अन्य राष्ट्रीय स्मारकों के संबंध में वक्फ बोर्ड के दावे को प्रतिबाधित करने के लिए आवश्यक कानून लाए जाने की आवश्यकता

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हाल ही में ताजमल को वक्फ सम्पत्ति घोषित किया है। वक्फ अपने अंतर्गत आने वाली विभिन्न सम्पत्तियों का रखरखाव उचित रूप से नहीं कर पा रहा है। ताजमहल भी एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। अतः, महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय स्मारकों के मामले में ऐसे दावों को खारिज करने हेतु आवश्यक विधान पारित करने सहित आवश्यक कदम उठाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कुलदीप बिश्नोई – उपस्थित नहीं

(दो) जम्मू और कश्मीर में अखनूर में चेनाब नदी पर दूसरे पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : महोदय, जैसाकि सभा को विदित है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से अखनूर में चेनाब नहीं पर दूसरा पुल बनाये जाने की मांग काफी लम्बे समय से लम्बित है। मैंने यह मामला 22.7.2004 को प्रश्न काल के दौरान भी उठाया था और माननीय रक्षा मंत्री ने जवाब दिया था कि इस पुल के सम्बन्ध में निम्नतम निविदा को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यह पुल दिसम्बर 2007 तक पूरा बन जाएगा।

यह पता चला है कि इस सरकार के निष्ठावान प्रयासों के कारण ही इस पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई थी और निविदा आवंटित की गई थी। तथापि यह निविदा रद्द कर दी गई थी और इस इसके निर्माण कार्य को रोक दिये जाने के कारण संबंधित प्राधिकरण ही बेहतर जानते होंगे। इसके परिणामस्वरूप प्रस्ताव को स्वीकृत करने में केन्द्रीय सरकार के प्रयासों के बावजूद लोगों के पास कठिनाईयां झेलने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मामले की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि इस पुल का निर्माण पूरा किया जा सके और इस क्षेत्र की लम्बे समय से लम्बित मांग शीघ्र पूरी हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ – उपस्थित नहीं

श्री इकबाल अहमद सरडगी – उपस्थित नहीं

श्री जुएल ओराम – उपस्थित नहीं।

(तीन) दक्षिणी गुजरात में भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए अधिक धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल में दक्षिण गुजरात में अभूतपूर्व भीषण बाढ़ से सूरत, वडोदरा, नवसारी,

बलसाड़, आनन्द, खेड़ा एंव भरूच में अरबों रुपए की सम्पत्ति नष्ट हुई और 200 जानें गईं। बाढ़ के दौरान जन-जीवन बहुत ही प्रभावित रहा एवं लोगों को सम्पत्ति नष्ट होने, किसानों की फसलों के नष्ट होने से कई परिवार वर्तमान समय में भुखमरी के शिकार हो गए हैं। सूरत का वस्त्र उद्योग, जरी उद्योग एवं हीरा उद्योग बहुत ही प्रभावित हुए हैं एवं वहां पर उत्पादन कार्य में कई बाधाएं आ रही हैं। कई मिलों के स्टॉक एवं मशीनें खराब हो गई हैं। केन्द्र सरकार के कई मंत्रिगण ने हवाई सर्वे किया और केवल 500 करोड़ रुपए की राहत सहायता की घोषणा की है जबकि इस बाढ़ से नुकसान कई हजार करोड़ रुपए का हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस राहत कार्य हेतु कम से कम 8000 करोड़ रुपए दिए जाएं और एक नए स्पेशल पैकेज की घोषणा शीघ्र की जाए।

महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत पहुंचाने हेतु कम से कम 8000 करोड़ रुपए की सहायता की जाए जिससे लोग सामान्य जीवन की तरफ लौट सकें और बाढ़ से प्रभावित उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु विशेष पैकेज दिए जाएं।

(चार) क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में कृत्रिम झील बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि०प्र०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हिमाचल प्रदेश के प्राचीन, ऐतिहासिक एवं ब्यास ऋषि की तपोभूमि बिलासपुर नगर की ओर आकर्षित करना चहता हूं। देश में जलविद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु जिला बिलासपुर में भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया। इस कारण वहां से लोगों को उजड़ना पड़ा। नए बसे बिलासपुर शहर में नागरिकों के आमोद-प्रमोद का एक भी स्थान नहीं है। जिला बिलासपुर में लुहणू मैदान के निकट गोविन्द सागर झील है, लेकिन उसका पानी उतरता एवं चढ़ता रहता है इसलिए वह स्थान पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित नहीं हो पाया है। अत: मेरा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से आग्रह है कि लुहाणू मैदान के निकट स्थिति बड़े नाले में एक दीवार लगाकर उसे कृत्रिम झील का स्वरूप प्रदान किया जाए ताकि उसमें पानी स्थिर रह सके और उसका प्रयोग जल-क्रीडा (वॉटर गेम) के रूप में पर्यटक कर सकें। इसी स्थान पर एक कैफेटेरिया एवं पार्क विकसित किया जाए ताकि बिलासपुर के नागरिकों एवं पर्यटकों को पर्यटन-स्थल मिल सके।

(पांच) कर्नाटक के बेल्लारी जिले में "शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम" स्कीम जारी रखने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी० करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी) : महोदय, अशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम (एन०पी०आर०पी०डी०) बेल्लारी जिला कर्नाटक में 1 नवम्बर 2004 से बंद हो चुका है और इसे किसी अन्य जिले में स्थानान्तरित किए जाने की सम्भावना है। पर कार्यक्रम अक्तूबर 2001 में शुरू किया गया था और 31 अक्तूबर 2001 तक बेल्लारी जिले में सफलता पूर्वक क्रियान्वित किया गया था। वहां पर इस योजना के अधीन इस जिले में 14 बहु पुनर्वास कामगार (एम०आर०डब्ल्यू०) और 376 गांव पुनर्वास कामगार (वी०आर०डब्ल्यू०) काम कर रहे थे।

सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बेल्लारी जिले में 22000 अशक्त व्यक्ति है और उनमें से लगभग 60 प्रतिशत व्यक्तियों को पुनर्वास, आरक्षण, चिकित्सा बोर्ड प्रमाणपत्र, यात्रा रियायत, एन०एच०एफ०डी०सी० ऋण, व्यावसायिक मार्ग निर्देश, छात्रवृत्ति और साधन-सामग्री जैसी क्रियाओं के लिए सहायता की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें स्वावलम्बी बनाया जा सके।

एम०आर०डब्ल्यू० और वी०आर०डब्ल्यू० काफी हद तक उपरोक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और उनके सेवाएं अभिज्ञेय हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एन०पी०आर०पी०डी० योजना को 1 नवम्बर 2004 से जारी रखा जाए ताकि अशक्त व्यक्तियों को इसका पूरा-पूरा लाभ मिल सके।

(छह) उत्तरी केरल में एक उद्यान-कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, भारत सरकार ने कृषि विशेषकर बागवानी को बहुत महत्व दिया है जिससे रोजगार प्राप्त हो सकता है और कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन भी प्राप्त हो सकता है। केरल विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों और नकदी फसलों का उत्पादन करता हैं। इस विशेषता के कारण राज्य में विशेष तौर पर केरल के उत्तरी भाग में एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इससे इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सकेगा इस प्रकार के केन्द्र से मुख्य फसलों की विशिष्ट समस्याओं पर सहायक अनुसंधान किया जा सकेगा, अनुसंधान को सुदृढ़ किया जा सकेगा, शिक्षण और कृषि समुदाय का विस्तार किया जा सकेगा, प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों की पहचान करने में सरकार को मदद मिल सकेगी और कमजोर वर्ग के लोगों को भी शक्तियां प्राप्त हो सकेंगी। केरल के कृषि विश्वविद्यालय के अधीन उत्तर मालखार क्षेत्र में लगभग 12 अनुसंधान/प्रशिक्षण/शैक्षिक संस्थाएं हैं। ये सभी संस्थाएं नरियल, अखरोट, कोका, फल एवं सब्जियों, फूलों, मसालों आदि के अनुसंधान और सवर्द्धन में अपने कार्यों के लिए मशहूर है। इसके अतिरिक्त काजू की खेती के लिए भी यहां एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इस क्षेत्र में सी०पी०सी०आर०आई० नामक एक प्रतिष्ठित

[श्री पी० करुणाकरन]

राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र कार्यरत है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केरल के उत्तरी भाग में बागवानी विश्वविद्यालय खोले जाने की काफी गुजांइश है।

अतः मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार की सहायता से वहां पर एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(सात) अप्रवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, केरल सरकार की अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार दिए जाने सम्बन्धी काफी पुरानी मांग रही है। केरल की विधानसभा ने भी इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से एक संकल्प भी पारित किया है। अप्रवासी भारतीय भारत के नागरिक है और उनके नाम उस स्थान की मतदाता सूची में शामिल किए जाए जिस स्थान पर वह विदेश जाने से पूर्व रहते थे। अप्रवासी भारतीयों को मताधिकार देकर हम भारत के नागरिकों के प्रति अपने सवैंधानिक दायित्व को पूरा कर सकेंगे।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में उपयुक्त संशोधन करके अप्रवासी भारतीयों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाए और यदि वे चुनावों के समय भारत में है तो उन्हें अपना मतदान करने की अनुमति दी जाए और इससे विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीय नागरिकों की आंकाक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

(आठ) वैशाली एक्सप्रेस में गोरखपुर में अतिरिक्त बोगियां जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर से दिल्ली जाने हेतु एवं दिल्ली से गोरखपुर के लिए पूर्व में वैशाली रेल सेवा में कई बोगियां लगती थीं, जिससे गोरखपुर और उत्तर प्रदेश एवं बिहार से सटे कई जिलों के लोगों को बहुत ही सुविधा मिलती थी, जिसकी वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में यह रेल सेवा बहुत ही लोकप्रिय थी।

अब इन अतिरिक्त बोगियों को वैशाली रेल सेवा में नहीं जोड़ा जाता है, जिसके कारण पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के लोगों को दिल्ली आने और दिल्ली से वापस जाने हेतु आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इसमें गोरखपुर और इसके आस-पास के जिलों के लोगों को दिल्ली और गोरखपुर आने-जाने में बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है। इस समस्या के समाधान हेतु वैशाली रेल सेवा में पूर्व की तरह गोरखपुर से दिल्ली के लिए और दिल्ली से गोरखपुर के लिए अतिरिक्त बोगियां लगाई जाएं। अगर यह कार्य संभव नहीं है तो दिल्ली-गोरखपुर से दिल्ली वाया लखनऊ होकर एक नई रेल सेवा शुरू की जाए।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त सुझावों को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निर्देश दिए जाएं।

(नौ) बिहार में पटना में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सरकार द्वारा देश में स्थापित होने वाले छः अखिल भरतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में से एक पटना में भी स्थापित होना है। इसका शिलान्यास महामहिम उपराष्ट्रपति जी द्वारा हो चुका है। सरकार ने भी इस वर्ष के वित्तीय प्रावधान में इसके लिए धन मुहैया कराने की बात कही है। राज्य सरकार भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 70 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर चुकी है। अब भी पटना में एम्स की स्थापना के लिए कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। बिहार राज्य देश का अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है। गरीबी, पिछड़ापन, सड़क, स्वास्थ्य और बिजली की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगर यह एम्स पटना में जल्द स्थापित हो जाता है तो वहां के गरीबों के लिए एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा राज्य में ही मिल जाएगी और मरीजों को लेकर लोगों को देश के कोने-कोने में भटकते रहने से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहार की बदहाली को ध्यान में रखते हुए पटना में प्रस्तावित एम्स की स्थापना के लिए अविलम्ब कार्य शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करें, जिससे बिहार में भी एक उच्च तकनीकी युक्त एम्स जल्द स्थापित हो।

(दस) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्रेडिट कार्ड प्रचालन कार्य को सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री डी० वेणुगोपाल** (तिरूपत्तूर) : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय स्टेट बैंक जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक भी क्रेडिट कार्ड प्रचालनों हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। कुछ बैंक तो व्यवसायिक और नैतिकता संबंधी मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं। यद्यपि हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक ब्याज से संबन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किए है। अबोध उपभोक्ताओं को ठगे जाने से बचाने

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के लिए इस प्रणाली को और सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता है। भुगतान हेतु उपभोक्ताओं द्वारा जारी किए गए चैंकों को इन क्रेडिट कार्ड प्रचालकों द्वारा जानबूझकर विलम्ब किया जाता है और उनपर देर से भुगतान करने का शुल्क लगाया जाता है। वे कृत्रिम रूप से मूल्यवृद्धि करते हैं और देयता बढ़ाते हैं और उपभोक्ताओं को ब्याज देना पड़ता है और उन्हें बुरी तरह से लूटा जा रहा है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक संदिग्ध संग्रहण ऐजेन्सियों की सेवाएं लेती है जो उपभोक्ताओं को परिणाम भुगतने तक की चेतावनी देने से भी नहीं चूकते अत: उपभोक्ताओं को उत्पीड़ित किया जाता है और परेशान करने के साथ-साथ डराया भी जाता है। वे अपने उपभोक्ताओ के साथ बिल विवरण भेजने के सिवाय लिखित में संप्रेषण कोई नहीं करते हैं। ग्राहकों को इन संग्रहण एजेंसियों की दया पर छोड़ दिया जाता है। इस गलत व्यापार प्रक्रियाओं से वेतन भोगी मध्यमवर्ग को काफी कठिनाई होती है। उपभोक्ताओं को एस०बी०आई० कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड प्रचालकों से होने वाली परेशानी से बचाने के लिए केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्ताक्षेप करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुखेदव सिंह ढींडसा – उपस्थित नहीं
डा० के धनराजू – उपस्थित नहीं
श्री सनत कुमार मंडल – उपस्थित नहीं
श्री सुब्रत बोस – उपस्थित नहीं

(ग्यारह) कोलकाता के ईडन गार्डन में स्थित उद्यान को आम जनता के लिए पुन: खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुब्रत बोस (बारासाट) : ईडन गार्डन, कोलकाता में एक बहुत सुन्दर उद्यान है जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। कुछ वर्ष पहले तक, यह आम जनता के लिए खुला था परन्तु पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच कुछ विवाद के कारण इस उद्यान को बंद कर दिया गया। यह विवाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रवेश शुल्क वसूले जाने को लेकर था। पश्चिम बंगाल सरकार नगण्य सा शुल्क वसूल करना चाहती है जिससे कि इस उद्यान के दिन-प्रतिदिन का प्रबन्धन कार्य चलाया जा सके। यह व्यवहारिक है परन्तु रक्षा मंत्रालय इसके विरुद्ध है। इस कारणवश आम लोग बड़ी संख्या में यहां उपलब्ध खुले स्थान का आनंद उठाने से वंचित हो गए हैं। कोलकाता में बहुत कम खुले स्थान उपलब्ध हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और तत्काल पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इसे उठाएं और शीघ्रताशीघ्र इस उद्यान को खोलें जिससे कि आम जनता इसका आनंद उठा सके और वहां अच्छा समय व्यतीत कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुलदीप बिश्नोई – उपस्थिति नहीं।
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ – उपस्थिति नहीं।
श्री इकबाल अहमद सरडगी।

(बारह) कर्नाटक सरकार की लंबित परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : कर्नाटक राज्य ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित चार प्रस्ताव भेजे हैं।

1. दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 11 कस्बों के लिए एन०आर०सी०पी० के अंतर्गत धन की आवश्यकता (गोकाक, बैलहोन्गल, शाहबाद, होस्पेट, गंगावाथी, कनकपुरा, यादगीर, डांडेली, सिरुगुप्पा, बगलकोट और मडीकेरी)

2. 2.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चिकमंगलूर शहर में कोट तावारेकेरे झील के विकास की परियोजना।

3. 4.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बसावा कल्याण, बीदर जिले में तिरुपुरान्थाकेश्वर झील के विकास की परियोजना।

4. 4.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दावणगेरे शहर में कुण्डावाडा झील के विकास की परियोजना

इसलिए, मैं सरकार से शीघ्रतापूर्वक इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जुएल ओराम-उपस्थित नहीं।

श्री शिशुपाल एन० पाटले, कृपया भविष्य में समय पर आने का प्रयास करें।

(तेरह) महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में रेलवे द्वारा झोंपड़ियों को वर्षा ऋतु के दौरान खाली कराने की कार्यवाही को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन० पाटले (भण्डारा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे द्वारा महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में झोंपड़ियों में रह रहे परिवारों को हटाया गया है। ऐसे परिवार इन जगहों पर 25 वर्षों से जीवन-यापन कर रहे हैं तथा लगभग 150 परिवारों को बेघर किया जा चुका है। ऐसे बरसात के मौसम के दौरान इनको हटाना उचित कदम नहीं है। एक ओर सरकार बाढ़ से पीड़ितों को बसाकर सहायता प्रदान करती है, दूसरी ओर ऐसी बरसात में इन गरीबों की झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया है। जिससे इनके छेाटे-छोटे बच्चे बीमार तथा मर गये हैं। जबकि इन झोंपड़ीवासियों द्वारा बरसात समाप्ति तक उन्हें न हटाये जाने की मांग की गयी है। लेकिन रेलवे के अधिकारियों द्वारा इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। ऐसा अधिकारियों को शीघ्र पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाये।

(चौदह) पड़ोसी देशों से उग्रवादियों की घुसपैठ रोकने की दृष्टि से सीमाओं पर सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश अतिरिक्त सुरक्षा के संकट से घिरता जा रहा है। अलगाववादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी आदि आम आदमी के जीवन की सुरक्षा के लिए संकट बन चुके हैं और संयोग यह है कि इन सभी अराजक संगठनों के तार सीमापार से जुड़े हैं। विदेश मंत्री भी कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ रही है। सीमा से फौज कम नहीं की जा सकती, अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री पड़ौसी देशों से अवैध घुसपैठ को देश के बाहर निकालने की वकालत कर रहे हैं। दरअसल ये सभी देश की आतंरिक सुरक्षा के सामने चुनौतियां हैं। भारत सरकार पड़ौसी देशों से इस मामले पर शांतिवार्ता भी करने में लगी है। परिणाम क्या होगा, भविष्य ही कह सकता है परंतु मेरा मानना है कि इस हिंसा के विदेशी तार को काटने के लिए तो हमें ही उपाय करने होंगे। अत: मेरा आग्रह है कि भारत की जो भूमि पर सीमाएं हैं, उसके सहारे-सहारे एक सड़क का निर्माण कराया जाए। यह देश की सुरक्षा के लिए भी समय पड़ने पर लाभप्रद सिद्ध हो सकता है किंतु हिंसक संगठनों के विदेशी तार को तोड़ने में तो निश्चित ही सफल रहेगा। सीमा के साथ-साथ सड़क पर सशस्त्रबलों की गश्त प्रभावी बनेगी और घुसपैठ का खतरा तो समाप्त होगा ही और इन अराजक तत्वों के हौसले भी पस्त होंगे।

अपराह्न 2.42 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में प्राकृतिक आपदाएं

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम मद संख्या 15 लेंगे। श्री बसुदेव आचार्य द्वारा 26 जुलाई, 2005 को उठाए गए प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में मामले पर नियम 193 के अधीन चर्चा। जब सभा स्थगित हुई थी तो श्री आचार्य बोल रहे थे। अत:, मैं श्री आचार्य से अपनी बात जारी रखने का अनुरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आज जब हम सभा में प्राकृतिक आपदाओं के विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो महाराष्ट्र राज्य में भारी बाढ़ आई हुई है। तीन जिले महाराष्ट्र के अन्य भागों से पूर्णतया कट गए हैं। (मुम्बई) शहर पूर्णत: कट गया है। रेल सेवाएं पूर्णतया ठप हो गई हैं। हवाई अड्डा भी बंद हो गया है। विमान सेवाएं कार्य नहीं कर रही है। हजारों हजार गांव बिजली और दूरसंचार सेवाओं से वंचित हो गए हैं। भारी वर्षा के कारण स्थिति बदतर हो रही है। कोंकण क्षेत्र में बाढ़ आई थी। इसके कारण कोंकण रेलवे की रेल सेवाएं भी ठप हो गई थीं। गत तीन दिनों से कोंकण रेलवे कार्यशील नहीं है। इस बाढ़ के कारण गोवा भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। हमने पहले कभी इतनी भयंकर बाढ़ नहीं देखी है।

आज मैंने एक समाचार पत्र में यह समाचार पढ़ा कि एक गांव में लगभग 200 लोग बाढ़ में बह गए। वे सब सो रहे थे। भूमि के कटाव के कारण पूरा गांव ही बह गया।

पिछली रात 200 लोग जो सो रहे थे वे सब मर गए। प्रभावित लोगों से सम्पर्क नहीं किया जा सका है। यह केवल किसी एक गांव विशेष की स्थिति नहीं है अपितु ऐसे बहुत से अन्य गांव हो सकते हैं जहां ऐसा हुआ होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता नहीं है कि बाढ़ के कारण कितने लोग मारे गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रायगढ़ जिले में सौ से अधिक लोग मारे जा जा चुके हैं। इसकी कोई सूचना नहीं है। शायद, अन्य जिलों में और अधिक लोग मारे गए होंगे। अभी तक राहत कार्य आरम्भ नहीं हुआ है क्योंकि संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सड़कें भी बह गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग बीच-बीच में से टूट गए हैं। क्योंकि इन सड़कों के कुछ हिस्से बह गए हैं।

मुम्बई शहर में रेल लाइनें पानी में डूब गई हैं। मुम्बई शहर में छह से सात फीट पानी भर गया है। कोई भी मुम्बई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति का अनुमान लगा सकता है। उपनगरीय रेल सेवा मुम्बई की जीवन रेखा है। मुम्बई उपनगरीय रेल सेवा से प्रतिदिन 50 लाख लोग यात्रा करते हैं। यदि यह सेवा रूक जाती है तो कोई भी मुम्बई के लोगों की स्थिति का अंदाजा लगा सकता है। मुम्बई हमारे देश की वित्तीय राजधानी है। हम उस स्थिति के प्रति अवगत नहीं हैं। सभा को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है कि केन्द्र सरकार ने राहत प्रदान करने तथा बचाव कार्य शुरू करने हेतु वहां क्या किया है या क्या करने की पहल की है। लोगों को बचाया जाना चाहिए।

जब गुजरात में बाढ़ आई थी तो हमने उसे देखा था। एक रेल बाढ़ के कारण ठसाठस भरी थी। यह स्टेशन पर बिना खाना-पानी के दो या तीन दिन तक खड़ी रही। वहां कोई राहत या बचाव कार्य नहीं किया गया। केवल एक सज्जन, जिनकी पत्नी उस रेल से यात्रा कर रही थी, को जब यह सूचना मिली, तो वे वहां गए और न केवल अपनी पत्नी को अपितु उन सभी यात्रियों को भी बचाया जो वहां गुजरात में उस स्टेशन विशेष पर दो से अधिक दिनों से फंसे हुए थे। गुजरात की ऐसी बाढ़ भी पहली बार आई थी। गुजरात में एक दिन में 65 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई थी। 35 जिलों में से 11 जिले बुरी तरह बर्बाद हुए थे। लगभग 1500 गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी या टूट गई थीं। लगभग 215 राज्य राजमार्ग भी या तो टूट गए थे या क्षतिग्रस्त हो गए थे। बहुत से महत्वपूर्ण जिले और कस्बे जलमग्न हो गए थे। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ था।

हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ आई थी जिसके कारण हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा जलमग्न हो गया था। सबसे बड़ा और विशाल जल-विद्युत संयंत्र जिसे पहले नाप्था झाखड़ी जल परियोजना कहते थे उसे आजकल सतलुज जल विद्युत निगम कहा जाता है। इसकी क्षमता 1500 मेगावाट की है।

उस भारी बाढ़ के कारण सतलुज जल विद्युत निगम, जिसका उद्घाटन और शुभारम्भ प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल एक माह पहले ही किया गया था, का कार्यकरण पूर्णतया रुक गया था। टरबाइन नष्ट हो गई थी। इसकी सभी तीनों इकाइयां खराब हो गई थीं। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। इसी क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व भी बाढ़ आई थी। इस जल-विद्युत परियोजना के निर्माण में उस समय लगभग 35 श्रमिक लगे हुए थे। वे सभी उस बाढ़ में मारे गए थे। सरकार इससे अवगत थी कि वह क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। प्रश्न यह है कि क्या कोई उपचारात्मक उपाय किए गए थे।

इस बार, बहुत से राज्य प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा हुई है और बहुत से जिले बाढ़ के कारण जलप्लावित हो गए थे। हजारों गांव बर्बाद हो गए थे। मध्य प्रदेश राज्य में बाढ़ के कारण 200 से अधिक लोग मारे गए थे।

जम्मू और कश्मीर राज्य में बाढ़ आई थी। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण अमरनाथ यात्रा को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था। बहुत सी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं। जम्मू और कश्मीर राज्य में बहुत से लोग बाढ़ के कारण मारे गऐ थे।

आन्ध्र-प्रदेश में बाढ़ आई थी। रंगारेड्डी जैसे कई जिले बुरी तरह से बर्बाद हुए थे। वहां भारी वर्षा हुई थी। आन्ध्र प्रदेश राज्य में वहां वर्ष भर होने वाली औसत वर्षा की 40 से 45 प्रतिशत वर्षा एक ही दिन में हो गई थी। आन्ध्र प्रदेश राज्य में जुलाई माह में भी बाढ़ के कारण बहुत से लोग मारे गए थे।

इस वर्ष केरल में भी बाढ़ आई। इस वर्ष असम से शुरू होते हुए बहुत भारी वर्षा हुई है। इस वर्ष पश्चिम बंगाल में उतनी बारिश नहीं हुई। केवल उत्तरी बंगाल के एक या दो जिले ही प्रभावित हुए थे। अभी भी इसके लिए समय है। सामान्यतया, सितम्बर या अक्तूबर के महीने में बाढ़ आती है। केरल राज्य में बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई। इसमें 12 से अधिक लोगों की जानें गईं।

कुछ राज्यों में बाढ़ है और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां लोग सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। पूरे उड़ीसा राज्य में आजकल कम वर्षा हो रही है। धान की बुआई शुरू नहीं हुई है। पूरा राज्य सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। पश्चिम बंगाल में विशेषकर दक्षिण बंगाल में कम से कम तीन जिले सूखे जैसे स्थिति झेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिले में आजकल बहुत कम वर्षा हो रही है।

राज्य के कुछ भागों में लोग बाढ़ से परेशान हैं और उसी राज्य के किसी अन्य भाग में लोग सूखे से पीड़ित हैं। हरेक वर्ष और हरेक मौसम में हम प्राकृतिक आपदाओं और किसी विशेष राज्य की अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों पर चर्चा करते हैं परन्तु इन आपदाओं का कोई स्थायी समाधान नहीं है। इस बाढ़ के कारण हर वर्ष 15 करोड़ रुपए से लेकर 20 करोड़ रुपए तक नुकसान हो जाता है; सैंकड़ों लोग मर जाते हैं; और कृषि फसलों को भारी क्षति पहुंचती है।

महोदय, हमारे देश में 40 मिलियन हैक्टेअर भूमि बाढ़-प्रवण है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार 40 मिलियन हैक्टेअर बाढ़-प्रवण भूमि में से केवल 32 मिलियन हैक्टेअर भूमि को बचाया जा सकता है। किंतु बाढ़ को रोकने के लिए अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिल सका है।

अनेक नदियां, विशेषकर हमारे देश के उत्तरी भाग में अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं जो नेपाल, भूटान और तिब्बत से प्रारम्भ होती हैं। जब भी बिहार में बाढ़ आती है तो बिहार के उत्तरी भाग को नुकसान होता ही है। इस वर्ष बिहार सौभाग्यशाली है कि वहां अभी तक लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। परन्तु हरेक वर्ष बाढ़ के कारण बिहार के उत्तरी भाग की कृषि भूमि का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। यह सब नेपाल से प्रारम्भ होने वाली नदी के कारण है। परन्तु उस देश से आने वाली बाढ़ के रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यदि नेपाल में कुछ निश्चित उपाय किए जाएं तो बिहार के उत्तरी भाग को बचाया जा सकता है। नेपाल के साथ एक समझौता है परन्तु उस समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है। उसे अभी लागू किया जाना है। इसलिए, नेपाल के साथ समझौते को लागू न कराने के कारण ही बिहार के लोग हरेक वर्ष बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करते हैं।

उत्तरी बंगाल विशेषकर जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले भूटान से प्रारम्भ होने वाली नदियों से आने वाले बाढ़ के पानी के कारण प्रभावित होते हैं।

इसी सभा में हमने भारत-भूटान संयुक्त उपयोग बनाने की मांग की थी। हमें बताया गया है कि एक आयोग पहले ही गठित कर दिया गया है। परन्तु उस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने हेतु कुछ ठोस उपाय करने की जरूरत है। भूटान और हमारी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वे उपाय अभी तक नहीं किए गए हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

हमारी सरकार को भूटान सरकार पर कुछ उपाय करने का दबाव डालना चाहिए ताकि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में बाढ़ न आए।

[श्री बसुदेव आचार्य]

महोदय, एक कार्य समूह गठित किया गया था। उस कार्य समूह ने सिफारिश की थी कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी निधियों की आवश्यकता होगी। सिफारिश यह थी कि 10361 करोड़ रुपए राज्य क्षेत्र में तथा 30,700 करोड़ रुपए केंद्रीय क्षेत्र में खर्च किए जाने चाहिएं। कार्य समूह की सिफारिश के अनुसार कृषि भूमि, गांवों तथा लोगों को बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव से बचाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इतनी राशि की जरूरत होगी।

महोदय, बाढ़ संबंधी एक कार्यदल भी गठित किया गया था। उस कार्यदल ने बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। महोदय, महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं: गंगा में भूमि-कटाव नियंत्रण के लिए वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की निधियन परिपाटी के केन्द्र-राज्य के 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के अनुपात को बदलकर 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत करना। मैं पश्चिम बंगाल के सामने आने वाली भूमि कटाव की समस्या पर बाद में बात करूंगा। अन्य सिफारिशें है: उत्तर बंगाल नदीप्रबंध बोर्ड की स्थापना करना; तटबंधों के रखरखाव के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में निधियों का प्रावधान; बाढ़-बचाव योजनाओं, जिनकी तत्काल आवश्यकता है के निधियन के लिए वार्षिक जल संसाधन मंत्रालय को रिवल्विंग फंड के रूप में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करना; भंडारण टैंकों में बाढ़ भंडारण उपकरणों का पूर्ण केंद्रीय निधियन; बाढ़ नियंत्रण के लाभ प्रदान करने वाली अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर की परियोजनाओं को लागू करने के लिए जोरदार प्रयास किए जाने चाहिएं; राज्य सरकारों को फ्लड प्लेन जोनिंग को लागू करने के लिए कहना चाहिए; तटबंधों के रखरखाव में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में 2005 मानसून से पूर्व 316.14 करोड़ रुपए की लागत से तत्काल उपाय किए जाएं।

2005-06 और 2006-07 के लिए 2030.15 करोड़ की लागत से कतिपय अल्पावधि उपाय करने की भी सिफारिश की गई है। ये राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं और इसलिए उदार केंद्रीय सहायता की आवश्यकता होगी। इस कार्यदल ने बहुत स्पष्ट सिफारिश की है कि राज्य की संसाधन क्षमता; अर्थात धन जिसकी कार्यदल की सिफारिश लागू करने के लिए आवश्यकता होगी, राज्य सरकारों की क्षमता से बाहर है। इसलिए केंद्र सरकार को उदार सहायता प्रदान करनी चाहिए। कार्यदल ने अपनी सिफारिशें लगभग दो माह अथवा तीन माह पूर्व दे दी थीं।

कार्यदल की सिफारिशें लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की गई? कार्यदल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। जब मंत्री जी बहस का उत्तर दें तो मैं जानना चाहूंगा कि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई?

पश्चिम बंगाल राज्य में कोई बड़ी बाढ़ नहीं है; और केवल दो जिले प्रभावित हुए। परन्तु पश्चिम बंगाल गत कई वर्षों से भूमि-कटाव की समस्या झेल रहा है।

अपराह्न 3.06 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

गंगा नदी एक अंतर-राज्यीय नदी है और गंगा बेसिन में कटाव हो रहा है। यह उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। हर वर्ष कटाव होता है और बहुत से गांव नष्ट हो जाते हैं क्योंकि नदी अपनी मार्ग बदल रही है। गंगा-पद्मा का संगम होता है; माल्दा तथा मुर्शिदाबाद दो जिले हैं जो कटाव के कारण बहुत प्रभावित हैं।

भारतीय सरकार द्वारा 1996 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। समिति ने सिफारिश की कि कटाव रोकने हेतु 926 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत पड़ेगी। उस समिति ने 1997 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थीं। 1997 तक कितना धन आवंटित किया गया? प्रत्येक वर्ष वे तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए 35-40-45 करोड़ रुपए आवंटित करते हैं। अनुमान लगाया गया था। आज कितने धन की जरूरत पड़ेगी? यह 1,500 करोड़ रुपए अथवा संभवत: 2,000 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि चूंकि गंगा एक अंतर-राज्यीय नदी है इसलिए इसे राष्ट्रीय समस्या घोषित करना चाहिए। इसे राज्यों पर नहीं छोड़ा जचाना चाहिए; और 75:25 का अनुपात पर्याप्त नहीं है। इसीलिए, कार्यदल ने सिफारिश की थी कि 90:10 का अनुपात होना चाहिए — 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार से आना चाहिए और 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

क्रिटीकल एंटी-इरोशन वर्क्स नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना गंगा बेसिन राज्यों में जनवरी, 2001 में अनुमोदित की गई थी जिसमें केंद्र का हिस्सा 110 करोड़ रुपए था जबकि सिफारिश 926 करोड़ रुपए की की गई थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह 926 करोड़ रुपए एक वर्ष के लिए था बल्कि यह पांच वर्ष के लिए था। कितनी निधियां प्रदान की गई थी? उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, पश्चिम बंगाल, राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए और खतरनाक किस्म के कटाव-रोधी कार्य कराने के लिए फरक्का बराक प्रोजेक्ट अथारिटी को 110 करोड़ रुपए केन्द्रीय अंश के रूप में प्रदान किये गये थे। वर्ष 2000 में केवल 110 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे और वह भी चार राज्यों के लिए। प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना था? यह पश्चिम बंगाल के लिए 25.30 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं था। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता संबंधित राज्यों को केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में अनुदान और ए०बी०पी०ए० के लिए

सौ प्रतिशत निधियन के रूप में है। 2001-02 के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल और बिहार को गंगा बेसिन में कटाव-रोधी खतरनाक कार्य कराने के लिए अनुदान सहायता के रूप से 31.85 रुपए की राशि जारी की गई थी और इस प्रकार कुल 51.85 करोड़ रुपए जारी किए गए। गंगा बेसिन में खतरनाक कटाव-रोधी कार्य कराने के लिए सम्पूर्ण नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 110 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंश के स्थान पर इन राज्यों को 51.85 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। चार राज्यों के कटाव-रोधी कार्य कराने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रदान की गई सम्पूर्ण निधि जारी नहीं की गई। योजना का शेष बचा हुआ 85.15 करोड़ रुपए का अंश दसवीं पंचवर्षीय योजना के 192 करोड़ रुपए के आवंटन में जारी रखा जा रहा है। इसे दसवीं पंचवर्षीय योजना में लगाया जा रहा है।

सभापति महोदय : आपने पहले ही 32 मिनट ले लिए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं 15 मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में समय तय करने का कोई औचित्य नहीं है। आपने स्वयं कार्य मंत्रणा समिति में इसकी चर्चा के लिए समय तय किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : इस वर्ष केरल प्रभावित हुआ है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : माननीय सदस्य अभी थोड़ी देर ओर बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : अभी पाठक जी आप भी बोलेंगे, श्री काशी राम राणा जी और श्री वर्मा जी भी बोलेंगे। हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अध्यक्षपीठ को संशोधित करें।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : आचार्य जी कुछ जम नहीं रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप हमारे दोस्त हैं। अगर जम नहीं रहा है तो हिंदी में बोलना पड़ेगा, तब जमेगा।

[अनुवाद]

वर्ष 2003-04 के लिए बजट अनुमान में 25 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गंगा बेसिन राज्यों में खतरनाक कटाव-रोधी कार्य कराने के लिए 133.85 करोड़ रुपए की शेष राशि हेतु योजनाएं बनाने के लिए अलग-अलग योजनाओं की पहचान करने हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है। 133.85 करोड़ रुपए की इस छोटी सी राशि से क्या किया जा सकता है? चार राज्यों में कटाव की समस्या से निपटने के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता होगी। प्रभुनाथ सिंह जी, मैं आपके बिहार की बात बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सरकार से पूछ तो लीजिए कि वह आपकी बात सुन भी रही है या नहीं। यदि नहीं सुन रही है, तो आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अपरदन की समस्या केवल पश्चिम बंगाल राज्य में ही नहीं बल्कि यह पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी समस्या है। गंगा की घाटी में रहने वाले लोग रात में सो नहीं रहे हैं। नदी अपना मार्ग बदल रही है। एक के बाद दूसरा गाँव नदी में बहे जा रहे हैं। लोग अपने घर खोते जा रहे हैं और वे लोग बेघर हो रहे हैं। उनके पुनर्वास और गंगा घाटी वाले राज्यों में अपरदन की समस्या का निदान ढूढ़ना है। इसे राष्ट्रीय समस्या घोषित किया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार द्वारा इसका हल ढूंढा जाना चाहिए। इसे अल्पावधिक उपायों से हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए दीर्घावधिक योजनाओं की जरूरत है ताकि स्थायी समाधान निकाला जा सके और गंगा की घाटी में रहने वाले लोग चैन की नींद सो सकें।

इस समय कुछ क्षेत्रों में सूखा जैसी स्थिति बनी हुई है। सूखा की समस्या से निपटा जा सकता है। उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। उसके लिए पर्याप्त धन की जरूरत है। नदी-तल में गाद जमने के कारण हमारी नदियों की जल धारण क्षमता घट रही है। वर्षा जल संचयन के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। वैश्विक तापन के कारण वातावरण के बदलाव आया है। कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक ही जिले में उसके एक भाग में भारी वर्षा होती है जबकि उसमें दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है।

इस समस्या से कैसे निपटा जाए? कई क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में पूंजी का निवेश नहीं हुआ है। हमारी सिंचाई प्रणाली के विस्तार के लिए काफी पैसा नहीं आवंटित किया गया है। बड़ी संख्या में सिंचाई परियोजनाएं 15 से 20 वर्षों से पूरी नहीं हुई हैं। तीस्ता सिंचाई परियोजना 20 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी। यह परियोजना अभी पूरी की जानी है।

सभापति महोदय : आपने लगभग 40 मिनट का समय लिया। आपका समय अब समाप्त हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अब मैं देश में सूखे की समस्या पर कुछ बोलना चाहूंगा *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, हमारे दल के 14 सदस्य हैं जो इस विषय पर बोलना चाहेंगे।

सभापति महोदय : मैं आपसे केवल अपनी बात समाप्त करने की अपील कर रहा हूं।

श्री खारबेल स्वाईं : शुरू से ही समय को विनियमित किया जाए। अन्यथा, अंत में आप किसी सदस्य को मात्र दो मिनट का समय दे पायेंगे। समय को शुरू से ही नियोजित किया जाए तभी *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : कृषि क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी निर्माण के लिए पर्याप्त राशि आबंटित की जानी चाहिए। सिंचाई प्रणाली के विस्तार के लिए और पूंजी निवेश किया जाना चाहिए। राजग के शासनकाल के दौरान हमने देखा कि सिंचाई के विस्तार के लिए पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया गया। सिंचाई के क्षेत्र में कम निवेश हुआ *(व्यवधान)*

श्री उदयसिंह (पूर्णिया) : क्या पिछले एक वर्ष के दौरान सिंचाई में सुधार हुआ है? *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : कम से कम यह सरकार स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। आवंटन राशि बढ़ायी गई है। आप सिंचाई के मद में इस सरकार द्वारा आवंटित राशि तथा पिछली सरकार द्वारा आवंटित राशि की तुलना कर सकते हैं।

सभापति महोदय : लगभग 35 सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहेंगे। यदि यही सब करते रहे तो हम इस सत्र के दौरान भी इस चचर्चा को पूरा कर पायेंगे?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह चर्चा आधी रात तक जारी रहेगी।

बाढ़ प्रभावित राज्यों में कृषि सम्बंधी गतिविधियां शुरू नहीं हुई है। कृषि कामगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। देश में विगत दिसम्बर माह में 150 जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। मेरा सुझाव है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बाढ़ प्रभावित राज्यों तक बढ़ाया जाना चाहिए और इस विधान को खत्म कर दिया जाना चाहिए जिसमें पहले यह पहचान करना होता है कि उस जिला विशेष या क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत ज्यादा है या कम है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए।

बाढ़ प्रभावित राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री ने गुजरात के लिए 500 करोड़ रुपये की राहत की घोषणा की है। मुझे ज्ञात नहीं कि पैसा राज्य को पहुँचा है या नहीं। इसका कारण है, मैंने देखा है, कि पहले एक केन्द्रीय दल ने राज्य में प्रभावित क्षेत्र का जुलाई के मध्य में दौरा किया, वे वापस आ गया और फिर उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समय प्रणाली में दोष यह है कि पहले केन्द्रीय दल क्षेत्र का दौरा करता है, वे वापस लौटते हैं तथा अपनी रिपोर्ट देते हैं और फिर केन्द्र सरकार निधि जारी करती है। इसमें समय लगता है। राहत तत्काल लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आज महाराष्ट्र राज्य में हजारों-हजार लोग असहाय हो गए हैं।

राहत सामग्री तत्काल भेजी जानी चाहिए। वहां सेना तैनात की जाती चाहिए और बचाव कार्य तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। श्री मान यहां है। महाराष्ट्र के एक भाग में रहने वाले लोगों का दूसरे भाग के लोगों से संचार संपर्क टूट गया है। इसलिए, दूरसंचार को युद्ध स्तर पर पुनः बहाल किया जाना चाहिए। रेलवे मार्ग में हुई क्षति की शीघ्र मरम्मत की जानी चाहिए। रेल सेवा अभी बहाल नहीं हुई है। इन्हें तत्काल बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि यह मुम्बई की उपनगरीय क्षेत्र की जीवन सेवा हैं।

हजारों-हजार गांव बिना बिजली के अंधेरे में डूबे हैं। उन गांवों में बिजली की पुनः बहाली युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। इस साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की संख्या काफी है। कई राज्यों में बाढ़ का प्रभाव बुरा पड़ा है। आपदा प्रबंधन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। सुनामी की भीषण आपदा के बाद इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। मुझे ज्ञात नहीं कि विधेयक की संवीक्षा के बाद स्थायी समिति ने उसे सरकार को लौटाया है या नहीं। लेकिन इसके लिए प्राधिकरण का तत्काल राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा जिला-स्तर पर गठन होना चाहिए विधेयक में जो भी सुझाव दिया गया है उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

जहाँ तक मौसम विभाग का संबंध है, हमारे किसान मौसम विभाग द्वारा बताए गए पूर्वानुमान पर निर्भर नहीं करते। यहां तक मानसून का संबंध है। इस पर विचार किया जाना चाहिए ताकि यह विभाग वर्षा और अन्य बातों की सही-सही जानकारी दें।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह उन लोगों को तत्काल राहत सामग्री भेजे जो महाराष्ट्र में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं तथा राहत कार्य तत्काल शुरू किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब इसके पहले कि श्री काशीराम राणा बोले, मुझे सभा को बताने दीजिए कि इस विषय पर 37 सदस्य बोलने वाले

हैं। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रत्येक सदस्य 10 मिनट से ज्यादा का समय न लें।

अब श्री काशीराम राणा बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के कई राज्यों में कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ की सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि जैसे देश के ऊपर कुदरती कोप हो। इसका शिकार देश के बहुत सारे राज्य बने हुए हैं।

अभी-अभी हमारे माननीय सदस्य श्री बुसदेव आचार्य जी ने जो कहा, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, ऐसे कई राज्य इस देश के हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है, हजारों लोगों की जानें कई हैं और अरबों रुपये का नुकसान वहां पर हो चुका है। राजस्थान जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी बारिश का सीजन होते हुए भी सूखे की स्थिति है।

इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार के पास एक संकल्प होना चाहिए और बाढ़ पीड़ित या सूखा पीड़ित राज्यों को अविलम्ब सहायता करके वहां पर स्थिति को पुनःस्थापित किया जाए। मुझे लगता है कि सरकार को और भी सावधान होना चाहिए। अभी देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे जितनी जल्दी हो सके, राज्यों को बहार लाने के लिए सरकार को पूरी तरह से उनकी मदद करनी चाहिए।

सभापति जी, सदन का बहुत सारा समय लिया गया है, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज सुबह मैंने सुना था कि महाराष्ट्र के मुम्बई और थाणे तथा कोंकण में क्या परिस्थिति पैदा हुई है। वहां की स्थिति का बयान माननीय सदस्य कर रहे थे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है, जम्मू-कश्मीर में भी हुई है। लेकिन मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि गुजरात में जो परिस्थिति पैदा हुई, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी भारी वर्षा नहीं देखी। हो सकता है कि मुम्बई और कोंकण में ऐसी बारिश होती हो। गुजरात के 25 में से 15 जिलों में इससे नुकसान हुआ है। इतने भारी नुकसान में से लोगों को राज्य सरकार ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। लेकिन भारत सरकार से जो मदद की अपेक्षा हम रखते हैं वह अपेक्षा हमारी अभी भी पूरी नहीं हुई है। 25 जिलों में से 15 जिले ऐसे हैं, जो बाढ़ की चपेट में आए हैं। पांच दिनों तक भारी बारिश होने के कारण किसी का किसी के साथ संपर्क न हो सका। हमारे एक्सप्रेस हाइवे टूट गए। बीस हजार किलोमीटर का रास्ता बिलकुल साफ हो चुका है। पांच-छह हजार गांवों की बिजली सप्लाई बाधित हो चुकी है। आठ हजार गांवों में पीने के पानी की सप्लाई बिलकुल बंद है। कई ऐसी रेल लाइनें हैं जो बिलकुल साफ हो गई हैं। ऐसे हालात गुजरात में पैदा हुए। आज भी गुजरात के लोग इस तबाही से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। केन्द्रीय टीम भी सर्वे के लिए गई थी। सर्वे हो चुका है। हमारे गृह मंत्री जी ने घोषणा भी की थी। उन्होंने भी हवाई सर्वे किया था। वे वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने घोषणा की कि हम पांच सौ करोड़ रुपए की सहायता करेंगे।

वैसे वह सहायता उन्होंने की भी। नैचुरल क्लैमिटी फंड में से 72 करोड़ रुपए और भी दिए गए, लेकिन नुकसान हजारों-करोड़ों रुपयों का है। गुजरात में इस साल बाढ़ आई है। हमारा दुर्भाग्य है कि हर साल कभी बाढ़ कभी सूखा, कभी साइक्लोन और कभी भूकंप आते हैं। हर साल कोई न कोई आपदा, कोई न कोई विपदा गुजरात में आती है। गुजरात के लोग बार-बार प्राकृतिक विपदा से लड़ते हैं। वे अपने आप तो जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सहायता करना भारत सरकार का भी कर्तव्य है।

वहां आज तक कितना नुकसान हुआ और भारत सरकार की ओर से हमें हमें कितनी राहत मिती, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। पिछले चार-पांच सालों में वहां जो नुकसान हुआ, उस पर गुजरात सरकार का 6,741 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जिसकी मांग भारत सरकार से की गई। लेकिन हमें भारत सरकार की ओर से नैचुरल कैलेमिटी रिलीफ फंड और नैशनल कैलेमिटी कंटिनजैंसी फंड में अभी तक 2,545 करोड़ रुपये ही मिले। हमें भारत सरकार की ओर से जो सहायता मिलती है, वह बहुत से कम है।

मैं कहना चाहता हूं कि विपदा के समय मानवता के कार्य में भारत सरकार राजनीति न करे और राज्य-राज्य के बीच भेदभाव न करे। जिस राज्य में जितनी सहायता की जरूरती है, उस राज्य को उतनी सहायता पहुंचाने का कार्य करे। गुजरात सरकार ने पूरा सर्वे करके भारत सरकार को एक मैमोरंडम भेजा है, जिसमें बताया गया है कि किस हैड में कितना नुकसान हुआ है। भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि मैमोरंडम के मुताबिक 8110.84 करोड़ रुपए की तात्कालिक जरूरत है। किस राज्य में किस पार्टी का राज है, इसे न देखते हुए, वहां जो स्थिति पैदा होती है, उससे निपटने के लिए भारत सरकार न्यूट्रल होकर सहायता करे। वहां दो सौ से भी ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार सहायता अवश्य करेगी।

अगर वहां के छोटे-मोटे कारखाने चलाने वाले लोगों के लॉस का अंदाजा लगाए तो लगभग 3,730.37 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। छोटी-छोटी फैक्ट्रियों के मालिक, जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, आज बिना सहायता के बैठे हैं। भारत सरकार 500 करोड़ रुपये देकर बताना चाहती है कि हमने बहुत सहायता कर दी। शुरूआत में जो भी सहायता हो, वह ठीक है, लेकिन जिन लोगों का नुकसान

[श्री काशीराम राणा]

हो चुका है, चाहे साउथ गुजरात हो या मध्य गुजरात हो, सौराष्ट्र हो या सुरेन्द्रनगर, वहां का चिवड़ा, निमड़ी आदि वर्षा की वजह से खत्म हो चुका है। वहां के लाखों लोग बाढ़ की वजह से परेशान हो गए हैं। भारत सरकार को उनके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब भारत सरकार सहायता नहीं करेगी, तब तक लाखों लोग मुश्किल उठाते रहेंगे।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि चाहे गुजरात में भारी वर्षा की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है, चाहे महाराष्ट्र में हुई है और चाहे हिमाचल प्रदेश में हुई है, सबको मदद देनी चाहिए। जहां जैसा नुकसान हुआ है, उसे देखते हुए वहां सहायता पहुंचाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है।

जहां तक गुजरात का सवाल है, वहां सैंट्रल टीम को आये हुए 20-25 दिन हो गये हैं लेकिन उसने अभी भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता की घोषणा नहीं की गयी। अभी यानी लंच से पहले राज्य सभा में इसी नेचुरल कैलामिटी पर डिसकशन चल रही थी। उस पर माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया कि हमने वहां 500 करोड़ रुपये दिये हैं। इसके अलावा उन्हें और पैसे की जरूरत होगी तो हम उसे जरूर देंगे। हमने सैंट्रल टीम को इससे अधिक सहायता के लिए एक मेमोरेंडम दिया है। हमने उस मेमोरेंडम में जितनी सहायात मांगी है, उसमें से किसी सहायता की कोई घोषणा नहीं की गयी।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज गुजरात की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छी नहीं है। वहां किसान और छोटे बड़े उद्योगपति दुखी हैं। उनको फिर से खड़ा करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के साथ मिलकर सहायता करनी पड़ेगी। मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात में भारी वर्षा के कारण नुकसान हुआ तो गुजरात सरकार ने तुरंत अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर भारत सकार हमारी सहायता करेगी तभी हमारा काम चलेगा। गुजरात सरकार ने कैलेमिटी रिलीफ के 92 करोड़ रुपये मिलने से पहले ही लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। मैं भारत सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि यह मानवीय काम है इसलिए इस पर वे राजनीति न खेलें। एक ओर वे सहायता दें और दूसरी ओर अपनी पार्टी की ओर से वहां धरना करवायें या कोई न कोई आंदोलन करें, तो यह ठीक नहीं है। हम सबको एक साथ बैठकर, एकजुट होकर इस विपदा से पार पाना है। इसके लिए पूरी सहायता गुजरात सरकार को करनी चाहिए।

जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले कई सालों से गुजरात ऐसी कई विपदाएं सहता आ रहा है। पूरा देश गुजरात के प्रति सहानुभूति रखता है, यह हमने अर्थक्वेक के समय देखा है। अर्थक्वेक से जो लोग पीड़ित थे, उनकी मदद के लिए पूरे देश और दुनिया ने जिस प्रकार सहायता की, वह सबको मालूम है। आज भी गुजरात किसी न किसी विपदा का शिकार होता रहता है चाहे वह मानवीय हो या कोई दूसरी हो।

मैं आपके माध्यम से यह अवश्य कहूंगा कि देश के अलग-अलग राज्यों में से कुछ ही दिनों में भारी बारिश हो जाती है क्योंकि बादल फट जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्यों होता है? यदि हमारा एटमोस्फियर चेंज होता है, कलाइमेंट चेंज होता है तो उस बारे में भी हमें छानबीन करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्यों चार-पांच दिन में ही सीजन की सरी बारिश हो जाती है। इसके अलावा भी बारिश होती रहती है तो यह क्यों होता है, हमने इसके लिए जो प्रिकॉशनरी स्टेप, डिजास्टर मैनेजमैंट तैयार किया है, उसके लिए हमने जो प्रावधान रखा है वह ठीक नहीं है। जब डिजास्टर हो जाती है तब हम जागते हैं। उसके बाद हम मदद के लिए दौड़ते हैं। मेरा कहना है कि समय पर हम क्या प्रिकॉशनरी स्टेप लें, उस दिशा में भारत सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

जैसा मैंने कहा कि हर राज्य में जो प्राकृतिक आपदा आती है, वह कुदरत की वजह से आती है इसलिए उसमें सहायता पहुंचाने की हमें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अमानवीय होगा। ऐसा न हो कि यह राजनीतिक हादसा है और इससे बेनीफिट होगा। अगर ऐसा लगेगा तो भविष्य में उसका बहुत भारी नुकसान राज्य और देश के लोगों को होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि गुजरात सरकार वहां जिस तरह से मदद कर रही है या करने के लिए बैठी है, उसमें भारत सरकार भी अपना सहयोग करे तथा सैंट्रल टीम ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर वह मदद करे। इसके अलावा गुजरात सरकार की तरफ से जो 8,110 करोड़ रुपये की मांग की गयी है, उस मांग को स्वीकार करते हुए अविलंब सहायता डिक्लेयर करे।

500 करोड़ रुपए दिये हुए बहुत दिन बीत गये हैं। 500 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। हजारों करोड़ का नुकसान अगर आप देखेंगे तो आपके भी रौंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या परिस्थिति पैदा हो चुकी है। इस स्थिति से गुजरात को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार पूरी सहायता करें और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन में नैचुरल कैलेमिटी के ऊपर जो बहस चल रही है, उसमें जो सुझाव दिये जा रहे हैं, भारत सरकार उसकी कद्र करे, इसे पूरी गंभीरता से ले और उसके आधार पर आज और आने वाले कल के लिए हमें कैसे राज्यों को, देश के लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, यही भारत सरकार चिंता करे। इसके लिए कोई न कोई बात अमल में रखे तो मुझे लगता है कि यह देश की बहुत बड़ी सेवा होगी और आने वाले दिनों में बाढ़ और सूखा की अगर कोई स्थिति पैदा हुई तो लोगों तक इसके पहुंच पाने में बहुत कांफीडेंस पैदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि आज गुजरात सरकार अपनी तरफ से जो भी हो सके, वह मदद कर रही है। लेकिन भारत सरकार इसी

बहस के आधार पर आज घोषित करे कि हम गुजरात को इतना धन दे रहे हैं, ऐसी घोषणा कम से कम इस बहस के दौरान करे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वी०के० टुम्मर (अमरेली) : यहां से 500 करोड़ रुपया भेजा जा चुका है। लेकिन गुजरात सरकार ने गरीबों को नहीं दिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, श्री काशीराम राणा ने अभी-अभी जो कहा है उसमें मैं एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि गुजरात सरकार को जो राहत दी गई है उसे सुनामी के आधार पर दिया जाना चाहिए, प्राकृतिक आपदा के आधार पर नहीं क्योंकि 100 घंटे की भारी वर्षा ने राज्य के 90 प्रतिशत क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सभापति महोदय, श्री हरिन पाठक ने जो कुछ कहा है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : सुनामी के आधार पर गुजरात को सहायता दी जाए, नैचुरल कैलेमिटी के आधार पर नहीं।

[अनुवाद]

श्री ए०आर० अंतुले (कुलाबा) : सभापति महोदय, हम अत्यन्त दु:खद स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मुझसे कहा जा रहा है कि मैं हिन्दी में बोलूं। मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता था लेकिन अगर आपका आदेश है तो मैं हिन्दी में बोलूगां।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप नियमों के अधीन किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची के अधीन कुछ भाषाएं बताई गई? और आप उनमें से किसी भी एक भाषा में बोल सकते हैं।

श्री ए०आर० अंतुले : महोदय, नियमों ने मुझे वह शक्ति दी है लेकिन मैंने वह शक्ति माननीय अध्यक्ष पीठ को हस्तान्तारित कर दी है और माननीय अध्यक्ष पीठ मुझे जैसा निदेश करेंगे मैं उसका अनुपालन करूंगा।

सभापति महोदय : आप अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा किसी अन्य भाषा में जिसमें आप बोलना चाहे बोल सकते हैं।

श्री ए०आर० अंतुले : महोदय हम एक अत्यन्त दु:खद स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक मैं महाराष्ट्र और मुम्बई को जानता हूं ऐसी विपत्ति वहां पहले कभी नहीं आई है तो इसे ''बादल फटना'' नहीं कहूंगा लेकिन मैं इस 'आकाश फटना' के रूप में कह सकता हूं मैं इसे 'आकाश सुनामी' कहूंगा?

मैंने अपने कई साथियों के विचारों को सुना है। उन्होंने भी इस स्थिति को अच्छी तरह समझा है। उन्हें अपने सुझाव देने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं जिला अधिकारियों और कोकण और मुम्बई अधिकारियों से भी लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं, जिस प्रकार से वारिश हुई है प्रत्येक गली एक नदी बन गई है यह बाढ़ नदी है। हर व्यक्ति ने छोटे अथवा बड़े पैमाने पर बाढ़ देखी है लेकिन इसका विस्तार तो बाढ़ से कहीं बहुत अधिक है। यह एक प्राकृतिक विपदा है और यह एक अनर्थकारी विपदा विपत्ति है।

यदि कोई आदमी धरती तक पानी में डूबा हुआ है और दो फुट की दूरी पर एक अन्य व्यक्ति खड़ा है और उसका हाथ उस पहले व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। यदि उसके हाथों में कुछ है और वह भीख तक दूसरे व्यक्ति को नहीं दे पाता है मुझे भीख शब्द का प्रयोग करने पर क्षमा करे ये ऐसी स्थिति है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि 'शब्दकोष' में इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। उदाहरणर्थ कुछ गांव पहाड़ी और टीलों पर स्थित है। वे समझते थे कि पहाड़ी पर होने के कारण वे सुरक्षित हैं लेकिन यदि पहाड़ी ही स्वयं खिसक जाती वो पूरा का पूरा गांव पहाड़ी के नीचे चला जाता है। उन लोगों के साथ क्या हुआ? हम नहीं जानते कि वे जीवित भी है या नहीं। यदि वे जीवित नहीं है अर्थात मर गए हैं तो उनका अन्तिम संस्कार किया जाना है अथवा उन्हें दफनाया जाना है, यह कोई नहीं जानता क्योंकि उस गांव तक कोई पहुंच नहीं सकता है। उदाहरण के लिए मैं एक नाम लेता हूं जूई, जूई मेरे जिले के अर्थात् रायगड़ जिले में महाद तल्लुक में एक गांव है। उस गांव तक पहुंचना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सामाजिक कार्यकर्त्ता से लेकर राजनीतिक कार्यकर्त्ता ने और प्रशासन के अधिकारियों तक ने पिछड़े 2-3 दिनों में उस गांव में पहुंचने का प्रयास किया लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंच सका क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था।

लगातार वारिश होती रही। कोई हेलिकॉप्टर नहीं था और वारिश का पानी इतना अधिक इकट्ठा हो गया कि इससे पूर्व इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं था। आप सड़क से चलकर वहां पहुंच नहीं सकते थे। छाती तक आए पानी में आप चल नहीं सकते थे। आप उसमें तैर सकते थे लेकिन यदि आपको तैरना आता है वो भी आप किस सीमा तक तैर सकते हैं। इसलिए इस समय न तो मैं राज्य सरकार को और न ही केन्द्र सरकार को इसका दोषी ठहराता हूं और मैं अपने आपको कोंकण और मुम्बई तक ही सीमित रखता हूं।

[श्री ए०आर० अंतुले]

मेरे मित्र श्री बसुदेव आचार्य ने बहुत अच्छा भाषणा दिया। उनका भाषण आंकड़ों से भरा हुआ था उनके भाषण में इस देश के हर कोने को शामिल करते हुए वहां के तथ्य दिए थे अर्थात् हिमाचल प्रदेश से लेकर गंगा नदी के कटाव तक को शामिल किया गया था। लेकिन मैं तो अपने को उसी स्थान तक सीमित रखूंगा जहां से मैं हूं क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है वह अधिक प्राधिकृत सूत्रों से प्राप्त हुई है। मैं यह नहीं कहूंगा कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार पीछे रह गयी।

मैं ऐसा नहीं कहूँगा। सेना को वहां भेजा गया था। वे भी उस स्थान पर नहीं पहुंच पाई। वहां पर सहायता नहीं पहुंच पाई थी। उन्हें इसके बारे में पता नहीं चल सका। मूलसधार बारिश के कारण हैलिकॉप्टर वहां उड़ नहीं सकें। वहां राहत कैसे भेजी जा सकती है जब तक कि राहत सामग्री आकाश मार्ग द्वारा नीचे न फैंकी जाए। वहां कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। अत: मेरा सुझाव यह है कि मैं तो केवल उसे परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह इस आसमान फटना, आकाश सुनामी को तत्काल रोक दे। यह बारिश पिछले तीन दिन और तीन रात से लगातार हो रही है। यदि यह इसी तरह जारी रही – और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो – तो पता नहीं क्या होगा। मैं तो बस उस परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे रोके। यह तो मानव कल्पना से परे है। केवल ईश्वर ही इसे रोक सकता है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि वह इसे रोके और उसके बाद ही राहत प्रक्रिया आरम्भ की जा सकेगी। राहत सामग्री तभी उन तक पहुंच पाएगी जब वहां कोई पहुंच पाए और उसे उन्हें दे सके। अब से लेकर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अपने आप को इस कार्य के लिए तैयार कर रही होगी मुझे विश्वास है कि वह वहां पहुंच सकेंगे। कितने लोग मारे गए हैं?

जब मैं इस सदन में पहुंचा या उस समय मरने वालों की संख्या 60 थी उन गांवों को तो छोड़ दीजिए जो पहाड़ी के आसपास थे और बिल्कुल डूब गए हैं। हमें नहीं मालूम कितने लोग मारे गए है और कितने उसमें से ज़िंदा बचे हैं। कोई ज़िंदा बचा होगा, इसमें मुझे संदेह है।

अत: इस प्रकार की विपदाओं का सामना करने के लिए हमें पीड़ितों तक हर प्रकार की राहत पहुंचाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सर्वेक्षण किया जाएगा लेकिन सर्वेक्षण अधिकारियों को बता दिया जाए कि वे चालान खाता पुस्तकों और रिकार्ड के बारे में न पूछें। इसका कारण यह है क्योंकि सब कुछ पानी में बह गया है। कुछ भी शेष नहीं बचा है। आप उन्हें जालसाजी करने के लिए नहीं कह सकते और जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नहीं कह सकते। अत: अधिकारियों को सामान्य ज्ञान का, मानव भावना का प्रयोग करते हुए दयालु बनना चाहिए। जब तक उनका दृष्टिकोण मानवीय नहीं होगा मैं नहीं समझता कि वह पीड़ितों के साथ न्याय कर सकेंगें।

मुम्बई में भी ऐसा ही हुआ है। एक राज्य के दूसरे राज्य में और एक घर से दूसरे घर तक लोग काफी दूर सो रहे हैं वे अपने घरों में जा नहीं सकते। वे दूसरे लोगों के घरों में सो रहे हैं। वहां इस प्रकार चल रहा है। अत: मेरा आपके माध्यम से और इस माननीय सभा के माध्यम से दोनों सरकारों – केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन है कि वे तैयार रहें। जैसे ही मूसलाधार बारिश से राहत मिलेगी आकाश का फटना और आकश सुनामी रूकेगी हमें राहत सामग्री लेकर तुरन्त वहां पहुंचना होगा और इसके बाद विलम्ब नहीं होना चाहिए। उन्हें जिस चीज की भी आवश्यकता होगी वह उन्हें छोटी-छोटी राहत सामग्री के रूप में और बड़ी राहत के रूप में दी जा सकती है। ऐसी सहायता करोड़ों रुपयों में भी हो सकती है जैसाकि मेरे मित्र ने अभी-अभी कहा था। वहां कुछ भी नहीं बचा है। वहां हर व्यक्ति असहाय है दुर्भाग्यवश कोकण समुद्र का हिस्सा बन चुका है।

अपराह्न 4.00 बजे

यह कहा गया था कि वह समुद्र का हिस्सा बन चुका था। एक बार फिर वह समुद्र का हिस्सा बन गया है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेरी राय है और यह मेरी व्यक्तिगत राय है और यह किसी पर आक्षेप नहीं है और न ही यह किसी की राय से जुड़ी है—यह ईश्वर द्वारा की गयी परीक्षा है। हममें मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए हमें मानव की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये तो महज ईश्वर की चेतावनी है एक दिन आएगा जब यह चेतावनी केवल चेतावनी नहीं रहेगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा और यह ऐसी तबाही होगी कि आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं कुछ बातें कहना चाहता था। मैं कोंकण से आता हूं मैं मुम्बई से आता हूं निसन्देह मुम्बई कोंकण का ही भाग है क्योंकि यह कोंकण का मुख्य भाग है अत: मुम्बई और कोंकण एक ही है। आप उसे मुम्बई कह सकते हैं आप उसे कोंक्रण कह सकते हैं। मैंने कल ही माननीय प्रधानमंत्री को इस बारे में लिखा है। मैंने उनसे भेंट भी की है। और उन्हें वहां का दौरा करने का अनुरोध भी किया है। उसके बाद मैंने अपना पत्र उनके कार्यालय में दे दिया है। मुझे विश्वास है कि उन्हें यह पत्र मिल गया होगा उनका दृष्टिकोण बहुत ही मानवीय है। उनका दृष्टिकोण ठीक वैसा ही है इसीलिए उस सर्वशक्तिमान ने उन्हें नियुक्त किया है। मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार प्रभावितों के पुनर्वास करने और उन्हें बेहतर जीविकोवर्जन प्रदान करने में कोई कसर नहीं रखेगी। मुझे बस यही अनुरोध करना है। लेकिन यह बारिश रूकने के बाद ही संभव हो पाएगा वहां बारिश अभी भी हो रही है जब मैं वहां से चला था।

मुझे आशा है कि तीन चार घन्टों के अंतराल के बाद अब बारिश कम हो गई होगी। यदि यह कम हो गई है तो हमें भगवान को धन्यवाद देना होगा। यदि बारिश कम नहीं हुई है तो हमें इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी होगी।

सभापति महोदय : श्री एन०एन० कृष्णदास आपके पास केवल पांच मिनट हैं क्योंकि श्री बसुदेव आचार्य आपका पूरा समय ले चुके हैं।

श्री एन०एन० कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, उन्होंने ही इस चर्चा की शुरूआत की है।

सभापति महोदय : मैं क्या कर सकता हूं?

श्री एन०एन० कृष्णदास : महोदय, मैं केवल अपने दल की ओर से इस चर्चा में भाग ले रहा हूं।

सबसे पहले, मैं हमारे देश के विशेषकर मुम्बई के विभिन्न भागों में बाढ़ और कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न गंभीर और संकटपूर्ण स्थिति पर अपने दल की ओर से गंभीर चिंता प्रकट करता हूं। अभी, हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य, श्री अंतुले ने मुम्बई और महाराष्ट्र तथा गोवा के कुछ हिस्सों में व्याप्त गंभीर स्थिति का वर्णन किया है। कुछ सप्ताह पहले गुजरात, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और देश के कुछ अन्य भागों में भारी बाढ़ आई थी।

इस सभा के अपने छोटे से अनुभव के दौरान मैं प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में हुए वाद-विवाद में तीसरी बार भाग ले रहा हूं। महोदय, लगभग सभी चर्चाओं और वाद-विवाद के दौरान सभी माननीय सदस्यों – सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी – ने यह इंगित किया है कि हमें इस का सामना करने हेतु स्थायी तौर पर कुछ उपचारात्मक उपाय ढूंढ़ने चाहिए।

लेकिन, प्रतिवर्ष सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश को हिलाती रहती हैं। अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार मैं अधिक समय नहीं ले रहा हूं। इसके बारे में विस्तार से व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान स्थिति के संबंध में और अधिक विस्तार से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इसमें एक बात और जोड़नी है। केरल में गत जून से भारी वर्षा आरम्भ हुई है। अत: इस छोटी सी अवधि में केरल में भूस्खलन की सात घटनाएं हुई हैं। यह पहले केरल के मालाप्पुरम् जिले में और इसके बाद कालीकट जिले में हुआ था। कल यह इदुक्की जिले में हुआ था जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है और पश्चिमी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा है। कल वहां एक बहुत गंभीर भू-स्खलन हुआ था। नौ बहुमूल्य जानें गयी थीं। आज वहां सेना की सहायता से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। तीन बजे तक 8 शव निकाले जा चुके हैं। 3 बजे के बाद की स्थिति का मुझे पता नहीं है। मुझे 3 बजे तक की सूचना मिली थी कि साठ शव निकाले जा चुके हैं।

मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र, पालघाट, में कल दो जानें गई हैं। एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में लापता हो गया है। आज मैंने सुना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि बाढ़ से उसकी सारी धान की फसल नष्ट हो गई थी। वहां ऐसी स्थिति है। जब अन्य राज्यों से तुलना की जाती है तो केरल की स्थिति कुछ अलग है। ऐसा केवल भौगोलिक भिन्नता के कारण है।

जैसा कि हमारे सभापति महोदय बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि केरल में एक हिस्सा पश्चिमी घाट है और दूसरा हिस्सा अरब सागर है। वर्षा के मौसम में जब मानसून आरंभ होता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, जमीन खिसकने और इसी प्रकार की घटनाएं होती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में सागर तट का अपरदन भी होता है। पश्चिम घाट में भूस्खलन होता है और तटवर्ती क्षेत्रों में सागर अपरदन। वहां ऐसी स्थिति है। अत: दोपहर तीन बजे तक हजारों हेक्टेयर फसल, विशेषकर धान के खेत, बर्बाद हो चुके हैं *(व्यवधान)* क्या हुआ? आपने जो कहा वह मैं ठीक से सुन नहीं पाया।

अत: धान के हजारों हेक्टेयर खेत बाढ़ के पानी से बर्बाद हो चुके हैं। कुछ अन्य फसलें भी बर्बाद हुई हैं। यह हर साल होने वाली समस्या है। प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है। अत: मैं केन्द्र सरकार से बचाव उपाय करने का अनुरोध करता हूं। मैं इस अवसर का लाभ केरल सरकार पर दोषरोपण के लिए नहीं उठाना चाहता। यह उनके द्वारा किए जा रहे बचाव कार्यों में बरती गई खामियों के लिए उनपर आरोप लगाने का सही समय नहीं है। यह एक अलग बात है। अत: मैं केन्द्र सरकार से तत्काल एक दल वहां भेजने का अनुरोध करता हूं।

क्या आप जानते हैं कि क्या परंपरा है? माननीय सभापति जी भी इसे भली-भांति परिचित हैं। जब भी सूखा, बाढ़ या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आती है तो हम, संसद सदस्य सरकार से वहां हुई हानि का मूल्यांकन व जाँच करने हेतु एक दल भेजने की मांग करते हैं। लेकिन, हमने इन सब चीजों में जो परंपरा देखी है वह यह है कि वह दल बाढ़ की स्थिति की परीक्षा और मूल्यांकन करने हेतु केवल गार्मियों में जाता है। जो दल सूखे से हुए नुकसान की जांच और मूल्यांकन हेतु भेजा जाता है वह वहां केवल मानसून में पहुंचता है।

यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अत: मैं सरकार से वास्तविक हानि का मूल्यांकन करने हेतु तत्काल एक दल भेजने का अनुरोध करता हूं। बाढ़ के पानी से हजारों हेक्टेयर धान के खेत नष्ट हो गए हैं। अदरक, काली मिर्च, केला और अन्य सब्जियों की फसलें नष्ट हो गई है। बाढ़ के पानी से जुती हुई हजारों हेक्टेयर भूमि खराब हो गई है। जैसाकि मैं कह चुका हूं कि, कल, इदुक्की जिले के मुन्नार

[श्री एन०एन० कृष्णदास]

में भूस्खलन के कारण नौ बहुमूल्य जानें चली गई हैं। दोपहर 3 बजे तक आठ शव निकाले जा चुके थे। हम यह नहीं कह सकते कि कितने लोग लापता हैं। वहां ऐसी स्थिति है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और उस स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु वहां एक दल भेजना चाहिए। सरकार को बचाव कार्यों के लिए अधिकतम सहायता देनी चाहिए जिससे कि वहां की स्थिति को पुनः सामान्य बनाया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) सभापति जी, आज सदन प्राकृतिक आपदा पर चर्चा कर रहा है। हम हर वर्ष संसद के मानसून सत्र में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि अब ऐसा लगने लगा है कि हम महज औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, रस्मो अदायगी कर रहे हैं। सही मायने में चर्चा कर रहे हैं तो इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि पिछली बार इन दिनों जो चर्चा की, उसके बाद इस दिशा में कितना आगे बढ़े हैं, कितना आगे चले हैं, हमने सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए क्या पहल की, क्या कोशिश की?

अपराह्न 4.13 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए।*]

इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, वे प्रयास देश में नहीं हो रहे हैं। हमारे देश ऐसा है, जहां कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आती है। ऐसा नहीं है कि सूखा और बाढ़ के नए क्षेत्र बनते हों। पूरे हिन्दुस्तान में ऐसे क्षेत्र चिन्हित हैं कि ये सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, ये बाढ़ वाले क्षेत्र हैं। इसके बावजूद भी प्रति वर्ष सदन में इसका रोना रोया जाता है। इस दिशा में युद्ध स्तर पर जो कारगार प्रयास होने चाहिए, वे नहीं हो रहे हैं। आज सुबह महाराष्ट्र के मित्रों ने और अभी अंतुले जी ने इसका जिक्र किया। महाराष्ट्र, मुम्बई और गुजरात में बाढ़ आई। मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश में कानपुर के हिस्से और दूसरे हिस्सों में बाढ़ आई। इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि कुछ नए क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। सही मायने में अभी वर्षा का प्रकोप होना बाकी है। अधिकांश बिहार के मित्र सबसे अधिक चर्चा करने को उत्सुक रहते हैं। देश में अगर कहीं भी बाढ़ और सूखे से नुकसान हो तो हमें दलगत भावना से ऊपर उठ कर बात करनी चाहिए। हम जानते हैं कि राज्यों के अपने सीमित आर्थिक संसाधन होते हैं। राज्य अपने समिति आर्थिक संसाधनों से इतने बड़े खमियाजे की भरपाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जो राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं, उनकी खुले दिल से मदद करनी चाहिए। अभी चर्चा भी हुई और पिछली बार जल संसाधन मंत्री जी से बाढ़ के बारे में सवाल भी पूछा गया।

महोदय, प्रधानमंत्री जी के कहने पर बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और 18 अप्रैल को टास्क फोर्स के बारे में प्रश्न पूछा गया कि वह क्या काम कर रहा है। महोदय, यह एक अतारांकित प्रश्न का जवाब? जल संसाधन मंत्री का, मेरे पास है, जो इस प्रकार है–

[अनुवाद]

> "जल संसाधन मंत्रालय ने असम और उसके पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों, में बाढ़ की समस्या को लेकर केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबन्धन और भूमि कटाव को रोकने हेतु एक कार्य बल का गठन किया था। इस कार्य बल ने अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है। इसे विभिन्न मंत्रालयों, योजना आयोग और संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है और यह मंत्रालय के विचाराधीन है।"

[हिन्दी]

यह 18 अप्रैल का जवाब है। मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि राज्यों के पास जो प्रस्ताव भेजा गया, उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? बाढ़ नियंत्रण के संबंध में सरकार को जवाब देना चाहिए। हमने और आपने मिल कर इस सदन में सरकार से मंत्रणा की थी कि नेपाल की नदियों से जो पानी हमारे यहां आता है, उस पर चर्चा हो। तब सरकार ने कहा था कि नेपाल के साथ हमारा समझौता हो गया है और वर्ष 2004 में नेपाल में हमने एक कार्यालय खोल दिया है। हम यह जरूर जानना चाहते हैं, हमें पता नहीं है कि संबंधित मंत्री सदन में मौजूद हैं या नहीं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच में जो समझौता हुआ और जो कार्यालय बना, वह कार्यालय क्या काम कर रहा है? यह जानकारी सदन को अवश्य होनी चाहिए।

आज दुनिया बदल गई है और दुनिया के तमाम देशों में नई तकनीकें विकसित हुई हैं। बाढ़ नियंत्रण के संबंध में कनाडा भी नई तकनीक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन सेटेलाइट के मामले में भारत काफी पीछे है और जो तकनीक हमारे यहां उपलब्ध है, उस तकनीक का सही मायनों में हमारे विशेषज्ञ प्रयोग करना नहीं जानते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे यहां सूखा और बाढ़ के इलाके चिन्हित हैं। ज्यादा पानी वाले इलाके भी चिन्हित हैं। मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, मैं कोई टेक्निकल विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन हम यह काम नहीं कर पाए कि जहां ज्यादा पानी है, वहां से सूखे इलाके में पानी को भेज

दें। यह काम हम नहीं कर पाए हैं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में कुछ काम करने की जरूरत है। नेपाल, भूटान और चीन से आने वाली लगभग 24 से अधिक बड़ी नदियां हमारे भारत में बहती हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरूणालच प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सात मिलियन हेक्टेयर भूमि को प्रभावित करती हैं और लाखों-करोड़ों रुपयों का नुकसान प्रतिवर्ष होता है, लेकिन जल प्रबंधन के मामले में हम अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बना पाए हैं। सन् 1972 में डा० के०एल० राव और बाद में सन् 1977 में कैप्टन दस्तूर ने देश को बाढ़ और सूखे से बचाने के लिए एक दृष्टिकोण रखा था और वर्ष 1980 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी। सन् 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की गई ओर उसे इस कार्य का दायित्व सौंपा गया कि देश के तीस नदी बेसिनों की व्यावहारिकता की रिपोर्ट तैयार की जाए। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या प्रगति हुई है? प्रगति यह हुई है कि अभी तक वह अभिकरण 13 नदियों के संपर्कों की रिपोर्ट तैयार कर पाया है। इस नीति से क्या देश बाढ़ और सूखे से बच पाएगा? कोई अपेक्षित प्रगति बाढ़ और सूखे के मामले में हमारे देश में नहीं हुई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण के लिए हमने 468 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी लेकिन मार्च 2000 तक इसमें से 114 करोड़ रुपये अवमुक्त हुए? मजेदार बात यह है कि उसमें से भी 52 प्रतिशत रुपया खर्च नहीं हुआ। सभापति महोदय, इतने कम पैसे का भी सही इस्तेमाल न हो सके, फिर मैं नहीं समझ सकता कि कैसे हम लोग इस आपदा से बच पाएंगे?

सभापति महोदय, एक और गम्भीर सवाल हमारे सामने है और वह है जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तित हुई है और हमने इतनी बेरहमी से देश के जंगल काटे हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। भूमि के 33 प्रतिशत भाग पर जंगल होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां स्थिति यह है कि 19 फीसदी से भी कम जंगल रह गए हैं और योजना आयोग ने भी देश में 25 फीसदी जंगल बनाए रखने का लक्ष्य घोषित किया है। मैं नहीं जानता कि 25 फीसदी जंगल बनाए रखने का लक्ष्य हमारा देश प्राप्त करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि जिस ढंग से देश में जंगलों की कटाई हो रही है, उसी का कारण है कि हमें बाढ़ ने प्रभावित किया है। इसलिए हमें जंगलों की कटाई से भी सावधान रहना पड़ेगा।

सभापति महोदय, देश की नदियों से हमें 1872 बिलियन क्यूबिक पानी मिलता है, जिसमें से हम केवल 605 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का ही उपयोग कर पाते हैं। देश में छोटे-बड़े मिलाकर कुल 3596 जलाशय हैं, जिनकी 177 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता है। देश की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और महानन्दा आदि का 50 प्रतिशत जल ऐसा है जो बिना किसी उपयोग के समुद्र में चला जाता है। हम पानी का सही उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार जहां हम एक तरफ बाढ़ से प्रभावित हैं वहीं दूसरी ओर हम सूखे से भी प्रभावित होते हैं। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। यदि किसी बात की कमी है, तो वह है पानी के संचय की। बिना उपयोग किए ही हमारा बहुत सा पानी समुद्र में चला जाता है। उसका भी हम उपयोग कर पाएं, सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : श्रीमान्, मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

सभापति महोदय, हर साल देश में बाढ़ आती है और फिर राहत के लिए हवाई सर्वे होता है। मैं जरूर चाहूंगा कि ऐसी दीर्घकालीन योजना बने ताकि राहत के नाम पर जो रोना-धोना होता है, वह बन्द हो। जिस राज्य से सभापति जी आप आते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। बाढ़ की राहत के नाम पर ही तो पैसे की लूट होती है, बाढ़ के नाम पर ही अनेक लोग पैदा हुए हैं। जहां भी बाढ़ आती है वहां के राज्य हमेशा कहते हैं कि हमें बाढ़ से हुई क्षति से राहत देने के लिए इतने पैसे की आवश्यकता है, जो हमें दिया जाए। यह तब तक बन्द नहीं होगा जब तक देश में बाढ़ और सूखे से बचाव के लिए कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनाई जाएगी। जब तक कोई स्थाई इंतजाम नहीं किया जाएगा जब तक इस देश में बाढ़ और सूखा दोनों बने रहेंगे और तब तक हमारा देश बाढ़ और सूखे से मुक्ति नहीं पा सकता है।

सभापति जी, अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। सरकार के सामने जो काम हैं, वे अनेक हैं, लेकिन उनमें कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। जब तक बाढ़ और सूखे की समस्या क समाधान उच्च प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और यह समस्या निरन्तर बनी रहेगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और नियोजित तरीके से इसका समाधान करे।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि जो राज्य प्रभावित हुए हैं उनकी भरपूर मदद करे और देश की केन्द्र तथा प्रदेश की सरकारें संकल्प व्यक्त करें कि आने वाले समय में हम देश को बाढ़ और सूखे से बचाने के लिए, पूरे देश के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाएंगे। हम यहां हर बार इस बारे में चर्चा करते हैं, सुझाव भी देते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाई नहीं हो पाती है। हिन्दुस्तान के जिन प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा आती है और उसकी वजह से जो माल की हानि होती है, जान की हानी होती है, उसे भी बचाया जाए। मुझ यही निवेदन करना था।?

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। प्राकृतिक आपदा पर हम करीब-करीब हर साल बराबर चर्चा करने का काम करते रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर श्री रामजीलाल सुमन जी की इस बात से सहमत हूं कि हम सदन में चर्चा कर लेते हैं, सुझाव भी दे देते हैं, मगर सुझावों का इम्पलीमेंटेशन सरकार के माध्यम से नहीं होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है।

अगर माननीय सदस्य अपने सुझाव देते हैं तो उसका सही आकलन करके ठोस उपाय निकालने की कोशिश की जाये और सरकार सही प्रयास करें तो कुछ न कुछ हल होगा। मगर ऐसा लगता है कि सिर्फ हम लोगों का कहने का काम है और सरकार का सिर्फ सुनने का काम है – इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दो, उस पर कार्रवाई मत करो – ऐसा लगता है कि यह सरकार का संकल्प है।

मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने और माननीय श्री बसुदेव आचार्य जी, जिन्होंने नियम 193 के तहत इस सबजैक्ट को रखा, चर्चा का विषय बनाया और यह बहुत माकूल समय है, आज पूरा देश प्राकृतिक आपदा से, कहीं बाढ़ से, कहीं सुखाड़ से ग्रसित है। कई ऐसे राज्य हैं, जो हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जैसे हमारा प्रदेश बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये सात राज्य ऐसे हैं, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आनी है और हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होना तय है, जनजीवन, जान-माल और फसल आदि की तबाही होनी है। 4-5 राज्य ऐसे हैं, जहां सुखाड़ भी निश्चित तौर पर आना ही आना है। हमारा बिहार का दो भाग का इलाका है, मध्य बिहार और दक्षिणी बिहार, जहां हर वर्ष सुखाड़ आना ही आना है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर बाढ़ और सुखाड़ से हर साल करोड़ों रुपये की क्षति और हानि होती है, मगर मैं समझता हूं कि इसकी स्थायी समाधान नहीं हो पाता है। अगर स्थायी समाधान के उपाय किये जाते तो मैं समझता हूं कि जो हजारों करोड़ रुपया हम प्राकृतिक आपदा के नाम पर खर्च करते हैं, भारत सरकार खर्च करती है, राज्य सरकारें खर्च करती हैं, लगभग 10-15 हजार करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं, लेकिन जैसा कि रामजीलाल सुमन जी ने बताया कि हम दीर्घकालीन योजना बनायें तो निश्चित तौर पर हम इसका स्थायी समाधान निकाल सकते हैं। मैं अपने स्टेट बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार ऐसा प्रदेश है, जहां 6 महीने सुखाड़ और 6 महीने बाढ़ से परेशानी होती है।

हमारे यहां जल जमाव होता है, नेपाल की नदियों के कारण मूल समस्या बिहार में है। नेपाल से जो बाढ़ आती है। उससे हमारी परेशानी हर साल बढ़ रही है। सरकार का ध्यान हमेशा उस ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई, सरकार ने कुछ पहल भी की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यू०पी०ए० सकार इस ओर कुछ प्रयास कर रही है, इन्होंने डी०पी०आर० वगैरह बनाने की बात की है, 32 करोड़ रुपये सैंक्शन भी किये हैं, मगर कार्य की कितनी प्रगति हुई है, यह भी विचारणीय विषय है। जब तक हमारा नेपाल से समझौता नहीं होगा, चूंकि वह राज्य का मामला नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक बातें नहीं होंगी, देश के स्तर पर जब तक बातें नहीं होंगी, तब तक उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है। जब तक परमानेंट डैम बनाने की बात नहीं की जायेगी, जब तक मैं समझता हूं कि स्थायी समाधान नहीं होगा। हमारी हजारों करोड़ रुपये की हर वर्ष क्षति होती है और होती रहेगी। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और स्थायी समाधान निकालना चाहिए।

मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद जो दीर्घकालीन योजना बनाई गई, क्योंकि यह समस्या कोई आज की नहीं है, वर्षों की समस्या है, अगर हमने दीर्घकालीन योजना बनाकर काम किया होता, जहां जल जमाव हो रहा है, वहां नहर निकाल दी गई होती, वहां पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की गई होती है, उस पर हमने पैसा खर्च किया होता तो शायद समाधान भी निकल जाता और इतनी परेशानी भी नहीं होती और स्थायी समाधान की तरफ हम अग्रसर हुए होते, मगर जो प्लानिंग की गई, मैं समझता हूं कि वह प्लानिंग ठीक ढंग से नहीं की गई। मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं, पूरे देश में जहां इस तरह की समस्या है, वहां स्थायी समाधान निकालने की योजना बनाई होती, चाहे जिस किसी की भी सरकार रही हो, आजादी के बाद उन लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और मैं समझता हूं कि उसकी वजह से भी आज हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हर साल हम लोग परेशानी की हालत में अवाम को लाने का काम कर रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से आज आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप स्थायी समाधान की तरफ बढ़ने का काम कीजिए और कोई दीर्घकालीन योजना बनाइये। आप हर साल जो भगवान भरोसे छोड़ देने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को दान देकर, दान के रूप में कुछ राशि देकर लोगों को व्यावहारिक तौर पर अपंग बनाने का काम कर रहे हैं और राहत के भरोसे राहतखोर बनाने का काम कर रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाने का काम कीजिए।

किसी स्थायी समाधान निकालने की तरफ ध्यान देने का काम कीजिए। इससे किसी भी प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। हर साल जब बाढ़ और सुखाड़ आएगी, तो कैसे किसी प्रदेश का विकास हो सकेगा, हमारे यहां हजारों-करोड़ों रुपये विकास पर खर्च

होता है। हम स्कूल भवन बनाते हैं, मकान, सड़क बनाते हैं, बिजली के खम्भे लगाते हैं और पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन हर साल करोड़ों रुपये पानी में बह जाते हैं, हर साल जान-माल की क्षति हो जाती है। स्थायी समाधान न करने की वजह से जो राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं, उनका विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार ठोस और कारगर कदम उठाए ताकि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकल सके। एक दीर्घकालीन योजना बनायी जाए, ताकि लोगों को परमानेंट राहत मिल सके।

महोदय, महाराष्ट्र में वर्षा के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, भीषण वर्षा के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, वहां भी पानी निकालने की ठीक से व्यवस्था नहीं है। समुद्र तल और बारिश का पानी छः-छः फुट तक जमा हो गया है जिसके कारण समुद्री तल और बाहर का तल समान हो गया है जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो रही है। वहां के लिए विस्तार से योजना बनाने की आवश्यकता है। यदि पानी निकालने की व्यवस्था नहीं हुई, तो महामारी भी फैल सकती है। मुम्बई की जनसंख्या बहुत सघन है और इससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां हर साल बारिश होती हे और पानी निकालने की ठीक व्यवस्था नहीं है, वहां के लिए सरकार को ठोस उपाय करने चाहिए, ताकि बारिश के बाद जो पानी जमा हो जाता है, उसे निकाला जा सके।

महोदय, अभी तक तो बिहार में बाढ़ नहीं आ पायी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बाढ़ आए भी नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर बाढ़ आनी ही है। पिछली बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विज़िट किया था तो राज्य सरकार ने वहां हुए नुकसान के आधार पर केन्द्र से पैसा मांगा था ताकि जनजीवन को व्यवस्थित किया जा सके। राज्य सरकार की मांग के बावजूद केन्द सरकार द्वारा जितनी सुविधा मुहैया करायी जानी चाहिए थी, जितनी राशि दी जानी चाहिए थी, उतनी राशि नहीं दे गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विशेष पैकेज के रूप में कुछ मकान बनाने के लिए कम्पोनेंट उपलब्ध करवाए गए, लेकिन जिस मात्रा में क्षति हुई, उस मात्रा में बिहार को राशि मुहैया नहीं कराई गयी, जिसकी वजह से आज भी वहां की हालत खराब है। आज भी एन०एच०ए०आई० की सड़कें खराब पड़ी हैं। उनकी मरम्मत के लिए पैसा नहीं दिया गया है, जिससे लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मकानविहीन रह रहे हैं और एक छत के नीचे गुजर करने को विश्व हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इतनी विपदा के बाद भी वहां का किसान उत्पादन करता है। गरीब तबके के लोग हैं। बिहार में कृषि ही जीविका का मूल आधार है, पूरे देश में कृषि ही मूल आधार है, लेकिन बिहार के गरीब किसान जो उत्पादन करते हैं, उसका सही मूल्य उन्हें नहीं मिलता है। कोई उनका अनाज खरीदने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनके अनाज की खरीद की व्यवस्था होनी चाहिए जो किसान इतनी विपदा के बाद भी उत्पादन करते हैं, गरीब किसान कर्ज लेकर उत्पादन करते हैं, सरकार को उनके उत्पादन के खरीद की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दें।

नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है। आने वाले दिनों में पानी के लिए महायुद्ध की बात कही जा रही है। नदियों को जोड़ने की क्या नीति है, उसके आधार पर बिहार का पानी ले जाने की बात की जा रही है।

अगर इस नीति के आधार पर हमारा पानी भी चला जाएगा तो बिहार में कुछ नहीं बचेगा। बिहार में 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका आकलन हाल ही में किया गया है कि वहां भूमिगत पानी का स्तर नीचे जा रहा है। इस बार भयानक रूप से गर्मी पड़ी। उसमें कई जिलों के गांव ऐसे थे, जहां पीने के लिए पानी मुहैया नहीं हो सका। वहां के कुएं सूख गए। यह भी चिन्ता का विषय है। सरकार को पानी का संरक्षण करने की कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहां का जलस्तर नीचे न जाए। 16-17 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, जहां सूखा पड़ता है और उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यू०पी०ए० सरकार, जिसकी किसानों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति कटिबद्धता है और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के प्रति कटिबद्धता है, उनके लिए आवश्यक व्यवस्था करे। देश के जिन राज्यों में बाढ़ या सुखाड़ है, उसके लिए परमामैंट सौल्यूशन निकालने का काम करे। प्राकृतिक आपदा के नाम पर केवल कुछ पैसा देने का काम न करे। लोगों को सैल्फ डिपैंडंट बनाए ताकि किसान अपने बलबूते पर कमाई कर सकें और किसी के भरोसे न रहें – सरकार को ऐसी कोई नीति बनानी चाहिए। बाढ़ में जो पानी जमा हो जाता है, उसकी निकासी का परमामैंट इंतजाम होना चाहिए। सुखाड़ से परेशानी फेस करने वाले अवाम को भी उससे निदान दिलाएं।

मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, और माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं या देंगे, आप उनके सुझावों के अनुरूप कार्यवाही करेंगे। आप में ही क्षमता है, इनमें नहीं है, यह केवल भाषण देने वाले लोग हैं, पूरा ठगने का काम किया है। आपने सोचा है तो कुछ करके दिखाइए और किसानों को राहत दिलाइए।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : सभापति महोदय, आपने श्री बुसदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक आपदा विषय पर होने वाली चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमान्, हमारे देश का भूभाग बहुत विशाल है। इसके साथ ही हमारे देश में भौगोलिक भिन्नताएं हैं। इस देश में एक तरफ सूखे की स्थिति बनी रहती है तो दूसरी तरह आम जनजीवन बाढ़ और वर्षा से प्रभावित रहता है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले के सत्र में इसी सदन ने ओला वृष्टि से प्रभावित किसानों के संबंध में चर्चा की थी और उससे पहले के सत्र में सूखे पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई थी। ओलावृष्टि, अनावृष्टि और बाढ़ जैसी आपदाओं के साथ-साथ इस देश में भूस्खलन, बर्फबारी और सुनामी की लहरें भी उठती हैं, जिनसे भारत के लोग प्रभावित रहते हैं। लेकिन इन सब समस्याओं के बाद भी हमारे देश की सरकारें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अब तक कोई ठोस और कारगर प्रबंध नहीं कर सकीं। यह तय है कि हर समय और लम्बे अरसे से, जब तक का इतिहास मौजूद है, हमारे देशवासी प्राकृतिक आपदाओं को बर्दाश्त करते आए हैं।

इसके बावजूद कि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए थी, कोई ठोस कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं किया गया। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमारे पास कोई ट्रेंड-शुदा सैल नहीं है। ऐसी कोई टीम नहीं है। जिसको हमने प्रशिक्षण दिया हो जो कि बाढ़ के समय या किसी और दैवी आपदा के समय प्रभावित लोगों की मदद कर सके। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो हमारी सरकार स्थानीय प्रशासन के जिम्मे पीड़ित लोगों को छोड़कर अपने हाथ खड़े कर देती हैं। स्थानीय प्रशासन वहां के लेखपाल या सुपरवाइजर कानूनगो को भेज देता है। अगर बहुत हुआ, तो थाने से एक आध सिपाही भेज दिया जाता है। पूरे गांव के बचाने के लिए केवल दो या एक लोग सरकार की तरफ से भेजे गये होते हैं। भाग्य और भगवान के भरोसे टिका रहने वाले पीड़ित व्यक्ति यदि बच जाता है तो सरकारी मशीनरी में निचले स्तर पर जिन लोगों को तैनात किया जाता है, वही लोग पीड़ित लोगों को दी जाने वाली सहायता राशि की हेराफेरी करने का काम करते हैं।

श्रीमान्, मैं उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी हाल में आई हुई बाढ़ की एक घटना की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। तीन-चार जुलाई की रात मध्यप्रदेश के बरियापुर बांध के टूट जाने के कारण सीमा से लगे जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर और फतेहपुर के गांव जो केन नदी से प्रभावित होते हैं, वहां लोगों के घर में रातों-रात पानी प्रवेश कर गया। स्थानीय प्रशासन न तो उनको गांव खाली करने की सूचना दे पाता है और न सरकारी मशीनरी उनके बचाव का कोई रास्ता निकाल पाती है। तीन दिन तक वे लोग भरे पानी की वजह से छत या पेड़ की डाल पकड़कर बैठे रहते हैं। यह बाढ़ तीन-चार जुलाई की रात को आई जबकि छः जुलाई की शाम को सेना और पी०ए०सी० की दो नावें बचाव कार्य के लिए गयीं। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जो व्यक्ति उन नावों में बैठ थे, वे सब डूब गये। इस घटना में 26 लोगों की जान चली गयी। यह तय है कि इस नदी में कभी भी बाढ़ आ सकती है, यह तय है कि इस नदी में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, मगर स्थानीय प्रशासन के पास हमारी सरकार द्वारा किया हुआ प्रबंध, अच्छे किस्म की नावें, बोट्स और ट्रेंड शुदा जवान होते तो उन 26 लोगों की जानें न जातीं। सरकार के लोग उनको बचाने का काम नहीं कर सके। जब बाढ़ का पानी उतरा तो वहां लोगों के घर नहीं बचे, उनके रहने की कोई जगह नहीं बची। जहां कभी मकान होते थे, वहां की मिट्टी तक का पता नहीं है। कुएं, तालाब, सड़क और बिजली के पोल, पाइप लाइन आदि सारे उखड़कर नदी में बह गये। उनके रहने के लिए कोई साधन नहीं है लेकिन सरकार उन बाढ़ पीड़ित लोगों को बजाए सुविधा मुहैया करने के, केवल मन माफिक सूची बनाने में लगी है।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सही मायने में अगर दैवी आपदा से ग्रस्त लोगों के बचाव के लिए कोई रास्ता खोजना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अलग से फंड का इंतजाम करना होगा।

सभापति महोदय : अब आप कंक्लूड कीजिए।

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद : पीड़ित लोगों की मदद के लिए आपदा खत्म होने के बाद राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच जो बयानों का दौरा चलता है, उससे पीड़ित लोगों का कुछ भला नहीं होने वाला है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि बाढ़ प्रभावित लोग जहां अपने लिए उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, राज्य सरकार केन्द्र सरकार से मांग करके अपना पल्ला झाड़ लेती है और केन्द्र सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। लेकिन सही मायने में उस हाथ तक मदद नहीं पहुंच पाती है जिस हाथ को उस मदद की जरूरत है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि दैवी आपदा से पीड़ित लोगों की मदद के लिए अलग से आपदा प्रबन्धन सैल गठित किया जाए, अलग से फंड गठित किया जाए ताकि सही मायने में उन्हें मदद पहुंचाई जा सके।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदय, ससंद के मानसून सत्र को 'मानसून सत्र' कहना चाहिए या 'मानसून का अभाव' सत्र कहना चाहिए। यह उस समय विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस समय, हम देश के कुछ भागों में भारी वर्षा से उत्पन्न समस्याओं पर शुरू की गई चर्चा में भाग ले रहे हैं जबकि देश के कुछ अन्य

भाग लम्बे समय से पानी की कमी से पीड़ित हैं जैसा कि प्रतिवर्ष होता है, अतः मेरा पहला अनुरोध यह है। मानसून सत्र जुलाई में आरम्भ होता है। हमारा चर्चा का एक निर्धारित कार्य-सूची होनी चाहिए कि हमें प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं से कैसे निपटना चाहिए क्योंकि प्रतिवर्ष हम इसपर केवल चर्चा करते रहते हैं। इसलिए, मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है कि क्या यह वास्तव में प्राकृतिक है या ये वास्तव में मानव निर्मित हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कोई सूचना देकर या अग्रिम सूचना देकर यह कहते हुए हमेशा नहीं आती रह सकती हैं कि अगले वर्ष पुनः ऐसा होने जा रही है, उसकी पुनरावृत्ति वर्ष दर वर्ष होती रहेगी। इसलिए, हमें इसपर गंभीरतापूर्वक बिचार करना होगा।

हम कई वर्षों से इन मुद्दों पर चर्चा करते आ रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कई तत्व हैं। एक तत्व, जो समस्या का कारण है, वह है कि उत्तर और उत्तर-पूर्व भारत में विशेषकर भारत का पूर्वी भाग प्रतिवर्ष अधिक वर्षा के कारण पीड़ित होता है। इसके परिणामस्वरूप देश के उस भाग में बाढ़ आती है। देश के दक्षिणी भाग में ऐसे जिले हैं जो हमेशा पानी की कमी से पीड़ित होते हैं। इसलिए, यह परिदृश्य है। देश के एक हिस्से में, जो भौगोलिक और राजनैतिक रूप से एक देश है, दो प्रकार के लोग रहते हैं — एक अधिक पानी के कारण पीड़ित होते हैं और दूसरे प्रकार के लोग हमेशा इसलिए पीड़ित रहते हैं क्योंकि वहां पानी है ही नहीं। इसलिए, हमें इस मुद्दे के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे कुछ निहित स्वार्थ होंगे जो नहीं चाहते कि यह समस्या सुलझे। यदि आप वास्तव में तुलना करें तो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के गत 57 वर्षों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों ने इन दोनों समस्याओं को हल करने के लिए हजारों करोड़ रुपये व्यय किए हैं। इसलिए इस समस्या को बढ़ाने में हमेशा रूचि ली जाती है क्योंकि यदि बाढ़ होगी तो बाढ़ अर्थव्यवस्था भी होगी जो कार्य करती है और यदि सूखा होगा तो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सूखे से लाभ होता है। आखिरकार लोगों को ही कष्ट होता है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी भी स्थिति से लाभ उठाते हैं। इसलिए, हमें वास्तव में इस विषय में गम्भीरता से सोचना चाहिए।

दूसरा तत्व बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दिखाई देने वाले प्रभाव के बारे में है। परन्तु ऐसे भी कुछ अदृश्य प्रभाव हैं जिन्हें हम आखों से नहीं देख सकते। किन्तु हम वास्तव में यह देख रहे हैं कि काफी समय से जो हो रहा है उस पर इसका काफी प्रभाव है। मरूस्थलीकरण और भूमि का कटाव कुछ धीमे जहर जैसे विषय हैं जो कि वनों की कटाई और अन्य बहुत सी चीजों के परिणामस्वरूप होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का ही एक हिस्सा हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि जब हम इस प्राकृतिक आपदा की समस्या पर विचार करते हैं तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कुछ समस्याएं हैं जो वर्ष दर वर्ष सामने आ रही हैं। इसलिए, हमें अब इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि वे अब प्राकृतिक नहीं हैं बल्कि वे हमारे कार्यों अथवा कार्य न करने के कारण मानव द्वारा निर्मित समस्याएं हैं।

महोदय, इस बार हमारे यहां उन क्षेत्रों में बाढ़ आई है जो सामान्यतः बाढ़ की समस्या से पीड़ित नहीं होते। महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे राज्य नहीं हैं जो वर्ष दर वर्ष बाढ़ का सामना करते हैं। इस वर्ष कोंकण और विशेषरूप से मुम्बई, अभूतपूर्व बाढ़ का सामना कर रहे हैं कि आज तक भी किसी को पता नहीं है कि वहां कितना नुकसान हुआ है। परन्तु सेना द्वारा अच्छी सहायता की गई। कम से कम कुछ राहत है कि सेना अब वहां जा रही है। पुलिस बल पूरी तरह असहाय हैं। वे वास्तव में स्थिति से नहीं निपट सकते। इसलिए, हमें वास्तव में पता नहीं हैं कि कितना नुकसान हुआ है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि, और माननीय रक्षा मंत्री सरकार की तरफ से यहां उपस्थित हैं, तत्काल हानि का आकलन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोंकण और मुम्बई के लोगों के लिए तत्काल सभी राहत उपाय किए जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं और जिन्हें भोजन तक नहीं मिल रहा है। मुम्बई में तरेसठ प्रतिशत लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं और वे वास्तव में अपनी स्वयं की आजीविका पर निर्भर हैं क्योंकि उनके लिए सार्वजनिक सुविधा उपलबध हैं। अब इसके अभाव में उन्हें कठिनाई हो रही है। इसलिए इन समस्याओं से बहुत गंभीरता से निपटने के लिए कुछ तात्कालिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। हमें वास्तव में स्थिति का विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि इस समस्या के क्या कारण हैं।

पहले तो बहुत समय से बिना सोचे विचारे विकास हो रहा है जो समस्या पैदा कर रहा है। जब बाढ़ आती है, जैसे कि मुम्बई और गुजरात और देश के अन्य भागों में आई हुई है तो गरीब लोगों का सर्वाधिक नुकसान होता है क्योंकि वे मलिन बस्तियों में रहते हैं और क्योंकि मलिन बस्तियां उन क्षेत्रों में विकसित हो रही हैं जो कि संभवतः सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मलिन बस्तियां गटर और नालों के किनारे होती हैं और वास्तव में यही गटर और नाले बाढ़ के पानी को ले जाते हैं। मलिन बस्तियां उन स्थानों पर बसी हैं क्योंकि वहीं स्थान हैं जो बेरोकटोक उपलब्ध हैं और वे उन पर अतिक्रमण कर लेते हैं। इसलिए, यह बिना सोचे समझे हुआ विकास इस समस्या का मूल कारण है। अब हमें इस पर विकास कार्य करके अथवा उस पद्धति पर जिस पर इन सब बातों पर विचार किया जाएगा: गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अन्यथा, वर्ष दर वर्ष यह स्थिति पैदा होती रहेगी।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

मुख्य मुद्दा वनों की कटाई का है। परन्तु दुर्भाग्य से भारत मं वन क्षेत्र इस हद तक कम हो गया है कि यह बहुत सी समस्याएं पैदा कर रहा है। उदाहरणार्थ, जब पानी आता है तो यह इतनी तीव्र गति से आता है कि उसे रोकना संभव नहीं हो पाता क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जो इसे रोक सकें। इसलिए, भूमि का कटाव इससे जुड़ी हुई समस्या है।

मेरा अगल प्रश्न उष्णदेशीय झाड़ियों के विकास के बारे में है। हमने उष्णदेशीय झाड़ियों को विकसित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब भी बाढ़ आती है और जब भी सुनामी आती है तो हम उष्णदेशीय झाड़ियों का महत्व समझते हैं जो हमें बचा सकती थीं। इसलिए पूरी तटरेखा अब खतरे में है क्योंकि सारी झाड़ियां उखाड़ दी गई हैं। यह एक अन्य मामला है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं अब वास्तविक हल की तरफ आता हूं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमें राष्ट्रीय स्तर पर भूमि-उपयोग सर्वेक्षण करना चाहिए। हमें वास्तव में तय करना चाहिए कि कौन सी भूमि का केवल निवास के लिए उपयोग करना चाहिए — प्राकृतिक निवास और मानव निवास। और शेष भूमि को मानव निवास के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह खतरनाक है। उसके लिए हमें जी०आई०एस० दूर संवेदना का प्रयोग करना चाहिए और यथाशीघ्र इसका निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा यह समस्या वर्ष दर वर्ष पैदा होती रहेगी।

दूसरे, जैसा कि मैंने कहा हमें निश्चित क्षेत्रों को मानव निवास के लिए निर्धारित करना चाहिए। जैसे हम अब देख रहे हैं कि मुम्बई में जो लोग वहां रह रहे हैं वे सबसे अधिक प्रभावित हैं। कल और आज मुझे रिपोर्ट मिली है कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि वे ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं जहां उनके मकान बह गए, उनकी मलिन बस्तियां बह गईं और उनकी झोंपड़ियां बह गईं और कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए मानव निवास के लिए क्षेत्र का निर्धारण किया जाना चाहिए।

जैसा कि बहुत से लोगों ने कहा है कि आज वास्तविक समस्या जमीनी पानी की है। भूमि पर उपलब्ध पानी संकट पैदा कर रहा है क्योंकि यह बाढ़ बन कर बह रहा है और जहां जमीनी पानी नहीं है वहां भी यह संकट पैदा कर रहा है। महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सिंचाई की क्षमता का 83 प्रतिशत केवल भू-जल से उपयोग करता है। इसलिए, भू-जल अब कृषि की सिंचाई क्षमता की 83 प्रतिशत पूर्ति कर रहा है। सम्पूर्ण भारत में प्रति व्यक्ति भंडारण क्षमता केवल 200 घनमीटर है। संयुक्त राज्य अमरीका में यह 5,000 घनमीटर है; चीन में 1,000 घन मी० है; और भारत में यह केवल 200 घन मी० है। इसके परिणामस्वरूप जब मानसून विफल होता है। तो सम्पूर्ण क्षेत्र सूखे की चपेट में आ जाता है और जब बाढ़ आती है तो भंडारण के अभाव में यह पुनः संकट पैदा कर देता है। इसलिए, वास्तव में पर्याप्त जल सुरक्षा पैदा किए जाने की आवश्यकता है। उसके लिए भंडारण क्षमता का निर्माण करना पड़ेगा। परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भू-जल का गलत तरीके से उपयोग न किया जाए। उस पर वास्तव में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

जब भी बाढ़ आती है, जब भी कोई आपदा आती है तो कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? हमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना चाहिए कि हमें इस पर बहुत वैज्ञानिक तरीके से ध्यान देना चाहिए। विश्व भर में जलवायु परिवर्तनों के वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। जलवायु परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में अधिक बाढ़ आ रही है, कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा हो रही है; और कुछ क्षेत्रों जैसे संयुक्त अरब अमीरात में बर्फ पड़ रही हैं जहां कभी भी बर्फ नहीं पड़ी थी।

परन्तु इस वर्ष संयुक्त अरब अमीरात में बर्फ पड़ी है। इसलिए जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है। भारत में हमें एक उच्च शक्ति प्राप्त जलवायु परिवर्तन निगरानी केंद्र स्थापित करना चाहिए। उस केंद्र को सभी राज्यों, सभी क्षेत्रों को पूर्व चेतावनी देनी चाहिए जहां आपदा आने वाली है। उसके लिए हमें यह चेतावनी देने के लिए कौन से भाग प्रभावित होंगे, एक गणितीय मॉडल, एक कम्प्यूटर-सिमुलेशन मॉडल बनाने की आवश्यकता है। वस्तुतः भविष्यवाणी कहती है कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारत में अगले 20 वर्षों तक अधिक वर्षा होगी। यदि ऐसा है तो हमें वास्तव में स्थिति से निपटने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। अतिरिक्त पानी का भंडारण करने और उसे पानी को आगे उपयोग के लिए रखने की व्यवस्था करें। इसलिए, यह कार्य वास्तव में किए जाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमें इसे करने की जरूरत है।

अब मैं आपदा प्रबंधन की बात करता हूं। हम इसे 'आपदा प्रबंधन' कहते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि इस 'आपदा प्रबंधन' के प्रबंधन में एक आपदा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी जरूरत होती है तब इसकी तरफ से कुछ नहीं किया जाता। महोदय, लंदन में गत सप्ताह और 7 जुलाई को बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था। जब यह हुआ तो पांच मिनट के अंदर ही आपदा प्रबंधन दल की पूर्ण प्रतिक्रिया वहां देखी और महसूस की गई। यहां, आपदा प्रबंधन ऐसा है कि जिसे हमें जाकर खोजना पड़ता है कि क्या वास्तव में आपदा प्रबंधन दल है। इसलिए, आपदा प्रबंधन पर खर्च किया जा रहा धन भी व्यर्थ हो रहा है। हमें वास्तव में इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। इसलिए, आपदा प्रबंधन ऐसी चीज है जिसे उचित रूप में होना चाहिए। अन्यथा, हम केवल धन खर्च करते रहेंगे। सिर्फ यही

मांग होगी कि चूंकि हम बड़ी मुश्किल में हैं इसलिए हमें 1000 करोड़ रुपए दीजिये। वह पैसा भी बेकार चला जाएगा। कोई उचित उपयोग नहीं होगा। इसलिए, आपदा प्रबंधन पर हमें वास्तव में इस समय ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय : आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : इसे बहुआयामी तरीके से किए जाने की आवश्यकता है।

दूसरा विषय जिस पर हमें एक राष्ट्र के तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है कि इस देश के सभी नागरिकों की सभी सम्पत्तियों, घरों का बीमा हेाना चाहिए क्योंकि वास्तव में हरेक अपने दावे का निपटारा नहीं करा पाता। जब भी कोई राहत दी जाती है तो यह हरेक को नहीं मिलती। सबसे अधिक प्रभावित लोगों को वह पैसा कभी नहीं मिलता। जो लोग बीमे के प्रीमियम भुगतान नहीं कर सकते उनका प्रीमियम सरकार को देना चाहिए। यदि हमारे यहां अनिवार्य बीमा होगा तो हरेक का जो नुकसान हुआ है कम से कम उसे वह मिल जायेगा; वह उसके लिए मुआवजा प्राप्त कर सकेगा। उन क्षेत्रों के लिए जो कि बहुत खतरे में होते हैं वहां अधिक नुकसान की संभावना होती है क्योंकि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं में बहुत नुकसान होने वाला होता है उनके लिए बीमा प्रीमियम ज्यादा हो सकता है। किन्तु देश में सभी क्षेत्रों को अनिवार्य बीमा के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए यह एक सबसे अच्छा तरीका होगा।

महोदय, मेरी सरकार से यही प्रार्थना है। वस्तुतः मुम्बई और कोंकण सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं और उन्हें अब तक उत्तर देना चाहिए था कि कितने लोगों का नुकसान हुआ है। हमें इसका पता नहीं है। कोंकण क्षेत्र के साथ कोई टेलीफोन सम्पर्क नहीं हो रहा है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से सम्पर्क नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए, मेरी अपील है कि सरकार को तुरंत एक वक्तव्य देना चाहिए कि कितना नुकसान और क्षति हुई है। तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए और पैसा भेजा जाना चाहिए। जितना पैसा भेजे जाने की जरूरत है वह भेजा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : यहां तक कि वहां मोबाइल फोन भी कार्य नहीं कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य देगी। ऐसा किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : सभापति महोदय, सदन में ऐसे वक्त प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा चल रही है, जब महाराष्ट्र में लाखों लोग प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में मुम्बई, मराठवाड़ा और कोंकण इलाकों में भारी वर्षा हो रही है। मराठवाड़ा में नांदेड़ जिले में गोदावरी 354 मीटर के निशान पर पहुंच गई है। नांदेड़ में लोहा तहसील है, जहां पेंडूर, अंकेश्वर, चिकली और भरतेश्वर गांव पानी की चपेट में आ गए हैं और वहां बड़े पैमाने पर पानी भर गया है।

अपराह्न 5.00 बजे

इस कारण यहां से पूरा संपर्क टूट गया है। कलैक्टर से हैलीकोप्टर की मांग आज सुबह 10 बजे से की गयी लेकिन अभी तक उसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया है। हजारों लोगों के मरने की आशंका वहां जताई जा रही है। हमारी राज्य सरकार के पास कोई साधन नहीं हैं जिससे लोगों को बचाया जा सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि वहां तुरंत मिलिट्री भेजने का इंतजाम कराया जाए, ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। हजारों लोग जो कल कार्यालय गये थे वे आज तक अपने घर नहीं पहुंच पाये हैं।

झुग्गी-झोंपड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गयी हैं। किसी भी व्यक्ति को दूध, न्यूज-पेपर व खाने की अन्य चीजें नहीं मिल पायी हैं। प्रेस रिपोर्टर भी कार्यालय नहीं पहुंच पाये हैं। मुम्बई के इतिहास में इतनी बारिश कभी नहीं हुई है। पूरा यातायात, रेलवे, टेलीफोन, बिजली मुम्बई जैसे शहर में बंद है। मेरे क्षेत्र यवतमाल में नदियां खतरे के निशान पर हैं। यवतमाल जिले में 9 जुलाई को बाढ़ आने से एक डैम टूट गया, जिससे 15 लोगों की मृत्यु हो गयी और हजारों घर बर्बाद हो गये तथा करीब 950 लोगों के घर पूरी तरह से बह गये व 20 हजार एकड़ जमीन में लगी फसलें नष्ट हुई हैं। करीब 10 हजार एकड़ जमीन का नुकसान हुआ है जिसे किसान अब उपयोग में नहीं ला सकते हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर साहब भी वहां विजिट नहीं कर सके हैं। मेरे जिले में मैंने देखा है कि जिन परिवारों के मकान बह गये हैं वहां एक परिवार में प्रति सदस्य 1000 रुपये का मुआवजा दिया गया है। अगर एक परिवार में दो सदस्य हैं तो उनको 2000 रुपया मुआवजा दिया गया है। जितना उनका नुकसान हुआ है उसके बदले में 2000 रुपया क्या मायने रखता है। मेरे जिले में ही करीब 350 परिवार स्कूलों में पनाह लिये हुए हैं। स्कूल प्रशासन दिन में उनको वहां से निकाल देता है और रात के वक्त उन्हें सोने की इजाजत दी जाती है। मैंने जब डी०एम० से बात की तो उन्होंने जो कुछ बताया, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं लोगों को मुआवजा दिया जा सकेगा, जिनके मालिकाना हक हैं और जो लोग इंक्रोचमेंट करके बसे हुए हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा सकेगा। यह सोचने की बात है कि जब नदियों के किनारों पर ये झुग्गी-झोंपड़ियां बसती हैं, तो इंक्रोचमेंट करके ही बसती हैं।

[श्री हरिभाऊ राठौड़]

उन्हें मालिकाना हक नहीं होता है। ऐसे लोगों को मुआवजा दिए बगैर ऐसे कायदे-कानून बन जाते हैं। जब सुनामी का कहर आता है तो क्या उनके लिए अलग कानून होता है, बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए अलग कानून क्यों बनाया गया है, हमने बार-बार यहां इसी सदन में मांग की थी और पिछले वर्ष इसे लेकर बहुत बड़ा हंगामा भी किया था। महाराष्ट्र की 1750 करोड़ रुपए की जो मांग थी वह उसे अभी तक नहीं मिली। तीन महीने पहले केन्द्र की एक समिति मेरे डिस्ट्रिक्ट में आई थी जिस ने सर्वे किया और रिपोर्ट दी तथा 103 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार के लिए सैंक्शन किए लेकिन अभी तक वह पैसा नहीं मिला। ऐसी बातें देखने को मिली हैं। आप अभी मुम्बई की बात सोचिए। वहां कोई नदी-नाला नहीं है। वहां बाढ़ नहीं आती है। कल आपने देखा होगा कि वहां विमान यातायात ठप्प हो गए, रेल ठप्प हो गई, पूरा ट्रांसपोर्टेशन, रोड़ सब बंद हो गए। ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, इसके लिए हमने बार-बार मिनिस्ट्री ऑफ अरबन डैवलपमैंट के पास मुम्बई के लिए अरबन इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट जो एम०यू०आई०पी० कहलाता है, के लिए मांग रखी है लेकिन केन्द्र सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया है।

अपराह्न 5.06 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुई*]

मुम्बई का सीवरेज डिसपोजल प्रोजैक्ट स्टेज II और इम्पलीमैंटेशन स्लम्स सैनिटेशन प्रोग्राम स्टेज II भी इसमें इनक्लूड है। आपको मुम्बई के लिए सोचना चाहिए अभी आचार्य जी बहुत बात कर रहे थे कि मुम्बई ऐसा शहर है, जहां इकॉनिमिकली सारी बातें चलती हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र की जो मांगें केन्द्र सरकार के पास पैंडिंग हैं, ऐसे मौके पर सारे फंड्स रिलीज करने चाहिए।

अभी-अभी मुझे यह भी पता चला है कि नांदेड के सांसद श्री डी०बी०, पाटील साब नांदेड के लिए निकल चुके हैं। वहां की परिस्थिति बहुत गम्भीर होती जा रही है। जो लोग अभी पानी में फंसे हैं, मैंने जिन चार गांवों का जिक्र किया, वहां तुरन्त हैलीकॉप्टर या दूसरी व्यवस्था करके लोगों को निकालने में जरूर मदद की जाए। इसी के साथ आज जो परिस्थिति मुम्बई में पैदा हुई है, वह कभी पैदा न हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मुम्बई इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट की जो मांगे पैंडिंग हैं, आप उन्हें जरूर देखिए। मैं बार-बार यही खास बात कहूंगा कि ड्राउट प्रोग्राम के लिए पिछले वर्ष हमने बहुत बड़ा हंगामा किया था और इसी सदन में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम जरूर महाराष्ट्र की मदद करेंगे। पिछले वर्ष तीन बार लोगों ने बीज बोया और ऐसी परिस्थिति इस साल भी आ गई है। मैं सरकार से रिकवैस्ट करूंगा कि ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की जरूर मदद कीजिए। वहां के गरीब लोग देख रहे हैं कि केन्द्र सरकार क्या मदद कर सकती है।

मैं घर-घर घूमा हूं, मेरे आंखों में आंसू पैदा हो जाते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। जिन लोगों का घर-बार बरबाद हो गया है, सरकार के पास देने के लिये कुछ नहीं है। हम उन लोगों के घर बनाने के लिये उनको आवास भी नहीं दे सकते हैं। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) . सभापति महोदया, इस विषय पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वास्तव में, मैं गुजरात में हाल में आयी बाढ़ की पीड़ा को सुनाना नहीं चाहता क्योंकि संभवत: प्रतिवर्ष गुजरात में कोई न कोई विपत्ति आ जाती है। मैंने बाढ़, चक्रवात, भूकंप और सूखा देखा है। मैंने भू-स्खलन, हिम घाव और यहां तक की बादलों का फटना देखा है। इन सभी विपदाओं में आप सामान्यत: मृत्यु और बर्बादी देखेंगे जिसमें कभी-कभी हजारों लोग काल कवलित हो जाते हैं घर बार्बाद हो जाते हैं और लोग बेघर हो जाते हैं। यह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। इस बात से मैं बहुत दु:खी हूं – यहां तक कि उन दिनों भी जब मैं संसद सदस्य नहीं था और एक सामाजिक कार्यकर्त्ता था – यही घटनाएं बार-बार दोहरायी जाती है। आप हमेशा ही पायेंगे कि आपदा गुजर जाने के बाद प्रशासन, विशेषकर राज्य-प्रशासन की ओर से राहत-कार्य, बचाव कार्य और पुनर्वास कार्य में कमी रही। आप हमेशा ही पायेंगे कि पूर्व तैयारी के क्षेत्र में प्रशासन हमेशा जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा।

गुजरात में तूफान और भूकंप का उदाहरण में पहली बात, जो आप पायेंगे कि संचार संपर्क पूरी तरह बाधित हो जाता है। प्रशासन को पता नहीं होता कि वहां कैसे पहुंचा जाए – चाहे वह बाढ़ हो या भूकंप या कोई अन्य प्रकार की आपदा और जब आपदा आकस्मिक स्वरूप की हो। सूखे की स्थिति में हम तैयारी कर सकते हैं लेकिन बाढ़ की स्थिति में हमारे पास कम मौका होता है इसलिए आप सामान्य यह देखेंगे कि

[हिन्दी]

आपके पास और पर्टिकुलर इस सिचुएशन के अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। गुजरात में बाढ़ के दौरान सबसे बुरी बात थी कि लोग फंसे हुए है, उनके वहां पानी बहुत ज्यादा है, बोट लेकर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास बोट नहीं है।

[अनुवाद]

यह इस तथ्य के बावजूद हो रहा है कि गुजरात राज्य में गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जिसे, राज्य सरकार के अनुसार कॉमनवैल्थ एवार्ड भी मिल चुका है।

[हिन्दी]

अगर कॉमनवैल्थ संस्था मिलकर गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट अथौरिटी को दे सकते हैं लेकिन ऐसी अथौरिटी होने के बावजूद भी लोग फंसे हुये हैं। वहां जाने के लिये बोट नहीं है। प्रशासन का जो दिमाग है, वह उसे तैयार करना चाहिये लेकिन उसमें हमेशाा कमी रही है। दूसरी बात जो मैंने देखी है कि या तो इतनी सारी साइंटिफिक इन्फौर्मेशन होने के बावजूद जैसा श्री प्रभु ने कहा कि जानकारी के बावजूद तथा प्रशासन को सूचित करने के बावजूद हमारे पास सांइटिफिक माइंड नहीं है। इसका पता किस तरह लगायेंगे।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार ने लोक सभा में पहले एक विधेयक पुरःस्थापित किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक जिस पर संभवतः इस सत्र में या अगले सत्र में चर्चा होगी। मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं है। लेकिन मैंने उस विधेयक को पढ़ा है। मैं बाद में विधेयक पर चर्चा करूंगा क्योंकि विधेयक में यह वर्णित है कि आपदा की स्थिति में उत्पन्न परिस्थतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तथा जिला स्तर पर प्राधिकरण का गठन कैसे होगा।

[हिन्दी]

लेकिन सप्लाई करने के लिए साइंटिफिक माइंड चाहिये। 6-7 दिन पहले अरब सागर में लो प्रेशर डेवलप हो रहा है।

[अनुवाद]

कुछ न कुछ होगा। तूफान अवश्य आएगा और हम प्रणाली को लागू करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार की आपदा-स्थिति के जैसे उदाहरण के बाद भी संचार प्रणाली हमेशा ही खत्म हो जाती है।

[हिन्दी]

उसके लिये एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी स्थिति के लिये आर्मी का सिस्टम यूज कर सकते हैं या फारेस्ट डिपार्टमेंट का यूज कर सकते हैं, लोगों की जान बचाने के लिये रेडियो एक्टिवेट करके उनके पास पहुंचा जा सकता है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार प्रशासन ने इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं जतायी है। हम सिर्फ रेडियो से प्राप्त जानकारी पर निर्भर करते हैं। जब कार-निकोबार द्वीप समूह में सुनामी आया था तो लोग केवल रेडियों पर प्राप्त जानकारी पर आश्रित थे।

[हिन्दी]

उसके इलावा हमारे पास कम्यूनिकेशन का कोई लिंक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग वहां पर गए हैं, जिसको प्रिवेंटिव स्टेप्स कहेंगे,

[अनुवाद]

मैंने देखा है कि इसका यहां पूरा अभाव है। इस तथ्य के बावजूद कि वे लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, और इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और स्थिति से निपटने के लिए पैसे की मांग भी कर रहे हैं मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या करना है और प्रशासन को कैसे सक्रिय बनाया जाए। मैं इस विषय में वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बात करूंगा।

[हिन्दी]

लेकिन यह जो परिस्थिति है उसके अंदर एक साइंटीफिक एप्लीकेशन और दूसरा उसे तैयार करना है और ऐसी परिस्थिति में जो उनके नजदीक के लोग हैं वह सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। नेशनल क्लैमिटी आथोरिटी के अंदर डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स बनाने की बात कही गई है लेकिन डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स बनाने का क्रेक्टर अगर पुलिस की तरह रखा जाएगा तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत लाभ होगा सिवाए इस बात के कि बचाव और राहत आपरेशन के अंदर हम एकदम मदद कर सकें, ऐसे लोग हम गांव के अंदर से ही तैयार करेंगे क्योंकि प्रभावित जगह पर सरकार को पहुंचने में काफी समय लग सकता है। लोकल पापुलेशन वहां पर जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकती है, इसलिए उनको ट्रेनिंग देने का इंतजाम किया जाना चाहिए।

हमारे यहां दूसरी बात यह उठी है और यह बात बार-बार उठाई जाती है, मैं सब दोस्तों की जानकारी के लिए भी कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जितने राज्य हैं और वह जितना पैसा डिजास्टर के समय खर्च करते हैं उसका टोटल सम-अप 9वें, 10वें, 11वें फाइनेंस कमीशन ने किया और 12वें फाइनेंस कमीशन ने 1995 से लेकर वर्ष 2004-05 तक इस देश के राज्यों ने डिजास्टर के ऊपर जितना पैसा खर्च किया, उसके अलावा 10 परसेंट इंक्रीज दे कर और 5 परसेंट इंफलेशन दे कर सब राज्यों का कितना शेयर नेचुरल डिजास्ट कैलेमिटी के अंदर होना चाहिए, उसका जिक्र 12वें फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट के अंदर किया और हर राज्य का अपना शेयर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके यहां डिजास्टर हो या नहीं हो, सूखा-बाढ़ हो या न हो, भूकंप आए या न आए, सुनामी आए या न आए, आपका शेयर तय किया गया है, जैसे मेरे राज्य गुजरात का 246 करोड़ रुपये

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

का शेयर है और उसमें से 75 प्रतिशत शेयर केन्द्र सरकार देती है और 25 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार को देना पड़ता है। यानि 186 करोड़ रुपये गुजरात की सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा हर साल देना पड़ता है, चाहे आपके यहां डिज़ास्टर हो या न हो। वह देना ही पड़ता है और वह पैसा जमा रहता है। आपका 246 करोड़ रुपये राज्य क्लैमिटी का पैसा है उसमें से दूसरे साल का पैसा आपको निकालना है तो उसमें से 25 प्रतिशत पैसा आप ले सकते हैं क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो हर सरकार कहती है कि हमको पहले पैसा दिया जाए। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि हर राज्य सरकार के पास क्लैमिटी रिलीफ फण्ड, जो उसका कन्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे 140 या 150 करोड़ रुपये हों, वह पैसा उसके पास होता है। दूसरी बात यह है कि नुकसान का पैसा हर राज्य मांगता है। यह सवाल अलग है। लेकिन उस स्थिति के अंदर लोगों को पैसा देना, लोगों को फूड पैकेज देना, लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू पहुंचाना आदि के लिए पैसे की जरूरत है और हर राज्य उसकी मांग करता है और कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम मदद नहीं कर सकते हैं। यह ठीक नहीं है। 9वें फाइनेंस कमीशन से ही यह सवाल चला आ रहा है और 10वें, 11वें और 12वें फाइनेंस कमीशन के अंदर भी यह कहा गया है कि हर राज्य का कितना शेयर है। यह 12वें कमीशन की रिपोर्ट के अंदर एपैंडिक्स है, उसमें हर साल किस राज्य को वर्ष 2010 तक कितना पैसा मिलने वाला है, यह सब उसके अंदर दिया गया है। आप देख लें, यदि आपको पैसा नहीं मिला है, जो आपका शेयर है तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। राज्यों को अपनी तरफ से सिर्फ 25 प्रतिशत देना है। हर साल ऐसी रिपोर्ट है कि आपदा राहत कोष में राज्य अपना 25 प्रतिशत अंश का योगदान नहीं कर रहे हैं।

परिणामस्वरूप यह पैसा पांच साल के बाद किसी भी सिक्योरिटी में इनवैस्ट कर सकते हैं, यह बात कही गई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं अब समाप्त कर रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं सिर्फ विषय पर ही बोल रहा हूं। मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं जनता से जैसी आवाज आ रही है उसको सभा को अवगत कराना चाहता हूं।

सभापति महोदया : मुझे यह ज्ञात है। लेकिन मुझे अन्य सदस्यों को भी चर्चा में शामिल करना है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं इसे जनता हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए निर्धारित समय में ही बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो कैलेमिटी है, वह नैशनल लैवल की है। इसे भी विरल गंभीरता वाली आपदा के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके हिसाब से सेंटर का जो शेयर है वह और उसके अलावा 12वें वित्त आयोग ने जो नैशनल कैलेमिटी सेंटर फॉर डिसास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की है, जिसमें 700 करोड़ रुपए दिए हैं और उसे रीकूप किया जाता है, उसमें से भी हमें पैसा मिलता है जहां तक स्टेट्स को पैसा मिलने का सवाल है, इमीडिटली रिलीफ और रैस्क्यू ऑपरेशन्स के लिए पैसा नहीं मिलता है, ऐसी शिकायत कोई स्टेट नहीं कर सकती है क्योंकि केन्द्र की ओर से तत्काल पैसा भेज दिया जाता है। इसके अलावा, मेरी खुद की अपनी स्टेट और अन्य अनेक स्टेटों में ऐसा रवैया भी देखा गया है कि वे इस पैसे में से ज्यादा पैसा अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर लेती हैं। वे राज्य जिन लोगों की क्षति होती है, उन्हें मकान बनाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं देते हैं। लोगों को सहायता देने में कमी करते हैं, रिलीफ के लिए जितने पैसे देने चाहिए, वे नहीं देते हैं। जो पैसे उन्हें इमीडिएटली, कैश-रिलीफ में देने चाहिए, उसमें कमी करते हैं।

[अनुवाद]

इतना ही नहीं, ऐसे उदाहरण है जहां राज्य दिए गए पैसे को भी खर्च करने से अक्षम रहे हैं जो उन्हें आपदा राहत कोष के अंतर्गत दिए गए है जो वास्तव में उनके पैसे हैं और वे उस पैसे को भी नहीं खर्च पाए। बाकी दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो बात आई है, वह अलग है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा वित्त आयोग की रिपोर्टों में जो मैंने पाया वह यही है।

[हिन्दी]

उनका जो प्लान का पैसा है, चाहे कही पर भी कैलेमिटी हो, वह स्टेट खर्च नहीं करती है।

[अनुवाद]

पहली बात है कि सभी खर्च केन्द्र सरकार से मांगें जाने चाहिए और यदि केन्द्र सरकार एक पार्टी की हो और राज्य सरकार दूसरी पार्टी की हो तो ऐसी प्रवृत्ति हमेशा ही रहती है कि क्षति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है।

[हिन्दी]

कोई गवर्नमेंट 5 हजार करोड़ रुपए, कोई 6 हजार करोड़, कोई 7 करोड़ और कोई 8 हजार करोड़ रुपए तक इन्क्रीज करती जाती हैं और इस प्रकार से इसे बढ़ाती रहती हैं। मैं आपसे इस मामले में एक

दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि जो पैसा स्टेट कैलेमिटी रिलीफ फंड में सेंट्रल कैलेमिटी रिलीफ फंड से आता है। और 12वें वित्त आयोग के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एन०सी०एफ० में से पैसा जाता है, उसका वे उपयोग कर सकती है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार द्वारा इस बात की सख्त निगरानी होनी चाहिए कि यह पैसा खर्च हुआ और क्या यह राशि राज्य सरकार की ढांचागत संरचना को पुन: स्थापित करने में खर्च की गई या उन लोगों के हित में खर्च की गई जो प्रभावित हुए हैं। इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था अवश्य की जाए। मेरी तरफ यह कहा जाता है कि इसमें राजनीति है और मैं पुन: कहता हूं कि यह आपदा की राजनीति है।

[हिन्दी]

हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारे राज्य में हल्ला मच गया कि 500 करोड़ की घोषणा की है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, लेकिन जब हमने तलाश की तो हमें पता लगा कि 500 करोड़ रुपए में से 246 करोड़ रुपए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पहले से ही मौजूद हैं। इसके बावजूद 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदा आने पर यदि किसी अन्य दल की सरकार राज्य में और केन्द्र में किसी अन्य दल की सरकार होती है, तो राज्यों की ऐसी टैंडेंसी होती है कि ऐसा प्रचारित किया जाए कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीफ का पैसा नहीं दिया है, इसलिए हम फुल स्विंग में राहत और बचाव कार्य नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि तत्काल फुल स्विंग पर रिलीफ कार्य करने चाहिए और ऐसी स्थिति से बचना चाहिए।

सभापति महोदया : आप, दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैडम में दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। रिलीफ और रैस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हमेशा देखा गया है कि डिसास्टर के नाम पर बहुत सारे लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है फिर चाहे वह अर्थक्वेक हो, सुनामी हो या दूसरे प्रकार का डिसास्टर हो।

[अनुवाद]

इस प्रकार के न्यास और समाचार पत्र हैं जिन्होंने पैसे एकत्र किए हैं और हमें इसकी जानकारी नहीं है कि यह पैसा कैसे उपयोग किया गया। सभी गैर-सरकारी लोग हैं। मैं सोचता हूं कि सरकार इसकी जांच करे और पूछे कि क्या लोगों द्वारा एकत्र किया गया यह धन उसी कार्य में खर्च हुआ है जिसके लिए एकत्र किया गया था। सरकार को इसकी जांच अवश्य करनी चाहिए।

[हिन्दी]

हमेशा देखा गया है कि इसका पालिटीकलाइजेशन किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके पालिटीकलाइजेशन करना बात अच्छी नहीं है। हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने, जिन्होंने अपने भाषण में क्वैश्चन रेज किए, वे यहां अब उपस्थित नहीं हैं, पार्टी के नाम पर, कमल का ठप्पा मारकर, विधायकों के नाम पर, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कहते हैं कि यह हमारी तरफ से है। इस तरफ की बातों को करने के क्या मायने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां-जहां भी राज्य सरकारें ऐसा करती हैं, वह ठीक नहीं है। इस तरह से पॉलिटीसाइज नहीं करना चाहिए। मैं उसकी भर्त्सना करता हूं।

क्योंकि लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ न हो और जहां पर उनकी डिस्ट्रैस सिचुएशन है उस डिस्ट्रैस सिचुएशन को हम इस तरह से यूज़ करते हैं, वह न करें। हमारी डिमांड जरूर है, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं कि राज्यों में सरकार से केलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा और एन०सी०सी०एफ० का पैसा जाता है, उसके ऊपर कड़ी निगरानी होनी चाहिए कि कितना पैसा गया और कहां पर यूज़ हुआ है। राज्य सरकार जो करती है, क्या सांसद जानते हैं और उसका कोई से नहीं होता। सैण्ट्रल गवनमेंट का पैसा डिजास्टर के अन्दर जाता है, लेकिन वे केवल मूकदर्शक होते हैं ऐसी स्थिति, खत्म होनी चाहिए।

दूसरी बात, नेशनल केलेमिटी बिल जो आने वाला है, उस बिल के अन्दर एक तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनैस की व्यवस्था हो और पोस्ट डिजास्टर रीहैबिलिटेशन को किस तरह से साइंटिफिक माइंड एप्लाई करके और एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करके बनाएंगे, वह व्यवस्था उसके अन्दर की जाये, ऐसा मेरा आपसे सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, देश के प्राकृतिक आपदाओं के सम्बंध में नियम 193 के अधीन चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अनुमति देने हेतु आपको धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन आपदाओं के इस देश पर कई प्रकार के प्रभाव हो रहे हैं। प्राकृति आपदाएं हैं और कुछ मानव निर्मित आपदाएं भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं का तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन मानव-निर्मित आपदाओं की घोर निंदा की जानी चाहिए और दोषियों को सज़ा दी जानी चाहिए। आपदाओं के दौरान पहले बचाव कार्य, फिर राहत, तीसरा कार्य पुनर्स्थापन और चौथा कार्य पुनर्निर्माण होना चाहिए। जेसा कि पता किया गया है कि प्रारंभ में, लगभग 130 वर्ष पहले, जब प्रथम राहत कोड लिखा गया था, जब प्रथम बार बाढ़ को प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित किया गया था। बाद में उसमें सूखा सम्मिलित किया गया, फिर तूफान और भू-स्खलन भी इसमें सम्मिलित किए गए और

[श्री भर्तृहरि महताब]

हाल ही में भूकंप, फिर 'आग' और बर्फबारी को भी प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है।

मैं अपने भाषण में अन्य पहलुओं को बाद में सम्मिलित करूंगा। प्राकृतिक आपदा के रूप में अन्य किन को शामिल किया जाना चाहिए। हमारे देश में लगातार होने वाली वर्षा से बाढ़ आ जाती है। तो कही वर्षा बहुत ही कम होती है, और सूखा हो जाता है। बाढ़ से ऐसे क्षेत्रों के बचाव के लिए बार-बार प्रबंध किया जाता है, और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रावधान किए गए हैं। बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में नदी तटों के निर्माण के लिए तथा सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। आज देश में कुछ सिंचित क्षेत्रफल कितना है। यह कृषि योग्य भूमि का 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूं कि पांच वर्ष पूर्व एक पुस्तक, जिसका शीर्षक था "एबरी बडी लबस ए गुड ड्राउट", प्रकाशित हुई थी। सूखे की चपेट में है। उदाहरण के लिए, उड़ीसा में जलाशय सूखे पड़े हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी सूखा पड़ा है। यहां जलस्तर राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम और बहुत नीचे है।

सी०एस०आई०आर० ने हाल ही में कहा है कि जून और जुलाई के मौसम के क्षीण आसार निराशाजनक है। जिन राज्यों का मैंने उल्लेख किया है। वे धान-उत्पाद राज्यों में प्रमुख हैं। जैसा कि सी०एस० आई आर० की रिपोर्ट में बताया गया है, मोटे अनाजों के उत्पादन पर इस अस्थिर मौनसून का प्रतिकूल प्रयास पड़ेगा। ऐसा अनुमान है कि उत्पादन में 10 प्रतिशत की कमी आए थी।

इसके साथ ही, खाद्यान्नों के उत्पादन में भी 3 प्रतिशत या और शुद्धता के साथ कहें तो 2.9 प्रतिशत की कमी आएगी। सी०एस० आई०आर० की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस समय मैं कृषि मंत्रालय से जानना चाहूंगा कि रबी की फसल को बेहतर बनाने के लिए, किसानों को शिक्षित करने तथा और अधिक क्षेत्र को शामिल करने, रबी फसल की खेती करने, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने, कम से कम, देश में जनता के लिए भोजन की आवश्कयता की पूर्ति के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, बाढ़ और सूखा को आपदा के रूप में जाना जाता है, जैसाकि पहले मुझे बताया गया कि इसमें भू-स्खलन को भी जोड़ा गया है। इस वर्ष 2005 में उड़ीसा में हमने जिस समस्या का समाना किया इसी प्रकार स्थिति का हमने 1999 में भी सामना किया था अर्थात गर्मी और लू की लहर का सामना किया था। उड़ीसा चूंकि पूर्वीतट पर स्थित है, वहां पर पहले कभी इस प्रकार की स्थिति अनुभव नहीं की गई थी। उड़ीसा में लू-लहर तथा गर्मी का पूर्व का कोई रिकार्ड नहीं है।

अपराह्न 5.33 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

परन्तु 1998-99 में और फिर 2005 में हमने बहुत गर्म हवा का सामना किया था और जिसमें सैंकड़ों लोग लू से मारे गए थे। मुझे यह कहते हुए खेद है कि उड़ीसा सरकार द्वारा केंद्र सरकार का ध्यान लू लगने को राष्ट्रीय आपदाओं में शामिल करने की ओर आकृष्ट करने के बावजूद, इसे स्वीकार नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से इस सभा में सरकार से आग्रह करता हूं कि लू लगने को राष्ट्रीय आपदाओं में शामिल किया जाए क्योंकि लू लगने के कारण पिछले 5-10 वर्षों के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए। विशेषकर इस वर्ष उड़ीसा में 2-3 सप्ताह के थोड़े से समय में ही सैंकड़ों लोग मारे गए।

हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में बाढ़ को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। पूरी क्षमता से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। 2004 के दौरान भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए एक कार्यदल गठित किया था। किन्तु यह गंगा-ब्रम्हपुत्र में केन्द्रित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि अनेक नदी बेसिन हैं विशेषकर महानदी नदी बेसिन जिस पर सी०डब्ल्यू०सी० द्वारा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। महानदी पर हीराकुड में केवल एक जलाशय बनाया गया है। परन्तु प्रयास किए जाने चाहिएं कि पहले राज्य-वार नदियों को आपस में जोड़ा जाए। राजग सरकार के दौरान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा अच्छा विचार प्रस्तुत किया गया था।

मुझे नहीं पता कि उस बारे में संप्रग सरकार का क्या विचार है। परन्तु महानदी को रूशिकुल्या से जोड़ने से हमारे राज्य में बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा। रूशिकुल्या को पानी की आवश्यकता है। गंजम जिले के किसानों को सिंचाई हेतु पानी की जरूरत है। महानदी में हमारे पास पर्याप्त पानी है। यदि सतकोसिफ गोर्ज की धारा पर एक और बैराज बनाया जाता है तो महानदी का पानी रूशिकुल्या तक पहुंच सकता है और गंजम जिले की सिंचाई भी कर सकता है। इसके साथ ही सरकार को नदियों को आपस में जोड़ने पर भी विचार करना चाहिए। नदी जल जलाशय के निर्माण का विचार पुराना है और भीमकुंड में, बैतरणी नदी पर दूसरा जलाशय बनाने की परियोजना चल रही है। इसी तरह पिछले 15 से अधिक वर्षों से सुवर्णरेखा पर जलाशय के निर्माण का कार्य चल रहा है। इन दोनों परियोजनाओं पर सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

इसके साथ ही, आग, बाढ़ और भूकंप या किसी अन्य आपदा के कारण जिन लोगों के मकान नष्ट हो जाते हैं, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उन्हें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए जाने चाहिएं। कम से कम कमजोर वर्ग को मकान दिए

जाने चाहिएं क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लोग कमजोर वर्गों के होते हैं उनके नाम गरीबी-रेखा से नीचे की सूची में नहीं मिलते। कम से कम यह व्यवस्था की जानी चाहिए। लाभार्थियों का निर्धारण करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया जाना चाहिए जिसके द्वारा वह कमजोर वर्गों के लोगों की पहचान कर सके, भले ही गरीबी-रेखा से नीचे की सूची कुछ भी हो। उन्हें आश्रय की सुविधा दी जा सकती है।

अब मैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर आता हूं जो कि आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन आज की आवश्यकता है। आमतौर पर लोग समुदाय की मदद से स्वयं ही आपदा प्रबंधन कर रहे हैं। परन्तु आज परिकल्पना यह है कि राज्य संकट ग्रस्त लोगों की मदद के लिए कैसे आगे आ रहा है; राज्य चुनौती यानी आपदा का सामना करने के लिए किस तरह तैयार है?

हाल ही में एडिनबर्ग में हुए जी-8 सम्मेलन में जिसमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने भाग लिया था वैश्विक तापमान बढ़ना एक विषय था जिस पर विचार विमर्श हुआ था। आपदा की वर्तमान प्रकृति और आकार केवल जटिल ही नहीं है बल्कि पारम्परिक आपदा प्रबंधन उपायों से बहुत आगे जा सकता है। इसलिए, आज आपदा प्रबंधन और आपदा के लिए तैयारी में नाम परिवर्तन की आवश्यकता है।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। वर्ष 2005 में उड़ीसा के एक कस्बे तालचेर में 54 डिग्री सेल्सियश का तापमान था। इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। तालचेर जैसे छोटे कस्बे में 54 डिग्री सेल्सियश! क्या होगा? क्या हम उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? यदि इस देश में किसी शहर में 54 या 55 डिग्री से० या उससे अधिक तापमान पहुंच जाता है तो सरकार, समाज और देश उस स्थिति से निपटने के लिए किस तरह तैयार हैं? उस समय उस स्थिति से निपटने में लोगों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उड़ीसा लू में झुलस रहा था। जैसे मैंने पहले ही सभा को बताया था कि सैंकड़ों लोग मारे गए। परन्तु मैं यहां बताना चाहता हूं कि मौसम विज्ञान विभाग निराशाजनक रूप से धीमा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से विशेषरूप से पूरा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस चुनौती जो कि देश के सामने बिल्कुल नई है, का सामना करने के लिए विशेष कदम उठाये जाने चाहिएं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः एक कार्य करने का अनुरोध करता हूं। महोदय, सी०आर०एफ० और एन०सी०सी०एफ० के अंतर्गत प्रदान की जा रही राशि पर्याप्त नहीं है। इसलिए, मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रभावित राज्यों को तत्काल राहत प्रदान की जाए और जब पुनर्निर्माण कार्य कराया जा रहा हो तो केन्द्र द्वारा तत्काल निधियन भी किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि मेरे सुझावों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, जब देश पश्चिमी तट पर सबसे बड़ी आपदा का सामना कर रहा है हम प्राकृतिक आपदा के प्रश्न पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। पूरा पश्चिमी तट विशेषकर महाराष्ट्र, मुम्बई निरन्तर वर्षा और बाढ़ से प्रभावित हुआ है। भारत एक बड़ा उपमहाद्वीप है। जैसा कि हम सब जानते हैं इसमें विभिन्न जलवायु संबंधी क्षेत्र हैं और भिन्न तरह की प्राकृति आपदाएं आती रहती हैं। इस नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हमने सुनामी का सामना किया जो कि ऐसी चीज थी जिसे हमारे लोगों ने सैंकड़ों वर्षों से नहीं देखा था। यह बहुत विध्वंसकारी थी। उसके ठीक बाद कश्मीर में ओलावृष्टि हुई और विध्वंस बहुत अधिक हुआ। फिर हमेशा की तरह गंगा और ब्रम्हपुत्र के क्षेत्रों में बाढ़ आई। मध्य भारत विशेषकर रायलसीमा, आन्ध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर लगातार सूखा पड़ा हुआ है। पूर्वी तट पर चक्रवात का खतरा रहता है। हमारी स्थिति यही है इसलिए, संभवतः हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होगा। हम उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। किन्तु हम जो सरकार से अपेक्षा करते हैं वह है आपदा प्रबंधन, जल प्रबंधन और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। हम यह आशा नहीं कर सकते कि आपदाएं नहीं आएंगी किन्तु यथाशीघ्र लोगों की इससे उभरने में सहायता की जानी चाहिए।

हम फसलों का मामला लेते हैं। जब बाढ़ आती है तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं। किसान कह रहे हैं कि एक फसल बीमा योजना होनी चाहिए जो किसानों के अनुकूल हो। अभी तक भी हमारे पास वह नहीं है। यदि बाढ़ आती है तो यदि किसानों के अनुकूल फसल बीमा हो तो संभवतः वे संकट का सामना कर सकते हैं। मैं केरल से आया हूं। हम इसे भगवान की अपनी धरती कहते हैं। यह वास्तव में सुंदर है। पूरा तटवर्ती क्षेत्र वास्तव में समुद्री कटाव से प्रभावित है। यह केंद्र द्वारा आपदा की स्थिति अथवा आपदा की परिभाषा में नहीं है, इसे आपदा के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। फिर यह क्या है इसका हमें पता नहीं है। समुद्री कटाव में यह होता है कि आप भूमि खो देते हैं। समुद्र भूमि पर घुस जाता है और आप भूमि खो बैठते हैं। यहां आने से ठीक पहले मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र त्रिचूर में गया था। अनप्पनधाम, जो कि एक आदिवासी कालोनी है, भूस्खलन से प्रभावित हुई है। अब रिपोर्ट है कि संपूर्ण केरल भूस्खलन से प्रभावित है। पालघाट, मालाप्पुरम और त्रिचूर भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद मन्नार में एक बड़ी आपदा में सात या नौ लोग मारे गए। आप कुछ निशुल्क राशन प्रदान करते हैं कुछ शिविर लगाते हैं परन्तु यह समाधान नहीं होता। जिन स्थानों पर समुद्री कटाव और भूस्खलन हो रहा है, हम उन मामलों की पहचान कर सकते हैं। वहां भूमि का बीमा किया जाना चाहिए।

[श्री सी०के० चन्द्रप्पन]

यहां एक सुझाव दिया गया है कि देश में सभी मकानों का बीमा किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि सभी मकानों का बीमा किया जाना चाहिए परन्तु मलिन बस्तियों के मकानों, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के मकानों, तटवर्ती क्षेत्रों के मकानों जो कि समुद्री कटाव से प्रभावित होंगे, और झुग्गियां जो कि बाढ़ आने पर बह जाएंगी का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाना चाहिए। यदि यह हो जाता है और एक बार यह 'प्राकृतिक आपदा' का खतरा समाप्त हो जाता है तो लोगों को राहत प्राप्त करने के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में दौड़ना नहीं पड़ेगा। यह एक स्व-निर्मित संगठित प्रणाली होगी जिसके द्वारा बीमा उनकी जरूरतों का ध्यान रखेगा। उन क्षेत्रों में भूमि का बीमा होना चाहिए जहां भूस्खलन ने प्रभावित किया है और जहां समुद्री कटाव का प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार, जैसा मैंने आपसे कहा था कि बाढ़-प्रतिशत क्षेत्रों में जिन झुग्गियों पर बाढ़ का प्रभाव पड़ सकता है उनका बीमा किया जाना चाहिए।

महोदय, एक अन्य समस्या है वह है पानी के उपयोग की। अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि हमारे देश में भू-जल का बेहिसाब उपयोग किया जाता है और भू-जल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसी कोई संगठित प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा आप नुकसान की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और बहता हुआ पानी समुद्र की ओर जा रहा है। केरल, इस तरह का विशेष मामला है। हमारी भूमि समुद्र की ओर झुकी हुई है। इतनी अधिक वर्षा के बावजूद भी 24 घंटों के भीतर ही पहाड़ों से पानी समुद्र में चल जाएगा। इन सब अच्छे मानसून मौसमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे भू-जल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। यह सिर्फ बाढ़ बनेगा और यह बाढ़ के रूप में समुद्र में जा रहा है। इसलिए बहुत व्यवस्थित रूप से नियोजित दृष्टिकोण होना चाहिए जिसके द्वारा आप बड़े बंधों के द्वारा पानी की बचत न करें। यह शायद संभव न हो क्योंकि पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं। आप अधिक से अधिक रोक बांध बना सकते हैं। यह केरल का ही मामला नहीं है बल्कि संपूर्ण देश का मामला है। रोक-बांधों के द्वारा हम अधिकतम जल संरक्षण कर सकते हैं और भू-जल को पूर्ति की जाएगी। तत्पश्चात् हमारी स्थिति आज से बहुत बेहतर होगी। ये कुछ मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उनके बारे में कभी चर्चा नहीं की है। उन्होंने चर्चा की होगी लेकिन उन्होंने उसे प्राथमिकता नहीं दी होगी और निर्णय नहीं किया होगा कि इसे हम इस क्रम में कार्यान्वित करेंगे। यदि आपदा की समस्याओं के सम्बन्ध में हमारा रवैया यह रहता है तो यद्यपि आपदाएं प्राकृतिक कारणों से आती रहेगी तो सम्भवतः हम पहले से अधिक सम्पन्न होंगे।

तत्पश्चात् मैं मानव रचित आपदाओं पर आता हूं। महोदय मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद आती है। उन्होंने कहा था "कि प्रकृति लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब कुछ देगी लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं।" बस समस्या यही उत्पन्न होती हैं। वन नष्ट किए गए हैं सब कुछ नष्ट किया गया है। बिना सोच समझे विनाश किया जा रहा है और बिना सोचे समझे निर्माण किया जा रहा है। केरल में निर्माण के लिए रेत की खोज करने के लिए निर्माण माफिया जगह-जगह खनन कर रहा है। खनन कहीं भी किया जा सकता हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? हम अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि खो रहे हैं। जिसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि इसकी अनुमति है तो केरल एक दिन झील में बदल जाएगा। मैं नहीं समझता कि केरल अकेला ही ऐसा उदाहरण है। ऐसी स्थिति देश के अन्य भागों में भी हो सकती है। निर्माण करने वाले लोग गलत तरीके से रेत खनन करने का प्रयास कर रहे हैं।

अतः ऐसे कानून होने चाहिए और इन कानूनों को भ्रष्टाचार के प्रभाव के बिना कार्यान्वित करना चाहिए।

इसके बाद, राहत राशि के स्वार्थ के रूप में उपयोग के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने यहां उल्लेख किया है। कुछ लोग सूखा और बाढ़ आने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं क्योंकि सूखा और बाढ़ एक ऐसा अर्थ प्रबन्धन है जिसमें वे कार्य करते हैं और उनमें से धन बनाते हैं। हमे इन समस्याओं का हल इस प्रकार से निकालना होगा कि देश और इसके लोगों को ऐसे लोगों से बचाया जा सके और प्राकृतिक सम्पदा को अधिक से अधिक सुरक्षित रखा जा सके ताकि प्राकृतिक आपदा के पश्चात् उन लोगों को बेहतर तरीके से रहने का अवसर दिया जा सके।

***श्री ए०के०एस० विजयन** (नागापट्टिनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने नियम 193 के अधीन प्राकृतिक आपदाओं से देशवासियों की खराब हालत सम्बन्धी चर्चा पर डी०एम०के० दल की ओर से मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, सूखा किसी न किसी रूप से इस महाद्वीप में बार-बार घटने वाली घटना है। हम इस लोक सभा में हर तीसरे अथवा हर छठे महीने में प्राकृतिक आपदाओं से उठी हुई समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक चर्चा करते रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक इसका कोई पक्का हल हम नहीं ढूंढ पाए हैं और नहीं इससे उत्पन्न हुई स्थिति को ठीक करने के लिए कोई तंत्र यहां मौजूद है। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया है यह दीर्घकालिक रणनीति तैयार करेगा और उसके बाद ही प्रभावशाली तरीके से काम करना शुरू करेगा लेकिन अविलम्ब बचाव और राहत कार्य अभी उपलब्ध नहीं है। अभी राहत कार्य, शीघ्र बचाव और राहत समग्री उपलब्ध कराने के लिए कोई तंत्र नहीं है। जहां तक तमिलनाडु

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

का सम्बन्ध है हमारी यू०पी०ए० सरकार ने अविलम्ब हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी है लेकिन दुर्भाग्यवश वह जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। भारत में सूखा प्रवण जिलों की पहचान की गई इनकी संख्या 150 है और यू०पी०ए० के कार्यकरण के दौरान वहां पर रोजगार गारंटी योजना चलायी जा रही है। इस योजना के अधीन भी तमिलनाडु सरकार ठीक से प्रबंध नहीं कर पा रही है और मार्गनिर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया है और इससे जरूरतमन्दों को उनके लिए बनाई गई और कार्यान्वित की गई योजना से सहायता नहीं मिल रही है। संसद सदस्य जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी पता नहीं कि आवंटित धन कहां जा रहा है। तमिलनाडु में इस योजना के कार्यान्वयन में नई खामियां है *…* मेरे पूर्व वक्ता श्री हरिन पाठक जो कि गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं ने सभा को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में वर्षा से आई बाढ़ की कठिनाईयों के बारे में प्रकाश डाला है। उन्होंने इस वर्षा से हुए विनाश की तुलना सुनामी से हुए विनाश के साथ की है। उन्होंने केन्द्र सरकार से तुरन्त सहायता देने के लिए अनुरोध भी किया है। जहां तक सुनामी का सम्बन्ध है तो उससे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर नुकसान हुआ था। जिससे जान माल की भारी क्षति हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केन्द्र सरकार बचाव के लिए आगे आई और आते यथाशीघ्र राहत उपाय और सामग्री उपलब्ध कराई। लेकिन दुर्भाग्यवश अपेक्षित सामग्री आपदा से प्रभावित हुए जरूरतमन्द लोगों तक नहीं पहुंच पाई। सुनामी राहत कार्यों में लाभार्थियों, पीड़ितों और उनके परिवारों को ध्यान करते हुए भी*…* उनके दल के कार्यकर्त्ताओं ने पीड़ितों और उनके परिवारो को दी जाने वाली राहत सामग्री और नकद क्षतिपूर्ति तक हथिया ली। मैंने इस सम्मानीय सभा में नियम 193 के अधीन चर्चा करते हुए इस दयनीय स्थिति का वर्णन पहले ही किया है। मैंने दस्तावेजी साक्ष्य और समाचार पत्र के कतरनों से उन कमियों और कुप्रबन्ध के बारे में बताया था। लेकिन अभी तक उन कमियों को दूर करने अथवा जारी राहत कार्यों के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

अन्त्योदय योजना जैसी कई केन्द्र प्रयोजित योजनाओं और केन्द्र वित्तपोषित योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के कार्यक्रम को पुनः चालू नहीं किया गया है और उपेक्षित रह रहे गरीब लोगों को धन तक नहीं मिल रहा है। संपूर्ण रोजगार योजना ग्रामीण सड़क योजना, इन्दिरा आवास योजना, स्वर्णजयन्ती योजना जैसी केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाएं हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। लेकिन तमिलनाडू में जो हो रहा है वह अत्यन्त दुखदायी है। एक ओर हम प्राकृतिक सुनामी से पीड़ित है तो दूसरी ओर हमें भ्रष्टाचार सुनामी देखने को मिलती है। एक ओर हमें सूखा, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है तो दूसरी ओर हमें मिलता है*…*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री वी०पी० सिंह थे तो उस मसय हमारे प्रिय नेता डा० कालिंगनर करूणानिधि के सार्थक प्रयासों से कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की 1990 में स्थापना की गई थी। इस न्यायाधिकरण ने जून 1991 में अन्तरिम निर्णय सुनाया था। इतने वर्ष बीत गये हैं लेकिन उसको पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है। समय की मांग है कि इस उत्पीड़क समस्या का अन्तिम हल करने के लिए अन्तिम निर्णय प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाए जिससे कावेरी डेल्टा क्षेत्र पानी के उचित भाग के कारण सूखा न रहे और उसे खेती बाड़ी के लिए समय पर जल मिल सके। मैं कावेरी डेल्टा क्षेत्र से हूं। जो दक्षिण का धान उगाने वाला क्षेत्र था और अब सूखा प्रवण क्षेत्र बनता जा रहा है और सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण कृषक और खेतिहर मजदूरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कावेरी जैसे पोषक क्षेत्र में भूखमरी से मौते हो रही है और लोग अपनी भूख मिटाने के लिए चूहों का शिकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इतने वर्षों से हम नदियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस योजना को यह सुनिश्चित करते हुए आरम्भ करे और इसे चौदहवीं लोकसभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व पूरा करे। यह आवश्यक है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें जीविको-पार्जन सुनिश्चित किया जाए। इससे बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त होगी क्योंकि फालतू जल अन्य नहरों और नदियों में डाल दिया जाएगा। तेरहवीं लोकसभा में कार्यकाल के दौरान श्री सुरेश प्रभु के सभापतित्व में नदियों को जोड़ने का अध्ययन करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया था। मैं उसके कार्यों के बारे में जानना चाहता हूं।

इसी प्रकार मैं रोजगार गारन्टी योजना के उचित कार्यान्वयन और अधिक से अधिक सूखा प्रणव जिलों को सुधारने की आवश्यकता पर बल देना चाहता हूं। केन्द्र को एक सक्षम नीति तैयार कनी चाहिए ताकि देश के सूखा प्रणव क्षेत्रों में रह रहे खेतिहर कर्मकारों को गैर मौसमी रोजगार अवसर अथवा वैकल्पिक रोजगार सुनिश्चित कराए जा सके। अन्यथा सूखे से उत्पन्न हुई तबाही के कारण वे गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए जाएंगे।

सेतु समुद्रम परियोजना 140 सालों से भी अधिक समय से उस समय तक एक स्वप्न बनकर रहा है। जब तक डा० मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाला था। उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी और डा० कालिंगनर के सक्षम मार्गनिर्देश और नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण युग की शुरूआत की है। मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि नदियों को जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य उनके कार्यकाल के दौरान पूरा किया जाए।

[श्री ए०के०एस० विजयन]

मुझे इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि तमिलनाडु में, यहां तक कि उसके कावेरी डेल्टा क्षेत्र में सूखे की स्थिति कितनी भयावह है। यहां तक कि राज्य के कई भागों में पेयजल की समस्या बनी हुई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पेयजल की अत्यधिक कमी है। पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार ने अपना बजट पेश करते समय यह घोषणा की थी कि समुद्री जल का शोधन कर उसे पीने लायक बनाने के लिए चेन्नई के निकट एक हजार करोड़ रुपये की लागत से एक जल शोधन इकाई की स्थापना की जायेगी। लेकिन राज्य सरकार ने इसमें सहायता और सहयोग करने में रूचि नहीं दिखाई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक इतनी व्यावहाकि परियोजना को लागू नहीं किया जा सका। साथ ही* . . . नयी वीरानम योजना शीर्ष के अंतर्गत कुल मिलाकर इस योजना में धन की बर्बाद हुई क्योंकि चेन्नई के लिए स्थायी आधार पर जल नहीं प्राप्त किया जा सका। चेन्नई शहर के लोग अब भी अपने सूखे-प्यासे घूम रहे हैं।

हमारे संविधान ने अनुच्छेद 355 और 356 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान की गयी है। इस बारे में लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है और मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने, आर्थिक आपातकाल की घोषणा करने तथा किसी राज्य के प्रशासनिक तंत्र को अपने हाथ में लेने की शक्ति केन्द्र सरकार में निहित है। जब तक यह संवैधानिक प्रावधान बना हुआ है और जब तक राज्य के कार्यों में कमी बनी रहती है, केन्द्र सरकार को उस पर कार्यवाई करनी चाहिए। सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप तथा सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं अचानक जानमाल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए, ये आपदाएं जहां कहीं और जब भी घटित हों, इन्हें राष्ट्रीय आपदा के रूप में लेना चाहिए और केन्द्र सरकार को केन्द्र तथा राज्यों के अधिकारियों को शामिल करते हुए तुरन्त बचाव और राहत कार्य शुरू करने चाहिए। जब भी ये आपदाएं घटित हो सरकार को युद्धस्तर पर राहत उपाय शुरू कर देने चाहिए। इसके लिए एक व्यावहारिक तंत्र पर विचार करना चाहिए और उसे विकसित करना चाहिए।

जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है; वहां राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण सुनामी राहत कार्य एकदम ठप्प पड़े हैं। केन्द्र सरकार तथा कतिपय विदेशी सरकारों के साथ-साथ कई गैर-सरकारी संगठन वहां चल रहे राहत कार्यों के लिए धन देने को तैयार हैं, पर वहां पहले से ही उपलब्ध धन प्रयुक्त नहीं हो पा रहा है। सुनामी त्रासदी के सात महीनों बाद भी वहां राहत कार्य जोर-शोर से शुरू नहीं हो सका है। वहां स्थायी आवासों का निर्माण नहीं हुआ है और न ही इस बारे में कोई कार्य शुरू हुआ है। हजारों परिवार अब भी अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं। मैं इस माननीय सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि कोई दस एक दिन पहले इन्हीं अस्थायी आश्रयों में से एक आग लगने की घटना के कारण गिर पड़ा। पहले जिन लोगों पर समुद्र के पानी ने कहर बरसा था इस बार वही लोग अग के शिकार हो गये। इन बेचारे आभागे लोगों के पास जो कुछ था इस बार फिर सब कुछ आग के हवाले हो गया। ये लोग अब भी बचाव आश्रयों में रह रहे हैं। राज्य सरकार की असफलता के कारण हम जैसे स्थानीय प्रतिनिधियों को जनता का कोपभाजन बनाना पड़ता है जो सहायता पहुंचाने के लिए बहुत ही गंभीर हैं। यह एक अजीब सी स्थिति है जहां दुर्भाग्य से दोषी और दोषारोषित दो अलग-अलग व्यक्ति हैं और इसमें दोषी तो छूट जाते हैं लेकिन हम जैसे निर्दोष व्यक्ति जनता के आरोपों और आक्रोश का सामना करते हैं जबकि हमारी कोई गलती नहीं होती। यहां तक कि केन्द्र सरकार को भी आरोप लगाने से नहीं बख्शा जाता यह सब तभी बंद हो सकता है जब राज्य सरकार को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाये*. . .

संसद की विभिन्न स्थायी समितियों की तर्ज़ पर संसद सदस्यों की एक आपदा राहत कार्य निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए ताकि राहत कार्य में जवाबदेही तय की जा सके। यह संसदीय समिति प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर आवश्यक जगहों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए केन्द्र और राज्य के अधिकारियों को निदेश दे सकती है। स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टरों तथा स्थानीय संसद सदस्यों को मिलाकर एक समिति बनायी जा सकती है जो राहत कार्य की निगरानी करे। मेरा ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि वह ऐसी समितियां गठित करे ताकि वे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभारी कार्यकरण की निगरानी कर सकें। कहना न होगा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाएं पूरी तरह केन्द्र द्वारा वित्त पोषित होती हैं और संसद द्वारा उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्षपीठ ने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके लिए मैं एक बार फिर अध्यक्ष पीठ का धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस चर्चा को कल भी जारी रखेंगे। अब सभा कल 28 जुलाई, 2005 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा गुरूवार, 28 जुलाई, 2005/6 श्रावण, 1927(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री रामजीलाल सुमन	41
2.	श्री महेश कनोडीया श्री जुएल ओराम	42
3.	श्री अब्दुल रशीद शाहीन मो० मुकीम	43
4.	श्री एन०एन० कृष्णदास श्री एस०के० खारवेनथन	44
5.	श्री राम कृपाल यादव श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	45
6.	श्री हन्नान मोल्लाह श्री निखिल कुमार	46
7.	श्री शिवराज सिंह चौहान	47
8.	श्री अविनाश राय खन्ना श्री राम सिंह कस्वां	48
9.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	49
10.	श्री तथागत सत्पथी श्री रेवती रमन सिंह	50
11.	श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज) कुंवर मानवेन्द्र सिंह	51
12.	श्री कीरेन रिजीजू	52
13.	डा० पी०पी० कोया	53
14.	श्री मधु गौड यास्खी श्री बाडिगा रामकृष्णा	54
15.	प्रो० महादेवराव शिवनकर श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	55
16.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	56
17.	डा० चिन्ता मोहन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	57
18.	श्री राकेश सिंह श्री सनत कुमार मंडल	58
19.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री गणेश सिंह	59
20.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री हंसराज जी० अहीर	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	481, 554, 593, 612
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	523, 573, 603, 614
3.	अहीर, श्री हंसराज जी०	420, 535, 581, 608
4.	अजनाला, डा० रतन सिंह	451
5.	अंगड़ि, श्री सुरेश	479, 568
6.	अप्पादुरई, श्री एम०	428
7.	आठवले, श्री रामदास	461, 477, 551
8.	"बाबा", श्री के०सी० सिंह	460, 497
9.	बंसल, श्री पवन कुमार	450
10.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	410, 508, 579, 606, 616
11.	बर्मन, श्री हितेन	444
12.	बर्मन, श्री रनेन	463, 579
13.	बखला, श्री जोवाकिम	423, 463
14.	भडाना, श्री अवतार सिंह	567
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	488, 559, 628

1	2	3
16.	बोस, श्री सुब्रत	444
17.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	580
18.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	579, 627
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	442
20.	चन्देल, श्री सुरेश	414, 457, 538
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी०के०	443, 465, 587
22.	चौरे, श्री बापू हरी	532
23.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	441, 580
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	599
25.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	518, 568
26.	चौधरी, श्री पंकज	409, 636
27.	चौधरी, श्री अधीर	563, 614
28	चौधरी, श्री विकास	498
29.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	597
30.	धनराजु, डा० के०	474, 538, 549, 577, 632
31.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	451, 492
32.	डोम, डा० रामचन्द्र	597
33.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	412, 538, 620
34.	गढ़वी, श्री पी०एस०	482
35.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	519, 571, 602
36.	गमांग, श्री गिरिधर	590
37.	गांधी, श्रीमती मेनका	478
38.	गंगवार, श्री संतोष	532, 580
39.	गाव, श्री तापिर	425
40.	गोहेन, श्री राजेन	518
41.	गौडा, श्री डी०वी० सदानन्द	472, 548, 589, 623
42.	हर्ष कुमार, श्री जी०वी०	461, 480, 583
43.	हसन, श्री मुनव्वर	483, 524, 555
44.	जगन्नाथ, डा० एम०	434, 552, 591
45.	जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)	492, 503, 562
46.	झा, श्री रघुनाथ	427, 526, 568, 598, 613
47.	जिन्दल, श्री नवीन	418
48.	जोगी, श्री अजीत	493, 529, 538
49.	जोशी, श्री प्रहलाद	455
50.	कनोडिया, श्री महेश	515
51.	खैरे, श्री चंद्रकांत	422, 517, 566
52.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	411, 509, 600, 623
53.	खन्ना, श्री अविनाश राय	512, 570
54.	खारवेनथन, श्री एस०के०	451, 505, 530, 578
55.	कोया, डा० पी०पी०	522
56.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	454, 485, 574, 615, 619
57.	लाहिरी, श्री समिक	627
58.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	514, 563, 599
59.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	451
60.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	494, 632
61.	महतो, श्री बीर सिंह	452, 636
62.	महतो, श्री सुनिल कुमार	413, 550, 623
63.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	520
64.	माझी, श्री परसुराम	417, 590, 611
65.	मल्होत्रा, श्री विजय कुमार	435, 528, 532, 580
66.	मंडल, श्री सनत कुमार	507, 597, 634
67.	माने, श्रीमती निवेदिता	519, 571, 602
68.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	537, 567
69.	मिश्रा, डा० राजेश	452, 532
70.	मोदी, श्री सुशील कुमार	487, 558, 566
71.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	459, 468

1	2	3
72.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	99
73.	मोहन, श्री पी०	466, 582
74.	मुकीम, मो०	542, 553, 592, 614
75.	मो० ताहिर, श्री	524, 574, 615, 619, 622
76.	मोहिते, श्री सुबोध	424
77.	मोल्लाह, श्री हन्नान	510, 515, 567, 601
78.	मुन्शी राम, श्री	524, 574, 615, 619, 624
79.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	491, 579
80.	नायक, श्री ए० वेंकटेश	455, 491, 496
81.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	600
82.	नायक, श्री अनन्त	481, 489, 560, 596
83.	ओराम, श्री जुएल	539, 584
84.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	454, 458, 570
85.	पलनिसामी, श्री के०सी०	430, 497, 538
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	475
87.	पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण	528
88.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	419, 451, 520
89.	पटेल, श्री किसनभाई वी०	461, 470, 473, 546, 631
90.	पाठक, श्री ब्रजेश	471, 534, 547, 568, 588
91.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम०के०	520
92.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	432, 636
93.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	457, 536, 582
94.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी०	557
95.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	525, 600
96.	पोन्नुस्वामी, श्री ई०	435, 532, 563, 567
97.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	501, 550, 569

1	2	3
98.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी०	460, 636
99.	राजेन्द्र कुमार श्री	451, 542, 614, 623, 627
100.	राजेन्द्रन, श्री पी०	450
101.	रामदास, प्रो० एम०	486, 557
102.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	534, 580, 607, 617
103.	राणा, श्री काशीराम	533, 636
104.	रंजन, श्रीमती रंजीत	445
105.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	448, 523, 530, 602
106.	राव, श्री डी० विट्टल	440
107.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	441
108.	रेड्डी, श्री जी० करूणाकर	426, 511, 595, 629, 635
108.	रेड्डी, श्री एम० राजा मोहन	490
110.	रेड्डी, श्री एम० श्रीनिवासुलु	438
111.	रेड्डी, श्री एन० जनार्दन	513, 565, 639
112.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	454, 567
113.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	415, 452, 533
114.	रिजीजू, श्री कीरेन	516, 520
115.	साई प्रताप, श्री ए०	437
116.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	433, 534, 541, 586, 630
117.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	439, 564, 600
118.	सतीदेवी, श्रीमती पी०	431
119.	सत्पथी, श्री तथागत	520
120.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	461, 543, 587, 610
121.	सेठ, श्री लक्ष्मण	431, 579
122.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	502
123.	शाहिद, मोहम्मद	524, 574, 615, 619, 632

1	2	3
124.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	476, 504
125.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	446, 523, 576, 605
126.	शिवन्ना, श्री एम०	455, 491, 495, 496, 561
127.	शिवनकर, प्रो० महादेवराव	524, 574, 604, 615
128.	सिद्धेश्वर, श्री जी०एम०	408, 608
129.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	467, 545, 627
130.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	599
131.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	447, 529
132.	सिंह, श्री चन्द्रभान	600
133.	सिंह, श्री दुष्यंत	484, 556, 580, 594, 633
134.	सिंह, श्री गणेश	449, 531, 603, 614
135.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	519, 571, 602
136.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	544, 563, 609
137.	सिंह, श्री मानवेन्द्र	568
138.	सिंह, श्री मोहन	537
139.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	500, 623, 625
140.	सिंह, श्री राकेश	527, 575
141.	सिंह, श्री सीताराम	416, 521, 572
142.	सिंह, श्री सुग्रीव	461, 465, 470, 473, 546
143.	सिंह, श्री सूरज	620
144.	सिंह, श्री उदय	456, 563, 614
145.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	515
146.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	421, 506
147.	सुब्बारायण, श्री के०	443
148.	सुमन, श्री रामजीलाल	514, 563, 599
149.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	465, 621
150.	स्वाईं, श्री खारबेल	520
151.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी०	469
152.	थामस, श्री पी०सी०	464, 600
153.	तुम्मर, श्री वी०के०	453
154.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	435, 535
155.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	461, 540, 585
156.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	436, 538, 583, 609, 618
157.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी०.	453
158.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	429, 520, 523, 573, 626
159.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	519, 571, 602
160.	यादव, श्री एम० अंजनकुमार	413, 415, 462, 569
161.	यादव, श्री गिरिधारी	462
162.	यादव, श्री राम कृपाल	600
163.	यादव, श्री सीता राम	614
164.	यास्खी, श्री मधु गौड	602

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री		
परमाणु ऊर्जा	:	58
कोयला	:	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	47, 48, 49, 51, 56
विदेश	:	46, 52, 54
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	42, 43, 45, 53, 59
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	41, 55, 57, 60
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	44, 50
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	—
परमाणु ऊर्जा	:	441, 484, 574,
कोयला	:	416, 418, 420, 424, 463, 481, 489, 498, 499, 539, 554, 566, 567, 578, 581, 584, 593, 604, 607, 610,
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	408, 409, 413, 423, 426, 442, 443, 447, 448, 450, 493, 496, 504, 505, 517, 519, 522, 524, 528, 535, 546, 550, 556, 577, 589, 596, 597, 605, 606, 625, 628, 629, 631, 633, 635,
विदेश	:	421, 434, 435, 451, 475, 479, 482, 490, 492, 495, 497, 506, 508, 516, 520, 538, 547, 551, 559, 570, 587, 601, 602, 636,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	428, 430, 431, 432, 437, 438, 440, 444, 454, 455, 459, 460, 465, 468, 471, 473, 474, 478, 480, 483, 486, 491, 494, 500, 509, 510, 515, 517, 521, 523, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 536, 541, 548, 552, 558, 564, 565, 568, 571, 572, 573, 576, 582, 583, 585, 586, 592, 595, 598, 599, 603, 608, 609, 614, 616, 618, 619, 620, 627, 630, 632, 634,

प्रवासी भारतीय कार्य	:	461, 613,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन		412, 415, 427, 433, 462, 470, 503, 511, 512, 513, 533, 537, 542, 553, 561, 588,
योजना	:	410, 411, 422, 446, 449, 458, 467, 485, 514, 540, 543, 544, 557, 560, 579, 590, 617,
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	417, 429, 445, 452, 453, 464, 469, 472, 476, 477, 487, 488, 507, 545, 549, 575, 591, 594, 600, 611, 612, 615, 621, 623, 624,
अंतरिक्ष	:	425, 562,
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	:	439, 622,
युवक कार्यक्रम और खेल	:	414, 419, 436, 456, 457, 466, 501, 502, 563, 569, 626.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/11/3/2005 (एम०)
232

© 2005 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।